ekuuh; vuUr fct ; flg] U;k;efr

सुशील शर्मा उर्फ सुहील शर्मा एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Appeal (S.J.) No. 1801 of 2017. Decided on 8th December, 2017.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989–धारा 3 सहपठित भा०दं०सं० की धाराएँ 323, 354, 379, 452 एवं 504–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 438–अग्रिम जमानत–पहले भी विरोधी पक्षकारों द्वारा भा०दं०सं० की धाराओं 457/380 के अधीन मामला दर्ज किया गया था, जिसमें अपीलार्थियों का नाम प्राथमिकी में आ रहा था और पुलिस ने मामला असत्य पाते हुए और सूचक के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 182/211 के अधीन कार्यवाही आरंभ करने के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया–आक्षेपित आदेश अपास्त–अग्रिम जमानत आवेदन अनुज्ञात। (पैराएँ 2 एवं 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Arvind Kr. Choudhary, For the Appellants; A.P.P., For the State; Mr. Pandey Neeraj Rai, For the O.P. No. 2.

आदेश

दो अपीलार्थियों ने भा०दं०सं० की धाराओं 323, 354, 379, 452, 504 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(x) के अधीन दर्ज कुन्डा पी०एस० केस सं० 50 वर्ष 2013 से उद्भूत होने वाले ए०बी०पी०सं० 712 वर्ष 2017 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-I, देवघर द्वारा पारित दिनांक 10.8.2017 के आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 14A के अधीन अपील दाखिल किया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थियों की अग्रिम जमानत प्रार्थना अस्वीकार कर दिया है।

2. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पहले भी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा भा०दं०सं० की धाराओं 457/380 के अधीन जसीडीह पी०एस० केस सं० 321 वर्ष 2012 दर्ज किया गया था, जिसमें अपीलार्थियों का नाम प्राथमिकी में आ रहा था और पुलिस ने मामला असत्य पाते हुए और सूचक के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 182/211 के अधीन कार्यवाही आरंभ करने के लिए दिनांक 28.2.2013 का आरोप पत्र सं० 29/2013 दाखिल किया।

3. विद्वान ए०पी०पी० ने और विरोधी पक्षकार सं०2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है।

4. चाहे जो भी हो, ए०बी०ए० सं० 712 वर्ष 2017 में पारित दिनांक 10.8.2017 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।

5. अपीलार्थियों को इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया जाता है और उनकी गिरफ्तारी अथवा आत्मसमर्पण की स्थिति में अवर न्यायालय दं०प्र०सं० की धारा 438(2) के अधीन यथा अधिकथित शर्तों के अध्यधीन कुन्डा पी०एस०केस सं० 50 वर्ष 2013, जी० आर० सं० 836 वर्ष 2013 के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश-I, देवघर की संतुष्टि के प्रति समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ प्रत्येक द्वारा 10,000 (दस हजार) रुपयों का जमानत बंध पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त नामित अपीलार्थियों को रिहा किया जाएगा।

अपील अनुज्ञात की जाती है।

इस आदेश की प्रति अवर न्यायालय को भेजी जाए।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj ,o ieFk iVuk;d] U;k;efrx.k

सुगदा बेसरा

cuke

झारखंड राज्य

Cri. (Jail) Appeal (D.B.) No. 236 of 2007. Decided on 9th September, 2017.

एस॰ टी॰ केस सं॰ 214 वर्ष 2005 में तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰–II घाटसिला, सिंहभूम पूर्व द्वारा पारित दिनांक 29.1.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं 1.2.2007 के दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धारा 302–हत्या–अपीलार्थी ने मृतक के अग्रमस्तक के दाएँ भाग पर लाठी का एक वार किया–डॉक्टर ने चश्मदीद गवाह का साक्ष्य संपुष्ट किया–पक्षों के बीच पहले से बँटवारा था–अपीलार्थी मृतक का छोटा भाई है–यह अचानक हुआ झगड़ा था और अपीलार्थी ने कोई अनुचित लाभ नहीं लिया है अथवा क्रूर या असामान्य तरीके से कृत्य नहीं किया है–चिकित्सीय साक्ष्य अग्रमस्तक के दाएँ भाग पर एक खरोंच उपहति प्रकट करता है–वार के घातक परिणाम के पीछे के आशय के संबंध में साक्ष्य नहीं है–आशय तथ्य का प्रश्न है–अपीलार्थी की दोषसिद्धि भा०दं०सं० की धारा 304 भाग II के अधीन दोषसिद्धि में संपरिवर्तित की गयी और 10 वर्षों का दंडादेश दिया गया। (पैराएँ 7, 8, 9 एवं 11)

निर्णयज विधि.–AIR (27) 1940 ALL 113; AIR 1934 Lahore 467; (2013) 12 SCC 110—Relied; (2009) 15 SCC 635—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Kripa Shankar Nanda, For the Appellant; Mr. Arun Kumar Pandey, For the Respondent.

एस० चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति.–क्या मृतक के अग्रमस्तक के दाएँ भाग पर लाठी से एक वार जो अंतत: मृत्यु में परिणत हुआ, भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त है, वर्तमान दांडिक (जेल) अपील में उठाया गया सटीक प्रश्न है।

2. एस०टी०केस सं० 214 वर्ष 2005 में अपीलार्थी को मृतक लिट्टा बेसरा की हत्या करने के लिए अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ II, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास भुगतने के लिए दंडादेशित किया गया है। दिनांक 29.1.2007 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दिनांक 1.2.2007 का दंडादेश वर्तमान दांडिक अपील में चुनौती के अधीन है।

3. मृतक लिट्टा बेसरा की पत्नी अर्थात बुटी बेसरा द्वारा 13.3.2005 को सायं 4 बजे अपने फर्दबयान में वर्णित अभियोजन मामला प्रकट करता है कि सायं लगभग 5 बजे जब वह अपने पति के साथ घर लौटी, अपीलार्थी सुगद बेसरा नशे की हालत में वहाँ आया और उसके पति को गाली देने लगा। सूचक ने उसको शांत करने का प्रयास किया, किंतु अपीलार्थी नहीं सुना और वहाँ पड़ा काठ की छड़ी

उठाया और उसके पति के मस्तक पर वार किया, जिसपर वह जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। अभियुक्त उसके घर से भाग गया और अगले दिन उसके पति की मृत्यु हो गयी। उसने प्रकट किया है कि झगड़ा महुआ पेड़ पर विवाद के कारण हुआ। उसके फर्दबयान के आधार पर भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी अभियुक्त के विरूद्ध दालभूमगढ़ (गुडाबन्डा) पी०एस० केस सं० 19 वर्ष 2005 दर्ज किया गया था। अन्वेषण के समापन पर पुलिस ने एकमात्र अभियुक्त के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया और न्यायालय ने भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया। विचारण के दौरान अपीलार्थी के विरूद्ध विरचित आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा सात गवाहों का परीक्षण किया गया था। डॉक्टर जिन्होंने लिट्टा बेसरा के मृत शरीर का शव परीक्षण किया का परीक्षण अ०सा० 1 के रूप में किया गया है। सूचक का परीक्षण अ०सा०2 के रूप में किया गया है और अ०सा०3 एवं अ०सा० 4 क्रमशः प्राथमिकी एवं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के गवाह हैं। किसी बिजन कुमार बोस, अधिवक्ता लिपिक का परीक्षण अ०सा०7 के रूप में किया गया है जिसने औपचारिक प्राथमिकी और फर्दबयान सिद्ध किया है। विचारण में अभियोजन द्वारा मामला के अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है।

4. संक्षिप्त रूप से कथित सूचक अ०सा०2 ने अपना फर्दबयान दोहराते हुए न्यायालय में कथन किया कि अपीलार्थी सुगदा बेसरा ने उसके घर में पड़ी लाठी उठाया और उसके पति के मस्तक पर वार किया। उसने यह कथन भी किया है कि अभियुक्त ने दो तीन वार किया। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने स्वीकार किया है कि उसने चौकीदार को घटना के बारे में सूचना नहीं दिया था। यह भी प्रकट है कि उसने अपने पड़ोसियों अर्थात रामचंद्र हंसदा तथा मोकरा मुर्मु को घटना के बारे में सूचना नहीं दिया था। विचारण के दौरान उनका परीक्षण क्रमशः अ०सा०3 एवं अ०सा० 4 के रूप में किया गया है। सूचक स्वीकार करती है कि रामचंद्र हंसदा एवं मोकरा मुर्मु उसके घर के सामने रहते हैं। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसका पति शराब पीता था और दिन जिस पर घटना हुई वह शराब पिए था। अपीलार्थी उसका छोटा देवर है। न्यायालय में उसके अभिसाक्ष्य में कतिपय अन्य अंतर है जैसे, उसने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि जब वह कुडियान से वापस आयी, जहाँ उसका एक अन्य घर था, उसने अपने पति को मृत पाया। (पैराग्राफ 22), किंतु विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा इन अंतरों को यह संप्रेक्षित करते हुए अनदेखा किया गया है कि सूचक निरक्षर महिला है जो अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान ऐसी गलतियाँ कर सकती है। यद्यपि हम विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश के संप्रेक्षण से सहमत नहीं हैं किंतु हम इस गवाह के प्रतिपरीक्षण में पूर्वोक्त अंतरों को इस कारण से अनदेखा करने के इच्छुक हैं कि गवाह संथाली बोलने वाली महिला थी जिसकी सहायता अधिवक्ता अनुवादक ने किया था।

5. डॉक्टर अ०सा०1 ने मत दिया है कि मृत शरीर पर उपहतियाँ मृत्यु पूर्व प्रकृति की थीं और वे कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी। उन्होंने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित उपहतियों को पाया है:-

leg A- [kjkp -(i) vxeLrd d nk, Hkkx ij

(ii) ck, ?kVuk d lkeu d Hkkx ij

leg B- vkrfjd migfr;k&(i) ij dV;TM Ldy ij Ropk d uhp 'kk¶V fV'k]

(ii) ijk cu dV;TM] fQlj ÝDpj fy, nkuk ijkbVy ,o ÝVy LdkYi vfLFkA

6. अ०सा०3 एवं अ०सा०4 जो पड़ोसी एवं फर्दबयान तथा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट गवाह है ने इनकार किया है कि उनकी उपस्थिति ने कोई जब्ती की गयी थी और उन्होंने प्राथमिकी की विषयवस्तु के प्रति

अनभिज्ञता का अभिवचन किया है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने एस०टी०केस सं० 214 वर्ष 2005 में अभियोजन द्वारा दिए गए साक्ष्य पर विश्वास करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि ''समस्त गवाह इस बिन्दु पर संगत हैं कि अभियुक्त ने घटना की तिथि पर मृतक पर प्रहार किया था।

7. अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य के पुनर्परीक्षण पर हम पाते हैं कि अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलेख की गंभीर गलती की गयी है। सब नहीं किंतु सूचक अ०सा०2 केवल मृतक पर प्रहार का गवाह है। निश्चय ही, डॉक्टर ने अ०सा०2 का साक्ष्य संपुष्ट किया है जब उन्होंने अग्रमस्तक के दाएं भाग पर एक खरोंच पाया।

8. अभियोजन द्वारा सिद्ध किए गए तथ्य एवं परिस्थितियाँ स्थापित करते हैं कि अपीलार्थी ने मृतक लिट्टा बेसरा के अग्रमस्तक के दाएँ भाग पर लाठी का एक वार किया। अब प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी द्वारा प्रत्यक्ष कृत्य, जैसा पाया गया है, अपीलार्थी को भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है?

9. विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने पाया है कि ''जहाँ तक मृत्यु कारित करने के अभियुक्त के आशय का संबंध है, इसके सिवाए कोई साक्ष्य नहीं है कि झगड़ा के पीछे हेतु था जो अभिकथित घटना के तुरन्त पहले हुआ।'' स्पष्ट रूप से, अभियोजन ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है जो निर्णायक रूप से स्थापित करेगा कि अपीलार्थी का भा०दं०सं० की धारा 300 के प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय खंड के अधीन अध्यपेक्षित आशय था। जहाँ तक भा०दं०सं० की धारा 300 के खंड चतुर्थ की प्रयोज्यता का संबंध है, अभियोजन कोई साक्ष्य देने में विफल रहा है कि अपीलार्थी को अध्यपेक्षित जानकारी थी कि काठ की लाठी से प्रहार इतना आसन्न रूप से खतरनाक था कि यह समस्त अधिसंभाव्यता में मृत्यु में परिणत होगा। प्रहार के हथियार का रूप, आकार, वजन सिद्ध नहीं किया गया है। यद्यपि पुलिस द्वारा लाठी अभिकथित रूप से जब्त की गयी थी, इसे सत्र विचारण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था। अपीलार्थी एवं मृतक के बीच झगड़ा महुआ पेड़ पर शुरू हुआ। पक्षों के बीच पहले से बँटवारा है। अपीलार्थी मृतक का छोटा भाई है। यह अचानक हुआ झगड़ा था और अपीलार्थी ने कोई अनुचित लाभ नहीं लिया है अथवा क्रूर या असामान्य तरीके से कृत्य नहीं किया है। ये तथ्य सिद्ध होते हैं जब हम चिकित्सीय साक्ष्य का परीक्षण करते हैं, जो अग्रमस्तक के दाएँ भाग पर एक खरोंच उपहति प्रकट करता है। वार के घातक परिणाम के पीछे आशय के संबंध में साक्ष्य नहीं है। आशय तथ्य का प्रश्न है। **वजीरा बनाम एम्परर, AIR(27) 1940 ALL 113,** में न्यायमूर्ति इसमायल ने संप्रेक्षित किया: ''मस्तक पर प्रत्येक उपहति मृत्यु कारित करने योग्य नहीं मानी जा सकती है और न ही मस्तक पर लाठी का प्रत्येक वार घातक माना जाए।'' अभियोजन मामला का पहला विवरण जैसा अ०सा०2 द्वारा अपने फर्दबयान में दिया गया है उपदर्शित नहीं करता है कि पूर्वचिंतन था। यह अचानक हुआ झगड़ा था जिसमें भावावेग में अपीलार्थी ने मृतक के अग्रमस्तक के दाएँ भाग पर लाठी से एक वार किया जो अंतत: घातक सिद्ध हुआ।

10. आरंभ के एक मामला में, **गुरुचरण सिंह बनाम एम्परर, AIR 1934, Lahore 467,** में अचानक झगड़ा में मस्तक पर एकल वार द्वारा कारित मृत्यु भा०दं०सं० की धारा 304 के भाग II के अधीन आने वाला मामला अभिनिर्धारित किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियुक्त अपराधी को यह जानकारी रखने वाला समझा जाएगा कि उसके द्वारा किए गए वार की मृत्यु कारित करने की संभावना थी। **चेंदा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2013)12 SCC 110,** में, **गुरुमुख सिंह बनाम हरियाणा**

राज्य, (2009) 15 SCC 635, में उपदर्शित मापदंडों को निर्दिष्ट करते हुए, मस्तक पर लाठी के एकल वार जिसकी परिणति अंतत: मृत्यु में हुई को भा०दं०सं० की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध आकृष्ट करता पाया गया है।

11. मामले के पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि एस०टी०सं० 214 वर्ष 2005 में दिनांक 29.1.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 1.2.2007 के दंडादेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अपीलार्थी को हत्या की कोटि में नहीं आने वाले मानववध का दायी अभिनिर्धारित किया जाता है क्योंकि यह मामला भा०दं०सं० की धारा 300 के चतुर्थ अपवाद के अधीन आता है, अपीलार्थी की दोषसिद्धि भा०दं०सं० की धारा 304 भाग II के अधीन दोषसिद्धि में संपरिवर्तित की जाती है और उसे दस वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया जाता है। वह पहले ही 12 वर्षों का दंडादेश भुगत चुका है जो भा०दं०सं० की धारा 304 के भाग II के अधीन विहित महत्तम दंडादेश से अधिक है। तद्नुसार, उसे तुरन्त अभिरक्षा से निर्मुक्त किया जाएगा यदि किसी अन्य मामला के संबंध में उसकी आवश्यकता नहीं है। वर्तमान दांडिक अपील अंशत: अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

फागू महतो एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Revision No. 475 of 2015. Decided on 7th November, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 379/341/323–अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958–धारा 4–चोरी, दोषपूर्ण अवरोध एवं उपहति–दोषसिद्धि–परिवीक्षा पर निर्मुक्ति–याचीगण द्वारा किए गए प्रहार के संबंध में अभिलेख पर संगत साक्ष्य मौजूद होने के कारण, जिसे सूचक की कलाई घड़ी छीनने के संबंध में उपहति रिपोर्ट एवं मौखिक साक्ष्य द्वारा सम्यक रूप से समर्थित किया गया है, विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से याचीगण को दोषसिद्ध किया है–इस तथ्य की दृष्टि में कि विचारण विगत 16-17 वर्षों से लंबित था, याचीगण को इस प्रभाव का बंधपत्र प्रस्तुत करने के बाद निर्मुक्त किया गया था कि वे एक वर्ष की अवधि के लिए शांति एवं अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे जब अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अधीन न्यायालय द्वारा बुलाया जाता है। (पैराएँ 6, 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–None, For the Petitioners; APP, For the State.

आदेश

याचीगण के लिए कोई उपस्थित नहीं होता है।

2. दिनांक 11.9.2017 के आदेश के अनुसरण में अवर न्यायालय अभिलेख प्राप्त किया गया है। चूँकि अभियोजन लगभग दो दशक पहले आरंभ किया गया था, यह आवेदन निपटाया जा रहा है।

3. यह आवेदन जी०आर० केस सं० 37 वर्ष 1998 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश-सह-फास्ट ट्रैक कोर्ट (बलात्कार मामले), देवघर द्वारा पारित दिनांक 28.1.2015 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची सं॰ 1 को भा०दं०सं० की धारा 379

के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और याची सं॰ 2 को भा॰दं॰सं॰ की धारा 341/323 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और दोनों को इस प्रभाव का बंध पत्र प्रस्तुत करने के बाद निर्मुक्त किया गया है कि वे एक वर्ष की अवधि के लिए शांति एवं अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे।

4. संक्षेप में अभियोजन मामला यह है कि 20.1.1998 को प्रातः लगभग 6-6.30 बजे अभियुक्तों ने सूचक के घर का निकास बंद करने का प्रयास किया और जब सूचक ने प्रतिरोध किया, अभियुक्तगण उसपर लाठी से प्रहार करने लगे। याची सं॰2 ने सूचक के मस्तक पर लाठी का वार किया और जब गोलू महतो सूचक को बचाने आगे आया, कमल महतो ने उसके अग्रमस्तक पर लाठी से वार किया। यह भी अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त फागू महतो ने सूचक की 700/-रुपए मूल्य की कलाई घड़ी छीना और लालजी महतो ने भी सूचक के चाचा विनोद महतो पर प्रहार किया। पूर्वोक्त अभिकथन के आधार पर जसीडीह पी॰ एस॰ केस सं॰ 9 वर्ष 1998 संस्थित किया गया था जिसमें अन्वेषण के बाद भा॰दं॰सं॰ की धाराओं 341, 323, 427, 504 एवं 34 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था और संज्ञान लिया गया था और मामला अभिलेख विचारण के लिए विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी को सौंपा गया था। विचारण के दौरान विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने संप्रेक्षित किया था कि याची सं॰1 फागू महतो के विरूद्ध भा॰दं॰सं॰ की धारा 379 के अधीन मामला बनता है। बाद में समस्त अभियुक्तों के विरूद्ध भा॰दं॰सं॰ की धाराओं 341, 323, 427, 504 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे और अभियुक्त फागू महतो के विरूद्ध भा॰दं॰सं॰ की धारा 379 के अधीन भी आरोप विरचित किया गया था।

5. यद्यपि आरोप-पत्र में आठ गवाहों को नामित किया गया था, किंतु विचारण के क्रम में केवल छह गवाह पेश किए गए थे। अ॰सा॰5 मदन प्रसाद उर्फ हीरालाल यादव सूचक है जिसने कथन किया है कि याची सं॰ 1 ने उसपर प्रहार किया। उसने आगे कथन किया है कि जब गोलू महतो ने उसे बचाने का प्रयास किया था, कमल महतो ने उसपर भी लाठी से वार किया और मस्तक उपहति कारित किया। उसने आगे कथन किया है कि याची सं॰ 1 ने उसकी 700/-रुपए मूल्य की कलाई घड़ी छीना। अ॰सा॰2 पलटन मिर्घा, अ॰सा॰3 नागो लाल एवं अ॰सा॰4 महेन्द्र राउत ने अभियोजन मामला का समर्थन किया है। जहाँ तक अ॰सा॰ 1 निरंजन देव का संबंध है, वह घटना का चश्मदीद गवाह बताया जाता है जिसने भी घटना का समर्थन किया था और सूचक के कब्जा से कलाई घड़ी छीनने की घटना का भी समर्थन किया था। अ॰सा॰ 6 डॉ॰ सुधीर प्रसाद जिन्होंने गोलू महतो एवं सूचक का परीक्षण किया था ने गोलू महतो एवं सूचक के अग्रमस्तक पर उपहतियाँ पाया था और दोनों उपहति रिपोर्ट सिद्ध की गयी थी और प्रदर्श 2 एवं 2/1 के रूप में प्रदर्शित की गयी थी।

6. चूँकि गोलू महतो का परीक्षण नहीं किया गया था, विद्वान विचारण न्यायालय ने कमल महतो को उसके विरूद्ध अभिकथित अपराध से दोषमुक्त कर दिया था। जहाँ तक याचीगण का संबंध है उन्हें सूचक के मस्तक पर लाठी का वार करता तथा सूचक की कलाई घड़ी छीनता बताया गया है। याची सं॰1 को भा॰दं॰सं॰ की धारा 379 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और याची सं॰2 को भा॰दं॰सं॰ की धाराओं 341 एवं 323 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और अन्य अपराधों के संबंध में उन्हें दोषमुक्त किया गया है। याचीगण द्वारा किए गए प्रहार के संबंध में संगत साक्ष्य होने के कारण, जिसे उपहति रिपोर्ट द्वारा सम्यक रूप से समर्थित किया गया है, और सूचक से कलाई घड़ी छीनने के संबंध में मौखिक साक्ष्य होने के नाते विद्वान विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से याचीगण को अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है जैसा उपर उपदर्शित किया गया है।

7. इस तथ्य की दृष्टि में कि विचारण विगत 16-17 वर्षों से लंबित है, याचीगण को इस प्रभाव का बंधपत्र प्रस्तुत करने के बाद निर्मुक्त किया गया है कि वे एक वर्ष की अवधि के लिए शांति एवं अच्छा

व्यवहार बनाये रखेंगे और वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे जब अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अधीन न्यायालय द्वारा उन्हें बुलाया जाता है।

8. अन्यथा निष्कर्षित का कोई कारण नहीं होने पर यह आवेदन विफल होता है एवं इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

मो० हुमायूँ

cuke

मो० बिलाल एवं अन्य

W. P. (C) No.1537 of 2011. Decided on 5th October, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–धारा 10–वाद का स्थगन–सि० प्र० सं० की धारा 10 के पीछे का सिद्धांत यह है कि यदि पूर्व संस्थित वाद में एक ही पक्षों के बीच विवाद का न्यायनिर्णयन पश्चातवर्ती संस्थित वाद के प्रति निर्णीत विषय गठित करेगा, दोनों वादों में परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने के लिए बाद वाले वाद में कार्यवाही स्थगित भी रहेगी–दोनों वादों में पक्षगण भिन्न हैं–सी०पी०सी० की धारा 10 के अधीन आदेश के लिए वर्तमान मामला में आवश्यक शर्तें मौजूद नहीं हैं–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 4, 5 एवं 6)

निर्णयज विधि.–2013 (3) JBCJ 56 (SC) : (2013) 4 SCC 333—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Jitesh Kumar, For the Petitioner; None, For the Respondents.

आदेश

याची अभिधान वाद सं० 25 वर्ष 2006 में दिनांक 17.2.2011 के आदेश से व्यथित है।

2. याची अभिधान वाद सं० 25 वर्ष 2006 में प्रतिवादियों में से एक है। वह बँटवारा वाद सं० 80 वर्ष 2005 में प्रतिवादी सं० 1 (प्रतिवादी प्रथम संवर्ग) है। बँटवारा वाद में कुल आठ प्रतिवादीगण है; प्रतिवादी सं० 9 प्रोफोर्मा प्रतिवादी के रूप में वर्णित किया गया है। पी०एस०सं० 80 वर्ष 2005 में वाद अनुसूची संपत्ति घृति सं० 124, भूखंड सं० 504, क्षेत्रफल 0.09 एकड़ के अधीन मोहल्ला कुंड, पी०ओ० एवं पी०एस० डालटेनगंज में एक पक्का कमरा, कुआँ, दो दुकान, आंगन एवं बाड़ी से गठित गृह संपत्ति है। वाद पत्र में अभिवचन किया गया है कि वे वाद अनुसूची संपत्ति में किराएदार हैं।

3. याची अभिधान वाद सं० 25 वर्ष 2006 में प्रतिवादी सं० 1 है जिसमें पी०एस० सं० 80 वर्ष 2005 में वादी को प्रतिवादी सं० 2 के रूप में कतारबद्ध किया गया है। अभिधान वाद सं० 25 वर्ष 2006 में वाद अनुसूची संपत्ति मोहल्ला कुंड, पी०एस० एवं पी०ओ० डालटेनगंज, क्षेत्रफल 0.09 एकड़ में भूखंड सं० 504 के भीतर आवासीय गृह के रूप में वर्णित की गयी है। अभिधान वाद सं० 25 वर्ष 2006 में कुल छह वादीगण ने दिनांक 26.8.2000 को रजिस्टर्ड पट्टा विलेख सं० 3023 वर्ष 1994 को चुनौती देकर वाद अनुसूची संपत्ति पर दावा किया है। उन्होंने घोषणा इप्सित किया है कि दिनांक 26.8.2000 का पट्टा विलेख अवैध है और उन पर बाध्यकारी नहीं है।

4. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अधीन वर्जना प्रावधानित करती है कि न्यायालय को ऐसे किसी वाद के विचारण हेतु अग्रसर नहीं होना चाहिए जिसमें विवादित मामला उन्हीं पक्षों के बीच अथवा पक्षों जिनके अधीन वे अथवा उनमें से कोई उसी अभिधान के अधीन वाद करने का दावा करते हैं के बीच पूर्व संस्थित वाद में, इस तथ्य को ध्यान में लिए बिना कि दोनों वाद सक्षम अधिकारिता के एक ही अथवा किसी अन्य न्यायालय में लंबित हो सकते हैं, प्रत्यक्षत: एवं सारवान रूप से विवादित हैं। सी०पी०सी० की धारा 10 के पीछे का सिद्धांत यह है कि यदि पूर्व संस्थित वाद में एक ही पक्षों के बीच विवाद का न्यायनिर्णयन पश्चातवर्ती संस्थित वाद के प्रति पूर्व निर्णीत विषय गठित करेगा, दोनों वादों में परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने के लिए बाद वाले वाद में कार्यवाही स्थगित बनी रहेगी। (देखे: **''अस्पी जल एवं एक अन्य बनाम खुशबु रुस्तम दादीबुरजोर, (2013)4 SCC 333) [: 2013 (3) JBCJ 56 (SC)].**

5. वर्तमान कार्यवाही में टी०एस०सं० 25 वर्ष 2006 एवं पी०एस० सं० 80 वर्ष 2005 में वादीगण द्वारा इप्सित अनुतोष बिलकुल भिन्न है। दोनों वादों में पक्षगण भी भिन्न हैं। स्पष्टत:, सी०पी०सी० की धारा 10 के अधीन आदेश के लिए आवश्यक शर्तें वर्तमान मामले में मौजूद नहीं हैं।

6. अभिधान वाद सं० 25 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 17.2.2011 के आक्षेपित आदेश में दुर्बलता नहीं पाते हुए रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

बिन्देश्वरी दास

cuke

भारत संघ, सी०बी०आई० के माध्यम से

Cr. Revision No. 945 of 2017. Decided on 12th September, 2017.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 239–उन्मोचन आवेदन का अस्वीकरण–चूँकि याची को विचारण के लिए नहीं भेजा गया था, सूचक द्वारा विरोध याचिका दाखिल की गयी थी जिसका सी०बी०आई० द्वारा सम्यक रूप से उत्तर दिया गया था जिसमें भी याची का नाम नहीं आया था–किंतु एस०डी०जे०एम० ने संज्ञान लिया था और विचारण का सामना करने के लिए नामित अभियुक्तों के साथ याची को समन किया गया था–आक्षेपित आदेश किसी औचित्यपूर्ण एवं तर्कपूर्ण कारणों के बिना है क्योंकि ऐसी किसी सामग्री पर चर्चा नहीं की गयी है जिसे अन्वेषण एजेन्सी द्वारा संग्रहित किया गया है अथवा जो दर्शाएगा कि याची दांडिक मामला में अभियोजित किए जाने योग्य है–आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया जहाँ तक याची का संबंध है और मामला नया आदेश पारित किए जाने के लिए विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। (पैराएँ 5 से 8)

अधिवक्तागण.–Mr. R.S. Mazumdar, For the Petitioner; Mr. K.P. Deo, For the C.B.I.

आदेश

याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री आर०एस०मजूमदार एवं सी०बी०आई० के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के०पी० देव सुने गए।

2. इस आवेदन में याची ने आर०सी०केस सं० 4 (एस०) वर्ष 2006 (डी०)/5(एस०) वर्ष 2006 (डी०) से उद्भूत होने वाले एस०टी०सं० 333 वर्ष 2016 में विद्वान विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई०-सह-जिला

एवं अपर सत्र न्यायाधीश XI, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 20.6.2017 के आदेश को चुनौती दिया है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची द्वारा दाखिल उन्मोचन आवेदन अस्वीकार किया गया है।

3. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि अभिरक्षा में मृत्यु के संबंध में अन्वेषण सी०बी०आई० को सौंपा गया था जो तीन अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप-पत्र की दाखिली की ओर ले गया किंतु याची को आरोप-पत्रित नहीं किया गया था। बाद में सूचक द्वारा विरोध याचिका दाखिल की गयी थी जिसके प्रति सी०बी०आई० ने अपना उत्तर दाखिल किया जिसमें भी याची का नाम नहीं आया था। याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि किंतु विद्वान एस०डी०जे०एम० ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के परिशीलन के बाद संज्ञान लिया था और विचारण का सामना करने के लिए याची को भी समन किया था। यह निवेदन भी किया गया है कि याची द्वारा उन्मोचन आवेदन दाखिल किया गया था किंतु जिसे कोई कारण दिए बिना अथवा कोई कथन किए बिना कि कौन सी सामग्री है जो अन्वेषण के क्रम में याची के विरूद्ध संग्रहित की गयी है जो याची का अभियोजन न्यायोचित ठहराएगी, 20.6. 2017 को खारिज किया गया था।

4. सी०बी०आई० के विद्वान अधिवक्ता ने याची द्वारा की गयी प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है।

5. यह प्रतीत होता है कि सी०बी०आई० ने जीतनराम, पप्पू कुमार खटिक एवं गंगा पासवान उर्फ यदुनंदन पासवान के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया था। चूँकि याची को विचारण के लिए नहीं भेजा गया था, सूचक द्वारा विरोध याचिका दाखिल की गयी थी जिसका उत्तर सम्यक रूप से सी०बी०आई० द्वारा दिया गया था जिसमें भी याची का नाम नहीं आया था। किंतु विद्वान एस०डी०जे०एम० ने दिनांक 9.2.2009 के आदेश के तहत संज्ञान लिया था और विचारण का सामना करने के लिए नामित अभियुक्तों के साथ समन किया था। याची ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन दाखिल किया जिसे 20.6.2017 को खारिज किया गया था।

6. दिनांक 20.6.2017 के आक्षेपित आदेश का परिशीलन दर्शाता है कि परस्पर अधिवक्ताओं के निवेदन पर गौर किया गया है और अभिकथन भी ध्यान में लिए गए हैं किंतु दिनांक 20.6.2017 के आक्षेपित आदेश में ऐसी कोई चर्चा भी नहीं है जो इस निष्कर्ष की ओर ले जाएगा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने याची के विरूद्ध अग्रसर होने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल किया था अथवा पर्याप्त सामग्री पाया था। अत: आक्षेपित आदेश किसी औचित्यपूर्ण एवं तर्कपूर्ण कारणों से रहित है क्योंकि किसी सामग्री पर चर्चा नहीं की गयी है जिसे अन्वेषण एजेन्सी द्वारा संग्रहित किया गया है अथवा जो दर्शाएगी कि याची दांडिक मामला में अभियोजित किए जाने योग्य है। उक्त आदेश विधि के अनुरूप नहीं है।

7. किसी समुचित एवं न्यायोचित कारण की अनुपस्थिति में आर०सी०केस सं० 4(एस०) वर्ष 2006(डी०)/5 (एस०) वर्ष 2006 (डी०) से उद्भूत होते एस०टी०सं० 333 वर्ष 2016 में विद्वान विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई०-सह-जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश XI, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 20.6.2017 का आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अपास्त एवं अभिखंडित किया जाता है जहाँ तक याची का संबंध है और इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुती की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर परस्पर पक्षों को सुनने के बाद विधि के अनुरूप नया आदेश पारित करने के लिए मामला विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

8. यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

पार्था कुमार डे एवं अन्य (866 में)

झारखंड राज्य एवं अन्य (41 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (866 में)

श्री पार्था कुमार डे (41 में)

Cont. Case (Civil) No. 866 of 2014 with Civil Review No.41 of 2015. Decided on 5th September, 2017.

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987–धारा 22C–लोक अदालत को विवाद का निर्देश–कार्य संविदा संबंधित भुगतान विवाद–याचीगण को निर्मल भारत अभियान के अधीन शौचालयों की अधिसंरचना के निर्माण के लिए कार्य आदेश जारी किए गए थे–पक्षगण कार्य आदेश के मुताबिक शौचालयों की अधिसंरचना के वास्तविक निर्माण के विरूद्ध विधितः भुगतेय राशि निर्धारित करने के लिए विवाद को स्थायी लोक अदालत को निर्देश करने के लिए सहमत हुए हैं–पक्षगण सहमत हुए हैं कि शौचालयों के निर्माण के लिए याचीगण को भुगतान पर निर्णय फोटोग्राफों, प्रखंड विकास अधिकारी की रिपोर्ट एवं अभिलेख पर अन्य सामग्री के आधार पर लिया जाएगा–अवमान याचिका एवं पुनर्विलोकन याचिका निपटायी गयी। (पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Rupesh Singh (in 866), Mr. Jai Prakash (in 41), For the Petitioners; Mr. Jai Prakash (in 866), For the Opp.Party-State; Mr. Rupesh Singh (in 41), For the Opp. Party.

आदेश

विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री जय प्रकाश प्रत्यर्थी राज्य के लिए उपस्थित हैं।

2. अंततः, कम से कम वर्तमान के लिए, पक्षों के बीच विवाद सुलझ गया प्रतीत होता है जब विवाद को न्याय निर्णय के लिए लोक अदालत को निर्दिष्ट करने के लिए प्रस्ताव का उत्तर देते हुए प्रत्यर्थियों ने निम्नलिखित शब्दों में पूर्वोक्त प्रस्ताव के लिए सहमति देते हुए दिनांक 30.8.2017 का शपथपत्र दाखिल किया:–

*^^6- fouerkiod dFku ,o fuonu fd;k tkrk g fd mDr iLrko ij iR;fFk;k dk vkifÙk ugh g ;fn ekeyk U;k;fu.k;u d fy, ykd vnkyr dk fufn"V fd;k tkrk gA***

3. प्रत्यर्थी राज्य द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थियों ने रिट याचियों द्वारा निर्मित शौचालयों की अधिसंरचनाओं की संख्या विवादित किया है। एस॰डी॰ओ॰, घाटशिला द्वारा जाँच रिपोर्ट अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी है। याचीगण ने भी फोटोग्राफों सहित वृहद दस्तावेजों को यह प्राख्यान करने के लिए प्रस्तुत किया है कि उन्होंने शौचालयों की अधिसंरचना निर्मित किया है जिसके लिए उन्हें कार्य आदेश जारी किया गया था। याची सं॰ 1 दावा करता है कि उसने 1369 ईकाईयों का निर्माण किया है जिसके लिए कुल देय भुगतान 18,71,080/–रुपया है; याची सं॰ 2 ने 14,03,200/- रुपयों के लिए 1096 ईकाई निमित किया; याची सं॰ 3 ने 9,66,000/– रुपयों के लिए 805 इकाई निर्मित किया और याची सं॰ 4 ने दावा किया है कि उसने 463 इकाईयों का निर्माण किया है जिसके लिए देय राशि 10,18,600/– रुपया है।

4. स्वीकृत देयों के भुगतान के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश के लिए याचियों द्वारा रिट याचिका डब्लू०पी०सी०सं० 6090/2013 दाखिल की गयी थी। याचीगण को निर्मल भारत अभियान के अधीन अधिसंरचना शौचालय नामक अखंडित घरेलू-शौचालयों के निर्माण के लिए कार्य आदेश जारी किए गए थे। प्रत्यर्थियों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण एवं अभिलेख पर प्रस्तुत संसूचनाओं को ध्यान में लेते हुए, याचीगण को पूरे किए गए काम के भुगतान के लिए उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं सफाई मिशन, पूर्वी सिंहभूम को निर्देश जारी किया गया था। अब पक्षगण स्थायी लोक अदालत को निम्नलिखित निर्देश के निबंधनों पर विवाद निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हुए हैं:-

> *^^fjV U;k;ky; d le{k vkj oreku dk;okgh e iLrr lkexh d vkèkkj ij dk; vkn'k d erkfcd 'kkpky; vfèklipuk d okLrfod fuek.k d fo:) ;kphx.k dk fofèkr% Hkxr; jkf'k fuèkkfjr dju d fy,A**

5. यह कथन किया गया है कि शौचालय अधिसंरचना का निर्माण वर्ष 2010 में पूरा हो गया था और 3.5.2012 को प्रखंड विकास अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी थी। शौचालय अधिसंरचना का निर्माण हुए सात वर्ष बीत गए हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना है। अब, पक्षगण सहमत हुए हैं कि शौचालयों के निर्माण के लिए याचीगण को भुगतान पर निर्णय फोटोग्राफों, प्रखंड विकास अधिकारी की रिपोर्ट एवं अभिलेख पर मौजूद अन्य सामग्रियों के आधार पर लिया जाएगा। तद्नुसार, पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से उक्त निबंधनों में वर्तमान अवमान याचिका एवं पुनर्विलोकन याचिका निपटायी जाती है।

6. तीन माह की अवधि के भीतर स्थायी लोक अदालत द्वारा निर्णय लिया जाए।

7. इस आदेश की प्रति सदस्य-सचिव, झालसा, राँची को प्रेषित की जाए।

---

ekuuh; vfuy dekj pkèkjh] U;k;efr

सइद वसीमुद्दीन

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No.6467 of 2008. Decided on 7th December, 2017.

सेवा विधि-बर्खास्तगी-दांडिक मामला में दोषसिद्धि-याची को आरोप से दोषमुक्त किया गया है और याची एवं सह-अपीलार्थी की अपील अनुज्ञात की गयी है-मामले के ऐसे दृष्टिकोण में बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है तथा इस तथ्य कि याची को आरोप से दोषमुक्त किया गया है को ध्यान में लेते हुए नया निर्णय करने के लिए मामला अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। (पैराएँ 17 एवं 18)

निर्णयज विधि.-(2012) 1 Supreme Court Cases 442; 2016 SCC Online Jhar 390—Referred.

अधिवक्तागण.-Mr. Rahul Kumar, For the Petitioner; Mr. Rakesh Kumar Shahi, For the Respondents.

आदेश

याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह रिट आवेदन प्रत्यर्थी सं० 4 द्वारा पारित दिनांक 31.8.2008 के आदेश की अभिखंडन के प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन उक्त प्रत्यर्थी ने याची की सेवा से बर्खास्तगी आदेशित किया है।

3. इस रिट आवेदन में प्रकट किए गए संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची पहचान सं० 319 वाला पुलिस के पद पर प्रत्यर्थियों के अधीन नियमित कर्मचारी था और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज जमुई पी०एस०केस सं० 112 वर्ष 1986 में अपनी अंतर्ग्रस्तता के आधार पर याची को निलंबन के अधीन किया गया था और उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी और बाद में प्रत्यर्थी ने उक्त दांडिक मामला के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए विभागीय कार्यवाही को प्रास्थगित रखने का निर्णय किया। बाद में याची को सेवा से बर्खास्त किया गया था।

4. अपनी बर्खास्तगी के आदेश के विरूद्ध, याची ने आरक्षी उपमहानिरीक्षक, संथाल परगना, दुमका के समक्ष अपील दाखिल किया और अपीलीय प्राधिकारी का बर्खास्तगी आदेश मान्य ठहराया।

5. याची ने पुनः आरक्षी महानिरीक्षक, भागलपुर क्षेत्र के समक्ष अपील दाखिल किया और पक्षों को सुनने के बाद अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश इस सीमा तक उपांतरित किया कि विचारण न्यायालय में दांडिक मामला के निपटान तक विभागीय कार्यवाही प्रास्थगित रखी जाएगी और यदि विचारण न्यायालय याची को हत्या करने का दोषी पाता है तब विचारण न्यायालय के आदेश के अनुसरण में याची सेवा से बर्खास्त किया जाएगा।

6. आरक्षी महानिरीक्षक, भागलपुर के उक्त आदेश के परिणामस्वरूप याची को त्रिशंकु अवस्था में पुलिस बल में बने रहने की अनुमति दी गयी थी।

7. बाद में, याची 4.12.1990 को जमुई पी०एस० केस सं० 112 वर्ष 1986 से उद्भूत होने वाले सत्र केस सं० 433 वर्ष 1987 में, दोषी अभिनिर्धारित किया गया था और दोषसिद्धि पर आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया था।

8. सत्र मामला सं० 433 वर्ष 1987 में दोषसिद्धि के उक्त निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध, याची ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 529 वर्ष 2009 दाखिल किया। उक्त दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 529 वर्ष 1990 के लंबित रहने के दौरान, प्रतयर्थी सं०4 ने दिनांक 18.4.2008 के आदेश के तहत याची को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसकी प्रति रिट आवेदन के परिशिष्ट 7 के रूप में संलग्न की गयी है।

10. बर्खास्तगी आदेश के बाद इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याची ने 31.1.2010 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लिया था।

11. दिनांक 26.7.2013 के निर्णय के तहत माननीय पटना उच्च न्यायालय ने दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 529 वर्ष 1990 अनुज्ञात किया और सत्र विचारण सं० 433 वर्ष 1987 में याची के विरूद्ध पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किया गया था और याची को उक्त दांडिक अपील में सह अपीलार्थी के साथ आरोपों से दोषमुक्त किया गया था।

12. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि बिहार पुलिस निर्देशिका के क्रमांक सं० 847 में, जो सरकारी आदेशों का संग्रह है, यह उल्लेख किया गया है कि नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त करने वाले अपराध के लिए कैद किए गए पुलिस अधिकारी के संबंध में कार्यवाही में आरोप यह होगा कि अभियुक्त को संबंधित अपराध के लिए दोषसिद्ध, कैद अथवा जुर्माना यथास्थिति, किया गया है। ऐसी कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जबतक दोषसिद्धि के आदेश के विरूद्ध अपील सुनी नहीं जाती है अथवा अपील के लिए अनुज्ञात समय का अवसान नहीं हो जाता है।

13. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामला में याची बर्खास्त किया गया है और याची की बर्खास्तगी केवल इस आधार पर आधारित है कि उसे दांडिक मामला में दोषसिद्ध किया गया है और याची को अपील में दोषमुक्त किया गया है। अत: परिवर्तित परिस्थितियों में याची के मामला पर विचार किया जा सकता है और आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया जा सकता है।

14. अपने प्रतिवाद के समर्थन में, याची के विद्वान अधिवक्ता ने **डिविजनल नियंत्रक, कर्नाटक राज्य पथ परिवहन निगम बनाम एम० जी० विठ्ठल राव, (2012)1 Supreme Court Cases 442**, के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सक्षम दांडिक न्यायालय द्वारा उन्मोचन अथवा दोषमुक्ति के निर्णय के बाद पुनर्बहाली पर विचार करने का प्रश्न केवल तब उद्भूत होता है यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) द्वितीय परन्तुक (a) के प्रावधानों अथवा मामला में प्रयोज्य सांविधिक नियमों में सदृश प्रावधानों की दृष्टि में सेवा से बर्खास्तगी दांडिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर आधारित है।

15. याची के विद्वान अधिवक्ता ने **भगवान राम बनाम बिहार राज्य, 2016 SCC ONLINE Jhar 390,** मामला में इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें जब विभागीय कार्यवाही इस तथ्य के आधार पर आरंभ की गयी थी कि उस मामला के याची के विरूद्ध दांडिक मामला आरंभ किया गया था और उसे गिरफ्तार किया गया था किन्तु बाद में, उसे विचारण में दोषमुक्त किया गया था, इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ ने बर्खास्तगी आदेश अभिखंडित एवं अपास्त कर दिया था और यह तथ्य कि याची को दांडिक मामला में दोषमुक्त किया गया है को विचार में लेते हुए नया निर्णय करने के लिए मामला अनुशासनिक प्राधिकारी के पास वापस भेजा गया था।

16. प्रत्यर्थियों द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र में उक्त उल्लिखित तथ्य अखंडित बने रहे हैं।

17. आक्षेपित आदेश का परिशीलन करने पर, यह प्रतीत होता है कि याची को सेवा से बर्खास्त केवल इस आधार पर किया गया है कि उसे सत्र मामला सं० 433 वर्ष 1987 में दोषसिद्ध किया गया है और आई०ए०सं० 7644 वर्ष 2013 के परिशिष्ट 1A से यह प्रतीत होता है कि याची को आरोप से दोषमुक्त किया गया है और याची तथा सह अपीलार्थी की अपील अनुज्ञात की गयी है।

18. मामले के ऐसे दृष्टिकोण में दिनांक 31.8.2008 का आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में लेते हुए कि याची को दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 529 वर्ष 1990 में आरोप से दोषमुक्त किया गया है, नए सिरे से निर्णय लेने के लिए और इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुती की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर तार्किक आदेश पारित करने के लिए मामला अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

19. पूर्वोक्त संप्रेक्षण एवं निर्देश के साथ यह रिट आवेदन निपटाया जाता है।

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

रमेश सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 1807 of 2016. Decided on 13th October, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 7 नियम 14–दस्तावेज की प्रस्तुती जिस पर वादी वाद करता है अथवा विश्वास करता है–याची ने भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा प्रदान किये जाने के फलस्वरूप वाद संपत्ति पर दावा करता है जिसके लिए उसका पिता भूतपूर्व जमीन्दार को और बिहार राज्य में भूमि निहित किए जाने के बाद बिहार राज्य को लगान का भुगतान करता था–वाद पत्र में संशोधन के लिए आवेदन नहीं है और न ही उस समय पर जब वाद संस्थित किया गया था, दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के लिए कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण है जिसे अब वादी आर०टी०आई० के माध्यम से प्राप्त करने का दावा करता है–आवेदन सही प्रकार से अस्वीकार किए गए हैं–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Raunak Sahay, For the Petitioner; M/s Atanu Banerjee, Satish Kumar, For the Respondents.

आदेश

याची की शिकायत अभिधान वाद सं० 73 वर्ष 2007 में पारित दिनांक 1.3.2016 के आदेश के विरूद्ध निर्देशित है। इस आदेश द्वारा दस्तावेज जिसे याची को आर०टी०आई० के अधीन प्रश्न के प्रति प्रत्युत्तर में प्रस्तुत किया गया था को प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय की अनुमति इप्सित करने वाला दिनांक 4.2.2016 का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। और दिनांक 1.3.2016 के आदेश द्वारा दिनांक 9.2.2016 का आवेदन जिसे याची द्वारा दिनांक 15.12.2015 का दस्तावेज सिद्ध करने के लिए अंचलाधिकारी के कार्यालय से सक्षम व्यक्ति बुलाने के लिए दाखिल किया गया था, खारिज कर दिया गया है।

2. संक्षिप्त रूप से कथित, अभिधान वाद सं० 73 वर्ष 2007 याची द्वारा वाद भूमि पर अपना अनन्य स्वामित्व घोषित करने के लिए और इस घोषणा के लिए कि प्रतिवादियों का वाद भूमि के रिक्त भाग पर अधिकार, अभिधान, हित अथवा कब्जा नहीं है, संस्थित किया गया था। प्रतिवादियों अथवा उनके एजेन्टों को वादी के शांतिपूर्ण कब्जा में हस्तक्षेप करने से अवरूद्ध करते हुए और वाहन अड्डा अथवा टौल कर संग्रहित करने के लिए वाद भूमि के भाग का उपयोग करने से अवरूद्ध करते हुए स्थायी व्यादेश की डिक्री भी इप्सित की गयी है। वादी ने दावा किया है कि उसका पिता बिहार राज्य में भूमि निहित किए जाने तक राजा शिव प्रसाद सिंह को लगान का भुगतान कर रहा था और तत्पश्चात उसके पिता ने बिहार राज्य को लगान का भुगतान करना जारी रखा। अपने पिता की मृत्यु के बाद याची वाद अनुसूची भूमि के लिए राज्य को लगान का भुगतान कर रहा है। यह अभिवचन किया गया है कि याची के पिता ने वाद अनुसूची संपत्ति के भाग पर 13 कमरों के घर का निर्माण किया और तीन कमरे किराया पर दिए गए थे। अन्य दस कमरे वादी के परिवार के उपयोग में बने रहे। अंचलाधिकारी, झरिया ने दिनांक 26.8.2006 के अपने पत्र के तहत वाद भूमि पर याची के शांतिपूर्ण अभिधान एवं कब्जा के बारे में प्रतिवादी सं० 2 को सूचित किया किंतु जब प्रतिवादी सं० 6 प्रशासनिक अधिकारी ने दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'' में विज्ञापन जारी करके वाद भूमि की प्रकृति बस अड्डा में बदलने का प्रयास किया, वादी ने सी०पी०सी० की धारा 80 के अधीन नोटिस जारी किया। वाद में, प्रतिवादीगण उपस्थित हुए और सी०पी०सी० की धारा 80 के

अधीन नोटिस का तामील विवादित किया। प्रतिवादियों ने दावा किया कि भूखंड सं० 1849, खाता सं० 433, मौजा झरिया से गठित भूमि वादी अथवा उसके पूर्वाधिकारियों पर कोई अभिधान प्रदत्त नहीं करती है। सी०एन०टी० अधिनियम की धारा 45 के अधीन यथा आवश्यक ''कबूलियत'' निष्पादित नहीं की गयी थी किंतु लगान के भुगतान एवं जमाबंदी खोले जाने को विवादित नहीं किया गया है। दिनांक 4.2.2016 एवं 9.2.2016 के पूर्वोक्त आवेदन दाखिल किए गए थे जिन्हें दिनांक 1.3.2016 के आक्षेपित आदेश के तहत खारिज किया गया है।

3. वाद पत्र के पैराग्राफ सं० 17 को निर्दिष्ट करते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता प्रतिवाद करते हैं कि दिनांक 15.12.2015 के पत्र के तहत याची को दी गयी सूचना वादीगण द्वारा लिखे पत्रों की निरंतरता एवं प्रत्युत्तर में है जिसे वाद पत्र के पैराग्राफ सं० 17 में उल्लिखित किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 15.12.2015 का दस्तावेज जब याची को दिया गया था, अभिधान वाद सं० 73 वर्ष 2007 में याची का दावा सुदृढ़ करने के लिए अभिलेख पर उक्त दस्तावेज लाना आवश्यक बन गया।

4. दिनांक 1.3.2016 के आदेश का परिशीलन उपदर्शित करेगा कि पक्षों द्वारा अभिधान वाद सं० 73 वर्ष 2007 में अपना साक्ष्य बंद करने के बाद दिनांक 4.2.2016 तथा 9.2.2016 के आवेदनों को दाखिल किया गया था। वाद वर्ष 2007 में संस्थित किया गया था और इस प्रकार अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक 15.12.2015 के पत्र के तहत आपूर्त किसी सूचना के संबंध में कोई अभिवचन नहीं किया जा सकता था। विवाद्यक यह है कि क्या वाद पत्र में कोई ताथ्यिक आधार है और क्या वादी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए इप्सित दस्तावेज वाद में अंतर्ग्रस्त विवाद के समाधान के लिए आवश्यक हैं जैसा उपर गौर किया गया है, याची ने भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा प्रदान के फलस्वरूप वाद संपत्ति पर दावा किया है जिसके लिए उसका पिता भूतपूर्व जमीन्दार को और बिहार राज्य में भूमि निहित किए जाने के बाद बिहार राज्य को लगान का भुगतान करता था। वादी/याची ने प्राख्यान किया है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके द्वारा लगान का भुगतान किया जाता था। याची और उसके पिता द्वारा लगान का भुगतान और उनके नाम में नामांतरण का अभिवचन वाद पत्र में किया गया है, किंतु वादी ने यह अभिवचन नहीं किया है कि ये दस्तावेज उसके कब्जा में नहीं हैं। याची की ओर से किया गया प्रतिवाद कि दिनांक 15.12.2015 के पत्र के माध्यम से आपूर्त सूचना उसका दावा सुदृढ़ करेगी, वह विवाद्यक नहीं है जिसका परीक्षण वाद में दस्तावेज जिसके संबंध में अभिवचन नहीं है को चिन्हित करने के लिए आवेदन विनिश्चित करते हुए किया जा सकता है। वाद पत्र में संशोधन के लिए कोई आवेदन नहीं है और न ही उस समय पर जब वाद संस्थित किया गया था दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के लिए कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं है जिसे अब वादी आर०टी०आई० के माध्यम से प्राप्त करने का दावा करता है। वाद में कार्यवाही प्रकट करेगी कि वादी का साक्ष्य 2.9.2008 को आरंभ हुआ और इसे 26.3.2010 को बंद किया गया था। प्रतिवादी का साक्ष्य दिनांक 4.1.2016 के आदेश के तहत बंद किया गया था और तत्पश्चात ये आवेदन दिनांक 15.12.2015 का पत्र अभिलेख पर लेने के लिए तथा उक्त पत्र सिद्ध करने के लिए सक्षम व्यक्ति को समन करने के लिए और जमाबन्दी की प्रति दाखिल किए गए थे। वाद पत्र में नींव नहीं डाला गया है जहाँ तक दिनांक 15.12.2015 के पत्र एवं जमाबन्दी का संबंध है। सी०पी०सी० के आदेश VII नियम 14 के अधीन प्रावधान निम्नलिखित हैं:–

> ^^vkn'k VII fu;e 14 : **ftl nLrkot d vkèkkj ij oknh okn ykrk g ;k fuHkj jgrk g mldk i'k fd;k tkuk-**&(1) tgk oknh viu dCt ;k 'kfDr e fd, nLrkot d vkèkkj ij okn ykrk g ;k mlij fuHkj djrk g] og mu nLrkotk dh lph cuk,xk vkj okni= mifLFkr fd; tkus d le; og ml U;k;ky; e çLrr djxk] mlh le; nLrkot vkj mldh çfr dk okni= d lkFk Qkby fd; tkus d fy, ifjnÙk djxkA

(2) tgk okn d dCt ;k 'kfDr e og nLrkot ugh g] ogk] tgk rd lEHko gk] og ;g dFku djxk fd fdld dCt ;k 'kfDr e og gA

(3) nLrkot ftldh okn }kjk çLrr fd, tku dh lEHkkouk g tc okn i'k fd;k tk, vFkok lphe tkMk tku d fy, çfof"V dh tk, vFkok okn d lkFk lyXu dh tk, ijUr ;Fkor çLrfr vFkok çfof"V U;k;ky; dh vuefr d fcuk u dh xb nk] okn dh luokb d le; ml lk{; e xkà ugh fd;k tk,xkA

*(4) okn d xokg d çfr ijh{k.k d le; ;k xokg dh Lefr d rk tk dju d fy, çnk; fd; x; fdlh Hkh nLrkot dk ;g fu;e mld micèk ykx ugh gkxA***

5. यहाँ उपर गौर किए गए तथ्यों की दृष्टि में, मैं पाता हूँ कि दिनांक 4.2.2016 तथा 9.2.2016 के आवेदनों को सही प्रकार से अस्वीकार किया गया है। दिनांक 1.3.2016 के आक्षेपित आदेश में दुर्बलता नहीं पाते हुए रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं अन्य

cuke

दिनेश कुमार पांडे

W.P.(C) No. 2421 of 2016. Decided on 10th November, 2007.

सेवा विधि–दंड–मूल आवेदक के विरूद्ध केवल लघु दंड अधिरोपित किया गया था और लघु दंड पारित करने के पहले मूल आवेदक को निजी सुनवाई का अवसर देना विधि के अधीन आवश्यक नहीं था–यह सुझाने के लिए कुछ नहीं है कि मूल आवेदक पर अधिरोपित दंड अवचार के आरोप के अननुपातिक था–इस दशा में, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा लघु दंड अपास्त करते हुए पारित आक्षेपित आदेश विधि में संपोषित नहीं किया जा सकता है। (पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–(2007) 8 SCC 108—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Rupesh Singh, For the Petitioners; None, For the Respondent.

आदेश

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता सुने गए। एकमात्र प्रत्यर्थी उसपर तामील वैध नोटिस के बावजूद इस मामला में उपस्थित नहीं हुआ है।

2. दिनांक 23.3.2017 के आदेश द्वारा, एकमात्र प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किए जाने का निर्देश दिया गया था। जब नोटिस वैध रूप से एकमात्र प्रत्यर्थी पर तामील की गयी थी, मामला 11.5.2017 के लिए सूचीबद्ध किया गया था जब इस न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में लेते हुए कि नोटिस वैध रूप से तामील की गयी थी, किंतु एकमात्र प्रत्यर्थी अभी भी उपस्थित नहीं हुआ था, एकमात्र प्रत्यर्थी की उपस्थिति की प्रतीक्षा करते हुए मामला ग्रीष्मावकाश के बाद सूचीबद्ध किए जाने के लिए स्थगित किया गया था। पुनः यह मामला 6.10.2017 को सूचीबद्ध किया गया था, जब पुनः यह गौर किया गया था कि एकमात्र प्रत्यर्थी अभी भी उपस्थित नहीं हुआ था और उसे मामला में उपस्थित होने का आगे अवसर उसे देते हुए मामला एक माह के लिए स्थगित किया गया था। चूँकि एकमात्र प्रत्यर्थी उस पर नोटिस के वैध तामील के बावजूद अभी भी उपस्थित नहीं हुआ है और अत्यधिक लंबे समय तक उसकी उपस्थिति की प्रतीक्षा करते हुए हम एकपक्षीय रूप से गुणागुण पर मामला विनिश्चित कर रहे हैं।

3. याचीगण ओ॰ए॰सं॰ 25 वर्ष 2012(R) में राँची में बैठे सर्किट केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना न्यायपीठ द्वारा पारित दिनांक 12.10.2015 के आदेश के भाग से व्यथित हैं, जिसके द्वारा समेकित प्रभाव के बिना दो वार्षिक वेतन वृद्धियों को वापस रोकने के लघुदंड के विरूद्ध एकमात्र प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल मूल आवेदन पर दंड का आदेश अपास्त किया गया था और याचीगण को मूल आवेदक को निजी सुनवाई का अवसर देने का और आवेदक को सुनने के बाद नया आदेश पारित करने के लिए निर्देश दिया गया था। यह कथन किया जा सकता है कि अपीलार्थी को अवचार का दोषी होने के निष्कर्ष के विरूद्ध केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं था।

4. आक्षेपित आदेश दर्शाता है कि मामले के न्यायनिर्णयन के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दो प्रश्न निरूपित किए गए थे जो निम्नलिखित है:–

(i) D;k vkond d rd e x.kkx.k g fd mldk ekeyk d lkFk dkb Hkh ljkdkj ugh Fkk vkj y[kk e vfHkdfFkr vfu;ferrk mld in xg.k dju d igy gb Fkh

(ii) ;fn ;g vfHkfuèkkfjr fd;k tkrk g fd vkond dk oLrr% ekeyk e dkb gkFk Fkk] D;k tkp vFkok nM fdlh xHkhj fofèkd deh d dkj.k nf"kr gk x;h g

5. एकमात्र प्रत्यर्थी को आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही के अध्यधीन किया गया था जिसका भाग एकमात्र प्रत्यर्थी के पदग्रहण करने के पहले और जिसका भाग उसके पदग्रहण करने के बाद आरंभ किया गया था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आदेश में गौर किया है कि जाँच अधिकारी मूल आवेदक के अपना पद ग्रहण करने के पहले समस्त दस्तावेजों अथवा आरोपों को हटाने में अत्यन्त निष्पक्ष रहा था और केवल चूकों जो उसकी अवधि में हुई पर उसके विरूद्ध विचार किया गया था। इस प्रकार, मूल आवेदक को कपट अथवा असद्भाव का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि उसे संगठन अथवा इकाई का अध्यक्ष होने के नाते केवल पर्यवेक्षीय चूकों के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया था। अन्य कर्मचारी जिसे कपट अथवा असद्भाव का दोषी पाया गया है को मुख्य दंड अधिनिर्णीत किया गया था, जबकि मूल आवेदक जिसे केवल पर्यवेक्षीय चूकों का दोषी पाया गया था को समेकित प्रभाव के बिना दो वार्षिक वेतन वृद्धियों को रोकने का लघुदंड अधिनिर्णीत किया गया था। मामला न्यायनिर्णीत करते हुए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने निष्कर्ष दिया है कि इसने आरोप-पत्र में अथवा जाँच रिपोर्ट में कोई भी स्पष्ट गलती अथवा अवैधता नहीं पाया था। इस प्रकार, अधिकरण द्वारा निरूपित प्रथम प्रश्न का तद्नुसार उत्तर दिया गया था।

6. केवल अधिकरण द्वारा निरूपित द्वितीय प्रश्न पर अर्थात दंड की मात्रा पर मूल आवेदक को अधिनिर्णीत लघुदंड अपास्त किया गया था और याचीगण को दंड की मात्रा पर आदेश पारित करने के पहले मूल आवेदक को सुनवाई का अवसर देने और मूल आवेदक को सुनने के बाद नए सिरे से दंड का आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था।

7. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं आक्षेपित आदेश का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि मूल आवेदक के विरूद्ध केवल लघुदंड अधिरोपित किया गया था और लघुदंड पारित करने के पहले मूल आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के लिए विधि के अधीन आवश्यकता नहीं थी। **पंजाब राज्य बनाम निर्मल सिंह, (2007)8 SCC 108** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:–

^^6----------Lohdr :i l] fnukd 20-10-2003 d vkn'k }kjk iR;Fkh dk lefdr iHkko l nk oruof) ;k dk jkdu dk nM fn;k x;k Fkk tk y?knM gA gekj

*nf"Vdk.k e] mPp U;k;ky; ulfxd U;k; d fl)kr d vkèkkj ij l{ke ikfèkdkjh }kjk ikfjr fnukd 24-6-2004 dk vkn'k vkLr dju e Li"Vr% xyr Fkk ---A***

8. इस मामले के तथ्यों में, हम संतुष्ट हैं कि आक्षेपित आदेश में यह सुझाने के लिए कुछ भी नहीं है कि मूल आवेदक पर अधिरोपित दंड अवचार के आरोप के अननुपातिक था। इस दशा में, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि लघुदंड अपास्त करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

9. पूर्वोक्त कारणों से, ओ॰ए॰सं॰ 25 वर्ष 2012(R) में राँची में बैठे सर्किट, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना न्यायपीठ द्वारा पारित दिनांक 12.10.2015 का आक्षेपित आदेश, जहाँ तक यह एकमात्र प्रत्यर्थी पर अधिरोपित दंड में हस्तक्षेप करता है, एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

10. तद्नुसार, रिट आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj ,o ieFk iVuk;d] U;k;efrx.k

सुधीर मुन्डा उर्फ सुधीर चंद्र सिंह मुंडा

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No.852 of 2012. Decided on 9th September, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 519 वर्ष 2005 में तत्कालीन अपर न्यायिक आयुक्त-1 खूँटी द्वारा पारित दिनांक 18.1.2012 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं 19.1.2012 के दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धारा 302–हत्या–आजीवन कारावास–क्या मृत्यु गलत इलाज का परिणाम है अथवा इसे केवल अपीलार्थी द्वारा कारित उपहतियों के कारण कारित किया गया है, अभियोजन द्वारा समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं किया गया है–पसलियों का फ्रैक्चर और छोटी आँत का फटना था, सिद्ध किए गए तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है कि मृत्यु केवल मृतक पर अपीलार्थी द्वारा लातों-मुक्कों के प्रहार के कारण हुई है-अपीलार्थी गंभीर प्रतिकूलता से पीड़ित हुआ है क्योंकि उसके समक्ष अपराध में फँसाने वाली समस्त परिस्थितियाँ नहीं रखी गयी थी जब दं॰प्र॰सं॰ की धारा 313 के अधीन उसका परीक्षण किया गया था–अपीलार्थी प्रतिकूलता से पीड़ित हुआ है जब भा॰दं॰सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था–अभियुक्त को स्पष्टतः एवं असंदिग्ध शब्दों में आरोप के बारे में सूचित करना होगा–अभियोजन यह सिद्ध करने में सक्षम हुआ है कि अपीलार्थी ने ही मृतक पर प्रहार किया जिसके परिणामस्वरूप उसने उपहतियाँ प्राप्त किया, किंतु अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि मृतक जिसकी मृत्यु घटना के दो दिन बाद हुई की मृत्यु अपीलार्थी द्वारा कारित उपहतियों के परिणामस्वरूप हुई है–भा॰दं॰सं॰ की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि अपास्त की गयी और अपीलार्थी को भा॰दं॰सं॰ की धारा 326 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया।
(पैराएँ 7, 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–Dr. Hasnain Waris, For the Appellant; Mr. Pankaj Kumar, For the State.

एस॰चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति.–सत्र विचारण सं॰ 519 वर्ष 2005 में भा॰दं॰सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित अपीलार्थी को हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध

का दोषी पाया गया है और उसे आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। इस दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 852 वर्ष 2012 में दिनांक 18.1.2012 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 19. 1.2012 के दंडादेश को अपीलार्थी सुधीर मुंडा की ओर से झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से चुनौती दी गयी है।

2. कोई एटवा स्वान्सी सूचक है जिसने 20.1.2005 को अपना फर्दबयान दिया जिसके आधार पर अपीलार्थी सुधीर मुन्डा के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 307/302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए तमार पी०एस०केस सं० 4/2005 दर्ज किया गया था। सत्र विचारण सं० 519 वर्ष 2005 में, अपीलार्थी को केवल भा० दं० सं० की धारा 302 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिये अभियोजित किया गया था। सत्र विचारण के दौरान, अभियोजन ने छह गवाहों का परीक्षण किया है अर्थात् सूचक एटवा स्वान्सी अ०सा०1, उसकी माता राधी देवी अ०सा०5 और उसका भाई बुधु स्वान्सी अ०सा०2 का परीक्षण किया है। इन गवाहों ने स्वयं के घटना का गवाह होने का दावा किया है। डॉक्टर जिन्होंने मृतक राम मोहन स्वान्सी के मृत शरीर का शव परीक्षण किया है ने मृत शरीर पर निम्नलिखित उपहतियाँ पाया है:–

[kjkp%

(i) nk;h dkguh d ihN 2cm × 1 cm;

(ii) nk,a ?kVuk d ik'o Hkkx ij 1cm × 1 cm.

3. डॉक्टर ने थोरेसिक कैविटी में रक्त की रंगत वाले तरल की उपस्थिति के साथ दूसरी से नौंवीं पसलियों के पार्श्व फ्रैक्चर एवं स्टर्मम का फ्रैक्चर पाया है। छोटी आँत में फटन था और एबडॉमिनल कैविटी में पीब मौजूद था। डॉक्टर के मत में पूर्वोक्त उपहतियाँ कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी किंतु उन्होंने यह मत भी दिया है कि ऐसी उपहतियाँ लातों-मुक्कों द्वारा कारित की जा सकती है।

4. सूचक अ०सा०1 ने अभिसाक्ष्य दिया है कि 17.1.2005 को अभियुक्त सुधीर मुंडा द्वारा उसके भाई को स्थानीय मेला से कबूतर लाने भेजा गया था और जब वह लौटा, अभियुक्त अपीलार्थी ने उसको विलंब के लिए डाँटा। तत्पश्चात, अपीलार्थी ने उसके भाई को अपने घर ले जाने का प्रयास किया और बीच रास्ता में उस पर मुक्का से प्रहार करने लगा, जिस पर उसका भाई जमीन पर गिर गया। हल्ला सुनने पर वह और उसकी माता वहाँ गए। सूचक ने न्यायालय में अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने उसके भाई की छाती एवं पेट पर लातों-मुक्कों से प्रहार किया। घायल को घर ले जाया गया था जहाँ डाक्टर चित्तरंजन पटनायक अ०सा०3 द्वारा उसका इलाज किया गया था। डॉक्टर ने घायल को इलाज के लिए राँची जाने का सलाह दिया, किंतु उसे किसी अस्पताल में नहीं ले जाया गया था और घर पर उसको स्थानीय दवा दी गयी थी। अंतत:, तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गयी। सूचक ने 20.1.2005 को पुलिस को अपना फर्दबयान दिया।

5. मृतक की माता (अ०सा० 5) ने भी अभियोजन मामला का समर्थन किया है जब उसने न्यायालय में अभिसाक्ष्य दिया। उसने कथन किया कि अपीलार्थी उसके पुत्र पर प्रहार करने के बाद भाग गया। (अ० सा० 2) जिसने स्वयं के चश्मदीद गवाह होने का दावा किया ने न्यायालय में अभिसाक्ष्य दिया है कि जब उसका भाई कबूतर खरीदने के बाद वापस आया, अपीलार्थी सुधीर मुन्डा ने उसे बुलाया और लातों-मुक्कों से उस पर प्रहार करने लगा। उसने स्वीकार किया है कि अनेक अन्य ग्रामीण भी वहाँ जमा हुए थे किंतु, अभियोजन द्वारा किसी का परीक्षण नहीं किया गया है। मृतक की एक अन्य बहन का अ०सा०6 के रूप में परीक्षण किया गया है और उसने भी अपीलार्थी द्वारा मृतक की छाती एवं पेट पर लातों-मुक्कों से प्रहार

के अभियोजन मामला का समर्थन किया है। किंतु, अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान उसने स्वीकार किया है कि पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान उसका परीक्षण नहीं किया गया था और उसने पहली बार न्यायालय में अभिसाक्ष्य दिया है।

6. सत्र विचारण के दौरान दिए गए पूर्वोक्त साक्ष्य एवं डॉक्टर द्वारा पायी गयी आंतरिक उपहतियों को ध्यान में लेते हुए विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त ने अभिनिर्धारित किया है कि जिस तरीके से मृतक राम मोहन की पसलियों पर अनेक उपहति कारित की गयी है और उसकी छोटी आँत का फटन अभियुक्त का गंभीर आशय स्पष्ट करता है। विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त का आशय मृतक की हत्या करना था और तद्नुसार अपीलार्थी को भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है।

7. सत्र न्यायालय के समक्ष दिए गए संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य का सावधानीपूर्वक संवीक्षण करने पर हम पाते हैं कि विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त, खूँटी ने अपीलार्थी को भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के दोषसिद्ध करने में विधि की गंभीर गलती किया है। मृतक की मृत्यु घटना के दो दिन बाद हुई। इस बीच, उपहतियाँ गुरुत्तर हो गयी थी क्योंकि डॉक्टर ने एबडोमिनल कैविटी में पीब पाया। अभियुक्त के आशय का पता मामला में तथ्यों एवं आनुषंगिक परिस्थितियों से लगाना होगा। मृतक को कारित आंतरिक उपहतियाँ अ०सा०3 डॉक्टर को ज्ञात नहीं थी, जिन्होंने उसका इलाज किया। मृतक का दो दिन तक स्थानीय उपचार किया गया था। क्या मृत्यु गलत इलाज का परिणाम है अथवा इसे केवल अपीलार्थी द्वारा कारित उपहतियों के कारण हुई है, अभियोजन द्वारा समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं किया गया है। नि:संदेह, पसलियों का फ्रैक्चर एवं छोटी आँत का फटन था, सिद्ध किए गए तथ्यों एवं परिस्थितियों पर, यह निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है कि मृत्यु केवल अपीलार्थी द्वारा मृतक पर लातों–मुक्कों से प्रहार के कारण कारित की गयी है। हम आगे पाते हैं कि अपीलार्थी पर गंभीर प्रतिकूलता कारित हुई है क्योंकि उसके समक्ष अपराध में फँसाने वाली समस्त परिस्थितियाँ नहीं रखी गयी थी जब दं०प्र०सं० की धारा 313 के अधीन उसका परीक्षण किया गया था अभियुक्त–अपीलार्थी से उसके दं०प्र०सं० की धारा 313 के अधीन परीक्षण के दौरान केवल तीन प्रश्न पूछे गए थे:–

(i) lk{; g fd jke ekgu Lokalh dh ekjihV dj gR;k dj fn, D;k dguk g

There is evidence that you have committed the murder of Ram Mohan Swansi by assaulting him, what you have to say?

(ii) MkDVj u tkp ij erd d 'kjhj ij eR; d igy dk t[e ik;k gA

The doctor has found antemortem injuries on the body of the deceased.

(iii) lQkbZ e dN dguk g

Whether you have to say anything in your defence?

8. स्पष्टत:, दं०प्र०सं० की धारा 313 के अधीन अभियुक्त–अपीलार्थी का परीक्षण औपचारिकता मात्र थी। यह दं०प्र०सं० की धारा 313 के अधीन आज्ञा के साथ असंगत एवं इसके भंग में थी जैसा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। केवल यही नहीं, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी प्रतिकूलता से पीड़ित हुआ है जब भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था। यह सुस्थापित है कि अभियुक्त को स्पष्टत: एवं असंदिग्ध शब्दों में आरोप के बारे में सूचित करना होगा। अपीलार्थी के विरूद्ध 30.11.2005 को विरचित आरोप प्रकटत: स्पष्ट नहीं है। वैकल्पिक आरोप

विरचित नहीं किया गया है और बल्कि इसने भा०दं०सं० की धारा 300 के प्रथम एवं चतुर्थ खंड को मिलाया है।

9. मामले के पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद हमारा सुविचारित मत है कि अभियोजन यह सिद्ध करने में सक्षम हुआ है कि अपीलार्थी ने ही मृतक पर प्रहार किया था जिसके परिणामस्वरूप उसने उपहतियाँ पाया, किंतु, अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि मृतक जिसकी मृत्यु घटना के दो दिन बाद हुई की मृत्यु अपीलार्थी द्वारा कारित उपहतियों के परिणामस्वरूप हुई। उक्त तथ्यों में, एस०टी०सं० 519 वर्ष 2005 में दिनांक 18.1.2012 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 19.1.2012 के दंडादेश में हस्तक्षेप आवश्यक है। अपीलार्थी को भा०दं०सं० की धारा 326 के अधीन दण्डनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया जाता है और तद्नुसार, भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन उसकी दोषसिद्धि अपास्त की जाती है और उसे भा०दं०सं० की धारा 326 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है। उसे 10 वर्षों का कठोर कारावास भुगतने एवं 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। दिनांक 19.1.2012 का दंडादेश उस सीमा तक उपांतरित किया जाता है। अपीलार्थी को 5000/- रुपयों का जुर्माना जमा करने पर अभिरक्षा से तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामला में उसकी आवश्यकता नहीं है। वर्तमान दांडिक अपील उक्त सीमा तक अंशतः अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efr

सुभाष कुमार उर्फ सुबाष कुमार

cuke

मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं एक अन्य

W.P.(S) No. 5952 of 2014. Decided on 9th December, 2017.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–अनुकंपा पर नियुक्ति–याची का मामला काफी पहले वर्ष 2003 में खारिज कर दिया गया था और इसे याची को उसके घर के पता पर सूचित किया गया था–अनुकंपा पर नियुक्ति का मामला नहीं बनता है–रिट याचिका खारिज। (पैरा 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Kalyan Banerjee, For the Petitioner; Mr. Indrajit Sinha, For the Respondents.

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का अवलंब लेते हुए याची ने अपने पिता जो प्रत्यर्थी के अधीन स्थायी कर्मचारी था और जिसकी मृत्यु सेवारत रहते हुए 10.1.1995 को हो गयी थी के स्थान पर अनुकंपा के आधार पर नियोजन प्रदान करने के लिए यह रिट याचिका दाखिल किया है।

2. इस रिट याचिका में वर्णित ताथ्यिक प्रतिपादना यह है कि याची का पिता स्व० दीवान कुमार लोहार के पद पर प्रत्यर्थी कंपनी के अधीन नियोजित था। याची के पिता की मृत्यु के बाद याची की माता द्वारा अनुकंपा आधार पर नियोजन के लिए आवेदन दाखिल किया गया था क्योंकि याची अपने पिता की मृत्यु के समय पर अवयस्क था। तत्पश्चात, जब याची वयस्क हुआ, याची की माता को मृतक कर्मचारी के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में याची को अनुकंपा के आधार पर सेवा प्रदान करने का विकल्प दिया गया था। तत्पश्चात, मामला प्रत्यर्थी के पास बना रहा और याची को प्रबंधन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उसका मामला विचाराधीन है और प्रबंधन ने याची को सूचित किया कि याची के नियोजन के

दस्तावेज में कुछ अंतर के कारण इसे वापस लौटाया जा रहा है और याची से प्रश्न के रूप में कुछ नया विवरण मांगा गया। तत्पश्चात, याची ने पत्र द्वारा उत्तर दिया और प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत किया और प्रत्यर्थी द्वारा विचार किए जाने का इंतजार किया और प्रबंधन के समक्ष गया किंतु प्रत्येक बार याची को आश्वासन दिया गया था कि उसका मामला विचार किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास लंबित है। याची अनेक बार प्रबंधन के पास गया किंतु कुछ भी नहीं किया गया था और न ही याची को उत्तर दिया गया था कि क्यों अनुकंपा के आधार पर नियोजन के लिए उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। अत: यह रिट याचिका दाखिल की गयी है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि उसने समय के भीतर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था किंतु आज की तिथि तक इस पर विचार नहीं किया गया है और वर्ष 2009 में अर्थात 24.3.2009 को प्रत्यर्थियों ने उसको समस्त दस्तावेजों के साथ अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा था और तत्पश्चात कुछ भी नहीं किया गया था यद्यपि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए अनेक आश्वासन दिए गए थे। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि केवल प्रतिशपथ पत्र से याची को जानकारी हुई है कि उसका मामला 30.4.2003/2.5.2003 को अस्वीकार कर दिया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि जब उसका मामला 30.4.2003/2.5.2003 को अस्वीकार किया गया था, रिट आवेदन के परिशिष्ट 2 में अंतर्विष्ट दिनांक 23/24.3.2009 के पत्र को जारी करने के लिए बी०सी०सी०एल० प्रबंधन के पास कौन अवसर था। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि परिशिष्ट 2 बी०सी०सी०एल० के कहने पर निर्मित दस्तावेज है और प्रत्यर्थी बी०सी०सी०एल० माननीय न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और आशयपूर्वक बाह्य विचारों से नियुक्ति के लिए मामला पर विचार नहीं किया गया है।

4. दूसरी ओर, 6.2.2015 को प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। उक्त प्रतिशपथ पत्र से, यह प्रतीत होता है कि याची का मामला काफी पहले 30.4.2003 को अस्वीकार किया गया था। दिनांक 6 मई, 2016 के आदेश के अनुपालन में महाप्रबंधक, बी०सी०सी०एल० ने दिनांक 21.6.2016 का पूरक प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया। बी०सी०सी०एल० के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा न्यायालय का ध्यान प्रत्यर्थी बी०सी०सी०एल० द्वारा दाखिल दिनांक 21.6.2016 के पूरक प्रतिशपथ पत्र की ओर आकृष्ट करते हैं और निवेदन करते हैं कि पहली बार अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए याची द्वारा 16.8.2000 को आवेदन दिया गया था जिसे 7/22.9.2000 को वरीय कार्मिक प्रबंधक, जोगीडीह कोलियरी द्वारा उपकार्मिक प्रबंधक, गोविन्दपुर क्षेत्र को अग्रसारित किया गया था और आगे 11.3.2000 को आवेदन गोविन्दपुर क्षेत्र से महाप्रबंधक (पी०एवं आई०आर०) को अग्रसारित किया गया था। यह अभिलेख से प्रकट है कि कार्मिक प्रबंधक (एम०पी०एवं आर०) ने महाप्रबंधक, गोविन्दपुर क्षेत्र को सूचित किया था कि याची का आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और उपकार्मिक प्रबंधक ने याची को 30.4.2003/2.5.2003 को पत्र लिखा था और सूचित किया था कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी, बी०सी०सी०एल०, द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और उक्त पत्र याची को उसके पत्राचार के पता पर भेजा गया था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया था कि पूर्व आवेदन की प्रस्तुती की तिथि से नौ वर्ष बीतने के बाद याची ने 16.3.2009 को परियोजना अधिकारी, जोगीडीह कोलियरी, धनबाद के समक्ष आवेदन दाखिल किया था जिसके द्वारा एकमात्र प्रश्न अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए उसके आवेदन की अवस्था के संबंध में था। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिंह न्यायालय का ध्यान पूरक प्रतिशपथ पत्र के पैराग्राफ 16 की ओर आकृष्ट

करते हैं कि असद्भावपूर्ण आशय के साथ ओर अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए अपना दावा जीवित रखने के लिए याची ने अपने पिता का कोई विवरण प्रकट किए बिना नौ वर्ष बीतने के बाद नवनियुक्त परियोजना अधिकारी के समक्ष आवेदन दिया है और इस दशा में परियोजना अधिकारी ने आवेदन की अवस्था अभिनिश्चित करने के लिए दिनांक 16.3.2009 के आवेदन के संबंध में समस्त प्रासंगिक दस्तावेज मांगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि याची उक्त पत्र से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सका था और न्यायालय को गुमराह करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष संपूर्ण गलत तथ्य लाए गए हैं और इस दशा में रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

5. पक्षों का परस्पर विरोधी निवेदन सुनने पर एवं गहन विचार पर और दिनांक 21.6.2016 के पूरक शपथ पत्र के रूप में इस न्यायालय की जानकारी में लाए गए प्रासंगिक दस्तावेजों को विचार में लेते हुए यह प्रकट है कि याची का मामला काफी पहले वर्ष 2003 में खारिज किया गया था और इसे याची को उसके घर के पता पर सूचित किया गया था। अनुकंपा पर नियुक्ति का मामला नहीं बनता है। अत: रिट याचिका गुणागुणरहित होने के कारण एतद् द्वारा खारिज की जाती है। व्यय को लेकर आदेश नहीं है।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

उनके कर्मकार श्री भोला सिंह

cuke

बासुदेवपुर कोलियरी के प्रबंधन के संबंध में कर्मचारीगण अपने महाप्रबंधक के माध्यम से

W.P.(L) No. 2650 of 2016. Decided on 6th September, 2017.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947–धारा 25F–पुनर्बहाली एवं मजदूरी–इनकार–याची स्थापित करने में विफल रहे कि वह प्रश्नगत अवधि के लिए लाभ के लिए मेसर्स बी०सी०सी०एल० के नियोजन में था–प्रत्यर्थी प्रबंधन ने सफलतापूर्वक सिद्ध किया है कि याची केवल प्रश्नगत अवधि के दौरान पी०डी०पी०टी० (खनन) पूरा किया था–याची यह दर्शाने में भी विफल रहा कि उक्त अवधि के दौरान उसे किसी मजदूरी/वेतन का भुगतान प्रत्यर्थी प्रबंधन द्वारा किया गया था–याची रिट कार्यवाही में दस्तावेज पर विश्वास नहीं कर सकता है, जिसे औद्योगिक न्यायनिर्णयन के दौरान प्रदर्शित नहीं किया गया था–पीठासीन अधिकारी, केंद्र सरकार अधिकरण, द्वारा पारित आक्षेपित अधिनिर्णय में दुर्बलता नहीं है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 9 से 12)

निर्णयज विधि.–(2005) 10 SCC 792; (2011) 6 SCC 584—Distinguished.

अधिवक्तागण.–Mr. S.K.Laik, For the Petitioner; Mr. A.K.Mehta, For the Respondent.

आदेश

वर्तमान रिट याचिका पीठासीन अधिकारी, केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं०1, धनबाद द्वारा निर्देश मामला सं० 58/1997 में पारित दिनांक 25.8.2009 के अधिनिर्णय (रिट याचिका का परिशिष्ट 7) के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए प्रबंधन/प्रत्यर्थी के पक्ष में निर्देश का उत्तर दिया गया था कि बासुदेवपुर कोलियरी में ओवरमैन के रूप में नियोजन में

पुनर्बहाली और 6.5.1992 से 17.5.1993 तक उसके द्वारा किए गए काम के लिए पूर्ण मजदूरी की याची की मांग न्यायोचित नहीं है।

2. याची का मामला यह है कि उसने भागा खनन संस्थान से अपनी ओवरमैनशिप की परीक्षा पूरी किया था और उसे 23.3.1991 से 6.5.1991 तक मेसर्स बी०सी०सी०एल० की बासुदेवपुर कोलियरी में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। तत्पश्चात, याची को पश्चातवर्ती अवधि अर्थात 7.5.1991 से 5.5.1992 तक के लिए पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पी०डी०पी०टी०) (खनन) पूरा करने की अनुमति दी गयी थी और उस अवधि के लिए उसे वृति का भुगतान किया गया था। याची द्वारा दावा किया गया है कि दो वर्षों का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उसे 6.5.1992 से नियमित एवं स्थायी रिक्ति के विरूद्ध ओवरमैन का नियमित एवं स्थायी कर्तव्य का पालन करने की अनुमति दी गयी थी और उसने प्रबंधन की पूर्ण संतुष्टि के प्रति 17.5.1993 तक काम किया। किंतु, जब याची ओवरमैन की नियमित मजदूरी मांगने लगा, उसे 17.5.1993 के बाद काम करने से रोक दिया गया था। याची ने प्रबंधन को अभ्यावेदन दिया किंतु कोई लाभ नहीं हुआ और तब उसने औद्योगिक विवाद उठाया, जिसे अंतत: निर्देश सं० 58 वर्ष 1997 के तहत विद्वान अधिकरण को निर्दिष्ट किया गया था। निर्देश का निबंधन यह था कि ''क्या बासुदेवपुर कोलियरी में ओवरमैन के रूप में नियोजन में पुनर्बहाली तथा उसके द्वारा 6.5.1992 से 17.5.1993 तक किए गए काम के विरूद्ध पूर्ण मजदूरी के संबंध में कर्मकार श्री भोला सिंह की मांग न्यायोचित है? यदि ऐसा है, कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?'' केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं० 1 धनबाद ने दिनांक 25.8.2009 के आदेश के तहत निर्देश का उत्तर प्रबंधन के पक्ष में यह अभिनिर्धारित करते हुए दिया कि याची को बासुदेवपुर कोलियरी में नियुक्त कभी नहीं किया गया था और इस दशा में पुनर्बहाली एवं मजदूरी के लिए याची का दावा न्यायोचित नहीं है।

3. याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विद्वान अधिकरण ने लिखित कथन, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विचार किए बिना आक्षेपित अधिनिर्णय पारित किया। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रदर्श W3 एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट स्पष्टत: उपदर्शित करते हैं कि याची ने ओवरमैन के पद पर 6.5.1992 से 17.5.1993 तक की अवधि के लिए लगातार काम किया है। यह निवेदन भी किया गया है कि प्रत्यर्थी प्रबंधन की कार्रवाई औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसमें इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 25F के आज्ञापक प्रावधानों के विरुद्ध है। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रबंधन गवाह सं० 1 द्वारा जारी प्रमाणपत्र स्पष्टत: दर्शाते हैं कि याची ने 6.5.1992 से 17.5.1993 तक लगातार काम किया। स्वीकृत रूप से, याची ने मेसर्स बी०सी०सी० एल० के प्रबंधन के अधीन वासुदेवपुर कोलियरी में 6.5.1992 से 17.5.1993 तक काम किया किंतु तत्पश्चात उसे मनमाने रूप से उक्त कोलियरी में प्रत्यर्थी प्रबंधन द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 25F के आज्ञापक प्रावधानों का पालन किए बिना काम करने से रोक दिया गया। अत:, विद्वान अधिवक्ता ने याची कर्मकार के विरूद्ध निर्देश का उत्तर देने तथा उसे सेवा में पुनर्बहाल नहीं करने में गंभीर गलती किया।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता **बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम घेमरभाई हरजीभाई राबरी, (2005)10 SCC 792** तथा **देविन्दर सिंह बनाम नगरपालिका परिषद, सनौर, (2011)6 SCC 584,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर विश्वास करते हैं और निवेदन करते हैं कि नियोजन का स्रोत, भरती की पद्धति, नियोजन/सेवा संविदा के निबंधन एवं शर्त, मजदूरी/वेतन की मात्रा एवं भुगतान का ढंग यह विनिश्चित करने वाले प्रासंगिक कारक नहीं हैं कि क्या कोई व्यक्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(s) के अर्थ के अंतर्गत कर्मकार है या नहीं। इस प्रकार, यद्यपि याची ने उक्त कोलियरी

के तत्कालीन प्रबंधक के मौखिक आदेश पर काम किया होगा, उसे उक्त अधिनियम की धारा 25F के प्रयोजन के लिए 'कर्मकार' की परिभाषा की परिधि के बाहर नहीं निकाला जा सकता है और परिणामस्वरूप याची को उक्त अधिनियम की धारा 25F के प्रावधानों से वंचित नहीं किया जा सकता है। चूँकि याची ने 6.5.1992 से 17.5.1993 तक अर्थात एक वर्ष से अधिक तक काम किया था जो नि:संदेह उक्त अधिनियम की धारा 25F के प्रावधानों द्वारा आच्छादित है, उसका अननुपालन याची को मेसर्स बी०सी०सी०एल० के बासुदेवपुर कोलियरी की सेवा में पुनर्बहाली के लिए याची को हकदार बनाता है।

5. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी प्रबंधन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विद्वान अधिकरण द्वारा दर्ज निष्कर्ष तथ्य का शुद्ध प्रश्न है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय केवल यह पाने पर कि अधिनिर्णय विकृत है और अभिलेख की गलती अथवा अधिकारिता की गलती से पीड़ित होता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 25F इस मामले में प्रयोज्य नहीं है क्योंकि याची ने संबंधित कोलियरी में प्रशिक्षु के रूप में काम किया और वह प्रत्यर्थी का कर्मचारी नहीं था। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची को बासुदेवपुर कोलियरी में नियुक्त नहीं किया गया था। याची नियुक्ति पत्र, पहचान कार्ड, सी०एम०पी०एफ०सं०, वेतन पर्ची, फॉर्म B नंबर अथवा कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसा अपनी नियुक्ति का कोई प्रमाण दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा। याची को पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (माइनिंग) बासुदेवपुर कोलियरी में पूरा करने की अनुमति दी गयी थी, जो प्रदर्शों M–1 एवं M–2 से स्पष्ट है। आगे यह निवेदन किया गया है कि भूमिगत प्रशिक्षण अभिलेख के लिए पी॰ डी॰ पी॰ टी॰ में उपस्थिति दर्ज हो सकती है, किन्तु यह कहना गलत है कि प्रबंधन द्वारा याची के काम का पर्यवेक्षण किया जाता था। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि वर्तमान मामला मुकदमेबाजी का ज्वलंत उदाहरण है जिसके माध्यम से वादकार अर्थात कर्मकार ने गढ़े एवं बनाए गए औद्योगिक विवाद पर मेसर्स बी०सी०सी० एल० के प्रबंधन से स्वयं के लिए नौकरी पाने का प्रयास किया है।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता मेसर्स बी०सी०सी०एल० की ओर से औद्योगिक न्यायनिर्णयन के दौरान दाखिल लिखित कथन पर विश्वास करते हुए निवेदन करते हैं कि वस्तुत: बासुदेवपुर कोलियरी के प्रबंधन एवं तथाकथित कर्मकार भोला सिंह (याची) के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है, अतएव, उक्त अधिनियम का प्रावधान आकृष्ट नहीं होता है, अत: निर्देश स्वयं विधि में दोषपूर्ण था और अपोषणीय था। चूँकि स्व-उद्घोषित कर्मकार अर्थात याची का उक्त कोलियरी में नियोजन नहीं था, कोई छँटनी नहीं हुई। इस प्रकार, पुनर्बहाली के लिए याची का दावा पूर्णत: अप्रासंगिक एवं दुष्प्रेरित है। वस्तुत:, पी०डी०पी०टी०(खनन) के रूप में एक वर्ष की व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय केंद्रीय एप्रेंटिसशिप एडवाइजर (आर०सी०ए०ए०) की अनुशंसा पर मेसर्स बी०सी०सी०एल० का प्रबंधन याची को कतिपय शर्तों पर दिनांक 22.4.1991 तथा 6.5.1991 के पत्रों (क्रमश: प्रदर्श M1 एवं M2) के तहत बासुदेव कोलियरी के भूमिगत खान में प्रशिक्षण सुविधा का प्रस्ताव दिया था। पूर्वोक्त प्रस्ताव के प्रति उत्तर में याची जिसने पहले ही 23.3.1991 से 6.5.1991 तक नि:शुल्क बासुदेवपुर कोलियरी में वोकेशनल प्रशिक्षण पूरा किया था ने 6.5.1991 को अपना शर्तहीन स्वीकरण पत्र दिया और महाप्रबंधक (एच०आर०डी०) से पी०डी०पी०टी० प्रशिक्षु के रूप में उसका पदग्रहण स्वीकार करने का अनुरोध किया। प्रदर्श W3 भी कोयला खान विनियम, 1957 के अधीन 27.5.1993 को जारी व्यवहारिक अनुभव का प्रमाणपत्र है जिसे

नियुक्ति/नियोजन पत्र नहीं कहा जा सकता है ताकि याची को उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन लाभ इप्सित करने का हकदार बनाया जा सके। याची को दैनिक मजदूर, पीस रेटेड मजदूर अथवा मासिक मजदूरी पर नहीं माना जा सकता है। रिट याचिका परिशिष्ट 6 (प्रदर्श W3) यह दर्शाते हुए कि याची ने फोरमैन/ओवरमैन/सर्वेयर आदि की नियुक्ति के लिए परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उसको पात्र बनाने के लिए 6.5.1992 से 17.5.1993 तक व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा किया है, कोयला खान विनियम, 1957 के अधीन याची को प्रबंधक, बासुदेवपुर कोलियरी द्वारा प्रदान किया गया व्यवहारिक अनुभव प्रमाणपत्र है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों का परिशीलन करने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वासुदेवपुर कोलियरी प्रबंधन एवं याची के बीच नियोक्ता–कर्मचारी संबंध था। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि याची को कभी भी वासुदेवपुर कोलियरी में लाभदायी नियोजन के लिए कभी नियुक्त किया गया था। औद्योगिक न्यायनिर्णयन के दौरान, याची कोई नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र, सी०एम०पी०एफ० नंबर, वेतनपर्ची, फॉर्म बी० नंबर अपने प्रतिवाद के समर्थन में प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हुआ है कि वह कभी भी मेसर्स बी०सी०सी०एल० के अधीन उक्त कोलियरी में नियोजित था। क्षेत्रीय केंद्रीय एप्रेंटिशशिप एडवाइजर (आर०सी०ए०ए०) की अनुशंसा पर याची को पी०डी०पी० टी० (खनन) के रूप में एक वर्ष का व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा करने की अनुमति दी गयी थी। महाप्रबंधक (एच०आर०डी०) द्वारा जारी दिनांक 22.4.1991 का पत्र पी०डी०पी०टी० (खनन) के रूप में प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव के रूप में माना जाना है। तद्नुसार, याची को बासुदेवपुर कोलियरी में व्यवहारिक प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी गयी थी, किंतु उक्तपत्र में उल्लिखित शर्तों पर। दिनांक 22.4.1991 एवं 6.5.1991 के कार्यालय आदेश (क्रमशः प्रदर्श M1 एवं M2) स्पष्टतः उपदर्शित करते हैं कि उक्त प्रस्ताव याची को पी०डी०पी०टी० (खनन) की प्रशिक्षण सुविधा देने के लिए था। प्रदर्श M1 का शर्त सं० 1 एवं प्रदर्श M2 की शर्त सं० (b) आगे इसे स्पष्ट करती है कि उक्त प्रशिक्षण याची को मेसर्स बी०सी०सी० एल० में कोई नियोजन/सेवा का दावा करने का हकदार नहीं बनाएगा। यद्यपि याची को पी०डी०पी०टी० (खनन) पूरा करने की अनुमति दी गयी थी, जिसमें उसने 6.5.1992 से 17.5.1993 तक ओवरमैन के कर्तव्य का पालन किया, फिर भी उक्त अवधि के लिए प्रशिक्षण ओवरमैन के रूप में उसको नियुक्त करने वाले किसी पत्र की अनुपस्थिति में नियोजन के रूप में नहीं माना जा सकता है। आगे याची यह सिद्ध करने में भी विफल रहा है कि उसने प्रत्यर्थी से कोई मजदूरी पाया था। याची इस तथ्य का लाभ नहीं ले सकता है कि भूमिगत प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उसकी उपस्थिति चिन्हित की गयी थी क्योंकि उपस्थिति चिन्हित किया जाना खनन ऑपरेशन का रूटीन काम है और इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि याची प्रश्नगत अवधि के दौरान लाभदायी नियोजन में था। प्रदर्श WB (रिट याचिका का परिशिष्ट 6) यह तथ्य स्पष्ट करता है कि दिनांक 27.5.1993 का उक्त प्रमाणपत्र, जिसे प्रबंधक, बासुदेवपुर कोलियरी के हस्ताक्षर के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा जारी किया गया था, कोयला खान विनियम, 1957 के अधीन सक्षमता परीक्षा का प्रमाण पत्र है। पूर्वोक्त तथ्यों के अधीन, विद्वान अधिकरण ने सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया है कि याची को एक वर्ष के लिए एप्रेंटिशशिप अधिनियम, 1961 के अधीन पोस्टडिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (माइनिंग) पूरा करने का प्रस्ताव दिया गया था, अतः याची एवं प्रत्यर्थी प्रबंधन के बीच नियोक्ता–कर्मचारी संबंध नहीं है और इस दशा में याची की छँटनी का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है और, तद्नुसार, यह सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 25F के प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आकृष्ट नहीं होते हैं।

8. बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम घेमरभाई हरजीभाई रबारी (ऊपर) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त मामले के तथ्यों में अभिनिर्धारित किया है कि भले ही कर्मकार के पास नियुक्ति पत्र

नहीं था, नियोक्ता कर्मकार के मामला को खंडित करने में विफल रहने पर, वह पिछली मजदूरी के साथ पुनर्बहाली का हकदार था क्योंकि उसने वर्ष में 240 दिनों से अधिक के लिए काम किया था। किंतु, वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी प्रबंधन ने याची के प्रतिवाद का जोरदार खंडन किया है कि वह संबंधित कोलियरी में 6.5.1992 से 17.5.1993 तक की अवधि के लिए नियोजित था। प्रत्यर्थी प्रबंधन ने औद्योगिक न्याय निर्णयन के दौरान अपना मामला सफलतापूर्वक स्थापित किया है कि याची को मात्र वासुदेवपुर कोलियरी में पी०डी०पी०टी० (खनन) प्रशिक्षण पूरा करने की अनुमति दी गयी थी और उनके बीच नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं था। इस प्रकार, **बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम घेमरभाई हरजीभाई रबारी (ऊपर)** में दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयाधार की वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रयोज्यता नहीं होगी।

9. आगे, **देविन्दर सिंह बनाम नगरपालिका परिषद, सनौर (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि नियोजन का स्रोत, भरती की पद्धति, नियोजन/सेवा संविदा के निबंधन एवं शर्त, वेतन/मजदूरी की मात्रा एवं भुगतान का ढंग यह विनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक कारक नहीं हैं कि क्या व्यक्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(s) के अर्थ के अंतर्गत कर्मकार है या नहीं। उक्त मामले में अधिकथित निर्णयाधार भी वर्तमान मामले की तथ्यपरक स्थिति में प्रयोज्य नहीं है क्योंकि मेसर्स बी०सी०सी०एल० की बासुदेवपुर कोलियरी में याची का नियोजन नहीं है। यहाँ उपर पहले ही चर्चा की गयी है कि याची यह स्थापित करने में विफल रहा कि वह 6.5.1992 से 17.5.1993 तक की अवधि के लिए लाभ के लिए मेसर्स बी०सी०सी०एल० के नियोजन में था। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी प्रबंधन ने सफलतापूर्वक सिद्ध किया है याची ने प्रश्नगत अवधि के दौरान पी०डी०पी०टी० (खनन) मात्र पूरा किया था। इसके अतिरिक्त, याची यह दर्शाने में विफल रहा कि उक्त अवधि के दौरान प्रत्यर्थी प्रबंधन द्वारा उसको किसी मजदूरी/वेतन का भुगतान किया गया था।

10. तर्क के क्रम में, याची के विद्वान अधिवक्ता ने अपने निवेदन के समर्थन में श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कटरासगढ़ द्वारा जारी दिनांक 6.3.1995 के पत्र पर काफी जोर दिया है कि 6.5.1992 से 17.5.1993 तक की अवधि के लिए पी०डी०पी०टी० (खनन) के दौरान याची को ओवरमैनशिप का मूमिगत कार्य नौकरी करने के लिए बासुदेवपुर कोलियरी के प्रबंधक द्वारा तैनात किया गया था दिनांक 6.3.1995 का श्रम प्रवर्तन अधिकारी का उक्त पत्र याची की मदद नहीं करेगा, क्योंकि इसे भिन्न प्रयोजन से जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, उक्त पत्र की विषय वस्तु इस चरण पर स्वीकार नहीं की जा सकती है क्योंकि इसे औद्योगिक न्याय निर्णयन के दौरान प्रदर्शित नहीं किया गया था और इस प्रकार, प्रत्यर्थी प्रबंधन द्वारा प्रति परीक्षण की परीक्षा के अध्यधीन नहीं किया गया था। याची रिट कार्यवाही में उस दस्तावेज पर विश्वास नहीं कर सकता है जिसे औद्योगिक न्याय निर्णयन के दौरान प्रदर्शित नहीं किया गया था।

11. यहाँ उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, मैं निर्देश केस सं० 58/1997 में पीठासीन अधिकारी, केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं०1, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 25.8.2009 के आक्षेपित अधिनिर्णय में दुर्बलता नहीं पाता हूँ और इस प्रकार, इसमें हस्तक्षेप करने का कारण नहीं है।

12. तद्नुसार, रिट याचिका गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

दीपक कुमार सिन्हा

cuke

बिनय कुमार सिन्हा एवं अन्य

W. P. (C) No.4784 of 2017. Decided on 9th October, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 21 नियम 23(2) सहपठित धारा 47–डिक्री के निष्पादन के प्रति आपत्ति–निष्पादन न्यायालय डिक्री के परे नहीं जा सकता है और न ही इसके विरूद्ध अपील सुन सकता है अथवा उसके अधीन पक्षों के अधिकारों को संकट में डालते हुए कोई आदेश पारित कर सकता है–निष्पादन के प्रति आपत्ति केवल ऐसे मामलों में ली जानी है जहाँ न्यायालय के पास अंतर्निहित अधिकारिता की कमी है अथवा डिक्री अकृतता है अथवा जिसे निष्पादित नहीं किया जा सकता है–डिक्री के निष्पादन के प्रति आपत्ति केवल कहने मात्र पर ग्रहण नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वह निष्पादन को ऐसे आधारों पर नाकाम करना होगा जिनका डिक्री की वैधता अथवा निष्पादनीयता पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता है–विवाद्यक जिसे सी०पी०सी० की धारा 47 के अधीन आवेदन में विनिर्दिष्टतः उठाया गया है को सी०पी०सी० के आदेश 21 के नियम 23(2) के अधीन आपत्ति की ओट में एक बार फिर उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। (पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.–(2017)5 SCC 37; (1970) 1 SCC 670—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Shashank Shekhar, For the Petitioner; None, For the Respondents.

आदेश

निष्पादन मामला सं० 8 वर्ष 1997 में दिनांक 6.5.2017 के आदेश, जिसके द्वारा निर्णीत-ऋणी/याची द्वारा सी०पी०सी० के आदेश XXI नियम 23(2) के अधीन दाखिल आपत्ति अस्वीकार की गयी है, से व्यथित होकर याची इस न्यायालय के पास आया है।

2. संक्षिप्त रूप से कथित, अभिधान वाद सं० 152 वर्ष 1990 कामता प्रसाद एवं उसकी पत्नी राधा देवी द्वारा संस्थित किया गया था। वाद में कैलाशपति प्रसाद लाल एवं उसके पुत्र दीपक कुमार सिन्हा (वर्तमान याची) को प्रतिवादी सं० 1 एवं 2 के रूप में कतारबद्ध किया गया था। वाद दिनांक 24.8.1981, 1.4.1989 एवं 21.9.1990 के करारों के विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री के लिए संस्थित किया गया था। वादीगण द्वारा उनके कब्जा को अस्तव्यस्त करने से उनको अवरूद्ध करते हुए प्रतिवादियों के विरूद्ध स्थायी व्यादेश की डिक्री भी इप्सित की गयी थी। वाद प्रतिवाद पर दिनांक 19.4.1993 के निर्णय एवं आदेश के तहत खारिज किया गया था और डिक्री 29.4.1993 को मुहरबंद एवं हस्ताक्षरित की गयी थी जिसके विरूद्ध वादीगण ने अभिधान अपील सं० 68 वर्ष 1993 दाखिल किया। यह अपील 6.12.1996 को अनुज्ञात की गयी थी और परिणामस्वरूप अभिधान वाद सं० 152 वर्ष 1990 दिनांक 1.4.1989 तथा 21.9.1990 के विक्रय करार के संबंध में डिक्री किया गया। इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील सं० 11 वर्ष 1997(R) दाखिल किया गया था। न्यायालय द्वारा विधि के निम्नलिखित सारवान प्रश्नों को निरूपित किया गया था:–

> *^^(1) D;k oknhx.k d okn e ikFkuk fd, tku ij iFke vihyh; U;k;ky; d ikl fnukd 1-4-1989 d djkj d fofufn"V ikyu d fy, fMØh ikfjr dju dh dkb xtkb'k Fkh pfd i'pkrorh ?kVuk, gb Fkh*
>
> *(2) D;k vxj ;g eku Hkh fy;k tkrk g fd fnukd 21-9-1990 dk in'k 3 ij vk;k x;k Fkk tc okn lifÙk ij ifroknh lO 1 dk vfLrRo;Dr fgr ugh Fkk]*

*rc Hkh D;k okn fnukd 21-9-1990 d in'k 3 d vfLrRo ij in'k 8 ij lkE;ki.k vurk"k ik Idrk g***

3. अंतत: दिनांक 17.9.2004 के आदेश द्वारा द्वितीय अपील प्रतिवाद पर व्यय के साथ खारिज की गयी थी। विशेष अनुमति याचिका एस०एल०पी०(सी०) सं० 1374 वर्ष 2005, जिसे द्वितीय अपील में अंतिम आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी सं०1 के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा दाखिल किया गया था, 31.1.2005 को खारिज किया गया था। वादीगण ने निष्पादन मामला सं० 8 वर्ष 1997 संस्थित किया, जिसमें प्रतिवादियों/निर्णीत ऋणियों ने इसके सहित कि चार कठ्ठा 4 धूर के संबंध में निष्पादन अभिधान अपील सं० 68 वर्ष 1993 में पारित डिक्री के परे होगा, अनेक आपत्ति करते हुए सी०पी०सी० की धारा 47 के अधीन अपनी आपत्ति दाखिल किया। तद्नुसार विविध मामला सं० 1 वर्ष 2005 संस्थित किया गया था, किंतु जिसे 10.5.2007 को खारिज किया गया था। विविध मामला सं० 1 वर्ष 2005 में पारित इस आदेश के विरूद्ध याची ने इस न्यायालय में डब्लू०पी०(सी०) सं० 4663 वर्ष 2007 दाखिल किया, किंतु असफल रहा। रिट याचिका दिनांक 17.9.2010 के आदेश द्वारा मुख्यत: इस आधार पर दाखिल की गयी थी कि सी०पी०सी० की धारा 47 के अधीन द्वितीय आवेदन आन्वयिक न्यायनिर्णीत द्वारा वर्जित थी। यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि द्वितीय अपील लंबित रहने के दौरान निर्णीत ऋणियों ने सी०पी०सी० की धारा 47 के अधीन आपत्ति दाखिल किया था जिसे 8.6.2004 को अस्वीकार किया गया था। निष्पादन मामला में, निर्णीत ऋणियों को नोटिस जारी करने के बाद याची ने 1.8.2007 को सी०पी०सी० के आदेश XXI नियम 23(2) के अधीन आपत्ति दाखिल किया। पाँच वर्ष तत्पश्चात उसने निष्पादन के प्रति अतिरिक्त आपत्ति उठाते हुए दिनांक 1.8.2007 की आपत्ति के प्रति पूरक शपथ पत्र दाखिल किया। दिनांक 6.5.2017 के आदेश द्वारा याची की आपत्ति अस्वीकार की गयी है। इसी आदेश के विरूद्ध याची इस न्यायालय के पास आया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता अभिधान अपील सं० 68 वर्ष 1993 में पारित डिक्री को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन करते हैं कि वाद केवल 1.4.1989 के करार के संबंध में डिक्री किया गया था, उसमें गठित भूमि का क्षेत्रफल केवल 4 डिसमिल भूमि था, किंतु वादीगण ने 4 कठ्ठा 4 धूर भूमि के निष्पादन के लिए निष्पादन मामला सं० 8 वर्ष 1997 संस्थित किया है, जो अभिधान अपील सं० 68 वर्ष 1993 में तैयार की गयी डिक्री के परे है। अपना प्रतिवाद सुदृढ़ करने के लिए, याची के विद्वान अधिवक्ता द्वितीय अपील में पारित आदेश को निर्दिष्ट करते हैं जिसके अधीन विधि के प्रथम सारवान प्रश्न पर चर्चा करते हुए इस न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है:–''10....इस प्रकार, यह दस्तावेज पश्चातवर्ती घटना के रूप में प्रदर्श 8 को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि यह दस्तावेज विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों से वैध करार नहीं है....''उसमें निर्दिष्ट दस्तावेज दिनांक 21.9.1990 का करार है। सारत:, याची की ओर से किया गया प्रतिवाद यह है कि डिक्री पवित्र है और निष्पादन न्यायालय द्वारा केवल डिक्री निष्पादित की जा सकती है और डिक्री के परे किसी चीज को प्रभाव नहीं दिया जा सकता है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने **''ब्रेकवेल ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम पी०आर० सेलवम अलगप्पन, (2017)5 SCC 37** में निर्णय पर विश्वास किया है।

5. ब्रेकवेल ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) में पैराग्राफ सं० 20 में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि निष्पादन न्यायालय न तो डिक्री के परे जा सकता है और न ही इसके विरूद्ध अपील सुन सकता है अथवा उसके अधीन पक्षों के अधिकारों को संकट में डालते हुए कोई आदेश पारित कर सकता है। किंतु, यह इंगित किया गया है कि निष्पादन के प्रति आपत्ति केवल उन मामलों में ली जाए जहाँ न्यायालय के पास अधिकारिता की कमी है अथवा डिक्री अकृतता है अथवा जिसे निष्पादित नहीं किया जा सकता है। पैराग्राफ सं० 21 में, न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि विधि

के न्यायालय की डिक्री पवित्र प्रकृति का होने के नाते उसका निष्पादन कहने मात्र पर और डिक्री की वैधता अथवा निष्पादनीयता पर प्रभाव नहीं रखने पर अमान्य एवं तात्पर्यित आधारों पर नाकाम नहीं किया जा सकता है। तर्क के दौरान, याची के विद्वान अधिवक्ता ने **वासुदेव धनजीभाई मोदी बनाम राजाभाई अब्दुल रहमान एवं अन्य, (1970)1 SCC 670,** में संप्रेक्षण पर विश्वास किया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निष्पादन न्यायालय को इसके 'अभिप्राय' के अनुसार डिक्री निष्पादित करना होगा।

6. इन निर्णयों का सावधानीपूर्ण पठन इसे प्रकट करता है कि डिक्री के निष्पादन के प्रति आपत्ति कहने मात्र पर ग्रहण नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वह ऐसे आधारों पर निष्पादन नाकाम करना होगा जिनका डिक्री की वैधता अथवा निष्पादनीयता पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों को निर्दिष्ट करते हुए इन मामलों में संप्रेक्षण वर्तमान विवाद विनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक बन जाता है। अभिधान अपील सं० 68 वर्ष 1993 में पारित आदेश किसी गलती के बिना प्रकट करेगा (पैराग्राफ सं० 16) कि अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 1.4.1989 एवं 21.9.1990 के विक्रय करार को वैध पाया। अपीलीय न्यायालय ने दर्ज किया: ''....अत: मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि वादीगण प्रतिवादी सं० 1 द्वारा 1.4.1989 एवं 21.9.1990 को निष्पादित दस्तावेज के आधार पर संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के हकदार हैं...'' नि:संदेह, अभिधान अपील सं० 68 वर्ष 1993 में तैयार की गयी डिक्री मात्र दिनांक 1.4.1989 के करार को निर्दिष्ट करती है, किंतु जब एक बार अभिधान वाद सं० 152 वर्ष 1990 में वाद अनुसूची संपत्ति के संदर्भ में निष्पादन मामला सं० 8 वर्ष 1997 में प्रार्थना को देखा जाता है और अपीलीय न्यायालय के निर्णय, विशेषत: पैराग्राफ सं०16 जिसमें वादीगण को दिनांक 1.4.1989 एवं 21.9.1990 के विक्रय करार के आधार पर संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए हकदार पाया गया है, के संपूर्ण रूप से पठन पर यह प्रकट बन जाता है कि याची द्वारा किया गया अभिवचन लघु तकनीकियों पर आधारित है। प्रतिवादियों द्वारा दाखिल द्वितीय अपील खारिज कर दी गयी और उक्त आदेश के विरूद्ध दाखिल विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी गयी थी। सी०पी०सी० की धारा 47 प्रावधानित करती है कि वाद जिसमें डिक्री पारित किया गया है में पक्षों के बीच उद्भूत होने वाले समस्त प्रश्नों और डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन अथवा संतुष्टि से संबंधित समस्त प्रश्नों को डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। सी०पी०सी० की धारा 47 के अधीन दिनांक 28.3.2005 के आवेदन में याची ने समरूप आपत्ति उठाया है जिसे उसके द्वारा सी०पी०सी० के आदेश XXI नियम 23 के अधीन आपत्ति में पुन: उठाया जाना इप्सित किया गया है। दिनांक 10.5.2007 के आदेश द्वारा, जैसा उपर गौर किया गया है, विविध मामला सं० 1 वर्ष 2005 खारिज किया गया था और इस आदेश ने डब्लू०पी०(सी०) सं० 4663 वर्ष 2007 की खारिजी के बाद अंतिमता प्राप्त कर लिया है।

7. यह प्रतिवाद कि सी०पी०सी० की धारा 47 के अधीन कार्यवाही और सी०पी०सी० के आदेश XXI नियम 23(2) के अधीन निर्णीत ऋणी द्वारा दाखिल आपत्ति दो पृथक कार्यवाहियाँ हैं, कुछ सीमा तक सत्य हो सकता है, किंतु, विवाद्यक जिसे सी०पी०सी० की धारा 47 के अधीन आवेदन में विनिर्दिष्टत: उठाया गया है, को सी०पी०सी० के आदेश XXI नियम 23(2) के अधीन आपत्ति की ओट में एक बार फिर उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सी०पी०सी० की धारा 47 के अधीन याची द्वारा 4 कठ्ठा 4 धूर भूमि के लिए निष्पादन के प्रति आपत्ति विनिर्दिष्टत: उठायी गयी थी और विवाद्यक निष्कर्षित हो गया जब रिट याचिका खारिज की गयी थी।

8. उक्त तथ्यों में, दिनांक 6.5.2017 के आक्षेपित आदेश में दुर्बलता नहीं पाते हुए रिट याचिका खारिज की जाती है। आई०ए०सं० 7932 वर्ष 2017 भी खारिज किया जाता है।

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

मेसर्स ओरियेन्टल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

cuke

बोदया ओराँव एवं एक अन्य

W.P. (C) No. 1975 of 2007. Decided on 28th August, 2017.

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987–धारा 22C–मोटर यान अधिनियम, 1988–धाराएँ 140 एवं 166–दुर्घटना में मृत्यु–स्थायी लोक अदालत द्वारा 9% ब्याज के साथ 2,68,000/-रुपया मुआवजा अधिनिर्णीत किया गया–स्थायी लोक अदालत की आरंभ में मध्यस्थ की भूमिका है जो गैर-निर्णयकारी प्रकृति की है–केवल यदि पक्षगण सुलह के माध्यम से करार पर आने में विफल रहते हैं, स्थायी लोक अदालत की भूमिका न्यायनिर्णयणकारी निकाय में न्याय-निर्णायक का कार्य धारण करके संपरिवर्तित होती है–आक्षेपित आदेश उपदर्शित नहीं करता है कि स्थायी लोक अदालत ने विवाद के समाधान का समस्त संभव कदम उठाया है और समझौते की विफलता के बाद इसने गुणागुण पर दावा विनिश्चित करने के लिए पक्षों की सहमति पुनः लिया है–आक्षेपित आदेश अधिनियम, 1987 की धारा 22C (7) की आवश्यकता का पालन किए बिना पारित किया गया है और इसे विधितः संपोषित नहीं किया जा सकता है–आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया। (पैराएँ 11, 13, 14 एवं 15)

निर्णयज विधि.–2009 (3) JCR 374 (Jhr)—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Abhay Kumar Mishra, For the Petitioner; Mr. Ashutosh Anand, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका स्थायी लोक अदालत (इसमें इसके बाद 'पी०एल०ए०' के रूप में निर्दिष्ट), राँची द्वारा पी०एल०ए० केस सं० 151 एवं 152 वर्ष 2005 में पारित दिनांक 6.9.2006 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (इसमें इसके बाद ''अधिनियम, 1987" के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 22C सहपठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (इसमें इसके बाद ''अधिनियम वर्ष 1988'' के रूप में निर्दिष्ट) की धाराओं 140 एवं 166 के अधीन दाखिल आवेदनों को याची सं० 1 को प्रत्यर्थी सं० 2 को आवेदन की दाखिली की तिथि से भुगतान की वास्तविक तिथि तक 9% ब्याज के साथ 2,68,000/- रुपयों के मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश देते हुए अनुज्ञात किया गया था।

3. मामले की ताथ्यिक पृष्ठभूमि यह है कि किसी बोदया ओराँव (वर्तमान प्रत्यर्थी सं०1) ने अधिनियम, 1987 की धारा 22C सहपठित अधिनियम वर्ष 1988 की धाराओं 140 एवं 166 के अधीन आवेदनों पी०एल०ए० केस सं० 151 वर्ष 2005 तथा 152 वर्ष 2005 पी०एल०ए० के समक्ष दाखिल किया। उक्त दावा याचिकाओं में, प्रत्यर्थी सं०1 ने दावा किया कि 23.12.2004 को उसकी माता मोदेल ओराइॅन रजिस्ट्रेशन सं० BR 42G-7347 वाले ट्रक में यात्रा कर रही थी और लोहरदग्गा से घर जा रही थी और रास्ते में ट्रक असंतुलित हो गया किसी आर्मडा जीप में धक्का मारा जिसके परिणामस्वरूप मोदेल ओराइन की मृत्यु हो गयी। याची मामले में उपस्थित हुआ और स्थायी लोक अदालत के समक्ष आवेदनों की पोषणीयता को चुनौती देते हुए लिखित कथन दाखिल किया। किंतु, पी०एल०ए० ने विवाद्यक विरचित किया, साक्ष्य लिया और अंततः याची को प्रत्यर्थी सं० 1 के पक्ष में मोदेल ओराइन की मृत्यु के कारण आवेदनों की दाखिली की तिथि से 9% ब्याज के साथ 2,68,000/- रुपयों के मुआवजा का भुगतान करने

का निर्देश देते हुए गुणागुण पर मामलों को विनिश्चित किया, किंतु याची को ट्रक स्वामी (वर्तमान प्रत्यथी सं॰2) से उक्त राशि वसूलने का हकदार अभिनिर्धारित किया गया था। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विवाद सड़क द्वारा यात्रियों के परिवहन एवं मोटर वाहन बीमा जो लोकोपयोगी सेवा है जैसा अधिनियम वर्ष 1987 की धारा 22C के अधीन परिभाषित किया गया है, से संबंधित है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने मोटर यान अधिनियम, 1988 की धाराओं 140 एवं 166 के अधीन दावा ग्रहण करने की पी॰एल॰ए॰ की अधिकारिता को चुनौती दी है क्योंकि दुर्घटना दावा अधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 165 द्वारा स्थापित किया गया है जिस पर विशेषत: अधिनियम, 1988 की धाराओं 140 एवं 166 के अधीन आवेदन विनिश्चित करने की अधिकारिता प्रदत्त की गयी है और न कि किसी अन्य प्राधिकार के समक्ष। आगे यह निवेदन किया गया है कि आक्षेपित आदेश पूर्णत: अधिकारितारहित है क्योंकि अधिनियम, 1987 के अधीन गठित लोक अदालत में विवादास्पद विवाद्यकों को विनिश्चित करने का प्राधिकार निहित नहीं किया गया है जब तक पक्षों की सहमति नहीं है। पी॰एल॰ए॰ को गुणागुण पर दावा विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं है और अधिनियम, 1987 की धारा 22C के अधीन पी॰एल॰ए॰ को केवल वादपूर्व सुलह एवं समझौता का दावा ग्रहण करने के लिए सशक्त बनाया गया है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में याची के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर विश्वास करते हैं:–

(i) u'kuy b';kjUl d0 fy0 cuke fuokIpn pØorh (MCy0 ih0 lh0 lo 3032 o"k 2010)

(ii) u'kuy b';kjUl d0 fy0 cuke rylh cuth ,o vU; (MCy0 ih0 lh0 lo 3042 o"k 2010)

5. समानान्तर स्तंभ में, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पी॰एल॰ए॰ अधिनियम 1988 की धाराओं 140 एवं 166 के अधीन आवेदन ग्रहण करने तथा गुणागुण पर दावा विनिश्चित करने के लिए अपनी अधिकारिता के सुअंतर्गत है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22C(7) आज्ञापक प्रावधान नहीं है, बल्कि निदेशात्मक प्रकृति की है जो अधिनियम, 1987 की धारा 22C(7) की भाषा से प्रकट होगा। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची ने रिट याचिका में कोई विनिर्दिष्ट बयान नहीं दिया है कि अधिनियम, 1987 की धारा 22C(4) से (7) के निबंधनानुसार पी॰एल॰ए॰ द्वारा अनुसरण की जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अधिनियम, 1987 की धारा 22C के प्रावधान विवाद के पक्षों द्वारा लिखित सहमति की आवश्यकता की आज्ञा नहीं देते हैं। विद्वान अधिवक्ता इस मामले में दिनांक 30.4.2012 के आदेश के तहत माननीय खंड न्यायपीठ द्वारा किए गए इस प्रभाव के संप्रेक्षणों पर जोर देते हैं कि पी॰एल॰ए॰ ने समझौते का समस्त प्रयास करने की प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद और समझौते पर आने की पक्षों की विफलता पर अधिनियम, 1987 की धारा 22C की उप–धारा (8) के अधीन न्यायनिर्णयन करने की प्रक्रिया का अनुसरण करके विवाद का न्यायनिर्णयण का सकती है। इन संप्रेक्षणों पर विश्वास करते हुए विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, धनबाद बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य, (2009)3 JCR 374 (Jhr.),** मामले में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय अच्छी विधि नहीं कही जा सकती है। यह निवेदन भी किया गया है कि दावेदार को तकनीकी आधारों पर मोटरयान अधिनियम के अधीन प्रावधानित लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है जैसा याची ने वर्तमान रिट याचिका में उठाया है। प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता निम्नलिखित निर्णयों पर विश्वास करते हैं:–

(i) ;ukbVM bfM;k b';kjUl d0 fy0 cuke eukun jokuh ,o ,d vU; (,y0 ih0 ,0 lo 281 o"k 2006)

(ii) u'kuy b';kjUl d0 fy0 cuke fot; dekj 'kek ,o vU;] (MCyO ih0 lh0 l0 7066 o"k 2006)

(iii) ell vkfj;UVy b';kjUl d0 fy0 cuke et noh ,o ,d vU;] (MCyO ih0 lh0 l0 5280 o"k 2008)

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों का परिशीलन करने पर, यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय के तीन निर्णयों पर विश्वास करते हैं। **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कं०लि० (ऊपर)** मामले में, इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने निर्धारित किया है कि पी०एल०ए० को मोटरदुर्घटना दावा मामलों पर विचार करने की अधिकारिता है। **नेशनल इंश्योरेन्स कं०लि० (ऊपर)** में, इस न्यायालय की न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि बीमा कंपनी यह कहते हुए कि बीमा सेवा तृतीय पक्ष दावा सम्मिलित नहीं करेगी, तृतीय पक्ष प्रत्यर्थियों को दावा का भुगतान करने के दायित्व से बच नहीं सकती है। आगे, **मेसर्स ओरियेन्टल इंश्योरेन्स कं०लि० (ऊपर)** मामले में, इस न्यायालय की न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम, 1988 की धारा 140 के अधीन पी०एल०ए० द्वारा पारित आदेश अधिकारिता के अंतर्गत है और संप्रेक्षित किया कि अधिनियम, 1988 की धारा 140 के अधीन प्रावधान पीड़ित के परिवार को अंतरिम मुआवजा प्रदान करने के लिए आशयित हैं और यही राशि अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अधीन अंतिम मुआवजा में समायोजन के अध्यधीन है। पूर्वोक्त निर्णयों पर विश्वास करके प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने पी०एल०ए० का आदेश इस आधार पर न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया है कि लोक अदालत को एम०वी०अधिनियम की धाराओं 140 एवं 166 के अधीन दावा ग्रहण करने की अधिकारिता है।

7. यह विवाद्यक कि क्या पी०एल०ए० को मोटर दुर्घटना दावा विनिश्चित करने की अधिकारिता है, अब अनिर्णीत विषय नहीं है क्योंकि इस न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला में विनिश्चित किया है कि पी०एल०ए० एम०वी० अधिनियम की धाराओं 140 एवं 166 के अधीन मामला ग्रहण करने के लिए सक्षम है किंतु इस पर अधिनियम, 1987 की धारा 22C के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुरूप विचार किया जाना होगा।

8. याची के विद्वान अधिवक्ता ने **नेशनल इंश्योरेन्स कं०लि० बनाम निवास चंद्र चक्रवर्ती (ऊपर)** तथा **नेशनल इंश्योरेन्स कं०लि० बनाम तुलसी बनर्जी एवं अन्य (ऊपर**) में दिए गए दो निर्णयों को भी उद्धृत किया है। दोनों मामलों में **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया धनबाद बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य (ऊपर)** के निर्णय पर विश्वास किया गया है और यही दृष्टिकोण दोहराया गया है।

9. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, धनबाद (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय की न्यायपीठ ने पैरा 6 (viii) में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

^6(i) -------------------

(viii) vfèkfu;e dh ;ktuk dk n[kr g, ;g irhr gkrk g fd fookn dk dkb i{k vfèkfu;e dh èkkjk 22C dh mièkkjk (1) d erkfcd fooknd d lekèkku d fy, LFkk;h ykd vnkyr dk vkonu n ldrk gA bl idkj] ,dy i{k }kjk vkonu ij vFkok fookn d i{kk }kjk l;Dr vkonu d fcuk Hkh dkb tfVy ekeyk ,di{kh; :i l LFkk;h ykd vnkyr d ikl vk ldrk g] dkb i{k fookn d lekèkku d fy, LFkk;h ykd vnkyr d le{k vkonu nkf[ky dj ldrk g vkj] blfy,] LFkk;h ykd vnkyr dk vfèkfu;e] 1987 dh èkkjk 22C dh mièkkjk (7) d ifØ;k ,o vko';drk dk vulj.k djuk pkfg, tlk ;gk mij dfFkr fd;k x;k g ***vkj ;fn dkb le>krk ugh gkrk g] rc iu% fookn d i{kk dk mudk***

flfoy ifØ;k lfgrk d ikoèkkuk rFkk Hkkjrh; lk{; vfèkfu;e d ikoèkkuk dh xj i;kT;rk vkj ;g Hkh fd LFkk;h ykd vnkyr }kjk ikfjr vfèkfu.k; d fo:) vihy ugh gksxh] *l voxr djkr g, fodYi fn;k tkuk pkfg, vkj bl fHkKrk d ckn Hkh ;fn nkuk i{k lgefr nr g fd LFkk;h ykd vnkyr x.kkx.k ij fookn fofuf'pr dj ldrk g] doy rc LFkk;h ykd vnkyr vfèkfu;e] 1987 dh èkkjk 22C dh mièkkjk (8) d vèkhu 'kfDr dk i;kx djxk] fdr ;fn dkb i{k LFkk;h ykd vnkyr }kjk fookn d x.kkx.k ij U;k;fu.k;u l budkj dj jgk g] ;g x.kkx.k ij fookn fofuf'pr ugh djxkA* ***LFkk;h ykd vnkyr dh ikFkfed Hkfedk le>krk djku dh g vkj ;g doy fookn d leLr i{kk dh lgefr ij vkj u fd vU;Fkk U;k;fu.k;dkjh Hkfedk fuHkku d fy, U;k;ky; cu ldrk gA****

10. पी०एल०ए० की अधिकारिता के संबंध में इस न्यायालय के विरोधी निर्णयों की दृष्टि में मामला खंड न्यायपीठ को भी निर्दिष्ट किया गया था और अंततः दिनांक 30.4.2012 के आदेश के तहत निर्देश का निम्नलिखित उत्तर दिया गया था:–

*^^4- mDr dh nf"V e] ;g vfHkfuèkkfjr fd;k tkrk g fd LFkk;h ykd vnkyr le>kr dk leLr i;kl dju dh ifØ;k dk vulj.k dju d ckn vkj vfèkfu;e 1987 dh èkkjk 22(c) dh mièkkjk (8) d vèkhu le>kr rFkk U;k;fu.k; dh ifØ;k ij vku e i{kk dh foQyrk ij fookn U;k;fu.khr dj ldrk gA***

11. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (ऊपर) में दिए गए निर्णय एवं वर्तमान मामले में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित दिनांक 30.4.2012 के आदेश के संयुक्त पठन से यह अनुसरित होता है कि यद्यपि पी०एल०ए० अपने समक्ष किए गए विवाद पर न्यायनिर्णयन कर सकता है, किंतु मामले के गुणागुण पर विचार करने के पहले इसे विवाद के समाधान का समस्त प्रयास करने के लिए अधिनियम, 1987 की धारा 22C की उपधारा (7) की प्रक्रिया एवं आवश्यकता का अनुसरण करना होगा और यदि समझौता नहीं होता है, तब पुनः पक्षों को न्याय निर्णयन की प्रक्रिया एवं प्रभाव की विधिक अवस्था से उनको अवगत कराना चाहिए और यदि दोनों पक्ष सहमति देते हैं कि पी०एल०ए० गुणागुण पर विवाद विनिश्चित कर सकता है, केवल तब पी०एल०ए० अधिनियम, 1987 की धारा 22C की उपधारा (8) के अधीन शक्ति का प्रयोग करेगा। किंतु, यदि एक पक्ष भी पी०एल०ए० द्वारा गुणागुण पर विवाद के न्याय निर्णयन से इनकार करता है, यह गुणागुण पर मामला विनिश्चित नहीं करेगा।

12. इस प्रकार, इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ मुख्य विवाद्यक यह है कि क्या पी०एल०ए० ने प्रत्यर्थी सं० 1 का दावा विनिश्चित करते हुए अधिनियम, 1987 की धारा 22C के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया है।

13. अब वर्तमान मामला पर आते हुए। किसी भी पक्ष ने पी०एल०ए० के संपूर्ण आदेश शीट को अभिलेख पर नहीं लाया है। इस प्रकार, केवल आक्षेपित आदेश इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध है जिस पर यह परीक्षण करने के लिए विचार किया जाता है कि क्या पी०एल०ए० ने विवाद के समाधान का समस्त प्रयास किया है और धारा 22C(4) से (7) की आवश्यकता का अनुसरण किया गया है। दिनांक 6.9.2006 के आक्षेपित आदेश में, विवाद्यक सं० 1 विनिश्चित करते हुए कि क्या आवेदक का दावा पोषणीय है, अवर न्यायालय द्वारा यह संप्रेक्षित किया गया है कि चूँकि विरोधी पक्षकारगण वादपूर्व चरण पर आवेदक के साथ विवाद में सुलह करने के लिए सहमत नहीं थे और चूँकि विवाद सड़क द्वारा यात्रियों के परिवहन तथा मोटरवाहन बीमा जो लोकोपयोगी सेवा है जैसा अधिनियम, 1987 की धारा 22A के अधीन परिभाषित किया गया है से संबंधित है, दावा आवेदन पोषणीय है। दिनांक 6.9.2006 का आक्षेपित आदेश उपदर्शित नहीं करता है कि पी०एल०ए० ने विवाद के समाधान के लिए समस्त संभव प्रयास किया

है, इसने पुनः दावा गुणागुण पर विनिश्चित करने के पहले पक्षों की सहमति लिया है, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क इस कारण से निराधार है कि अधिनियम, 1987 की धारा 22C की संपूर्ण योजना स्पष्ट करती है कि पी०एल०ए० की आरंभ में सुलह करानेवाली भूमिका है जो गैर निर्णायक प्रकृति की है और केवल यदि पक्षगण सुलह के माध्यम से करार पर आने में विफल रहते हैं, पी०एल०ए० की भूमिका न्यायनिर्णायक के कार्य को धारण करके न्यायनिर्णायक निकाय में परिवर्तित हो चुकी है।

14. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि दिनांक 6.9.2006 का आक्षेपित आदेश पी०एल०ए० राँची द्वारा अधिनियम 1987 की धारा 22C(7) की आवश्यकता का पालन किए बिना पारित किया गया है और इस प्रकार, इसे विधितः संपोषित नहीं किया जा सकता है।

15. अतः, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है। पी०एल०ए० केस सं० 151 एवं 152 वर्ष 2005 में स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय दिनांक 6.9.2006 का आक्षेपित आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है। किंतु, प्रत्यर्थीगण विधि के अधीन यथा प्रावधानित समुचित उपाय करने के लिए स्वतंत्र है।

16. तद्नुसार, पूर्वोक्त संप्रेक्षण के साथ रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; MkW ,l ,uW ikBd] U;k;efr

पिंकी कुमारी उर्फ पिंकी देवी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S)No.759 of 2012. Decided on 7th September, 2017.

सेवा विधि–नियुक्ति–आंगनबाड़ी सेविका का पद–यह याची का मामला है कि वह आंगनबाड़ी सेविका के पद पर नियुक्ति के लिए समस्त मापदंड एवं अध्यपेक्षित अर्हता परिपूर्ण करती है–यह याची का मामला है कि बी०डी०ओ० ने आंगनबाड़ी केंद्र के लिए सेविका के पद के लिए याची का नाम अनुशंसित किया किंतु आंगनबाड़ी सेविका के पद पर नियुक्ति के लिए आदेश पारित नहीं किए गए थे और मामला अभी भी लंबित है–यदि राज्य की ओर से कोई गलत कार्रवाई की गयी है, इसे न्यायोचित ठहराया नहीं जा सकता है–राज्य 2012 से मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं–आंगनबाड़ी सेविका की नियुक्ति कमजोर वर्गों को वित्तीय रूप से लाभ देने के लिए की जाती है–वित्तीय रूप से कमजोर वर्गों को लाभ देना राज्य की नीति है–कमजोर वर्गों की भी और वह भी आंगनबाड़ी सेविका की नियुक्ति पर विचार नहीं करके 2012 से नियुक्ति मामले पर निर्णय नहीं करना राज्य का आलस्यपूर्ण दृष्टिकोण दर्शाता है और राज्य इस आलस्यपूर्ण दृष्टिकोण को न्यायोचित ठहराने का प्रयास कर रहा है–उपायुक्त को नयी आम सभा बुलाने का निर्देश दिया गया–यदि याची नियमावली के मुताबिक नियुक्ति के लिए हकदार पायी जाती है, उसे नियुक्ति पत्र का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए। (पैराएँ 4, 5, 12 एवं 13)

अधिवक्तागण.–Mr. Saibal Mitra, For the Petitioners; Mr. Pankaj Kumar, For the Respondents.

आदेश

याची 'आंगनबाड़ी सेविका' के पद पर नियुक्ति की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के पास आयी है और आगे प्रत्यर्थी सं० 8 रीता देवी की नियुक्ति अभिखंडित एवं अपास्त करने की प्रार्थना की गयी है।

<u>ताथ्यिक मैट्रिक्स:</u>

2. याची जो विवाहित स्त्री है और ग्राम कुशुम्मा, पी०ओ० सुलताना, पी०एस० कटकमसंडी, जिला हजारीबाग की निवासी है ने 'आंगनबाड़ी सेविका' के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया और प्रत्यर्थी सं० 8 के साथ उक्त पद पर नियुक्ति के लिए ग्राम स्तरीय कमिटी में भाग लिया।

3. यह याची का विनिर्दिष्ट मामला है कि 13.10.2010 को 'आमसभा' का आयोजन ग्राम कुशुम्मा, पी०ओ० सुलताना, पी०एस० कटकमसंडी, जिला हजारीबाग अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्र, कुशुम्मा 2, के लिए 'सेविका' के चयन के लिए किया गया था जिसमें याची, प्रत्यर्थी सं० 8 एवं अन्य तीन उमीदवारों पर विचार किया गया था और ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से याची को सेविका के पद के लिए चुना।

4. याची का मामला यह है कि वह 'आंगनबाड़ी सेविका' के पद पर नियुक्ति के लिए समस्त मापदंडों एवं अध्यपेक्षित अर्हता परिपूर्ण करती है। याची इंटर पास है और उसने 500 अंकों में से 235 अंक प्राप्त किया है और प्रत्यर्थी सं० 8 की तुलना में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है जबकि प्रत्यर्थी सं० 8 ने केवल 204 अंक पाया और तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रत्यर्थी सं० 8 द्वारा बी०ए०पार्ट-I पास होने का दावा उपयोगहीन है क्योंकि यह संपूर्ण अर्हता नहीं है। अत:, उसे केवल इंटर पास के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि बी०ए० पार्ट I स्नातक डिग्री अथवा बी०ए० पास के समतुल्य नहीं है।

5. याची का मामला यह है कि बी०डी०ओ० कटकमसंडी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, हजारीबाग को लिखे गए दिनांक 25.10.2010 के पत्र के तहत आंगनबाड़ी केंद्र, कुशुम्मा 2 के लिए सेविका के पद के लिए याची का नाम उसके लिए कारण देते हुए अनुशंसित किया और अनुमोदन करने का अनुरोध किया। तत्पश्चात याची अनेक अवसरों पर संबंधित प्रत्यर्थियों के पास गयी किंतु 'आंगनबाड़ी सेविका' के पद पर नियुक्ति के लिए आदेश पारित नहीं किया गया था और मामला अभी भी लंबित है।

6. याची के ध्यान में यह भी लाया गया था कि प्रत्यर्थी सं०8 का मामला 'आंगनबाड़ी सेविका' के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था और इस दशा में याची अपने मामला पर विचार करने के लिए प्राधिकारियों के पास गयी क्योंकि उसने अधिक अंक प्राप्त किया है और उसका नाम 'आंगनबाड़ी सेविका' के पद पर नियुक्ति के लिए ग्राम स्तरीय कमिटी द्वारा अनुशंसित किया गया था किंतु याची के अभ्यावेदन पर ध्यान नहीं दिया गया था और इस दशा में वर्तमान याचिका दाखिल की गयी है।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री शैबाल मित्रा ने सुश्री निवेदिता कुंडु की सहायता से तर्क करते हैं कि चूँकि याची ने प्रत्यर्थी सं०8 की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किया है जो स्वयं प्रत्यर्थियों द्वारा बनाए गए नियमावली के मुताबिक आवश्यक अर्हता है और वह अध्यपेक्षित अर्हता एवं आंगनबाड़ी सेविका के पद पर नियुक्ति के लिए मापदंड परिपूर्ण करती है, कोई कारण नहीं है कि नियुक्ति के लिए उसके मामले पर क्यों नहीं विचार किया जाना चाहिए।

8. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री शैबाल मित्रा ने आगे तर्क किया कि प्रत्यर्थी सं० 8 को 'आंगनबाड़ी सेविका' के पद पर नियुक्ति के लिए अवैध रूप से अनुशंसित किया गया है यद्यपि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए मापदंड परिपूर्ण नहीं करती है क्योंकि उसने इंटर में याची की तुलना में कम अंक प्राप्त किया है और उसने बी०ए० की डिग्री प्राप्त नहीं किया है।

9. समानान्तर स्तंभ में, प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है।

10. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार जोरदार रूप से याची के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद का विरोध करते हैं और निवेदन करते हैं कि यद्यपि याची का मामला ग्राम स्तरीय कमिटी एवं बी०डी०ओ० द्वारा अनुशंसित किया गया था किंतु इसे दिनांक 9.2.2011 के पत्र सं० 108 के तहत डी०डी०सी० द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और दूसरी ओर, प्रत्यर्थी सं०8 का मामला विचार किए जाने के लिए लिया गया था यद्यपि आज की तिथि तक नियुक्ति नहीं की गयी है।

11. विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि चूँकि पैनल स्वयं 2012 का है और हम 2017 में हैं, 2012 के पैनल से नियुक्ति नहीं की जा सकती है भले ही याची के मामला पर उसके उच्चतर अंक पाने के कारण विचार किया गया था और उसके बाद नयी 'आम सभा' की गयी थी और प्रत्यर्थी सं०8 का नाम नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था। यह तर्क किया गया है कि चूँकि याची ने भी उक्त 'आमसभा' में भाग लिया था और जब उसके मामला पर विचार नहीं किया गया था, तब वह प्रत्यर्थी सं०8 की अनुशंसा को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के पास आयी है।

12. चाहे जो भी हो, पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने पर इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि अंतिम 'आम सभा' स्वयं 2012 में की गयी थी और आज की तिथि तक नियुक्ति नहीं की गयी है। याची के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय को यह प्रदर्शित एवं संतुष्ट करने में सक्षम हुए हैं कि याची ने प्रत्यर्थी सं०8 की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं०8 की अनुशंसा को न्यायोचित ठहराते हैं और तर्क करते हैं कि चूँकि प्रत्यर्थी सं० 8 के पास उच्चतर अर्हता है क्योंकि वह बी०ए० पार्ट I में अध्ययनरत है जिस पर विचार किया गया है और उसका मामला अनुशंसित किया गया है। बी०ए० पार्ट I में प्रवेश मात्र का अर्थ बी०ए० डिग्री के रूप में नहीं लगाया जा सकता है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन इस न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है। यदि राज्य की ओर से गलत कार्रवाई की गयी है, इसे न्यायोचित ठहराया नहीं जा सकता है। राज्य 2012 से मामला पर बैठा हुआ है। 'आंगनबाड़ी सेविका' की नियुक्ति वित्तीय रूप से कमजोर वर्गों को लाभ देने के लिए की जाती है। वित्तीय रूप से कमजोर वर्गों को लाभ देना राज्य की नीति है। कमजोर वर्गों की भी और वह भी आंगनवाड़ी सेविका की नियुक्ति पर विचार नहीं करके 2012 से माललें पर बैठा रहना राज्य का आलस्यपूर्ण रवैया दर्शाता है और राज्य इस आलस्यपूर्ण रवैये को न्यायोचित ठहराने का प्रयास कर रहा है। पूर्वोक्त संप्रेक्षणों, नियमों, दिशानिर्देशों की दृष्टि में, मैं एतद् द्वारा प्रत्यर्थी सं०8 की दिनांक 28.1.2012 की अनुशंसा अभिखंडित एवं अपास्त करता हूँ और प्रत्यर्थी सं०3 उपायुक्त को प्रत्यर्थी सं०8 को और याची को भी नोटिस जारी करने के बाद नयी 'आम सभा' बुलाने का निर्देश देता हूँ और 'आम सभा' बुलाने के बाद 'आंगनबाड़ी सेविका' के पद पर नियुक्ति के लिए नियमावली एवं दिशानिर्देश के मुताबिक 'आंगनबाड़ी सेविका' के पद पर नयी नियुक्ति की जाए। इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर संपूर्ण कार्य पूरा किया जाए।

13. यह कहना अनावश्यक है कि यदि याची को नियमावली के मुताबिक नियुक्ति का हकदार पाया जाता है, चार सप्ताह की आगे की अवधि के भीतर उसको नियुक्ति प्रस्तावित की जानी चाहिए।

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

जीवन मुंडा एवं अन्य

cuke

बिरसा मुंडा एवं अन्य

W.P.(C)No. 2402 of 2009. Decided on 11th October, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 6 नियम 17–वादपत्र में संशोधन–बँटवारा वाद–वादीगण प्रकट करेंगे कि उन्होंने विचारण के अंतिम छोर पर जब वाद अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था संशोधन आवेदन दाखिल करने के लिए कारण प्रकट नहीं किया है–वे यह प्रकट करने में भी विफल रहे हैं कि क्या यह सूचना कि प्रतिवादियों ने स्वयं को इसाई धर्म में संपरिवर्तित कर लिया है, उन्हें वाद की दाखिली के पहले से ज्ञात थी या नहीं और यदि नहीं तो कब और कैसे उन्होंने यह सूचना पाया–विचारण आरंभ होने के बाद संशोधन इप्सित करने वाले वाद के पक्ष को प्रकथन एवं स्थापित करना होगा कि सम्यक् तत्परता के बावजूद तथ्य जिसे संशोधन द्वारा सम्मिलित किया जाना इप्सित किया गया है का पता नहीं लगाया जा सका था–इसके अतिरिक्त, क्या प्रतिवादीगण ने इसाई धर्म अपना लिया है या नहीं, और क्या वे अनुसूचित जनजाति के सदस्य बने रहे या नहीं, वैसे विवाद्यक नहीं हैं जिन्हें बँटवारा वाद में पक्षों का दावा विनिश्चित करने के लिए न्यायनिर्णीत करने की आवश्यकता है–आक्षेपित आदेश अपास्त। (पैराएँ 6, 8 एवं 9)

निर्णयज विधि.–(2012) 2 SCC 300—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Kaustav Roy, For the Petitioners; M/s Manish Kumar, P. K. Pathak, For the Respondents.

आदेश

याचीगण की शिकायत यह है कि बँटवारा वाद सं॰ 78 वर्ष 2005 में अंतिम तर्क के चरण पर वादपत्र में संशोधन के लिए आवेदन अनुज्ञात किया गया है। याचीगण बँटवारा वाद सं॰ 78 वर्ष 2005 में पारित दिनांक 18.4.2009 के आदेश को चुनौती इप्सित करते हैं, जिसके द्वारा सी॰पी॰सी॰ के आदेश VI नियम 17 के अधीन पूर्वोक्त आवेदन अनुज्ञात किया गया है।

2. वादीगण ने पैतृक भूमि का बँटवारा इप्सित करते हुए बँटवारा वाद सं॰ 78 वर्ष 2005 संस्थित किया। वाद अनुसूची भूमि वकस्त भूइनहारि, भुइनहारि मुंडई एवं केमी भूमि से गठित थी। भूमि का तीसरा प्रकार अधिभोग अधिकारों पर व्यक्ति गत सदस्यों द्वारा अर्जित किया गया कथित किया गया है। प्रतिवादीगण उपस्थित हुए और यह प्राख्यान करते हुए अपना लिखित कथन दाखिल किया कि बकस्त भूइनहारि एवं सेवा भूमि जिन्हें अनुसूची 'A' एवं अनुसूची 'B' के अधीन वर्णित किया गया है को बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अधीन छूट प्राप्त है। उन्होंने वाद पत्र में प्रतिवादियों के वर्णन के प्रति भी आपत्ति किया है। यह प्रतीत होता है कि भूइनहारि भूमि सर्वे 1869-1880 एवं कैडेस्ट्रियल सर्वे 1908-1911 के मुताबिक वाद अनुसूची संपत्ति वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूइनहारि भूमि है जिसे सही के रूप में स्वीकार किया गया था। दोनों पक्षों द्वारा अपना साक्ष्य देने के बाद और जब वाद अंतिम तर्क के लिए लंबित था, वादीगण द्वारा वाद पत्र में निम्नलिखित संशोधन के लिए दिनांक 22.2.2009 का संशोधन आवेदन दाखिल किया गया था: ''11(a) कि समस्त प्रतिवादीगण ने ईसाई धर्म अपना लिया और इसाई

मुंडई भूइनहारि भूमि एवं भूत पूजा तथा परभरा की अन्य भूमि की पूजा के पात्र नहीं हैं।'' यह आवेदन दिनांक 18.4.2009 के आदेश द्वारा अनुज्ञात किया गया था। इसी आदेश को प्रतिवादियों द्वारा वर्तमान कार्यवाही में चुनौती दी गयी है।

3. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कॉस्तभ रॉय निवेदन करते हैं कि लंबित बँटवारा वाद में प्रस्तावित संशोधन के प्रभाव की कल्पना किए बिना आदेश VI नियम 17 के अधीन दाखिल दिनांक 22.2.2009 का आवेदन अनुज्ञात किया गया है। प्रस्तावित संशोधन का प्रभाव यह होगा कि वाद में न्यायालय यह जाँच करेगा कि क्या व्यक्ति जो इसाई धर्म अपनाते हैं मुंडई भूइनहारि भूमि एवं भूतपूजा एवं परभरा की अन्य भूमि की पूजा करने के पात्र हैं या नहीं। ऐसी जाँच बँटवारा वाद में बिलकुल अनावश्यक है। अंत में, यह निवेदन किया गया है कि संशोधन का प्रभाव यह होगा कि वाद की प्रकृति बदल जाएगी। याचीगण ने **'जे० सैमुअल एवं अन्य बनाम गट्टू महेश एवं अन्य, (2012)2 SCC 300** में निर्णय पर विश्वास किया है।

4. दिनांक 18.4.2009 के आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रतिवादियों के स्वीकरण पर कि उन्होंने इसाई धर्म अपना लिया है, प्रस्तावित संशोधन आवश्यक हो गया था।

5. दिनांक 22.2.2009 के आवेदन में वादीगण ने निम्नलिखित प्रकथन किया है:–

^^1- fd oknh d okn i= e lnHkkoi.k xyrh d dkj.k vfHkopu fd leLr ifrokfn;k u blkb èke viuk fy;k gA

2- fd blkb lok Hkfe dju d ik= ugh gA

3- fd okn i= d ijk 11 d ckn ijk 11(a) e okn i= l'kkfèkr fd, tku dk nk;h gA

4- fd ;g okn dh idfr ugh cny jgk gA

*5- fd okn d l'kkèku d fcuk eMk lenk; dh lok Hkfe ;kfpdk fofuf'pr ugh dh tk ldrh gA***

6. वादीगण के पूर्वोक्त दृष्टिकोण का कोरा परिशीलन प्रकट करेगा कि उन्होंने विचारण के अंतिम छोर पर संशोधन आवेदन दाखिल करने के लिए कारण प्रकट नहीं किया है जब वाद अंतिम सुनवाई के लिए रखा गया था। वे यह प्रकट करने में भी विफल रहे हैं कि क्या यह सूचना कि प्रतिवादियों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, उनको वाद की दाखिली के पहले से ज्ञात था या नहीं और यदि नहीं, कब और किस प्रकार उन्होंने यह सूचना पाया।

7. जे० सैमुअल एवं अन्य बनाम गट्टू महेश एवं अन्य, (2012)2 SCC 300 [: 2012 (2) JLJ 215 (SC)], में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

^^12. U;k;ky; dk e[; y{; ekey dk bld x.kkx.k ij fopkj.k djuk g vkj ;g lfuf'pr djuk g fd U;k; dk fl)kr vfHkHkkoh gkA bld fy, U;k;ky; d le{k lPp rF;k dk j[k tku dh vko';drk g rkfd U;k;ky; dh viu fu.k; ij vku e leLr iklfxd lpuk rd igp gk ldA vr%] dHkhdHkkj i{kk dk viu okn&i=k dk l'kkfèkr dju dh vuefr nu dh vko';drk gA i{k dk viuk vfHkopu l'kkfèkr dju d fy, vuefr inku dju d fy, U;k;ky; dk Lofood nk 'krk ij g] iFker% vU; i{k d lkFk vU;k; ugh gkuk pkfg, vkj f}rh;r% i{kk d chp fookn e okLrfod i'u dk fofuf'pr dju d i;ktu l l'kkèku vko';d gkuk gkxkA fdr U;k; dju e i{kk dk fgr lrfyr dju d fy,

*ijUrd tkMk x;k g tk Li"Vr% dFku djrk g fd fopkj.k vkjHk gku d ckn l'kkèku d fy, vkonu vuKkr ugh fd;k tk,xk tc rd U;k;ky; bl fu"d"k ij ugh vkrk g fd lE;d rRijrk d ckotn i{k fopkj.k d vkjHk d igy ekeyk mBk ugh ldk FkkA***

8. जे०सैमुअल में, सी०पी०सी० के आदेश VI नियम 17 का परन्तुक आज्ञापक अभिनिर्धारित किया गया है। विचारण आरंभ होने के बाद संशोधन इप्सित करने वाले पक्ष को प्रकथन एवं स्थापित करना होगा कि सम्यक तत्परता के बावजूद तथ्य जिसे संशोधन द्वारा सम्मिलित किया जाना इप्सित किया गया है का पता नहीं लगाया जा सका था। जे०सैमुअल में निर्णय एवं सी०पी०सी० के आदेश VI नियम 17 के आलोक में दिनांक 22.2.2009 के आवेदन का संवीक्षण प्रकट करेगा कि यह सी०पी०सी० के आदेश VI नियम 17 के अधीन आज्ञापक आवश्यकता संतुष्ट नहीं करता है। स्वयं विचारण न्यायाधीश ने दर्ज किया है कि संशोधन ''अत्यन्त विलंबित'' था, फिर भी, यह परीक्षण नहीं किया गया है कि क्या वादीगण ने सम्यक तत्परता दर्शाया था या नहीं। इसके अतिरिक्त, बँटवारा वाद में, क्या प्रतिवादियों ने इसाई धर्म अपना लिया है या नहीं और क्या वे अनुसूचित जनजाति का सदस्य बने रहे, ऐसे विवाद्यक नहीं हैं जिन्हें बँटवारा वाद में पक्षों का दावा विनिश्चित करने के लिए न्यायनिर्णीत किए जाने की आवश्यकता है।

9. उक्त की दृष्टि में, मैं दिनांक 18.4.2009 के आदेश में गंभीर दुर्बलता पाता हूँ और तद्नुसार इसे अपास्त किया जाता है।

10. रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

लाखन बास्की

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (DB) No. 228 of 2008. Decided on 2nd November, 2017.

सत्र केस सं॰ 67 वर्ष 2004/15 वर्ष 2006 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जामतारा द्वारा पारित दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 302 एवं 201–हत्या एवं साक्ष्य गायब करना–आजीवन कारावास–दं०प्र०सं० की धारा 313 के अधीन अभियुक्त से उसके संस्वीकृति के आधार पर मृत शरीर एवं अपराध के हथियार की बरामदगी के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था–बचाव द्वारा साक्ष्य नहीं दिया गया था–यह चाक्षुक साक्ष्य रहित मामला है और अपीलार्थी के विरूद्ध एकमात्र परिस्थिति उसकी संस्वीकृति के आधार पर मृत शरीर एवं अपराध के हथियार की बरामदगी है–प्राथमिकी दर्ज करने एवं सी०जे०एम० के न्यायालय को प्राथमिकी भेजने में विलंब हुआ था–ये दोनों अस्पष्टीकृत विलंब अभियोजन मामला की जड़ तक जाते हैं और अभियोजन मामला संदेहपूर्ण बनाते हैं–अभियोजन मामला के अनुसार, घटना इस तथ्य के कारण हुई थी कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी को मृतक के साथ आपत्तिजनक दशा में देखा था–इस दशा में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त ने पहली नजर में यह धारणा बनाया होगा कि

मृतक उसकी पत्नी का बलात्कार कर रहा था और उस स्थिति में अपनी पत्नी को बचाने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भा०दं०सं० की धारा 100 के अधीन मृतक की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हुआ–अचानक क्रोध एवं उकसाना जिसका सामना अभियुक्त अपीलार्थी को करना पड़ा था नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है–इस तथ्य के बावजूद कि अस्पष्टीकृत विलंब एवं महत्वपूर्ण गवाहों जिनके बयान स्वीकृत रूप से पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान दर्ज किए गए थे के गैर परीक्षण के कारण अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे आरोप सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है–अभियुक्त संदेह के लाभ का हकदार है–अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया गया और आरोप से दोषमुक्त किया गया–अपील अनुज्ञात की गयी।

(पैराएँ 12, 16, 17 एवं 18)

अधिवक्तागण.–Mr. Yogesh Modi, Amicus Curie, For the Appellant; Mr. Krishna Shankar, For the Resp.-State.

एच०सी०मिश्रा, न्यायमूर्ति.–अपीलार्थी के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त विद्वान न्यायमित्र एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह कारा अपील सत्र मामला सं० 67 वर्ष 2004/15 वर्ष 2006 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जामताड़ा द्वारा पारित दिनांक 20 दिसंबर, 2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से उद्भूत होती है, जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी को भारतीय दंड सेहिता की धाराओं 302 एवं 201 के अधीन अपराधों का दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई पर, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए सात वर्षों के कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया है। अपीलार्थी को 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश भी दिया गया था जो वसूली पर मृतक की माता को भुगतेय था।

3. अभियोजन मामला जामताड़ा पुलिस थाना में 29.1.2004 को दर्ज मृतक बोलो बास्की की माता लिखोनी छुडु के बयान के आधार पर संस्थित किया गया था जिसमें उसने कथन किया है कि उसका लगभग 22 वर्षीय पुत्र बोलो बास्की अभियुक्त लाखन बास्की के घर में नौकर के रूप में काम कर रहा था जो जिला धनबाद में किसी जालान कारखाना, मूली में कर्मचारी था। उसका पुत्र 17.1.2004 को रात में लगभग 8 बजे उसके पास आया था और उसके साथ कुछ समय बिताने के बाद वह अपने मालिक के घर चला गया था। चूँकि वह 2-3 दिन बाद भी वापस नहीं लौटा था, सूचक अभियुक्त के घर गयी, जहाँ उसने घर बंद पाया। उसने सोचा कि उसका पुत्र शायद लाखन बास्की के परिवार के साथ कहीं चला गया होगा और उसने एक व्यक्ति को लाखन बास्की के ससुराल भेजा, किंतु उसे सूचित किया गया था कि वह वहाँ नहीं आया था। तब उसने किसी लगन बास्की को कारखाना भेजा, जहाँ अभियुक्त लाखन बास्की कार्यरत था। लगन बास्की लखन बास्की को 27.1.2004 को गाँव लाया। यह अभिकथित किया गया है कि ग्रामीणों के समक्ष लखन बास्की ने प्रकट किया कि 17.1.2004 को जब वह रात्रि लगभग 9.30 बजे अपने कारखाना से अपने घर वापस आया, उसने बोलो बास्की को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा। लखन बास्की को देखने पर उसकी पत्नी उस स्थान से भाग गयी और बोलो बास्की ने खाट के नीचे स्वयं को छुपाने का प्रयास किया जिस पर उसने बोलो बास्की पर उसकी मृत्यु कारित करते हुए टांगी से प्रहार किया और मृत शरीर नदी में फेंक दिया। यह अभिकथित करते हुए कि अभियुक्त लखन बास्की ने मृतक की हत्या किया था और मृत शरीर गायब किया था, पुलिस थाना

को 29.1.2004 को सूचना दी गयी थी जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अधीन अपराध के लिए जामताड़ा पी०एस०केस सं० 17 वर्ष 2004, जी०आर०सं० 28 वर्ष 2004 के तत्सम, संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के क्रम में, मृतक का मृत शरीर पाया गया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जोड़ी गयी थी और अन्वेषण पूरा करने के बाद, अभियुक्त लखन बास्की के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था।

4. सत्र न्यायालय को मामला की सुपुर्दगी पर अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 201 के अधीन अपराधों के लिए आरोप विरचित किया गया था और अभियुक्त के निर्दोषिता का अभिवचन करने एवं विचारण किए जाने का दावा करने पर उसका विचारण किया गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन ने इस मामला में चिकित्सीय अधिकारी जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया एवं मामला के अन्वेषण अधिकारी सहित 10 गवाहों का परीक्षण किया। एक गवाह अ०सा० 10 हेमन्त मुर्मु पक्षद्रोही हो गया और अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया था।

5. अ०सा०1 लखोनी टुडु मामला की सूचक और मृतक की माता है। उसने यह कथन करते हुए अभियोजन मामला का पूर्ण समर्थन किया है कि उसका पुत्र अभियुक्त लखन बास्की के घर में नौकर के रूप में काम कर रहा था और शनिवार की रात वह लाखन बास्की के घर गया था किंतु वापस नहीं लौटा था। उसे लाखन बास्की के घर में खोजा गया था, जहाँ लाखन बास्की और उसकी पत्नी उपस्थित नहीं थे। लखन बास्की को लगन बास्की द्वारा गाँव लाया गया था जिसने ग्रामीणों के समक्ष प्रकट किया कि उसने बोलो बास्की की हत्या कर दी थी और मृत शरीर रजवा नदी में फेंक दिया था। तत्पश्चात, पुलिस को सूचना दी गयी थी और पुलिस द्वारा उसका बयान दर्ज किया गया था, जिस पर उसने अपने अंगूठा का निशान लगाया। इस गवाह ने अभियुक्त को न्यायालय में पहचाना है। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया है कि उसने अभियुक्त को हत्या करते नहीं देखा था और वह ग्रामीणों का नाम नहीं बता सकती थी जिनके समक्ष अभियुक्त ने अपना दोष संस्वीकार किया था। उसने झूठा साक्ष्य देने के सुझाव से इनकार किया है।

6. अ०सा०3 लगन बास्की वह गवाह है जिसने अभियुक्त लखन बास्की को उसके कारखाना से गाँव लाया था। उसने अभियोजन मामला का समर्थन किया है किंतु उसने कथन किया है कि उसे चौकीदार द्वारा सूचित किया गया था कि लखन बास्की ने बोलो बास्की की हत्या कर दी और अभियुक्त द्वारा चौकीदार के समक्ष यह संस्वीकृति की गयी थी। उसने कथन किया है कि उसने लखन बास्की को कारखाना से गाँव लाया था जहाँ चौकीदार एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में लखन बास्की ने प्रकट किया था कि बोलो बास्की का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था जिस कारण उसने उसकी हत्या कर दी थी और रजवा नदी में मृत शरीर दफना दिया था। तत्पश्चात, वह मृतक की माता को पुलिस थाना लाया जहाँ उसका बयान दर्ज किया गया था और इस गवाह ने भी उसके बयान पर अपना हस्ताक्षर किया था जिसे उसने पहचाना है जिसे प्रदर्श 1/1 चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने यह कथन भी किया था कि तत्पश्चात पुलिस गाँव गयी और अभियुक्त को गिरफ्तार किया और अभियुक्त पुलिस के साथ गया और नदी से मृत शरीर बाहर निकाला और मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था। उसने अभियुक्त को न्यायालय में पहचाना है। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया है कि उसने सुना था कि अभियुक्त लखन बास्की द्वारा पुलिस की उपस्थिति में मृत शरीर बाहर निकाला गया था। उसने यह कथन भी किया है कि उसने अभियुक्त को मृतक की हत्या करते नहीं देखा था।

7. अ०सा०2 रायसेन बास्की ने भी अभियोजन मामला का समर्थन किया है और कथन किया है कि अभियुक्त ने ग्रामीणों के समक्ष प्रकट किया था कि उसने मृतक की हत्या की थी। तत्पश्चात वे मृतक की माता एवं चौकीदार को पुलिस थाना लाए, जहाँ मृतक की माता का बयान दर्ज किया गया था, जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर किया था, जिसे उसने पहचाना और इसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया कि अभियुक्त को गाँव में गिरफ्तार किया गया था और उसने सुना था कि मृतक का मृत शरीर रजवा नदी से बरामद किया गया था। अपने प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि उसने नहीं देखा था कि किसने मृतक की हत्या की थी और उसने झूठा साक्ष्य देने के सुझाव से इनकार किया।

8. अ०सा०5 संजीत कुमार मंडल मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का गवाह है। अ०सा० 6 खगन मंडल एवं अ०सा०7 प्रभाश मंडल कुल्हाड़ी की बरामदगी की अभिग्रहण सूची के गवाह है और इन गवाहों ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं अभिग्रहण सूची पर अपना हस्ताक्षर पहचाना है जिन्हें क्रमशः प्रदर्श 3, 4 एवं 4/1 चिन्हित किया गया था। अ०सा०6 एवं अ०सा०7 ने कथन किया है कि जब्त कुल्हाड़ी न्यायालय में मौजूद नहीं है।

9. अ०सा०4 डॉ० बिपद भंजन महतो चिकित्सा अधिकारी है जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का 30 अप्रिल 2004 को शव परीक्षण किया और मृत शरीर पर निम्नलिखित पाया थाः–

सूजा शरीर, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, पूरे शरीर पर बालू, पूरे शरीर पर मच्छर भिनभिनाना, शव से आती दुर्गंध। धड़ के उपर चमड़ा अलग, अद्यड़ा हुआ और दोनों छोर पर, मुँह खुला, जीभ बाहर निकला, दायीं आँख अंशतः खुली, बायी आँख खुली, उपरी एक्ट्रीमिटी शिथिल, निचली एक्सट्रीमिटी तनी हुई, छाती, पेट एवं पेल्विक क्षेत्र पर हरा काला बेरंगपन निचली एक्सट्रीमिटी पर काली पड़ी नस, शिश्न एवं स्क्रोटम सूजा हुआ।

उन्होंने मृत शरीर पर निम्नलिखित उपहति पायाः–

1- 4" × 2" × dfoVh rd xgjh eki okyh nk, ÝVk ifj;Vy {k= ij rt èkkjnkj gfFk;kj l dVu dh migfr

2- nk, ÝVy vfLFk dk ÝDpj 3" yck] fMiLM

3- nk, ijkbVy vfLFk dk ÝDpj 2" yck fMiLM

4- 2½" × 1" × ekli'kh rd xgjk ekiokyk pgjk d nk, ekyj {k= ij rt èkkjnkj gfFk;kj l dVu dh migfr

5- nk, xky ij rt èkkjnkj gfFk;kj l dVu dh migfr 2½" × 1/2" × ekli'kh rd xgjk

6- nk, mijh frgkb xnu ij rt èkkjnkj gfFk;kj l dVu dh migfr 3" × 1½" × ekli'kh rd xgjk

7- xnu d mijh rhlj d ikLVhfj;j igy ij rt èkkjnkj gfFk;kj l dVu dh migfr 2" × ½" × ekli'kh rd xgjk

leLr migfr;k eR; io idfr dh gA

foPNnu dju ij &[kkiMh&nk, ijkbVy vfLFk ,o ÝVy vfLFk dk ÝDpjA efutl QVk] cu eVj C;VhQk;M rFkk ihy&èklj jx xk< ty e lifjofrr

उन्होंने कथन किया है कि मृत्यु का कारण खून बह जाने के साथ ब्रेन मैटर में सदमा था और मृत्यु से बीता समय 7–14 दिन था। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था।

10. अ०सा० 8 अरविन्द कुमार सिन्हा मामला का अन्वेषण अधिकारी है। उसने कथन किया है कि 29.1.2004 को वह प्रभारी अधिकारी के रूप में जामताड़ा पुलिस थाना में पदस्थापित था और उसने लिखोनी टुडु का बयान दर्ज किया था, जिस पर उसने अपने अंगूठे का निशान लगाया था। उसने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में बयान पहचाना है, जिसे प्रदर्श 5 चिन्हित किया गया था। उसने औपचारिक प्राथमिकी भी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 6 चिन्हित किया गया है। इस गवाह ने कथन किया है कि तत्पश्चात उसने पुलिस थाना में दो गवाहों का बयान दर्ज किया और घटनास्थल पर गया जहाँ उसने अभियुक्त लखन बास्की को गिरफ्तार किया और उसकी संस्वीकृति दर्ज किया। उसकी संस्वीकृति के आधार पर, उसने रजिया नदी से बालू में दफनाया मृतक का मृत शरीर बरामद किया। उसने अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर पुल के नीचे से कुल्हाड़ी बरामद किया, जिससे अपराध किया गया था और गवाहों की उपस्थिति में अभिग्रहण सूची तैयार किया जिसे प्रदर्श 7 चिन्हित किया गया है। उसने मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया जिसे प्रदर्श 8 चिन्हित किया गया था। उसने घटनास्थल का विवरण दिया है जो अभियुक्त का घर है और उसने कथन किया है कि उसने कमरा को मिट्टी से तुरन्त लीपा हुआ पाया। उसने न्यायालय में दं०प्र०सं० की धारा 164 के अधीन अभियुक्त का बयान दर्ज करवाया जिसमें भी अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार किया। उसने शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया और अन्वेषण पूरा करने पर, आरोप पत्र दाखिल किया। अपने प्रतिपरीक्षण में, इस गवाह में कथन किया है कि प्राथमिकी 29.1.2004 को संस्थित की गयी थी और उसने 30.1.2004 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और उसी दिन उसकी संस्वीकृति दर्ज की गयी थी जिसके आधार पर मृत शरीर बरामद किया गया था और माता एवं ग्रामीणों द्वारा पहचाना गया था। उसने 30.1.2004 को ही कुल्हाड़ी बरामद किया था। उसने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि अन्वेषण के दौरान उसने अभियुक्त की पत्नी पति मुनि का बयान दर्ज किया था। उसने झूठा साक्ष्य देने के सुझाव से इनकार किया है।

11. अ०सा०9 संजय कुमार न्यायिक दंडाधिकारी है, जिन्होंने 5.2.2004 को दं०प्र०सं० की धारा 164 के अधीन अभियुक्त का बयान दर्ज किया था, जिसे उन्होंने सिद्ध किया है और इसे प्रदर्श 9 चिन्हित किया गया है।

12. अभियुक्त का बयान दं०प्र०सं० की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया था, जिसमें उसने अपने विरूद्ध साक्ष्य से इनकार किया है। दं०प्र०सं० की धारा 313 के अधीन दर्ज बयान से, यह प्रतीत होता है कि उसकी संस्वीकृति के आधार पर मृत शरीर तथा अपराध के हथियार की बरामदगी के संबंध में उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। बचाव द्वारा साक्ष्य नहीं दिया गया था।

13. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर, विचारण न्यायालय द्वारा पूर्वोक्तानुसार अभियुक्त अपीलार्थी को दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया था।

14. अपीलार्थी के लिए तर्क करते हुए विद्वान न्यायमित्र ने निवेदन किया है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश बिलकुल अवैध है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है। यह निवेदन

किया गया है कि संपूर्ण अभियोजन मामला संदेहपूर्ण है, क्योंकि प्राथमिकी के अनुसार सूचक को 27. 1.2004 को घटना की जानकारी हुई, जिस तिथि पर अभियुक्त ने ग्रामीणों के समक्ष अपना दोष अभिकथित रूप से स्वीकार किया था। किंतु, सूचक द्वारा 27.1.2004 एवं 28.1.2004 को प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी थी, बल्कि प्राथमिकी 29.1.2004 को दर्ज की गयी थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि प्राथमिकी 29.1.2004 को दर्ज की गयी थी, इसे न्यायालय में 31.1.2004 को प्राप्त किया गया था और अभियोजन द्वारा इन विलंबों का स्पष्टीकरण नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि स्वीकृत रूप से घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियोजन मामला के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपराध अभिकथित रूप से इस तथ्य के कारण किया गया था कि उसने मृतक को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा था। इस दशा में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि मृतक अपीलार्थी की पत्नी के साथ बलात्कार कर रहा था जिस स्थिति में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृतक की मृत्यु कारित किए जाने तक विस्तारित हुआ। यह अभियोजन को अभियुक्त की पत्नी का परीक्षण करके स्थापित करना था कि यह बलात्कार का मामला था या नहीं, किंतु इस गवाह को अभियोजन को ज्ञात कारण से रोक लिया गया है यद्यपि अ०सा०8 आई०ओ० अरविन्द कुमार सिन्हा द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसने अभियुक्त की पत्नी का बयान दर्ज किया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि यद्यपि यह अभियोजन का मामला है कि मृत शरीर तथा अपराध के हथियार की बरामदगी अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर की गयी थी, किंतु यह महत्वपूर्ण परिस्थिति अभियुक्त के समक्ष दं०प्र०सं० की धारा 313 के अधीन दर्ज उसके बयान में नहीं रखी गयी थी, यद्यपि अभियुक्त को दोषसिद्ध एवं दंडादेशित करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा इस परिस्थिति का उपयोग किया गया है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है और यह सुयोग्य मामला है जिसमें अभियुक्त अपीलार्थी कम से कम संदेह के लाभ का हकदार था।

15. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध एवं निवेदन किया है कि यद्यपि घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है, किंतु अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है। यह निवेदन किया गया है कि अभियुक्त की संस्वीकृति दर्ज की गयी थी, जिसमें उसने अपना दोष स्वीकार किया है जिसके आधार पर मृत शरीर एवं अपराध का हथियार बरामद किया गया था और इन तथ्यों को अभियोजन द्वारा समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अभियुक्त का बयान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 164 के अधीन दर्ज किया गया था जिसे भी मामला में सिद्ध किया गया है, जिसमें भी अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार किया है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है।

16. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख के परिशीलन पर हम पाते हैं कि यह चाक्षुक साक्ष्यहीन मामला है और अपीलार्थी के विरूद्ध एकमात्र परिस्थिति उसकी संस्वीकृति के आधार पर मृत शरीर एवं अपराध के हथियार की बरामदगी है। यद्यपि स्वीकृत रूप से सूचक को 27.1.2004 को अपराध की जानकारी थी, किंतु प्राथमिकी 29.1.2004 को दर्ज की गयी थी। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह सूचक के पुत्र की हत्या का मामला था, आरंभ में ही प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का कारण प्रतीत नहीं होता है जब वह इस तथ्य को जानती थी कि अभियुक्त ने ही उसके पुत्र की हत्या की थी। यद्यपि प्राथमिकी 29.1.2004 को दर्ज की गयी थी, यह स्पष्टीकरण नहीं है कि इसे क्यों 31.1.2004 को सी०जे०एम० के न्यायालय भेजा गया था और अभियोजन द्वारा इस विलंब को भी

स्पष्ट नहीं किया गया है। ये दोनों अस्पष्टीकृत विलंब अभियोजन मामला की जड़ तक जाते हैं और अभियोजन मामला संदेहपूर्ण बनाते हैं। अभियोजन मामला के अनुसार घटना इस तथ्य के कारण हुई थी कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी को मृतक के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा था। इस दशा में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पहली नजर में अभियुक्त की धारणा बनी होगी कि मृतक उसकी पत्नी का बलात्कार कर रहा था और इस स्थिति में अपनी पत्नी को बचाने के लिए प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अधीन मृतक की मृत्यु कारित किए जाने तक विस्तारित हुआ। अचानक क्रोध एवं उकसावा, जिसका सामना अभियुक्त ने मृतक के कृत्य के कारण किया होगा, भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यद्यपि मामला के अन्वेषण अधिकारी अ०सा० 8 अरविन्द कुमार सिन्हा द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसने अभियुक्त की पत्नी का बयान दर्ज किया था, किंतु केवल अभियोजन को ज्ञात कारणों से इस गवाह को रोक लिया गया है और इसका लाभ भी अभियोजन को दिया जाना होगा क्योंकि वह न केवल अभियोजन के लिए बल्कि बचाव के लिए भी महत्वपूर्ण गवाह है और उसके गैरपरीक्षण ने बचाव पर महत्वपूर्ण रूप से प्रतिकूलता कारित किया है।

17. पूर्वोक्त कारणों से हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि इस तथ्य के बावजूद कि अभियुक्त की अभिकथित संस्वीकृति के आधार पर बरामदगियाँ की गयी है, किंतु अस्पष्टीकृत विलंबों एवं महत्वपूर्ण गवाह जिसका बयान स्वीकृत रूप से पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान दर्ज किया गया था के गैर परीक्षण के कारण अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है और यह सुयोग्य मामला है, जिसमें अभियुक्त कम से कम संदेह के लाभ का हकदार था। हम मामला में प्रक्रियात्मक चूक भी पाते हैं, क्योंकि यद्यपि अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर मृत शरीर एवं अपराध के हथियार की बरामदगी का उपयोग विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषी पाने में किया गया है, किंतु इन परिस्थितियों को अभियुक्त के समक्ष दं०प्र०सं० की धारा 313 के अधीन नहीं रखा गया गया था। अन्यथा भी, हमारा दृष्टिकोण है कि अभियुक्त संदेह के लाभ का हकदार है, अतः दं०प्र०सं० की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के समक्ष इस परिस्थिति को रखने के लिए मामला वापस विचारण न्यायालय भेजना निरर्थक है।

18. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, सत्र मामला सं० 67 वर्ष 2004/15 वर्ष 2006 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जामताड़ा द्वारा पारित दिनांक 20 दिसंबर, 2007 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी लखन बास्की को संदेह का लाभ दिया जाता है और उस आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त अभिरक्षा में है, उसे तुरन्त निर्मुक्त किया जाए यदि किसी अन्य मामला में उसकी आवश्यकता नहीं है।

19. इस निर्णय से अलग होने के पहले हमें दर्ज करना होगा कि विद्वान न्यायमित्र श्री योगेश मोदी द्वारा हमारी सक्षम सहायता की गयी है और हम सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा कमिटी को विहित पारिश्रमिक का भुगतान उनको करने का निर्देश देते हैं। इस निर्णय की प्रति आवश्यक के लिए सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा कमिटी को भेजी जाए।

20. तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख संबंधित न्यायालय को तुरन्त वापस भेजे जाएँ।

आनंद सेन, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

ekuuh; MkW ,l ,uW ikBd] U;k;efr

रविशंकर प्रसाद सिंह एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 117 of 2009. Decided on 6th December, 2017.

सेवा विधि–प्रोन्नति–प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति की ओर भुगतान किए गए संपूर्ण वेतन/राशि को एक किश्त में वसूल करने के अग्रेतर निर्देश के साथ लेखा की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने के कारण प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति का रद्दकरण–याचीगण का यह विनिर्दिष्ट मामला है कि उन्हें उनके सेवाकाल के दौरान एक प्रोन्नति भी प्रदान नहीं की गयी थी–समयबद्ध प्रोन्नति सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1995 के प्रभाव से प्रदान की गयी थी जिसे वर्ष 2005 में अर्थात इसके प्रदान के दस वर्ष से भी अधिक बाद रद्द किया गया था जब याचीगण की ओर से कपट अथवा दुर्व्यपदेशन का अभिकथन नहीं था–ऐसी परिस्थितियों में वर्ष 1995 में प्रदान की गयी प्रोन्नति प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा 10 वर्षों बाद प्रतिसंहृत नहीं की जा सकती थी–नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण किए बिना सिविल परिणामों वाले किसी आदेश को पारित नहीं किया जा सकता है–लंबे समय के बाद समयबद्ध प्रोन्नति का रद्दकरण याचीगण पर कठिनाई कारित करेगा जब स्वीकृत रूप से उनकी ओर से कपट अथवा दुर्व्यपदेशन नहीं पाया गया है–आक्षेपित आदेश अपास्त किए गए। (पैराएँ 6, 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–(2013) 12 SCC 580; (2014) 4 JLJR 70—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Ritu Kumar, Samavesh Bhanj Deo, Vikash Kumar, Shatakshi, For the Petitioners; Mr. H.K. Mehta, For the Respondents.

डॉ० एस० एन० पाठक, न्यायमूर्ति.–पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याचीगण दिनांक 21.10.2008 के मेमो सं० 3246 एवं 3245 में यथा अंतर्विष्ट कार्यालय आदेश सं० 90 एवं 89 (क्रमशः परिशिष्ट 10 एवं 11) को अभिखंडित करने के लिए उत्प्रेषण रिट की प्रकृति में रिट जारी करने की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के पास आए हैं जिसके द्वारा उन्हें संसूचित किया गया है कि लेखा की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने के कारण उनको वर्ष 1995 में प्रदान की गयी प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति रद्द की जा रही है और किसी विभागीय प्रक्रिया को आरंभ किए बिना अथवा विधि की प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना उनसे 60 किश्तों में क्रमशः 1,10,686/- रुपया तथा 1,04,075/- रुपया वसूल करने का निर्णय किया गया है।

आगे, वन संरक्षक, हजारीबाग सर्किल, हजारीबाग द्वारा जारी दिनांक 25.8.2005 के मेमो सं० 3693 में यथा अंतर्विष्ट कार्यालय आदेश सं० 128 (परिशिष्ट 6) को अभिखंडित करने के लिए आगे प्रार्थना की गयी है जिसके द्वारा याचीगण को क्रमशः 24.9.1995 एवं 9.10.1995 के प्रभाव से प्रदान की गयी प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति इस आधार पर रद्द की गयी है कि वे लेखा की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए थे और उनसे एक किश्त में उनको भुगतान की गयी राशि आधिक्य की वसूली का निर्णय भी किया गया था।

3. वर्तमान रिट याचिका को उद्भूत करने वाले तथ्य संक्षेप में ये हैं कि याचीगण को क्रमशः 24.9.1985 तथा 9.10.1985 को सहायक लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने

पदग्रहण किया और उन्हें समस्त संबंधित की संतुष्टि के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया। उनके विरूद्ध कभी कोई विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की गयी थी अथवा उनके विरूद्ध लंबित नहीं है और न ही कोई दांडिक मामला उनके विरुद्ध दर्ज किया गया था अथवा लंबित है। सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार ने दिनांक 3.5.1988 की पत्र सं० 1997 के तहत वन प्रधान मुख्य संरक्षक, बिहार, राँची को सूचित किया कि गैर राजपत्रित अधिकारियों को समयबद्ध प्रोन्नति के प्रदान के प्रयोजन से वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक विभागीय परीक्षा अथवा लेखा की परीक्षा में उत्तीर्ण होना बिलकुल आवश्यक नहीं है। इसे समस्त मुख्य वन संरक्षक को और डिविजन वन अधिकारियों को संसूचित किया गया था कि वित्त विभाग के निर्णय के मुताबिक, समयबद्ध प्रोन्नति के प्रदान के प्रयोजन से विभागीय परीक्षा अथवा लेखा की परीक्षा में उत्तीर्ण होना बिलकुल आवश्यक नहीं है। वन प्रधान मुख्य संरक्षक, बिहार, राँची ने दिनांक 19.3.1996 के अपने पत्र सं० 1203 के तहत समस्त संबंधत अधिकारियों को सूचित किया कि यदि किसी कर्मचारी ने अध्यपेक्षित सेवावधि पूरा किया है और उसे एक भी प्रोन्नति नहीं दिया गया है, तब वह समयबद्ध प्रोन्नति का हकदार होगा क्योंकि यह उसके काम की प्रकृति नहीं बदलता है।

याचीगण का यह विनिर्दिष्ट मामला है कि उन्हें उनके सेवावधि के दौरान एक भी प्रोन्नति प्रदान नहीं किया गया था। याची सं०1 को दिनांक 15.2.1996 के मेमो सं० 173 में यथा अंतर्विष्ट कार्यालय आदेश सं० 10 द्वारा 24.9.1995 के प्रभाव से प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति प्रदान किया गया था और याची सं०2 को दिनांक 7.9.1996 के मेमो सं० 2907 में यथा अंतर्विष्ट कार्यालय आदेश सं० 138 द्वारा 9.10.1995 के प्रभाव से प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति प्रदान किया गया था और दोनों 1400–40–1800-50–2300 रुपयों के वेतनमान में थे। याचीगण एवं अन्य समस्थित व्यक्ति भी अपनी प्रथम समयद्ध प्रोन्नति के वित्तीय लाभ सहित लाभ पा रहे थे। याचीगण वन संरक्षक, हजारीबाग सर्किल, हजारीबाग के हस्ताक्षर के अधीन जारी कार्यालय आदेश सं० 128, मेमो सं० 3693, दिनांकित 25.8.2005 (परिशिष्ट 6) जारी किए जाने से व्यथित हैं जिसके द्वारा याचीगण को प्रदान की गयी प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति इस आधार पर कि वे लेखा की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए थे, एक किश्त में प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति की ओर उनको भुगतान किए गए संपूर्ण वेतन/राशि वसूल करने के आगे निर्देश के साथ रद्द कर दी गयी थी।

प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति के रद्दकरण एवं वसूली के आदेश से व्यथित होकर याचीगण इस न्यायालय के पास आए हैं।

4. श्री समावेश भंज देव, श्री विकास कुमार एवं सुश्री शताक्षी द्वारा सहायित याचीगण के विद्वान अधिवक्ता सुश्री रितु कुमार आग्रह करती हैं कि प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति के रद्दकरण का और प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति की ओर उनको भुगतान की गयी राशि की वसूली का आदेश पारित करने में प्रत्यर्थियों की कार्रवाई विधि की दृष्टि में मान्य नहीं है। प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना दस वर्ष से अधिक बाद याचीगण को प्रदान की गयी प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति के रद्दकरण का आदेश पारित किया है। विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क करती हैं कि दिनांक 14.6.1988 के पत्र सं० 3345 एवं दिनांक 19.3.1996 के पत्र सं० 1203, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, राँची द्वारा जारी किया गया था, की दृष्टि में विभागीय परीक्षा में उर्त्तीर्ण होना आवश्यकता नहीं थी। अपना तर्क पुख्ता करने के लिए विद्वान अधिवक्ता ने

(i) ***dnkj izlkn flag cuke fcgkj jkT; ,o vU;] lhO MCyO tsO lhO lO 42 o"kZ 1989(R) vkj***

(ii) mn;dkr >k ,o vU; cuke fcgkj jkT; ,o vU; (lhO MCyO tO lhO lO 1824 o"k 1995(R)

में इस न्यायालय के आदेश पर विश्वास किया है।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि पूर्वोक्त निर्णयों में अधिकथित निर्णयाधार की दृष्टि में, लेखा की परीक्षा में उत्तीर्ण होना समयबद्ध प्रोन्नति के लाभ के लिए आवश्यकता नहीं थी और इस दशा में, समयबद्ध प्रोन्नति के रद्दकरण पर आधारित वसूली का आदेश न्यायोचित नहीं है और अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

5. समानान्तर स्तंभ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है।

विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री हिमांशु कुमार मेहता ने याचीगण के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद का जोरदार विरोध किया और आगे तर्क किया कि बिहार बोर्ड विविध नियमावली, 1958 के नियम 157(3) की दृष्टि में लेखा की परीक्षा में उत्तीर्ण होना प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति के प्रदान के लिए अनिवार्य है। विद्वान ए०ए०जी० ने आक्षेपित आदेश को न्यायोचित ठहराया और तर्क किया कि गलत रूप से प्रदान किए गए किसी प्रोन्नति को रद्द किया जा सकता है यदि यह पाया जाता है कि इसे नियमावली का अनुसरण किए बिना प्रदान किया गया है।

6. चाहे जो भी हो, पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों को सुनने पर इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि याचीगण के मामला पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अभिलेख पर मौजूद प्रासंगिक तात्विक तथ्यों के परिशीलन से, यह स्पष्ट है कि प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1995 के प्रभाव से प्रदान की गयी थी जिसे वर्ष 2005 में रद्द किया गया है अर्थात इसके प्रदान के 10 वर्ष से भी अधिक बाद जब याचीगण की ओर से कपट अथवा दुर्व्यपदेशन का अभिकथन नहीं था।

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं डिविजनल वन अधिकारियों को जारी संसूचना को निर्दिष्ट किया है कि वन एवं पर्यावरण विभाग के दिनांक 3.5.1988 के पत्र सं० 1997 की दृष्टि में वित्त विभाग के आदेशों के मुताबिक समयबद्ध प्रोन्नति के प्रयोजन से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आवश्यकता आज्ञापक नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में वर्ष 1995 में प्रदान किया गया प्रोन्नति प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा 10 वर्ष बाद प्रतिसंहृत नहीं किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण किए बिना सिविल परिणामों वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

मैं पाता हूँ कि वर्तमान मामला **कुशेश्वर नाथ पांडे बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2013)12 SCC 580** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयाधार द्वारा पूर्णतः आच्छादित है जिसमें प्रत्यर्थी बिहार राज्य द्वारा 11 वर्ष पहले प्रदान किए गए समयबद्ध प्रोन्नति का रद्दकरण पूर्णतः अन्यायोचित पाया गया था। समरूप परिस्थितियों में, **एस० नसीमुद्दीन बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य,** (2014)4 JLJR 70, में जब उक्त व्यक्ति को वन एवं पर्यावरण विभाग के अधीन सहायक के पद पर 1 मार्च, 1987 के प्रभाव से प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति प्रदान किया गया था, ऐसी समयबद्ध प्रोन्नति का निरसन इप्सित करते हुए वर्ष 2010 में जारी कारण बताओ नोटिस **कुशेश्वर नाथ पांडे (ऊपर)** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयाधार का अनुसरण करते हुए न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।

7. वर्तमान मामले में यह पाया गया है कि लंबे समय बाद समयबद्ध प्रोन्नति का रद्दकरण याचीगण पर कठिनाई कारित करेगा जब स्वीकृत रूप से उनकी ओर से कपट अथवा दुर्व्यपदेशन नहीं पाया गया

और इस दशा में उनको प्रदान की गयी समयबद्ध प्रोन्नति रद्द करते हुए और 10 वर्षों से अधिक बाद राशि की वसूली प्रभावी बनाते हुए प्रत्यर्थियों का निर्णय मान्य ठहराना असाम्यापूर्ण होगा यद्यपि प्रतिशपथ पत्र में विनिर्दिष्टत: कहा गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की दृष्टि में राशि वसूल नहीं की गयी है। अत:, **कुशेश्वर नाथ पांडे (ऊपर)** में अधिकथित निर्णयाधार का अनुसरण करते हुए और **नौरमी टोप्पो बनाम बिहार राज्य** में पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय की दृष्टि में भी आक्षेपित आदेशों को विधि की दृष्टि में समुचित एवं साम्यापूर्ण अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है।

8. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों, नियमों, दिशानिर्देशों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि दिनांक 21.10.2008 के मेमो सं॰ 3246 एवं 3245 में यथा अंतर्विष्ट आक्षेपित कार्यालय आदेश सं॰ 90 एवं 89 (क्रमश: परिशिष्ट 10 एवं 11) और दिनांक 25.8.2005 के मेमो सं॰ 3693 में यथा अंतर्विष्ट कार्यालय आदेश सं॰ 128 (परिशिष्ट 6) एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है। परिणामस्वरूप, याचीगण से क्रमश: 1,10,686/- रुपयों तथा 1,04,075/- रुपयों की वसूली का आदेश भी अभिखंडित किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आक्षेपित आदेश के अनुसरण में राशि वसूल नहीं की गयी है, इसे वसूल नहीं किया जाएगा और यदि कोई राशि वसूल की गयी है, इसे इस आदेश की प्राप्ति/प्रस्तुती की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर याचीगण को वापस किया जाएगा।

तद्नुसार रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

अशोक कुमार सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 2746 of 2015. Decided on 1st November, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 6 नियम 17–अभिवचनों का संशोधन–न्यायालय का प्राथमिक उद्देश्य मामला को इसके गुणागुण पर विनिश्चित करना है और इसके लिए न्यायालय के समक्ष सच्चे तथ्यों को लाना आवश्यक है और इस प्रकार न्यायालय को अपने अभिवचनों को संशोधित करने के लिए पक्ष को अनुमति प्रदान करने का स्वविवेक मुख्यत: दो शर्तों पर है, प्रथमत:, दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और द्वितीयत: पक्षों के बीच विवादित वास्तविक प्रश्न विनिश्चित करने के प्रयोजन से संशोधन आवश्यक है–किंतु, विचारण आरंभ होने के बाद संशोधन के लिए आवेदन अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए जब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं आता है कि सम्यक तत्परता के बावजूद पक्ष विचारण आरंभ होने के पहले मामला उठा नहीं सका था। (पैरा 9)

निर्णयज विधि.–(2012) 2 SCC 300—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Yogesh Modi, For the Petitioner; Mr. Radha Krishan Gupta, For the Resp.-State.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका भूमि अर्जन मामला सं॰ 32 वर्ष 2008-09 से उद्भूत होने वाले भूमि अर्जन निर्देश केस सं॰ 24 वर्ष 2013 में भूमि अर्जन न्यायाधीश, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 12.5.2015

के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सि॰ प्र॰ सं॰') के आदेश VI नियम 17 सहपठित धारा 151 के अधीन आवेदन के संशोधन के लिए दाखिल दिनांक 1.9.2014 का आवेदन खारिज कर दिया।

3. याची द्वारा यथाकथित मामले की ताथ्यिक पृष्ठभूमि यह है कि मौजा धनबाद, मौजा सं॰ 51, खाता सं॰ 38(121) भूखंड सं॰ 1577 क्षेत्रफल 1/2 डिसमिल, भूखंड सं॰ 1579 क्षेत्रफल 4.5 डिसमिल तथा भूखंड सं॰ 1585 क्षेत्रफल 1 डिसमिल (इसमें इसके बाद ''उक्त भूमि'' कहा गया) अवस्थित याची की भूमि झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकारी, धनबाद द्वारा रिंग रोड के निर्माण के प्रयोजन से अर्जित की जानी थी और उस प्रयोजन से दिनांक 12.5.2011 की अधिसूचना सं॰ 392 उपायुक्त, धनबाद द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गयी थी। याची को जानकारी हुई कि उक्त भूमि अर्जित की गयी थी और प्राइवेट प्रत्यर्थियों के पक्ष में 76,60,800/– रुपयों के लिए अधिनिर्णय सं॰ 19 गलत रूप से दिया गया था। याची ने उस व्यक्ति जो मुआवजा के भुगतान का हकदार है के विनिश्चयकरण के लिए और अर्जित भूमि के समुचित मुआवजा के विनिश्चयकरण के लिए भी भूमि अर्जन निर्देश केस सं॰ 24 वर्ष 2013 के तहत भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (संक्षेप में ''एल॰ए॰ अधिनियम'') की धारा 18/30 के अधीन आपत्ति दाखिल किया जिसे बाद में भूमि अर्जन न्यायाधीश, धनबाद को निर्दिष्ट किया गया था और निर्देश केस सं॰ 24 वर्ष 2013 के रूप में दर्ज किया गया था। प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी किए गए थे और इस बीच याची ने सी॰पी॰सी॰ के आदेश VI नियम 17 सहपठित धारा 151 के अधीन निर्देश आवेदन में संशोधन के लिए यह कथन करते हुए याचिका दाखिल किया कि अनवधानता के कारण भूखंड सं॰ 1585 क्षेत्रफल 1 डिसमिल अनुसूची भाग में सम्मिलित नहीं किया गया है। विद्वान भूमि अर्जन न्यायाधीश ने दिनांक 12.5.2015 के आक्षेपित आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए कि याची ऐसी भूमि सम्मिलित करने का प्रयास कर रहा है जिसे मूल निर्देश में सम्मिलित नहीं किया गया था, संशोधन के लिए आवेदन अस्वीकार किया।

4. याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि अवर न्यायालय विनिर्दिष्ट निष्कर्ष पर आया कि भूखंड सं॰ 1585 के अधीन भूमि भी अधिनिर्णय सं॰ 19 की विषय वस्तु है, संशोधन आवेदन गलत आधार पर अस्वीकार किया गया है कि याची ने नया तथ्य पुर:स्थापित करना इप्सित किया जो विधि में अनुज्ञेय नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि यह सुस्थापित विधि है कि न्यायालय को अभिवचनों के संशोधन के लिए प्रार्थना प्रदान करने में उदार होना चाहिए जबतक दूसरे पक्ष के साथ गंभीर अन्याय अथवा अपूरणीय हानि कारित नहीं होती है अथवा इस आधार पर संशोधन के लिए प्रार्थना सद्भावपूर्ण नहीं थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि उसी वाद हेतुक से अतिरिक्त अनुतोष जोड़ने के लिए इप्सित संशोधन विधि के अधीन अनुज्ञेय है। यह भी निवेदन किया गया है कि संशोधन वाद कार्यवाही के अत्यन्त आर्रभिक चरण पर इप्सित किया गया था और प्रस्तावित संशोधन उसी वाद हेतुक अर्थात अधिनिर्णय सं॰ 19 से उद्भूत होने वाले पक्षों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्न के विनिश्चय के लिए आवश्यक है।

5. उन पर नोटिस तामील किए जाने के बावजूद प्रत्यर्थी सं॰2 से 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। दिनांक 28.6.2016 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी सं॰2 से 4 के इस मामला में उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया गया था। किंतु, प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता याची के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवादों का विरोध करते हुए निवेदन करते हैं कि विद्वान अवर न्यायालय ने सही प्रकार

से याची की संशोधन याचिका इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रस्तावित संशोधन द्वारा याची ने नए तथ्य की पुर:स्थापना इप्सित किया जो विधि में अनुज्ञेय नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि भूखंड सं॰ 1585 याची के मूल निर्देश आवेदन में सम्मिलित नहीं की गयी थी, अत: संशोधन के रूप में इसे अंत:स्थापित नहीं किया जा सकता है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया गया। याची द्वारा दावा किया गया है कि उसकी भूमि रिंग रोड के निर्माण के प्रयोजन से अर्जित की गयी है। किंतु, अर्जन के बदले मुआवजा के भुगतान के लिए अधिनिर्णय प्राइवेट प्रत्यर्थियों के पक्ष में तैयार किया गया था और इस दशा में एल॰ए॰ अधिनियम की धारा 18/30 के अधीन आपत्ति दाखिल की गयी थी। जब मामला प्रत्यर्थियों की उपस्थिति के लिए लंबित था, याची ने कथन करते हुए कि अनवधानता के कारण भूखंड सं॰1585 क्षेत्रफल 1 डिसमिल अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, निर्देश आवेदन में संशोधन के लिए याचिका दाखिल किया और इस दशा में इसे सम्मिलित करने की अनुमति दी जा सकती है। किंतु, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त संशोधन आवेदन अस्वीकार किया गया था।

7. मामले के गुणागुण पर आने के पहले, दिनांक 1 जुलाई, 2002 के प्रभाव से अधिनियम 22 वर्ष 2002 द्वारा प्रतिस्थापित सी॰पी॰सी॰ के आदेश VI नियम 17 के प्रावधानों पर चर्चा करना प्रासंगिक होगा जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"17. **vfHkopu dk l'kks/ku-**&U;k;ky; nkuk e l fdlh Hkh i{kdkj dk dk;okfg;k d fdlh Hkh çØe e vuKk n ldxk fd og viu vfHkopuk dk ,lh jhfr l vkj ,l fucèkuk ij] tk U;k; lxr gk] ifjofrr dj ;k l'kks/ku fd, tk,x tk i{kdkjk d chp e fooknxLr okLrfod ç'uk d voèkkj.k d ç;ktu d fy, vko';d gk% ijUr fopkj.k d çkjEHk gku d mijkUr l'kks/ku d fy, çkFkuk dh vuefr rc rd ugh nh tk,xh tc rd fd U;k;ky; bl fu.k; ij u igp fd mfpr rhijrk d mijkUr Hkh i{k fopkj.k çkjEHk gku l io ekeyk ugh mBk ik;kA***

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जे॰ सैमुअल एवं अन्य बनाम गट्टू महेश एवं अन्य, (2012)2 SCC 300 [: 2012 (2) JLJ 215 (SC)],** मामले में सी॰पी॰सी॰ के आदेश VI नियम 17 के संशोधित प्रावधान के उद्देश्य एवं प्रयोजन पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

> *"18. U;k;ky; dk çe[k y{; x.kkx.kk ij ekey dk fopkj.k djuk g vkj ;g lfuf'pr djuk g fd U;k; dk ç'kklu cuk jgA bld fy, ;g vko';d g fd U;k;ky; d le{k ekey d lgh rF;k dk çLrr fd;k tk, rkfd viu fu.k; ij vku d fy, U;k;ky; dh igp leLr çklfxd lpuk rd gkA vr% dHkh&dHkh bl i{kk dk viuk okni= l'kks/ku dju dh vuefr nu dh vko';drk gkrh gA viu vfHkopuk dk l'kks/ku dju d fy, i{kk dk vuefr nu dk U;k;ky; dk Lofood nk 'krk ij vkèkkfjr g] çFker% nlj i{k d lkFk dkb vU;k; u gk vkj f}rh;r%] i{kk d chp fooknxLr okLrfod ç'u dk voèkkfjr dju d ç;ktu l l'kks/ku vko';d gkA fdr] U;k; dju d vulj.k e i{kk d fgr dk lrfyr j[ku d fy, ijUrd tkMk x;k g tk Li"Vr% dFku djrk g fd% ^^----- fopkj.k vkjHk gk tku d ckn l'kks/ku d fy, vkonu dh vuefr rc rd ugh nh tk,xh tcrd U;k;ky; bl fu"d"k ij ugh vkrk g fd lE;d rhijrk d ckotn i{kdkj fopkj.k vkjHk gku d igy ekeyk ugh mBk ldk FkkA** ¼tkj Mkyk x;k½*

9. जे॰ सैमुअल (ऊपर) मामला में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिशीलन पर, यह सामने आएगा कि न्यायालय का मुख्य उद्देश्य मामला को इसके गुणागुण पर विनिश्चित करना

है और इसलिए न्यायालय के समक्ष सच्चे तथ्यों को लाना आवश्यक है और इस प्रकार न्यायालय को अपने अभिवचनों के संशोधन के लिए पक्ष को अनुमति प्रदान करने का स्वविवेक मुख्यत: दो शर्तों पर है: प्रथमत:, दूसरे पक्ष के साथ अन्याय न हो और द्वितीयत: पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्न को विनिश्चय करने के प्रयोजन से संशोधन आवश्यक है। किंतु, पक्षों के बीच समतुल्यता बनाए रखने के लिए सी०पी०सी० के आदेश VI नियम 17 परन्तुक महत्वपूर्ण है, जो विनिर्दिष्टत: प्रावधानित करता है कि विचारण आरंभ होने के बाद संशोधन के लिए आवेदन अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए जब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं आता है कि सम्यक तत्परता के बावजूद पक्ष विचारण के आरंभ होने के पहले मामला नहीं उठा सका था। वर्तमान मामला में, भूमि अर्जन निर्देश केस सं० 24 वर्ष 2013 के निर्देश आवेदन से यह स्पष्ट है कि स्वयं पैरा 3 में इस प्रकथन के साथ कि भूमि नीचे दी गयी अनुसूची में अधिक पूर्णत: वर्णित की गयी है किंतु अनुसूची में भूखंड सं० 1585 क्षेत्रफल 1 डिसमिल के बारे में उल्लेख नहीं है जो अनवधानी के कारण गायब प्रतीत होता है, भूखंड सं० 1585 क्षेत्रफल 1 डिसमिल का विवरण सम्मिलित किया गया था। याची ने तुरन्त अपनी गलती समझने के बाद प्रत्यर्थियों की उपस्थिति के पहले ही संशोधन आवेदन दाखिल किया था जो मामला में उसकी सम्यक तत्परता दर्शाता है। यह भी प्रकट है कि विद्वान अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में संप्रेक्षित किया है कि भूखंड सं० 1585 क्षेत्रफल 1 डिसमिल भी अधिनिर्णय सं० 19 का भाग है। याची द्वारा दावा किया गया है कि उसने उक्त भूमि रजिस्टर्ड दान विलेख के फलस्वरूप अर्जित की है और वह इस पर काबिज था। इसके अतिरिक्त, उसके नाम में जमाबन्दी भी चल रही थी। नोटिस के तामील के बावजूद प्राइवेट प्रत्यर्थीगण याचीगण के तात्थिक बयानों को खंडित करने के लिए और यह दर्शाने के लिए कि प्रश्नगत संशोधन याचिका अनुज्ञात करने में उनपर कौन सी प्रतिकूलता कारित होगी, उपस्थित नहीं हुए हैं।

10. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, भूमि अर्जन मामला सं० 32 वर्ष 2008-09 से उद्‌भूत होने वाले भूमि अर्जन निर्देश मामला सं० 24 वर्ष 2013 में विद्वान भूमि अर्जन न्यायाधीश, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 12.5.2015 का आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है।

11. तद्नुसार, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; MkW ,l ,u ikBd] U;k;efr

सुनील कुमार

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S). No. 6558 of 2016. Decided on 1st November, 2017.

विद्यालय विधि–अंतरण–याची कतिपय अभिकथन पर स्थानांतरित किया गया है और इस दशा में, आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में मान्य नहीं है–स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किया जा सकता है यदि यह दंडात्मक प्रकृति का है–याची के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ करने की छूट प्रत्यर्थियों को थी यदि याची के विरुद्ध कोई अभिकथन सत्य पाया गया हो–स्थानांतरण आदेश सेवा की घटना है जिसे कर्मचारी द्वारा विवादित नहीं किया जा सकता है और कर्मचारी

को स्थान विशेष पर बने रहने का अधिकार नहीं है–वर्तमान मामला में स्थानांतरण आदेश विधि के सांविधिक प्रावधानों के विरूद्ध पारित किया गया है–स्थानांतरण आदेश सामग्री पर पारित किया गया था जो विद्यमान नहीं थी–आदेश न केवल विवेक के गैर इस्तेमाल से पीड़ित हैं बल्कि विधि में द्वेष से भी पीड़ित है और इस दशा में आक्षेपित आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है। (पैरा 6)

निर्णयज विधि.–(2009) 2 SCC 592; 2014 (4) JBCJ 105 (HC) : 2013(4) JLJR 201—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Manoj Tandon, Ranesh Anand, For the Petitioner; Mr. Navin Kumar Singh, For the Respondents.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के जी०ए०III के जे०सी० सुने गए।

2. याची जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद (प्रत्यर्थी सं०4) द्वारा पारित दिनांक 29.10.2016 के स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के पास आया है जिसके द्वारा याची को अभिकथन के आधार पर मध्य विद्यालय, आरक्षी केन्द्र, अंचल–नगरपालिका, धनबाद के प्रभारी प्रधानाचार्य के पद से प्राथमिक विद्यालय, दुमा, अंचल–टूंडी पूर्व स्थानांतरित किया गया है।

3. रिट याचिका में प्रकट किए गए तथ्य ये हैं कि याची को 14.11.1994 को नियुक्त किया गया था और तब से वह इमानदारीपूर्वक, तत्परतापूर्वक एवं समस्त संबंधित की संतुष्टि के प्रति काम कर रहा है जहाँ उसे पदस्थापित किया गया था। पहले याची को चिरगोदा, धनबाद में पदस्थापित किया गया था। चूँकि याची अत्यन्त कठिनाई एवं मुश्किल का सामना कर रहा था, उसने अपने को अपने निवास के निकट स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए उपायुक्त, धनबाद को अभ्यावेदन दिया। इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया था और याची को दिनांक 22.2.2012 के आदेश के तहत मध्य विद्यालय, आरक्षी केंद्र, धनबाद स्थानांतरित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में, याची ने 17.1.2013 को इस स्थानांतरित स्थान पर पदग्रहण किया। तत्पश्चात, याची को दिनांक 9.11.2015 के आदेश के तहत अनथ विद्यालय, हीरापुर, धनबाद में प्रतिनियुक्त किया गया था। क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी, धनबाद द्वारा जारी दिनांक 9.11.2015 के एक अन्य कार्यालय आदेश के तहत याची को मध्य विद्यालय, आरक्षी केन्द्र, धनबाद का प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया गया था और याची को तुरन्त के प्रभाव के साथ याची की प्रतिनियुक्ति का आदेश रद्द करके अपने मूल विद्यालय वापस भेजा गया था और आदेश के अनुपालन में याची ने उक्त विद्यालय में पदग्रहण किया। अचानक याची को कतिपय अभिकथन/आरोप पर कि याची ने स्वयं अपने हित में और विद्यालय में बनायी रखी गयी शांति को अस्तव्यस्त करने तथा उसके शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ने की दृष्टि से प्रभारी प्रधानाचार्य का प्रभार लिया, 29.10.2016 को मध्य विद्यालय, आरक्षी केन्द्र अंचल नगरपालिका धनबाद से प्राथमिक विद्यालय, दूमा, अंचल पूर्वी टूडी स्थानांतरित किया गया है। ऐसे स्थानांतरण आदेश की प्राप्ति पर, याची ने तुरन्त अपने स्थानांतरण के संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद और उपायुक्त, धनबाद को अभ्यावेदन दिया और अन्य बातों के साथ कथन किया कि प्रभारी प्रधानाचार्य का प्रभार लेने में उसका अपना हित अंतर्ग्रस्त नहीं था, बल्कि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में था, जैसा याची द्वारा प्रस्तुत दिनांक 4.11.2016 के अभ्यावेदनों से स्पष्ट होगा। चूँकि याची के अभ्यावेदनों पर आदेश पारित नहीं किया गया है, याची उक्त आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के पास आया है।

4. याची के लिए उपस्थित श्री रनेश आनन्द द्वारा की गई सहायता से विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज टंडन आग्रह करते है कि स्थानांतरण आदेश इस आधार पर अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है कि यह प्रथम दृष्टया दंडात्मक प्रकृति का है। स्थानांतरण आदेश दंड के बदले पारित किया गया है, क्योंकि यह अभिकथन पर आधारित है, जो स्वयं आक्षेपित आदेश से स्पष्ट है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि निश्चय ही याची को स्थान विशेष पर बने रहने का अधिकार नहीं है किंतु साथ साथ ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है जो दंडात्मक प्रकृति का है और इस दशा में, स्थानांतरण आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है। आदेश विधि की दृष्टि में अविद्यमान है और इसे प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए और इस दशा में प्रत्यर्थियों को उक्त आदेश समाप्त करने का और याची को अपने मूल स्थान वापस भेजने का निर्देश दिया जाए। अपने तर्क के समर्थन में, याची के विद्वान अधिवक्ता ने **सोमेश तिवारी बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2009)2 SCC 592,** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और **मिथिलेश कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** 2013(4) JLJR 201 **[2013 (4) JBCJ 105 (HC)]** में इस न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है।

5. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थियों द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रत्यर्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन कुमार सिंह याची के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद का जोरदार विरोध करते हैं और तर्क करते हैं कि किसी भी रूप में यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त आदेश दंडात्मक प्रकृति का है क्योंकि आदेश में विनिर्दिष्टत: उल्लेख किया गया है कि स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। विद्वान अधिवक्ता न्यायालय का ध्यान प्रतिशपथ पत्र के अनेक पैराग्राफों की ओर आकृष्ट करते हैं और तर्क करते हैं कि प्रशासनिक कारणों पर याची स्थानांतरित किया गया है क्योंकि स्थानांतरण किए गए विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध नहीं था और इस दशा में, याची स्थानांतरित किया गया था ताकि उस विद्यालय के छात्र शिक्षक की अनुपस्थिति से पीड़ित नहीं हो सके। किंतु प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह विवादित नहीं किया गया था कि याची के विरूद्ध कतिपय अभिकथन किए गए थे और जाँच की गयी थी जिसमें याची को आरोप का दोषी पाया गया था और इस दशा में, यह स्थानांतरण आदेश न्यायोचित ठहराते हैं।

6. चाहे जो भी हो; पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने पर इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि स्वयं आक्षेपित आदेश से यह प्रकट है कि याची को कतिपय अभिकथनों पर स्थानांतरित किया गया है और इस दशा में आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में मान्य नहीं है। अनेक निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किया जा सकता है यदि यह दंडात्मक प्रकृति का है, याची के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ करने की छूट प्रत्यर्थियों को थी, यदि याची के विरूद्ध कोई अभिकथन सत्य पाया गया था। स्वीकृत रूप से, स्थानांतरण आदेश सेवा की घटना है, जिसे कर्मचारी द्वारा विवादित नहीं किया जा सकता है और कर्मचारी को स्थान विशेष पर बने रहने का अधिकार नहीं है, किंतु वर्तमान मामला में स्थानांतरण आदेश विधि के सांविधिक प्रावधानों के विरूद्ध दाखिल किया गया है। न्यायालय ऐसे अवैध स्थानांतरण आदेश को अनदेखा नहीं कर सकता है जो दंडात्मक प्रकृति का है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सोमेश तिवारी बनाम भारत संघ एवं अन्य (ऊपर)** में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^16- fufooknr% LFkkukarj.k vkn'k i'kklfud vkn'k gA ble fdlh Hkh idkj dk lng ugh gk ldrk g fd LFkkukarj.k tk lkekU;r% lok dh ?kVuk g e gLr{ki ugh fd;k tkuk pkfg, flok, mu ekeyk d tgk vU; ckrk d lkFk lkFk ikfèkdkjh dh vkj l vlnHkko fl) fd;k x;k gA vlnHkko nk idkj dk g& ,d*

*rF; e }"k rFkk nljk fofèk e }"kA i'uxr vkn'k fofèk e }"k dk fl)kr vkd"V djxkA D;kfd ;g LFkkukrj.k vkn'k ikfjr dju d fy, mi;Dr fdlh dkjd ij vkèkkfjr ugh Fkk vkj vikIfxd vkèkkj ij vFkkr vuke ifjokn e vihykFkh d fo:) fd, x, vfHkdFkuk ij vkèkkfjr FkkA ;g dguk ,d pht g fd fu;kDrk i'kkIfud vR;ko';drk e LFkkukrj.k vkn'k ikfjr dju dk gdnkj g fdr ;g dguk nljh pht g fd LFkkukrj.k vkn'k nM d :i e vFkok bld cny ikfjr fd;k x;k FkkA tc LFkkukrj.k vkn'k nM d cny ikfjr fd;k tkrk g] ;g i.kr% voèk gku d ukr vikLr fd, tku dk nk;h gA***

वर्तमान मामले में, उसके विरूद्ध निगरानी जाँच आरंभ नहीं की गयी थी। स्थानांतरण आदेश ऐसी सामग्री पर पारित किया गया था जो विद्यमान नहीं थी। अतः, आदेश न केवल विवेक के गैर इस्तेमाल से पीड़ित है बल्कि विधि में द्वेष से भी पीड़ित है और इस दशा में दिनांक 29.10.2016 का आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

7. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों, नियमों, दिशा निर्देशों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण मैं एतद् द्वारा दिनांक 29.10.2016 का स्थानांतरण आदेश अभिखंडित एवं अपास्त करता हूँ। प्रत्यर्थियों को उसके मूल स्थान में पुनर्बहाल करने के लिए याची के मामला पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है जहाँ याची दिनांक 29.10.2016 के स्थानांतरण आदेश के पहले पदस्थापित था। किंतु, प्रत्यर्थियों को उस विद्यालय विशेष, जहाँ याची पदस्थापित था और जहाँ कोई शिक्षक आज की तिथि पर उपलब्ध नहीं था, में किसी शिक्षक के स्थानांतरण का आदेश पारित करने तथा उसे पदस्थापित करने की छूट है।

8. परिणामस्वरूप, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; Mkñ ,l ñ ,uñ ikBd] U;k;efr

कमल कुमार पटनायक एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P.(S) No. 1074 of 2017. Decided on 6th November, 2017.

झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016–नियम 11–निलंबन अवधि के लिए वेतन से इनकार–दांडिक मामला में विमुक्ति–याचीगण को दांडिक मामला में और विभागीय कार्यवाही में भी पूर्णतः विमुक्त किया गया है–प्राधिकारियों का विनिर्दिष्ट निष्कर्ष है कि याचीगण के विरूद्ध किसी तात्विक तथ्य की अनुपस्थिति में, विभागीय कार्यवाही भी आरंभ नहीं की जा सकती है और इस दशा में वे निलंबन की अवधि के पूर्ण वेतन के हकदार हैं–निर्वाह भत्ता के मामले में जब निलंबन आदेश पारित किया गया है जिसमें अभिव्यक्त भाषा में उल्लिखित किया गया है कि याचीगण को मुख्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता है, तब इसका अनुसरण किया जाना होगा और याचीगण निर्वाह भत्ता के हकदार हैं–वर्तमान मामला में याचीगण को जाँच में पूर्णतः विमुक्त किया गया है और इस दशा में वे उक्त अवधि के वेतन के पूर्णतः हकदार हैं। (पैरा 6)

अधिवक्तागण.–M/s Anil Kumar Sinha, Raunak Sahay, For the Petitioners; Mr. R.K. Shahi, For the Respondents.

आदेश

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याचीगण दिनांक 20.2.2014 एवं 19.2.2014 के आदेशों के अभिखंडन की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के पास आए हैं जिसके द्वारा प्रत्यर्थियों ने विमुक्ति के बाद पूर्ण वेतन के संबंध में याचीगण का दावा अस्वीकार कर दिया है।

3. ताथ्यिक मैट्रिक्स संक्षेप में ये हैं कि याची सं०1 सी०ओ०, दालभूमगढ़ के कार्यालय में सहायक के रूप में कार्यरत है और याची सं०2 चकुलिया प्रखंड में हेड क्लर्क के रूप में कार्यरत है। आगे यह कथन किया गया है कि भा०दं०सं० की धाराओं 467, 468, 471, 420, 408, 409, 120B, 34 के अधीन जी०आर० सं० 2144 वर्ष 2009 के तत्सम दिनांक 23.8.2009 के पोटका पी०एस० केस सं० 60 वर्ष 2009 के विरूद्ध दांडिक मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने अन्वेषण के बाद फाइनल फॉर्म के तहत याचीगण के विरूद्ध कोई सामग्री नहीं पाया था और न्यायालय ने 4.4.2014 को सूचक को सुनने के बाद फाइनल फॉर्म स्वीकार किया और याचीगण को विमुक्त कर दिया। याचीगण को दिनांक 8.8.2009 के पत्र के तहत दांडिक मामला लंबित रहने के दौरान निलंबनाधीन किया गया था। यह विनिर्दिष्टत: उल्लिखित किया गया था कि दिनांक 20.2.2014 तथा 19.2.2014 के आदेश के तहत, पुलिस रिपोर्ट के परिशीलन के बाद, निलंबन आदेश वापस किया गया था और वेतन तथा अन्य भत्ता के संबंध में आगे आदेश केवल विभागीय कार्यवाही के समापन के बाद पारित किया जाएगा। याचीगण का यह विनिर्दिष्ट मामला है कि 3.5.2016 को निर्णय किया गया था कि याचीगण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ करने के लिए सामग्री नहीं है और तद्नुसार, यह विनिश्चित किया गया था कि विभागीय कार्यवाही आरंभ किए जाने की आवश्यकता नहीं है और निलंबन अवधि कर्तव्य पर माना जाए और तद्नुसार, याचीगण निलंबन अवधि के पूर्ण भुगतान के लिए हकदार हैं। तत्पश्चात, याचीगण ने 8.9.2009 से 18.2.2014 की अवधि के लिए याचीगण के संपूर्ण देयों के भुगतान के लिए संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष आवेदन दिया, जब उन्हें निलंबन के अधीन किया गया था, चूँकि याचीगण को निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किया गया था। चूँकि याचीगण का अभ्यावेदन दिनांक 19.12.2016 के मेमो सं० 1198 एवं 1199 के तहत इस आधार पर अस्वीकार किया गया था कि चूँकि निलंबन अवधि के दौरान याची द्वारा उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था, वे किसी भुगतान के हकदार नहीं हैं।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रौनक सहाय द्वारा सहायित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा आग्रह करते हैं कि चूँकि याचीगण को दांडिक मामला तथा विभागीय कार्यवाही में पूर्णत: विमुक्त किया गया है, वे निलंबन अवधि के दौरान पूर्ण वेतन के हकदार हैं। विद्वान वरीय अधिवक्ता आगे तर्क करते हैं कि चूँकि याचीगण के विरूद्ध सामग्री नहीं थी, विभागीय कार्यवाही आरंभ करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे निष्कर्ष की दृष्टि में और झारखंड सेवा संहिता के नियम 97(2) की दृष्टि में, याचीगण उक्त अवधि के वेतन के लिए पूर्णत: हकदार हैं। विद्वान वरीय अधिवक्ता प्रत्यर्थियों द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हैं और निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थीगण ने अवैध एवं मनमाने रूप से झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 को विचार में लिया है और याचीगण का मामला इस आधार पर अस्वीकार किया है कि उक्त नियमावली के नियम 10(b) के मुताबिक याचीगण हकदार नहीं हैं क्योंकि वे मुख्यालय में उपस्थित नहीं थे और

उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किया था। विद्वान वरीय अधिवक्ता तर्क करते हैं कि उक्त नियम 97(2) के विपरीत है और यह ऐसा मामला नहीं है कि याचीगण निर्वाह भत्ता की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के पास आए हैं। याचीगण को विभागीय कार्यवाही में एवं दांडिक कार्यवाही में भी पूर्णत: विमुक्त किया गया है और इस दशा में वे उस अवधि के वेतन के हकदार हैं। विद्वान अधिवक्ता **प्रसेनजीत घोष बनाम झारखंड राज्य, 2004(2) JCR 201,** में निर्णय पर भारी विश्वास करते हैं और निवेदन करते हैं कि पूर्वोक्त मामलों में पारित निर्णयों की दृष्टि में याचीगण 8.9.2009 में 18.2.2014 तक अर्थात निलंबन की अवधि के वेतन के पूर्ण हकदार हैं और इस दशा में उस अवधि के वेतन के भुगतान के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाए।

5. समानांतर स्तंभ में, प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। ए०ए०जी० के विद्वान जे०सी० श्री आर०के०शाही याचीगण के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद का जोरदार विरोध करते हैं और तर्क करते हैं कि याचीगण निलंबन अवधि के वेतन के लिए हकदार नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता न्यायालय का ध्यान झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 10(b) की ओर आकृष्ट करते हैं और तर्क करते हैं कि उस नियम की दृष्टि में याचीगण को मुख्यालय में उपस्थित होने की और उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है और उसकी अनुपस्थिति में, आक्षेपित आदेश सही प्रकार से पारित किया गया है। आक्षेपित आदेश न्यायोचित ठहराते हुए, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता तर्क करते हैं कि याचीगण निलंबन की अवधि के वेतन के हकदार नहीं हैं।

6. चाहे जो भी हो, पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने के बाद इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि याचीगण के मामला पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। याचीगण निलंबन की अवधि के वेतन के पूर्ण हकदार निम्नलिखित आधारों पर हैं:–

(i) याचीगण को दांडिक मामला एवं विभागीय कार्यवाही में पूर्णत: विमुक्त किया गया है।

(ii) प्राधिकारियों का विनिर्दिष्ट निष्कर्ष है कि याचीगण के विरूद्ध किसी तात्विक तथ्य की अनुपस्थिति में विभागीय कार्यवाही भी आरंभ नहीं की जा सकती है और इस दशा में वे निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन के हकदार हैं।

झारखंड सेवा संहिता का नियम 97(2) निम्नवत् पठित है:–

*97(2) tgk mifu;e (1) e mfYyf[kr çkfèkdkjh dk er g fd ljdkjh lod dk i.kr% foeDr dj fn;k x;k g] vFkok fuycu dh fLFkfr e] fd ;g i.kr% vU;k;kfpr Fkk] ljdkjh lod dk ijk oru vkj HkÙkk ft ldk og gdnkj gkrk ;fn ml ;FkkfLFkfr c[kkLr ugh fd;k tkrk] gVk;k ugh tkrk vFkok fuyfcr ugh fd;k tkrk] nuk gkxkA***

यही नियम झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 11 में स्थान पाता है। उक्त नियमावली के नियम 11(3) का पठन निम्नलिखित है:–

*"11.(3) tgk vu'kkfud ikfèkdkjh dh jk; g fd fuyEcu i.kr% vU;k;kfpr Fkk] bl fu;e d mi&fu;e (8) d ikoèkkuk d vè;èkhu] ljdkjh lod dk ,l i.k oru ,o HkÙkk dk Hkxrku fd;k tk;xk] ft ldk og gdnkj gkrk] vxj ml fuyfEcr ugh fd;k x;kA ,lk Hkxrku dju d vè;èkhu] igy l Hkxrku fd;k x;k fuokg HkÙkk rFkk vU; HkÙkk d lcèk e lek;k tu fd;k tk;xkA***

(iii) याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों का परिशीलन करने पर इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि ये याचीगण के मामला में पूर्णत: प्रयोज्य हैं। प्रत्यर्थियों को अपनी

सुविधानुसार नियम का पठन करने की छूट नहीं है। नियम जिसे प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्थापित किया गया है, पूर्णत: भ्रामक है। 2016 नियमावली के नियम 11(3) तथा झारखंड सेवा संहिता के नियम 97(2) के परिशीलन से यह सुस्पष्ट है कि जब कर्मचारी विमुक्त किया जाता है, यह पूर्ण वेतन का हकदार है। निर्वाह भत्ता के मामला में, जब निलंबन आदेश पारित किया गया है जिसमें अभिव्यक्त भाषा में उल्लिखित किया गया है कि याचीगण को मुख्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता है, तब इसका अनुसरण किया जाना होगा और याचीगण निर्वाह भत्ता के हकदार हैं। वर्तमान मामला में, याचीगण को जाँचों में पूर्णत: विमुक्त किया गया है और इस दशा में, वे उक्त अवधि के वेतन के पूर्ण हकदार हैं।

7. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों, नियमों, दिशा निर्देशों, न्यायिक उद्घोषणाओं तथा विधिक प्रतिपादनाओं के समेकित प्रभाव के कारण दिनांक 20.2.2014 तथा 19.2.2014 के आदेश, जिनके द्वारा प्रत्यर्थियों ने विमुक्ति के बाद पूर्ण वेतन के संबंध में याचीगण का मामला अस्वीकार किया है, एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किए जाते हैं। पूर्वोक्त आदेशों के अभिखंडन की दृष्टि में प्रत्यर्थी सं०2 को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुती की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर निलंबन अवधि अर्थात 8.9.2009 से 18.2.2014 तक की निलंबन अवधि के लिए संपूर्ण वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

8. परिणामस्वरूप, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

रघुवीर महतो एवं अन्य

cuke

चंद्र नाथ करमाली एवं अन्य

First Appeal No. 20 of 2004; I.A. Nos. 9174, 9166 of 2013, 1091, 1092, 2737 of 2014, 6920 of 2016, 5801, 5802, 5660, 5661 of 2017. Decided on 2nd November, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 22 नियम 3–ऐसी प्रकृति की अपील में जहाँ अपीलार्थियों एवं प्रत्यर्थियों की विशाल संख्या है, पक्षों में से एक या दूसरे की मृत्यु आकस्मिक संभाव्यता है जिसे यदि समय के भीतर उनका प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता के ध्यान में समुचित रूप से नहीं लाया जाता है, यह एक या दूसरे अपीलार्थियों/प्रत्यर्थियों के मुकाबले अपील के उपशमन की ओर ले जाती है–न्याय का हित बेहतर प्रकार से पूरा किया जाएगा यदि यथा प्रार्थित पक्षों के प्रतिस्थापन के लिए प्रार्थना अनुज्ञात की जाती है, अन्यथा, ऐसे वाद अपील में एक या दूसरे अपीलार्थी अथवा प्रत्यर्थी की मृत्यु के चलते, जहाँ पक्षों की विशाल संख्या है, गुणागुणों पर किसी निर्णय की ओर नहीं ले जाते हुए स्वयं अपील उपशमनित हो जा सकती थी। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Rajiv Ranjan Tiwary, For the Appellants; Mr. M.K. Dey, For the Respondents.

आदेश

अनेक अंतर्वर्ती आवेदनों पर आज अपील रखी गयी है। आई०ए०सं० 8683 वर्ष 2013 जिसे प्रत्यर्थियों द्वारा दाखिल किया गया है के सिवाए समस्त अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए हैं। अपीलार्थियों

की ओर से दाखिल विभिन्न अंतर्वर्ती आवेदन प्रभाव में एक या दूसरे अपीलार्थी अथवा प्रत्यर्थी का प्रतिस्थापन इप्सित कर रहे हैं जिनकी मृत्यु अपील लंबित रहने के दौरान हो गयी। कुछ आई०ए० में, अपीलार्थियों ने मृतक पक्षों का प्रतिस्थापन इप्सित करने के लिए उपशमन अपास्त किया जाना तथा विलंब की माफी भी इप्सित किया गया है।

2. आई०ए०सं० 8683 वर्ष 2013 के माध्यम से प्रत्यर्थियों ने अपील लंबित रहने के दौरान अनेक पक्षों की मृत्यु के कारण स्वयं अपील का उपशमन इप्सित किया है।

3. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता आरंभ में निवेदन करते हैं कि खुर्द जमीरा, पी०एस० रामगढ़, जिला हजारीबाग (अब रामगढ़) के संपूर्ण ग्रामीणों के विरूद्ध वादी/प्रत्यर्थियों द्वारा वाद दाखिल किया गया था। व्यथित प्रतिवादियों को वर्तमान अपील दाखिल करने का कारण देते हुए वादीगण के पक्ष में वाद डिक्री किया गया था। चूँकि अपीलार्थीगण ग्रामीणों की विशाल संख्या, कुल 57, थीं और वादीगण/प्रत्यर्थीगण भी बारह थे और अन्य प्रोफोर्मा प्रत्यर्थीगण 27 थे, अपील के लंबे समय से लंबित रहने के दौरान एक या दूसरे पक्ष की मृत्यु की संभावना सदैव संभाव्यता है जो अपीलार्थियों अथवा प्रत्यर्थियों के नियंत्रण में नहीं है। यही कारण है कि अपीलार्थियों अथवा प्रत्यर्थियों में से एक की मृत्यु सही रूप से ज्ञात नहीं थी अथवा अपील के लंबित रहने के दौरान पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले अभिवक्ता को सूचित नहीं की गयी थी। अत:, दिनांक 5.12.2013 के आदेश में दर्ज किया गया है कि अपीलार्थियों एवं प्रत्यर्थियों के लिए उपस्थित दोनों अधिवक्ताओं ने न्यायालय को सूचित किया कि कुछ अपीलार्थियों एवं प्रत्यर्थियों की मृत्यु हो गयी है किंतु उन्हें उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिस्थापित नहीं किए गए थे। सूचना की दृष्टि में, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को परस्पर अपीलार्थियों एवं प्रत्यर्थियों जो अब जीवित नहीं हैं के संबंध में विवरण देने का निर्देश दिया गया था ताकि प्रतिस्थापन के लिए याचिका दाखिल की जा सके। केवल तत्पश्चात मृतक अपीलार्थी सं० 7, 11, 26, 33, 34, 41, 42, 46, 54 का प्रतिस्थापन इप्सित करते हुए आई०ए०सं० 9174 वर्ष 2013 दाखिल की गयी थी जबकि मृतक प्रत्यर्थी सं० 20, 21, 25 एवं 29 का प्रतिस्थापन इप्सित करते हुए आई०ए०सं० 9166 वर्ष 2013 दाखिल की गयी थी। अपीलार्थी सं० 17 का प्रतिस्थापन इप्सित करते हुए आई०ए०सं० 1092 वर्ष 2014 और प्रत्यर्थी सं०13 का प्रतिस्थापन इप्सित करते हुए आई०ए०सं० 2737 वर्ष 2014 भी तुरन्त तत्पश्चात दाखिल की गयी थी। अपीलार्थी सं०53 जिसकी मृत्यु 13.2.2016 को हो गयी का प्रतिस्थापन इप्सित करते हुए आई० ए० सं० 6920 वर्ष 2016 और अपीलार्थी सं० 46 के प्रतिस्थापन के लिए आई०ए० 5661 वर्ष 2017 भी अपीलार्थियों द्वारा दाखिल की गयी है। चूँकि आई०ए०सं० 9174 वर्ष 2013 में उल्लिखित अनेक अपीलार्थियों की मृत्यु काफी पहले हो गयी थी जो प्रतिस्थापन इप्सित करने के लिए परिसीमा अवधि के परे है, उन अपीलार्थियों के विरूद्ध अपील का उपशमन अपास्त करने के लिए पृथक प्रार्थना तथा ऐसी प्रार्थना करने में विलंब की माफी के लिए प्रार्थना भी क्रमश: आई०ए०सं० 5802 वर्ष 2017 तथा आई० ए० सं० 1091 वर्ष 2014 के माध्यम से की गयी है। इसी प्रकार से, आई०ए०सं० 9166 वर्ष 2013 के संबंध में मृतक प्रत्यर्थियों के विरूद्ध अपील का उपशमन अपास्त करने के लिए पृथक आवेदन आई०ए०सं० 5801 वर्ष 2017 दाखिल किया गया था। शेष आई०ए० में समय के भीतर प्रतिस्थापन के लिए प्रार्थना करते हुए कुछ आवेदन दिए गए हैं, जबकि विलंब की माफी के बाद उपशमन अपास्त करने के लिए प्रार्थना आई०ए०सं० 6920 वर्ष 2016 में की गयी है। आई०ए०सं० 5660 वर्ष 2017 में अपीलार्थी सं० 53 एवं अपीलार्थी सं० 32 के प्रतिस्थापन के लिए परिसीमा की अवधि के बाद प्रार्थना की गयी है।

4. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि तथ्यों का कालक्रम दर्शाएगा कि अपील में पक्षों की विशाल संख्या का प्रतिस्थापन इप्सित करने के लिए अपीलार्थियों की ओर से जानबूझकर

ढिलाई नहीं की गयी है। वह आगे निवेदन करते हैं कि अपीलार्थी सं० 41 भगलाल बेडिया जो वस्तुत: अपीलार्थियों की ओर से पैरवीकार था की मृत्यु 8.12.2008 को हो गयी थी, अत: अपीलार्थियों की मृत्यु से संबंधित सूचना उनका प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता के ध्यान में नहीं लायी जा सकी थी।

5. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता को भी एक या दूसरे प्रत्यर्थी की मृत्यु के बारे में 5.12.2013 तक सूचना नहीं थी। चूँकि ऐसी सूचना अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता को नहीं दी जा सकी थी, पहले उनके संबंध में उन प्रत्यर्थियों के प्रतिस्थापन के लिए कदम नहीं उठाया जा सका था। वह निवेदन करते हैं कि न्याय का हित पीड़ित होगा यदि ऐसा आवेदन दाखिल करने में विलंब की माफी के बाद उपशमन अपास्त करने के लिए ऐसी प्रार्थना अनुज्ञात नहीं की जाती है। अत: समुचित होगा कि मृतक अपीलार्थियों एवं प्रत्यर्थियों दोनों को प्रतिस्थापित किए जाने की अनुमति दी जाती है ताकि आवश्यक पक्षों/उनके विधिक उत्तराधिकारियों की उपस्थिति में गुणागुण पर अपील सुनी जा सके। प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने पूर्वोक्तानुसार अपीलार्थियों द्वारा दाखिल आई०ए० का कोई व्यक्तिगत उत्तर नहीं दिया है, यद्यपि पूर्व आई०ए०सं० 8683 वर्ष 2013 सामान्यत: स्वयं संपूर्ण अपील का उपशमन इप्सित करते हुए दाखिल की गयी थी।

6. मैंने पक्षों के निवेदनों पर विचार किया है। ऐसी प्रकृति की अपील में जहाँ अपीलार्थियों एवं प्रत्यर्थियों की विशाल संख्या है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि पक्षों में से एक या दूसरे की मृत्यु आकस्मिक संभाव्यता है जो, यदि समय के भीतर उनका प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ताओं के ध्यान में समुचित रूप से नहीं लाया जाता है, एक या दूसरे अपीलार्थियों/प्रत्यर्थियों के मुकाबले अपील के उपशमन की ओर ले जाती है। यहाँ उपर गौर किए गए तथ्यों के कालक्रम से यह प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के अधिवक्ता अपीलार्थियों अथवा प्रत्यर्थियों की मृत्यु के विवरण से अवगत नहीं थे जब मामला 5.12.2013 को सुना गया था। तत्पश्चात अपीलार्थियों अथवा प्रत्यर्थियों का व्यापक प्रतिस्थापन इप्सित करते हुए अपीलार्थियों की ओर से आई०ए०सं० 9174 वर्ष 2013 तथा आई०ए० सं० 9166 वर्ष 2013 सम्यक रुप से दाखिल किया गया था। अपीलार्थीगण यह जानने पर कि मृतक पक्षों के विरूद्ध अपील शायद उपशमनित हो गयी होगी, बाद में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 के निबंधनानुसार विलंब की माफी के बाद उपशमन अपास्त करने के लिए आई०ए० दाखिल किया। तत्पश्चात भी कुछ पक्षों की मृत्यु हो गयी प्रतीत होती है जैसा यहाँ उपर ध्यान में लिया गया है। अन्य आई०ए०सं० 1092 वर्ष 2014, आई०ए०सं० 2737 वर्ष 2014, आई०ए०सं० 6920 वर्ष 2016, आई०ए०सं० 5660 वर्ष 2017 और आई०ए०सं० 5661 वर्ष 2017 विलंब की माफी के बाद उपशमन अपास्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किए गए थे।

7. मामले का सर्वांगपूर्ण दृष्टिकोण लेते हुए यह न्यायालय विचार करता है कि न्याय का हित बेहतर पूरा किया जाएगा। यदि इन आई०ए० में प्रार्थित पक्षों के प्रतिस्थापन के लिए प्रार्थना अनुज्ञात की जाती है, अन्यथा, ऐसे वाद/अपील जहाँ पक्षों की विशाल संख्या है में एक या दूसरे अपीलार्थी अथवा प्रत्यर्थी की मृत्यु के चलते गुणागुण पर निर्णय की ओर नहीं ले जाते हुए स्वयं अपील उपशमनित हो जा सकती है।

8. मामले के उस दृष्टिकोण में, पूर्वोक्त आई०ए० में की गयी प्रार्थना विलंब की माफी और अपील का उपशमन अपास्त करने के बाद अनुज्ञात की जाती है जैसी प्रार्थना व्यक्तिगत अपीलार्थियों/प्रत्यर्थियों के मामलों में की गयी है। अपीलार्थियों/प्रत्यर्थियों के प्रस्तावित विधिक उत्तराधिकारियों को सम्यक रूप से प्रतिस्थापित किया जाए। मृतक अपीलार्थियों के कुछ प्रस्तावित विधिक उत्तराधिकारीगण भी कथनानुसार उपस्थित हुए जैसा कार्यालय नोट से प्रतीत होता है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता सामान्य प्रक्रिया

के अधीन चार सप्ताह की अवधि के भीतर अभिलेख से सम्यक निरीक्षण एवं सत्यापन के बाद शेष मृतक अपीलार्थियों एवं प्रत्यर्थियों के विधिक उत्तराधिकारियों पर नोटिस तामील करने के लिए कदम उठाएँगे। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता इसी अवधि के भीतर पक्षों का नया मेमो दाखिल करेंगे।

<u>आई०ए०सं० 8683 वर्ष 2013</u>

9. पूर्वोक्त आदेश की दृष्टि में, यह न्यायालय उपशमनित के रूप में अपील की घोषणा के लिए आई०ए०सं० 8683 वर्ष 2013 में की गयी प्रार्थना अनुज्ञात करने का इच्छुक नहीं है। तद्नुसार, इसे अस्वीकार किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड (दोनों में)

cuke

कमल कुमार जाजू (2921 में)

दयानंद मोदी (2930 में)

W.P.(C) Nos. 2921 and 2930 of 2016. Decided on 8th November, 2017.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986—धाराएँ 19 एवं 21—अपील/पुनरीक्षण—परिसीमा—अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय आयोग में अपील/पुनरीक्षण की दाखिली स्वयं अधिनियम में विहित परिसीमा के अध्यधीन है जो विरोधी पक्ष में विधिक अधिकार निहित करती है—राज्य आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के विरूद्ध अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील अथवा पुनरीक्षण दाखिल किया जाएगा—न्यायालय याची को उपलब्ध वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता की दृष्टि में रिट आवेदनों को ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है—रिट याचिकाएँ खारिज की गयी। (पैराएँ 6, 8 एवं 9)

निर्णयज विधि.—(2011) 14 SCC 337—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s. V.P. Singh, Rashmi Kumari, For the Petitioner; M/s. Praveen Kumar, For the Respondents.

आदेश

इन दोनों रिट आवेदनों में याची के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. इन दोनों रिट आवेदनों में याची एफ०ए०सं० 311 वर्ष 2006 तथा तीन सदृश अपीलों में झारखंड राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग (इसमें इसके बाद 'राज्य आयोग' के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा पारित दिनांक 28.3.2016 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा समस्त चारों अपीलों को एक ही आदेश द्वारा राज्य आयोग द्वारा निपटाया गया था। राज्य आयोग द्वारा पारित उक्त आदेश अंतिम प्रकृति का है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि ये रिट आवेदन राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पोषणीय है।

4. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (इसमें इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की धाराएँ 19 एवं 21 अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता पर विचार करती हैं, और इन धाराओं के अनुसार, अधिनियम के अधीन केवल राष्ट्रीय आयोग

को राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण ग्रहण करने की अधिकारिता है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अधिनियम के अधीन उपलब्ध वैकल्पिक उपचार की दृष्टि में, भारत के संविधान के अनुच्छेदों 226 एवं 227 के अधीन रिट आवेदन पोषणीय नहीं हैं।

5. निवेदिता शर्मा बनाम सेल्युलर ऑपरेटर्स एशोसिएशन ऑफ इंडिया एवं अन्य (2011)14 SCC 337, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यही प्रश्न विचार के अधीन था अर्थात क्या दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल रिट आवेदन ग्रहण करने में न्यायोचित था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रश्न यह अभिनिर्धारित करते हुए विनिश्चित किया गया था कि उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन दाखिल रिट याचिका और संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन दाखिल विविध याचिका ग्रहण नहीं करना चाहिए था और निम्नलिखित विधि अधिकथित किया:–

> *^^11-----blij dkb fookn ugh gk ldrk g fd lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu cnh iR;{kh dj.k] mRi"k.k] ijekn'k] vfèkdkj iPNk ,o fu"ksk dh idfr d fjVk lfgr fun'k] vkn'k vFkok fjV tkjh dju dh mPp U;k;ky; dh 'kfDr lfoèkku dk ey y{k.k g vkj llnh; foèkku }kjk de ugh fd;k tk ldrk g&,y0 pn dekj cuke Hkkjr l?kA fdr ;g dguk ,d pht g fd lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu viu e fufgr 'kfDr d i;kx e] mPp U;k;ky; jkT; vkj@vFkok bld ,tUlh@vfHkdj.k vFkok fdlh ykd ikfèkdkjh }kjk ikfjr vkn'k vFkok dh x;h dkjokb vFkok U;kf;d dYi fudk;@ikfèkdkjh }kjk ikfjr vkn'k d fo:) fjV ;kfpdk xg.k dj ldrk g vkj ;g dguk fcydy fHkUu pht g fd lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu nkf[ky iR;d ;kfpdk mPp U;k;ky; }kjk bl rF; fd 0;fFkr 0;fDr d ikl iHkkodkjh odfYid mipkj g dk vun[kk djd LokHkkor% xg.k djuk pkfg,A* ***cfYd ;g lLFkkfir fofèk g fd tc f'kdk;r nj dju d fy, fofèk }kjk lkfofèkd Qkje lftr fd;k tkrk g] lkfofèkd Qkje dk vun[kk djr g, fjV ;kfpdk xg.k ugh dh tkuh pkfg,A**** *(tkj fn;k x;k)*

किंतु, प्रत्यर्थी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपील के वैकल्पिक उपचार का लाभ लेकर राज्य आयोग के आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी गयी थी, और उस मामले के तथ्यों में आगे निर्देश दिया गया था कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर अपील दाखिल की जाती है, इसे राष्ट्रीय आयोग द्वारा ग्रहण किया जाएगा और अपील गुणागुण पर विनिश्चित की जाएगी।

6. राज्य आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के विरुद्ध अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील/पुनरीक्षण दाखिल किया जाएगा। इस दशा में, हम याची को वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता की दृष्टि में इन रिट आवेदनों को ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन करते हुए कि वैकल्पिक उपचार का लाभ लेने के लिए राष्ट्रीय आयोग के पास जाने के लिए याची को कुछ समय दिया जा सकता है, **निवेदिता शर्मा (ऊपर)** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए उसी अनुतोष के लिए अंत में प्रार्थना किया है।

8. हमें खेद है कि हम याची के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन ग्रहण नहीं कर सकते हैं क्योंकि अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील/पुनरीक्षण की दाखिली स्वयं अधिनियम में विहित

परिसीमा के अध्यधीन है जो विरोधी पक्ष में विधिक अधिकार निहित करती है। किंतु, हम केवल यह संप्रेक्षित करना चाहेंगे कि यदि याची राष्ट्रीय आयोग के पास जाता है, याची द्वारा इस न्यायालय में बितायी गयी अवधि परिसीमा की अवधि संगणित करते हुए विचार में ली जाएगी।

9. तद्नुसार, दोनों रिट आवेदन उक्त संप्रेक्षण के साथ खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ieFk iVuk;d] U;k;efr

कुलदीप महतो

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P. (S) No. 961 of 2009. Decided on 13th November. 2017.

विद्यालय विधि–नियमितिकरण–विद्यालय के पुनर्गठन/अधिग्रहण की तिथि (31.12. 1988) से सेवा के कम से कम सात वर्षों को पूरा करने पर प्रधानाचार्य के रूप में अपनी सेवाओं को नियमित करने के लिए याची के दावा का अस्वीकरण–याची को अध्यपेक्षित अर्हता एवं अनुभव रखने पर उच्च विद्यालय में वर्ष 1975 में प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था–प्रत्यर्थीगण भेदभाव के प्रश्न पर मौन हैं क्योंकि याची ने समतुल्यता का दावा किया है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किया गया और प्रत्यर्थी को विद्यालय के अधिग्रहण की तिथि से सात वर्ष पूरा करने पर प्रधानाचार्य के रूप में याची की सेवा नियमित करने एवं समस्त पारिणामिक लाभों को देने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 5 एवं 6)

निर्णयज विधि.–(1998) 2 SCC 411; 2004 (1) JCR 502 (Jhr)—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. M.M. Pan, For the Petitioner; M/s Atanu Banerjee, Kaustav Panda, For the Respondents.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–संलग्न रिट आवेदन में याची ने अन्य बातों के साथ दिनांक 13.1.2009 का आदेश अभिखंडित करने के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा विद्यालय के पुनर्गठन/संभालने की तिथि अर्थात 31.12.1998 से सेवा के सात वर्ष पूरा करने पर प्रधानाचार्य के रूप में अपनी सेवा को नियमित करने के लिए याची का दावा अस्वीकार किया गया है।

2. संक्षेप में तथ्य ये हैं कि याची को अध्यपेक्षित अर्हता एवं अनुभव रखने पर राम मंदिर बी०पी०जे० उच्च विद्यालय, देवघर में वर्ष 1975 में प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे यह प्रकथन किया गया है कि सचिव, बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पटना ने दिनांक 11.10.1976 के मेमो के तहत विद्यालय अर्थात राम मंदिर बी०पी०जे० उच्च विद्यालय, देवघर की स्थापना के लिए अनुमति दिया। तद्नुसार, विशेष बोर्ड गठित किया गया था, जिसने प्रश्नगत विद्यालय के निरीक्षण पर राज्य सरकार द्वारा विद्यालय की मान्यता के लिए अनुशंसा किया। उसके अनुसरण में, विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार ने दिनांक 31.12.1981 के पत्र के तहत आठ शिक्षकों, एक लिपिक एवं दो चपरासियों के लिए अनुमोदन दिया, किंतु याची को केवल प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया गया था। व्यथित होकर याची निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार के पास गया और सी०डब्लू०जे०सी०सं० 6291 वर्ष 1985 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 9.3.1999 का आदेश भी संसूचित किया जिसके द्वारा माननीय न्यायालय ने **ए०के०**

प्रधान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (1998)2 SCC 411, में पारित आदेश की दृष्टि में विद्यालय के अधिग्रहण की तिथि अर्थात 31.12.1981 से सात वर्ष पूरा करने के बाद नियमित प्रधानाचार्य के रूप में याची को नियुक्त करने का निर्देश प्रत्यर्थी प्राधिकारी को दिया।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि झारखंड राज्य के सृजन के बाद याची डब्लू०पी०(एस०) सं० 4052 वर्ष 2004 दाखिल करके इस माननीय न्यायालय के पास आया, जिसे प्रत्यर्थी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करके दिनांक 7.5.2008 के आदेश के तहत निपटाया गया था और उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए नया आदेश पारित करने का निर्देश जारी किया गया था, किंतु प्रत्यर्थी प्राधिकारी ने उक्त उल्लिखित निर्णयों की अपव्याख्या करते हुए विद्यालय के पुनर्गठन/संभालने की तिथि अर्थात 31.12.1981 से प्रधानाचार्य के रूप में अपनी सेवा को नियमित करने के लिए याची का दावा अस्वीकार करते हुए दिनांक 13.1.2009 का आक्षेपित आदेश पारित किया। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अन्य समस्थित व्यक्ति अर्थात पूरन चंद्र महतो को ऐसा काम दिया गया है किंतु याची को पक्षपाती भेदभाव के अध्यधीन किया गया था। अपने मामला के समर्थन में, याची ने **महेश ठाकुर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2004(1) JCR 502 (Jhr.)** में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया।

4. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याची दिनांक 20.11.1981 के पत्र के लाभ का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि 31.12.1981 को विद्यालय अधिग्रहण किये जाने के समय पर वह सहायक शिक्षक था और विद्यालय अधिग्रहण किये जाने की अधिसूचना में यह स्पष्टत: उल्लिखित किया गया था कि वह स्थायी प्रधानाचार्य नियुक्त किए जाने तक प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कृत्य करेगा। जो तथ्य याची की सेवा पुस्तिका से भी परिलक्षित होता है कि विद्यालय अधिग्रहण किये जाने के समय पर वह पूर्णरूपेण प्रधानाचार्य नहीं था। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्राधिकारी ने डब्लू०पी०(एस०) सं० 4052 वर्ष 2004 में पारित दिनांक 7.5.2008 के आदेश के अनुपालन में मामला के समस्त पहलू पर विचार किया और आक्षेपित आदेश पारित किया, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. दिनांक 13.1.2009 के आक्षेपित आदेश के परिशीलन से, यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी प्राधिकारी द्वारा इस तथ्य पर काफी जोर दिया गया है कि विद्यालय स्वयं वर्ष 1976 में स्थापित किया गया था जब कि याची 14.12.1975 को अपनी नियुक्ति का दावा करता है और विद्यालय अधिग्रहण किये जाने के समय पर याची सहायक शिक्षक था और केवल प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया गया था और आगे याची नियुक्ति की तिथि से विद्यालय अधिग्रहण किये जाने की तिथि तक उपस्थिति रजिस्टर दर्शाने में विफल रहा और **ए०के० प्रधान (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को समुचित मान्यता नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थीगण भेदभाव के प्रश्न पर मौन हैं, क्योंकि याची के पूरन चंद्र महतो के साथ समतुल्यता का दावा किया है। अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि लगभग उसी अनुतोष के लिए यह वाद का तीसरा चक्र है।

6. पूर्वोक्त कारणों से, दिनांक 13.1.2009 का आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थियों को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुती की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर विद्यालय अधिग्रहण किये जाने की तिथि अर्थात 31.12.1981 से सात वर्ष पूरा करने पर प्रधानाचार्य के रूप में याची की सेवा नियमित करने एवं समस्त पारिणामिक लाभ जिसका वह हकदार है, देने का निर्देश दिया जाता है।

7. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों एवं निर्देशों के साथ रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

हरधन धीबर एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 6185 of 2016. Decided on 11th October, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 6 नियम 17–वाद पत्र में संशोधन–वाद अनुसूची संपत्ति पर वादीगण के रैयती अधिकार, अभिधान, हित एवं कब्जा की घोषणा के लिए अभिधान वाद–संशोधन के लिए आवेदन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं आता है कि सम्यक तत्परता के बावजूद पक्ष विचारण के आरंभ के पहले विवाद्यक नहीं उठा सका था जिसे वह संशोधन के माध्यम से सम्मिलित करने का प्रयास करता है–विचारण के आरंभ के पहले, यदि अन्य पक्ष पर प्रतिकूलता कारित नहीं होती है, संशोधन के लिए आवेदन अनुज्ञात किया जाएगा–किसी तकनीकी आपत्ति और वाद की बहुलता से बचने के लिए पक्ष को वादपत्र/लिखित कथन संशोधित करने की अनुमति दी जा सकती है यदि पश्चातवर्ती विकास होता है–संशोधन, यदि औपचारिक प्रकृति का है और प्रतिवादी पर प्रतिकूलता कारित नहीं करता है, वाद के किसी चरण पर, अंतिम सुनवाई के चरण पर भी, अनुज्ञात किया जा सकता है–वादीगण द्वारा इप्सित अनुतोष प्रतिवाद करने के प्रतिवादी के अधिकार की देखभाल उनको अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति देकर किया जा सकता है।

(पैराएँ 7, 9 एवं 10)

निर्णयज विधि.–(2008) 8 SCC 511—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Indrajeet Sinha, Lukesh Kumar, For the Petitioners; Mr. Jayant Franklin Toppo, For the Respondents.

आदेश

वादपत्र में संशोधन के लिए दिनांक 29.6.2016 का आवेदन अस्वीकार किए जाने के बाद याचीगण इस न्यायालय के पास आए हैं।

2. संक्षिप्त रूप से कथित, अभिधान वाद सं॰ 261 वर्ष 2014 वाद अनुसूची संपत्ति पर वादीगण के रैयती अधिकार, अभिधान, हित एवं कब्जा की घोषणा के लिए संस्थित किया गया था। उनके कब्जा की संपुष्टि तथा अनुसूची भूमि पर वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जा में हस्तक्षेप करने से प्रतिवादियों को अवरोधित करने वाली स्थायी व्यादेश की डिक्री भी इप्सित की गयी थी। याचीगण ने भूतपूर्व जमीन्दार जिसने उनके पिता से लगान स्वीकार किया द्वारा उनके पिता को प्रदान किए गए हुकुमनामा के आधार पर वाद संपत्ति पर अपने अधिकार, अभिधान एवं हित का दावा किया है। यह अभिवचन किया गया है कि भूतपूर्व जमीन्दार अर्थात गुरुपदो शील तथा काशीनाथ शील ने अपने tenureship का रिटर्न दाखिल किया जिसके आधार पर मुआवजा मामला सं॰ 5217 वर्ष 1955-56 दर्ज किया गया था। उक्त रिटर्न (विवरणी I) में अमूल्य केवट का नाम क्रमांक सं॰ 55 एवं 56 पर आता है। यह अमूल्य केवट से वसूल किए गए लगान की मात्रा भी परिलक्षित करता है। आगे यह अभिवचन किया गया है कि वादीगण ने आर॰एस॰ खाता सं॰83, मौजा गोपालगंज में प्रविष्टियों की शुद्धि के लिए सी॰एन॰टी॰ अधिनियम की धारा 87 के अधीन मामलों को दाखिल किया जिसे दिनांक 18.2.2009 को निपटाए गए वाद सं॰2205 वर्ष 2007, दिनांक 3.6.2009 को निपटाए गए वाद सं॰ 2206 वर्ष 2007 तथा दिनांक 14.8.2010 के आदेश द्वारा निपटाए गए वाद सं॰91 वर्ष 2010 के रूप में दर्ज किया गया था। इन आदेशों द्वारा बंदोवस्ती अधिकारी, धनबाद

ने आर०एस० खाता सं० 83 से प्रतिवादियों के नाम के विलोपन का निर्देश दिया और तदनुसार उसमें वादीगण का नाम प्रतिस्थापित किया गया था। वादीगण ने दावा किया है कि बंदोवस्ती प्राप्तकर्त्ता अर्थात अमूल्य केवट ने कोरकर अधिकार के अधीन वाद भूमि को पुनः कृषि भूमि लायक बनाया और 1940 से धान एवं अन्य फसल उगाकर काबिज बना रहा। यह प्राख्यान किया गया है कि उन्होंने सिंचाई के प्रयोजन से भूमि पर छोटा तालाब खोदा। दिनांक 20.6.2014 को प्रतिवादियों पर सी०पी०सी० की धारा 80 के अधीन नोटिस के बाद वाद संस्थित किया गया था।

3. आरंभ में प्रतिवादियों को लिखित कथन दाखिल करने से अपवर्जित किया गया था, किंतु दिनांक 14.9.2015 के आदेश द्वारा लिखित कथन अभिलेख पर लिया गया था। प्रतिवादियों ने दावा किया है कि मौजा गोपालगंज से संबंधित संपूर्ण वाद अनुसूची संपत्ति अंशतः पथरीली एवं अंशतः पुरातन पतित है। यह प्राख्यान किया गया है कि गैर आबाद मालिक खाता के अधीन दर्ज रिक्त परती भूमि राज्य की है। वाद अनुसूची भूमि के भाग पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा विवादित किया गया है और सादा हुकुमनामा के माध्यम से बंदोबस्ती के दावा का भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 16 *(sic* धारा 17) के अधीन वर्जना के आधार पर प्रतिरोध किया गया है। प्रतिवादियों ने यह अभिवचन भी किया है कि वादीगण बन्दोवस्ती प्राप्तकर्त्ता द्वारा भूतपूर्व जमीन्दार को निष्पादित किसी कबूलियत को प्रस्तुत करने में विफल हुए हैं और इस प्रकार पट्टा के रूप में बंदोबस्ती आरंभ से शून्य थी।

4. लंबित वाद में, वादीगण द्वारा सी०पी०सी० के आदेश XXXIX नियम 1 एवं 2 के अधीन आवेदन दाखिल किया गया था, किंतु 6.10.2015 को इसे खारिज कर दिया गया था। वादीगण/याचीगण एम०ए०सं० 63 वर्ष 2016 में इस न्यायालय के पास आए जिसे 25.2.2016 को वापस ले लिया गया था। एम०ए०सं०125 वर्ष 2016 के तहत द्वितीय आवेदन भी 19.3.2016 को वापस ले लिया गया था और याचीगण पुनः दिनांक 6.10.2015 के आदेश जिसके द्वारा व्यादेश के लिए आवेदन खारिज किया गया था को चुनौती देते हुए एम०ए०सं० 169 वर्ष 2016 में इस न्यायालय के पास आए। यह विविध अपील भी वापस ले लिए गए के रूप में 21.7.2016 को याचीगण को विधि के अनुरूप न्यायालय के पास जाने की स्वतंत्रता देते हुए खारिज की गयी थी। यह कथन किया गया है कि इस आदेश के अनुसरण में वादीगण ने अस्थायी व्यादेश के लिए 6.12.2016 को नया आवेदन दाखिल किया है। इस बीच वादीगण ने 29.6.2016 को वाद पत्र में निम्नलिखित संशोधनों को इप्सित करते हुए सी०पी०सी० के आदेश VI नियम 17 के अधीन आवेदन दाखिल किया:–

*(A) oknh lo 5 d uke e 'kf)&^^ekuh xkiky èkhcj** ^^ukuh xkiky èkhcj** d :i e fy[kk tk,A*

*(B) ijk lo 4 e 'kCn "barred" ^^xfj;kcn** d :i e fy[kk tk,A*

*(C) ijk lo 6 e vfHk0;fDr ^^fcoj.kh&1** 'kCn ^^fooj.k ı d :i e ifrLFkkfir dh tk,A*

(D) vurk"k ijk 19(f) e vurk"k tkMk tk,%&

*^^19(f) ifrokfn;k }kjk fufer i'uxr Hkfe ij u, fuek.k dk Hkftr dju d fy, fMØh rFkk mDr Hkfe ij oknhx.k d dCtk dh okilh d fy, fMØh d fy,**

(E) vulph e fuEufyf[kr 'kf) %

vulph ı

ekt k xkikyxt] ekt k lo 140] ih0 ,lo fujlk] vpy fujlk] fty k èkuckn A

lh0 ,l0 [kkrk l0 23] lh0 ,l0 Hk[kM l0 24] oknhx.k dy Hkfe 5 ,dM 82 fMlfey e l 3 ,dM 82 fMlfey Hkfe dh ekx djr gA

lh0 ,l0 [kkrk l0 50] lh0 ,l0 Hk[kM l0 164 oknhx.k dy Hkfe 3 ,dM 67 fMlfey e l 3 ,dM Hkfe dh ekx djr gA lh0 ,l0 Hk[kM l0 24 ,o 164 d vkj0 ,l0 Hk[kM l0 19] 20] 27] 28] 29] 30] 31] 32] 33] 34] 35] 46 ,o 47 gA

vulph 2

ekStk xkikyxt] ekSt l0 140] ih0 ,l0 fujlk vpy fujlk] ftyk èkucknA lh0 ,l0 [kkrk l0 50] lh0 ,l0 Hk[kM l0 33

oknhx.k dy 14 ,dM 50 fMlfey e l 11 ,dM Hkfe dh ekx djr gA

5. प्रतिवादियों द्वारा संशोधन के लिए आवेदन का प्रतिरोध इस आधार पर किया गया था कि यह वाद की प्रकृति बदल देगा और यदि अनुज्ञात किया जाता है, यह प्रतिवादियों पर अत्यन्त प्रतिकूलता कारित करेगा। दिनांक 24.8.2016 के आदेश द्वारा विचारण न्यायालय ने संशोधन के लिए आवेदन इस आधार पर खारिज किया है कि वादीगण भूखंड संख्या एवं तिथि जिस पर प्रतिवादियों ने अभिकथित रूप से भवन निर्मित किया है, प्रकट करने में विफल रहे। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया है कि वाद की अनुसूची में संशोधन औपचारिक प्रकृति का नहीं है और यह निश्चय ही वाद की प्रकृति प्रभावित करेगा।

6. वादपत्र में संशोधन अस्वीकार करने वाले आदेश का विरोध करते हुए याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा निवेदन करते हैं कि दिनांक 24.8.2016 का आक्षेपित आदेश सुस्थापित विधि को ध्यान में नहीं लेता है कि सामान्यत: वादी को वाद पत्र संशोधित करने की अनुमति दी जानी चाहिए यदि विचारण आरंभ नहीं हुआ है। इसके विरूद्ध–विद्वान राज्य अधिवक्ता प्रतिवाद करते हैं कि नए तथ्यों को पुर:स्थापित करके और भूमि की अनुसूची बदलकर वादीगण अनुतोष प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जो वे अन्यथा नहीं पा सकते हैं अर्थात कब्जा की वापसी। यह निवेदन किया गया है कि यदि वादीगण को भूमि की अनुसूची बदलने की अनुमति दी जाती है, जब प्रतिवादियों ने लिखित कथन दाखिल करके अपना बचाव प्रकट किया है, यह उनपर अत्यन्त प्रतिकूलता कारित करेगा।

7. सी०पी०सी० के आदेश VI नियम 17 का परन्तुक प्रावधानित करता है कि संशोधन के लिए आवेदन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि विचारण आरंभ हो गया है, जब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं आता है कि सम्यक तत्परता के बावजूद पक्ष विचारण आरंभ होने के पहले विवाद्यक नहीं उठा सका था जिसे वह संशोधन के माध्यम से सम्मिलित करने का आशय रखता है। अब यह विवादित नहीं है कि विचारण के आरंभ के पहले यदि अन्य पक्ष पर प्रतिकूलता कारित नहीं होती है, सामान्यत: संशोधन के लिए आवेदन अनुज्ञात किया जाएगा। इस विवाद को अलग छोड़ते हुए कि क्या विचारण विवाद्यक विरचित किए जाने पर अथवा जब वादी ने गवाहों का परीक्षण किया, शुरू होगा, वर्तमान मामला में यह स्वीकार किया गया है कि वाद में विवाद्यक अभी तक विरचित नहीं किए गए हैं और जब ऐसा है, सी०पी०सी० के आदेश IV नियम 17 में यथा प्रतिष्ठापित अभिवचनों के संशोधन के प्रति वर्जना वादीगण के लिए रूकावट नहीं है और संशोधन आवेदन दाखिल करने में विलंब आधार नहीं है जिस पर दिनांक 29.6. 2016 का आवेदन खारिज किया गया है। **''उत्तर–पूर्व रेलवे प्रशासन बनाम भगवान दास, (2008)8 SCC 511,** में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

> *^16- tgk rd fl)krk tk lh0 ih0 lh0 d vkn'k 6 fu;e 17 (tlk ;g iklfxd le; ij Fkk d vèkhu l'kkèku vuKkr vFkok vuuKkr dju dk i'u 'kkflr djrk g dk lcèk g] ; lLFkkfir gA lh0 ih0 lh0 dk vkn'k 6 fu;e 17 dk;okgh d fdlh pj.k ij vfHkopuk dk l'kkèku ifrikfnr djrk gA fijxkUMk gkuxkUMk ikfVy cuke dyxkUMk f'kMxkUMk ikfVy tk vHkh Hkh vPNh fofèk g e*

*vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd leLr l'kkèkuk dk vuKkr fd;k tk, tk nk 'kr ijh djr g¶ (a) vU; i{k ij vU;k; dkfjr ugh gkuk(vkj (b) i{kk d chp fookn e okLrfod i'uk d fofu'p;dj.k d i;ktu l vko';d gkukA l'kkèkuk dk doy rc vLohdkj fd;k tkuk pkfg, tc vU; i{k dk mlh voLFkk e ugh j[kk tk ldrk g ekuk vfHkopu ey :i l lgh Fk] fdr l'kkèku muij ifrdyrk dkfjr djxk ftldh {kfrifUk eY; e ugh dh tk ldrh FkhA***

8. सी०पी०सी० के आदेश 6 नियम 17 के अधीन दाखिल दिनांक 29.6.2016 के आवेदन का परिशीलन प्रकट करेगा कि प्रथम तीन संशोधन शुद्धतः औपचारिक प्रकृति के हैं। वादीगण ने अभिवचन किया है कि टंकण त्रुटियों के कारण वादी सं०5 का वर्णन गलत रूप से उल्लिखित किया गया है और पैराग्राफ सं० 4 एवं 6 में गलतियाँ हो गयी हैं। यह स्वीकार किया गया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों द्वारा इन संशोधनों का कोई विरोध नहीं किया गया था। सी०पी०सी० के आदेश VI नियम 17 सहपठित धारा 151 के अधीन याचिका का प्रत्युत्तर नीचे उद्धृत किया जाता है:–

1- fd mÙkj d vèkhu ;kfpdk fofèk e vFkok ekey d rF;k ij ik"k.kh; ugh gA bl n'kk e vLohdkj fd, tku ;kX; gA

2- fd igy Hkh oknhx.k }kjk nkf[ky le:i idfr dh ;kfpdk tkj ugh fn, tku ij vLohdkj dh x;h g] vr¶] oknhx.k okn d fuiVku e foyc dkfjr dju d fy, >Bh ,o rPN ;kfpdk, nkf[ky dju d vknh gA

3- fd eyr¶ okn ?kk"k.kk ,o O;kn'k d fy, nkf[ky fd;k x;k g vkj vc oknhx.k okn i= d l'kkèku d :i e dCtk dh okilh dk vurk"k iklr dju dk vk'k; j[kr g tk okn dh idfr ,o pfj= cny nxk vkj ifrokfn;k ij vR;Ur ifrdyrk dkfjr gkxh ;fn iLrkfor l'kkèku vuKkr fd;k tkrk g D;kfd mUgku igy gh viuk fyf[kr dFku nkf[ky dj fn;k gA

*4- fd tgk rd vU; iLrkfor l'kkèkuk dk lcèk g] o vkipkfjd idfr d gA***

9. जहाँ तक भूमि की अनुसूची का संबंध है, संशोधन के लिए आवेदन के प्रति अपने प्रत्युत्तर में प्रतिवादियों ने विनिर्दिष्टतः अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 भूमि में संशोधन का विरोध नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, भूमि की अनुसूची में परिवर्तन, मेरे मत में, वाद की प्रकृति नहीं बदलेगा। वाद भूमि पर वादीगण के अधिकार, अभिधान, हित एवं उनके कब्जा की संपुष्टि की घोषणा के लिए है। अभिधान वाद सं० 261 वर्ष 2014 के विचारण के दौरान वादीगण को वाद भूमि की संशोधित अनुसूची पर अपने अधिकार, अभिधान एवं हित का दावा करने के लिए साक्ष्य देना है। विचारण न्यायाधीश द्वारा दर्ज निष्कर्ष कि भूमि की अनुसूची में प्रस्तावित संशोधन यदि अनुज्ञात किया जाता है, वाद की प्रकृति बदल देगा स्पष्टतः गलत है। जहाँ तक नए निर्माण के भंजन एवं कब्जा की वापसी के लिए डिक्री का अनुतोष जोड़े जाने का संबंध है, अभिलेख पर आया है कि वाद के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों ने निर्माण किया है। यह सुस्थापित है कि किसी तकनीकी आपत्ति तथा वाद की बहुलता से बचने के लिए पक्षों को वादपत्र/लिखित कथन संशोधित करने की अनुमति दी जा सकती है यदि पश्चातवर्ती घटनाक्रम होता है। एक अन्य सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि संशोधन औपचारिक प्रकृति का है और प्रतिवादी पर प्रतिकूलता कारित नहीं करता है, वाद के किसी चरण पर, अंतिम सुनवाई के चरण पर भी अनुज्ञात किया जा सकता है। सिवाए कुछ मामलों में, जैसे, समयवर्जित दावा, अभिवचनों में संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किए जाने के लिए इप्सित दावा का गुणागुण वह विवाद्यक नहीं है जिसका परीक्षण संशोधन आवेदन विनिश्चित करते हुए किया जा सकता है।

10. इसके अतिरिक्त, वादीगण द्वारा इप्सित अनुतोष का प्रतिवाद करने का प्रतिवादी के अधिकार की देखभाल उनको अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति देकर किया जा सकता है।

11. उक्त तथ्यों में, मैं अभिधान वाद सं॰ 261 वर्ष 2014 में पारित दिनांक 24.8.2016 के आदेश में गंभीर दुर्बलता पाता हूँ और तदनुसार यह अपास्त किया जाता है। दिनांक 29.6.2016 का आवेदन अनुज्ञात किया जाता है। प्रतिवादियों को अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने का अवसर दिया जाएगा।

12. रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

सुरेश रवानी (897 में)

गोपाल रवानी एवं अन्य (601 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य (दोनों में)

Cr. Rev. Nos. 897 with 601 of 2005. Decided on 7th September, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860–धारा 498A–क्रूरता–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–गवाह सुझाते हैं कि वे परिवादी से किए गए 20,000/-रुपयों की मांग तथा पंचायत करने और दांपत्य गृह से उसको बाहर निकाले जाने के संबंध में संगत हैं–गवाहों के मौखिक साक्ष्य याची को बार-बार यातना देने के बाद विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को सूरत ले जाने के संबंध में तर्कपूर्ण और स्पष्ट है और सूरत में भी उसे अपने जीवन के प्रति खतरा तथा उसके पति द्वारा किए गए प्रहार के कारण अपना दांपत्य गृह छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था–बचाव ने एक गवाह पेश किया है किंतु उक्त गवाह परिवादी का मामला भंजित नहीं कर सका था–दोषसिद्धि संपोषित गयी–याचीगण वर्ष 2000 से अभियोजन मामला की कठोरता का सामना कर रहे हैं और कुछ समय तक अभिरक्षा में भी रहे हैं–याचीगण पर अधिरोपित दंडादेश पहले ही भुगत ली गयी अवधि में उपांतरित किया गया। (पैराएँ 18 से 22)

अधिवक्तागण.–None, For the Petitioners; Mr. Ranjan Kumar Singh, For the O. P. No. 2.

आदेश

चूँकि दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 897 वर्ष 2005 एवं दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 601 वर्ष 2005 एक ही निर्णय से उद्भूत होते हैं, दोनों को इस एक ही आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. याचीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होता है। किंतु, दोनों मामलों में विरोधी पक्षकार सं॰2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार सिंह उपस्थित हैं।

3. चूँकि ये मामले वर्ष 2005 के हैं और याचीगण के विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति में इन्हें अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निपटाया जा रहा है।

4. ये आवेदन दांडिक अपील सं॰ 10 वर्ष 2004/2 वर्ष 2005 में विद्वान षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ॰टी॰सी॰सं॰ 3), गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 16.6.2005 के निर्णय के विरूद्ध निर्देशित

हैं जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 20.4.2004 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याचीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और 1000/– रुपया जुर्माना के साथ दो वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है, अभिपुष्ट किया गया है।

5. अभियोजन मामला परिवादी अंजू देवी (विरोधी पक्षकार सं०2) द्वारा दाखिल परिवाद याचिका से उद्भूत होता है जिसमें यह अभिकथित किया गया था कि 19.4.1994 को दांडिक पुनरीक्षण सं० 897 वर्ष 2005 के याची के साथ विवाह संपन्न किया गया था। यह अभिकथित किया गया है कि विरोधी पक्षकार सं० 2 लगभग तीन वर्षों की अवधि के लिए अपने दांपत्य गृह में रही और उस अवधि के दौरान उसने पुत्री को जन्म दिया था। अभिकथन किए गए हैं कि ससुराल वालों से 20,000/– रुपया मांगा गया था और अंतत: जुलाई, 1998 में उसे दांपत्य गृह से बाहर निकाल दिया गया था। यह भी अभिकथित किया गया है कि चूँकि दांडिक पुनरीक्षण सं० 897 वर्ष 2005 में याची को कानूनी नोटिस भेजा गया था, अभियुक्त उसके माएके आया था और उसे वापस ले गया था जहाँ वह अभिकथित रूप से एक माह रही। यह भी अभिकथित किया गया है कि तत्पश्चात उसे पुन: उसके दांपत्य गृह से निकाल दिया गया था जिसपर उसने अपने माएका में आश्रय लिया और तत्पश्चात उसे पुन: सूरत उसके पति के पास लाया गया था जहाँ उसके पति ने उसे बेचने का प्रयास किया। यह अभिकथित किया गया है कि माता–पिता पति के कुकर्मों के बारे में सूचित किए जाने पर उसे सूरत से वापस ले गए और तब से वह अपनी पुत्री के साथ अपने माएका में रह रही है।

6. जाँच करने के बाद सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर परिवादी एवं गवाहों के परीक्षण पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया गया था। चूँकि परिवादी अपना मामला समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में सक्षम हुई थी, विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 20. 4.2004 के निर्णय के तहत याचीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उन्हें दो वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था।

7. दोषसिद्धि के निर्णय से व्यथित होकर याचीगण ने दांडिक अपील सं० 10 वर्ष 2004/2 वर्ष 2005 दाखिल किया जिसे विद्वान षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०सं०3), गोड्डा द्वारा 16.6.2005 को खारिज किया गया था।

8. विचारण के क्रम में परिवादी की और से पाँच गवाहों का परीक्षण किया गया था।

9. अ०सा०1 जमुना रवानी परिवादी का पिता है जिसने कथन किया था कि उसकी पुत्री का विवाह दांडिक पुनरीक्षण सं० 897 वर्ष 2005 के याची के साथ हुआ था। इस गवाह ने कथन किया था कि 20,000/– रुपयों की मांग थी और विरोधी पक्षकार सं०2 को शारीरिक एवं मानसिक यातना के अध्यधीन किया गया था। उसने आगे कथन किया है कि उसके पति द्वारा उसकी पुत्री को सूरत ले जाने के लिए पंचायती की गयी थी। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि पत्र की प्राप्ति पर जिसे पति के विरूद्ध किए गए परिवादों के संबंध में पहचान के लिए 'X' चिन्हित किया गया है, वह सूरत गया था और अपनी पुत्री को वापस ले गया था और तत्पश्चात मामला संस्थित किया गया था।

10. अ०सा० 2 फूलो देवी परिवादी की माता है जिसने भी समरूप शब्दों में वही कथन किया था जो कथन अ०सा०1 द्वारा किया गया था।

11. अ०सा०3 चंद्रिका प्रसाद साह स्वतंत्र गवाह है जिसने विवाह और उक्त विवाह से पुत्री के जन्म

होने के तथ्य का समर्थन किया था। इस गवाह ने भी स्वीकार किया था कि पंचायती की गयी थी और पंचायत के निर्णय के अनुसरण में परिवादी को सूरत ले जाया गया था जहाँ उसका पति रहता था।

12. अ०सा०4 अंजू देवी स्वयं परिवादी है जिसने इस तथ्य कि उसका विवाह दांडिक पुनरीक्षण सं० 697 वर्ष 2005 के याची के साथ हुआ था, के अतिरिक्त कथन किया था कि विवाह के बाद 2-3 वर्ष शांति से रहने के बाद उस पर प्रहार करने के बाद उसे उसके दांपत्य गृह से निकाल दिया गया था। इस गवाह ने यह कथन भी किया था कि पंचायती के बाद परिवादी से 20,000/- रुपया मांगा गया था और पति एवं ससुराल वालों सहित समस्त अभियुक्तगण उस पर नियमित रूप से प्रहार करते थे और अंतत: उसे पुन: उसके दांपत्य गृह से निकाल दिया गया था। इस गवाह ने आगे कथन किया था कि उसके पति ने दूसरा विवाह किया था और उस कारण से वह उसको बेचना चाहता था। उसने आगे कथन किया था कि उसे उसके माएका वापस ले जाने के बाद उसने दांडिक मामला दाखिल किया था।

13. अ०सा०5 मदन रवानी परिवादी का कजिन भाई है जिसने सूरत से परिवादी से प्राप्त पत्र के बारे में कथन किया था जिसे पुलिस द्वारा उसके कहने पर उसे पढ़कर सुनाया गया था जिसमें दांडिक पुनरीक्षण सं० 897 वर्ष 2007 के याची द्वारा दी गयी यातना का प्रकथन किया गया था।

14. बचाव ने एक गवाह अर्थात दशरथ रवानी का परीक्षण किया था जिसने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया था कि दांडिक पुनरीक्षण सं० 897 वर्ष 2005 में याची सूरत में कार्यरत था जहाँ वह परिवादी को ले गया था। किंतु इस गवाह ने दांडिक पुनरीक्षण सं० 897 वर्ष 2005 के याची एवं परिवादी के विवाहित जीवन के संबंध में कुछ भी कथन करने में अपनी अक्षमता दर्शाया। बचाव ने अभिवचन किया था कि परिवादी द्वारा परीक्षण किए गए अधिकांश गवाह संबंधित होने के नाते हितबद्ध एवं पक्षपाती गवाह हैं।

15. यह कथन भी किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उस पत्र पर अनुचित विश्वास किया है जिसे पहचान के लिए प्रदर्श 'X' चिन्हित किया गया था। आगे बचाव द्वारा अभिवचन किया गया है कि उसके उपर शारीरिक प्रहार किया गया था यह सुझाने के लिए परिवादी द्वारा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था और उसके द्वारा दिए गए बयान मात्र पर विचारण न्यायालय परिवादी को दी गयी मानसिक एवं शारीरिक यातना के संबंध में निष्कर्ष पर आया था। यह अभिवचन भी किया गया है कि यह सुझाने के लिए कि दांडिक पुनरीक्षण सं० 897 वर्ष 2007 में याची ने दूसरा विवाह किया था, ठोस प्रमाण नहीं है।

16. दोनों मामलों में विरोधी पक्षकार सं०2 की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री रंजन कुमार सिंह ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और कथन किया था कि अ०सा० 4 परिवादी उसको दी गयी मानसिक एवं शारीरिक यातना और दांपत्य गृह से निकाले जाने के संबंध में अत्यन्त स्पष्ट रही है। उन्होंने आगे कथन किया है कि अ०सा०1 एवं अ०सा०2 माता-पिता होने के नाते परिवादी अ०सा० 4 को दी गयी यातना के तथ्य का समर्थन किया था। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि अ०सा० 1,2 एवं 4 के अतिरिक्त अ०सा०3 स्वतंत्र गवाह है जिसने पंचायती किए जाने और परिवादी को उसके दांपत्य गृह से निकाले जाने के संबंध में कथन किया था। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि परिवादी की ओर से संगत साक्ष्य है जिसे याचीगण द्वारा ठुकराया नहीं जा सकता है और ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश संपोषित किया जाए।

17. दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 897 वर्ष 2005 में याची परिवादी का पति है जबकि दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 601 वर्ष 2005 में याचीगण उसके ससुराल वाले हैं।

18. गवाहों के साक्ष्य का तास्तार परीक्षण सुझाता है कि वे परिवादी से किए गए 20,000/– रुपयों की मांग तथा पंचायत किए जाने तथा उसे उसके दांपत्य गृह से बाहर निकाले जाने के संबंध में संगत है। गवाहों के साक्ष्य से यह आगे प्रतीत होता है कि उसको पहली बार निकाले जाने के बाद मामला पंचायत में सुलझाया गया था जिसके बाद परिवादी को दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 897 वर्ष 2005 में याची सूरत ले जाया गया था किंतु तब भी अभिकथन किया गया था कि दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 897 वर्ष 2005 में याची ने परिवादी को बेचने का प्रयास किया जिसके लिए परिवादी द्वारा पत्र लिखा गया था जिसे प्रदर्श 'X' चिन्हित किया गया था। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उन कारणों से पत्र पर विश्वास किया है जिसका उल्लेख निर्णय में किया गया था जो उक्त दस्तावेज पर विचार किए जाने के लिए पूर्णत: उपयुक्त हैं। पत्र जिसे परिवादी द्वारा सूरत से भेजा गया था, सुझाता है कि उसे सूरत में भी उसके पति द्वारा बार बार यातना दी जाती थी। भले ही उक्त पत्र विचार में नहीं लिया जाता है, गवाहों के मौखिक साक्ष्य बार–बार यातना दिए जाने के बाद विरोधी पक्षकार सं॰2 को सूरत ले जाने के लिए दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 897 वर्ष 2005 में याची के संबंध में तर्कपूर्ण एवं सुस्पष्ट है और सूरत में भी उसे उसके जीवन के प्रति धमकी एवं पति द्वारा किए गए प्रहार के कारण दांपत्य गृह छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था।

19. बचाव ने एक गवाह पेश किया है किंतु उक्त गवाह भी परिवादी का मामला भंजित नहीं कर सका था बल्कि इस गवाह ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया था कि दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 897 वर्ष 2005 में याची सूरत में कार्यरत था और विरोधी पक्षकार सं॰2 भी उसके साथ रहने सूरत गयी थी। अत:, बचाव गवाह ने भी दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 897 वर्ष 2005 में याची के संबंध में तथ्य का असल में समर्थन किया था जैसा विरोधी पक्षकार सं॰2 द्वारा अभिकथन किया गया था। परिवादी द्वारा सामने लाया गया संपूर्ण साक्ष्य सुझाता है कि याची ने विरोधी पक्षकार सं॰2 को शारीरिक मानसिक यातना देने में भाग लिया था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य का अधिमूल्यन किए जाने पर याचीगण को सही प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय अभिपुष्ट किया है।

20. याचीगण के विरूद्ध पारित दोषसिद्धि जिसे अपील में अभिपुष्ट किया गया था के संबंध में अन्यथा निष्कर्षित करने का कोई कारण नहीं होने के चलते इसे एतद् द्वारा संपोषित किया जाता है।

21. किंतु, जहाँ तक याचीगण पर अधिरोपित दंडादेश का संबंध है, यह प्रतीत होता है कि याचीगण वर्ष 2000 से अभियोजन मामला की कठोरता का सामना कर रहे हैं और कुछ समय से अभिरक्षा में भी हैं उक्त तथ्यों पर विचार करने पर याचीगण पर अधिरोपित दंडादेश पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक के लिए उपांतरित किया जाता है।

22. दंडादेश में पूर्वोक्त उपांतरण के साथ अपील खारिज की गयी।

ekuuh; MkW ,l ,uW ikBd] U;k;efr

प्रीतपाल कौर एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 2320 of 2017. Decided on 10th November, 2017.

विद्यालय विधि–वेतनमान–याचीगण के वेतनमान के नियतिकरण का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि याचीगण की नियुक्ति राज्य की आरक्षण नीति का अनुसरण किए बिना की गयी थी–याचीगण के वेतनमान के नियतिकरण के अनुमोदन के लिए और पदग्रहण/नियुक्ति की आरंभिक तिथि से वेतन के भुगतान के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश देने की प्रार्थना आगे की गयी है–अल्पसंख्यक विद्यालय (सहायित अथवा गैर-सहायित) में एस०सी०/एस०टी० शिक्षकों के लिए राज्य अधिरोपित आरक्षण अननुज्ञेय है–अल्पसंख्यक विद्यालयों को अपने संस्थान अथवा संस्कृति के साथ संगत व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार है ताकि अपने सामाजिक–आर्थिक-सांस्कृतिक चरित्र को संरक्षित करने के उनके अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सके–सहायता अनुदान प्राप्त करना मात्र अनिवार्यत: ऐसे विद्यालय अथवा संस्थान को अनुच्छेद 12 के अर्थ के अंतर्गत ''राज्य'' नहीं बनाएगा–कोई नियुक्ति केवल इस आधार पर अनियमित अथवा अवैध घोषित नहीं की जा सकती है कि नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और रोस्टर क्लीयरेन्स प्राप्त किया, याची को दंडित नहीं किया जा सकता है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया–प्रत्यर्थियों को याचीगण को समस्त परिणामिक लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 6 एवं 8)

निर्णयज विधि.–2014 (3) JBCJ 444 (SC) : 2014 (2) JLJR SC 505; 2006 (1) JLJR 161—Referred; (2010) 8 SCC 49; Bihar Law Journals 807; (2010) 8 SCC 49—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Das, Pooja Kumari, For the Petitioners; Mr. L.C.N. Shahedeo, For the Respondents.

आदेश

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याचीगण निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विकास विभाग, झारखंड सरकार, द्वारा जारी दिनांक 9.12.2016 के आदेश (परिशिष्ट-8) के अभिखंडन की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के पास आए हैं, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याचीगण के वेतनमान के नियतकरण का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि याचीगण की नियुक्ति राज्य की आरक्षण नीति का अनुसरण किए बिना की गयी है। आगे याचीगण के वेतनमान के नियतकरण के अनुमोदन के लिए और उनके पदग्रहण/नियुक्ति की आरंभिक तिथि से वेतन का भुगतान करने का निर्देश प्रत्यर्थियों को देने की प्रार्थना की गयी है।

3. अनावश्यक विवरणों से रहित रिट याचिका में प्रकथन किए गए तथ्य संक्षेप में ये हैं कि इन याचीगण को दिनांक 21.12.2013 के पत्र (परिशिष्ट 5) के तहत 4200/- रुपया के ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800/- रुपया के वेतनमान में शिक्षक के मंजूर पद पर सरकारी सहायित अल्पसंख्यक विद्यालय टिनप्लाट खालसा मिड्ल स्कूल की प्रबंधन कमिटी द्वारा नियुक्त किया किया गया बताया जाता है। याचीगण

के पदग्रहण करने के बाद, याचीगण की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख सेवा के अनुमोदन के प्रदान के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजे गए थे और इसे दिनांक 9.1.2015 के मेमो सं॰ 86 (परिशिष्ट 6) के तहत अनुमोदित किया गया था। जिला शिक्षा अधीक्षक का अनुमोदन पाने के बाद, याचीगण की नियुक्ति एवं वेतनमान के नियतकरण से संबंधित संपूर्ण अभिलेख उच्चतर प्राधिकारियों को भेजे गए थे। तत्पश्चात, मामला लंबित रखा गया था और अंततः अचानक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड सरकार ने दिनांक 9.12.2016 के पत्र के तहत याचीगण एवं अन्य शिक्षकों से संबंधित संपूर्ण अभिलेख इस आधार पर वापस कर दिया कि आरक्षण नियमों का अनुसरण नहीं किया गया है। अतः अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए याचीगण द्वारा रिट याचिका दाखिल की गयी है।

4. याचीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰के॰दास, सुश्री पूजा कुमारी द्वारा सहायित, ने निवेदन किया कि दिनांक 9.12.2016 का आदेश अवैध, मनमाना एवं अधिकारिताहीन है। प्रत्यर्थीगण सरकार से सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के मामला में आरक्षण नीति अपनाना आवश्यक बनाती कोई शर्त अधिरोपित नहीं कर सकते हैं। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि चूँकि वर्ष 1981 से एक भी उदाहरण नहीं है जहाँ अल्पसंख्यक संस्थानों पर राज्य सरकार की आरक्षण नीति का अनुसरण करने पर जोर दिया गया है और न ही ऐसा एक भी उदाहरण है जहाँ अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान किया गया था, प्रत्यर्थीगण याचीगण के मामला में भेदभाव करने एवं याचीगण के मामला में दोहरा मानक अपनाने में न्यायोचित नहीं हैं। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अल्पसंख्यक संस्थान में राज्य सरकार की आरक्षण नीति लागू करने पर जोर भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रत्याभूत अधिकार का उल्लंघन है। विद्वान अधिवक्ता ने **प्रमति-शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक न्यास एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,** (2014)2 JLJR SC 505 **[: 2014 (3) JBCJ 444 (SC)]**, पर विश्वास किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार की आरक्षण नीति सहायित अथवा गैर-सहायित अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रति प्रयोज्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **उर्सूलाइन वीमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बनाम झारखंड राज्य,** 2006(1) JLJR 161, पर विश्वास किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक संस्थान पर आरक्षण नीति का अनुसरण करने के लिए जोर नहीं डाल सकती है।

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि याचीगण को रिक्त मंजूर पदों के विरूद्ध नियुक्त किया गया है और याचीगण के पास नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा विहित अध्यपेक्षित अर्हता थी अतः वे अपने पदग्रहण की आरंभिक तिथि के प्रभाव से वेतन के हकदार हैं। आक्षेपित आदेश अवैध है एवं विधि के सुस्थापित सिद्धांत के विरूद्ध है, अतः अपास्त किए जाने का दायी है। विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया कि सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार ने दिनांक 14.8.2014 के पत्र के तहत निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को सूचित किया कि अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा आरक्षण नीति का अनुपालन आवश्यक बनाता विनिर्दिष्ट नियम नहीं है। अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने संस्थान को स्वयं प्रशासित करने का अधिकार है। अपना तर्क समाप्त करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि यह विवाद्यक पहले ही इस न्यायालय द्वारा डब्लू॰पी॰ (एस॰) सं॰ 5807 वर्ष 2016 मे पारित दिनांक 3.11.2017 के अपने निर्णय में विनिश्चित किया जा चुका है और याचीगण का मामला उक्त रिट याचिका के मामला के समरूप है।

5. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थियों द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। किंतु, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अत्यन्त निष्पक्षतः निवेदन करते हैं कि यह मामला डब्लू॰पी॰(एस॰) सं॰ 5807 वर्ष 2016 में पारित आदेश की दृष्टि में विनिश्चित किया जा सकता है।

6. चाहे जो भी हो, पक्षों के निवेदनों को सुनने पर इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि याचीगण के मामला पर विचार करने की आवश्यकता है और निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 9.12.2016 का आदेश (परिशिष्ट 8) निम्नलिखित आधार पर अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

(I) याचीगण का मामला इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि नियुक्ति के समय पर आरक्षण/रोस्टर नीति का अनुसरण नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सिंधी एडुकेशन सोसाइटी एवं एक अन्य बनाम मुख्य सचिव, दिल्ली की एन॰सी॰टी॰ की सरकार एवं अन्य, (2010)8 SCC 49,** में अभिनिर्धारित किया है कि सहायित अथवा गैर सहायित अल्पसंख्यक विद्यालय में एस॰सी॰/एस॰टी॰ शिक्षकों के लिए राज्य अधिरोपित आरक्षण अननुज्ञेय है। अल्पसंख्यक विद्यालयों को अपने संस्थान अथवा संस्कृति के साथ संगत व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार है ताकि अपने सामाजिक आर्थिक–सांस्कृतिक चरित्र को संरक्षित करने के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सके। सहायता अनुदान प्राप्त करना मात्र अनिवार्यतः ऐसे विद्यालय अथवा संस्थान को अनुच्छेद 12 के अर्थ के अंतर्गत ''राज्य'' नहीं बनाएगा।

(II) कोई नियुक्ति केवल इस आधार पर अवैध अथवा अनियमित घोषित नहीं की जा सकती है कि नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और रोस्टर क्लीयेरन्स प्राप्त किया, याची को दंडित नहीं किया जा सकता है।

(III) माननीय पटना उच्च न्यायालय ने **संजीत कुमार बनाम बिहार राज्य, Bihar Law Journals 807,** पैरा 7 में अभिनिर्धारित किया है कि:–

> ^^,l h fLFkfr e] ;fn fu;fDr ikfèkdkjh u ifØ;k dk ikyu ugh fd;k FkkA vkj jkLVj Dyh;jUl ikIr fd;k] mldk nfMr djuk lefpr ugh gkxkA bld vfrfjDr] iR;fFk;k }kjk ey rF;k dk dFku ;g l>ku d fy, ugh fd;k x;k g fd ;kph dh fu;fDr dkVk d ij FkhA ekeyk d bl nf"Vdk.k e] Hky gh ;g ekuk tkrk g fd jkLVj Dyh;jUl ugh fd;k x;k Fkk] ej er e] ;g ;kph dh lok lekIr dju dk i;kIr vkfpR; ugh gk ldrk gA**

7. डब्लू॰पी॰(एस॰) सं॰ 6345 वर्ष 2016, डब्लू॰पी॰ (एस॰) सं॰ 2615 वर्ष 2017 तथा डब्लू॰पी॰(एस॰) सं॰ 5807 वर्ष 2016 में इस न्यायालय के समक्ष समरूप विवाद्यक विचारार्थ आया। इस न्यायालय ने **सिंधी एडुकेशन सोसाइटी एवं एक अन्य बनाम मुख्य सचिव, दिल्ली की एन॰सी॰टी॰ का राज्य, (2010)8 SCC 49** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार करते हुए रिट याचिकाओं को अनुज्ञात किया।

8. पूर्वोक्त नियमों, दिशा निर्देशों, न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 9.12.2016 का आदेश (परिशिष्ट 8) एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है और रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है। प्रत्यर्थीगण को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुती की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर याचीगण को समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। यह कहना अनावश्यक है कि प्रत्यर्थीगण याचीगण के पक्ष में संपूर्ण लाभ अर्थात चालू वेतन एवं अन्य लाभ के साथ वेतन का बकाया जिसके वे आक्षेपित आदेश के अभिखंडन के परिणामस्वरूप के परिणामस्वरूप निर्मुक्त करेंगे।

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

रेखा देवी अग्रवाल

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 2333 of 2010. Decided on 20th June, 2017.

झारखंड सेवा संहिता, 2001–नियम 97–झारखंड पेंशन नियमावली, 2000–नियम 43 एवं 139–निलंबन अवधि के दौरान वेतन के भुगतान के लिए और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए दावा–इस चरण पर निलंबन अवधि के लिए पूर्ण वेतन एवं भत्ता के भुगतान के लिए और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए निर्देश पारित नहीं किया जा सकता है–वर्तमान कार्यवाही में केवल यह किया जा सकता है कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग को सांविधिक प्रावधानों के आलोक में निर्णय लेने का निदेश दिया जाना है। (पैरा 5)

अधिवक्तागण.–M/s Anil Kumar and Raj Kumar Gupta, For the Petitioner; Mr. Arbind Kumar, For the Resp.-State.

आदेश

रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, मूल याची की मृत्यु हो गयी है और दिनांक 20.12.2012 के आदेश के तहत उसकी पुत्री अर्थात रेखा देवी अग्रवाल प्रतिस्थापित की गयी है।

2. निलंबन अवधि के दौरान वेतन के भुगतान के लिए एवं सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए मूल याची इस न्यायालय के पास आया। उसे दिनांक 30.6.1986 के आदेश के तहत निलंबन के अधीन किया गया था और कपट, कूटरचना, लेखा के छल साधन एवं जुर्माना राशियों के गबन के अभिकथन पर विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी। वह 31.1.1997 के प्रभाव से सेवा से अधिवर्षित हुआ। भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409, 420, 486, 120B के अधीन अपराध करने के लिए जी०आर० केस सं० 1636 वर्ष 1986 के तहत उसके विरुद्ध दांडिक मामला दर्ज किया गया था और पूर्वोक्त अपराधों के लिए उसे दोषसिद्ध किया गया था। उसे मुख्य अपराध के लिए 5000/– रुपयों के जुर्माना के साथ तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था। उसने टी०आर० सं० 40 वर्ष 2000 में पारित दिनांक 2.2.2000 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दांडिक अपील सं० 33 वर्ष 2000 दाखिल किया। उसकी मृत्यु 12.5.2012 को हो गयी।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता प्रतिवाद करते हैं कि मूल याची की मृत्यु पर विभागीय कार्यवाही निष्कर्षित हो जाती है और निलंबन का आदेश स्वत: उसको पूर्ण वेतन एवं भत्ता का हकदार बनाते हुए प्रतिसंहृत हो जाएगा।

4. झारखंड सेवा संहिता, 2001 के नियम 97 का पठन निम्नलिखित है:–

^^97 (1) tc ljdkjh lod ftl c[kkLr fd;k x;k g] gVk;k x;k g vFkok fuyfcr fd;k x;k g] dk iucgky fd;k tkrk g] iucgkyh dk vkn'k nu oky l{ke çkfèkdkjh dk&

(a) dr0; l mldh vuifLFkfr dh vofèk d fy, ljdkjh lod dk Hkxrku fd, tku oky oru rFkk HkÙkk d lEcUèk e] rFkk

(b) D;k mDr vofèk dk dÙk0; ij fcrk;h x;h vofèk ekuh tk,xh ;k ugh d lcèk e fopkj djuk gkxk vkj fofufn"V vkn'k ikfjr djuk gkxkA

(2) tgk mifu;e (1) e mfYyf[kr çkfèkdkjh dk er g fd ljdkjh lod dk i.kr% foeDr dj fn;k x;k g] vFkok fuycu dh fLFkfr e] fd ;g i.kr% vU;k;kfpr Fkk] ljdkjh lod dk ijk oru vkj HkÙkk ft ldk og gdnkj gkrk ;fn ml ;FkkfLFkfr c[kkLr ugh fd;k tkrk] gVk;k ugh tkrk vFkok fuyfcr ugh fd;k tkrk] nuk gkxkA

(3) vU; ekeyk e ljdkjh lod dk , l oru vkj HkÙkk dk , lk vuikr fn;k tk,xk tlk , lk l{ke çkfèkdkjh fofgr dj ldrk gA

ijUr ;g fd [kM (2) vFkok [kM (3) d vèkhu HkÙkk dk Hkxrku vU; leLr 'krk d vè;èkhu gkxk ft ld vèkhu , lk HkÙkk xkg; gA

(4) [kM (2) d vèkhu vku oky ekey e dr0; l vuifLFkr jgu dh vofèk dk leLr ç;ktu l dr0; ij fcrk;h x;h vofèk d :i e ekuk tk,xkA

(5) [kM (2) d vèkhu vku oky ekey e dr0; l vuifLFkr jgu dh vofèk dr0; ij fcrk;h x;h vofèk d :i e ugh ekuh tk,xh tc rd , lk l{ke çkfèkdkjh fofufn"Vr% fun'k ugh nrk g fd bl fdlh fofufn"V ç;ktu l , lk ekuk tk,xk%

*ijUr ;g fd ;fn ljdkjh lod , lk pkgrk g rk , lk çkfèkdkjh fun'k n ldrk g fd dr0; l vuifLFkr jgu dh vofèk dk ljdkjh lod dk n; rFkk xkg; fdlh çdkj d vodk'k e lifjofrr dj fn;k tk,xkA***

झारखंड पेंशन नियमावली के नियमों 43 एवं 139 का पठन निम्नलिखित है:–

"43- (a) i'ku inku fd; tku d iR;d ekey d fy, Hkkoh lnkpkj ,d foof{kr 'kÙk gkrh gA ikrh; ljdkj d ikl i'ku ;k fdlh fgLl dk jkd j[ku ;k okil yu dk vfèkdkj ljf{kr jgrk g] vxj i'ku Hkkxh xHkhj vijkèk d fy, nk"kfl) fd;k tkrk g ;k xHkhj dnkpkj dk nk"kh gkrk gA bl fu;e d vèkhu leph i'ku ;k bld fdlh fgLl dk jkd j[ku ;k okil yu d fdlh i'u ij ikrh; ljdkj dk fu.k; vfre ,o fu'pk;h gkxkA

(b) jkT; ljdkj d ikl i'ku ;k fdlh fgLl dk jkd j[ku ;k okil yu dk vfèkdkj rc Hkh ljf{kr jgrk g] pkg LFkk;h :i l ;k fofufn"V vofèk d fy,] rFkk jkT; dk dkfjr fdlh ekfæd {kfr d lep fgLl ;k fdlh v'k dk i'ku l oly dju dk vkn'k dju dk vfèkdkj Hkh ljf{kr jgrk gA vxj i'ku Hkkxh dk U;kf;d ;k foHkkxh; dk;okgh e xHkhj dnkpkj dk nk"kh ik;k tkrk g(;k lokfuofÙk d mijkr iufu;ktu ij inÙk lok ler mldh lok d nkjku dnkpkj ;k ykijokgh l ljdkj dk vkfFkd {kfr dkfjr dju okyk ik;k tkrk g%

ijUr ;g fd&

(a) , lh foHkkxh; dk;okgh] vxj ml le; lfLFkr ugh dh x;h Fkh tc ljdkjh lod ;k lokfuofÙk d igy ;k iufu;ktu d nkjku M;Vh ij Fkk(

(i) jkT; ljdkj dh LohÑfr d fcuk lfLFkr ugh dh tk,xh(

(ii) fdlh , lh ?kVuk d lcèk e gkxh tk , lh dk;okgh d lfLFkr fd; tku d pkj l vfèkd o"k igy ?kfVr u gb gk(vkj

(iii) ,l ikfèkdkj }kjk lpkfyr dh tk,xh ,o ,l LFkku ;k LFkkuk ij tlk jkT; ljdkj fun'k dj rFkk dk;okfg;k ij ykx gku okyh ifØ;k d vulkj gkxh ftu ij lok l c[kkLrxh dk ,d vkn'k fd;k tk ldrk g(

(b) U;kf;d dk;okfg;k] vxj lokfuofÙk d igy ;k iufu;ktu d nkjku lfLFkr u dh x;h gk tc ljdkjh lod lokjr Fkk] [kM (a) d mi[kM (ii) d vulkj lfLFkr dh tk,xh(vkj

(c) vfre vkn'k ikfjr fd; tku d igy fcgkj ykd lok vk;kx l e=.kk dh tk,xhA

Li"Vhdj.k-&bl fu;e d mí';k d fy,&

(a) foHkkxh; dk;okgh dk ikjHk dj fn;k x;k ekuk tk,xk tc ;kph d fo#) fojfpr vkjki ml fuxr dj fn; tkr g ;k] vxj ljdkjh lod dk ,lh frfFk ij ,d iohd frfFk l fuyfcr dj fn;k x;k g(vkj

(b) U;kf;d dk;okfg;k lfLFkr dh x;h ekuh tk,xh%

(i) nkfMd dk;okfg;k d ekey e] ml frfFk dk tc ,d nkfMd U;k;ky; e ifjokn fd;k tkrk g ;k vfHk;kx i= iLrr fd;k tkrk g(vkj

(ii) flfoy dk;okfg;k d ekey e] ml frfFk dk tc ,d flfoy U;k;ky; d ikl ,d ifjokn iLrr fd;k tkrk g] ;k ,d vkonu fd;k tkrk g] tk Hkh fLFkfr gkA**

139(a) fu;ekoyh d vFkhu xkg; li.k i'ku lkekU;r% ugh fn;k tkuk pkfg, ;k tcrd fd nh x;h lok dk okLrko e vueknu iklr ugh fd;k x;k gA

(b) vxj lok ikjHk l gh lrk"kin ugh g] i'ku etj dju oky ikfèkdkjh d jkf'k e ,lh dVkrh djuh pkfg,] tk og Bhd le>A

(c) jkT; ljdkj dk viu fu;=.k d vèkhu dk;jr vèkhuLFk ikfèkdkfj;k }kjk ikfjr i'ku l lcfèkr vkn'k dh leh{kk dh 'kfDr;k Lo; e fufgr g] vxj ;g bl ckr l lr"V g fd ;kph dh lok ijh rjg l lrk"kin ugh Fkh] ;k ;g fd lokdky d nkjku mldh vkj l ?kkj vopkj gku dk iek.k FkkA fdUr] ,lh fdlh 'kfDr dk i;kx lcfèkr i'kuHkkxh dk mld i'ku d lcèk e dh tkuokyh iLrkfor dkjokb d fo:) dkj.k n'kku dk ;fDr;Dr volj u n fn;k tkrk] u gh ,lh 'kfDr dk i;kx i'ku etj djuokyk vkn'k igyh ckj ikfjr fd; tku dh frfFk l rhu o"kk d volku d mijkUr fd;k tk;xkA**

5. पूर्वोक्त सांविधिक प्रावधानों की दृष्टि में, इस चरण पर, निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन एवं भत्ता के भुगतान के लिए और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए निर्देश पारित नहीं किया जा सकता है। इस चरण पर केवल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग, प्रत्यर्थी सं०2 को पूर्वोक्त सांविधिक प्रावधानों के आलोक में निर्णय लेने के लिए निर्देश दिया जाता है। ऐसा निर्णय 8 सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाए।

6. प्रत्यर्थी सं०2 को पूर्वोक्त निर्देश के साथ रिट याचिका निपटायी जाती है।

ekuuh; MkW ,l ,uW ikBd] U;k;efr

अजित कुमार देव एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S)No. 1255 of 2013. Decided on 22nd September, 2017.

(क) सेवा विधि–सेवानिवृत्ति लाभ–निर्धारित कर्म कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार हैं–पेंशन के प्रयोजन से याचीगण की सेवा आरंभिक नियुक्ति की तिथि से और न कि नियमितिकरण की तिथि से गिनी जानी होगी क्योंकि निर्धारित कर्मचारियों की सेवा शर्तें अस्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवा शर्तों के समरूप बनायी गयी हैं–पेंशन नियमावली के नियम 1949 के अधीन उन्हें ऐसे अनुतोष जिसका अस्थायी सरकारी कर्मचारी हकदार है का दावा करने एवं पाने का अधिकार है–राज्य सरकार ने पहले ही दिनांक 12 अगस्त, 1969 के मेमो सं॰ Pen 1024/69/11/11779F के तहत विभिन्न योजनाओं के अधीन नियुक्त अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान करने का निर्णय किया है–राज्य द्वारा ऐसी योजना विरचित किए जाने पर प्रत्यर्थीगण निर्धारित कर्म कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तें अस्थायी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के समरूप होने के नाते अथवा उनकी मृत्यु पर उनके आश्रित/उत्तराधिकारी को समरूप लाभ से इनकार नहीं कर सकते हैं। (पैरा 9)

(ख) सेवा विधि-पेंशन–नियमितिकरण के पहले दी गयी निर्धारित कर्म सेवा पेंशन के प्रयोजन से अर्हक सेवा के रूप में गिने जाने की दायी है–नियमितिकरण के बाद याची की नियुक्ति की आरंभिक तिथि वह तिथि होगी जिसपर कर्मचारी पद का प्रभार लेता है–जब एक बार दैनिक मजदूर की संपूर्ण सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जानी है, तब उसकी नियुक्ति की तिथि उसकी नियुक्ति की आरंभिक तिथि तक धकेल दी जाएगी। (पैरा 10)

निर्णयज विधि.–[2005] 3 JLJR 38 :[2005] 3 JCR 9—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Saurabh Shekhar, For the Petitioners; Mr. Ashish Kumar Shekhar, For the Respondents.

डॉ॰एस॰एन॰पाठक, न्यायमूर्ति.–याचीगण दिनांक 22.3.2011 के मेमो में यथाअंतर्विष्ट आदेश के भाग के अभिखंडन की प्रार्थना के साथ इस माननीय न्यायालय के पास आए हैं जिसके द्वारा आदेश दिया गया है कि दैनिक मजदूरी कर्मचारी के रूप में याचीगण द्वारा दी गयी अवधि सेवा में निरंतरता के प्रयोजन से नहीं गिनी जाएगी।

आगे 5.2.1981 के प्रभाव से याचीगण की सेवा नियमित करने की प्रार्थना की गयी है जहाँ तक यह याची सं॰1 से संबंधित है और 1.4.1981 के प्रभाव से जहाँ तक यह याची सं॰2 से संबंधित है अर्थात तिथि जिस पर याचीगण को एम॰जे॰सी॰ सं॰ 606 वर्ष 2000 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा एस॰एल॰पी॰(सी॰) सं॰ 16784-16820 वर्ष 2000 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर दैनिक मजदूरी कर्मचारी के रूप में काम पर लगाया गया है। उक्त आदेश के अनुसरण में, उनके पदग्रहण की तिथि के प्रभाव से याचीगण की सेवा नियमित करता दिनांक 22.3.2011 का आदेश पारित किया गया है।

क्रमशः 5.2.1981 तथा 1.4.1981 के प्रभाव से याचीगण की सेवा गिनने तथा उक्त तिथि से 22.3.2011 तक शास्तिक ब्याज तथा अन्य पारिणामिक लाभों के साथ वेतन के संपूर्ण अंतर को निर्मुक्त करने की प्रार्थना भी की गयी है।

<u>ताथ्यिक मैट्रिक्सः</u>

2. याची सं०1 ने 5.2.1981 के प्रभाव से दिहाड़ी कर्मचारी के रूप में, अपनी सेवा ग्रहण किया जबकि याची सं०2 ने 1.4.1981 के प्रभाव से अपनी सेवा ग्रहण किया और तत्पश्चात याचीगण की सेवा निर्धारित कर्म स्थापन में ली गयी है और अपनी आरंभिक नियुक्ति की तिथि से दोनों याचीगण अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

3. यह कथन किया गया है कि राज्य सरकार ने 18.6.1993 को परिपत्र उसमें यह प्रावधानित करते हुए जारी किया था कि दैनिक मजदूर कर्मचारी, यदि उन्हें 1.8.1985 के पहले नियुक्त किया गया था और उन्होंने 240 दिनों की अवधि के लिए नियमित रूप से काम किया है, उन्हें नियुक्ति के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी।

4. यद्यपि याचीगण 1981 से कार्य कर रहे थे किन्तु सेवायें 23.3.2011 से नियमित की गयी थी न कि उनकी आर्रंभिक नियुक्ति की तिथि एवं इस प्रकार रिट याचिका दाखिल की गयी है।

4A. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ शेखर तर्क करते हैं कि आक्षेपित आदेश इस सीमा तक अवैध एवं मनमाना है कि सेवा 23.3.2011 से नियमित की गयी है।

5. विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि चूकि याचीगण की सेवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा इस माननीय न्यायालय के अनेक निर्णयों की दृष्टि में नियमित वेतनमान के साथ मंजूर पद पर नियमित की गयी थी, अतः याचीगण पेंशन लाभों के हकदार हैं और इस दशा में आक्षेपित आदेश उस सीमा तक अभिखंडित एवं अपास्त किया जाए और विधि के सुनिश्चित सिद्धांत कि वे विगत 13 वर्षों से निर्धारित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं और उनकी सेवा नियमित वेतनमान में मंजूर पद पर नियमित की गयी है, की दृष्टि में उनको प्रोद्भूत पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभों के लिए उनके मामले पर विचार करने का निर्देश प्रत्यर्थीगण को दिया जा सकता है।

5A. समानांतर स्तंभ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है।

6. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता याचीगण के प्रतिवाद का जोरदार विरोध करते हैं एवं तर्क करते हैं कि याचीगण पेंशन लाभ के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने नियमितिकरण के बाद 10 वर्षों की निरंतर सेवा नहीं दी है जो आज्ञापक आवश्यकता है।

7. विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि निर्धारित कर्म कर्मचारी बिहार पेंशन नियमावली, 1950 से शासित नहीं होते हैं और इस दशा में वे उक्त नियम के मुताबिक किसी लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं।

8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि पेंशन नियमावली के नियम 61 के मुताबिक जो कहती है कि सेवा अर्हित नहीं होती है जब तक सरकारी सेवक स्थायी स्थापन में अधिष्ठायी पद धारण नहीं करता है और इस दशा में पेंशन लाभ का हकदार नहीं है।

9. चाहे जो भी हो, पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों का परिशीलन करने पर इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि याचीगण के मामले पर **राम प्रसाद सिंह बनाम झारखंड राज्य,** (2005)3

JLJR 38/**(2005) 3 JCR 9** में इस माननीय न्यायालय द्वारा अपनी पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय की दृष्टि में विचार किया जा सकता है जिसमें स्पष्टत: अभिनिर्धारित किया गया है कि निर्धारित कर्म कर्मचारी पेंशन लाभों के हकदार हैं। पेंशन के प्रयोजन से याचीगण की सेवा आरंभिक नियुक्ति की तिथि से और न कि नियमितिकरण की तिथि से गिनी जानी होगी क्योंकि नियम 1949 के अधीन निर्धारित कर्म कर्मचारियों की सेवाशर्तें अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के समरूप बनायी गयी है और उन्हें ऐसे लाभ जिसका अस्थायी सरकारी कर्मचारी हकदार है का दावा करने तथा पाने का अधिकार है। चूँकि राज्य सरकार ने पहले ही दिनांक 12 अगस्त, 1969 के मेमो सं० Pen 1024/69/11779-F के तहत विभिन्न योजनाओं के अधीन नियोजित अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान करने का निर्णय किया है, राज्य द्वारा ऐसी योजना की विरचना पर प्रत्यर्थीगण निर्धारित कर्म कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तें अस्थायी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के समरूप होने के नाते अथवा उनकी मृत्यु पर उनके आश्रित/विधिक उत्तराधिकारियों को समरूप लाभ से इनकार नहीं कर सकते हैं।

10. माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने **''हरबंस लाल बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य** में दिनांक 31.8.2010 के अपने निर्णय जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट किया गया है में स्पष्टत: अभिनिर्धारित किया है;–

> *^^tc ,d ckj fuèkkfjr de depkjh dh lok fu;fer dh x;h g] mldk isa'ku ykHkk tlk fu;ekoyh d fu;e 3-17 d vèkhu vU; ykd lodk dk miyCèk g l mldk ofpr dju dk 'kk;n gh dkb rd irhr gkrk gA fofèk d leku lj{k.k dk vFk leLr lefLFkr O;fDr;k d fy, leku fofèk dk lj{k.k gkxkA vuPNn 14 euekukiu ij igkj djrk g D;kfd ikoèkku tk euekuk g lekurk l budkj vrxLr djrk gA jkT; ljdkj d vèkhu vLFkk;h vFkok LFkkukiUu lok Hkh vgd lok fofuf'pr dju d fy, fxuh tkuh gkxhA ;g vrkfdd irhr gkrk g fd viu fu;fefrdj.k d igy fuèkkfjr de LFkkiu e depkjh }kjk nh x;h lokofèk vgd lok fofuf'pr dju d fy, fopkj e ugh yh x;h gA oxhdj.k] ftl ljdkjh lodk tk isa'ku d ik= g vkj o ftUgku fuèkkfjr de depkjh d :i e dke 'k: fd;k vkj ckn e mudh lok fu;fer dh x;h Fkh rFkk vU; d chp fd;k tkuk bfllr fd;k x;k g] fdlh lLi"V ekinM ij vkèkkfjr ugh g vkj] blfy,] fofèk e lik"k.kh; ugh gA fuèkkfjr de depkjh dh lok fu;fer fd, tku d ckn og fdlh vU; lod dh rjg ykd lod gA mlh isa'ku l ofpr djuk euekukiu d nx.k l ihfMr g vkj bu dkj.kk l fu;ekoyh d fu;e 3.17 d mifu;e (ii) d ikoèkkuk dk lfoèkku d vuPNn 14 dk mYy?kudkjh gku d dkj.k fo[kfMr djuk gkxkA*
>
> *iokDr nf"Vdk.k vkx tkfxUnj flg] gtjk flg ,o ulhc flg (Åij) e nkgjk;k x;k FkkA mDr m)r fu;ek dk l;Dr iBu vkj i.k U;k;ihB dk li{k.k idV djxk fd vc ;g lLFkfir g fd lok d fu;fefrdj.k d igy nfud etnjh@fuèkkfjr de ij nh x;h lokofèk minku ,o isa'ku d i;ktu l fxu tku dh nk;h gA**

निर्णयों का संगत दृष्टिकोण यह है कि नियमितिकरण के पहले दी गयी निर्धारित कर्म सेवा पेंशन के प्रयोजन से अर्हक सेवा के रूप में गिने जाने की दायी है। वर्तमान मामले में, मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि नियमितकरण के बाद याचीगण की नियुक्ति की आरंभिक तिथि वह तिथि होगी जिसपर कर्मचारी

पद का प्रभार लेता है। जब एक बार दैनिक मजदूर की संपूर्ण सेवा अर्हक सेवा के रूप में गिनी जानी है, तब उसकी नियुक्ति की आरंभिक तिथि याची सं०1 के मामले में 5.2.1981 तथा याची सं०2 के मामला में 1.4.1981 तक धकेल दी जाएगी। उन्हें नियमितिकरण की तिथि अर्थात 22.3.2011 को लागू करके पेंशन योजना से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तद्नुसार, प्रत्यर्थीगण को पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में निर्धारित कर्म सेवा की संपूर्ण अवधि को मानने का निर्देश दिया जाता है।

11. एस०सुमनयन एवं अन्य बनाम लिमि निरि एवं अन्य, (2010)6 SCC 791, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

^^ge ;gk th0 ih0 Mkoky cuke m0 i0 ljdkj e bl U;k;ky; d ,d vU; fu.k; dk lefpr :i l fufn"V dj ldr g ft le bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd fdlh 0;fDr ft ldh vkjfHkd fu;fDr ;|fi fofgr ifØ;k d vu:i ugh Fkh fdr ckn e ,lk dju dh 'kfDr ,o vfèkdkfjrk j[ku oky ikfèkdkjh }kjk vuekfnr dh x;h Fkh] dh lok dk fu;fefrdj.k lno mudh vkjfHkd fu;fDr dh frfFk l lcfèkr gkxkA ijk 13 ;gk uhp m)r fd;k tkrk g (SCC p 341)

*^^13----;fn igyh fu;fDr fofgr ifØ;k dk vulj.k djd ugh dh x;h Fkh fdr ckn e mldh fu;fDr fu;fer djr g, fu;Dr 0;fDr vuekfnr fd;k tkrk g] ;g Li"V lekU; ckèk g fd foijhr fl)kr dh vuifLFkfr e vueknu] ft ldk vFk g ikfèkdkjh ft l fu;fDr dju vFkok fu;fDr d fy, vu'kflr dju dk ikfèkdkj] 'kfDr ,o vfèkdkfjrk Fkh }kjk lif"Vdj.k] ml frfFk l okil lcfèkr gkxh ft l ij iFke fu;fDr dh x;h g vkj li.k lok dh lx.kuk fujrj inèkkj.k dh vofèk d vulkj ojh;rk fxuu e dh tkuh gkxhA bl ekey e ;g ugh fd;k x;k gA***

12. इसी प्रकार से, यह माननीय न्यायालय **शकुन्तला देवी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, डब्लू०पी०(एस०) सं० 1517 वर्ष 2008** में झारखंड पेंशन नियमावली के नियमों 61 एवं 63 तथा दिनांक 4.9.1962 की अधिसूचना सं० 12928F को विचार में लेते हुए दिनांक 4.10.2012 के आदेश के तहत सुविचारित दृष्टिकोण का था कि अधिष्ठायी पेंशनयोग्य पद के विरूद्ध अस्थायी अथवा स्थानापन्न आधार पर सरकारी सेवक द्वारा पूरी की गयी अवधि पेंशन के प्रयोजन से गिनी जाएगी यदि सेवा स्थायी बनायी जाती है अथवा ऐसा अस्थायी स्थानापन्न पद स्थायी पद में संपरिवर्तित किया जाता है। अधिष्ठायी पद विद्यमान होने पर याची नियमितिकरण के पहले भी सेवा की संपूर्ण अवधि गिनने के बाद पेंशन का हकदार है।

13. पूर्वोक्त नियमों, दिशानिर्देशों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण, मैं एतद् द्वारा प्रत्यर्थियों को पेंशन लाभ के लिए याची की सेवा आरंभिक नियुक्ति की तिथि से और न कि नियमितिकरण की तिथि से गिनते हुए याची के मामला पर विचार करने का निर्देश देता हूँ। मेमो सं० 623 में दिनांक 22.3.2011 का आदेश उस सीमा तक अभिखंडित एवं अपास्त/उपांतरित किया जाता है।

14. जहाँ तक वेतन बकाया का संबंध है, प्रत्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा इस माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त निर्दिष्ट निर्णयों की दृष्टि में इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर विधि के अनुरूप निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

15. परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

शिव शरण यादव एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 3455 of 2007. Decided on 30th August, 2017.

बिहार सरकारी भूमि अधिक्रमण (पुनरीक्षित) अधिनियम, 1972—धारा 3—भूखंड से अधिक्रमण हटाने का निर्देश—आक्षेपित आदेश द्वारा आयुक्त द्वारा उपायुक्त का आदेश मान्य ठहराया गया—सरकार के दावा के मुकाबले किसी व्यक्ति द्वारा अधिकार एवं अभिधान का दावा अंतर्ग्रस्त करने वाले किसी जटिल प्रश्न को संक्षिप्त कार्यवाही में विनिश्चित नहीं किया जा सकता है विशेषतः भूमि अधिक्रमण कार्यवाही के रूप में—याची अपने बयान के समर्थन में प्रश्नगत भूमि पर अपने अधिकार/अभिधान के संबंध में कागज का एक भी टुकड़ा भी दर्शाने में विफल रहा है—याची द्वारा किसी ग्राह्य खंडन की अनुपस्थिति में इस निष्कर्ष कि भूमि की प्रकृति सरकारी भूमि की प्रकृति है की तुलना में किसी अन्य निष्कर्ष को निकालने का कारण नहीं है—न्यायालय अवर न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है—रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 9, 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.—1992(2) PLJR 854—Distinguished.

अधिवक्तागण.—Mr. Rajeeva Sharma, For the Petitioner; Mr. Amit Kumar Verma, For the Resp.-State.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका आर॰ एम॰ ए॰ सं॰ 11 वर्ष 2006-07 में पारित आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा आयुक्त, एस॰ पी॰ डिविजन, दुमका (प्रत्यर्थी सं॰ 2) ने मौजा दुमका (टी॰) सं॰ 7 के भूखंड सं॰ 1913 से अधिक्रमण हटाने का निर्देश देते हुए ई॰ ई॰ सं॰ 114 वर्ष 1998-99 में पारित एस॰ डी॰ओ॰, दुमका (प्रत्यर्थी सं॰ 4) के आदेश को संपुष्ट करते हुए आर एम॰ ए॰ सं॰ 32 वर्ष 2003-04 में पारित उपायुक्त, दुमका (प्रत्यर्थी सं॰ 3) के आदेश को मान्य ठहराया।

3. वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा यथा कथित मामले की ताथ्यिक पृष्ठभूमि यह है कि वर्ष 1932-33 में उसके पिता स्व॰ मुकुन्द महतो उर्फ यादव ने एक कठ्ठा 10 धूर क्षेत्रफल (इसमें इसके बाद उक्त भूमि कहा गया) वाले मौजा दुमका टाउन सं॰ 7, पी॰एस॰दुमका के जे॰ बी॰ सं॰ 28 के भूखंड सं॰ 1913 पर पक्का मकान निर्मित किया जिस भूखंड को गैन्टजर व्यवस्थापन के दौरान बकस्त मालिक के रूप में दर्ज किया गया है। तत्पश्चात, याची का पिता अपने पक्ष में उक्त भूमि के व्यवस्थापन के लिए तत्कालीन जमीन्दार के पास गया और तद्नुसार जमीन्दार ने वर्ष 7932-33 में पट्टा के रूप में उक्त भूमि बंदोबस्त किया। याची द्वारा दावा किया गया है कि तब से याची का पिता उक्त भूमि पर काबिज हुआ। वर्ष 1968 में, अंचलाधिकारी, दुमका ने बिहार सरकारी भूमि अधिक्रमण अधिनियम, 1956 (इसमें इसके बाद 'बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ अधिनियम, 1956' के रूप में निर्दिष्ट) के अधीन भूमि अधिक्रमण मामला दाखिल किया और इसे एल॰ आर॰ डी॰ सी॰, दुमका को अग्रसारित किया जिसने संथाल परगना अभिधृति (पूरक

प्रावधान) अधिनियम, 1949 के अनुरूप याची के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिनांक 3.7.1970 के आदेश के तहत मामला आगे प्रत्यर्थी सं॰ 4 को अग्रसारित किया। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने उक्त भूमि से याची के पिता के विरूद्ध बेदखली का दिनांक 16.3.1971 का आदेश पारित किया। तत्पश्चात, याची के पिता ने उपायुक्त (प्रत्यर्थी सं॰ 3) के समक्ष राजस्व विविध अपील सं॰ 117 वर्ष 1971-72 दाखिल किया। अंततः याची के पिता की अपील दिनांक 29.1.1973 के आदेश के तहत खारिज की गयी थी किंतु पुनरीक्षण आर॰ एम॰ आर॰ सं॰ 28 वर्ष 1973 में आयुक्त, एस॰पी॰ डिविजन, दुमका (प्रत्यर्थी सं॰ 2) ने प्रत्यर्थी सं॰ 3 का आदेश अपास्त कर दिया और यह निर्देश देते हुए कि बिहार सरकारी भूमि अधिक्रमण (पुनरीक्षित) अधिनियम, 1972 (इसमें इसके बाद ''बी॰पी॰एल॰ ई॰ अधिनियम, 1972'' के रूप में निर्दिष्ट) के अधीन याची के विरूद्ध भूमि अधिक्रमण कार्यवाही आरंभ की जा सकती है, मामला प्रत्यर्थी सं॰ 3 को प्रतिप्रेषित कर दिया। इस बीच प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने मामले की जाँच के लिए अंचलाधिकारी, दुमका के समक्ष याचिका दाखिल किया जिस पर अंचलाधिकारी, दुमका ने दिनांक 31.5.1999 के नोटिस के तहत याची को अधिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। तत्पश्चात याची दिनांक 31.5.1999 के नोटिस के विरूद्ध सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 5428 वर्ष 1999 में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष गया जिसे प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को यह निर्देश देते हुए कि याची को केवल विधि के अनुरुप सम्यक रूप से संस्थित कार्यवाही में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के आधार पर बेदखल किया जा सकता है, दिनांक 17.9.1999 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था। इस बीच, प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने प्रत्यर्थी सं॰ 4 के समक्ष बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ अधिनियम, 1972 की धारा 3 के अधीन मामला ई॰ ई॰ मामला सं॰ 114 वर्ष 98-99 दाखिल किया जिसने दिनांक 11.8.2003 के आदेश के तहत याची को उक्त भूमि खाली करने का निर्देश दिया। तद्द्वारा व्यथित होकर, याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 3 के समक्ष आर॰ एम॰ अपील सं॰ 32 वर्ष 2003 दाखिल किया किंतु इसे भी दिनांक 16.2.2006 के आदेश के तहत खारिज किया गया था। अपील लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने डब्लू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 2276 वर्ष 2003 दाखिल किया जिसे अपोषणीय के रूप में 9.5.2003 को खारिज किया गया था। तत्पश्चात, याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 2 के समक्ष द्वितीय अपील आर॰ एम॰ ए॰ सं॰ 11 वर्ष 2006-07 दाखिल किया जिसे भी यह अभिनिर्धारित करके अस्वीकार किया गया कि उक्त भूमि सरकारी भूमि है जो वर्तमान रिट याचिका की दाखिली उद्भूत करती है।

4. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि किसी प्राईवेट व्यक्ति को बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ अधिनियम, 1972 के अधीन कार्यवाही आरंभ करवाने का अधिकार नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालयों ने इस तथ्य को अनदेखा किया कि भूमि गैन्टजर व्यवस्थापन में ''बकस्त मालिक'' के रूप में दर्ज की गयी है और इसे सरकारी भूमि नहीं कहा जा सकता है। यह निवेदन भी किया गया है कि याची एवं उसके हितपूर्वाधिकारी 1932 से उक्त भूमि पर काबिज बने रहे हैं और इस दशा में उन्होंने नवम्बर 1979 के पहले से अर्थात संथाल परगना अभिधृति (पूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949 के आरंभ के पहले 12 वर्षों का निरंतर कब्जा रखने पर प्रतिकूल कब्जा द्वारा अभिधान अर्जित किया। यह निवेदन भी किया गया है कि भूमि के अधिकार एवं अभिधान का जटिल प्रश्न संक्षिप्त कार्यवाही में विनिश्चित नहीं किया जा सकता है, विशेषतः भूमि अधिक्रमण कार्यवाही के रूप में वर्तमान मामला में याची एवं उसके पिता 70 वर्षों से अधिक से आवास निर्मित करके भूमि पर काबिज रहे हैं, इसे बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ अधिनियम, 1972 के अधीन कार्यवाही में हटाया नहीं जा सकता है। अपने निवेदन के समर्थन में, विद्वान वरीय अधिवक्ता **श्रीमती रेखा सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,** 1992(2) PLJR 854, मामला में पटना उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास करते हैं। विद्वान वरीय अधिवक्ता यह निवेदन भी करते हैं कि यह स्थापित करने कि प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि है, के प्रमाण का आरंभिक भार सरकारी प्राधिकारी पर है।

5. प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रश्नगत भूमि ''सरकारी हाट'' है और वर्तमान में यह बाजार समिति के प्रबंधन के अधीन है और याची ने उक्त भूमि का अधिक्रमण किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि उक्त भूमि वर्ष 1932-33 में पट्टा के रूप में याची के पिता के पक्ष में बंदोबस्त की गयी थी। विद्वान अवर न्यायालयों ने सही प्रकार से याची को सुनवाई का समुचित अवसर देकर तथा प्रासंगिक दस्तावेजों के परिशीलन पर याची की बेदखली के आदेशों को पारित किया है। याची अपने दावा के अनुसार 1932-33 से उक्त भूमि पर अपना कब्जा दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था। दूसरी ओर, अभिलेख पर उपलब्ध रिपोर्ट दर्शाते हैं कि उक्त भूमि ''बकस्त मालिक खाता'' के अधीन ''बाजार किता'' है जिस पर बाजार समिति अवस्थित है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि भूमि अधिक्रमण मामला ई॰ ई॰ मामला सं॰ 114 वर्ष 1998-99 प्रत्यर्थी सं॰ 5 के आवेदन के आधार पर और सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1100 वर्ष 1999 में पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में भी आरंभ किया गया था। याची को उक्त भूमि पर अपने दावा के समर्थन में समुचित साक्ष्य देने के लिए अवर न्यायालयों के समक्ष पर्याप्त अवसर दिया गया था किंतु वह अपना बयान कि उक्त भूमि काफी पहले वर्ष 1932-33 में उसके पिता के पक्ष में भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा बंदोबस्त की गयी थी, को सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात बंदोबस्ती पट्टा अथवा कोई लगान रसीद प्रस्तुत करने में विफल रहा। दूसरी ओर, आक्षेपित आदेश से यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 तथा अंचलाधिकारी द्वारा संचालित स्थल सत्यापन पर यह पाया गया था कि बाजार समिति उक्त भूमि पर अवस्थित है जिसका याची द्वारा अधिक्रमण किया गया है। अंचलाधिकारी द्वारा आगे रिपोर्ट किया गया था कि दाग सं॰ 1913 के अधीन क्षेत्रफल 14.05 एकड़ वाली भूमि बाजार किता II के अधीन बकस्त मालिक के रूप में दर्ज की गयी है। प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने समस्त प्रासंगिक दस्तावेजों को विचार में लेने के बाद अभिनिर्धारित किया कि याची ने उक्त भूमि का अधिक्रमण किया है और इस दशा में उसको उक्त अधिक्रमण हटाने के लिए निर्देश जारी किया गया था। अपील एवं पुनरीक्षण में भी प्रत्यर्थी सं॰ 3 एवं 2 ने समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किया कि याची द्वारा भूमि अवैध रूप से अधिक्रमित की गयी है और इस दशा में प्रत्यर्थी सं॰ 4 का आदेश अभिपुष्ट किया।

7. जहाँ तक याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता के निवेदन का संबंध है कि प्राइवेट व्यक्ति को बी॰पी॰एल॰ ई॰ अधिनियम, 1972 के अधीन कार्यवाही आरंभ करवाने का अधिकार नहीं हो सकता है, यह बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ अधिनियम, 1972 की धारा 3 में अंतर्विष्ट प्रावधानों की दृष्टि में अनाधारित है। बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ अधिनियम, 1972 की धारा 3 के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति ''कोई व्यक्ति'' और ''कोई 'स्रोत'' ऐसे व्यक्तियों तक सीमित नहीं है जिसे अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को अधिक्रमण के बारे में रिपोर्ट करने का विधिक अथवा आधिकारिक कर्तव्य है बल्कि यह प्राइवेट नागरिकों अथवा संगठनों को भी सम्मिलित करता है जो प्रश्नगत सरकारी भूमि के अधिक्रमण से प्रभावित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार, प्राइवेट व्यक्ति के आवेदन पर बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ अधिनियम, 1972 के अधीन कार्यवाही आरंभ करने के विरूद्ध वर्जना प्रतीत नहीं होता है।

8. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता का दूसरा निवेदन कि चूँकि भूमि ''बकस्त भूमि'' के रूप में दर्ज की गयी है, इसे सरकारी भूमि नहीं कहा जा सकता है, भी प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा दिनांक 10.4.2007 के आक्षेपित आदेश में की गयी विस्तृत चर्चा की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है जिसमें यह चर्चा की गयी है कि स्थल जाँच से यह पाया गया था कि उक्त भूमि पर बाजार समिति अवस्थित है। मात्र इस तथ्य के

कारण कि उक्त भूमि ''बकस्त भूमि'' के रूप में दर्ज की गयी थी, याची को विधि की किसी प्रक्रिया के माध्यम से उस पर प्रदत्त किसी अधिकार के बिना भूमि का कब्जा लेने का हकदार नहीं बनाती है।

9. यह सुस्थापित विधि है कि सरकार के दावा के मुकाबले किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर अधिकार एवं अभिधान का दावा अंतर्ग्रस्त करने वाला कोई जटिल प्रश्न संक्षिप्त कार्यवाही में विनिश्चित नहीं किया जा सकता है, विशेषत: भूमि अधिक्रमण कार्यवाही के रूप में, किंतु वर्तमान मामला में याची अपने बयान के समर्थन में प्रश्नगत भूमि पर अपने अधिकार/अभिधान के संबंध में कागज का एक टुकड़ा भी दर्शाने में विफल रहा है। इस प्रकार, वर्तमान मामले का तथ्यपरक स्थिति में, **श्रीमती रेखा सिंह एवं अन्य (ऊपर)** मामला में दिया गया निर्णय प्रयोज्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने दिनांक 10.4.2007 के आक्षेपित आदेश में भी उक्त विवाद्यक पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर आया है कि प्रश्नगत भूमि ''बकस्त मालिक खाता'' के अधीन'' बाजार किता II'' बतायी गयी है जिस पर बाजार समिति अवस्थित है और ''हाट'' लगता है। इस प्रकार, याची द्वारा किसी ग्राह्य खंडन की अनुपस्थिति में इस निष्कर्ष कि भूमि की प्रकृति सरकारी भूमि की प्रकृति है की तुलना में कोई अन्य निष्कर्ष निकालने का कारण नहीं है।

10. यद्यपि अनेक मामलों में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि मामला में अभिधान का जटिल प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, तब संक्षिप्त कार्यवाही में व्यक्ति जिसे अप्राधिकृत अधिभोग में बताया जाता है को बेदखल नहीं किया जा सकता है किंतु वर्तमान मामला में याची अपना वैध एवं वास्तविक दावा दर्शानेवाले किसी दस्तावेज के साथ आगे नहीं आया है, अत: मेरे दृष्टिकोण में याची प्रथम दृष्टया भी प्रश्नगत भूमि पर अपना अधिकारपूर्ण कब्जा दर्शाने में विफल रहा।

11. पूर्वोक्त तथ्यों के अधीन, मैं अवर न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं हूँ। रिट याचिका गुणागुण रहित होने के कारण पूर्वोक्ति संप्रेक्षणों के साथ तद्नुसार खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Mkñ ,l ñ ,uñ ikBd] U;k;efr

गोदावरी देवी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 771 of 2003. Decided on 22nd September, 2017.

संथाल परगना अभिधृति अधिनियम, 1949—धारा 72—नामांतरण—रद्दकरण—यदि भूमि का नामांतरण बंदोबस्ती जिसे प्रधान द्वारा किया गया था के आधार पर किया गया था, संथाल परगना अभिधृति अधिनियम के प्रावधानों का अवलंब लेकर इसे रद्द नहीं किया जा सकता था—उपसमाहर्ता, भूसुधार तथा अपर समाहर्ता द्वारा भी पारित आदेश अधिकारिताहीन है क्योंकि प्रश्नगत भूमि गैर-अंतरणीय भूमि में अवस्थित है और नामांतरण विधि के अधीन प्राधिकारी को इसके संबंध में याचिका ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है—किसी समुचित जाँच की अनुपस्थिति में, प्रत्यर्थी प्राधिकारीगण भूमि के अधिकार, अभिधान, एवं कब्जा के संबंध में निष्कर्ष पर नहीं आ सकते थे—प्रत्यर्थी प्राधिकारीगण बंदोवस्ती न्यायालय की शक्ति हड़प नहीं सकते थे और वे अपनी अधिकारिता के परे गए थे—आक्षेपित आदेश अभिखंडित किए गए और मामला उपसमाहर्ता, भूसुधार के पास नए सिरे से विचार किए जाने के लिए वापस भेजा गया। (पैराएँ 7, 8 एवं 9)

निर्णयज विधि.–2003(51) BLJR 2283 : 2004(1) JCR 125 Jhr.; 2008(3) JCR 135—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Jai Prakash Jha, Shree Prakash Jha, Aishwarya Prakash, For the Petitioner; M/s H.K. Mehta, Rakesh Sahi, For the State; M/s Anjani Kumar Verma, Amit Kumar Verma, For the Resp. Nos. 6 and 7.

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.—पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची मौजा चांदपुर के जमाबन्दी सं॰ 6 की भूमि नामांतरित करने के लिए प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को निर्देश देने तथा आगे राजस्व विविध अपील सं॰ 67/93-94 में अपर समाहर्ता, देवघर द्वारा पारित दिनांक 27.6.1998 के आदेश, जिसके द्वारा उन्होंने नामांतरण मामला सं॰ 3/93-94 में उपसमाहर्ता, भूसुधार, देवघर द्वारा पारित दिनांक 28.2.1994 के आदेश को मान्य ठहराया था, के अभिखंडन और तत्पश्चात नए सिरे से नामांतरण पर विचार करने के लिए मामला वापस भेजने की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय में आया है।

3. याची का मामला संक्षेप में यह है कि मौजा चांदपुर सं॰ 261 पी॰ एस॰ जसीडीह की जमाबन्दी सं॰ 6 से संबंधित मौजा चांदपुर के भूखंड सं॰ 560, 561, 562, 796, 1140 एवं 1143 अंतिम सर्वे व्यवस्थापन के 'परचा' में फूलो महतो की पत्नी मोस्मात कमली महतैन के नाम में दर्ज है। याची का दावा रिट याचिका के पैरा 5 में यथा उल्लिखित वंशावली के आधार पर है। याची की दादी कलावती देवी का विवाह ग्राम चांदपुर के देबी महतो के साथ हुआ था। अभिलिखित अभिधारी कमली महतैन अपने जीवनकाल के दौरान अपने पति की बहन कलावती देवी की मदद से समस्त भूमि एवं संपत्ति पर खेती करती थी। कमली महतैन की मृत्यु 1938 में निस्संतान हो गयी और वह अपने पीछे अपने निकटतम उत्तराधिकारी के रूप में कलावती देवी को छोड़ गयी, जिसने उसकी मृत्यु पर मौजा चांदपुर की जमाबंदी सं॰ 6 की समस्त भूमि एवं संपत्ति विरासत में पाया और अपने पति देबी महतो के साथ इसपर काबिज हो गयी जो इसके लगान का भुगतान करने लगा। कमली महतैन के पति की एक अन्य बहन यशोदा देवी की मृत्यु उसकी मृत्यु के पहले हो गयी थी। वर्ष 1938 में कमली महतैन की मृत्यु के बाद देबी महतो की मृत्यु भी वर्ष 1940 में हो गयी। देवी महतो की मृत्यु के बाद, विरोधी पक्षकार अर्थात मधु महतो का दादा प्रश्नगत जमाबन्दी सं॰ 6 की भूमि पर दावा करने लगा। किंतु विवाद मित्रतापूर्वक सुलझाया गया था और जमाबन्दी सं॰ 6 की भूमि उसकी माता कलावती देवी सहित मधु महतो एवं बंधु महतो के बीच विभाजित की गयी थी। उक्त मित्रतापूर्ण बँटवारा में उक्त जमाबंदी सं॰ 6 की संपूर्ण भूखंड सं॰ 560, 562 एवं 1143, भूखंड सं॰ 561 क्षेत्रफल 0.24 एकड़ का उत्तर-पश्चिम एवं दक्षिण-पूर्व भाग कलाबती देवी और उसके पुत्र बंधु महतो के हिस्सा में आया था, जिसका कुल क्षेत्रफल 58 डिसमिल था और भूखंड सं॰ 1143 के शेष भाग के अतिरिक्त संपूर्ण भूखंड सं॰ 796 एवं 1140, कुल 57 डिसमिल मापवाला, विरोधी प्रथम पक्षकार के दादा मधु महतो के हिस्सा में आया था और तद्नुसार उक्त व्यक्ति पृथक रूप से भूमि के अपने परस्पर हिस्सों पर काबिज हुए तथा खेती करने लगे।

बंधु महतो पूरा समय भूमि पर काबिज बना रहा और वर्ष 1957 में उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी दूरपतिया देवी, पुत्र पलकू महतो तथा पुत्री गोदावरी देवी (याची) ने कलावती एवं बंधु महतो को आवंटित जमाबन्दी सं॰ 6 की भूमि सहित समस्त भूमि एवं संपत्ति विरासत में पाया। बंधु महतो की मृत्यु के बाद, उसके पुत्र पलकू महतो की भी मृत्यु हो गयी और परिवार में दुरपतिया देवी तथा याची गोदावरी देवी रहे। दुरपतिया देवी की मृत्यु भी वर्ष 1974 में हो गयी और तत्पश्चात याची परिवार की एक मात्र उत्तरजीवी स्वामी के रूप में बनी रही और वह प्रश्नगत भूमि सहित बंधु की भूमि पर काबिज बनी रहे।

बंधु महतो ने वर्ष 1948 में ग्राम चांदपुर के किसी नाथू महतो के साथ चांदपुर की उसकी भूखंड सं॰ 623 के लिए अपने हिस्सा की जमाबन्दी सं॰ 6 की भूखंड सं॰ 1143 का विनिमय किया जिसपर बंधु महतो ने अपना मकान बनवाया था जिसमें याची अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह रही थी। विनिमय में दी गयी भूखंड सं॰ 1143 नाथू महतो के पुत्र कमल महतो के कब्जा में है। इसी प्रकार से, मधु महतो जमाबन्दी सं॰ 6 में भूमि जो उसको आवंटित की गयी थी, के केवल अपने हिस्सा पर काबिज बना रहा और उसकी मृत्यु पर उसका पुत्र छक्कू महतो और उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र भादो महतो एवं शिबू महतो इस पर काबिज बने हुए हैं और दोनों आधा–आधा योगदान करके लगान का भुगतान कर रहे थे।

याची का मामला यह है कि उसमें विरोधी प्रथम पक्षकार ने वास्तविक तथ्यों को दबाते हुए स्वयं के अभिलिखित अभिधारी का 'नाती'' होने का झूठा दावा करते हुए 15.2.1993 को उप समाहर्ता, भू सुधार, देवघर के समक्ष याचिका दाखिल करके भूखंड सं॰ 560, 561, 562, 796, 1140 एवं 1141 के नामांतरण के लिए गलत रूप से आवेदन दिया जिसने नामांतरण मामला सं॰ 3 वर्ष 1993-94 को उद्‌भूत किया। उक्त उपसमाहर्ता ने अंचलाधिकारी, देवघर से रिपोर्ट मंगाया, जिसने मामले का जाँच नहीं किया था और केवल कर्मचारी द्वारा दाखिल तथा कथित जाँच रिपोर्ट अग्रसारित किया। नामांतरण मामला सं॰ 3/93-94 में उपसमाहर्ता भू सुधार, देवघर के दिनांक 28.2.1994 के आदेश से व्यथित होकर, याची पु॰ वि॰ अपील सं॰ 67/93-94 में अपर समाहर्ता, देवघर के समक्ष आयी, जिसे भी उपसमाहर्ता, भूसुधार, देवघर के आदेश को मान्य ठहराते हुए निपटाया गया था। पूर्वोक्त आदेशों से व्यथित होकर, याची इस न्यायालय के समक्ष आयी है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीप्रकाश झा द्वारा सहायित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री जे॰ पी॰ झा निवेदन करते हैं कि अंचलाधिकारी, देवघर द्वारा दाखिल की गयी रिपोर्ट संपोषणीय नहीं है क्योंकि यह केवल मात्र कर्मचारी द्वारा उपाप्त किया गया दस्तावेज था। कोई जाँच कभी नहीं की गयी थी और अभिकथित रिपोर्ट विरोधी पक्षकार की प्रेरणा पर तैयार किया गया मौनानुकूल रिपोर्ट थी। यंत्रवत काम किया जाना इस तथ्य से स्पष्ट है कि कर्मचारी ने अन्य भूखंडों के साथ भूखंड सं॰ 1141 के नामांतरण के लिए अनुशंसित किया जब भूखंड सं॰ 1141 जमाबन्दी सं॰ 6 के अधीन दर्ज भूमि भी नहीं थी अथवा मोस्मात कमली देवी की थी। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि याची को आशयपूर्वक उपसमाहर्ता के समक्ष पक्ष नहीं बनाया गया था और सोलह आना रैयतों को जारी नोटिस भी वैध रूप से तामील नहीं की गयी थी और छलसाधित तामील रिपोर्ट विरोधी पक्षकार सं॰ 1 की प्रेरणा पर दाखिल की गयी थी। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि उपसमाहर्ता, भूसुधार, देवघर यह अधिमूल्यन करने में बुरी तरह विफल रहे थे कि प्रत्यर्थी सं॰ 6 एवं 7 कर्मचारी से छलसाधित रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं और आगे अपर समाहर्ता, देवघर ने गलत रूप से अभिनिर्धारित किया था कि किसी विशेषज्ञ के मत की अनुपस्थिति में दस्तावेज वास्तविक प्रतीत नहीं होते थे। अपर समाहर्ता और उपसमाहर्ता, भूसुधार यह देखने में विफल रहे कि प्रत्यर्थी सं॰ 6 एवं 7 का प्रश्नगत अचल संपत्ति पर अधिकार एवं अभिधान नहीं है और इस प्रकार उनके पक्ष में नामांतरण आदेश पारित नहीं किया जा सकता था और इस दशा में, अपर समाहर्ता, देवघर का राजस्व विविध अपील सं॰ 67/1993-94 में दिनांक 27.6.1998 का आदेश (परिशिष्ट 1) और नामांतरण मामला सं॰ 3/1993-94 में डी॰ सी॰ एल॰ आर॰, देवघर का दिनांक 28.2.1994 का आदेश (परिशिष्ट 1/A) अभिखंडित किए जाने योग्य है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि याची ने समस्त वैध एवं विधिक दस्तावेज दाखिल किया था ताकि सिद्ध किया जा सके कि जमाबंदी सं॰ 6 में अवस्थित अचल संपत्ति गैर अंतरणीय भूमि है और नामांतरण विधि के अधीन

प्राधिकारी को नामांतरण के लिए याचिका ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अपर समाहर्ता और उपसमाहर्ता, भू सुधार, देवघर यह देखने में विफल रहे हैं कि जमीन्दारी सरिस्ता में रैयतों के नामों की प्रविष्टि तथा लगान का नियतकरण संपूर्ण देवघर जिला में संथाल परगना व्यवस्थापन विनियम सं॰ 3 वर्ष 1872 की धारा 9 के अधीन अधिसूचना के बाद बंदोबस्ती अधिकारी द्वारा किया जा रहा है और उक्त विनियम की धाराओं 12 एवं 13 की दृष्टि में भूमि अधिकारों में जाँच की ऐसी शक्ति बनायी जानी है और उस प्रयोजन से देवघर के सबडिविजनल अधिकारी को सहायक बंदोबस्ती अधिकारी के रूप में नियुक्त भी किया गया है किंतु उपसमाहर्ता, भू सुधार, देवघर एवं अपर समाहर्ता, देवघर बंदोबस्ती न्यायालय की शक्ति हड़पने के लिए अपनी अधिकारिता के परे गए हैं। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि दस्तावेजी साक्ष्य के संबंध में अपर समाहर्ता का निष्कर्ष विकृत एवं गलत है और इस दशा में इस न्यायालय द्वारा अभिखंडित किए जाने योग्य है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे इंगित किया कि गलत कानूनी सलाह पर राजस्व (एम॰) पुनरीक्षण सं॰ 3/98-99 याची द्वारा आयुक्त के समक्ष दाखिल की गयी थी, जिसे 22.10.2002 को अपोषणीय के रूप में निपटाया गया था (परिशिष्ट 2)। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि मौजा चांदपुर प्रधानी मौजा है और कोई त्रिलोचन यादव उक्त मौजा का प्रधान है। प्रधानी मौजा में नामांतरण का अधिकार, जमाबंदी का सृजन आदि अधिकार अभिलेख तथा मिस्सेलेनियस इनसीडेंस ऑफ द संथाल परगना मैनुअल, 1911 के अनुसार मौजा के प्रधान में निहित है और इस दशा में आक्षेपित आदेश पूर्णत: अधिकारिताविहीन है और अभिखंडित किए जाने योग्य है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे तर्क किया है कि प्राधिकारी दस्तावेजी साक्ष्य का अधिमूल्यन करने में विफल रहे हैं और विकृत निष्कर्ष पर आए हैं जो अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य हैं।

विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **गोकुल हरिजन एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2003(51) BLJR 2283 : 2004 (1) JCR 125 Jhr.** में निर्णय पर विश्वास किया है।

5. समानांतर स्तंभ में राज्य प्रत्यर्थियों द्वारा प्रतिशपथपत्र दाखिल किया गया है।

श्री राकेश कुमार साही द्वारा सहायित विद्वान ए॰ ए॰ जी॰ श्री एच॰ के॰ मेहता राज्य की ओर से उपस्थित हुए। विद्वान ए॰ ए॰ जी॰ ने याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता के प्रतिवाद का जोरदार विरोध किया और तर्क किया कि जब एकबार याची राज्य की अधिकारिता के समक्ष गयी थी यह प्रतिवाद कि आदेश अधिकारिताविहीन है, विधि की दृष्टि में मान्य नहीं है। विद्वान ए॰ ए॰ जी॰ ने आगे तर्क किया कि जमाबन्दी सं॰ 6 गैर हस्तांतरणीय है क्योंकि प्रत्यर्थीगण विधिक उत्तराधिकारी हैं और इस दशा में सही प्रकार से भूमि उनके नाम में नामांतरित की गयी हैं। विद्वान ए॰ ए॰ जी॰ ने जोरदार तर्क किया कि विरोधी पक्षकार/प्रत्यर्थी सं॰ 6 एवं 7 के पक्ष में न्यायालय का समवर्ती निष्कर्ष है और इस दशा में इस न्यायालय के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उपसमाहर्ता का और अपर समाहर्ता के आदेश पूर्णत: न्यायोचित हैं। विद्वान ए॰ ए॰ जी॰ ने आगे तर्क किया कि भूमि का संपूर्ण स्वामी कौन है, यह नामांतरण कार्यवाही में विनिश्चित नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिकार एवं अभिधान के संबंध में तथ्य का विवादित प्रश्न सिविल अधिकारिता के सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाना होगा। विद्वान ए॰ ए॰ जी॰ ने **2008(3) JCR 135** में प्रकाशित निर्णय पर विश्वास किया है।

6. प्रत्यर्थी सं॰ 6 एवं 7 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार वर्मा निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश में अवैधता अथवा दुर्बलता नहीं है और इस दशा में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अनावश्यक है।

7. संथाल परगना अभिधृति अधिनियम संथाल परगना में जमीन्दार एवं काश्तकार से संबंधित कतिपय विधियों को संशोधित एवं पूरित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 72 अत्यन्त स्पष्टत: प्रावधानित करता है कि अधिनियम के प्रवर्तन द्वारा संथाल परगना के प्रति प्रयोज्य अन्य विधियों को अभिव्यक्त रूप से अथवा आवश्यक विवक्षा द्वारा दर्ज नहीं किया गया है, तद्द्वारा जिसका अर्थ है कि संथाल परगना में क्षेत्र को शासित करती समस्त विधियाँ, नियम एवं विनियम वैध एवं प्रवर्तनीय बने रहे, अत: मेरे मत में यदि भूमि का नामांतरण प्रधान द्वारा किए गए बंदोबस्ती के आधार पर किया गया था, इसे संथाल परगना अभिधृति अधिनियम के प्रावधानों का अवलंब लेकर रद्द नहीं किया जा सकता था।

8. चाहे जो भी हो, पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने पर, इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि उपसमाहर्ता, भूसुधार तथा अपर समाहर्ता द्वारा पारित आदेश अधिकारिताविहीन है क्योंकि प्रश्नगत भूमि जमाबन्दी सं॰ 6 में अवस्थित है जो गैर-अंतरणीय भूमि है और नामांतरण विधि के अधीन प्राधिकारी को इसके संबंध में कोई याचिका ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है। किसी समुचित जाँच की अनुपस्थिति में प्रत्यर्थी प्राधिकारी भूमि के अधिकार, अभिधान एवं कब्जा के संबंध में निष्कर्ष पर नहीं आ सकते थे। प्रत्यर्थी प्राधिकारीगण बंदोबस्ती न्यायालय की शक्तियाँ हड़प नहीं सकता था और इस प्रकार अपनी अधिकारिता के परे गया था। मूल आदेश स्वयं अधिकारिताहीन है क्योंकि प्रश्नगत भूमि प्रधानी मौजा है और उपसमाहर्ता, भूसुधार को प्रश्नगत संबंधित भूमि को नामांतरित करने की अधिकारिता नहीं है क्योंकि याची पहले से ही प्रधान को लगान का भुगतान कर रही थी।

9. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों एवं विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के समेकित प्रभाव के कारण, मैं राजस्व विविध अपील सं॰ 67/93-94 में अपर समाहर्ता, देवघर द्वारा पारित दिनांक 27.6.1998 का आदेश और नामांतरण मामला सं॰ 3/93-94 में उपसमाहर्ता, भूसुधार, देवघर द्वारा पारित दिनांक 28.2.1994 का आदेश अभिखंडित एवं अपास्त करता हूँ। मामले पर नए सिरे से विचार किए जाने के लिए और विधि के अनुरूप आदेश पारित करने के लिए मामला संबंधित उपसमाहर्ता, भू सुधार, देवघर के समक्ष वापस भेजा जाता है।

---

ekuuh; Jh pæ'k[kj ,o çeFk iVuk;d] U;k;efrx.k

दुलु गगराय उर्फ बनमाली गगराय

cuke

झारखंड राज्य

Criminal (Jail) Appeal (D.B) No. 751 of 2008. Decided on 7th October, 2017.

सत्र विचारण संख्या 64 वर्ष 2006/एस॰ टी॰ आर॰ संख्या 28 वर्ष 2006 में तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰-V, चाइबासा में दिनांक 24.1.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं 31.1.2008 के दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या—आजीवन कारावास—सूचक द्वारा किए गए संदेह मात्र पर अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है—तथ्य किसी तरीके से इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाते हैं कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी पर बाँस की लाठी से प्रहार करके उसकी मृत्यु कारित किया है—सूचक द्वारा अभिकथन कि अपीलार्थी विगत कुछ दिनों से परेशान था अथवा कि उसे घटना के एक दिन पहले संतानों

को पीटते हुए पाया गया था, भी इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाएगा कि अपनी परेशान मानसिक अवस्था में अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की हत्या की है—सूचक, अपीलार्थी का ससुर, ने किसी हेतु को अभिकथित नहीं किया है और न ही विगत काल में अपीलार्थी द्वारा उसकी पुत्री के साथ दुर्व्यवहार के बारे में कुछ कहा है—फरार होना स्वयं में किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं करता है—व्यक्ति भय अथवा झूठा फँसाए जाने अथवा गिरफ्तारी के भय से भाग सकता है—अभियोजन द्वारा साक्ष्य नहीं दिया गया है कि मृत्यु के तुरन्त पहले और मृत्यु के बाद अभियुक्त को घर के अंदर पाया गया था—सत्र विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा दिया गया साक्ष्य न्यायालय को विश्वास नहीं दिलाता है कि अपीलार्थी और केवल अपीलार्थी ने ही अपनी पत्नी की हत्या किया है—मात्र इसलिए कि अपीलार्थी मृत महिला जिसे उसके दांपत्य गृह के भीतर मृत पाया गया था का पति है, अपीलार्थी के दोष पर उपधारणा नहीं की जा सकती है—दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त। (पैराएँ 7 से 11)

निर्णयज विधि.—(2011) 11 SCC 754; (1984) 4 SCC 116—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Mahesh Kumar Sinha, For the Appellant; Mr. Pankaj Kumar, For the State.

श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति.—इस दांडिक (कारा) अपील में एकमात्र अपीलार्थी को अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी पाया गया है। सत्र विचारण सं॰ 64 वर्ष 2006 में उसे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। कारापाल, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, घोटवार, राँची के माध्यम से अग्रसारित दोषसिद्ध के दिनांक 19.5.2008 के पत्र का संज्ञान लेते हुए यह दांडिक (कारा) अपील 1.7.2008 का संस्थित की गयी थी। इस कारा अपील में सत्र विचारण सं॰ 64 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 31.1.2008 के दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश चुनौती के अधीन है।

2. मझगाँव (कुमारडुन्गी) पी॰ एस॰ केस सं॰ 33 वर्ष 2005 में अपीलार्थी का अभियोजन दुलु गगराय के घर में रात्रि लगभग 10.30 बजे 10.11.2005 को दर्ज जोगना पिंगुआ के फर्दबयान के आधार पर संस्थित किया गया था। सूचक ने अभिकथित किया कि उसकी पुत्री अर्थात सोबनी गगराय का विवाह अभिकथित घटना के लगभग 5-6 वर्ष पहले अभियुक्त दुलु गगराय के साथ हुआ था। विवाह संबंध से उनको एक पुत्र एवं एक पुत्री का जन्म हुआ। उसने दावा किया कि अपराह्न 7 बजे उसने सूचना पाया कि उसका दामाद दुलु गगराय ने उसकी पुत्री की हत्या कर दी है। जब वह रात्रि लगभग 9 बजे उसके घर पहुँचा, उसने अपनी पुत्री को चूल्हा के निकट घर के अंदर मृत पड़ा पाया। उसका दामाद, अभियुक्त, घर में उपस्थित नहीं था। अभियुक्त अपीलार्थी के विरूद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन 11.11.2005 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध का संज्ञान लेने के बाद विद्वान दंडाधिकारी ने मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया और अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था जिसके प्रति अभियुक्त ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा कुल 12 गवाहों का परीक्षण किया गया था। बचाव ने भी एक गवाह अर्थात बाबू राम भगत का परीक्षण किया। सूचक जोगना पिंगुआ का परीक्षण अ॰ सा॰ 1 के रूप में किया गया था। अन्वेषण अधिकारी बाबू राम भगत अ॰ सा॰ 10 है और डॉक्टर जिन्होंने मृत शरीर का शव परीक्षण किया का परीक्षण अ॰ सा॰ 11 के रूप में किया गया है। उन्होंने मृत शरीर पर निम्नलिखित उपहतियाँ पाया है:—

(i) [kkiMh d ck, Hkkx ij 2" x 1" x vfLFk rd xgjk fonh.k t[e

(ii) [kkiMh d nk,¡ Hkkx ij 1"x½" x vfLFk rd xgjk fonh.k t[e (nk;k ,o ck;k dku xk;c Fk)

(iii) [kkiMh d ihN 3" x ½" x vfLFk rd xgjk fonh.k t[e

(iv) ihB ij [kjkp

3. यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अभियोजन द्वारा स्थापित परिस्थितियाँ अभियुक्त के दोष की ओर इंगित करती हैं, अभियोजन ने सफलतापूर्वक अभियुक्त के विरूद्ध विरचित हत्या का आरोप सिद्ध किया है, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त अपीलार्थी को अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी पाया और तद्नुसार, उसे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था।

4. अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री महेश कुमार सिन्हा प्रतिवाद करते हैं कि मात्र इसलिए कि अभियोजन द्वारा स्थापित कुछ परिस्थितियाँ अभियुक्त के दोष की ओर इंगित कर सकती हैं, यह भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि यह पाया जाना होगा कि परिस्थितियाँ समस्त उंगलियों को अभियुक्त और केवल अभियुक्त की ओर इंगित करती है और कोई अन्य निष्कर्ष सिवाए इसके कि अभियुक्त ने ही अपराध किया है नहीं निकला जा सकता है। यह प्रतिवाद करते हुए कि सत्र विचारण के दौरान दिए गए साक्ष्य का अधिमूल्यन करने में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश का संपूर्ण दृष्टिकोण स्पष्टत: गलत था, विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि सत्र विचारण सं॰ 64 वर्ष 2006 में पारित निर्णय एवं आदेश में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

5. हमने सावधानीपूर्वक अभियोजन गवाहों एवं तात्विक प्रदर्शों का परीक्षण किया है। किसी भी अभियोजन गवाह ने यह दावा नहीं किया है कि उसने अपीलार्थी को अपनी पत्नी की हत्या करते देखा है। सूचक अ॰ सा॰ 1 दावा करता है कि डुमरिया गाँव के एक कप्तान ने उसको किसी बड़ी घटना के बारे में सूचित किया। सूचक अभिकथित रूप से उक्त कप्तान के साथ अपने दामाद के घर गया, किंतु सत्र विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा उक्त कप्तान का परीक्षण नहीं किया गया था। अ॰ सा॰ 2 शिवचरण गगराय ने न्यायालय में अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह विद्यालय से लौट रहा था, घनश्याम गगराय अ॰ सा॰ 3 ने उसको सूचित किया कि अभियुक्त दुलु गगराय ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। किंतु, अ॰ सा॰ 3 घनश्याम गगराय ने न्यायालय में कथन किया कि फसल काटने के बाद जब वह घर वापस जा रहा था, कृष्णा गगराय अ॰ सा॰ 6 ने उसको सूचित किया कि अभियुक्त दुलु गगराय ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। किंतु, उक्त कृष्णा गगराय जिसका परीक्षण अ॰ सा॰ 6 के रूप में किया गया है ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसका मालिक अर्थात प्यारी ने उसको सूचित किया, जब वह शाम के घर लौट रहा था, कि अभियुक्त दुलु गगराय ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। प्यारी, जिसने अभिकथित रूप से उसको घटना के बारे में संसूचित किया का भी परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं किया गया है। आगे, अ॰ सा॰ 6 स्वीकार करता है कि अन्वेषण के दौरान पुलिस ने उससे घटना के बारे में नहीं पूछा था। सूचक के सिवाए समस्त गवाहों ने अनुश्रुत साक्ष्य दिया है। अन्य गवाहों ने भी दावा नहीं किया है कि वे चश्मदीद गवाहों हैं। उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति से अपीलार्थी की पत्नी की मृत्यु के बारे में जानकारी मिलने का दावा किया है।

6. स्पष्टत:, अभियोजन मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने सत्र विचारण सं॰ 64 वर्ष 2006 में अपने निर्णय में अभियोजन द्वारा स्थापित निम्नलिखित उपहतियाँ पाया है (पैरा 22):—

"(i) lkcuh dk er 'kjhj 10.11.2005 dk vfHk;Dr d ?kj e pYgk d fudV xHkhj eLrd migfr fy, ik;k x;k FkkA

(ii) erd lkcuh vfHk;Dr dh iRuh Fkh vkj nkuk ?kVuk d le; ij xke Mefj;k ihO ,lO dekj fMUxh e ,d gh ?kj e jg jg FkA

(iii) vO lkO 1, 2 ,o 3 d erkfcd er 'kjhj d fudV tehu ij [ku FkkA

(iv) vfHk;Dr d ?kj l [ku dk fu'kku fy, ckl d ykBh d VdM ik, x, FkA

(v) U;k;kyf;d ç;kx'kkyk] jkph d fun'kd dh ,QO ,lO ,yO fjikV çn'k 8 d erkfcd ckl d ykBh ij [ku ik;k x;k FkkA

(vi) çn'k 7 d erkfcd vO lkO 11 }kjk er 'kjhj ij ik;h x;h eLrd migfr;k çÑfr d lkekU; Øe e eR; dkfjr dju d fy, i;kIr FkhA

(vii) vfHk;Dr ?kVuk LFky l vuifLFkr Fkk tc ifyl vk;h vkj mlI vkbO vkñ }kjk iMkIh d ?kj l fxj¶rkj fd;k x;k FkkA

*(viii) vfHk;Dr u viu c;ku e viuh iRuh dh gR;k d ckj e Li"Vhdj.k ugh fn;k FkkA bld ctk; mlu dFku fd;k fd mldh iRuh thfor gA***

7. संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य का परीक्षण करने के बाद हमारा मत है कि विचारण न्यायाधीश कतिपय अनुमानों एवं उपधारणाओं पर मामले में अग्रसर हुए हैं जो विधि में सुआधारित नहीं है। मात्र सूचक द्वारा किए गए संदेह पर अपीलार्थी को भा० दं० सं० की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है। मृतका सोबनी का मृत शरीर मस्तक उपहतियों के साथ, दोनों कान काटे हुए, अभियुक्त के घर के अंदर पाया गया था और मृतका एवं अभियुक्त दोनों एक ही घर में रहते थे अथवा कि जमीन पर खून पाया गया था और खून के निशान के साथ बाँस के फट्टों के दो टुकड़ों पर पाया गया रक्त मानव रक्त था, ये ऐसे तथ्य हैं जो केवल यह उपदर्शित करेंगे कि मृत्यु शायद बाँस के फट्टों के प्रहार के कारण कारित हुई थी। ये तथ्य किसी तरीके से इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाते हैं कि अपीलार्थी ने ही उसपर बाँस के फट्टों से प्रहार करके अपनी पत्नी की मृत्यु कारित थी। सूचक द्वारा अभिकथन कि अपीलार्थी विगत कुछ दिनों से परेशान था अथवा कि उसे घटना के एक दिन पहले अपने संतानों को पीटता हुआ पाया गया था, भी इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाएँगे कि अपनी परेशान मानसिक अवस्था के कारण अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की हत्या की है। सूचक, अपीलार्थी का ससुर, ने कोई हेतु अभिकथित नहीं किया है और न ही उसने विगत काल में अपीलार्थी द्वारा अपनी पुत्री के साथ किसी दुर्व्यवहार के बारे में कुछ कहा है। घटना स्थल से अपीलार्थी की फरारी के प्रश्न पर, यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि अपीलार्थी को पड़ोसी के घर से गिरफ्तार किया गया था और वस्तुत: गवाहों में से एक ने कहा है कि उसे अपने घर के अंदर पाया गया था। एक क्षण के लिए यह भी स्वीकार करते हुए कि अपीलार्थी को अपने घर के अंदर अथवा निकट नहीं पाया गया था जब पुलिस घटनास्थल पर आयी, फरारी स्वयं में व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं करती है, यह सुस्थापित विधि है। व्यक्ति भय अथवा झूठा आलिप्त किए जाने अथवा गिरफ्तारी के भय से भाग सकता है। (देखें **शेख यूसूफ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2011)11 SCC 754)**

8. अभियुक्त अपीलार्थी को भा० दं० सं० की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करने के लिए विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा विचार में लिए गए एक अन्य परिस्थिति यह है कि अभियुक्त अपनी पत्नी की हत्या के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है। यह दर्ज करना अनावश्यक नहीं होगा कि अभियोजन द्वारा साक्ष्य नहीं दिया गया है कि मृत्यु के तुरन्त पहले एवं मृत्यु के बाद अभियुक्त

को घर के अंदर पाया गया था। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त परिस्थिति पर विश्वास करके विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश दांडिक विधिशास्त्र में सुस्थापित सिद्धांत के विपरीत अग्रसर हुए हैं कि अभियोजन को अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे स्थापित करना है और सिवाए उन मामलों में जहाँ प्रमाण का भार अभियुक्त पर चला गया है, अभियुक्त को यह सिद्ध नहीं करना है कि उसने अपराध नहीं किया है। **शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984)4 SCC 116,** में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है: "151 यह सुस्थापित है कि अभियोजन को स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना अथवा गिरना होगा और यह बचाव में कमजोरी से ताकत नहीं पा सकता है। यह पूर्व से प्रचलित विधि है और किसी निर्णय ने विपरीत दृष्टिकोण नहीं लिया है।''

9. उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध करने में विधि में गंभीर गलती किया है। कुछ परिस्थितियाँ जिन्हें विद्वान न्यायाधीश द्वारा सिद्ध किया गया पाया गया है वस्तुत: अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं की गयी है। अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि मृतका के मृत शरीर पर पायी गयी उपहतियाँ अन्वेषण अधिकारी द्वारा बरामद दो फट्टों से कारित की गयी थीं। यह अधिक स्पष्ट है जब हम गौर करते हैं कि मृतक के दोनों कान कटे हुए पाए गए थे, जो निश्चय ही बाँस के फट्टों द्वारा कारित नहीं किए जा सकते हैं। अभियोजन जो सिद्ध कर सका था यह था कि मृतका सोबनी का मृत शरीर अभियुक्त के घर के अंदर पाया गया था और जमीन पर एवं बाँस के फट्टों पर खून पाया गया था। ऐसे अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर हमारे मत में, अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। सत्र विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा दिए गए साक्ष्य न्यायालय को विश्वास नहीं दिलाते हैं कि केवल अपीलार्थी ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है।

10. विचारण न्यायाधीश के दृष्टिकोण में गंभीर कमी स्पष्ट है जब वह दर्ज करते हैं कि ''मैं आश्वस्त हूँ कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या की है...' न्यायाधीश का दृढ़ विश्वास किसी व्यक्ति को उसके विरूद्ध अभिकथित अपराध के लिए दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायाधीश को विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर व्यक्ति के दोष के बारे में पूर्णत: आश्वस्त होना होगा। हम आगे पाते हैं कि यह निष्कर्षित करते हुए कि ''चूँकि समस्त स्थापित परिस्थितियाँ उसके दोष की ओर इंगित करती हैं, अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध हत्या का आरोप सिद्ध करने में सफल हुआ है'', विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने विधि में एक अन्य गलती की है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार अभिनिर्धारित किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में दोष का निष्कर्ष केवल तब न्यायोचित ठहराया जा सकता है जब अपराध में फँसाने वाले समस्त तथ्य एवं परिस्थितियाँ अभियुक्त की निर्दोषिता के साथ असंगत पायी गयी हैं। यह पर्याप्त नहीं है कि अभियोजन द्वारा सिद्ध की गयी परिस्थितियों में से कुछ अभियुक्त की ओर संदेह की उंगली उठाती हैं, यह पाया जाना होगा कि अपराध में फँसाने वाली समस्त परिस्थितियाँ उपदर्शित करती हैं कि केवल अभियुक्त ने ही अपराध किया है और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त के दोष के सिवाए कोई अन्य प्राक्कल्पना निष्कर्षित नहीं की जा सकती है। आखिरकार, हमारे दांडिक न्याय प्रणाली में अभियुक्त को उस अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किए जाने का अधिकार है जिसे अभियोजन पूरी तरह सिद्ध करने में विफल रहा है। मात्र इसलिए कि अपीलार्थी मृत महिला जिसे अपने दांपत्य गृह के अंदर मृत पाया गया था का पति था, अपीलार्थी के दोष पर उपधारणा नहीं की जा सकती है।

11. पूर्वोक्त तथ्यों की दृष्टि में तथा अपीलार्थी के विरूद्ध भा० दं० सं० की धारा 302 के अधीन हत्या का आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन द्वारा सिद्ध की गयी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमारा मत है कि अभियोजन अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ० टी० सी० V चाइबासा ने अपीलार्थी को भा० दं० सं० की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी को दोष सिद्ध करने और उसको आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश देने में विधि में गंभीर गलती किया है।

12. परिणामस्वरूप, सत्र विचारण सं० 64 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 24.1.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 31.1.2008 का दंडादेश अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को तुरन्त निर्मुक्त किया जाएगा यदि किसी अन्य दांडिक मामला के संबंध में उसकी आवश्यकता नहीं है।

13. वर्तमान दांडिक (कारा) अपील सं० 751 वर्ष 2008 अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

बजाज एलियांज जेनरल इंश्योरेन्स कं० लि०, धनबाद

cuke

सुंधिया देवी एवं अन्य

M.A. No. 206 of 2017. Decided on 5th January, 2018.

मोटर यान अधिनियम, 1988–धारा 166–सड़क दुर्घटना–अपीलार्थी बीमा कंपनी द्वारा आक्षेपित अधिनिर्णय को इस आधार पर चुनौती कि ट्रक के पास दुर्घटना की तिथि पर वैध परमिट नहीं था–चूँकि वाहन दुर्घटना की तिथि पर अपीलार्थी बीमा कंपनी के साथ बीमाकृत किया गया था, मुआवजा का भुगतान करने की जिम्मेदारी सही प्रकार से बीमा कंपनी पर डाली गयी है–बीमा कंपनी को 'भुगतान एवं वसूली' के सिद्धांत पर ट्रक स्वामी से राशि की वसूली के लिए विधि के अनुरूप कदम उठाने की स्वतंत्रता दी गयी। (पैराएँ 3 एवं 7)

निर्णयज विधि.–(2017) 4 SCC 796—Applied.

अधिवक्तागण.–M/s Alok Lal, Santosh Kumar, For the Appellant; M/s Saibal Kumar Laik, Arun Kumar, Sushant Kumar, For the Respondents.

आदेश

अपीलार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता, दावेदारों प्रत्यर्थियों 1 से 7 के विद्वान अधिवक्ता और उल्लंघन करने वाले ट्रक स्वामी प्रत्यर्थी सं०8 के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह अपील उल्लंघन करने वाले ट्रक द्वारा दुर्घटना के कारण कारित मृत्यु के मामला से उद्भूत होने वाले अभिधान (एम०वी०) दावा मामला सं० 46 वर्ष 2014 में एम०ए०सी०टी०, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 3.10.2016 के आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध निर्देशित है जिसमें दावेदारों प्रत्यर्थियों को एम०वी०अधिनियम की धारा 148 के अधीन पहले ही प्राप्त किए गए 50,000/–रुपयों के मुआवजा सहित 9,56,000/–रुपयों का मुआवजा अधिनिर्णीत किया गया है। इस प्रकार, मुआवजा की शेष राशि 9,06,000/–रुपयों का भुगतान प्रतिवादी सं०2 (वर्तमान अपीलार्थी) द्वारा दावेदारों को 6% वार्षिक दर पर ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया गया था और विभिन्न दावेदारों को भुगतान की जाने वाली राशि भी एम०ए०सी०टी० द्वारा प्रभाजित की गयी थी।

3. अपीलार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आक्षेपित अधिनिर्णय को दी गयी एकमात्र चुनौती यह है कि प्रश्नगत ट्रक के पास दुर्घटना की तिथि पर वैध परमिट नहीं था और तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया था कि मुआवजा का भुगतान करने का दायित्व ट्रक स्वामी पर अधिरोपित किया जाना चाहिए और न कि बीमा कंपनी पर। किंतु, यह स्वीकृत तथ्य है कि दुर्घटना की तिथि पर ट्रक अपीलार्थी बीमा कंपनी में बीमाकृत किया गया था।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान मोटर यान अधिनियम की धारा 66 की ओर आकृष्ट किया है जिसके अधीन वस्तुओं के परिवहन के लिए वाहनों को भी क्षेत्रीय अथवा राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अथवा प्रतिहस्ताक्षरित किए गए परमिट रखने की आवश्यकता है, चाहे वस्तुओं का परिवहन किया जा रहा हो या नहीं। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान एम०ए०सी०टी० द्वारा विरचित विवाद्यक सं० 6 की ओर आकृष्ट किया है जिसका पठन है– ''क्या वाहन का परमिट उस समय पर वैध था?'' ट्रक स्वामी ने अभिवचन किया था कि ट्रक के इंजन में कुछ कमियाँ थी और ट्रक गराज में रखा गया था किंतु दुर्घटना की तिथि पर इसे चालक द्वारा परिवहन कार्यालय ले जाया जा रहा था, जब दुर्घटना हुई थी जिसका परिणाम पीड़ित की मृत्यु में हुआ। ट्रक स्वामी के दावा के अनुसार दावा सुलझाने के लिए वाहन का परमिट आवश्यक नहीं था। अधिकरण ने निष्कर्ष दिया है कि ट्रक स्वामी द्वारा किया गया अभिवचन पूर्णत: पश्चात विचार था और इसे केवल उल्लंघन करने वाले वाहन के परमिट के दायित्व से स्वयं को बचाने के लिए किया गया था और इसलिए अधिकरण ने ट्रक स्वामी के विरूद्ध आवश्यक परमिट प्रस्तुत नहीं करने के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला है। किंतु मुआवजा अधिनिर्णीत किया गया है और अपीलार्थी बीमा कंपनी पर दावेदारों को मुआवजा का भुगतान करने का दायित्व डाला गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि जब एक बार ट्रक स्वामी के विरूद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया था, मुआवजा का भुगतान करने का दायित्व ट्रक स्वामी पर डाला जाना चाहिए था और न कि बीमा कंपनी पर।

5. दावेदारों प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता तथा ट्रक स्वामी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है। दावेदारों प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने **मनुआरो खातून एवं अन्य बनाम राजेश कुमार सिंह एवं अन्य, (2017)4 SCC 796** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें निम्नलिखित विधि अधिकथित की गयी है:–

> *"13. bu vihykksa e fopkjkFkZ mnHkwr gksus okyk ,dek= ç'u ;g gS fd D;k vihykFkhZx.k mPp U;k;ky; }kjk ikfjr fu.kZ; ... (as printed)*

"13. bu v ihyk e fopkjkFk mnHkr gku okyk ,dek= ç'u ;g g fd D;k v ihykFkhx.k mYy?ku dju oky okgu d chekdrk] vFkkr] ¼çR;Fkh l0 3) d fo#) v ihykfFk;k dk vfèkfu.khr jkf'k dk Hkxrku dju d fy, vkj rc mlh dk;okgh e mYy?ku dju oky okgu VkVk lek d Lokeh çR;Fkh l0 1 chekÑr l mDr jkf'k oly dju d vkn'k d gdnkj gA

14. gekj er e] iokDr ç'u vc vfu.khr ugh gA tlk ge xkj djr g] ;g foxr e u'kuy b';kjUl d0 fy0 cuke cytthr dkj] u'kuy b';kjUl d0 fy0 cuke pYyk miUn jko] u'kuy b';kjUl d0 fy0 cuke dk'kY;k noh] u'kuy b';kjUl d0 fy0 cuke jk'ku yky] vkj u'kuy b';kjUl d0 fy0 cuke ioFkuuh] e f=&U;k;kèkh'k U;k;ihB ,o f} U;k;kèkh'k U;k;ihB }kjk fn, x, bl U;k;ky; d vud fu.k;k d fo"k; oLr FkA

*15. ;g ç'u gky e çcèkd] u'kuy b';kjU l diuh fyfeVM cuke lkt ihO iky ,o ,d vU; (Åij) e Hkh fopkjkFk vk;k Fkk ft le bl U;k;ky; u mDr mfYyf[kr fo"k; ij li.k io fu.k; t fofèk dk è;ku e fy;k vkj vfèkfu;e dh èkkjk 147 d lnHk e ç'u dk ijh{k.k fd;kA mPp U;k;ky; d fu.k; dk myV dj chek diuh }kjk nkf[ky vihy vuKkr djr g,] rF;k ij ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd pfd ihfMr mYy?ku dju oky okgu e ^^fuh'kYd ;kf=;k** d :i e ;k=k dj jg Fk vkj blfy, chek diuh dk chek ikfylh dh rkdr ij n?kVuk l mnHkr gku okyk nkf;Ro mBku d fy, nk;h vfHkfuèkkfjr ugh fd;k tk ldrk gA* ***fdr] bl U;k;ky; u vfèkfu;e d fgr"kh mí'; vkj ekey e mnHkr gku oky vU; çkfxd dkjdk dk è;ku e j[kr g, nkonkjk dk vfèkfu.kh jkf'k dk Hkxrku dju vkj rc mlh dk;okgh e ^^Hkxrku ,o oly dju** dk fl)kr ykx djd chekÑr l mDr jkf'k dk oly dju dk fun'k chek diuh d fo#) tkjh fd;kA***

*** *** ***

*21. iokDr ppk dh nf"V e] gekjk nf"Vdk.k g fd ;ukbVM bfM;k chek diuh (çR;Fkh l0 3) dk mud mYy?ku dju oky okgu ftl bld pkyd dh mi{kk d dkj.k n?kVuk dkfjr dju e vrxLr ik;k x;k Fkk dk chekdrk gku d ukr mudk (;ukbVM bfM;k chek diuh çR;Fkh l0 3) **igy vihykfFk;k (nkonkjk) dk vfèkfu.kh jkf'k dk Hkxrku dju vkj rc mYy?ku dju oky okgu (VkVk lek) d Lokeh çR;Fkh l0 1 l blh ekey e mnHkr gku oky fu"iknu dk;okgh e mij m)r lkt ihO iky ekey d ijk 26 e vfèkdfFkr fofèk d erkfcd vfèkfu.kh dh x;h jkf'k oly dju** dk fun'k nr g, fun'k tkjh dju dh vko';drk gA***

¼ej }kjk j[kkfdr fd;k x;k½

पूर्वोक्त निर्णय पर विश्वास करते हुए दावेदारों प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी बीमा कंपनी को दावेदारों को अधिनिर्णीत मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए और उन्हें वाहन स्वामी से राशि वसूल करने की स्वतंत्रता दी जा सकती है।

6. प्रत्यर्थी ट्रक के स्वामी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मामले के तथ्यों में, मामले में परमिट सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी और दायित्व सही प्रकार से बीमा कंपनी पर डाला गया है क्योंकि दुर्घटना की तिथि पर ट्रक अपीलार्थी बीमा कंपनी में बीमाकृत था।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर, मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि मामले के तथ्य **मनौरा खातून मामला (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा पूर्णत: आच्छादित है। चूँकि वाहन दुर्घटना की तिथि पर अपीलार्थी बीमा कंपनी के साथ बीमाकृत था, मुआवजा का भुगतान करने की जिम्मेदारी सही प्रकार से बीमा कंपनी पर डाली गयी है। तद्नुसार, अपीलार्थी बीमा कंपनी को आगे किसी विलंब के बिना दावेदारों को अधिनिर्णीत मुआवजा की शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। अपीलार्थी बीमा कंपनी उक्त उद्धृत निर्णय में अधिकथित विधि के मुताबिक 'भुगतान एवं वसूली' के सिद्धांत की दृष्टि में ट्रक स्वामी से राशि वसूल करने के लिए विधि के अनुरूप कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगी यदि वे ऐसा चाहते हैं।

8. आई०ए०सं० 5892 वर्ष 2017 में पारित दिनांक 21.7.2017 के आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी बीमा कंपनी ने पहले ही अवर न्यायालय में अधिनिर्णीत मुआवजा का 50% जमा किया है।

दावेदारगण अवर न्यायालय से जमा की गयी राशि वापस लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। दावेदारगण अपील की दाखिली के समय पर जमा की गयी सांविधिक राशि भी वापस लेने के हकदार होंगे।

9. तद्नुसार, यह अपील उक्त निर्देशों के साथ निपटायी जाती है।

---

ekuuh; ieFk iVuk;d] U;k;efr

गोदनाथ महतो

cuke

सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य

W.P. (S) No. 6870 of 2007. Decided on 10th January, 2018.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–जन्मतिथि–शुद्धि–याची ने विद्यालय निर्गम प्रमाण पत्र पहले कभी नहीं प्रस्तुत किया था–जन्मतिथि विवाद सेवा करिअर के अंतिम छोर पर ग्रहण नहीं किया जा सकता है–उच्च न्यायालय जन्मतिथि के परिवर्तन अथवा सुधार के लिए असाधारण अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता है जब याची जन्मतिथि से अवगत होने पर समय के प्रासंगिक बिन्दु पर इसे चुनौती देना नहीं चुना था और पुनः जन्मतिथि की शुद्धि के लिए दावा ठोकने के लिए गहरी नींद से जागा–याची का दावा और कुछ नहीं वल्कि अनुचित साधन अपना कर एवं निर्मित दस्तावेजों द्वारा मामला बनाने के लिए बाद में सोचा गया विचार है–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 4, 6 से 8)

निर्णयज विधि.–(1993) 2 SCC 162 ;(1995) 4 SCC 172 ; (2010) 14 SCC 423 ; (2011) 9 SCC 664—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr.Gautam Kumar Singh, For the Petitioners; Mrs. Ranjana Mukherjee, For the Respondents.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–संलग्न रिट आवेदन में याची ने परिशिष्ट 3 के तहत दिनांक 2.8.2007 के आदेश तथा परिशिष्ट 4 के तहत दिनांक 19.9.2007 के पत्र के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा सी०एम० पी०एफ० अभिलेख के मुताबिक जन्मतिथि 20.4.1952 से 1.2.1948 में सुधारी एवं परिवर्तित की गयी थी और याची ने दिनांक 20.4.1952 की जन्मतिथि के अनुसार प्रत्यर्थी प्राधिकारी के अधीन सेवा में बने रहने की अनुमति याची को देने के लिए प्रत्यर्थियों को आज्ञा देने वाला परमादेश रिट जारी करने की प्रार्थना भी की है।

2. रिट आवेदन की दाखिली की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची को 5.4.1973 को नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात याची की सेवा पुस्तिका खोली गयी थी जिसमें जन्मतिथि 20.4.1952 दर्ज की गयी थी। उक्त सेवा उद्धरण में याची के अंगूठा का निशान और सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर किया गया था। जब याची को 30.1.2008 को सेवानिवृत्ति की आसन्न तिथि के बारे में मौखिक रूप से संसूचित किया गया था, याची ने रिट आवेदन के परिशिष्ट-2 के तहत अपनी शिकायत रखते हुए 21.8.2007 को तुरन्त अभ्यावेदन दिया। जब अभ्यावेदन विचार किए जाने के लिए लंबित था, वरीय कार्मिक अधिकारी, टोपा कोलियरी ने याची को सूचित किया कि टास्क फोर्स कमिटी ने जन्मतिथि सत्यापित किया है और इसे सी०एम०पी०एफ० अभिलेख के मुताबिक सही करवाया और तद्नुसार याची की जन्मतिथि 20.4.1952 से 1.2.1948 में बदली गयी है जो परिशिष्ट-3 के मुताबिक दिनांक 2.8.2007

से स्पष्ट है। तत्पश्चात उसकी जन्मतिथि 1.2.1948 मानते हुए 31.1.2008 को उसकी अधिवर्षिता के बारे में दिनांक 19.9.2007 का नोटिस याची पर तामील किया गया था जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट 4 से स्पष्ट है। रिट आवेदन में प्रकथन किया गया है कि प्रत्यर्थियों ने स्वयं सेवा उद्धरण में याची की मूल जन्मतिथि में काटछाँट किया है और इसे 1.2.1948 में बदला है जो परिशिष्ट 5 से बिलकुल प्रकट है और कि नोटिस के बिना जन्मतिथि परिवर्तित की गयी है और याची की सेवा के अंतिम छोर पर एकपक्षीय परिवर्तन किया गया है। तत्पश्चात, याची ने रिट आवेदन के परिशिष्ट 6 के तहत विस्तृत अभ्यावेदन दाखिल किया जिसने प्रत्यर्थी प्राधिकारियों से कोई प्रत्युत्तर नहीं पाया था। परिशिष्टों 3 एवं 4 के तहत आक्षेपित आदेशों से असंतुष्ट एवं व्यथित होकर, याची कोई विकल्प नहीं रहने पर अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय के पास आया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि परिशिष्टों 3 एवं 4 के तहत आक्षेपित आदेशों को जारी करने में प्रत्यर्थियों की कार्रवाई अवैध, मनमानी एवं अधिकारिताहीन है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि सेवा उद्धरण जो अधिप्रमाणित दस्तावेज है में दर्ज जन्मतिथि के मुताबिक याची को 30.4.2012 तक सेवा में बने रहने का अनुमान था किंतु प्रत्यर्थियों ने याची को कोई नोटिस जारी किए बिना सेवा करिअर के अंतिम छोर पर अपनी एकपक्षीय कार्रवाई द्वारा जन्मतिथि बदल दिया है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी है।

4. रिट आवेदन में किए गए प्रकथनों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थियों की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रतिशपथ पत्र में यह कथन एवं निवेदन किया गया है कि प्रत्येक माह मजदूरों को जारी वेतन परची पर जन्मतिथि अंकित होती है और समय के किसी बिन्दु पर याची ने इस पर आपत्ति नहीं किया। वस्तुत:, याची ने सेवा करिअर के अंतिम छोर पर विवाद्यक उठाया। इसके अतिरिक्त, याची को 4.2.2008 को उपदान चेक सौंपा गया है जिसे उसके द्वारा किसी विरोध के बिना स्वीकार किया गया है जो एक प्रकार से विवक्षित करता है कि संबंधित कर्मकार उक्त शपथ पत्र के परिशिष्ट A के मुताबिक विभिन्न सेवा अभिलेखों में दर्ज जन्मतिथि से सहमत है। आगे यह निवेदन किया गया है कि टास्क फोर्स का गठन किया गया था और उक्त टास्कफोर्स ने प्रत्यर्थी कंपनी के समस्त क्षेत्रों का दौरा किया। यह कथन किया गया है कि कुजु क्षेत्र एवं संबंधित कोलियरी के इसके दौरा पर टास्क फोर्स ने सम्यक परीक्षण के बाद अनेक कर्मचारियों की जन्मतिथि सुधारा था। आगे यह निवेदन किया गया है कि समय-समय पर कंपनी द्वारा इस प्रकार रखी गयी एवं अद्यतन की गयी एन०ई०आई०एस० के नाम से ज्ञात कर्मचारियों की कंप्यूटरीकृत सेवा विशिष्टियाँ भी प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट B के मुताबिक उसकी जन्मतिथि 1.2.1948 धारण करती है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची ने पहले विद्यालय निर्गम प्रमाणपत्र कभी नहीं दाखिल किया था। यदि इसे आरंभिक नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया गया होता, दावा की गयी जन्मतिथि दर्ज की जाती और कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। इसके अतिरिक्त, जब बाद के अवसर पर अर्थात वर्ष 1987 में जब सेवा उद्धरण समस्त कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए थे, याची ने ऐसा कोई विवाद्यक उठाते हुए कोई प्रश्न नहीं उठाया था अथवा ऐसा कोई तात्पर्यित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। अत: याची का दावा और कुछ नहीं बल्कि अनुचित साधन अपनाकर तथा निर्मित दस्तावेजों द्वारा मामला बनाने के लिए पश्चात विचार है। यह सुस्थापित विधि है कि कर्मचारी की सेवा के अंतिम छोर पर जन्मतिथि का परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं है। जहाँ तक विद्यालय निर्गम प्रमाण पत्र का संबंध है, यह निवेदन

किया गया है कि इकाई कार्मिक अधिकारी ने उक्त विद्यालय का दौरा किया था और सत्यापन पर उक्त शपथ पत्र के परिशिष्ट–C के तहत दिनांक 23.2.2008 के प्रमाण पत्र के मुताबिक 1968 के प्रवेश रजिस्टर में याची का नाम नहीं पाया है। अत: यह सुस्पष्ट है कि याची किसी साम्यापूर्ण अनुतोष का हकदार नहीं है।

5. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिशपथ पत्र में किए गए निवेदन को दोहराने के अतिरिक्त जोरदार निवेदन किया कि सेवा करिअर के अंतिम छोर पर जन्मतिथि विवाद ग्रहण नहीं किया जाना है और इसलिए, रिट याचिका गुणागुणरहित होने के कारण आरंभ में ही खारिज कर देनी चाहिए।

6. परस्पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुनने के बाद तथा अभिलेख के परिशीलन पर यह न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है:–

(I) यह विधि की सुस्थापित अवस्था है कि सेवा करिअर के अंतिम छोर पर जन्मतिथि विवाद ग्रहण नहीं किया जा सकता है, अत:, यह न्यायालय जन्मतिथि के परिवर्तन अथवा सुधार के लिए असाधारण अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता है जब याची जन्मतिथि से अवगत होने पर भी समय के प्रासंगिक बिन्दु पर इसे चुनौती देना नहीं चुना था और पुन: जन्मतिथि के सुधार के लिए दावा ठोकने के लिए गहरी नींद से जागा। वर्तमान मामला में, जैसा परिशिष्ट B श्रृंखला से प्रकट किया गया है, जन्मतिथि 1.2.1948 दर्ज की गयी है और याची उक्त तथ्य से सुअवगत था। विलंब, ढिलाई तथा उपमत के कारण याची द्वारा साम्यापूर्ण अनुतोष का दावा नहीं किया जा सकता है जिसने अपने अधिकारों पर सोना चुना था, अत: उस आधार पर रिट याचिका ग्रहणीय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम हरनाम सिंह, (1993)2 SCC 162; बर्न स्टैन्डर्ड कं० लि० एवं अन्य बनाम दीनबंधु मजूमदार एवं एक अन्य, (1995)4 SCC 172; महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य बनाम गोरखनाथ सीताराम काम्बले एवं अन्य, (2010)14 SCC 423** तथा **मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम प्रेमलाल श्रीवास, (2011)9 SCC 664** में लगातार अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय को सेवा करिअर के अंतिम छोर पर जन्मतिथि सुधारने के लिए निर्देश जारी करने से घृणा करना चाहिए।

(II) सेवा करिअर के अंतिम छोर पर जन्मतिथि के सुधार से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सूक्ति के अतिरिक्त, तथ्य जो रिट आवेदन से सामने आता है यह है कि समय समय पर कंपनी द्वारा रखी एवं अद्यतन की गयी एन०ई०आई०एस० के रूप में ज्ञात कर्मचारियों की कंप्यूटरीकृत सेवा विशिष्टियों में दर्ज जन्मतिथि भी उसकी जन्मतिथि 1.2.1948 दर्ज करती है। उक्त जन्मतिथि से याची को वर्ष 1987 में अवगत कराया गया था किंतु याची ने अपनी सेवा करिअर के अंतिम छोर तक किसी आपत्ति के बिना इसे स्वीकार किया। मामले के उस दृष्टिकोण में याची द्वारा इप्सित अनुतोष न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रयोग में ग्रहण नहीं किया जाना है।

7. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं की दृष्टि में, परिशिष्टों 3 एवं 4 के तहत आक्षेपित आदेशों में अवैधता अथवा दुर्बलता नहीं हो सकती है, अत: यह न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है।

8. तद्नुसार, रिट याचिका गुणागुणरहित होने के कारण खारिज की जाती है।

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o vfuy dekj pkèkjh] U;k;efrx.k

पटेल कटवार

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Criminal Appeal (D.B.) No. 95 of 1993 (R). Decided on 4th January, 2018.

सत्र विचारण सं० 8 वर्ष 1990 में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पश्चिम सिंहभूम, चाइबासा द्वारा पारित दिनांक 11 मार्च, 1993 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 12 मार्च, 1993 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 302/34 एवं 323–हत्या एवं उपहति–सामान्य आशय–आजीवन कारावास–अभियोजन साक्ष्य डॉक्टर के साक्ष्य तथा उनके द्वारा सिद्ध किए गए शव परीक्षण रिपोर्ट द्वारा पूर्णतः संपुष्ट किया गया–मृतक के मृत शरीर पर उसके मस्तक पर दो उपहतियों सहित तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित सात उपहतियाँ पायी गयी थी जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं–अभियोजन भा०दं०सं० की धाराओं 302/34 एवं 323 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी के विरूद्ध समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है और उसे सही प्रकार से दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया है–अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 14 से 16)

अधिवक्तागण.–Mr. R.P. Gupta, For the Appellant; Mr. Mukesh Kumar, For the Resp.-State.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी सत्र विचारण सं० 8 वर्ष 1990 में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पश्चिम सिंहभूम, चाइबासा द्वारा पारित दिनांक 11 मार्च, 1993 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 12 मार्च, 1993 के दंडादेश से व्यथित है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 तथा 323 के अधीन अपराधों के लिए दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई पर, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए चार माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और दोनों दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया है। यह कथन किया जा सकता है कि अन्य दो सह-अभियुक्तों जो सूचक का सगा भाई एवं भतीजा थे और जिन्होंने अपीलार्थी के साथ विचारण का सामना किया था को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है।

3. अभियोजन मामला रायबू पायक जो मृतक परसन पायक का पिता है के 15.2.1989 को दर्ज फर्दबयान के आधार पर संस्थित किया गया था जिसमें कथन किया गया था कि पूर्व रात्रि को वह अपने घर के आंगन में सो रहा था जहाँ उसकी पुत्री नीलमणि पायकिन भी सो रही थी। लगभग मध्यरात्रि में वह अपनी पुत्री द्वारा किए गए हल्ला से जाग गया और उसने तीन व्यक्तियों को अपने घर के आँगन में देखा जिसमें से एक अपने हाथ में टार्च लिए था और एक व्यक्ति के पास भुजाली थी। उसने एक अभियुक्त को पकड़ लिया और दूसरा अभियुक्त आया और उस पर भुजाली से प्रहार किया तथा उसके मस्तक, हाथ एवं पीठ पर उपहतियाँ कारित किया। आगे यह अभिकथित किया गया है कि उसकी पुत्री नीलमणि पायकिन ने भी एक अभियुक्त को पकड़ लिया था और उस पर भी भुजाली से प्रहार किया गया था। हल्ला करने पर उसका पुत्र परसन पायक बगल के घर से उनको बचाने आया जिस पर समस्त तीन

अभियुक्तों द्वारा उसपर भुजाली से प्रहार किया गया और घटना स्थल पर उसकी मृत्यु कारित किया। सूचक ने कथन किया है कि अभियुक्त जिसे नीलमणि पायकिन द्वारा पकड़ा गया था पटेल कटवर था और अन्य दो अभियुक्तों ने कपड़ा से अपना मुँह छिपा लिया था। उसने कथन किया है कि उसकी बकरी ने उसके भाई सोमरा पायक की आलू की फसल विनष्ट कर दिया था और संदेह किया कि सोमरा पायक ने पटेल कटवर तथा अन्य दो व्यक्तियों द्वारा अपराध करवाया था सूचक के फर्दबयान के आधार पर चक्रधरपुर पी०एस०केस सं० 11 वर्ष 1989, जी०आर०सं० 47 वर्ष 1989 अपीलार्थी पटेल कटवर एवं दो अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 307, 326/34 के अधीन अपराधों के लिए संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद पुलिस ने अभियुक्त अपीलार्थी पटेल कटवर के विरूद्ध तथा सोमरा पायक एवं राधाकृष्णा जो सूचक के भाई एवं भतीजा हैं के विरूद्ध भी आरोप-पत्र दाखिल किया।

4. मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने पर समस्त तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120B, 302/34 एवं 307/34 के अधीन अपराधों के लिए आरोप विरचित किया गया था और अभियुक्तों के निर्दोषिता का अभिवचन करने पर तथा विचारण किए जाने का दावा करने पर उनका विचारण किया गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन द्वारा डॉक्टर जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और दो आई०ओ० सहित नौ गवाहों का परीक्षण किया गया था। अ०सा०4 सुरेन्द्र पायक को अभियोजन द्वारा केवल प्रस्तुत किया गया था। बचाव की ओर से किसी गवाह का परीक्षण नहीं किया गया था।

5. अ०सा० 1 रायबू पायक मामले का सूचक है। इस गवाह ने कथन किया है कि घटना लगभग डेढ़ वर्ष पहले हुई थी और वह रात में अपने घर के आंगन में सो रहा था। उसकी पुत्री नीलमणि पायकिन भी पास में सो रही थी। वह अपनी पुत्री की चीख सुनकर जाग गया और सोमरा पायक, राधा कृष्णा तथा पटेल कटवर को भुजाली से लैस देखा। पटेल कटवर ने उसकी पुत्री पर मुक्का एवं भुजाली से प्रहार किया। इस गवाह ने राधा कृष्णा को पकड़ लिया और अपने पुत्र को बुलाया जिसपर राधा कृष्णा, सोमरा पायक एवं पटेल कटवर ने भुजाली से उस पर प्रहार किया और उसे घायल किया। जब उसका पुत्र उन्हें बचाने आया, समस्त तीन अभियुक्तों ने भुजाली से उस पर प्रहार किया और उस पर खून बहती उपहतियाँ कारित किया। उसने कथन किया कि घटना के पहले सोमरा पायक के साथ इस तथ्य के कारण झगड़ा हुआ था कि उसकी बकरी ने उसके भाई सोमरा पायक की आलू की फसल विनष्ट कर दिया था। उसने कथन किया है कि सोमरा पायक उसका सगा भाई है और राधाकृष्णा सोमरा पायक का पुत्र है। अगले दिन उसने पुलिस थाना में फर्दबयान दिया जिसे उसे पढ़कर सुनाया गया था और उसने अपने अंगूठा का निशान लगाया। उसने समस्त तीन अभियुक्तों को न्यायालय में पहचाना है और कथन किया है कि नीलमणि पायकिन तथा इस गवाह को इलाज के लिए भेजा गया था और मृतक परसन पायक का मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था। अभियुक्तों सोमरा पायक तथा राधाकृष्णा की ओर से अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया है कि उसने इन व्यक्तियों को पुलिस के समक्ष नामित किया था और इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने इन व्यक्तियों को नामित नहीं किया था। अभियुक्त अपीलार्थी पटेल कटवर की ओर से किए गए उसके प्रतिपरीक्षण में अधिक महत्व का कुछ भी नहीं है।

6. अ०सा० 2 नीलमणि पायकिन सूचक की पुत्री है और अ०सा०3 मनकुअर पायकिन सूचक की पत्नी है और उन्होंने भी अभियोजन मामले का समर्थन किया है जैसा सूचक अ०सा०1 रायबू पायक द्वारा कथन किया गया था। इन गवाहों ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उन्होंने अन्य दो अभियुक्तों

सोमरा पायक तथा राधाकृष्णा को पुलिस के समक्ष नामित किया था। जहाँ तक अभियुक्त पटेल कटवर का संबंध है, इन गवाहों ने कथन किया है कि उसने भी मृतक पर भुजाली से प्रहार किया था और अ०सा०2 नीलमणि पायकिन ने भी कथन किया है कि पटेल कटवर द्वारा उसपर प्रहार किया गया था।

7. अ०सा० 7 सुरेश देहरी तथा अ०सा०8 दीनबंधु पायक मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तथा घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी की जब्ती से संबंधित अभिग्रहण सूची के गवाह हैं। उन्होंने इन पर अपना हस्ताक्षर किया था और अभिग्रहण सूची पर उनके हस्ताक्षरों को प्रदर्श 6/1 एवं 6/2 के रूप में सिद्ध एवं चिन्हित किया गया है।

8. अ०सा० 5 डॉ० अरुण कुमार गुप्ता ने 17.2.1989 को मृतक के मृत शरीर का शवपरीक्षण किया और मृत शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु पूर्व उपहतियाँ पाया:–

(i) ck, dku d lkeu l vxeLrd d eè; rd tku okyk 5" × 2" Vklol dVk t[eA lkeu dh vfLFk dVh gb Fkh] cu lcVDV Hkh dVk gvk FkkA

(ii) ck, dku d ihN l vkDlhihVy {k= rd tku okyk 4" × 1" Vklol t[e vkDlhihVy vfLFk dVk gvk Fkk] efutl ,o cu lClVkl Hkh dVk gvk FkkA

(iii) ck, dèkk ij 4" × 3" dk dVu dk t[e] ck, áejl dk xVj V;ckflVh dVk gvk Fkk vkj g;ejl dk flj ,DllykM FkkA

(iv) ck, ckg d ,DlVhfj;j lrg d mijh Hkkx ij 3" × 2" × dk fr;d t[eA

(v) ck, ckg d ,DlVhfj;j lrg ij 1" × ½" dk ekl i'kh rd xgjk fNUu t[e 5oh eVkdkiy vfLFk dVh FkhA

(vi) ck, eè; mxyh d eè; dh vfLFk d mij 1 cm × 1/2 cm × ekl i'kh rd xgjk dVu dk t[eA

(vii) xnu d ikLVhfj;j lrg ij 5" × 2" × ekl i'kh rd xgjk Vklol dVu dk t[eA

***foPNnu dju ij%&** Øfu;e ,o xnu&tlk igy mfYyf[kr(QQMk ,o ân; v{k..k Fk(ân; pcj e jDr dh NkVh ek=k(iV&yhoj] fdMuh vkfn v{k..k(iV ,o CykMj [kkyh(vkrk e xlA*

उन्होंने कथन किया है कि मृत्यु पूर्वोक्त उपहतियों विशेषत: मस्तक उपहतियों द्वारा कारित हेमरेज एवं आघात के कारण कारित हुई थी जो मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थे और उपहतियाँ भुजाली से कारित की जा सकती थीं। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया था।

9. अ०सा० 6 सुभाष प्रसाद एवं अ०सा० 9 शिवनाथ राम इस मामला के आई०ओ० हैं। अ०सा०6 ने फर्दबयान, औपचारिक प्राथमिकी, दोनों घायलों की उपहति रिपोर्ट जारी करने के लिए मेमो तथा अभिग्रहण सूची सिद्ध किया है जिन्हें क्रमश: प्रदर्श 2, 3, 4, 5 एवं 6 चिन्हित किया गया है। इस गवाह ने कथन किया है कि वह घटनास्थल पर गया था और उसने घटनास्थल का विवरण दिया है और कथन किया है कि उसने मृतक परसन पायक का मृत शरीर घर के बरामदा पर पाया और उसने घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी जब्त किया था। उसने मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा था। उसने गवाहों का

बयान दर्ज किया था और तत्पश्चात 19.2.1989 को अन्वेषण का प्रभार सौंपा था। उसका ध्यान सूचक अ०सा० 1 रायबू पायक तथा अ०सा० 2 नीलमणि पायकिन के बयानों की ओर आकृष्ट किया गया था और उसने कथन किया है कि उन्होंने उसके समक्ष अपराध करने में सोमरा पायक एवं राधा कृष्णा को नामित नहीं किया था। अ०सा० 9 शिवनाथ राम ने अ०सा० 6 सुभाष प्रसाद के बाद अन्वेषण का प्रभार लिया था। उसने कुछ गवाहों के बयानों को भी दर्ज किया था और शवपरीक्षण रिपोर्ट भी प्राप्त किया था और इस मामला में आरोप-पत्र दाखिल किया था और रक्तरंजित मिट्टी न्यायालयिक परीक्षण के लिए भेजा था।

10. अभियुक्तों के बयान दं०प्र०सं० की धारा 313 के अधीन दर्ज किए गए थे जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध साक्ष्य से इनकार किया है।

11. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अवर न्यायालय ने अपीलार्थी पटेल कटवर को दोषी पाया और उसे पूर्वोक्तानुसार अपराधों के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया जबकि अपीलार्थी के साथ विचारण का सामना करने वाले अन्य दो अभियुक्तों को आरोपों से दोषमुक्त किया गया था और सही प्रकार से ऐसा किया गया था क्योंकि प्राथमिकी में कथन किया गया है कि अन्य दो व्यक्तियों ने कपड़ा से अपना चेहरा छिपा लिया था और उन्हें घटना में प्रत्यक्षत: अंतर्ग्रस्त के रूप में पुलिस के समक्ष नामित नहीं किया गया था, किंतु अपने साक्ष्य में तात्विक गवाहों ने उनके विरूद्ध भी प्रत्यक्ष अभिकथन करते हुए अपना पूर्व विवरण सुधारा है।

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साक्ष्य के एक ही संवर्ग पर अपीलार्थी पटेल कटवर के साथ विचारण का सामना करने वाले दो अभियुक्तों को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है जबकि अपीलार्थी पटेल कटवर को उसी साक्ष्य पर दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि यदि अन्य दो सह अभियुक्तों को इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है, अपीलार्थी को भी झूठा आलिप्त करने का अवसर है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मामले के उस दृष्टिकोण में अ०सा०1 सूचक रायबू पायक, उसकी पुत्री अ०सा० 2 नीलमणि पायकन तथा मृतक की पत्नी अ०सा०3 मनकुअर पायकन का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न नहीं करता है और यह सुयोग्य मामला है जिसमें अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

13. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन करते हुए प्रार्थना का विरोध किया है कि अभियुक्त अपीलार्थी पटेल कटवर को स्वयं प्राथमिकी में यह कथन करते हुए नामित किया गया था कि उसे घटना के समय पर सूचक की पुत्री अ०सा० 2 नीलमणि पायकिन द्वारा पकड़ा गया था जिसपर प्रहार किया गया था। गवाहों द्वारा यह कथन भी किया गया है कि अभियुक्त पटेल कटवर सहित तीन व्यक्तियों ने मृतक पर भुजाली से प्रहार किया गया था और घटना स्थल पर उसकी मृत्यु कारित की गयी थी और इन गवाहों का मौखिक साक्ष्य अ०सा० 5 डॉ० अरूण कुमार गुप्ता के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णत: समर्थित है जिन्होंने मृतक के मृत शरीर पर मस्तक पर उपहतियों सहित सात कटने की उपहति पाया था जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी और डॉक्टर ने यह कथन भी किया है कि उपहतियाँ भुजाली द्वारा कारित की जा सकती थीं। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त अपीलार्थी पटेल कटवर के विरूद्ध पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है।

14. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि जहाँ तक अन्य दो अभियुक्तों सोमरा पायक एवं राधा कृष्णा का संबंध है, वे सूचक के सगे भाई एवं भतीजा हैं और घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति प्राथमिकी में कथित नहीं की

गयी थी। यदि वे घटना के समय उपस्थित होते, उन्हें सूचक द्वारा स्वयं प्राथमिकी में अपराध करने में नामित किया गया होता आई०ओ० अ०सा० 6 सुभाष प्रसाद ने भी कथन किया है कि अ०सा० 1 रायबू पायक तथा अ०सा० 2 नीलमणि पायकन ने उसके समक्ष सोमरा पायक एवं राधाकृष्णा को अपराध करने में नामित नहीं किया था। इस दशा में, ये अभियुक्तगण सही प्रकार से विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए गए प्रतीत होते हैं। किंतु, जहाँ तक वर्तमान अपीलार्थी का संबंध है, उसे यह कथन करते हुए प्राथमिकी में नामित किया गया था कि घटना के समय पर उसे अ०सा० 2 नीलमणि पायकन द्वारा पकड़ा गया था जिसके साथ दो अन्य व्यक्ति भी बताए गए हैं। सूचक ने भी एक व्यक्ति को पकड़ा था और सूचक तथा नीलमणि पायकन दोनों पर अभियुक्तों द्वारा प्रहार एवं घायल किया गया था। किंतु उनकी उपहतियाँ अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं की गयी है, और तद्नुसार, केवल अपीलार्थी को नीलमणि पायकन को उपहति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए सही प्रकार से दोषसिद्ध किया गया है यद्यपि इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307/34 के अधीन आरोप विरचित किया गया था। अभिलेख पर संगत साक्ष्य मौजूद है कि अपीलार्थी पटेल कटवर ने दो अन्य व्यक्तियों के साथ मृतक पर भुजाली से प्रहार किया और घटनास्थल पर उसकी मृत्यु कारित किया और यह समय अ०सा०5 डॉ० अरुण कुमार गुप्ता के चिकित्सीय साक्ष्य तथा उनके द्वारा सिद्ध किए गए शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 1 से पूर्णत: संपुष्ट किया गया है जो दर्शाता है कि मृतक के मृत शरीर पर उसके मस्तक पर दो उपहतियों सहित तेज धारवाले हथियार द्वारा कारित सात उपहतियाँ पायी गयी थी जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं। हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अभियोजन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 तथा 323 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी पटेल कटवर के विरूद्ध समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है और उसे उक्त अपराध के लिए सही प्रकार से दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया है।

15. पूर्वोल्लिखित चर्चा की दृष्टि में, हम सत्र विचारण सं० 8 वर्ष 1990 में अपीलार्थी पटेल कटवर को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 तथा 323 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित करते हुए विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पश्चिम सिंहभूम, चाइबासा द्वारा पारित दिनांक 11 मार्च, 1993 की दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं 12 मार्च, 1993 के दंडादेश में कोई अवैधता नहीं पाते हैं जिसे एतद् द्वारा हम अभिपुष्ट करते हैं। अपीलार्थी जमानत पर है। उसकी जमानत रद्द की जाती है और उसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश भुगतने के लिए तुरन्त अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। विचारण न्यायालय को भी अपीलार्थी पटेल कटवर को दंडादेश भुगतने के लिए आत्मसमर्पण करने/प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने के लिए आदेशिका जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

16. हम अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त संबंधित न्यायालय को वापस भेजे जाएँ।

---

ekuuh; vuUr fct ; flg] U;k;efr

मेसर्स इसको लि०

cuke

तुलसी चौधरी

Second Appeal No. 288 of 2015. Decided on 4th January, 2018.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947–धारा 33-C(2)–जन्मतिथि की घोषणा–भले ही प्रत्यर्थी/अपीलार्थी/वादी सेवानिवृत्त हो गया है, इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-C(2) के अधीन न्यायनिर्णीत करना होगा–अपीलार्थी/वादी बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी जन्मतिथि सिद्ध करने में विफल रहा है–मुंसिफ का निष्कर्ष अभिपुष्ट किया गया। (पैराएँ 15 एवं 16)

निर्णयज विधि.–AIR 2006 SC 2157 ;1991 Supp. (2) SCC 649—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Indrajit Sinha, Kautav Panda, For the Appellants; M/s Mahesh Tewari, D.K. Maltiyar, For the Respondent.

आदेश

वर्तमान द्वितीय अपील सात की संख्या में अपीलार्थियों/प्रत्यर्थियों/प्रतिवादियों द्वारा अभिधान अपील सं० 74 वर्ष 2011 में श्री अंबुजनाथ, विद्वान प्रधान जिला न्यायाधीश, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 3.1.2015 के निर्णय तथा 7.1.2015 को हस्ताक्षरित डिक्री से असंतुष्ट एवं व्यथित होकर दाखिल की गयी है जिसके द्वारा प्रधान जिला न्यायाधीश ने अभिधान वाद सं० 166/2005 में श्री राजेश शरण सिंह, विद्वान अपर मुंसिफ I, धनबाद द्वारा पारित निर्णय, जिसके द्वारा विद्वान मुंसिफ ने दिनांक 3.2.2010 के निर्णय (डिक्री 9.2.2010 को हस्ताक्षरित) के अधीन प्रत्यर्थी/अपीलार्थी/वादी की ओर से दाखिल वाद खारिज कर दिया है, उलटने के बाद अभिधान अपील अनुज्ञात किया है।

2. विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विवाद्यक सं० V यह अभिनिर्धारित करते हुए विनिश्चित किया कि तुलसी चौधरी की जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में 3.10.1949 दर्ज की गयी थी और आगे अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी/अपीलार्थी/वादी के सेवा अभिलेख में गलत प्रविष्टि की गयी थी और विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष अपास्त कर दिया।

3. विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आगे विवाद्यक सं० IV वादी के पक्ष में विनिश्चित किया और विद्वान अपर मुंसिफ I, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 3.2.2010 का निर्णय एवं डिक्री अपास्त कर दिया और वादी की जन्मतिथि 3.10.1949 घोषित की गयी है और चूँकि वादी पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है, प्रतिवादियों को सेवानिवृत्ति लाभ, जिसका वह हकदार होता यदि वह वास्तविक जन्म तिथि अर्थात 3.10.1949 के मुताबिक सेवा निवृत्त हुआ होता, देने का निर्देश दिया गया है। अपील प्रतिवाद पर वादी पर व्यय के साथ अनुज्ञात की गयी थी।

4. द्वितीय अपील 18.6.2015 को दाखिल की गयी थी और 18.3.2017 को विधि का सारवान प्रश्न विरचित किया गया था जिसे नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*^^D;k iR;Fkh@dedkj dk fiNyh etnjh rFkk lok fuofÙk ykHkk dk inku fd;k tkuk b'kj flg cuke u'kuy QfVykbt l ,o ,d vU;] 1991 Supp. (2) SCC 649, e fu.k; dh nf"V e lh0 ih0 lh0 dh èkkjk 9 d fucèkuku lkj iFke vihyh; U;k;ky; dh vfèkdkfjrk d vrxr FkkA***

5. पक्षों को सुनने के बाद, द्वितीय अपील अंतिम सुनवाई के लिए ग्रहण की गयी थी और आगे निम्नलिखित प्रवृत्त आदेश पारित किया गया था:–

*^^fdr] vihykFkh cdk;k] tk vihykfFk;k }kjk fookfnr ugh g] fu"iknu U;k;ky; d le{k 28-4-2017 rd iR;Fkh@dedkj dk Hkxrku fd, tku d fy, tek djxk] ;fn igy gh bldk Hkxrku vFkok tek ugh fd;k x;k gA ;fn fu"iknu U;k;ky; d le{k iokDr n;k dk tek fd;k tkrk g vFkok mld Hkxrku dk iek.k iLrr fd;k tkrk g] flfoy U;k;kèk'k (tfu;j fMfotu I)] èkuckn d U;k;ky; e yfcr fu"iknu ekeyk l0 15 o"k 2015 e vkx dk;okgh LFkfxr cuh jgxhA***

6. मामला अंतत: 14.12.2017 को सुना गया था और पक्षों को सुनने के बाद निर्णय आरक्षित किया गया था।

7. विद्वान अपर मुंसिफ I, धनबाद श्री राजेश शरण सिंह के न्यायालय के समक्ष दाखिल अभिधान वाद सं० 166 वर्ष 2005 में प्रत्यर्थी/अपीलार्थी/वादी तुलसी चौधरी का मामला वाद में प्रकथन करते हुए अन्य बातों के साथ निम्नलिखित था:–

^^(i) oknh LFkk;h depkjh d :i e thrij dkfy;jh e dk;jr Fkk vkj ml ^oYMj d :i e fu;Dr fd;k x;k Fkk vkj fu;fDr rFkk lk{kkRdkj d le; ij dUgkb flg mPp fo|ky;] x;k }kjk tkjh fnukd 12-6-1966 dk efVdy'ku iek.k i= ,o fo|ky; fuxe iek.k i= o"k 1966 rFkk vk|kfxd lLFkku] x;k }kjk tkjh fnukd 29-9-1967 dk u'kuy VM iek.k i= oreku vihykFkh diuh d le{k iLrr fd;k x;k FkkA*

(ii) bl ij oknh dk 8-9-1971 dk ^oYMj d in ij fu;Dr fd;k x;k FkkA vkx ;g idFku fd;k x;k g fd oreku vihykFkh u fnukd 7-8-1988 dk i= l0 1121 oknh dk fn;k ftld }kjk ml tkudkjh gb fd mldh tUefrFk 14.9.1947 nt dh x;h FkhA rRi'pkr oknh u efVdy'ku iek.k i= ftle bl 3-10-1949 nt fd;k x;k Fkk d erkfcd tUefrFk e vko';d lèkkj dju d fy, 2-9-1998 dk oreku vihykFkh iR;Fkh diuh dk i= fn;kA leLr nLrkot iLrr fd, x, Fk fdr oknh dh tUefrFk lèkkjh ugh x;h FkhA*

*(iii) rRi'pkr] oknh u >kj[kM mPp U;k;ky; d le{k MCy0 ih0 (lh0) l0 3980 o"k 2005 nkf[ky fd;kA vkx ;g idFku fd;k x;k g fd mPp U;k;ky; u fjV ;kfpdk e gLr{ki ugh fd;k Fkk vkj rRi'pkr iR;Fkh@vihykFkh@oknh u fo}ku vij efIQ I, èkuckn d le{k vfHkèkku okn l0 166 o"k 2005 nkf[ky fd;k] ftle vihykfFk;k@iR;fFk;k@ ifrokfn;k u efVdy'ku iek.ki= e oknh dh tUefrFk 3-10-1949 gku l budkj djr g, dkj.k crkvk nkf[ky fd;k vkj ;g Li"Vr% dfFkr fd;k x;k Fkk fd mldh tUefrFk lok iLrd rFkk Qke ch0 jftLVj d erkfcd 14-9-1947 g ftle tUefrFk 14-9-1947 mfYyf[kr dh x;h g vkj bl ij oknh dk gLrk{kj gA***

8. मुंसिफ के न्यायालय ने विवाद्यकों को न्यायनिर्णीत करने के लिए कुल सात विवाद्यक विरचित किया जिसमें से विवाद्यक सं० V एवं VI प्रासंगिक है। यह प्रतीत होता है कि जहाँ तक विवाद्यक सं० V का संबंध है, वादी ने बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रदर्श I, प्रस्तुत किया है जिसमें यह कथन किया गया है कि तुलसी चौधरी, पुत्र किशुन चौधरी की जन्मतिथि 3.10.1949 है। मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र 1966 में जारी किया गया था और आगे उसने प्रदर्श 2 प्रस्तुत किया है जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया द्वारा जारी प्रमाण पत्र है और प्रदर्श 7 विद्यालय निर्गम प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसकी जन्मतिथि 3.10.1949 उल्लिखित की गयी है।

9. अपीलार्थी/प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने दस्तावेजों को प्रस्तुत किया। फॉर्म बी० रजिस्टर के अनुसार, वादी की जन्मतिथि 14.9.1947 है जिसपर वादी का हस्ताक्षर है और यह प्रकथन भी किया गया था कि 1971 तथा 2.9.1998 के बीच वादी ने अपनी जन्मतिथि में सुधार करने के लिए कोई आवेदन दाखिल नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में लिया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र वादी के पिता का नाम 'किशुन चौधरी' धारण करता है किंतु वादी द्वारा प्रस्तुत फॉर्म बी० रजिस्टर तथा अन्य अध्यपेक्षित दस्तावेजों सहित अन्य दस्तावेज में उसका नाम 'कृष्णा चौधरी''

निर्दिष्ट किया गया है और आगे विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में लिया है कि वादी को कोई 'सुझाव नहीं दिया गया था कि क्या 'किशुन चौधरी' एवं कृष्णा चौधरी' एक ही व्यक्ति को निर्दिष्ट करते हैं और विचारण न्यायालय ने दस्तावेजों पर अविश्वास किया और वादी की जन्मतिथि 14.9.1947 विनिश्चित किया जैसा फॉर्म बी० रजिस्टर में सहमत हुआ गया है और उसके विरूद्ध विवाद्यक विनिश्चित किया और वाद खारिज कर दिया।

10. प्रत्यर्थी/अपीलार्थी/वादी ने प्रधान जिला न्यायाधीश, धनबाद के न्यायालय के समक्ष अभिधान अपील सं० 74 वर्ष 2011 दाखिल किया जिन्होंने, जहाँ तक विवाद्यक सं० V मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि 3.10.1949 का संबंध है, पक्षों को सुनने के बाद तथा अ०सा०1 नुनुलाल प्रसाद, अ०सा०3 शिवकुमार पांडे एवं अ०सा०4 तुलसी चौधरी स्वयं वादी के साक्ष्य का परिशीलन करने के बाद दिनांक 3.1.2015 के निर्णय के अधीन अभिनिर्धारित किया है कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र सही है और किशुन चौधरी तथा कृष्णा चौधरी एक ही व्यक्ति है और विद्वान मुंसिफ का निष्कर्ष अपास्त कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि वादी की जन्मतिथि 3.10.1949 है और अपील अनुज्ञात किया और चूँकि वादी पहले ही सेवानिवृत्त हो गया है, वह सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार है।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आगे बढ़ाते हुए निवेदन किया कि विद्वान जिला न्यायाधीश यह अधिमूल्यन करने में विफल रहे हैं कि अभिलेख पर साक्ष्य नहीं लाया गया है जो स्थापित करता है कि किशुन चौधरी तथा कृष्णा चौधरी एक ही व्यक्ति को निर्दिष्ट करते हैं। आगे वह **रविन्दर सिंह गोरखी बनाम उ०प्र० राज्य, AIR 2006 SC 2157** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित निर्णय, विशेषत: भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों को विचार में लेने में विफल रहे हैं कि किस प्रकार लोक दस्तावेज मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र सिद्ध किया जाना है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^23- lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 35 flfoy ,o nkfMd dk;okgh nkuk e vkd"V gkxhA lk{; vfèkfu;e flfoy dk;okgh rFkk nkfMd dk;okgh d chp dkbZ lfHkUurk ugh djrk gA tc rd fofufn"Vr% ikoèkkfur ugh fd;k tkrk g] lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 35 d fucèkuku lkj] viu vkfèkdkfjd dr0; d fuogu e ykd lod }kjk vFkok n'k dh fofèk }kjk fofufn"Vr% vkKk fn, x, dr0; d ikyu e fdlh vU; 0;fDr }kjk 0;olk; d lkekU; Øe e j[kk x;k jftLVj ikIfxd rF; gkxkA bl idkj] èkkjk 35 mld vèkhu nLrkot dk xg.kh; vfHkfuèkkfjr fd, tku d igy ifji.k fd, tku oky fuEufyf[kr 'krk dk vko';d cukrk g% (i) bl fdlh ykd vFkok vkfèkdkfjd jftLVj e ifof"V dh idfr dk gkuk pkfg,((ii) bl fookfnr rF; vFkok ikIfxd rF; dk dFku djuk gkxk((iii) ifof"V ykd lod }kjk viu vkfèkdkfjd dr0; d fuogu e vFkok n'k dh fofèk }kjk fofufn"Vr% vkKk fn, x, dr0; d ikyu e fdlh 0;fDr }kjk fd;k tkuk gkxk vkj (iv) leLr lcfèkr 0;fDr;k dh fufookn :i l ml rd igp gkuh gkxhA***

12. अत: यह निवेदन किया गया था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष विधि में संपोषणीय नहीं है और अपास्त किए जाने योग्य है।

13. जहाँ तक समस्त पारिणामिक सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के संबंध में विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का संबंध है, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **इशर सिंह बनाम नेशनल फर्टिलाइजर्स एवं एक अन्य, 1991 Supp(2) SCC 649** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

पर विश्वास किया और निवेदन किया कि स्वीकृत रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(A) के निबंधनानुसार पक्षों के बीच औद्योगिक विवाद है जिसे औद्योगिक विवाद उठाने के लिए धारा 33 के अधीन औद्योगिक विवाद श्रम न्यायालय के समक्ष उठाया जाना चाहिए था जो आदेश पारित करने में सक्षम है। आगे यह निवेदन किया गया था कि सी०पी०सी० की धारा 9 के निबंधनानुसार सिविल न्यायालय किसी औद्योगिक विवाद को न्यायनिर्णीत करने से वर्जित किया गया है। अत: विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष संपोषित नहीं किया जा सकता है और अपास्त किए जाने का दायी है।

14. प्रत्यर्थी/अपीलार्थी/वादी तुलसी चौधरी के विद्वान अधिवक्ता ने दूसरी ओर तर्क के दौरान निवेदन किया कि विद्वान प्रधान जिला न्यायाधीश, धनबाद ने अभिधान अपील सं० 74 वर्ष 2011 में दिनांक 3. 1.2015 के निर्णय के अधीन सही प्रकार से निष्कर्ष दर्ज किया है कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र जो लोक दस्तावेज है की दृष्टि में वादी/प्रत्यर्थी की जन्मतिथि 3.10.1949 है और विद्वान मुंसिफ का निष्कर्ष अपास्त कर दिया है और सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया है कि चूँकि प्रत्यर्थी/अपीलार्थी/वादी सेवानिवृत्त हो गया है, वह समस्त पारिणामिक लाभों का हकदार है। अत:, द्वितीय अपील में गुणागुण नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है। आगे यह निवेदन किया गया है कि चूँकि प्रत्यर्थी/अपीलार्थी/वादी सेवा से सेवा निवृत्त हो गया है, अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-C(2) के प्रावधान आकृष्ट नहीं होते हैं।

15. पक्षों को सुनने के बाद और अपीलार्थी की ओर से उद्धृत निर्णय के परिशीलन के बाद यह प्रतीत होता है कि स्वीकृत रूप से प्रत्यर्थी/अपीलार्थी/ वादी ने मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श I प्रस्तुत किया है जिसमें जन्मतिथि 3.10.1949 दर्ज की गयी है, किंतु **रविन्दर सिंह गोरखी का मामला (ऊपर)** में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की दृष्टि में, यद्यपि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र लोक दस्तावेज है, किंतु इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान के अनुरूप सिद्ध नहीं किया गया है। दोनों अवर न्यायालयों अर्थात अभिधान वाद में विद्वान मुंसिफ के न्यायालय तथा अभिधान अपील में विद्वान प्रधान जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा इस तथ्य को अनदेखा किया गया है। अत:, इस कारण विद्वान प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा दर्ज निष्कर्ष एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। चूँकि प्रत्यर्थी/अपीलार्थी/वादी प्रदर्श 1 के आधार पर अपनी जन्मतिथि 3.10.1949 सिद्ध करने में विफल रहा है, विद्वान मुंसिफ का निष्कर्ष अभिपुष्ट किया जाता है।

16. आगे, निरुपित विधि के प्रश्न की दृष्टि में, स्वीकृत रूप से प्रत्यर्थी/अपीलार्थी/वादी वर्तमान अपीलार्थी के अधीन कर्मकार है और वाद केवल मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के मुताबिक जन्मतिथि की घोषणा के लिए था और भले ही प्रत्यर्थी/अपीलार्थी/वादी सेवानिवृत्त हो गया है, इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-C(2) के अधीन न्यायनिर्णीत किया जाना होगा, अत: विद्वान पथम अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष भी गलत है और विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय **इशर सिंह का मामला (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर विचार करने में विफल रहा है।

17. उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, द्वितीय अपील अनुज्ञात की जाती है। व्यय को लेकर आदेश नहीं है। कार्यालय को तद्नुसार डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

18. आगे, इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18.3.2017 के आदेश के निबंधनानुसार जिसके द्वारा अपीलार्थियों को निष्पादन न्यायालय के समक्ष 28.4.2017 तक राशि जो उनके द्वारा विवादित नहीं किया गया है को प्रत्यर्थी/कर्मकार को भुगतान किए जाने के लिए जमा करने का निर्देश दिया गया था, वर्तमान प्रत्यर्थी को अपीलार्थियों द्वारा जमा की गयी राशि की निर्मुक्ति के लिए विद्वान निष्पादन न्यायालय के समक्ष आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है और निष्पादन न्यायालय को समुचित सत्यापन के बाद प्रत्यर्थी के पक्ष में पूर्वोक्त राशि निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

ekuuh; ieFk iVuk;d] U;k;efr

इसलाम मियाँ

cuke

भारत कोकिंग कोल लि० एवं अन्य

W.P. (S) No. 3300 of 2007. Decided on 10th January, 2018.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–जन्मतिथि–शुद्धि–न्यायालय को सेवा के अंतिम छोर पर जन्मतिथि की शुद्धि के लिए निर्देश जारी करने से बचना चाहिए–याची सेवा उद्धरण के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी है क्योंकि वह ऐसे परिवर्तन का अंतिम लाभार्थी है–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.–(1993) 2 SCC 162 ;(1995) 4 SCC 172 ; (2010) 14 SCC 423 ; (2011) 9 SCC 664—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Mrinal Kanti Roy, For the Petitioners; Mr. Anoop Kumar Mehtam, For the Respondents.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–संलग्न रिट आवेदन में याची ने फॉर्म बी० रजिस्टर प्रस्तुत करने तथा और सांविधिक फॉर्म बी० रजिस्टर में की गयी प्रविष्टि के मुताबिक जन्मतिथि की शुद्धि के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश इप्सित किया है।

2. रिट आवेदन में चित्रित संक्षिप्त तथ्य यह है कि याची को प्रत्यर्थी कंपनी के अधीन 'ड्रेसर' के रूप में नियोजित किया गया था। नियुक्ति के समय पर याची ने अपनी जन्मतिथि 1.7.1951 दिया और याची द्वारा दिए गए जन्मतिथि के आधार पर याची पर वर्ष 1987 में सेवा उद्धरण तामील किया गया था जिसमें रिट आवेदन के परिशिष्ट 1 के मुताबिक जन्म तिथि सही प्रकार से 1.7.1951 प्रविष्ट की गयी थी। यह प्रकथन किया गया है कि आरंभ में याची की जन्मतिथि 2.6.1947 दर्ज की गयी थी और जब गलती प्रत्यर्थियों के ध्यान में लायी गयी थी, इसे 1.7.1951 के रूप में सही किया गया था। बाद में याची को पहचान पत्र जारी किया गया था जो भी उसकी जन्मतिथि 1.7.1951 दर्शायी गयी थी जैसा परिशिष्ट–2 से स्पष्ट है। सी०एम०पी०एफ० अभिलेख में, याची की जन्मतिथि 1.7.1951 प्रविष्ट की गयी है और सांविधिक फॉर्म बी० रजिस्टर में भी, जिसे प्रत्यर्थियों द्वारा रखा गया है, याची की जन्मतिथि 1.7.1951 प्रविष्ट की गयी है। दस्तावेजों अर्थात एन०ई०आई०एस० के आधार पर याची को 30.6.2007 को सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। फॉर्म बी० रजिस्टर तथा एन०ई०आई०एस० में किए गए अंतर से व्यथित होकर याची ने परिशिष्ट 3 श्रृंखला के तहत प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन दिया जिसपर ध्यान नहीं दिया गया था। प्रत्यर्थियों की निष्क्रियता से व्यथित होकर, याची अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय के पास आने के लिए मजबूर हुआ है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार निवेदन किया कि बार–बार याद दिलाए जाने के बावजूद जन्मतिथि शुद्ध नहीं करने में प्रत्यर्थियों की कार्रवाई शक्ति के मनमाने प्रयोग के तुल्य है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि याची को सेवानिवृत्ति की अपनी वास्तविक तिथि के पहले की तिथि से अधिवर्षित होने के लिए मजबूर किया गया है।

4. रिट आवेदन में किए गए प्रकथनों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थियों की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रतिशपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि आरंभ में याची को 2.8.1971 को प्रत्यर्थी कंपनी में ड्रेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। याची की नियुक्ति के समय पर तैयार किए गए पूर्वी कतरास कोलियरी के पुराने एवं मूल फॉर्म बी० रजिस्टर में उसकी जन्मतिथि दर्ज नहीं किया था। यद्यपि याची ने पुराने एवं मूल फॉर्म बी० रजिस्टर पर अपने अंगूठा का निशान लगाया था, किंतु उसने अपना जन्मतिथि प्रकट नहीं किया था, यद्यपि वह ऐसा करने के लिए सांविधिक कर्तव्य के अधीन था। यह बाद में अपनी जन्मतिथि के संबंध में प्रविष्टि छल-साधित करने के लिए लचीलापन पाने के लिए गलती करने वाले कर्मकारों द्वारा सामान्यत: अपनायी गयी प्रथा है। फॉर्म बी० रजिस्टर की प्रति प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट A के रूप में संलग्न की गयी है। आयु विवादों की प्रचुरता के कारण, 20.8.1987, 8.3.1988 तथा 9.3.1988 को की गयी सेवा अभिलेख कमिटी बैठक ने समस्या के आयाम का पता लगने का निर्णय किया और इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर सहायिकी कंपनी को कर्मचारी के सेवा अभिलेख से उद्धरणों का नोटिस डुप्लीकेट में जारी करने की सलाह दी गयी थी और कर्मचारियों से इसकी प्रति रसीद के टोकन के रूप में प्रबंधन को लौटाने का अनुरोध किया गया था। यदि उन्हें सेवा विशिष्टियों के संबंध में कोई आपत्ति थी, उन्हें प्रोफोर्मा में दिए गए स्थान में इसे उपदर्शित करना चाहिए और तद्नुसार, सेवा उद्धरण तैयार किया गया था और इसे याची को जारी किया गया था। प्रत्यर्थी कंपनी के साथ अनुपलब्ध किसी सेवा विशिष्टि को रिक्त छोड़ दिया गया था। जन्मतिथि से संबंधित कॉलम में, इसे कंपनी द्वारा एन०ए०/अनुपलब्ध चिन्हित किया गया था। याची ने स्वयं अपनी जन्मतिथि के रूप में 2.6.1947 दाखिल किया और उक्त सेवा उद्धरण पर हस्ताक्षर किया। इसी आधार पर प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट B के मुताबिक अपने मुख्यालय में रखे गए प्रत्यर्थी कंपनी के एन०आई०ई०एस० अभिलेख में भी 2.6.1947 दर्ज किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची बाद में अपनी जन्मतिथि को 1.7.1951 में बदलकर सेवा उद्धरण के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी है जिसे सही प्रकार से प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा अनदेखा किया गया है। आगे यह निवेदन भी किया गया है कि याची पहले ही 30.6.2007 को सेवानिवृत्त हुआ है और अपनी सेवा के अंतिम छोर पर अपनी जन्म तिथि के संबंध में विवाद खड़ा करने का दोषी है।

5. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिशपथ पत्र में किए गए निवेदनों को दोहराने के अतिरिक्त निवेदन किया है कि याची ने सेवा के अंतिम छोर पर जन्मतिथि से संबंधित विवादित प्रश्न उठाया है, अत: दावा विधि की सुस्थापित अवस्था की दृष्टि में ग्रहणीय नहीं है। प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि रिट याचिका कतिपय विवादित प्रश्न अंतर्विष्ट करती है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट आवेदन में न्यायनिर्णीत नहीं किया जा सकता है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर यह न्यायालय निम्नलिखित कारणों से आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं हैं।

(I) याची को प्रत्यर्थी कंपनी में ड्रेसर के रूप में 2.8.1971 को नियुक्त किए जाने पर सेवा में प्रवेश के समय पर जन्मतिथि दर्ज नहीं की गयी थी, किंतु बाद में याची ने जन्म तिथि 2.6.1947 उल्लिखित करके सेवा उद्धरण को भरा जिसे प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट B के मुताबिक अपने मुख्यालय में रखे गए प्रत्यर्थी कंपनी के एन०ई०आई०एस० अभिलेख में दर्ज किया गया है जिसे 1.7.1951 के रूप में शुद्ध किया गया है। जन्मतिथि के परिवर्तन द्वारा याची सेवा उद्धरणों के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी

है क्योंकि वह उक्त परिवर्तन का अंतिम लाभार्थी है। सेवा उद्धरण में याची द्वारा जन्मतिथि का परिवर्तन प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा अनदेखा किया गया है।

(II) सेवा करिअर के अंतिम छोर पर जन्मतिथि के प्रति विवाद निष्पक्षत: सुस्थापित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम हरनाम सिंह, (1993)2 SCC 162, बर्न स्टैन्डर्ड कं० लि० एवं अन्य बनाम दीनबंधु मजुमदार एवं एक अन्य, (1995)4 SCC 172, महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य बनाम गोरखनाथ सीताराम कांबले एवं अन्य, (2010)14 SCC 423** तथा **मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम प्रेमलाल श्रीवास, (2011)9 SCC 664** मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय को सेवा करिअर के अंतिम छोर पर जन्मतिथि की शुद्धि के लिए निर्देश जारी करने से बचना चाहिए।

7. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं की दृष्टि में यह न्यायालय याची की प्रार्थना स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है। तद्नुसार, रिट याचिका गुणागुणरहित होने के कारण खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj ,o ieFk iVuk;d] U;k;efrx.k

बुधु ओराँव

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No.977 of 2009. Decided on 11th October, 2017.

सत्र विचारण सं० 294 वर्ष 2004 में तत्कालीन बीसवें अपर सत्र न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 18.2.2009 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धारा 302–हत्या–आजीवन कारावास–अभियोजन गवाहों के साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास हैं–अभियोजन गवाहों ने एक-दूसरे का तात्विक पहलूओं पर खंडन किया है–न तो अपराध का हथियार प्रस्तुत किया गया है और न ही सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट प्राप्त की गयी है–घटना स्थल पर संदेह है जब सूचक कथन करता है कि अन्वेषण अधिकारी ने मृत शरीर को घटना स्थल पर लाया जहाँ से मृतक का मस्तक बरामद किया गया था और किसके द्वारा इसे लाया गया था और मृत शरीर के निकट रखा गया था, स्थापित नहीं किया गया है और कुछ महत्वपूर्ण गवाहों का परीक्षण नहीं किया गया था अथवा वे पक्षद्रोही हो गए–अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है–अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया गया। (पैराएँ 15, 17 एवं 18)

निर्णयज विधि.–(1975) 3 SCC 266; 2017(3) JLJR 673; (1984) 4 SCC 116; (1995) 1 SCC 760; (1974) 3 SCC 277—Relied.

अधिवक्तागण.–Dr. Hasnain Waris, For the Appellant; Mr. S.K. Keshri, For the State.

श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति.–सत्र विचारण सं० 294 वर्ष 2004 में पारित दिनांक 18.2.2009 के भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध अपीलार्थी बुधु ओराँव ने दं०प्र०सं० की धारा 374(2) के अधीन इस अपील को दाखिल किया है।

2. प्राथमिकी मंदार पी०एस०केस सं० 76 वर्ष 2003 एकमात्र अभियुक्त के विरूद्ध इस अभिकथन पर दर्ज की गयी थी कि टांगी द्वारा सूचक की पत्नी का सिर काटने के बाद अभियुक्त भाग गया। यह मामला 2.12.2003 को सायं लगभग 4 बजे मंदार पुलिस थाना के पुलिस सब इंसपेक्टर के समक्ष सूचक बिरसा ओराँव द्वारा दिए गए फर्दबयान के आधार पर दर्ज किया गया था। उसने कथन किया है कि अपने भतीजा राजू ओराँव के साथ दोपहर लगभग 12 बजे बजारा बाजार से लौटते हुए जब वह बंधु भगत के बगीचा के निकट पहुँचा, उसने अपनी पत्नी की चीख सुना। और तब उसने अभियुक्त बुधु ओराँव को अपनी पत्नी पर टांगी से प्रहार करता देखा। उसके वहाँ पहुँचने तक अभियुक्त ने टांगी से उसकी पत्नी का अंगविच्छेद कर दिया और उसका मस्तक लेकर भागने लगा। जब उन्होंने अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया, उसने टांगी से उनको धमकाया और भाग गया। घटना के बारे में सूचना पाने पर उसकी पुत्री और परिवार के अन्य सदस्य चौकीदार के साथ वहाँ आए और अभियुक्त का पीछा किया जो मृतक का मस्तक वहाँ फेंक कर भाग गया। अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और तेलिया ओराँव की हत्या करने के लिए उसके विरुद्ध आरोप विरचित किया गया था। विचारण के दौरान अभियोजन ने दस गवाहों का परीक्षण किया। सूचक बिरसा ओराँव का परीक्षण अ०सा०1 के रूप में किया गया था, उसके भतीजा राजू ओराँव का परीक्षण अ०सा०3 के रूप में और उसकी पुत्री मंगरी ओराँव का परीक्षण अ०सा०2 के रूप में किया गया है। डॉक्टर जिन्होंने मृत शरीर का शव परीक्षण किया है, डॉ० शंभु शरण अ०सा०8 हैं और मंदार पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी अ०सा०9 है। अन्वेषण अधिकारी राजेन्द्र पासवान का परीक्षण अ०सा०10 के रूप में किया गया है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट जिसपर अ०सा०3 राजू ओराँव और लच्छू ओराँव (परीक्षण नहीं किया गया) द्वारा हस्ताक्षर किया गया था को प्रदर्श 5 चिन्हित किया गया है। अ०सा०8 ने शवपरीक्षण रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया है। अन्वेषण अधिकारी ने मृत शरीर के निकट रक्तरंजित मिट्टी संग्रहित करने के बाद अभिग्रहण मेमो तैयार किया जिसपर राजू ओराँव तथा लच्छू ओराँव द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। अन्वेषण अधिकारी ने अभिसाक्ष्य दिया है कि 2.12.2003 को टेलीफोन पर सूचना पाने के बाद उसने दिनांक 2.12.2003 का सनहा सं० 32 प्रविष्ट किया और बजारा गाँव गया जहाँ उसने सूचक का फर्दबयान दर्ज किया। उसने कथन किया है कि उसने मृतका का मस्तक मृत शरीर से अलग किया गया और गर्दन के निकट रखा पाया और मृत शरीर के निकट काफी खून जमीन पर फैला था। अपराध का हथियार बरामद नहीं किया गया था और स्थान जहाँ अभियुक्त ने मृतका का मस्तक फेंका था से रक्तरंजित मिट्टी उसके द्वारा संग्रहित नहीं किया गया था। घटना स्थल से संग्रहित रक्त पर सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट भी अभियोजन द्वारा विचारण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गयी थी। सूचक एवं अपीलार्थी के बीच दुश्मनी नहीं थी और उनके बीच झगड़ा भी कभी नहीं हुआ था।

3. डॉ० शंभुशरण अ०सा०8 जिन्होंने शव परीक्षण किया, ने मृत शरीर पर निम्नलिखित उपहतियों को पाया है:-

(i) ck, vxokg d lkeu 3cm × 1cm × rd xgjk dVu dk t[eA

(ii) vnj dh gMMh dkVrk nk;h gFkyh ij 5cm × 2 cm × vfLFk rd xgjk dVu dk t[eA

4. अ०सा०8 ने मत दिया है कि मृतक पर उपहतियाँ मृत्यु पूर्व प्रकृति की थीं और वे तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित की गयी थी। यह पाया गया था कि शरीर पाँचवें सर्वाइकल वर्टीब्रा से गर्दन होते हुए सिरच्छेदित किया गया था। सिरच्छेदित जख्म न्यूनतम तीन वार उपदर्शित करता था। रक्त का अंत: सरण था और सॉफ्ट टिशु में खून का थक्का पाया गया था।

5. विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त ने अ०सा०1, अ०सा०2, अ०सा०3 एवं अ०सा०4 पर विश्वास किया और इस निष्कर्ष पर आए कि चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थित है और अभियुक्त ने ही तेलिया ओराँव की हत्या की थी। तद्नुसार, अभियुक्त अपीलार्थी को भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया था और भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता डॉ० एच० वारिस ने दिनांक 18.2.2009 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश का विरोध करते हुए तीन प्रतिवाद किया है: (i) घटनास्थल के निकट चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति अत्यन्त संदेहपूर्ण है, (ii) घटना का तरीका, जब चिकित्सीय साक्ष्य के आलोक में परीक्षण किया जाता है, इसे अत्यन्त अनधिसंभाव्य और लगभग असंभव बनाता है और (iii) चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में विरोधाभास तथा अभियोजन मामला में गंभीर कमी अपीलार्थी को संदेह के लाभ का हकदार बनाता है।

7. आरंभ में ही, यह दर्ज करने की आवश्यकता है कि फर्दबयान, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तथा अभिग्रहण मेमो के गवाहों में से एक (लच्छू ओराँव) का परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं किया गया है। सत्र विचारण के दौरान बंधु भगत अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य का भी परीक्षण नहीं किया गया है। सूचक ने दावा किया है कि अपीलार्थी ने बंधु भगत के बगीचा के निकट उसकी पत्नी की हत्या की। घटनास्थल से उसके बगीचा की दूरी 200 गज है (अ॰ सा॰ 10)। अन्य स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया है। अ०सा०5 एवं अ०सा०7 को पक्षद्रोही घोषित किया गया था और अ०सा०6 अनुश्रुत गवाह है। किंतु, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने ताथ्यिक रूप से गलत निष्कर्ष दर्ज किया है कि अ०सा०5 ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने सूचक की पत्नी की हत्या की।

8. सूचक, उसकी पुत्री एवं राजू ओराँव के बयानों में गंभीर अंतर है जहाँ तक घटना के तरीका, घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति, आदि का संबंध है। अपने फर्दबयान में सूचक ने दावा किया कि वह अपने भतीजा राजू ओराँव के साथ बजरा बाजार से अपने घर के लिए रवाना हुआ, किंतु, उक्त राजू ओराँव अ०सा०3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह बजरा बाजार से अकेला लौट रहा था। उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति नहीं था जब वह बजरा बाजार से लौट रहा था। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रात: लगभग 10 बजे वह बाजार में था और वह पूर्वाह्न लगभग 11 बजे बंधु भगत के बगीचा के निकट पहुँचा। उसके घर से बजरा बाजार की दूरी 2 कि०मी० है। वह पैदल बगीचा पहुँचा। जबकि अपने फर्दबयान में सूचक ने दावा किया है कि वह दोपहर 12 बजे बजरा बाजार से चला था।

न्यायालय में अपने मुख्य परीक्षण में सूचक अ०सा०1 ने कथन किया है कि जब उसकी पत्नी तेलिया ओराँव घर जा रही थी, रास्ते में बुधु ओराँव ने टांगी से उसका मस्तक काट दिया। यह तथ्य उसके फर्दबयान में उल्लिखित नहीं किया गया है और इसके अतिरिक्त उसने प्रकट नहीं किया है कि किस प्रकार वह जान सका था कि जब उसकी पत्नी घर जा रही थी, उसपर अभियुक्त द्वारा प्रहार किया गया था। सूचक बजरा बाजार से लौट रहा था और इस प्रकार स्पष्टत: वह अपनी पत्नी की गतिविधि नहीं जान सकता था। सूचक ने स्वयं का घटना के समय पर भी खंडन किया है। प्रतिपरीक्षण में सूचक कथन करता है कि घटना प्रात: लगभग 10 बजे हुई थी जबकि अभियोजन मामला यह है कि घटना दोपहर लगभग 12 बजे हुई। सूचक ने आगे प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वयं का खंडन किया है जब उसने कथन किया कि

उसकी पत्नी घटना की तिथि पर उसके साथ थी जब वह 'टांड' में काम कर रहा था। सूचक की पुत्री अर्थात मंगरी ओराँव ने भी कथन किया है कि वह घटना के समय पर खेत में काम कर रही थी और उसका पिता उसके साथ काम कर रहा था। फर्दबयान में सूचक द्वारा बिलकुल भिन्न कहानी दी गयी है। सूचक के प्रतिपरीक्षण द्वारा बचाव ने उसके मुख्य परीक्षण में उसका बयान पूरी तरह भंजित कर दिया है।

9. अपने प्रतिपरीक्षण में सूचक एवं उसकी पुत्री का स्वीकरण कि वे घटना के समय पर खेत में काम कर रहे थे, स्वयं एवं राजू ओराँव का घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा करने के लिए अपने फर्दबयान में सूचक द्वारा दी गयी कहानी को पूरी तरह झूठा बना देता है। अ०सा०3 राजू ओराँव की घटना स्थल के निकट उपस्थिति अत्यन्त संदेहपूर्ण है। सूचक ने कथन किया है कि वह उसके साथ बजरा बाजार से आ रहा था जबकि अ०सा०2 ने कथन किया है कि घटना के समय पर राजू ओराँव बजरा बाजार जा रहा था। अपने प्रतिपरीक्षण में अ०सा०3 यह कहने की सीमा तक गया है कि क्या किसी अन्य व्यक्ति ने घटना देखा है या नहीं, वह नहीं कह सकता है। इस प्रकार, तात्विक पहलूओं पर इन गवाहों का साक्ष्य एक-दूसरे का खंडन करता है।

10. अब हम अपीलार्थी द्वारा अभिकथित रूप से टांगी द्वारा मृतका का मस्तक काटने के बाद के चरण पर आते हैं। गवाहों ने अभियुक्त के मृतका के मस्तक के साथ भागने के बारे में कहा है जिसे उसने काफी दूर तक दौड़ने के बाद फेंक दिया। एक गवाह (अ०सा० 4) ने कथन किया है कि अभियुक्त साइकिल पर भाग रहा था और वे मोटरसाइकिल पर अभियुक्त का पीछा कर रहे थे। पीछा 10-12 कि०मी० तक किया गया था। कुछ ने केवल यह कथन किया है कि उन्होंने अपीलार्थी को पकड़ने का प्रयास किया था किंतु, वह भागने में सफल रहा (अ०सा०2 एवं अ०सा०3) और अन्य गवाह इस पहलू पर बिलकुल मौन हैं। एक गवाह राजू ओराँव के सिवाए अन्य गवाहों ने प्रकट नहीं किया है कि किस प्रकार मृतका का मस्तक घटना स्थल पर लाया गया था।

सूचक ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसकी पत्नी की हत्या करने के बाद जब अभियुक्त उसके मस्तक के साथ भाग रहा था, हल्ला करने पर उसने मस्तक फेंक दिया और भाग गया। किंतु, उसने कथन किया है कि पुलिस ने घटना स्थल पर उसकी पत्नी का मृत शरीर (मस्तक के बिना) लाया। अ०सा०3 ने कथन किया है कि जब अभियुक्त मृतका के मस्तक के साथ भाग रहा था, उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया, किंतु अभियुक्त भागने में सफल रहा। अ०सा०3 यह कथन करने में विफल रहा है कि जब गवाहों द्वारा पीछा किया गया था, अभियुक्त मस्तक छोड़ कर भाग गया। अ०सा०4 ने आगे कथन किया है कि पीछा किए जाने पर वे अभियुक्त को पकड़ नहीं सके थे, वे वापस घर आए और पुनः मोटरसाइकिल पर अभियुक्त की तलाश करने गए। अपने मुख्य परीक्षण में अ०सा०4 प्राख्यान करता है कि उन्होंने अभियुक्त को पाया और उससे मस्तक बरामद किया। उसे हमलोग खोज लिए एवं उसके पास से सर बराकद किया। किंतु, प्रतिपरीक्षण में अ०सा०4 ने स्वयं का खंडन किया जब उसने कथन किया कि यद्यपि वे मृतका का मस्तक बरामद कर सके थे, वे अभियुक्त को नहीं पा सके थे। इस गवाह ने कथन किया है कि जब भोला ओराँव (परीक्षण नहीं किया गया) ने उसको सूचित किया कि उसका भाई बुधु ओराँव तेलिया ओराँव पर प्रहार कर रहा है, वह घटनास्थल पर गया जहाँ उन्होंने मृतका का शिरच्छेदित शरीर पाया और अभियुक्त मृतका के मस्तक के साथ भाग रहा था। किंतु, अपने प्रतिपरीक्षण में, इस गवाह ने कथन किया है कि बजरा टांड से उसने अभियुक्त को मृतका के मस्तक के साथ भागते देखा था। गाँव एवं बजरा टांड के बीच दूरी 2 कि०मी० है। (अ०सा०3)

अभियोजन गवाहों के साक्ष्य में ये विरोधाभास ऐसे हैं कि घटना के समय पर और घटना के तुरन्त बाद घटना स्थल के निकट अ०सा०1 से अ०सा०4 की उपस्थिति अत्यन्त संदेहपूर्ण बन जाती है। विचारण न्यायाधीश अभियोजन गवाहों के साक्ष्य में इन विरोधाभासों के प्रभाव का परीक्षण करने में पूर्णत: विफल हुए हैं।

11. अब हम अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य पर आते हैं, जो प्रकट करेगा कि उसने बजरा गाँव में किसी स्त्री की मृत्यु के बारे में टेलीफोन पर सूचना पाया। अन्वेषण अधिकारी अ०सा०1 दावा करता है कि उसने इस सूचना को दिनांक 2.12.2003 की सनहा सं०32 के तहत दैनिक रजिस्टर में प्रविष्ट किया। यह सनहा प्रविष्टि, जिसने सूचना की प्रकृति तथा सूचक का नाम आदि प्रकट किया होता, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। अभियोजन द्वारा यह लोप प्रासंगिक बन जाता है जब हम चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य का परीक्षण करते हैं। सूचक ने दावा किया है कि उसने पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया था (पैरा 3)। अ०सा०3 ने यह दावा भी किया है कि उसने पुलिस के पास मामला दर्ज किया। उसने कथन किया है कि घटना के बाद जब अभियुक्त भाग गया, उसने पुलिस को सूचना दिया। (इसके बाद मैं थाना में मुकदमा किया।) घटनास्थल एवं पुलिस थाना के बीच की दूरी लगभग 25 कि०मी० बतायी जाती है। वस्तुत:, पुलिस ने मृत शरीर के निकट गाँव में सूचक का फर्दबयान दर्ज किया है। पहली नजर में जब इन तथ्यों का उसी दिन पर रात्रि लगभग 8 बजे प्राथमिकी के दर्जकरण के संदर्भ में परीक्षण किया जाता है, यह अप्रासंगिक प्रतीत हो सकता है किंतु जब दिनांक 2.12.2003 की सनहा प्रविष्टि प्रस्तुत करने में अभियोजन की ओर से लोप और अ०सा०1 एवं अ०सा०3 के बयान में विरोधाभासों के प्रभाव पर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता में विचार किया जाता है, यह परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अन्य कड़ी प्रदान करती है जो अभियोजन मामला की सत्यता पर, विशेषत: घटना के समय पर घटनास्थल के निकट अभिकथित चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति पर गंभीर संदेह डालती है।

12. सूचक, उसकी पुत्री एवं अ०सा०3 निकट संबंधी होने के कारण अत्यन्त हितबद्ध गवाह हैं यह कथन करने के सिवाए कि अभियुक्त जब घटनास्थल से भाग रहा था, वह बोल रहा था कि मृतका डायन है, अभियोजन द्वारा मृतका की हत्या के लिए कोई हेतु नहीं दिया गया है। स्वीकृत रूप से, पूर्व दुश्मनी नहीं थी और वस्तुत: पक्षों के बीच झगड़ा भी नहीं हुआ था। हेतु स्वयं में आधार नहीं है जिस पर अभियोजन मामला विफल होगा। किंतु, हत्या जैसे गंभीर अपराध में हेतु की अनुपस्थिति प्रासंगिक बन जा सकती है जब साक्ष्य के अन्य टुकड़े साथ बांधे जाने पर अभियोजन मामला पर गंभीर संदेह उत्पन्न करेंगे।

यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि गवाहों के साक्ष्य में विरोधाभास तथा अभियोजन मामला में कमी का जब स्वतंत्रतापूर्वक एवं पृथक रूप से परीक्षण किया जाता है, वे लघु विरोधाभास प्रतीत हो सकते हैं किंतु जब ऐसे विरोधाभासों एवं कमी का प्रभाव साथ-साथ देखा जाता है, यह अभियोजन मामला पर संदेह उत्पन्न कर सकता है जो अभियुक्त को संदेह के लाभ का हकदार बनाएगा। **नछित्तर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1975)3 SCC 266,** में यह संप्रेक्षित किया गया है कि जब अभियोजन अपराध का हेतु स्थापित करने में विफल रहता है, यह न्यायालय पर अन्य साक्ष्य, विशेषत: चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य का अत्यन्त चौकसी से संवीक्षण करने का कर्तव्य डालता है। वर्तमान मामला में, सावधानी एवं सतर्कता जिसका प्रयोग विचारण न्यायालय को चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य का संवीक्षण एवं मूल्यांकन करने में करना चाहिए था, प्रकटत: गायब है।

13. अभियोजन साक्ष्य घटना के तरीके पर आवश्यक विवरणों से रहित है। किसी भी गवाह ने अभियुक्त द्वारा मृतका तेलिया ओराँव पर प्रहार का कोरा विवरण भी नहीं दिया है। मृतका के मृत शरीर पर उपहतियाँ उपदर्शित करेंगी कि जब उस पर हमला किया गया, उसने स्वयं को बचाने का प्रयास किया। दो उपहतियाँ हैं: प्रत्येक मृतक के अग्रबाहु पर और हथेली पर। याची के विद्वान अधिवक्ता डॉ॰ वारिस ने प्रतिवाद किया है कि टांगी द्वारा खड़े शरीर का शिरच्छेदन असंभव है। हम पाते हैं कि किसी भी गवाह ने दावा नहीं किया है कि टांगी द्वारा प्रहार पाने के बाद मृतका जमीन पर गिर गयी और तत्पश्चात अपीलार्थी ने उसका गर्दन काटा। मानव गर्दन नसों, टिशुओं एवं अस्थियों से भरा है। न्यायालय में स्वीकार किया गया है कि टांगी आयाम में लगभग 4-5" धारवाला तेज धार वाला हथियार है। अभियोजन के लिए समस्या उद्भूत होती है क्योंकि अन्वेषण अधिकारी अपराध का हथियार बरामद करने में विफल रहा है।

इस पहलू पर, हम पाते हैं कि मामला में अन्वेषण तथा विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा दिया गया साक्ष्य कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देता है कि पुलिस द्वारा अपराध का हथियार बरामद क्यों नहीं किया गया था। विद्वान ए॰पी॰पी॰ ने प्रतिवाद किया है कि जब एक बार यह पाया जाता है कि अ॰सा॰ 1, अ॰सा॰ 2 एवं अ॰सा॰ 3 का साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से संगत है, भा॰दं॰सं॰ की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि अभिपुष्ट की जानी होगी। विद्वान ए॰पी॰पी॰ ने **''राम सिंह बिरुआ एवं एक अन्य बनाम झारखंड राज्य'',** 2017(3) JLJR 673, में निर्णय पर विश्वास किया है। हमारे मत में, जब अभियोजन गवाहों का साक्ष्य विरोधाभासी पाया जाता है, डॉक्टर का मत मात्र कि मृत्यु तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित की गयी थी, अभियोजन मामला स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

हत्या के विचारण में, अपराध का हथियार और घटना स्थल से संग्रहित रक्त नमूना पर सिरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट साक्ष्य के महत्वपूर्ण टुकड़ें हैं जिनकी अनुपस्थिति अभियोजन मामला को अत्यन्त कमजोर बनाएगी।

जख्म पर नमक छिड़कते हुए विद्वान विचारण न्यायाधीश, हम पाते हैं, ने दं॰प्र॰सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का बयान दर्ज करने के समय पर गंभीर गलती किया। सिवाए इसके कि 2.12.2003 को अभियुक्त ने टांगी द्वारा उसका शिरच्छेदन करके मृतका की हत्या की, अपराध में 'फँसाने वाली कोई परिस्थिति अभियुक्त के समक्ष नहीं रखी गयी थी। अभियुक्त से केवल तीन गूढ़ प्रश्न पूछे गए थे जब दं॰प्र॰सं॰ की धारा 313 के अधीन उसका परीक्षण किया गया था। अभियुक्त दं॰प्र॰सं॰ की धारा 313 के अधीन आज्ञा के अननुपालन के कारण गंभीर प्रतिकूलता से पीड़ित हुआ है। (निर्दिष्ट करें: **''शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य'', (1984)4 SCC 116).**

14. सत्र विचारण सं॰ 294 वर्ष 2004 में निर्णय दं॰प्र॰सं॰ की धारा 354 के अधीन आज्ञा का पूर्ण अननुपालन प्रकट करता है। चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में विवरणों की पूरी कमी है। अ॰सा॰ 1, 2 एवं 3 ने केवल यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने टांगी से मृतका का गर्दन काटा और उसके मस्तक लेकर भाग गया। घटना के तरीका पर विवरणों से पूर्णत रहित ऐसे साक्ष्य के साथ विचारण न्यायाधीश ने निष्कर्षित किया है कि अपीलार्थी भा॰दं॰सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी है। घटना के समय, घटना के तरीका और गवाहों द्वारा अपीलार्थी का पीछा किए जाने पर अभियोजन की कहानी के संबंध में गंभीर विरोधाभास है। किंतु, दिनांक 18.2.2009 के निर्णय एवं आदेश पर एक नजर स्पष्ट करता है कि विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त ने अभियोजन गवाहों का साक्ष्य निकालने के बाद तुरन्त इस निष्कर्ष पर आ गए हैं कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त बुधु ओराँव

के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है। अपीलार्थी द्वारा किया गया बचाव जो गवाहों के प्रति परीक्षण में परिलक्षित होता है और दं०प्र०सं० की धारा 313 के अधीन अपने परीक्षण में परिलक्षित होता है और दं०प्र०सं० की धारा 313 के अधीन अपने परीक्षण में उसके द्वारा लिया गया दृष्टिकोण विचारण न्यायाधीश द्वारा मात्र यह संप्रेक्षित करते हुए ठुकरा दिया गया है कि ''अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में मैं पाता हूँ कि अभियुक्त का बचाव कि गवाह उससे उद्ग्रहण की मांग कर रहे थे और गवाहों को उद्ग्रहण का भुगतान नहीं करने के लिए उन्होंने उसके विरूद्ध अभिसाक्ष्य दिया है, स्वीकार्य नहीं है। इस चरण पर हम लाभदायी रूप से **''मुख्तार सिंह एवं एक अन्य बनाम पंजाब राज्य'', (1995)1 SCC 760,** में निर्णय को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

> *^^10------fopkj.k U;k;ky; n0 i0 l0 dh èkkjk 354(i)(b) dh vko';drkvk l vufHkK irhr gkrk gA pfd] iFke vihy bl U;k;ky; e dh tkrh g] fopkj.k U;k;ky; dk vkèkkj ftlij ^fu.k;* vkèkkfjr g tkuu d fy, vihyh; U;k;ky; dk l{ke cuku d fy, U;k;ky; e fd, x, fuonuk dk nt dju d vfrfjDr de l de xokgk d lk{; d e[; Hkkxk dk m)r ,o bl ij ppk djuk pkfg, FkkA ^fu.k;* dk vFk ^fu"d"k* ek= ugh gA ;g viuh rg e mu dkj.kk dk lekfo"V djrk g tk ^fu"d"kk* ij vku dk vkèkkj fufer djr gA fopkj.k U;k;ky; dk fu.k; doy ^fu"d"k* vrfo"V djrk g vkj u fd dN vkj***

15. सार–संक्षिप्त करते हुए, वर्तमान मामला जैसे मामले में, जहाँ अभियोजन गवाहों (अ०सा०1, अ०सा०2 एवं अ०सा०3) के साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास हैं और अभियोजन गवाहों ने एक–दूसरे का तात्विक पहलूओं पर खंडन किया है और न तो अपराध का हथियार प्रस्तुत किया गया है और न ही सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट प्राप्त की गयी है, घटनास्थल पर संदेह है जब सूचक कथन करता है कि अन्वेषण अधिकारी ने मृत शरीर घटनास्थल जहाँ से मृतका का मस्तक बरामद किया गया था पर लाया और इसे किसके द्वारा लाया गया था और मृत शरीर के निकट रखा गया था, स्थापित नहीं होता है और कुछ महत्वपूर्ण गवाहों का परीक्षण नहीं किया गया है अथवा वे पक्षद्रोही हो गए हैं, हमारे मत में, अ०सा०1, अ०सा०2 एवं अ०सा०3 के साक्ष्य पर अपीलार्थी को भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करने के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता है।

16. तथ्यों एवं परिस्थितियों जिन्हें अभियोजन द्वारा सत्र विचारण में सिद्ध किया गया है में, **पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह, बलजीत सिंह एवं करण सिंह, (1974)3 SCC 277,** में संप्रेक्षण प्रकाशमान करेगा:–

> *^^nkfMd fopkj.k ijh dFkk ugh g ftle viuh dYiuk ,o Qrklh dh mMku d fy, dkb Lor= gA ;g bl i'u d lkFk ljkdkj j[krk g fd D;k fopkj.k e nk"kkjkfir fd, x, vfHk;Dr vijkèk d nk"kh g ftl l ml vkjkfir fd;k x;k gA vijkèk okLrfod thou dh ?kVuk g vkj fofHkUu ekuo lonuk dh vr%fØ;k dk ifj.kke gA vijkèk dh dkfjrk l vkjkfir vfHk;Dr d nk"k d ckj e fu"d"k ij vku e U;k;ky; dk vfèklHkkO;rkvk d ekinM] bldk vrfufgr eY; ,o xokgk d vk'k; }kjk lk{; dk vkduk gkxkA iR;d ekeyk dk vfre fo'y"k.k e Lo;i viu rF;k ij fuHkj gkuk gkxkA ;|fi iR;d ;fDr;Dr lng dk ykHk vfHk;Dr dk fn;k tkuk pkfg,] U;k;ky; dk mlh le; ij lk{; dk vkèkkjk tk dkYifud vFkok vVdyk dh idfr d g ij vLohdkj ugh djuk pkfg, tk idVr% fo'oluh; gA***

17. जागीर सिंह मामला में यथा उपदर्शित साक्ष्य का संवीक्षण एवं मूल्यांकन करने के मापदंड के आलोक में, जब हम अपीलार्थी के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन आरोप संपोषित करने के लिए अभियोजन द्वारा दिए गए साक्ष्य का परीक्षण करते हैं, हम निष्कर्षित करते हैं कि अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है। तद्नुसार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अभियोजन अपीलार्थी के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है।

18. परिणामस्वरूप, सत्र विचारण सं० 294 वर्ष 2004 में बीसवें अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 18.2.2009 के भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी बुधु ओराँव को अभिरक्षा से तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामला में उसकी आवश्यकता नहीं है।

19. वर्तमान दांडिक अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o vfuy dekj pkèkjh] U;k;efrx.k

शीतल राम एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 656 of 2009. Decided on 3rd January, 2018.

एस०टी०सं० 23 वर्ष 1997 में अपर सत्र न्यायाधीश I, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 27.5.2009 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 30.5.2009 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 302/34 एवं 323/34–हत्या एवं उपहति–सामान्य आशय–आजीवन कारावास–यद्यपि दोनों अपीलार्थियों के विरूद्ध लाठी द्वारा मृतक पर प्रहार करने का साक्ष्य है किंतु अभियोजन सिद्ध करने में विफल रहा है कि उन्होंने मृतक की हत्या करने के आशय से प्रहार किया था–मृतक की छाती पर चढ़ने तथा इसे पैर से दबाने का अभिकथन डॉक्टर के चिकित्सीय साक्ष्य तथा उसके द्वारा सिद्ध किए गए शव परीक्षण रिपोर्ट से समर्थन नहीं पाता है–इस दशा में, भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन अपराध बनता नहीं कहा जा सकता है–भा०दं० सं० की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि भा०दं०सं० की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है–दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश तद्नुसार उपांतरित किया गया।

(पैराएँ 13 से 16)

अधिवक्तागण.–M/s Mahesh Tiwari, Pankaj Kr. Dubey, For the Appellants; Mr. Manoj Kumar No. II, For the State.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थीगण एस०टी०सं० 23 वर्ष 1997 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश I, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 27.5.2009 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 30.5.2009 के दंडादेश से व्यथित हैं, जिसके द्वारा दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 323/34 के अधीन अपराधों के लिए दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई करने पर, अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास भुगतने

और प्रत्येक को 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया है और आगे भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323/34 के अधीन अपराध के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और प्रत्येक को 1000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया है। दोनों दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया है।

3. अभियोजन मामला मृतक रामजी राम के पुत्र भगवान राम के नूतन नर्सिंग होम, गोधर में अपराह्न लगभग 10.30 बजे 30.6.1996 को दर्ज फर्दबयान के आधार पर संस्थित किया गया था जिसमें यह कथन किया गया है कि अभियुक्त उमेश राम ने सूचक के भाई लक्ष्मण राम को शराब पीने के लिए मजबूर किया था जिस पर सूचक द्वारा आपत्ति की गयी थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे शराब पीने से मना किया था। यह अभिकथित किया गया है कि झगड़ा हुआ था। तत्पश्चात, उमेश राम ने शीतल राम, रामदेव राम एवं श्यामदेव राम सहित अपने भाईयों को बुलाया। वे सब लाठी के साथ वहाँ आए और सूचक तथा उसके भाई लक्ष्मण राम पर प्रहार किया और उनके मस्तकों एवं शरीर के अन्य भागों पर उपहतियाँ कारित किया। जब उसके पिता रामजी राम ने मध्यक्षेप करने का प्रयास किया, अभियुक्तों उमेश राम एवं शीतल राम द्वारा लाठी से उसकी पीठ एवं अग्रबाँह पर प्रहार किया गया था जिस कारण वह गिर गया और तत्पश्चात दोनों अभियुक्तगण उसके पिता की छाती पर चढ़ गए और इसे पैरों से दबाया जिस कारण उसका पिता उलटी करने लगा और बेहोश हो गया। तत्पश्चात, उसे नर्सिंग होम लाया गया था जहाँ उसका इलाज किया जा रहा था। सूचक के फर्दबयान के आधार पर केन्दुआडीह पी०एस० केस सं० 54 वर्ष 1996, जी०आर०सं० 1898 वर्ष 1996 के तत्सम, इन अपीलार्थियों सहित नामित अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 323, 307/34 के अधीन अपराधों के लिए संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। घटना के दो दिन बाद सूचक के पिता की मृत्यु इलाज के दौरान हो गयी और तद्नुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 भी जोड़ी गयी थी। अन्वेषण के दौरान, पुलिस ने अभियुक्तों उमेश राम, शीतल राम एवं रामदेव राम को गिरफ्तार किया और अन्य दो अभियुक्तों को फरार के रूप में दर्शाते हुए आरोप-पत्र दाखिल किया।

4. मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने पर इन अपीलार्थियों सहित अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 302/34 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए थे और अभियुक्तों के निर्दोषिता का अभिवचन करने पर और विचारण किए जाने का दावा करने पर उनका विचारण किया गया था। आक्षेपित निर्णय से यह प्रतीत होता है कि विचारण के क्रम में अभियुक्त रामदेव राम फरार हो गया और उसका विचारण अलग किया गया था।

5. विचारण के क्रम में, अभियोजन ने इस मामला में अन्वेषण अधिकारी तथा डॉक्टर जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया सहित आठ गवाहों का परीक्षण किया है। बचाव की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था।

6. अ०सा०3 भगवान राम मामले का सूचक है। इस गवाह ने कथन किया है कि घटना लगभग 2½ वर्ष पहले रात्रि में लगभग 9 बजे हुई थी। उमेश राम ने उसके भाई को शराब पिलाया, जिसपर उसने उमेश राम को फटकारा कि उसने क्यों उसके भाई को शराब पिलाया, जिस कारण सूचक एवं उमेश राम तथा शीतल राम के बीच झगड़ा हुआ था। तत्पश्चात, उमेश राम, शीतल राम, रामदेव राम, श्यामदेव राम एवं शेखर अपने घर से लाठी लाए और सूचक तथा उसके भाई लक्ष्मण राम पर प्रहार किया और उनके मस्तकों एवं शरीर के अन्य भागों पर उपहतियाँ कारित किया। जब सूचक के माता-पिता उन्हें बचाने वहाँ आए, उमेश राम द्वारा उसकी माता को धक्का दिया गया था जिस कारण वह गिर गयी। तत्पश्चात उमेश

राम एवं शीतल राम ने उसके पिता पर लाठी से प्रहार किया जिस कारण उसका पिता गिर गया और तत्पश्चात वे दोनों उसके पिता की छाती पर चढ़ गए और उसकी छाती को पैरों से दबाया जिस कारण वह उलटी करने लगा और तत्पश्चात अभियुक्तगण भाग गए। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि उसका पिता बेहोश हो गया था और वह अपने पिता को पुलिस थाना ला रहा था, किंतु उसकी दशा देखते हुए वह उसे सीधा अस्पताल ले गया जहाँ उसका इलाज प्रारंभ किया गया था। पुलिस अस्पताल आयी और उसका फर्दबयान दर्ज किया जिस पर उसने अंगूठा का निशान लगाया। तत्पश्चात, उसके पिता को सदर अस्पताल, धनबाद लाया गया था किंतु उसकी मृत्यु हो गयी। उसने अभियुक्तों को न्यायालय में पहचाना है। इस गवाह का विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया था, किंतु उसमें अधिक महत्व का कुछ प्रतीत नहीं होता है, सिवाए इसके कि उसने दोहराया कि इन दो अभियुक्तों द्वारा उसके पिता पर प्रहार किया गया था।

7. अ०सा०1 लक्ष्मण राम, सूचक के ससुर अ०सा०2 लखन राम, सूचक की माता तथा मृतक की पत्नी अ०सा०4 जयमन्ती, अ०सा०5 राजेश्वर दास और मृतक की पुत्री अ० सा० 7 दिव्या देवी ने भी घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में अभियोजन मामला का समर्थन किया है। इन समस्त गवाहों ने कथन किया है कि झगड़ा के बाद अभियुक्तों ने सूचक भगवान राम तथा उसके भाई लक्ष्मण राम पर प्रहार किया और उन पर उपहतियाँ कारित किया और जब उनका पिता उनको बचाने आया, उस पर लाठी से प्रहार किया गया था जिस कारण वह गिर गया और दोनों अभियुक्तगण उसकी छाती पर चढ़ गए और इसे अपने पैरों से दबाया जिस कारण वह उलटी करने लगा और बेहोश हो गया। तत्पश्चात, उसे अस्पताल लाया गया था और इलाज के क्रम में दो दिन बाद उसकी मृत्यु हो गयी। अ०सा०1 लक्ष्मण राम, अ०सा०2 लखन राम, अ०सा०3 सूचक भगवान राम एवं अ०सा०4 मृतक की पत्नी जयमन्ती ने कथन नहीं किया है कि इन अपीलार्थियों ने मृतक के मस्तक पर लाठी से प्रहार किया था, जबकि अ०सा०5 राजेश्वर दास तथा अ०सा०7 दिव्या देवी ने कथन किया है कि मृतक के मस्तक पर भी प्रहार किया गया था।

8. अ०सा०6 डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार ने 3.7.1996 को मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और मृतक के मृत शरीर पर निम्नलिखित मृत्युपूर्व उपहतियाँ पाया था:–

(i) ck, dkguh d ihN 1" × ¼" × Ropk rd xgjk fonh.k t[eA

(ii) eLrd d ck, VEikjy {k= ij ½" × ¼" dk [kjkpA

(iii) vxeLrd d ck, Hkkx ij ¼" × ¼" dk [kjkpA

(iv) VEikjy {k= rd tkrk vxeLrd d ck, Hkkx ij 4" × 3" dk l tuA

(v) nk, dkguh d ihN 1" × ½" dk [kjkpA

foPNnu dju ij] ij eLrd ij flj dh [kky d uhp ekVk ,fpekfl l ik;k x;k FkkA nk, VEikjy vfLFk d vr rd ck, ijkbVy vfLFk l nk, ijkbVy vfLFk rd tkrk eLrd d vkjikj fyfu;j ŶDpj ik;k x;k FkkA ŶVy ijkbVy lpj Hkh nkuk Hkkxk ij vyx ik;k x;k FkkA ân; ,o CyMj [kkyh ik;k x;k FkkA nkuk Hkkxk ij cu dh ijh lrg ij ekVk lcM;jy gekVkek ik;k x;k FkkA iV e yxHkx 40CC xgjk Hkjk rjy vrfo"V Fkk vkj fo'k"k xèk ugh FkhA vU; vkrfjd vx èkèky ik, x, FkA

इस गवाह ने कथन किया है कि मृत्यु इस तथ्य के कारण कारित की गयी थी कि मृतक कड़े एवं भोथरे हथियार द्वारा कारित मस्तक उपहतियों के कारण कोमा में था। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया था।

9. अ०सा०8 उदय भान सिंह मामले का आई०ओ० है। इस गवाह ने कथन किया है कि 30.6. 1996 को वह केन्दुआडीह पुलिस थाना में एस०आई० के रूप में पदस्थापित था। रात्रि लगभग 10 बजे उसने सूचना पाया कि कुछ व्यक्तियों के बीच झगड़ा हुआ था। उसने इस सूचना के बारे में सनहा प्रविष्टि किया और घटनास्थल पर गया। घटनास्थल पर उसे घटना के बारे में जानकारी हुई जिसमें रामजी राम गंभीर रूप से घायल हुआ था जिसे नूतन नर्सिंग होम लाया गया था। तत्पश्चात वह नूतन नर्सिंग होम गया और रामजी राम को गंभीर दशा में देखा। उसने भगवान राम का फर्दबयान दर्ज किया जिस पर भगवान राम ने अपने अंगूठा का निशान लगाया। उसने फर्दबयान सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया है। उसने फर्दबयान पर पृष्ठांकनों को भी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 2/1 चिन्हित किया गया था। उसने औपचारिक प्राथमिकी भी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया था। उसने घटनास्थल का विवरण दिया है। उसने मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 4 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है कि भगवान राम एवं लक्ष्मण राम के बयानों को दं०प्र०सं० की धारा 164 के अधीन दर्ज किया गया था और अन्वेषण के दौरान उसने उमेश राम, शीतल राम तथा रामदेव राम को गिरफ्तार किया, जिनके विरूद्ध उसने दो अभियुक्तों को फरार दर्शाते हुए आरोप-पत्र दाखिल किया। अपने प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि घटनास्थल पर उसने रक्त का धब्बा एवं उलटी का निशान नहीं पाया था।

10. दोनों अभियुक्तों के बयान दं०प्र०सं० धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया था जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध साक्ष्य से इनकार किया। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दोनों अभियुक्तों को पूर्वोक्तानुसार दोषी पाया गया था और दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया था।

11. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश पूर्णत: अवैध है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन अपीलार्थियों के विरूद्ध मृतक के मस्तक पर प्रहार करने का अभिकथन नहीं है। प्राथमिकी में भी यह कथन नहीं किया गया है कि अपीलार्थियों द्वारा मृतक के मस्तक पर लाठी से प्रहार किया गया था और न ही अ०सा०1 लक्ष्मण राम, अ०सा०2 लखन राम, अ०सा०3 भगवान राम सूचक और अ०सा०4 मृतक की पत्नी जयमन्ती ने कथन किया है कि मृतक के मस्तक पर कोई प्रहार किया गया था। तद्नुसार, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि गिरने के कारण मृतक पर मस्तक उपहतियाँ कारित हुई थीं। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि यद्यपि यह अभियोजन का विनिर्दिष्ट मामला है कि मृतक के गिर जाने के बाद दोनों अपीलार्थी उसकी छाती पर चढ़ गए और इसे पैरों से दबाया जिस कारण वह उलटी करने लगा और बेहोश हो गया किंतु शव परीक्षण रिपोर्ट में मृतक की छाती पर अथवा बगल के आंतरिक अंगों पर कोई उपहति नहीं पायी गयी थी। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि घटनास्थल पर उलटी का निशान नहीं पाया गया था जैसा मामले के आई०ओ० अ०सा०8 उदयभान सिंह द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है। तद्नुसार, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थियों के विरूद्ध

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध नहीं बनता है बल्कि अपराध, यदि हो, केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन बनता है।

12. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध एवं निवेदन किया है कि अभियोजन मामला समस्त तात्विक अभियोजन गवाहों द्वारा समर्थित है जो घटना के चश्मदीद गवाह हैं। राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह इंगित किया गया है कि अ०सा०5 राजेश्वर दास तथा अ०सा०7 दिव्या देवी ने विनिर्दिष्टत: कथन किया है कि दोनों अभियुक्त अपीलार्थियों ने मृतक के मस्तक तथा शरीर के अन्य भागों पर प्रहार किया था और यह चाक्षुक साक्ष्य अ०सा०6 डॉ० शैलेन्द्र कुमार के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णत: संपुष्ट किया गया है। इस दशा में, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध स्पष्टत: बनता है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है।

13. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि दोनों अपीलार्थियों को सूचक भगवान राम तथा उसके भाई लक्ष्मण राम को उपहति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है। यद्यपि उन्होंने कथन किया है कि उन्होंने खून बहती उपहतियाँ पाया था किंतु अभियोजन द्वारा ऐसी कोई उपहति सिद्ध नहीं की गयी है। यह प्रतीत होता है कि आरोप-पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के अधीन दाखिल किया गया था और इसी अपराध के लिए आरोप विरचित भी किया गया था। जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध का संबंध है, प्राथमिकी में दोनों अपीलार्थियों के विरूद्ध मृतक रामजी राम पर प्रहार करने का अभिकथन है जब उसने अपने पुत्रों को बचाने का प्रयास किया। प्राथमिकी के मुताबिक, प्रहार लाठी द्वारा मृतक की पीठ एवं अग्रबाहु पर प्रहार किया गया था जिस कारण यह अभिकथित किया गया है कि वह गिर गया और दोनों अपीलार्थी उसकी छाती पर चढ़ गए और उसकी छाती को पैर से दबाया जिस कारण वह उलटी करने लगा और बेहोश हो गया। अ०सा०1 लक्ष्मण राम, अ०सा०2 लखन राम, अ०सा०3 सूचक भगवान राम और अ०सा०4 मृतक की पत्नी जयमन्ती ने भी कथन नहीं किया है कि मृतक के मस्तक पर कोई प्रहार किया गया था। केवल दो गवाह अ०सा०5 राजेश्वर दास तथा अ०सा०7 दिव्या देवी हैं जिन्होंने कथन किया है कि मृतक के मस्तक पर भी प्रहार किया गया था। इस दशा में, यह तथ्य कि अ०सा०5 राजेश्वर दास तथा अ०सा०7 दिव्या देवी के बयान शव परीक्षण रिपोर्ट देखने पर अभियोजन मामला पर सुधार है, से इनकार नहीं किया जा सकता है। किंतु तथ्य बना रहता है कि दोनों अपीलार्थियों के विरूद्ध मृतक पर लाठी से प्रहार करने का अभिकथन है जिस कारण वह गिर गया। मृतक की छाती पर चढ़ने और पैरों से इसे दबाने का अभिकथन अ०सा०6 डॉ० शैलेन्द्र कुमार के चिकित्सीय साक्ष्य तथा उनके द्वारा सिद्ध किए गए शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 1 से समर्थन नहीं पाता है जिन्होंने छाती पर अथवा अगल-बगल के आंतरिक अंगों में कोई उपहति नहीं पाया था। उलटी करने का निशान भी मामले के आई०ओ० अ०सा०8 उदयभान सिंह द्वारा नहीं पाया गया था। हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि इस मामले के तथ्यों में, यद्यपि इन दोनों अपीलार्थियों के विरूद्ध मृतक पर लाठी से प्रहार करने का साक्ष्य है किंतु अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि प्रहार मृतक की मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया था। इस दशा में, इन अपीलार्थियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध बनता नहीं कहा जा सकता है बल्कि अपराध, यदि हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन बनता है। तद्नुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा

302 के अधीन अपराध के लिए दोनों अभियुक्त अपीलार्थियों की दोषसिद्धि भा०दं०सं० की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है।

14. तद्नुसार, एस०टी०सं० 23 वर्ष 1997 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करते हुए विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश I, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 27.5.2009 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय इस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II/34 के अधीन अपराध का दोषी पाया जाता है और दोषसिद्ध किया जाता हैं दिनांक 30.5.2009 का दंडादेश भी तद्नुसार इस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन पारित दंडादेश अपास्त किया जाता है और दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II/34 के अधीन अपराध के लिए दस वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया जाता है। किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थियों का दंडादेश संपुष्ट किया जाता है। दोनों दंडादेश समवर्ती रूप से चलेंगे जैसा विचारण न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है। दोनों अपीलार्थीगण शीतल राम एवं उमेश राम अभिरक्षा दंडादेश भुगत रहे हैं। दोनों अपीलार्थियों को निर्मुक्त एवं स्वतंत्र करने का निर्देश दिया जाता है ज्योंही वे दस वर्षों के कठोर कारावास का दंडादेश पूरा कर लेते हैं। यदि उन्होंने पहले ही यह दंडादेश पूरा कर लिया है, उन्हें तुरन्त निर्मुक्त एवं स्वतंत्र किया जाएगा यदि किसी अन्य मामला में उनका निरोध आवश्यक नहीं है।

15. परिणामस्वरूप, यह अपील पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में उपांतरण के साथ अंशत: अनुज्ञात की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त संबंधित न्यायालय को वापस भेजे जाएँ।

---

ekuuh; ieFk iVuk;d] U;k;efr

शुभचंद्र झा

cuke

मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं अन्य

W.P. (S) No. 3804 of 2012. Decided on 10th January, 2018.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–जन्मतिथि–सुधार–खान अधिनियम की धारा 48 के मुताबिक, फॉर्म बी० में दर्ज जन्मतिथि निर्णायक है–न्यायालय को सेवा करिअर के अंतिम छोर पर जन्मतिथि के सुधार के लिए निर्देश जारी करने से बचना चाहिए–जन्मतिथि फॉर्म बी० रजिस्टर में 3.7.1949 दर्ज की गयी है, तद्नुसार याची को अधिवर्षिता के लिए सेवानिवृत्ति नोटिस जारी किया गया है–आक्षेपित सेवानिवृत्ति नोटिस में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 5 एवं 6)

निर्णयज विधि.–(1993) 2 SCC 162 ;(1995) 4 SCC 172 ; (2010) 14 SCC 423 ; (2011) 9 SCC 664—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Shailesh Kr. Singh, For the Petitioner; M/s Amit Kr. Sinha, Anoop Kr. Mehta, For the Resp.-BCCL.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–संलग्न रिट आवेदन में याची ने अन्य बातों के साथ दिनांक 6.2.2009 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा याची को नकली जन्मतिथि

के आधार पर 1.8.2009 को सेवानिवृत्त होने के लिए कहा गया है जो प्रत्यर्थियों द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित विद्यालय निर्गम प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्मतिथि के विपरीत है। याची ने पिछली मजदूरी के साथ सेवा में उसको पुनर्बहाल करने की प्रार्थना भी किया है।

2. रिट आवेदन में वर्णित संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची ने विभिन्न निबंधनों एवं शर्तों को अंतर्विष्ट करते उसको जारी दिनांक 30.1.1982 की नियुक्ति पत्र की दृष्टि में वर्ष 1982 में सेवा ग्रहण किया। उक्त निबंधनों एवं शर्तों के अनुपालन के बाद याची ने दिनांक 14.5.1982 के कार्यालय आदेश के तहत जोगता अग्नि परियोजना में प्रशिक्षु ऑटो इलेक्ट्रिशियन के रूप में अपनी प्रथम पदस्थापना पाया। अनवधानी से, पदग्रहण के समय पर, जन्मतिथि गलत रूप से 3.7.1949 दर्ज की गयी थी यद्यपि उसकी जन्मतिथि विद्यालय अभिलेख के मुताबिक 3.7.1954 थीं। याची इस तथ्य से अवगत नहीं था कि उसकी जन्मतिथि फॉर्म बी० तथा सेवा उद्धरण में गलत रूप से दर्ज की गयी है। गलत प्रविष्टि के बारे में जानकारी होने के बाद याची ने रिट आवेदन के परिशिष्ट 3 द्वारा जन्मतिथि के सुधार के लिए तुरन्त अभ्यावेदन दिया। आगे यह प्रकथन किया गया है कि याची ने दिनांक 6.2.2009 का आक्षेपित सेवानिवृत्ति नोटिस पाया और उसे जानकारी हुई कि उसकी जन्मतिथि गलत रूप से फॉर्म बी० तथा सेवा उद्धरण में 3.7.1949 दर्ज की गयी है जिसे सुधारा नहीं गया है और इस दशा में याची को परिशिष्ट 4 के तहत दिनांक 6.2.2009 की सेवानिवृत्ति नोटिस के मुताबिक 1.8.2009 को सेवानिवृत्त होने के लिए कहा गया था। उक्त सेवानिवृत्ति नोटिस पाने के बाद याची ने यूनियन राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के माध्यम से अभ्यावेदन दिया। तत्पश्चात याची को राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार के क्रियान्वयन अनुदेश 76 के मुताबिक विद्यालय निर्गम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था और याची ने बी०सी०सी०एल० में अपना पद ग्रहण करने के पहले अर्थात 3.7.1979 को उसको जारी स्थानान्तरण प्रमाणपत्र जमा किया और तत्पश्चात विद्यालय निर्गम प्रमाण पत्र संबंधित विद्यालय के समक्ष सत्यापन के लिए भेजा गया था और संबंधित विद्यालय ने दिनांक 11.6.2010 के पत्र के तहत प्रमाण पत्र दिया कि वस्तुतः विद्यालय द्वारा दिनांक 3.7.1979 का अंतरण प्रमाण पत्र सं०73 जारी किया गया था जिसमें याची की जन्मतिथि 3.7.1954 उल्लिखित की गयी है। किंतु याची को आश्चर्यजनक रूप से दिनांक 27.12.2011 के आदेश के तहत सूचित किया गया था कि उसकी जन्मतिथि के सुधार के लिए उसका मामला प्रत्यर्थियों द्वारा इस तथ्य के कारण अस्वीकार कर दिया गया है कि विद्यालय निर्गम प्रमाण पत्र के आधार पर जन्मतिथि का सुधार 1.1.76 के प्रावधानों के अधीन आच्छादित नहीं है। आगे यह प्रकथन किया गया है कि याची का मामला रिट आवेदन के परिशिष्ट 9 के मुताबिक क्रियान्वयन अनुदेश सं० 76 द्वारा पूर्णतः आच्छादित है। आक्षेपित सेवानिवृत्ति नोटिस से व्यथित होकर याची कोई वैकल्पिक उपचार नहीं होने पर अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय के पास आने के लिए मजबूर हुआ है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि प्रत्यर्थियों को विद्यालय निर्गम प्रमाण पत्र के आधार पर और न कि फॉर्म बी० रजिस्टर में की गयी गलत प्रविष्टि के आधार पर जन्मतिथि विनिश्चित करना चाहिए था। अतः, याची को समयपूर्व सेवानिवृत्त करने की प्रत्यर्थियों की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14 एवं 16 का उल्लंघनकारी होने के नाते शक्ति के मनमाने प्रयोग के तुल्य है।

4. रिट आवेदन में किए गए निवेदनों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थियों द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रतिशपथ पत्र में यह निवेदन किया गया है कि रिट याचिका तथ्यों का विवादित प्रश्न अंतर्विष्ट

करती है और इस दशा में रिट याचिका खारिज किए जाने की दायी है और इसके अतिरिक्त अत्यधिक विलंब एवं ढिलाई भी है। याची 1.8.2009 को अधिवर्षित हुआ और रिट याचिका लगभग तीन वर्ष बीतने के बाद दाखिल की गयी है। आगे यह निवेदन किया गया है कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जन्मतिथि से संबंधित विवाद सेवा के अंतिम छोर पर उठाया नहीं जा सकता है और वर्तमान मामला में विवाद अधिवर्षिता के तीन वर्ष बाद उठाया गया है। अत:, उस आधार पर भी रिट याचिका ग्रहणीय नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची की जन्मतिथि सही प्रकार से याची के सेवा अभिलेख में प्रविष्ट की गयी थी और याची को अपनी नियुक्ति के बाद किसी चरण पर कोई शिकायत नहीं है। याची ने अपनी जन्मतिथि 3.7.1949 अभिस्वीकृत एवं स्वीकार किया है और याची ने पदग्रहण के समय पर जन्मतिथि से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया था। याची की जन्मतिथि फॉर्म बी॰ रजिस्टर एवं सेवा उद्धरण में 3.7.1949 दर्ज की गयी थी। आगे यह कथन किया गया है कि याची को खान अधिनियम की धारा 48 के अधीन रखे गए सांविधिक फॉर्म बी॰रजिस्टर के आधार पर अधिवर्षित किया गया है। प्रत्यर्थीगण कर्मचारियों की आयु के सत्यापन के संबंध में क्रियान्वयन अनुदेश सं॰ 76 में अंतर्विष्ट प्रावधानों द्वारा बाध्य है जिसे दो विभिन्न चरणों पर किया जा सकता है अर्थात विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति के समय पर अथवा नियुक्ति के बाद। याची ने अपनी नियुक्ति के समय पर प्रमाण पत्र कभी नहीं प्रस्तुत किया। याची ने सदैव जन्मतिथि 3.7.1949 स्वीकार किया और इसे विवादित कभी नहीं किया। अत:, नियुक्ति के समय पर याची ने संबंधित विद्यालय निर्गम प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, तब खंड (A) (ii) का प्रावधान आकृष्ट होगा। आगे, खंड (B) स्पष्टत: प्रावधानित करता है कि विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में केवल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र अथवा उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र अथवा मिडिल पास प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा। उक्त निकायों द्वारा जारी प्रवेश पत्र भी स्वीकार्य है क्योंकि वे नियुक्ति के पहले उक्त निकायों द्वारा जारी किए गए हैं। जुलाई, 2009 में याची की सेवानिवृत्ति के पश्चात उठाए गए समस्त कदम निष्फल एवं प्रत्यर्थियों पर बाध्यकारी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, याची ने अपनी सेवानिवृत्ति भी स्वीकार किया है और भविष्य निधि प्राप्त किया है।

5. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिशपथ पत्र में किए गए निवेदनों को दोहराने के अतिरिक्त निवेदन किया है कि सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद जन्मतिथि विवाद से संबंधित विवाद्यक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला के कारण न्याय निर्णयन का मामला नहीं हो सकता है।

6. परस्पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख के परिशीलन पर यह न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से दिनांक 6.2.2009 के सेवानिवृत्ति नोटिस में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है:

(I) जन्मतिथि फॉर्म बी॰ रजिस्टर में 3.7. 1949 दर्ज की गयी है, तद्नुसार अधिवर्षिता के लिए याची को सेवा निवृत्ति का नोटिस जारी किया गया है। फॉर्म बी॰ खान अधिनियम की धारा 48 के मुताबिक है, फॉर्म बी॰ में दर्ज जन्मतिथि निर्णायक है। अत:, आक्षेपित सेवानिवृत्ति नोटिस में अवैधता एवं दुर्बलता नहीं है जो हस्तक्षेप के लिए कहे।

(II) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम हरनाम सिंह, (1993)2 SCC 162; बर्न स्टैन्डर्ड कं॰ लि॰ एवं अन्य बनाम दीनबंधु मजूमदार एवं एक अन्य, (1995)4 SCC 172;**

महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य बनाम गोरखनाथ सीताराम कांबले एवं अन्य, (2010)14 SCC 423 तथा **मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम प्रेमलाल श्रीवास, (2011)9 SCC 664** मामलों में लगातार अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय को सेवा करिअर के अंतिम छोर पर जन्मतिथि सुधारने के लिए निर्देश जारी करने से बचना चाहिए।

7. पूर्वोक्त पैराग्राफों में कथित कारणों की दृष्टि में और पूर्वोक्त कारणों के तार्किक परिणाम के रूप में यह न्यायालय याची के सेवानिवृत्ति नोटिस में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है। तद्नुसार, रिट याचिका गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

[संवैधानिक पीठ]

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] ieFk iVuk;d ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

टाटा स्टील लिमिटेड (सभी में)

cuke

भारत संघ एवं अन्य (सभी में)

W.P. (C) Nos. 2176, 2184, 2185 of 2015. Decided on 10th January, 2018.

खनिज रियायत नियमावली, 1960–नियम 64B एवं 64C–खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957–धाराएँ 9 एवं 13–नियमों 64B एवं 64C के अधिकार को चुनौती–खनिज रियायत नियमावली के नियम 64B एवं 64C के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघनकारी नहीं हैं और वे मूल अधिनियम के प्रावधानों के अधिकारातीत नहीं हैं–कोयला के खनन में लगे कोलियरी तथा रॉयल्टी भुगतानकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रयोजन से स्वयं में पृथक तथा सुभिन्न वर्ग निर्मित करते हैं–यह वर्गीकरण मनमाना, कृत्रिम अथवा वाग्छलपूर्ण नहीं है और अनवर अली सरकार मामला में अधिकथित वैधता एवं संवैधानिकता की परीक्षा पूर्णत: संपुष्ट करते हैं–वाशरी से बहा ले गए और नदी के तल अथवा अन्य की भूमि में संग्रहित स्लरी का भी उठाया जाना खनन प्रक्रिया है और वाशरी भी खान अधिनियम के अधीन खान की परिभाषा के अंतर्गत खान है–खनिज रियायत नियमावली के नियम 64B एवं 64C अपने तह के भीतर पट्टा पर दिए गए क्षेत्र में वाशरी से भी प्रसंस्कृत खनिज अथवा नदी के तल में अथवा अन्य की भूमि में जमा खनिज के बच निकले कणों को उठाए जाने जैसे खनन संक्रियाओं को लाते हैं–मात्र इसलिए कि कुछ भेदभाव कोयला में कुछ विचित्रता के कारण आकस्मिक परिस्थितियों से परिणत हो रहा है जिसके द्वारा केवल कोयला खनन पर रॉयल्टी भुगतानकर्ताओं को खनिज रियायत नियमावली के नियम 64B एवं 64C द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित बताया जाता है, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा हिट होता अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है जब तक यह विधि उनके बीच किसी भेदभाव के बिना खनन के काम में लगे समस्त कोलियरियों तथा समस्त रॉयल्टी भुगतानकर्ताओं के प्रति एकरूपता से लागू होती है। (पैराएँ 28, 29 एवं 30)

निर्णयज विधि.–AIR 1976 Ori 159; (1998) 6 SCC 480 ; (1998) 6 SCC 476 ; (2015) 6 SCC 220; (2015) 6 SCC 193; (1973) 1 SCC 500 ; (2007) 10 SCC 342 ; (1974) 4 SCC 428—Referred; (1990) 4 SCC 557 ; (1976) 3 SCC 784; (2003) 9 SCC 534; (2012) 1 SCC 226; AIR 1952 SC 75—Relied.

एच०सी०मिश्रा, न्यायमूर्ति.–टाटा स्टील लिमिटेड के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अभिषेक मनु सिंघवी, झारखंड राज्य के विद्वान महाधिवक्ता श्री अजित कुमार तथा भारत संघ के विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल श्री राजीव सिन्हा सुने गए।

2. इन समस्त रिट आवेदनों में याची टाटा स्टील लिमिटेड ने निम्नलिखित अनुतोषों की प्रार्थना करते हुए खनिज रियायत नियमावली के नियमों 64B एवं 64C के अधिकार को चुनौती दिया है:–

(i) [kfut fj;k;r fu;ekoyh] 1960 d fu;ek 64B ,o 64C dk vloèkkfud rFkk [kku ,o [kfut (fodkl ,o fofu;eu) vfèkfu;e] 1957 dh èkkjk 9 d vfèkdkjkrhr ?kkf"kr dju d fy, lefpr fjV] vkn'k ;k fun'k(

(ii) [kfut fj;k;r fu;ekoyh] 1960 d fu;ek 64B ,o 64C dk [kku ,o [kfut (fodkl ,o fofu;eu) vfèkfu;e] 1957 dh èkkjk 13 d vfèkdkjkrhr ?kkf"kr dju d fy, lefpr fjV] vkn'k vFkok fun'k(

(iii) [kfut fj;k;r fu;ekoyh] 1960 d fu;ek 64B ,o 64C dk iVVk ij fn, x, {k= d vrxr okf'kx ifØ;k l xtkj x, dk;yk rFkk iVVk ij fn, x, {k= d ckgj okf'kx ifØ;k l xtkj x, dk;yk d chp jk;YVh d mnxg.k e fHkUurk ikoèkkfur djd fdlh ckèkxE; vrj ij vukèkkfjr df=e oxhdj.k lftr dju d fy, HknHkkoi.k d :i e vkj Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 14 d mYy?ku e ?kkf"kr dju d fy, lefpr fjV] vkn'k vFkok fun'k(

*(iv) ;g ?kkf"kr dju d fy, fd [kfut fj;k;r fu;ekoyh] 1960 d fu;e 64B e ;Fkk vuè;kr ^^iLdr [kfut** ij jk;YVh iHkkfjr fd;k tkuk [kku ,o [kfut (fodkl ,o fofu;eu) vfèkfu;e] 1957 dh èkkjk 9 dh ifjfèk ,o dk;{k= d ij vkj vfèkdkjkrhr rFkk vioruh; g] vkx fjV] vkn'k vFkok fun'k(*

*(v) ;g ?kkf"kr dju d fy, fd [kfut fj;k;r fu;ekoyh] 1960 d fu;e 64C }kjk ;Fkk vuè;kr ^^iLdr [kfut d foØ;** ij jk;YVh iHkkfjr fd;k tkuk [kku ,o [kfut (fodkl ,o fofu;eu) vfèkfu;e] 1957 dh èkkjk 9 d ifjfèk ,o dk;{k= d ij vkj vfèkdkjkrhr rFkk vioruh; g] vkx fjV] vkn'k vFkok fun'k(*

(vi) ;g ?kkf"kr dju d fy, fd dn ljdkj] [kku e=ky; }kjk vr% LFkkfir [kfut fj;k;r fu;ekoyh] 1960 d fu;e 64B ,o 64C dh fdlh Hkh fLFkfr e dk;yk ,o fyXukbV tl gkbMkdkcu d ifr i;kT;rk ugh g] ikFkuk (iv) ,o (v) d fodYi e lefpr fjV] vkn'k vFkok fun'kA

इन समस्त रिट आवेदनों में पूर्वोल्लिखित मुख्य अनुतोष के अतिरिक्त याची टाटा स्टील लिमिटेड ने खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियमों 64B एवं 64C के अनुरूप अतिरिक्त रॉयल्टी की मांग करते हुए जिला खनन अधिकारी, हजारीबाग/रामगढ़/धनबाद द्वारा जारी अनेक मांग नोटिसों को भी चुनौती दिया है।

3. याची टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी अधिनियम के अधीन निगमित कंपनी है और झारखंड राज्य में जमशेदपुर में अपने इस्पात संयंत्र में लोहा एवं इस्पात के निर्माण के काम में लगी हुई है। याची के

पास रामगढ़ एवं धनबाद जिलों में दो कोलियरी का खान पट्टा है। रामगढ़ जिला में टाटा स्टील की कोलियरी ''पश्चिम बोकारो कोलियरी'' हैं जबकि धनबाद जिला में इसके पास ''झरिया कोलियरी समूह'' है। स्वीकृत रूप से कोलियरी के ये दोनों समूह टाटा स्टील की ''अधीनस्थ कोलियरी'' हैं तद्द्वारा जिसका अर्थ है कि इन कोलियरी में निकाले गए कोयलों का उपयोग इसकी आवश्यक धुलाई एवं सज्जीकरण के बाद केवल जमशेदपुर में इसके इस्पात संयंत्र में इस्पात के निर्माण के प्रयोजन से किया जाता है जबकि वाशिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किए गए मिडलिंग, टेलिंनग, रिजेक्ट, डीशेल, आदि का उपयोग अंशतः कुछ कोलियरी के अंतर्गत अवस्थित याची के अपने उर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है और अंशतः संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। यह कथन किया जा सकता है कि खानों से सीधे निकाला गया कोयला रन–ऑफ–माइंस कोयला अथवा ROM कोयला के रूप में जाना जाता है और हमें यह सूचित किया गया है कि ROM कोयला वाशरी ग्रेड IV कोयला अथवा स्टील ग्रेड तक उच्चतर ग्रेडों का कोई कोयला हो सकता है। हमें यह भी सूचित किया गया है कि याची टाटा स्टील लिमिटेड की समस्त कोलियरी में कोलियरी से सीधे निकाला गया ROM कोयला वाशरी ग्रेड IV कोयला है और वाशिंग प्रक्रिया द्वारा उन्हें वाशरी ग्रेड III कोयला, वाशरी ग्रेड II कोयला, वाशरी ग्रेड I कोयला, स्टील ग्रेड II कोयला एवं अंततः स्टील ग्रेड I कोयला है। स्टील ग्रेड कोयला का उपयोग लोहे एवं इस्पात की निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है। वाशिंग प्रक्रिया में मिडलिंग्स, टेलिंग्स एवं रिजेक्ट्स भी उत्पन्न होते हैं जिनका उपयोग याची द्वारा कोलियरी में अवस्थित अपने उर्जा संयंत्रों में किया जाता है और उनमें से कुछ संबंधित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद अंतिम उपयोगकर्ताओं को बेचा जाता है। खानों से कोयला निकालने की प्रक्रिया खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (इसमें इसके बाद ''MMDR अधिनियम'' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 9 तथा खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियमों 64B एवं 64C की दृष्टि में राज्य को रॉयल्टी का भुगतान करने का दायित्व सृजित करता है। MMDR अधिनियम की धारा 9 का पठन निम्नलिखित है:–

*^^9- **[kuu iVVk d lcèk e jk;YVh-**&bl vfèkfu;e d vkjHk d igy inku fd, x, [kuu iVVk dk èkkjd iVVk d fy[kr e vFkok , l vkjHk ij ioÙk fd lh fofèk e vrfo"V fd lh pht d ckotn , l vkjHk d ckn iVVk ij fn, x, {k= l mld }kjk vFkok mld , tUV] icèkd] depkjh] Bdnkj vFkok mi iVVkèkkjh }kjk gVk, x, vFkok miHkkx fd, x, fd lh [kfut d lcèk e ml [kfut d lcèk e f}rh; vulph e rRle; fofufn"V nj ij jk;YVh dk Hkxrku djxk]*

(2) bl vfèkfu;e d vkjHk ij vFkok bld ckn inku fd, x, [kuu iVVk dk èkkjd iVVk ij fn, x, {k= l mld }kjk vFkok mld , tUV] icèkd] depkjh] Bdnkj vFkok mi iVVkèkkjh }kjk gVk, x, vFkok miHkkx fd, x, fd lh [kfut d lcèk e jk;YVh dk Hkxrku djxkA

(2A) ....

(3) ...."

इसी प्रकार से, खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियमों 64B एवं 64C का पठन निम्नलिखित है:–

*^^64B **i lLdj.k d vè;èkhu [kfut d ekey e jk;YVh iHkkfjr fd;k tkuk-**&(1) ;fn ju&vkQ&ekbu dk i lLdj.k iVVk ij fn, x, {k= d*

vrxr fd;k tkrk g] rc iVVk ij fn, x, {k= l gVk, x, ilLdr [kfut ij iHkk; gkxkA

(2) ;fn ju&vkQ&ekbu [kfut dk iVVk ij fn, x, {k= l ilLdj.k l;= tk iVVk ij fn, x, {k= l ckgj fLFkr g rd gVk;k tkrk g] rc jk;YVh vilLdr ju&vkQ&ekbu [kfut ij vkj u fd ilLdr mRikn ij iHkk; gkxkA

64C. **Vfyx vFkok fjtDV ij jk;YVh**-&Mfix d fy, vkj u fd iVVk ij fn, x, {k= l Vfyx vFkok fjtDV gVku ij , lk Vfyx vFkok fjtDV jk;YVh d Hkxrku d fy, nk;h ugh gkxk(

ijUr ;g fd ;fn bl idkj Mi fd, x, Vfyx vFkok fjtDV dk mi;kx fdlh Mfix dh frfFk d ckn fdlh ckn dh frfFk ij foØ; vFkok miHkkx d fy, fd;k tkrk g] rc , lk Vfyx vFkok fjtDV jk;YVh d Hkxrku d fy, nk;h gkxkA**

अब तक की यात्रा

4. वर्तमान मामला के प्रयोजन से यात्रा भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली और पूरे देश में कोयला के विस्तारपूर्ण खनन कामकाज में लगी कंपनी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (इसमें इसके बाद ''NCDC'' के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा रिट आवेदन की दाखिली से शुरू हुई। खनन कामकाज करने के लिए कर्मकारों की विशाल संख्या को काम पर लगाया गया था और खनन उद्योग में प्रथा थी कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे मजदूर अपने घरेलू उपयोग के लिए भी कोयला निकालते थे जिस पर कंपनी द्वारा रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया जाता था अथवा राज्य द्वारा प्रभारित नहीं किया जाता था। वर्ष 1970 के आसपास किसी समय तालचर अंचल के खनन अधिकारी ने कर्मकारों द्वारा उपभोग किए गए कोयला पर रॉयल्टी के बकाया की वसूली के लिए उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के अधीन कार्यवाही आरंभ किया। याची NCDC ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रमाण पत्र कार्यवाही की पोषणीयता विवादित किया और माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने **राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लि० बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य, AIR 1976 Ori 159,** में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

^^[kku e ijr l gVk; lk tkuk rFkk [knku d e[k d ekè;e l lrg rd fu"d"k.k jk;YVh d fy, nkf;Ro mnHkr dju d fy, èkkjk 9 dh vko';drk lr"V djrk gA**]

उड़ीसा उच्च न्यायालय का निर्णय भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NCDC द्वारा दाखिल सिविल अपील सं॰ 807 वर्ष 1976 में **(1998)6 SCC 480** में प्रकाशित अपने आदेश द्वारा और **उड़ीसा राज्य एवं अन्य बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०, (1998)6 SCC 476** में और **सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, (2015)6 SCC 220** में मान्य ठहराया गया था। इस प्रकार, NCDC को कर्मकारों को घरेलू उपभोग के लिए आपूर्त कोयला पर भी रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए 12.9.1972 तक दायी बनाया गया था जब अधिनियम 56 वर्ष 1972 द्वारा उसमें उपधारा 2A लाते हुए MMDR अधिनियम की धारा 9 में संशोधन किया गया था जिसमें किसी कोलियरी में काम पर लगे कर्मकारों द्वारा उपभोग किए गए किसी कोयला के संबंध में रॉयल्टी के भुगतान से छूट दिया गया था परन्तु यह कि किसी कर्मकार द्वारा ऐसा उपभोग एक-तिहाई टन प्रतिमाह के परे न हो।

5. इसके पहले, टाटा स्टील (टिस्को जैसा यह तब था) भी इस मत का था कि MMDR अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के अनुरूप वे वाशरी से ROM कोयला हटाए जाने के बाद तथा इसकी

सञ्जीकरण प्रक्रिया के बाद अर्थात धुले कोयला के टन पर रॉयल्टी के भुगतान के दायी थे। टिस्को द्वारा पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका सी॰डब्लू॰जे॰सी॰सं॰ 1 वर्ष 1984 (R) भी दाखिल की गयी थी, जिसमें दिनांक 7.8.1990 के निर्णय द्वारा पटना उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि टिस्को धुले अथवा सञ्जीकृत कोयला के टन पर रॉयल्टी के भुगतान का दायी था:–

> *^^vfèkfu;e dh èkkjk 9(2) d lknk iBu ij ;g Li"V g fd jk;YVh iVVk ij fn, x, {k= l gVk, x, dk;yk ij Hkxr; g vkj tc rd bl gVk;k ugh tkrk g] jk;YVh Hkxr; ugh gA bl rF; dh nf"V e fd dk;yk doy bl èkku d ckn iVVk ij fn, x, {k= l gVk;k tkrk g] ;kph ml dk;yk d otu ij jk;YVh dk Hkxrku dju dk nk;h gA***

6. विधि की यह अवस्था वर्ष 1998 तक जारी रही, जब **उड़ीसा राज्य एवं अन्य बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि॰, (1998)6 SCC 476,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया जिसके द्वारा विधि स्पष्ट की गयी थी कि ''खान में परत से हटाया जाना एवं खदान के मुख से सतह तक इसका निष्कर्षण रॉयल्टी का दायित्व उद्भूत करने के लिए धारा 9 की आवश्यकता संतुष्ट करता है''। इस प्रकार, विधि की अवस्था में इस स्पष्टीकरण के बाद टिस्को पुन: केवल ROM कोयला पर रॉयल्टी का भुगतान कर रहा था अर्थात ROM कोयला के टन पर जैसा यह खान से इसके निष्कर्षण के बाद था और वाशरी में सञ्जीकरण प्रक्रिया के प्रति इसे अध्यधीन करने के पहले।

7. यह प्रतीत होता है कि SAIL मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के परिणामस्वरूप दिनांक 25.9.2000 की अधिसूचना के तहत खनिज रियायत नियमावली, 1960 में नियम 64B एवं 64C पुर: स्थापित किए गए थे और नियम 64B ने विहित किया कि ''यदि रन–ऑफ–माइन खनिज का प्रसंस्करण पट्टा पर दिए गए क्षेत्र के भीतर किया जाता है, तब पट्टा पर दिए गए क्षेत्र से हटाए गए प्रसंस्कृत खनिज पर रॉयल्टी प्रभार्य होगा ''और कि'' यदि रन–ऑफ–माइन खनिज पट्टा पर दिए गए क्षेत्र से प्रसंस्करण संयंत्र तक हटाया जाता है जो पट्टा पर दिए गए क्षेत्र से बाहर स्थित है, तब अप्रसंस्कृत रन–ऑफ–माइन खनिज पर और न कि प्रसंस्कृत उत्पाद पर रायल्टी प्रभार्य होगा।'' नियम 64C ने रॉयल्टी प्रभारित किया जाना विहित किया यदि टेलिंग अथवा रिजेक्ट का उपयोग विक्रय अथवा उपभोग के लिए किया जाता है। किंतु, टाटा स्टील खनिज रियायत नियमावली में नियमों 64B तथा 64C के अंत:स्थापन के बावजूद केवल रन–ऑफ–माइन कोयला पर रॉयल्टी का भुगतान करना जारी रखा। वर्ष 2007 में अथवा इसके आस–पास और इसके आगे धुले कोयला के टन पर रॉयल्टी की मांग करते हुए जिला खनन अधिकारी, रामगढ़/हजारीबाग/धनबाद द्वारा आक्षेपित मांग नोटिस जारी किए गए थे।

8. याची टाटा स्टील लिमिटेड ने आरंभ में इस न्यायालय के समक्ष रिट आवेदनों डब्लू॰पी॰(सी॰) सं॰ 2995 वर्ष 2008, डब्लू॰पी॰(सी॰) सं॰ 2999 वर्ष 2008, डब्लू॰पी॰(सी॰) सं॰ 1504 वर्ष 2009, डब्लू॰पी॰(सी॰) सं॰ 1505 वर्ष 2009 में खनिज रियायत नियमावली के नियमों 64B एवं 64C की वैधता तथा अधिकार को चुनौती दिया जिसे इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा साथ सुना गया था और **(2014)4 AIR Jhar 513** में प्रकाशित निर्णय द्वारा खनिज रियायत नियमावली के नियमों 64B एवं 64C के अधिकार को मान्य ठहराते हुए निपटाया गया था और अभिनिर्धारित किया गया था कि याची टाटा स्टील प्रसंस्कृत खनिज/साफ कोयला/स्टील ग्रेड कोयला पर MMDR अधिनियम की धारा 9 के निबंधनानुसार और कोयला के अन्य ग्रेडों जिन्हें याची के पट्टा पर दिए गए क्षेत्र से जमशेदपुर में स्वयं अपने इस्पात संयंत्र तक हटाया गया है पर धारा 9 सहपठित MMDR अधिनियम की द्वितीय अनुसूची सहपठित खनिज रियायत नियमावली के नियम 64B(1) के मुताबिक रॉयल्टी का भुगतान करने की दायी थी। टाटा स्टील

को मिडलिंग, रेलिंग, रिजेक्ट, डीशेल जिसका याची के उर्जा संयंत्र में उर्जा के रूप में अंशत: उपयोग किया जाता है और अंशत: उपभोक्ताओं को बेचा जाता है, पर MMDR अधिनियम की धारा 9 सहपठित खनिज रियायत नियमावली के नियम 64C के परन्तुक के साथ द्वितीय अनुसूची के मुताबिक रॉयल्टी का भुगतान करने का दायी भी पाया गया था। याची टाटा स्टील को अवधि जिससे मांग नोटिस संबंधित थी के लिए साफ कोयला, मिडलिंग, टेलिंग रिजेक्ट पर विशेष रॉयल्टी का भुगतान करने का दायी अभिनिर्धारित किया गया था और रॉयल्टी के किसी रिफंड का हकदार अभिनिर्धारित नहीं किया गया था।

9. इस न्यायालय के इस निर्णय को टाटा स्टील द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील सं॰ 2938-39 एवं 2940-41 वर्ष 2015 में चुनौती दी गयी थी जिसे सिविल अपील सं॰ 303 एवं 304 वर्ष 2004 के साथ सुना गया था और ये समस्त सिविल अपीलें **(2015)6 SCC 193** में प्रकाशित एक ही निर्णय द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निबंधनों में विनिश्चित किया गया था:-

^^77-1 SAIL e fn;k x;k fu.k; Lo; bld viu rF;k rFkk MkykekbV ,o ykbeLVku [kfutk rd lhfer gA fu.k; iVVk ij fn, x, {k= e [kfut gVku ij fopkj djrk g cfYd iVVk ij fn, x, {k= d Hkhrj miHkkx ij fopkj djrk gA

77-2 lUVy dkyQhYM l fy0 e bl U;k;ky; dk vidkf'kr fu.k; jk"Vh; dk;yk fodkl fuxe fy0 e mMhlk mPp U;k;ky; }kjk vfèkdfFkr bl iHkko dh fofèk vuekfnr djrk g fd [kku dh ijr l dk;yk gVk;k tkuk ,o [knku d eg l lrg rd bldk fu"d"k.k jk;YVh d fy, nkf;Ro mnHkr dju d fy, MMDR vfèkfu;e dh èkkjk 9 dh vko';drkvk dk ijk djrk gA ;g nf"Vdk.k igy bl U;k;ky; }kjk jk"Vh; dk;yk fodkl fuxe fy0 e vuekfnr fd;k x;k FkkA

77-3 [kfut fj;k;r fu;ekoyh e 25-9-2000 dk fu;e 64B rFkk 64C dk vr%LFkkiu dh nf"V e dk;yk ij jk;YVh dk mnxg.k [knku d e[k l dk;yk gVku d pj.k rd (pkg ;g vilLdr vFkok ROM dk;yk gk ;k lTthdr dk;yk) LFkfxr fd;k x;k gA

77-4 lUVy dky QhYM l fy0 e fu.k; dh nf"V e] 10-8-1998 l 25-9-2000 rd jk;YVh dh okilh d ifr fVLdk ,o VkVk LVhy dh gdnkjh dk ekU;rk nh x;h gA 25-9-2000 d vkx dh vofèk d fy, fVLdk [kfut fj;k;r fu;ekoyh d fu;e 64B ,o 64C d erkfcd jk;YVh dk Hkxrku dju d fy, ckè; gA

77-5 VkVk LVhy fVLdk dh rjg [kfut fj;k;r fu;ekoyh d fu;e 64B ,o 64C d fucèkukulkj 25-9-2000 d iHkko l dk;yk ij jk;YVh dk Hkxrku dju dk nk;h gA

*77-6- [kfut fj;k;r fu;ekoyh d fu;e 64B ,o 64C dh loèkkfud oèkrk vFkok vfèkdkj dk U;k;fu.khr ugh fd;k x;k gA bl i'u rd lhfer bu vihyk dk iuthfor dju vFkok iFkd pukrh d ekè;e l bu fu;ek dh loèkkfudrk vkj vfèkdkj dk pukrh nu dh NV VkVk LVhy dk gA***

इस निर्णय के पैरा 72 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित उल्लिखित किया है:-

^^72- ge mYy[k dj ldr g fd VkVk LVhy u ,e0 lh0 vkj0 d fu;e 64B rFkk fu;e 64C dh loèkkfudrk dk pukrh nu dk viuk vfèkdkj vkjf{kr j[kk Fkk ;fn fofèk dh mudh 0;k[;k Lohdkj ugh dh tkrh g vFkkr fd dk;yk ij jk;YVh [knku d e[k ij fudky x, Vu ij iHkk; gA pfd geu ,e0 lh0

*vkj0 e fu;e 64B rFkk fu;e 64C d vr%LFkkiu d ckn bl 0;k[;k dk Lohdkj ugh fd;k g] ge bl lhek rd bu vihyk dk iuthfor djd vFkok u;h dk;okgh vkjHk djd bu fu;ek dh loèkkfudrk dk pukrh nu dh NV VkVk LVhy dk nr gA***

10. पूर्वोक्त निर्णय के पैराग्राफ 72 में दी गयी स्वतंत्रता की दृष्टि में टाटा स्टील ने निम्नलिखित दो प्रार्थना करते हुए सिविल अपील सं॰ 303 वर्ष 2004 में आई॰ए॰सं॰ 1 वर्ष 2015, सिविल अपील सं॰ 2940-2941 वर्ष 2015 में आई॰ए॰सं॰ 5-6 वर्ष 2015 और सिविल अपील सं॰ 2938-2939 वर्ष 2015 में आई॰ए॰सं॰ 9-10 वर्ष 2015 दाखिल किया:-

(i) fnukd 17-3-2015 d fu.k; d fucèkuku lkj vihyk dk iuthfor dju dh vuefr vkond dk nu d fy,(vkj

(ii) [kfut fj;k;r fu;ekoyh] 1960 d fu;ek 64B ,o 64C d vfèkdkj vFkok oèkrk dk pukrh nu d fy, mPp U;k;ky; d le{k iFkd ;kfpdk nkf[ky dju dh vuefr vkond dk nu d fy,A

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 8 मई, 2015 के आदेश द्वारा पूर्वोक्त आई॰ए॰ को निम्नलिखित निबंधनों में निपटाया:-

*^^ge iFke ikFkuk inku dju d bPNd ugh gA fdr ge [kfut fj;k;r fu;ekoyh] 1960 d fu;ek 64B rFkk 64C d vfèkdkj vFkok oèkrk dk fofèk d vu:i pukrh nu d fy, mPp U;k;ky; d le{k iFkd ;kfpdk nkf[ky dju dh vuefr vkondk dk nr g ;fn o ,lk pkgr g***

11. इस प्रकार, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी स्वतंत्रता की दृष्टि में, खनिज रियायत नियमावली के नियमों 64B एवं 64C के अधिकार को चुनौती देते हुए याची टाटा स्टील द्वारा वाद का दूसरा चक्र आरंभ किया गया है।

<u>परस्पर पक्षों के निवेदन</u>

12. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अभिषेक मनु सिंधवी निवेदन करते हैं कि खनिज रियायत नियमावली के नियम 64B एवं 64C MMDR अधिनियम की धारा 9 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत है। जहाँ तक यह केवल कोयला से संबंधित है। जहाँ तक अन्य खनिजों का संबंध है, इन नियमों के प्रति चुनौती नहीं है और इस दशा में, विद्वान वरीय अधिवक्ता का निवेदन खनिज अर्थात केवल कोयला के प्रति विनिर्दिष्ट है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने हमारा ध्यान उस विस्तारपूर्ण प्रक्रिया की ओर आकृष्ट किया है जिसके द्वारा कोयला पृथ्वी माता के गर्भ से निकाला जाता है और लोहे तथा इस्पात निर्मित करने के प्रयोजन से उपयोगी बनाया जाता है। विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा इंगित किया गया है कि जब ROM कोयला टाटा स्टील के खानों से निकाला जाता है, यह 30% से अधिक राख अंतर्वस्तु वाला वाशरी ग्रेड IV कोयला है। इस कोयला जैसा यह है का उपयोग विभिन्न प्रयोजन से किया जा सकता है, किंतु लौह एवं इस्पात उद्योग में इसे कारगर बनाने के लिए इसे स्टील ग्रेड II अथवा स्टील ग्रेड I कोयला बनाया जाना होगा और यह लक्ष्य केवल वाशरी में कोयला धोकर प्राप्त किया जाता है। उसमें कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं की जाती है और वाशरी में की गयी प्रक्रिया में ROM कोयला अर्थात वाशरी ग्रेड IV कोयला पहले 26% तक राख अंतर्वस्तु के साथ वाशरी ग्रेड III कोयला बन जाता है, तब पुन: यह 22% तक राख अंतर्वस्तु के साथ वाशरी ग्रेड II कोयला बन जाता है, आगे वाशिंग प्रक्रिया के बाद यह 20% तक राख अंतर्वस्तु के साथ वाशरी ग्रेड I कोयला बन जाता है और आगे प्रसंस्करण के बाद यह 17% तक राख अंतर्वस्तु वाला इस्पात ग्रेड I कोयला और अंतत: 14% तक अंतर्वस्तु वाला स्टील ग्रेड I कोयला बन जाता है। विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा इंगित किया गया है जिसे प्रत्यर्थियों द्वारा विवादित नहीं किया गया है कि इस प्रक्रिया में कोयला का वजन बढ़ जाता है। इस प्रकार, ROM कोयला जिसका वजन खान से निकाले जाने के बाद 100 टन हो सकता है, स्टील ग्रेड I कोयला का लक्ष्य प्राप्त करने

के बाद इसका वजन 110 टन से अधिक अथवा लगभग 112 टन हो सकता है और यह प्रक्रिया से गुजरते हुए नमी सोख लेने के कारण हो सकता है। विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि कोयला के समस्त ग्रेडों अर्थात वाशरी ग्रेड IV कोयला, वाशरी ग्रेड III कोयला, वाशरी ग्रेड II कोयला, वाशरी ग्रेड I कोयला, स्टील ग्रेड II कोयला एवं स्टील ग्रेड I कोयला की रॉयल्टी की दर भिन्न है और बढ़ते क्रम में है। तद्नुसार, विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची जिसने वाशरी ग्रेड IV कोयला निकाला को यदि वाशरी ग्रेड IV कोयला पर रॉयल्टी का भुगतान करने की आवश्यकता है दर वार तथा वजन वार दोनों की कमतर राशि की रॉयल्टी का भुगतान करने का दायी होगा, किंतु चूँकि कोयला की गुणवत्ता अगले उच्चतर ग्रेड तक सुधारी जाती है, रॉयल्टी दर वार एवं वजन वार अधिक होगी। इस दशा में, जब वाशरी ग्रेड IV कोयला स्टील ग्रेड I कोयला अंतिम रूप से बनाया जाता है, स्टील ग्रेड I कोयला पर रॉयल्टी अधिक उच्चतर है, जो ग्रेड में वृद्धि के कारण तथा वाशिंग प्रक्रिया में इसके वजन की वृद्धि के कारण है जो नमी सोख लेने के कारण हो सकता है।

13. विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि MMDR अधिनियम की धारा 9 कहीं नहीं विहित करती है कि रॉयल्टी सञ्जीकरण के बाद धुले अथवा प्रसंस्कृत खनिज पर प्रभार्य होगी। केवल खनिज रियायत नियमावली का नियम 64B विहित करता है कि यदि ROM खनिज (इस मामला में कोयला) पट्टा पर दिए गए क्षेत्र के अंतर्गत प्रसंस्करण के अध्यधीन किया जाता है, तब रॉयल्टी पट्टा पर दिए गए क्षेत्र से हटाए गए प्रसंस्कृत खनिज पर प्रभार्य होगी। विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यह MMDR अधिनियम की धारा 9 के विस्तार के परे है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने हमारा ध्यान खनिज रियायत नियमावली के नियम 64B के उपनियम (2) की ओर आकृष्ट किया है जिसका पठन है कि यदि run-of-mine खनिज पट्टा पर दिए गए क्षेत्र के प्रसंस्करण संयंत्र जो पट्टा पर दिए गए क्षेत्र के बाहर स्थित है तक घटाया जाता है, उस स्थिति में रॉयल्टी अप्रसंस्कृत run-of-mine खनिज पर और न कि प्रसंस्कृत उत्पाद पर प्रभारणीय होगी। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने इंगित किया है कि झरिया समूह कोलियरी में टाटा स्टील की दो निकटवर्ती कोलियरी है–एक बेलाटांड A कोलियरी और दूसरी सिजुआ कोलियरी। सिजुआ कोलियरी में वाशरी नहीं है, जबकि बेलाटांड A कोलियरी में पट्टा पर दिए गए क्षेत्र के अंतर्गत वाशरी है। इन दोनों कोलियरी से निकाला गया Run-of-mine कोयला वाशरी ग्रेड IV कोयला है। विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा इंगित किया गया है कि बेलाटांड A कोलियरी जिसमें चूँकि वाशरी अवस्थित है, टाटा स्टील को प्रसंस्कृत कोयला पर रॉयल्टी का भुगतान करने की आवश्यकता है, जबकि सिजुआ कोलियरी में जहाँ वाशरी नहीं है, कोयला वाशिंग के लिए पट्टा पर दिए गए क्षेत्र से बाहर ले जाया जाता है, रॉयल्टी केवल run-of-mine कोयला पर प्रभारित की जाती है। यह इंगित किया गया है कि रॉयल्टी केवल run-of-mine कोयला पर प्रभार्य होगी भले ही सिजुआ कोलियरी से निकाला गया कोयला निकटवर्ती बेलाटांड A कोलियरी में अवस्थित वाशरी तक लाया जाता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी इंगित किया है कि भले ही बेलाटांड A कोलियरी से निकाला गया कोयला उसमें अवस्थित वाशरी में नहीं धोया जाता है और पट्टा पर दिए गए खनन क्षेत्र से बाहर की वाशरी में ले जाया जाता है, रॉयल्टी केवल run-of-mine कोयला पर और न कि प्रसंस्कृत कोयला पर प्रभार्य होगी। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह स्थिति न केवल बेतुकी है बल्कि असंगत एवं मनमानी भी है जिसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ संबंध नहीं है और तद्नुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **नागपुर सुधार न्यास एवं एक अन्य बनाम विठल राव एवं अन्य, (1973)1 SCC 500** और **उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम दीपक**

फर्टिलाइजर्स एवं पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लि०, (2007)10 SCC 342, में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विश्वास किया है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार, AIR 1952 SC 75,** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी विश्वास किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुज्ञेय वर्गीकरण प्राप्त किए जाने के लिए इप्सित उद्देश्य के प्रति न्यायोचित एवं युक्तियुक्त संबंध रखनेवाले कुछ वास्तविक एवं सारवान सुभिन्नता पर आधारित होना होगा और मनमाने रूप से तथा किसी सारवान आधार के बिना नहीं किया जा सकता है और कि वर्गीकरण मनमाना, कृत्रिम तथा वाग्छलपूर्ण कभी नहीं होना चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दो शर्तों को परिपूर्ण किया जाना होगा अर्थात (i) वर्गीकरण बोधगम्य अंतर पर आधारित होना होगा जो उन्हें जिन्हें साथ रखा गया है अन्य से सुभिन्न करती है और (ii) कि अंतर का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए इप्सित उद्देश्य के साथ तार्किक संबंध होना होगा। इन निर्णयों पर विश्वास करते हुए विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि खनिज रियायत नियमावली के नियम 64B एवं 64C प्राप्त किए जाने के लिए इप्सित उद्देश्य के साथ किसी संबंध के बिना मनमाने वर्गीकरण पर आधारित हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी तथा MMDR अधिनियम की धारा 9 सहपठित द्वितीय अनुसूची के अधिकारातीत होने के कारण विखंडित किए जाने योग्य है।

14. चूँकि प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं का प्रतिवाद इन रिट आवेदनों के न्यायनिर्णीत द्वारा वर्जित होने के कारण इनकी पोषणीयता है क्योंकि पक्षों के इसी संवर्ग के बीच इन मामलों में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक पहले ही इस न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जा चुके हैं, याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि ये रिट आवेदन बिलकुल पोषणीय हैं और केवल पोषणीयता के आधार पर इन्हें खारिज नहीं किया जा सकता है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि ये रिट आवेदन न्यायनिर्णीत के सिद्धांत द्वारा बाधित नहीं होते हैं क्योंकि **(2015)6 SCC 193** में प्रकाशित मामले को विनिश्चित करते हुए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 72 में स्पष्टत: उल्लेख किया है कि टाटा स्टील ने खनिज रियायत नियमावली के नियमों 64B एवं 64C की संवैधानिकता को चुनौती देने का अपना अधिकार आरक्षित रखा था और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे टाटा स्टील के लिए स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इन अपीलों को पुनर्जीवित करके अथवा नयी कार्यवाही आरंभ करके इन नियमों की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए खुला रखा था। खनिज रियायत नियमावली के नियमों 64B एवं 64C के अधिकार एवं वैधता को चुनौती देने के लिए इन अपीलों को पुनर्जीवित करने के लिए अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष पृथक याचिकाओं को दाखिल करने की स्वतंत्रता देने के लिए टाटा स्टील द्वारा दाखिल आई०ए० पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टाटा स्टील को खनिज रियायत नियमावली के नियमों 64B एवं 64C के अधिकार अथवा वैधता को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष पृथक याचिकाओं को दाखिल करने की स्वतंत्रता दिया। इस प्रकार, इन अपीलों के आन्वयिक न्यायनिर्णीत के सिद्धांत द्वारा वर्जित होने का प्रश्न नहीं है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने इंगित किया कि इन आवेदनों में पारित दिनांक 22.3.2017 के आदेश द्वारा मामला इस स्थिति को विचार में लेते हुए पूर्ण न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया गया है कि चूँकि मामला पहले ही इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ द्वारा विनिश्चित किया गया है जिसका अभी भी बाध्यकारी बल है, खंड न्यायपीठ के लिए विपरीत दृष्टिकोण, यदि ऐसा करने की आवश्यकता है, लेना समुचित नहीं हो सकता है और तद्नुसार खंड न्यायपीठ ने वृहत्तर न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया। इस दशा में, यह वृहत्तर न्यायपीठ खंड न्यायपीठ द्वारा लिए गए निर्णय से बिलकुल बाध्य नहीं है और विपरीत दृष्टिकोण ले सकता है। तद्नुसार, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि राज्य के और भारत संघ के विद्वान अधिवक्ताओं के इन आवेदनों की पोषणीयता को चुनौती देते हुए निवेदनों में बल नहीं है।

15. झारखंड राज्य के लिए तर्क करते हुए विद्वान महाधिवक्ता ने निवेदन किया कि टाटा स्टील ने पहले इस न्यायालय में इसी अनुतोष के लिए डब्लू०पी०(सी०) सं० 2995 वर्ष 2008, डब्लू०पी०(सी०)

सं॰ 2999 वर्ष 2008, डब्लू॰पी॰(सी॰) सं॰ 1504 वर्ष 2009 एवं डब्लू॰पी॰(सी॰) सं॰ 1505 वर्ष 2009 दाखिल किया। इन रिट आवेदनों में भी खनिज रियायत नियमावली के नियम 64B एवं 64C पूरी तरह चुनौती के अधीन थे और यही प्रतिवाद उन रिट आवेदनों में भी किए गए थे। उन रिट आवेदनों को इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा अंतिम रूप से न्याय निर्णीत किया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि खनिज रियायत नियमावली के नियमों 64B एवं 64C के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के किसी खंड के उल्लंघनकारी नहीं है और न ही वे MMDR अधिनियम की धारा 9 सह पठित द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अधिकारातीत है। यह निवेदन किया गया है कि इस न्यायालय का उक्त निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **(2015)6 SCC 193** में प्रकाशित अपने निर्णय द्वारा मान्य ठहराया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के किसी अंश में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अथवा इसे अपास्त नहीं किया गया था। इसके विपरीत, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

^^67. fofHkUu [kfutk ij iHkkj.kh;rk] lx.kuk ,o jk;YVh d mnxg.k dh tfVyrk, 25-9-2000 d iHkko l ,e0 lh0 vkj0 d fu;e 64B ,o fu;e 64C d vr%LFkkiu d lkFk vc ljyhdr] Li"Vhdr rFkk ekudhdr dj nh x;h gA

68- ,e0 lh0 vkj0 d fu;e 64B ftld lkFk gekjk oreku e ljkdkj g dk lknk iBu Li"Vr% l>krk g fd mle mfYyf[kr iVVk ij fn, x, {k= dk iVVkèkkjh dk fn, x, iVVk {k= dh pkgfnn;k d ifr fun'k gA mifu;e (1) ikoèkkfur djrk g fd ;fn ROM [kfut iVVk ij fn, x, ml {k= d pkgnnh d Hkhrj ilLdr fd;k tkrk g] rc iVVk ij fn, x, {k= d pkgnnh l gVk, x, ilLdr [kfut ij jk;YVh iHkk; gkxkA fdr ;fn ROM [kfut iVVk ij fn, x, {k= d pkgnnh l ilLdr fd, fcuk gVk;k tkrk g] rc mifu;e (2) d fucèkuku lkj vilLdr ROM [kfut ij jk;YVh iHkk; gkxkA ,e0 lh0 vkj0 dk fu;e 64B [kku@[knku d e[k l] fdr ftl iVVk ij fn, x, {k= dh pkgnnh l gVk;k ugh x;k g] [kfut gVku d ckj e eku gA ;g Li"V ldrd g fd doy iVVk ij fn, x, {k= dh pkgnnh l [kfut d gVku ij iVVkèkkjh }kjk jk;YVh dk Hkxrku fd;k tkuk gA ;g ljyhdj.k ,o Li"Vhdj.k fofHkUu ,o ef'dy fLFkfr;k ij fopkj djrk g ftl geu mij fufn"V fd;k g vFkkr [knku&e[k ij vFkok lTthdj.k i'pkr dk;yk ij jk;YVh iHkkfjr dju dk pj.k] [knku&e[k ij vFkok lTthdj.k i'pkr ykg v;Ld ij jk;YVh iHkkfjr dju dk pj.k] [knku&e[k ij vFkok vof'k"V ,o okg; lkexh gVku d ckn Mkykekbv ,o ykbeLVku ij jk;YVh iHkkfjr dju dk pj.k vkj fu'p; gh vU; d lkFk&lkFk rkck] lkuk] yM ,o ftd tl vU; [kfutk ij jk;YVh iHkkfjr dju dk pj.kA

69- blh idkj l] ,e0 lh0 vkj0 d fu;e 64C Vfyx vFkok fjtDV ij jk;YVh l lcfèkr gA tgk rd VkVk LVhy dk lcèk g] convenience okY;e e nh x;h bldh lx.kuk minf'kr djrh g fd feMfyx ,o Vfyx ij jk;YVh dk Hkxrku fd;k tkrk g vkj Hkxr; gA ,e0 lh0 vkj0 dk fu;e 64C ;g Li"V djrk g fd jk;YVh fjtDV ij Hkxr; g tc mUg Mi dj fn, tku d ckn cpk vFkok miHkkfxr fd;k tkrk gA ;g pknh l lcfèkr tlh fLFkfr;k ij fopkj djxk tl Hkkjr l?k d 'kiFk i= e mfYyf[kr fd;k x;k gA

70- ,e0 lh0 vkj0 d fu;e 64B ,o fu;e 64C e minf'kr dju d fy, ,lk dN Hkh ugh g fd dk;yk dk MMDR vfèkfu;e lgifBr mldh f}rh; vulph e mfYyf[kr [kfut l fHkUu LrHk ij j[kk x;k gA vr%] Hkkjr l?k }kjk

*ipkfjr nf"Vdk.k dk Lohdkj djuk ef'dy g fd ; fu;e ^^ dk;yk [kfutk ij fo'k"k :i l i;kT; ugh gk ldr gA** bld vfrfjDr] Hkkjr l?k dk nf"Vdk.k fuf'pr vFkok Li"V (ugh gk ldrk g**) ugh gA fdlh Hkh fLFkfr e] ge doy dk;yk dk vioftr djr g, ,e0 lh0 vkj0 d fu;e 64B ,o fu;e 64C dk Hkkjr l?k }kjk nh x;h 0;k[;k Lohdkj dju d fy, ckè; ugh gA bld foijhr] NMDC e bl U;k;ky; u lif{kr fd;k g fd fu;e lekU; idfr d] leLr idkj d [kfutk d ifr i;kT;] g tk dk;yk lfEefyr djrk gA Hkkjr l?k }kjk er dh vfHk0;fDr bl U;k;ky; d li{k.k d foijhr gA*

*71- vr%] ,e0 lh0 vkj0 d fu;e 64B ,o fu;e 64C d lknk iBu ij] gekjk er g fd 25-9-2000 d iHkko l tc bu fu;ek dk ,e0 lh0 vkj0 e vr%LFkkfir fd;k x;k Fkk] jk;YVh bu fu;ek e mfYyf[kr pj.k ij dk;yk lfgr leLr [kfutk ij vFkkr iVVk ij fn, x, {k= dh pkgnnh l [kfut gVku ij Hkxr; gA ml vofèk d igy] lUVy dkyQhYM l fy0 e vfèkdfFkr fofèk iofrr gkxh] tgk rd dk;yk dk lcèk g] 10-8-1998 l tc SAIL fofuf'pr fd;k x;k Fkk] ;fi fHkUu dkj.kk lA**

16. विद्वान महाधिवक्ता ने निवेदन किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार खनिज रियायत नियमावली के नियमों 64B एवं 64C की वैधता अभिनिर्धारित किए जाने पर इस न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता है और ये रिट आवेदन आन्वयिक न्यायनिर्णीत के सिद्धांत द्वारा वर्जित हैं क्योंकि उन्हीं पक्षों के बीच वर्तमान रिट आवेदनों में अंतर्ग्रस्त समस्त विवाद्यकों को पहले ही इस न्यायालय द्वारा पूर्व रिट आवेदनों में विनिश्चित किया जा चुका है और इस न्यायालय का निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **(2015)6 SCC 193** में प्रकाशित अपने निर्णय में मान्य ठहराया गया है।

17. झारखंड राज्य के लिए तर्क करते हुए विद्वान महाधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि खनिज रियायत नियमावली के नियमों 64B एवं 64C की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वर्गीकरण समुचित नहीं है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मेसर्स मूर्थि मैच वर्क्स एवं अन्य बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक समाहर्ता एवं एक अन्य, (1974)4 SCC 428,** में विधि अधिकथित की गयी है जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है;–

^^18 ,d vU; ifriknuk tk leku :i l lLFkkfir g ;g g fd ek= blfy, fd oxhdj.k d fy, txg g] ;g vulfjr ugh gkrk g fd oxhdj.k d fcuk foèkku lno vloèkkfud gA ***U;k;ky; fofèk dk fo[kfMr ugh dj ldrk g D;kfd blu oxhdj.k ugh fd;k g tk lefpr d :i e U;k;ky; dk flQkfj'k djrk gA u gh foèkk;h 'kfDr dk vloèkkfud :i l i;kx fd;k x;k dgk tk ldrk g D;kfd ox d vrxr mioxhdj.k ;fDr;Dr Fkk fdr ugh fd;k x;k gA**** *(tkj fn;k x;k)*

इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता ने **भारत संघ एवं अन्य बनाम निटडिप टेक्सटाइल प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं एक अन्य, (2012)1 SCC 226,** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

^^47. bl U;k;ky; d fu.k;k dh J[kyk }kjk vc ;g lLFkkfir g fd oxhdj.k fo'k"k lefpr g ;fn ;g rd ij vkèkkfjr g vkj 'k) r% euekuk] ludh vFkok ifr'kkèkh ugh gA ***nljh vkj] ;fi oxhdj.k dk dkj.k gkuk***

gksxk fdrq dkj.k d vPNk gksu dh vko';drk ugha g vkj ;g vrkfRod g fd lafo/kku vU;k;kfpr gA ijh{kk cf)eÙkk ugha g cfYd oxhZdj.k e lafo'okl gA vU;Fkk ifrokn djuk vR;Ur gh foyfcr gA bl U;k;ky; }kjk ckj&ckj lif{kr fd;k x;k g fd fo/kkueMy dk oxhZdj.k d ekeyk e 0;kid Lofood gA djk/kku e] ^^fo/kku d dN vU; dk;k dh ryuk e oxhZdj.k dh 0;kid 'kfDr gA** **tc oxhZdj.k djrs g, fo/kkueMy dh cf)eÙkk dk pukrh nh tkrh g] U;k;ky;k dh Hkfedk vR;Ur lhfer gA ;g U;k;ky;k }kjk iufoykdu; ugha g tc rd ;g Li"V :i ls euekuk u gksA ;g U;k;ky;k dk ljkdkj ugha g fd oxhZdj.k lcls cf)eku vFkok lokÙke ugha g ftls fd;k tk ldrk FkkA fdrq] HknHkkodkjh dj lkif"kr ugha fd;k tk ldrk g ;fn oxhZdj.k i.kr% ek;koh gA**

*** *** ***

66 l{ki e] vuPNn 14 fofufn"V mí'; iklr djus d i;ktu ls fo/kkueMy }kjk 0;fDr;k] oLrvk ,o l0;ogkjk dk ;fDr;Dr oxhZdj.k ifrf"k) ugha djrk gA vuK; oxhZdj.k dh ijh{kk lrs"V djus d fy,] bls ^^euekuk] df=e vFkok okLrfod** ugha gksuk gksxk cfYd fo/kkueMy }kjk iklr fd, tkus d fy, bfPNr mí'; d lkFk U;k;kfpr ,o ;fDr;Dr lca/k j[kuk okys dN okLrfod ,o lkjoku lfHkUurk ij vk/kkfjr gksuk gksxkA djk/kku fofèk;k Hkkjr d lfo/kku d vuPNn 14 e ifr"Bkfir lekurk d bl fl)kr dh i;kT;rk d ifr viokn ugha gA **fdrq] ;g lLFkkfir g fd fo/kkueMy fofo/k rRok dh foÙkh; lek;ktu dh tfVyrkvk dh nf"V e djk/kku d i;ktu ls oLrvk] 0;fDr;k ,o phtk d oxhZdj.k d ekeys e vR;Ur 0;kid latitude dk miHkkx djrk gA oxhZdj.k djus dh fo/kkueMy dh 'kfDr vR;Ur 0;kid {k= rFkk yphyiu dh g rkfd ;g leLr lefpr ,o ;fDr;Dr rjhd ls djk/kku dh viuh i.kkyh lek;kftr dj ldA rc Hkh jkT; dk ;fDr;Dr vk/kkj ij oxhZdj.k d fy, fo'kky latitude dh vuefr nh x;h g vkj D;k ;fDr;Dr g] 0;ogkfjd fooj.kk ,o vud idkj d dkjdk dk i'u g ftldk vUos"k.k djus d fy, U;k;ky; ldkph gksxk vkj 'kk;n vPNh rjg ls lkèku;Dr ugha gksxkA**

67- bl U;k;ky; d fu.k;k dh fo'kky J`[kyk e vfHkdfFkr fd;k x;k g fd djk/kku lfo/kk] fØ;k'khy lehphurk d dkj.kk ls vkj vU;Fkk Hkh dN dk dj vkjkfir djus d fy, pu ldrh gA **oxhZdj.k dh 'kfDr dk;ikyd 0;ogkfjdrk d fofo/k fopkjk ij vk/kkfjr rFkk vR;Ur 0;kid gksus d ukrs U;k;ikfydk nkM dj ugha vk ldrh g tgk fo/kkueMy Hkh Qd&Qd dj dne j[krk gA** U;kf;d 'kfDr ij ;g leLr dk;pkyu vojk/k dk tkjnkj :i ls otu Mkyuk gksxk tgk fo"k; djk/kku gA **fLFkfr fo'k"k ls mnHkr gksus oky vkdfLed ifjfLFkfr;k ls ifj.kr gksuokyk HknHkko ftlea dN dj nuokys Lo;a dk ikrs g] vuPNn 14 }kjk fgV ugha gksrk g ;fn fo/kku bl n'kk e lkekU; i;kT;rk dk g vkj mlg dBkj 0;ogkj d fy, vyx ugha djrk gA 0;fDrxr fuèkkfjrh d ykHk&vykHk vkdfLed ,o vifjgk; g vkj iR;d djk/ku lfo/kk e vrfufgr g D;kfd bl dgh Hkh ifDr [khpuk gksxk vkj dN ekeys vko';dr% ifDr dh nljh vkj vkrs gh gA**** (tkj fn;k x;k)

इन निर्णयों पर विश्वास करते हुए विद्वान महाधिवक्ता ने निवेदन किया कि ये रिट आवेदन बिलकुल पोषणीय नहीं है और किसी भी स्थिति में यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि खनिज रियायत नियमावली के नियम 64B एवं 64C भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 अथवा MMDR अधिनियम सहपठित उसकी द्वितीय अनुसूची के अधिकारातीत है।

18. भारत के विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल ने भारत संघ के लिए तर्क करते हुए विद्वान महाधिवक्ता के तर्कों को अपनाया है और निवेदन किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विधिक विवाद्यक खनिज रियायत नियमावली के नियम 64B एवं 64C की वैधता थी। इन नियमों की संवैधानिकता पर इस न्यायालय के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिलकुल हस्तक्षेप नहीं किया गया है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने इन नियमों को विधिक एवं वैध अभिनिर्धारित किया है और इस दशा में इन आवेदनों में इन नियमों के अधिकार को चुनौती देने की गुंजाइश नहीं है यद्यपि टाटा स्टील को स्वतंत्रता प्रदान की गयी थी, जैसी प्रार्थना की गयी थी और जैसी चर्चा उपर की गयी है। भारत के विद्वान सहायक सालिसिटर जनरल द्वारा निवेदन किया गया है कि न केवल ये आवेदन आन्वयिक न्यायनिर्णीत द्वारा वर्जित हैं बल्कि ये आवेदन वस्तुत: पुनर्विलोकन आवेदनों के रूप में है और इस न्यायालय के निर्णय का पुनर्विलोकन करने का प्रश्न ही नहीं है जिसे पहले ही भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य ठहराया गया है। तद्नुसार भारत के विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल ने यह निवेदन भी किया कि ये आवेदन बिलकुल पोषणीय नहीं है।

<u>तर्क एवं निष्कर्ष :</u>

19. परस्पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **(2015)6 SCC 193,** में प्रकाशित अपने निर्णय में इस न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया है, जिसके द्वारा खनिज रियायत नियमावली के नियमों 64B तथा 64C को संवैधानिक रूप से वैध अभिनिर्धारित किया गया था, किंतु तथ्य बना रहता है कि खनिज रियायत नियमावली के नियमों 64B तथा 64C के आधार पर रॉयल्टी उद्ग्रहित करने की आक्षेपित कार्रवाई केवल संविधि पुस्तिका में इन नियमों के अस्तित्व और जहाँ तक ये नियम वैसे हैं जैसे किये हैं की दृष्टि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैध अभिनिर्धारित की गयी। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में स्पष्टत: कथन किया है कि खनिज रियायत नियमावली के नियमों 64B तथा 64C की संवैधानिक वैधता अथवा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायानिर्णीत नहीं किया गया है और इसने याची टाटा स्टील को अंतर्वर्ती आवेदन सं॰ 1 वर्ष 2015 तथा सदृश अंतर्वर्ती आवेदनों में दिनांक 8 मई, 2015 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष खनिज रियायत नियमावली के नियमों 64B एवं 64C की वैधता अथवा अधिकार को चुनौती देने के लिए पृथक याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता भी दिया। कल्पना की किसी सीमा तक यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केवल अपने बोर्ड से भार शिफ्ट करने के लिए यूँ ही पारित किया गया था। यदि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कथन किया है कि इसने इन नियमों की संवैधानिक वैधता अथवा अधिकार विनिश्चित नहीं किया है और इस न्यायालय में इन नियमों की संवैधानिक वैधता अथवा अधिकार को चुनौती देने के लिए पृथक याचिका दाखिल करने के लिए टाटा स्टील को स्वतंत्रता दिया है। हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि उच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाने के लिए प्रश्न अभी भी खुला है और इन आवेदनों को आन्वयिक न्यायनिर्णीत द्वारा हिट होता नहीं कहा जा सकता है।

20. इन रिट आवेदनों को इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा दिनांक 26.6.2015 के आदेश द्वारा ग्रहण किया गया था। ग्रहण के समय पर इन आवेदनों की पोषणीयता को चुनौती देते हुए विस्तारपूर्ण तर्क किए गए थे। खंड न्यायपीठ ने इन समस्त आपत्तियों को ठुकरा दिया और रिट आवेदनों में उठाए गए विवाद्यकों पर विस्तारपूर्ण सुनवाई के लिए मामलों को ग्रहण किया। इन रिट आवेदनों को खंड न्यायपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए 22.3.2017 को लिया गया था। खंड न्यायपीठ इस तथ्य से अवगत था कि चूँकि मामला पहले ही इस न्यायालय के समन्वय न्यायपीठ द्वारा विनिश्चित किया गया था जिनका अभी बाध्यकारी बल है, विपरीत दृष्टिकोण, यदि ऐसा आवश्यक है, लेना खंड न्यायपीठ के लिए समुचित नहीं

होगा और तद्नुसार मामला वृहत्तर न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकार मामला हमारे द्वारा पूर्ण न्यायपीठ में सुना गया था ताकि विपरीत दृष्टिकोण लेने में मजबूरी न हो यदि ऐसा करना आवश्यक है। इस दशा में, खनिज रियायत नियमावली के नियमों 64B एवं 64C के अधिकार एवं संवैधानिक वैधता का प्रश्न एक बार फिर इस न्यायालय द्वारा अच्छी तरह विनिश्चित किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो, खंड न्यायपीठ के पूर्व निर्णय पर प्रतिकूलता कारित किए बिना। इस दशा में, हम इन रिट आवेदनों की पोषणीयता को आन्वयिक न्यायनिर्णीत के सिद्धांत के आधार पर अथवा इस आधार पर कि यह इस-न्यायालय के पूर्व निर्णय के पुनर्विलोकन के तुल्य होगा, चुनौती में कोई बल नहीं पाते हैं। इस संबंध में झारखंड राज्य के एवं भारत संघ के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रतिवादों को ठुकराना होगा।

21. यह हमें अंतिम चरण तक लाता है जहाँ हमें खनिज रियायत नियमावली की संवैधानिक वैधता एवं अधिकार को विनिश्चित करना होगा। हमने उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय और इसे अभिपुष्ट करने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का परिशीलन किया है। हम उच्च न्यायालय के निर्णय से पाते हैं कि खनिज रियायत नियमावली के नियमों 64B एवं 64C की संवैधानिक वैधता पर विचार करते हुए इस उच्च न्यायालय ने समस्त तर्कों जिन्हें वर्तमान मामला में दिया गया है को विचार में लिया था। इस न्यायालय ने विभिन्न चरणों को विचार में लिया था जिनमें ROM कोयला को स्टील ग्रेड कोयला के चरण तक सञ्जीकृत किया जाता है। इस न्यायालय ने इस बिंदु पर उद्धृत अनेक निर्णयों को भी विचार में लिया था। इस न्यायालय ने **भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (1990)4 SCC 557,** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी विचार में लिया था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि स्लरी कोयला है और नदी के तल से स्लरी हटाया जाना अधिनियम की धारा 3(d) के अधीन खनन संक्रिया है, जिसका केवल भूमिगत गतिविधि होना आवश्यक नहीं है। खनिज रियायत नियमावली के नियमों 64B एवं 64C की संवैधानिक वैधता इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित कारणों को देते हुए मान्य ठहरायी गयी है:–

> *^^83 fu;ek 64B ,o 64C d ikoèkku iVVkèkr {k= e vofLFkr dk;yk ok'kjh e i;Dr dk;yk lTthdj.k dh vfrvkèkfud ik|kfxdh dh nf"V e [kfut fj;k;r fu;ekoyh] 1960 e vr%LFkkfir fd, x, g [kuu iVVkèkkjd [kuu iVVk d :i e largesse dk miHkkx djrk gA [kfutk ij jk;YVh dk mnxg.k bl vkèkkj ij vkèkkfjr g fd [kfut lkèku ^^{k;'khy vkfLr;k**] ^^,d&Qly mRikn** gA jk;YVh dk rdkèkkj ;g g fd ;g cgeY; ,o xj uohdj.kh; ikdfrd lkèkuk d fu"d"k.k d fy, ifrQy e [kfut mRiknd l jkT; ljdkj@[kfut vfèkdkjèkkjd dk Hkxrku gA jk;YVh [kuu d foÙkh; 'kklu i.kkyh (regime) dk egRoi.k Hkkx g vkj jkT; ljdkj d fy, jktLo oly dk egRoi.k lkèku gA vr% ilLdr [kfut rFkk mi&mRiknk tk Mh&'ky fjtDV lfgr feMfyx] Vfyx ,o fjtDV dh idfr e g ij èku xokuk v ly e vlHko gA*
>
> *84- dk;yk ij jk;YVh] tlk [kfut fj;k;r fu;ekoyh e fu;ek 64B ,o 64C dh ij%LFkkiuk l mnHkr gku oky vfèkfu;e dh f}rh; vulph e of.kr fd;k x;k g] doy iVVk ij fn, x, {k= l gVk, x, [kfut dh vud dkfV;k dk ekU; rk nrk gA mnkgj.kLo:i] dk;yk d ekeyk e fu;e 64B ,o 64C iVVk ij fn, x, {k= d vrxr vofLFkr dk;yk ok'kjh l vku oky lkQ dk;yk] feMfyx] Vfyx ,o fjtDV tl jk;YVh d ifr exigible [kfut dh vud dkfV;k*

dk ekU; rk nr gA fu;e 64B ,o 64C MMDR vfèkfu;e ,o f}rh; vulph d lkFk lxr gA ge fu;ek 64B ,o 64C e dkb euekukiu ugh ikr g vkj ge fu;ek 64B ,o 64C d vfèkdkj dk pukrh nu oky ifrokn e dkb x.kkx.k ugh ikr gA

*** *** ***

111- vr% jkT; [kfutk dk Lokeh gku d ukr i lLdr [kfut ij jk;YVh iHkkfjr dju dk gdnkj g ;fn mUg le;≤ ij dkfy;jh fu;=.k vkn'kk d vèkhu vfèklfpr dherk d erkfcd dk;yk ,l xMk ,o dkfV;k d fy, f}rh; vulph d vèkhu fofgr njk ij iVVk ij fn, x, {k= l gVk;k tkrk gA vr% fu;ek 64B ,o 64C d ikoèkku u rk lfoèkku d vuPNn 14 d lekurk [kM dk mYy?ku djr irhr gkr g vkj u gh o ey vfèkfu;e vFkkr MMDR vfèkfu;e dh èkkjk 9 lgifBr f}rh; vulph d ikoèkkuk d vfèkdkjkrhr irhr gkr gA

112- oxhdj.k vuPNn 14 dh dlkVh ij oèk g ;fn ;g rdi.k vrj ij vkèkkfjr g vkj bldk ikIr fd, tku d fy, bfIlr mí'; d lkFk ;fDr;Dr lcèk gA if'pe cxky jkT; cuke vuoj vyh ljdkj] AIR 1952 SC 75, vkj jked".k Mkyfe;k cuke U;k;efr ,l0 vkj0 rnydj] [AIR 1958 SC 538] ekeyk e fu.k; dk fufn"V fd;k tk ldrk gA RE : fo'k"k U;k;ky; foèk;d] 1978(1979)1 SCC 380 ekeyk e ekuuh; lokPp U;k;ky; d loèkkfud U;k;ihB d fu.k; e ekuuh; lokPp U;k;ky; u dy rjg ifriknukvk dk ij%LFkkfir fd;k tk lfoèkku d vuPNn 14 e ifr"Bkfir lekurk [kM d lnHk e fofèk dh oèkrk d U;k;kyf;d fofu'p;dj.k d ifr ikIfxdrk j[kr gA ekuuh; lokPp U;k;ky; u ijk 72(7) e vfHkfuèkkfjr fd;k fd ^^oxhdj.k euekuk ugh gkuk gkxk cfYd rdi.k gkuk gkxk vFkkr bl u doy dN x.kk vFkok pkfjf=d fo'k"krkvk ij vkèkkfjr gkuk gkxk ftUg lkFk j[k x, leLr 0;fDr;k e ik;k tkuk g vkj u fd vU; e ftUg ckgj dj fn;k x;k g fdr mu x.kk vFkok pkfjf=d fo'k"krkvk dk foèkku d mí'; d lkFk ;fDr;Dr lcèk gkuk gkxkA ijh{kk e mÙkh.k gku d fy, nk 'krk dk ifji.k fd;k tkuk gkxk] vFkkr (1) fd oxhdj.k ckèkxE; vrj ij vkèkkfjr gkuk gkxk tk mudk ftUg lkFk j[kk x;k g dk vU; l lfHkUu djrk g vkj (2) fd vrj dk vfèkfu;e }kjk ikIr fd, tku d fy, bfIlr mí'; d lkFk rdi.k lcèk gkuk gkxkA

*** *** ***

114- iFke i'u dk mÙkj nu e ef'dy ugh g D;kfd i lLdr [kfut Lo; e ox fufer djrk g D;kfd ROM i lLdj.k d ckn bldh v'k) rkvk dk gVku dh vkj y tkrk g vkj [kfut dh vud fofufn"V dkfV;k vFkkr oreku ekeyk e dk;yk vkj feMfyx] Vfyx ,o fjtDV e ifj.kr gkrk g tk fofHkUu i;ktuk l iFkd :i l miHkkxuh; gA LokHkkfodr%] ;fn iVVkèkkjh ROM dk;yk dk lTthdj.k vFkkr bldk i lLdj.k djrk g] ;g iokDrkulkj [kfut dh x.koÙkk lèkkju d fy, vk'kf;r g tk i lLdj.k d ckn ckgj vkrk g vkj v'k) rkvk dk vyx dj nrk gA Li"Vr% [kku l ckgj vku okyk ROM dk;yk dk;yk dk xM fo'k"k vrfo"V dju d vfrfjDr iFkd ugh fd, x, feMfyx] Vfyx ,o fjtDV dk Hkh vrfo"V djrk g ftUg i lLdr fd, fcuk iFkd :i l mi;kx ,o miHkkx d vè;èkhu ugh fd;k tk ldrk gA ,lh ifjfLFkfr;k e] fofHkUu i;ktuk l] tk i lLdr dk;yk d ekeyk e fd;k tk jgk g] v i lLdr ROM [kfut dk;yk dk i lLdr [kfut l lfHkUu dju d fy, rdi.k vrj gA

*** *** ***

116- ;gk¡ mij m)r fu.k;, e fofèk dh ifjiknuk d erkfcd jkT; dk ;g fofuf'pr dju dh 'kfDr g fd foèkku d i;ktu l fdl ox d :i e ekuk tkuk pkfg,A fu"dl ng bl 'kfDr dh dN fMxh e dN vlekurk mRiUu dju dh lHkkouk gA fdr oxhdj.k euekuk ugh gkuk gkxk cfYd rdl.kk gkuk gkxkA vFkkr bl doy dN x.kk vFkok pkfjf=d fo'k"krkvk ij vkèkkfjr gkuk gkxk ftUg lkFk j[kh x;h phtk e ik;k tkrk g vkj u fd vU; e ftUg ckgj dj fn;k x;k g vkj bldk foèkku d mí'; d lkFk rdl.k lcèk gkuk gkxkA vuPNn 14 ox HknHkko fuf"k) djrk g fdr foèkku d i;ktu l oxhdj.k euk ugh djrk gA oxhdj.k d 0;fDr;k ;k phtk d lVhd vFkok oKkfud viotu vFkok lfEeyu }kjk xfBr gku dh vko';drk ugh gA U;k;ky;k dk fn, x, fdlh ekeyk e oxhdj.k dh oèkrk fofuf'pr dju d fy, foHkekRed lVhdrk ij tkj ugh nuk pkfg, vFkok v0;ogkfjd ijh{kk vk dk ykx ugh djuk pkfg,A fofèk vko';drkvk ,o vR;ko';drkvk vkj tlk vuHko l irk pyrk g d vulkj oxk dk ,d&nlj l vyx dj ldrh gA bl vkykd e] vkj mij dh x;h ppk dh nf"V e] blh dkj.k }kjk] Vfyx ,o fjtDV ;fn ckn e foØ; vFkok miHkkx d fy, mudk mi;kx fd;k tkrk g ij jk;YVh mnxfgr dju d fy, èkkjk@fu;e 64C d vèkhu fd;k x;k oxhdj.k u rk euekuk g vkj ugh v;fDr;DrA tlh ppk igy dh x;h gA fu;e 64B ,o 64C d iklfxd ikoèkku ey vfèkfu;e dh èkkjk 9 lgifBr f}rh; vulph d vo;ok dh lhekvk d vrxr iofrr gkr gA ekuuh; lokPp U;k;ky; }kjk NMDC ekeyk (Åij) e lif{kr fd;k x;k g fd ; fu;e doy fo|eku voLFkk Li"V djr g vkj lkekU; idfr d gA

22. मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया और सर्वोच्च न्यायालय ने **(2015)6 SCC 193** में प्रकाशित निर्णय में पुन: स्टील ग्रेड कोयला प्राप्त करने में ROM कोयला द्वारा गुजरी गयी प्रक्रिया पर पुन: चर्चा किया और प्रक्रिया के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्षित किया:–

^^25- bll ;g fcydy Li"V g fd lTthdj.k ifØ;k] tgk rd dk;yk dk lcèk g] d nk egRoi.k ifj.kke g&dk;yk d xM e lèkkj gkrk g (ok'kjh xM IV dk;yk l ;g LVhy xM I rd lèkj ldrk g) vkj dk;yk dk otu dPp ROM dk;yk d 100 Vu l lTthdr dk;yk (fjtDV vioftr djr g,) d 105 Vu rd c< tkrk gA

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया:–

^^56- vr% ;g Li"V g fd MMDR vfèkfu;e dh èkkjk 9 dk iBu MMDR vfèkfu;e dh f}rh; vulph d lkFk l;ktu e djuk ,o le>k tkuk gkxkA bld fy, ,d vPNk dkj.k g tk ;g g fd jk;YVh d mnxg.k dh ;ktuk vud idkj d [kfutk ftud ifr MMDR vfèkfu;e ykx gkrk g vkj ftld fu"d"k.k d fy, jk;YVh dk Hkxrku fd;k tkuk g dh nf"V e dBkj ugh cuk;h tk ldrh gA

*57- dk;yk d ekeyk e ;g xkj fd;k x;k g fd ^^;|fi ROM (dk;yk) vud i;ktu l l;kX; g fdr ;g bLikr m|kx d fy, l;kX; ugh g]** ^^dk;yk d ekeyk e----li.k ROM lkekU;r% mi;kx yk;d cuk;k tk ldrk g** vkj ^^;g vko';d ugh g fd [kku l mRiUu dk;yk lno ilLdj.k d vè;èkhu fd;k tkuk pkfg,A fdlh ilLdj.k d fcuk dPpk dk;yk mRikfnr dju oky n'k e vud dk;yk [kku g----** vFkkr ROM dk;yk dk mi;kx lkekU;r% ilLdj.k fd, fcuk dPp :i e fd;k tk ldrk g vkj lTthdj.k vko';d fcydy ugh gA fdr] ;fn dPpk dk;yk dk mi;kx dN fof'kf"Vdr i;ktu l fd;k tkuk g] bl lTthdj.k dh vko';drk gkxhA*

*** *** ***

60- dk;yk d ekeyk e] lTthdj.k vko';d ugh g D;kfd ROM dk;yk tlk ;g g dk mi;kx lhèk [knku d e[k l fd;k tk ldrk gA ykg v;Ld d ekey e] tlk NMDC e xkj fd;k x;k g] fudky x, ykg v;Ld l vof'k"V lkexh gVk;h tkrh g vkj lTthdj.k ifØ;k d ekè;e l v;Ld dk xM c<k;k tkrk gA vof'k"V lkexh dk gVk;k tkuk Li"Vr% ykg v;Ld dk otu ?kVkrk g vkj ;gh dkj.k g fd ;g ifjogu dk 0;; cpkrk g tlk NMDC e lif{kr fd;k x;k gA fdr] ;fn dk;yk d ekeyk e bl rF; d vfrfjDr fd lTthdj.k vko';d ugh g] ;fn iVVk èkkjd oLrr% dk;yk lTthdr djrk g] lTthdr dk;yk dk otu ROM dk;yk l vfèkd g tlk mij xkj fd;k x;k gA vr%] ;g ifjogu 0;; c<k,xk tk dk;yk d otu ij vkèkkfjr gA bu ifjfLFkfr;k d vèkhu] ROM dk;yk d fo:) lTthdr dk;yk gVk;k tkuk iVVkèkkjd d fy, vykHkdkjh gk ldrk gA bl dkj.k l] dk;yk ,o ykg v;Ld d chp vFkok dk;yk ,o MkykekbV rFkk ykbeLVku d chp le: irk ugh ik;h tk ldrh gA bl rF; d vfrfjDr fd SAIL iVVk ij fn, x, {k= l gVku ij fopkj ugh djrk Fkk cfYd iVVk ij fn, x, {k= d Hkhrj miHkkx ij fopkj djrk FkkA

*** *** ***

63- bl ppk l tk vulfjr gkrk g] og ;g g fd ;|fi jk;YVh dk fuf'pr x.kkFk gk ldrk g] jk;YVh dh nj] bld lx.kuk dh i)fr vkj vfre mnxg.k iR;d [kfut d fy, fHkUu&fHkUu gA blh dkj.k l bl U;k;ky; u NMDC e vfHkfuèkkfjr fd;k fd MMDR vfèkfu;e dh f}rh; vulph dk iBu ml vfèkfu;e dh èkkjk 9 d vfHkUu vx d :i e fd;k tkuk gkxkA ;fn SAIL d lkeklU; fu"d"k dk MMDR vfèkfu;e dh f}rh; vulph d ifr fun'k d fcuk gj fdlh pht ij ykx fd;k tkuk g] rkck] lkuk] yM] ftd ,o dN vU; [kfutk ij jk;YVh dh lx.kuk vlHko gk tk,xhA

64- ;g fcydy Li"V g fd [kfutk ij jk;YVh dh lx.kuk dk fook|d vR;Ur tfVy g vkj bl {k= d fo'k"kKk ij bl NkM nuk lokÙke gkxk vkj bl ,d gh dph l fpf=r ugh fd;k tk ldrk g tlk SAIL e fd;k x;k gA og fu.k; MkykekbV ,o ykbeLVku d lnHk e Lo; bld rF;k rd lhfer fd;k tkuk gkxkA pfd MMDR vfèkfu;e dh f}rh; vulph dk iBu mldh èkkjk 9 d vfHkUu vx d :i e djuk gkxk] SAIL e dh x;h 0;k[;k lHkor% iR;d [kfut d fy, jk;YVh dh lx.kuk d ifr ykx ugh dh tk ldrh g tlh ppk mij dh x;h gA

*** *** ***

66- lUVy dkyQhYM l fy0 e bl U;k;ky; d fu.k; dh nf"V e fook|d vc vfu.khr ugh g vkj tgk rd dk;yk dk lcèk g] ^^[kku dh ijr l bldk gVk;k tkuk vkj [knku d e[k l lrg rd bldk fu"d"k.k jk;YVh d fy, nkf;Ro mnHkr dju d fy, èkkjk 9 dh vko';drkvk dk lr"V djrk gA

67- fofHkUu [kfutk ij jk;YVh dh iHkkj.kh;rk] lx.kuk ,o mnxg.k dh tfVyrk, vc 25-9-2000 d iHkko l ,e0 lh0 vkj0 d fu;e 64B ,o 64C dh vr%LFkkiuk d lkFk ljyhdr] Li"Vhdr ,o ekudhdr dh x;h gA

68- ,e0 lh0 vkj0 d fu;e 64B dk lknk iBu] ftld lkFk gekjk oreku e ljkdkj g] Li"Vr% l>krk g fd mle mfYyf[kr iVVk ij fn, x, {k=

dk iVVk èkkjd dk fn, x, iVVk ij fn, x, {k= dh pkgnnh d ifr fun'k gA mifu;e (1) ikoèkkfur djrk g fd ;fn ROM [kfut iVVk ij fn, x, ml {k= d pkgnnh d vrxr ilLdr fd;k tkrk g] rc iVVk ij fn, x, {k= l gVk, x, ilLdr [kfut ij iHkk; gkxkA fdr] ;fn ROM [kfut iVVk ij fn, x, {k= l ilLdj.k d fcuk gVk;k tkrk g] rc mifu;e (2) d fucèkuku lkj jk;YVh villdr ROM [kfut ij iHkk; gkxhA ,e0 lh0 vkj0 dk fu;e 64B [kku@[knku e[k l [kfut gVku d ckj e fdr ftl iVVk ij fn, x, {k= l gVk;k ugh x;k g] eku gA ;g Li"V ldr g fd iVVkèkkjd }kjk doy iVVk ij fn, {k= dh pkgnnh l [kfut gVku ij jk;YVh dk Hkxrku fd;k tkuk gA ;g ljyhdj.k ,o Li"Vhdj.k dN fHkUu ,o ef'dy fLFkfr;k ij fopkj djrk g ftl geu mij fufn"V fd;k g vFkkr [knku d e[k ij vFkok lTthdj.k&i'pkr dk;yk ij jk;YVh iHkkfjr dju dk pj.k] [knku e[k ij MkykekbV ,o ykbeLVku ij vFkok vof'k"V ,o ckg; lkexh gVku d ckn jk;YVh iHkkfjr dju dk pj.k] [knku e[k ij vFkok lTthdj.k&i'pkr ykg v;Ld ij jk;YVh iHkkfjr dju dk pj.k vkj fu'p; gh vU; d lkFk lkFk rkck] lkuk] yM ,o ftd tl vU; [kfutk ij jk;YVh iHkkfjr dju dk pj.kA

69- blh idkj l] ,e0 lh0 vkj0 dk fu;e 64C Vfyx vFkok fjtDV ij jk;YVh l lcfèkr gA tgk rd VkVk LVhy dk lcèk g] convenience okY;e e nh x;h bldh lx.kuk minf'kr djrh g fd jk;YVh dk Hkxrku Vfyx ,o fjtDV ij fd;k tkrk g vkj Hkxr; gA ,e0 lh0 vkj0 dk fu;e 64C ;g Li"V djrk g fd jk;YVh fjtDV ij Hkxr; g tc mUg Mi fd, tku d ckn cpk vFkok mi;kfxr fd;k tkrk gA ;g Hkkjr l?k d 'kiFk i= e ;Fkk mfYyf[kr pknh l lcfèkr tlh fLFkfr;k ij fopkj djxkA

*70- ,e0 lh0 vkj0 d fu;e 64B ,o fu;e 64C e minf'kr dju d fy, dN Hkh ugh g fd dk;yk dk MMDR vfèkfu;e lgifBr mldh f}rh; vulph e mfYyf[kr [kfutk l fHkUu LrHk ij j[kk x;k gA vr%] Hkkjr l?k }kjk ipkfjr nf"Vdk.k dk Lohdkj djuk ef'dy g fd ^^; fu;e dk;yk [kfutk ij fo'k"k :i l i;kT; ugh gk ldr gA** bld vfrfjDr] Hkkjr l?k dk nf"Vdk.k fuf'pr vFkok Li"V ugh g (^^ugh gk ldrk g)A fdlh Hkh fLFkfr e ge doy dk;yk dk vioftr djr g, ,e0 lh0 vkj0 d fu;e 64B ,o fu;e 64C dk Hkkjr l?k }kjk nh x;h 0;k[;k dk Lohdkj dju d fy, ckè; ugh gA bld foijhr] NMDC e bl U;k;ky; u lif{kr fd;k g fd ; fu;e [kfutk d leLr idkjk d dk;yk dk lfEefyr djrk g d ifr i;kT; lkekU; idfr d gA Hkkjr l?k }kjk er dh vfHk0;fDr bl U;k;ky; d li{k.k d foijhr gA*

*71- vr%] ,e0 lh0 vkj0 d fu;e 64B ,o fu;e 64C d lkn iBu ij gekjk er g fd 25-9-2000 d iHkko l] tc bu fu;ek dk ,e0 lh0 vkj0 e vr%LFkkfir fd;k x;k Fkk] jk;YVh bu fu;ek e mfYyf[kr pj.k ij dk;yk lfgr leLr [kfutk ij Hkxr; g vFkkr iVVk ij fn, x, {k= dh pkgnnh l [kfut gVku ij] mld io dh vofèk d fy,] lUVy dky QhYMl fy0 e vfèkdfFkr fofèk 10-8-1988 l iofrr gkxh tc SAIL fofuf'pr fd;k x;k Fkk ;|fi fHkUu dkj.kk l] tgk rd dk;yk dk lcèk gA***

23. पूर्वोक्तानुसार, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि की दृष्टि में, प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, यह है कि क्या (a) वाशरी ग्रेड IV से स्टील ग्रेड I तक परस्पर

ग्रेडों में कोयला की प्रकृति में परिवर्तन के कारण और (b) सज्जीकरण की प्रक्रिया में ROM कोयला का वजन बढ़ जाने के कारण भी प्रसंस्कृत कोयला पर उच्चतर दरों पर रॉयल्टी का प्रभार किसी भी तरह से MMDR अधिनियम की धारा 9 के विस्तार के परे है। इस बिंदु पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय **(2015)6 SCC 193** में पैरा 166) के अनुसार, MMDR अधिनियम की धारा 9 की आवश्यकता ''अब अनिर्णीत नहीं है और जहाँ तक कोयला का संबंध है, खान की परत से इसका हटाया जाना और खदान मुख से सतह तक इसका निष्कर्षण रॉयल्टी का दायित्व उद्भूत करने के लिए धारा 9 की आवश्यकता संतुष्ट करता है।''

24. वस्तुतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहीं नहीं कथन किया गया है कि MMDR अधिनियम की यह व्याख्या नियम 64B एवं 64C युग के पहले के लिए है अर्थात 25.9.2000 से पहले के लिए और न कि नियम 64B एवं 64C युग के बाद के लिए। दूसरे शब्दों में, MMDR अधिनियम की धारा 9 की पूर्वोक्त व्याख्या नियम 64B एवं 64C के पूर्व एवं पश्चात दोनों युग के प्रति प्रयोज्य है।

25. यह प्रश्न कि खनन प्रक्रिया क्या सम्मिलित करती है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (1990)4 SCC 577** में विनिश्चित किया गया है। यह मामला याची टाटा स्टील लिमिटेड के इन्हीं अधीनस्थ कोलियरी से संबंधित है। कोयला धोने की प्रक्रिया में, सामान्य रूप से स्लरी के नाम से ज्ञात कोयला के छोटे कण वाशरी से बच निकलते हैं, याची के संयंत्र से और भंडारण तालाब से बाहर बह जाते हैं, और रैयती भूमि तथा नदी के तल में बैठ जाते हैं। टिस्को, जैसा यह तब था, ने अपनी वाशरी से बच निकले स्लरी को संग्रहित करने के अधिकार का दावा किया। राज्य सरकार ने याची का अधिकार स्वीकार नहीं किया था और इसके बजाए राज्य को रॉयल्टी के भुगतान पर स्लरी के संग्रहण का अधिकार अन्य व्यक्तियों के साथ बंदोबस्त किया। टिस्को ने राज्य सरकार की कार्रवाई के प्राधिकार को इस आधार पर चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं को दाखिल किया कि स्लरी कोयला होने के नाते खनिज था और इस दशा में इसका संग्रहण एवं खनन MMDR अधिनियम द्वारा विनियमित होता था और राज्य सरकार को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना स्लरी के संग्रहण के लिए पट्टा प्रदान करने का प्राधिकार नहीं था। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

> *^^21. &&&& **vfèkfu;e dh èkkjk 3 ^^[kuu lfØ;k** ifjHkkf"kr djrh g ftldk vFk fdlh [kfut d winning d i;ktu l dh x;h dkbZ lfØ;k gA** vfèkfu;e }kjk vfHk0;fDr ^[kku* ifjHkkf"kr ugh dh x;h g] bld ctk, èkkjk 3(1) dgrh g fd vfHk0;fDr ^[kku* dk ogh vFk g tlk [kku vfèkfu;e] 1952 e fn;k x;k gA [kku vfèkfu;e] 1952 dh èkkjk 2(i)(j) }kjk ifjHkkf"kr ^[kku* dk vFk g dkbZ [knkb tgk [kfut [kktu vFkok ikIr dju d i;ktu l dkbZ lfØ;k dh x;h g vFkok dh tk jgh g vkj ;g fuEufyf[kr lfEefyr djrk gh*
>
> *(xii) [kku d cxy e vkj [kku dk dkbZ ifjlj ftl ij [kfut d vFkok dkd d foØ; d fy, iku] dressing dju vFkok r;kj dju d vku"kfxd dkbZ ifØ;k dh tk jgh gA***
>
> *[kku dh ;g lfEeyudkjh ifjHkk"kk [kku d fdlh ifjlj dk lfEefyr dju d fy, i;kIr :i l 0;kid g tgk foØ; d fy, [kfut vFkok dkd dk r;kj dju d fy, dkbZ vku"kfxd ifØ;k dh tk jgh gA i{kk d chp fookn ugh g fd dk;yk [kku l fudkyk x;k dk;yk VdMk e rkMk tkrk g vkj rRi'pkr dk;yk dk foØ; d ;kX; cuku d fy, blh v'k) rkvk rFkk jk[k vroLr dk èkk;k tkrk gA dk;yk èkku d mijkr] ;g dkd dk :i èkkj.k djrk g tk miHkkDrkvk d cpk*

*tkrk gA **ok'kjh ftle foØ; d fy, dk;yk r;kj dju d i;ktu l dk;yk dk èkku dh ifØ;k dh tkrh g] [kku dk vfHkUu Hkkx g D;kfd ;g vkuq"kfxd ifØ;k vrxLr djrk gA ok'kjh [kku vfèkfu;e] 1952 d vèkhu [kku dh ifjHkk"kk d vrxr lfEefyr dh x;h gA** Lyjh d :i e dk;yk d NkV d.kk dk fy, ok'kjh l dkbZ vif'k"V fMLpkt [kku e dh x;h lfØ;kvk l mnHkr gku okyh vif'k"V Lykbe gA*

*24-&&&& Lyjh tk vihykFkh dh ok'kjh l cp fudyrh g [kfut g vkj bldk fofu;eu dn l jdkj dh vfèkdkfjrk d vrxr gA&** (tkj fn;k x;k)*

26. भगवान दास बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य, (1976)3 SCC 784, में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*^^13-&&&& **iFkerk ;g ekuuk xyr g fd [kkuk ,o [kfutk dk lno vo enk gkuk gkxk vkj fd iFoh dh lrg ij [kfut ugh gk ldrk gA ,lk vueku vfHklfpr vuHko d foijhr gA** fdlh Hkh fLFkfr e] vfèkfu;e o"k 1957 dh èkkjk 3(d) ,o (e) vkj fu;ekoyh 1963 d fu;e 2(5) ,o (7) e [kuu lfØ;kvk ,o y?k [kfutk dh ifjHkk"kk n'kkrh g fd **[kfutk d Hkfexr gku dh vko';drk ugh g vkj fd [kuu lfØ;k, fdlh y?k [kfut d "winning" d i;ktu l dh x;h iR;d lfØ;k dk vkPNkfnr djrh gA** "winning" ifjldVe; vFkok tkf[ke Hkjh xfrfofèk foof{kr ugh djrh gA 'kCn dk lky vFk g ^^[kfut dk fu"d"k.k** vkj bldk mi;kx lkekU;r% fdlh xfrfofèk dk minf'kr dju d fy, fd;k tkrk g ftld }kjk [kfut ikIr fd;k tkrk g& ** (tkj fn;k x;k)*

27. पुन: **वी०पी० पिथु पिचाई एवं एक अन्य बनाम तमिलनाडु सरकार के विशेष सचिव, (2003)9 SCC 534,** में विधि आगे निम्नलिखित रूप से स्पष्ट की गयी है:–

*^^12- [kfut dk vko';drk% tehu l [kkndj fudkyk ugh tkrk g vkj tk tehu l [kkndj fudkyk tkrk g og vko';drk% [kfut ugh gkrkA&**

इस प्रकार, उपर स्पष्ट किए गए विधि का सादा पठन स्पष्टत: दर्शाता है कि वाशरी से बहाया गया और नदी के तल में अथवा अन्य की भूमि में संग्रहित स्लरी भी उठाया जाना खनन प्रक्रिया है और वाशरी भी खान अधिनियम के अधीन खान की परिभाषा के अंतर्गत खान है। इस प्रकार, खनिज रियायत नियमावली का नियम 64B एवं 64C अपनी तह के भीतर पट्टा पर दिए गए क्षेत्र में वाशरी से भी प्रसंस्कृत खनिज और नदी के तल में अथवा अन्य की भूमि में जमा बच निकले खनिज के कणों को उठाए सजाने जैसी खनन संक्रियाओं को भी लाता है। खनिज के ग्रेड में परिवर्तन अथवा सज्जीकरण प्रक्रिया में वजन में वृद्धि केवल कोयला के प्रति विचित्र घटनाएँ हैं। ऐसी घटनाएँ अन्य खनिजों के संबंध में नहीं होती हैं जिनके प्रति भी खनिज रियायत नियमावली के नियम 64B एवं 64C समान रूप से लागू होते हैं। केवल इस तथ्य के कारण कि ये परिस्थितियाँ केवल कोयले के प्रति विचित्र हैं और केवल कोयला के खनन के काम में लगे रॉयल्टी भुगतान कर्ता को प्रभावित कर रहे हैं, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा बाधित होता है। वस्तुत: यह विधि किसी भेदभाव के बिना एक रूपता से समस्त कोलियरी एवं कोयला के खनन के काम में लगे समस्त रॉयल्टी भुगतानकर्ताओं पर लागू होती है। इस संबंध में विधि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भारत संघ एवं अन्य बनाम निटडिप टेक्सटाइल प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड एवं एक अन्य, (2012)1 SCC 226,** में सुस्थापित की गयी है जिसे दोहराने की कीमत पर उद्धृत किया जाता है:–

^^47. ..... **nljh vkj] ;|fi oxhdj.k dk dkj.k gkuk gkxk fdr dkj.k d vPNk gku dh vko';drk ugh g vkj ;g vrkfRod g fd lfofèk vU;k;kfpr gA ijh{kk cf)erk ugh g cfyd oxhdj.k e lnfo'okl gA** vU;Fkk ifrokn djuk vR;Ur gh foyfcr gA bl U;k;ky; }kjk ckj&ckj lif{kr fd;k x;k g fd foèkkueMy dk oxhdj.k d ekeyk e 0;kid Lofood gA djkèkku e] ^^foèkku d dN vU; dk;k dh ryuk e oxhdj.k dh 0;kid 'kfDr gA** **tc oxhdj.k djr g, foèkkueMy dh cf)eÜkk dk pukrh nh tkrh g] U;k;ky;k dh Hkfedk vR;Ur lhfer gA ;g U;k;ky;k }kjk iufoykduh; ugh g tc rd ;g Li"V :i l euekuk ugh gA ;g U;k;ky;k dk ljkdkj ugh g fd oxhdj.k lcl cf)eku vFkok lokÜke ugh g ftl fd;k tk ldrk FkkA ----------**

*** *** ***

66 l{ki e] vuPNn 14 fofufn"V mí'; ikIr dju d i;ktu l foèkkueMy }kjk 0;fDr;k] oLrvk ,o l0;ogkjk dk ;fDr;Dr oxhdj.k ifrf"k) ugh djrk gA vuK; oxhdj.k dh ijh{kk lr"V dju d fy,] bl ^euekuk] df=e vFkok okXNyi.k** ugh gkuk gkxk cfYd foèkkueMy }kjk ikIr fd, tku d fy, bfllr mí'; d lkFk U;k;kfpr ,o ;fDr;Dr lcèk j[ku oky dN okLrfod ,o lkjoku lfHkUurk ij vkèkkfjr gkuk gkxkA ---------- **fdr] ;g lLFkkfir g fd foèkkueMy fofoèk rRok dh foÜkh; lek;ktu dh tfVyrkvk dh nf"V e djkèkku d i;ktu l oLrvk] 0;fDr;k ,o phtk d oxhdj.k d ekey e vR;Ur 0;kid latitude dk miHkksx djrk gA oxhdj.k dju dh foèkkueMy dh 'kfDr vR;Ur 0;kid {k= rFkk yphyiu dh g rkfd ;g leLr lefpr ,o ;fDr;Dr rjhd l djkèkku dh viuh i.kkyh lek;kftr dj ldA rc Hkh jkT; dk ;fDr;Dr vkèkkj ij oxhdj.k d fy, fo'kky latitude dh vuefr nh x;h g vkj D;k ;fDr;Dr g] 0;ogkfjd fooj.kk ,o vud idkj d dkjdk dk i'u g ftl dk vUo"k.k dju d fy, U;k;ky; ldkph gkxk vkj 'kk;n vPNh rjg l lkèku;Dr ugh gkxkA**

67- bl U;k;ky; d fu.k;k dh fo'kky l[;k e vfèkdfFkr fd;k x;k g fd djkèkku lfofèk] fØ;k'khy lehphurk d dkj.kk l vkj vU;Fkk Hkh dN dk dj vkjkfir dju d fy, pu ldrh gA **oxhdj.k dh 'kfDr dk;ikyd 0;ogkfjdrk d fofoèk fopkjk ij vkèkkfjr rFkk vR;Ur 0;kid gku d ukr U;k;ikfydk nkM dj ugh vk ldrh g tgk foèkkueMy Hkh Qd&Qd dj dne j[krk gA ---------- fLFkfr fo'k"k l mnHkr gku oky vkdfLed ifjfLFkfr;k l ifj.kr gku okyk HknHkko ftle dN dj nuoky Lo; dk ikr g] vuPNn 14 }kjk fgV ugh gkrk g ;fn foèkku bl n'kk e lkekU; i;kT;rk dk g vkj mUg dBkj 0;ogkj d fy, vyx ugh djrk gA 0;fDrxr fuèkkfjrh d ykHk&vykHk vkdfLed ,o vifjgk;l g vkj iR;d djkèkku lfofèk e vrfufgr g D;kfd bl dgh Hkh ifDr [khpuk gkxk vkj dN ekey vko';drk ifDr dh nljh vkj vkr gh gA****

(tkj fn;k x;k)

28. उक्त अधिकथित विधि की दृष्टि में हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि केवल इसलिए कि केवल कोयला में कुछ विचित्रताओं के कारण आकस्मिक परिस्थितियों से कुछ भेदभाव परिणत हो रहा है जिसके द्वारा केवल कोयला खनन पर रॉयल्टी भुगतानकर्ताओं को खनिज रियायत नियमावली के नियमों 64B एवं 64C द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता बताया जाता है, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा बाधित होने वाला अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है जबतक यह विधि एकरूपता से उनके

बीच किसी भेदभाव के बिना कोयला के खनन के काम में लगे समस्त रॉयल्टी भुगतानकर्ताओं एवं समस्त कोलियरी के प्रति लागू होती है। हम अभिनिर्धारित करते हैं कि कोलियरी एवं कोयला के खनन के काम में लगे–रॉयल्टी भुगतानकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रयोजन से स्वयं में पृथक एवं सुभिन्न वर्ग निर्मित करते हैं। यह वर्गीकरण मनमाना, कृत्रिम अथवा वाग्छलपूर्ण नहीं है और **अनवर अली सरकार मामला (ऊपर)** में अधिकथित वैधता एवं संवैधानिकता की परीक्षा पूर्णतः संतुष्ट करता है।

29. तद्नुसार, हम इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण दोहराते हैं और अभिनिर्धारित करते हैं कि खनिज रियायत नियमावली के नियम 64B एवं 64C भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघनकारी नहीं हैं और मूल अधिनियम अर्थात MMDR अधिनियम की धारा 9 सहपठित इसकी द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अधिकारातीत नहीं हैं। वस्तुतः इस न्यायालय द्वारा लिया गया कोई विपरीत दृष्टिकोण **भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मामला (ऊपर)** सहपठित **भगवानदास मामला (ऊपर)** एवं **वी०पी० पिथुपिचाई मामला (ऊपर)** में यह अभिनिर्धारित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ प्रत्यक्ष विरोध में होंगे कि वाशरी से बह निकले और नदी के तल में अथवा अन्य की भूमि में संग्रहित स्लरी भी उठाया जाना खनन प्रक्रिया है और स्वयं वाशरी भी खान अधिनियम के अधीन 'खान' की परिभाषा के अंतर्गत खान है और इस प्रकार, MMDR अधिनियम के अधीन रॉयल्टी की वसूली के अध्यधीन है। यह बिलकुल आवश्यक नहीं है कि कोयला, जिस पर रॉयल्टी प्रभारित किया जाता है (वर्तमान मामला में प्रसंस्कृत एवं सज्जीकृत कोयला), आवश्यकतः रॉयल्टी का दायित्व उद्भूत करने वाली आवश्यकता को संतुष्ट करने के प्रयोजन से पृथ्वी के गर्भ से खोदकर निकाला जाए। रॉयल्टी का दायित्व उद्भूत करने के लिए MMDR अधिनियम की धारा 9 की आवश्यकता संतुष्ट करने के लिए वाशरी से इसके हटाए जाने का वही गुणार्थ होगा जैसा खान की परत से इसका हटाया जाना और खदान मुख से सतह तक इसके निष्कर्षण का।

30. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में और इस तथ्य की दृष्टि में कि हमने अभिनिर्धारित किया है कि खनिज रियायत नियमावली के नियम 64B एवं 64C के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघनकारी नहीं हैं और मूल अधिनियम अर्थात MMDR अधिनियम की धारा 9 सहपठित इसकी द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अधिकारातीत नहीं हैं, खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियमों 64B एवं 64C के अनुरूप रॉयल्टी की मांग करते हुए जिला खनन अधिकारियों, रामगढ़/हजारीबाग/धनबाद द्वारा जारी मांग नोटिस में किसी हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं है।

31. परिणामस्वरूप, हम इन रिट आवेदनों में गुणागुण नहीं पाते हैं और तद्नुसार इन समस्त तीनों रिट आवेदनों को खारिज किया जाता है।

प्रथम पटनायक, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; vuUr fct ; flg] U;k;efr

शहाबुद्दीन अंसारी उर्फ नन्नु अंसारी उर्फ मो॰ शहाबुद्दीन अंसारी

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Appeal (S.J.) No. 2119 of 2017. Decided on 11th December, 2017.

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015–धाराएँ 15 एवं 101–अपील की पोषणीयता–किशोर अभियुक्त को जमानत से इनकार–किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 101 के अधीन अपील अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों तक सीमित आदेशों के बारे में प्रावधानित करती है जिसके अधीन बोर्ड को अपराध करते अभिकथित किए गए बालक की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के संबंध में आरंभिक निर्धारण करने के लिए सशक्त बनाया गया है–वर्तमान मामला में, निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी गयी है बल्कि अपीलार्थी की जमानत के लिए प्रार्थना की गयी है–अपीलार्थी की जमानत की प्रार्थना विधि के नियमित प्रावधानों के अधीन की जाती है–यह दांडिक अपील वर्तमान स्वरूप में पोषणीय नहीं है। (पैरा 3)

अधिवक्तागण.–Mr. M.B. Lal, For the Appellant; A.P.P., For the State.

आदेश

अपीलार्थी ने विशेष (पी०) केस सं० 121/2017/एम०सी०ए० सं० 207/2017 जो भा०दं०सं० की धारा 363/366(A) के अधीन दर्ज झरिया पी०एस०केस सं० 96 वर्ष 2017, जी०आर०सं० 1725 वर्ष 2017 के तत्सम से उद्भूत होती है और दिनांक 6.6.2017 के आदेश द्वारा पोकसो अधिनियम की धारा 4 जोड़ी गयी है, में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 22.11.2017 के आदेश, जिसके द्वारा अवर न्यायालय ने अपीलार्थी की जमानत प्रार्थना अस्वीकार किया यद्यपि अपीलार्थी किशोर घोषित किया गया है, से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 101 के अधीन अपील दाखिल किया है।

2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 101 का पठन निम्नलिखित है:–

*"101. **vihy-**&(1) bl vfèkfu;e d micUèkk d vè;èkhu] bl vfèkfu;e d vèkhu lefr ;k ckM }kjk fd, x, vkn'k l 0;fFkr dkb 0;fDr ,l vkn'k dh rkjh[k l rhl fnu d Hkhrj cky U;k;ky; dk vihy dj ldxk] flok; ikyd n[kj[k vkj çordrk i'pkrorh n[kj[k l lEc) lefr }kjk fofu'p; d] ftld fy, vihy ftyk eftLVV d lkFk gkxhA*

ijUrq l=U;k;ky;] ;k ftyk eftLVV] tlh Hkh fLFkfr gk] rhl fnu dh mDr vofèk d volku d i'pkr vihy xg.k dj ldxk] ;fn mldk ;g lekèkku g fd vihykFkh le; d Hkhrj vihy nkf[ky dju d i;kIr dkj.k l fuokfjr fd;k x;k vkj ,lh vihy rhl fnu dh vofèk d Hkhrj fofuf'pr dh tk,xhA

(2) dkb vihy] vfèkfu;e dh èkkjk 15 d vèkhu t?kU; vijkèk e vkjfEHkd fuèkkj.k dju d i'pkr ikfjr ckM d vkn'k d fo#)] l=U;k;ky; d le{k gkxh vkj U;k;ky;] vihy fofuf'pr djr le;] mul ftudh lgk;rk mDr èkkjk d vèkhu vkn'k ikfjr dju e ckM }kjk vfHkçkIr dh x;h g] fHkUu vuHkoh eukfoKkuh vkj fpfdRlk foKkuh dh lgk;rk y ldxkA

(3) fuEufyf[kr e l vihy ugh gkxh]&

(a) dkb ,l ckyd d lEcUèk e ftld ckj e ;g vfHkdfFkr g fd mlu ,lk vijkèk fd;k g tk ml ckyd }kjk tk lkyg o"k dh vk; ijh dj yh g ;k ml l vfèkd dk g t?kU; vijkèk l fHkUu g] ckM }kjk ikfjr fd;k x;k nk"kefDr dk dkb vkn'k(;k

(b) bl fu"d"k d lEcU/k e lfefr }kjk ikfjr fd;k x;k dkbZ vkn'k fd 0;fDr n[kj[k ;k lj{k.k dh vko';drk okyk ckyd ugh gA

(4) bl èkkjk d vèkhu vihy e ikfjr l=U;k;ky; d fdlh vkn'k l dkbZ vihy ugh gkxhA

*(5) cky U;k;ky; d fdlh vkn'k l 0;fFkr dkbZ 0;fDr mPp U;k;ky; d le{k n.M çfØ;k lfgrk] 1973 (1974 dk 2) e fofufn"V çfØ;k d vulkj vihy nkf[ky dj ldxkA***

3. प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 101 के अधीन अपील केवल अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों तक सीमित आदेशों के बारे में प्रावधानित करती है जिसके अधीन अपराध करते अभिकथित किए गए बालक की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के संबंध में आरंभिक निर्धारण करने के लिए बोर्ड को सशक्त बनाया गया है किंतु वर्तमान मामले में निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी गयी है बल्कि अपीलार्थी की जमानत के लिए प्रार्थना की गयी है। अपीलार्थी की जमानत के लिए प्रार्थना विधि के नियमित प्रावधानों के अधीन होती है। अतः, यह दांडिक अपील वर्तमान स्वरूप में पोषणीय नहीं है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता वर्तमान अपील को जमानत आवेदन में संपरिवर्तित करने की अनुमति इप्सित करते हैं।

5. अनुमति दी गयी।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को दांडिक अपील के मेमो के कॉज टाइटल एवं प्रार्थना के भाग को बदलकर पूरक शपथ पत्र दाखिल करके इसे संपरिवर्तित करने का निर्देश दिया जाता है जो परिसिीमा के अध्यधीन होगा।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

गनेश्वर सिंह

cuke

झारखंड राज्य सी०बी०आई के माध्यम से

Cr. M.P. No. 1579 of 2017. Decided on 19th December, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 120B, 420, 467, 468 एवं 471–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 482–षडयन्त्र, छल एवं कूटरचना–अपराध का संज्ञान–याची मूलतः षडयन्त्र के व्यापक कोण का भाग अभिकथित किया गया है–इस चरण पर षडयन्त्र के कोण और ऐसे षडयन्त्र में याची की सह-अपराधिता अथवा क्या वह षडयंत्र का सहायक मात्र था के संबंध में विनिश्चित करना समयपूर्व होगा–चालानों का दुरुपयोग याची एवं एक अन्य कर्मचारी से उद्भूत हुआ और इस चरण पर संपूर्ण घटना में याची की सटीक भूमिका के बारे में अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है–याची को अग्रिम जमानत प्रदान किया गया–जमानत के प्रदान और कार्यवाही के अभिखंडन को शासित करने वाले विचार अथवा सिद्धांत सुभिन्न एवं भिन्न हैं और वे अतिव्याप्त नहीं होते हैं–विचारण के आरंभ में अभियोजन रोका जाना जब याची की अंतर्ग्रस्तता अथवा अन्यथा स्थापित करने के लिए षडयन्त्र का कोण विचारण के दौरान विच्छेदित किया जा सकता है, विधि की दृष्टि में अनुज्ञेय कभी नहीं है–आवेदन खारिज किया गया।

(पैराएँ 6 से 9)

निर्णयज विधि.–1999(5) SCC 253—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Rohit Ranjan Sinha, For the Petitioner; Mr. K.P. Deo, For the C.B.I.

आदेश

पक्ष सुने गए।

2. इस आवेदन में याची ने विद्वान सब डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी–सह–विशेष न्यायिक दंडाधिकारी, सी०बी०आई०, राँची द्वारा पारित दिनांक 13.2.2013 के आदेश जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120B, 420, 467, 468 एवं 471 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है सहित आर०सी०केस सं० 7(S)/2010-AHD-R के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि अभियोजन ने ऐसे अभिकथित दांडिक षडयन्त्र में कोई भी भूमिका नहीं बताया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची मेसर्स रून्टा माइन्स लिमिटेड, घाटकुरी के कार्यालय में लिपिक मात्र था और उपयोग के प्रयोजन से निकेश कुमार सिन्हा एवं धर्मेन्द्र कुमार को कुछ चालान जारी किया था किंतु याची अवगत कभी नहीं था कि ऐसे जारी किए गए चालानों का उक्त व्यक्तियों द्वारा दुरूपयोग किया जाएगा। आगे निवेदन किया गया है कि अन्वेषण के क्रम में भी याची की सहअपराधिता का पता नहीं लगाया गया था सिवाए इस तथ्य के कि चालान जारी किए गए थे जिन्हें मेसर्स रून्टा माइन्स लिमिटेड के चालान निर्गमन रजिस्टर में प्रविष्ट भी किया गया था। यह निवेदन भी किया गया है कि याची की ओर से बेइमान आशय नहीं था और घेरती हुई परिस्थितियाँ भी याची के सोचे समझे षडयन्त्र का भाग होने को इंगित नहीं करती है, जिसके द्वारा राजकीय कोष को काफी क्षति हुई थी। विद्वान अधिवक्ता जोड़ते हैं कि मेसर्स रून्टा माइन्स लिमिटेड के प्रबंधन ने परिवहन चालान फॉर्म डी० से संबंधित स्थानीय पुलिस थाना में अनेक प्रतिवाद किया था और अंतत: मई 2010 में परिवहन चालानों के दुर्विनियोग/दुरुपयोग के लिए मेसर्स रून्टा माइन्स लिमिटेड के तीन कर्मचारियों के विरूद्ध विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चाइबासा के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया था किंतु उक्त परिवाद ने याची को अभियुक्त के रूप में सम्मिलित नहीं किया था और इसलिए याची की सह अपराधिता दर्शाते अपराध में फँसाने वाली किसी परिस्थिति की अनुपस्थिति में याची के विरूद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

4. दूसरी ओर, सी०बी०आई० के विद्वान अधिवक्ता श्री के०पी० देव ने याची द्वारा की गयी प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि अन्वेषण ने परिवहन चालान फॉर्म डी० के जारी करने के स्रोत के बारे में प्रकट किया था और याची की गैर–सह अपराधिता के संबंध में वर्तमान कार्यवाही में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि षडयन्त्र का कोण, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के अधीन अपराध गठित करते हुए याची के विरुद्ध अभिकथित किया गया है, पर केवल समुचित चरण पर विचार किया जाना होगा।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का मुख्य आधार यह प्रतीत होता है कि याची षडयंत्रकारियों में से एक कभी नहीं था जो ऐसे जारी किए गए चालानों के दुरुपयोग की ओर ले गया। यद्यपि, प्राथमिकी अपनी तह के भीतर चालानों का दुरुपयोग करने वाले अनेक अभियुक्तों को समाविष्ट करती है किंतु आरोप–पत्र में याची की भूमिका संख्या 9256201 से 9256300 एवं 11015444 से 11015500 के परिवहन चालानों को जारी करना है। अन्वेषण ने यह भी प्रकट किया कि मेसर्स रूंगटा माइन्स लिमिटेड ने परिवहन चालान फॉर्म डी० से संबंधित रिटर्न जिला खनन कार्यालय, चाइबासा में दाखिल नहीं किया

था बल्कि इसके बजाए अपने तीन कर्मचारियों के विरुद्ध दांडिक परिवाद दाखिल करने का सहारा लिया था।

6. याची को मूलत: षडयन्त्र के व्यापक कोण के भाग के रूप में अभिकथित किया गया है। षडयन्त्र का सिद्धांत अत्यन्त सारगर्भित रूप से **राज्य बनाम नलिनी 1999(5) SCC 253,** में स्पष्ट किया गया है जिसमें मोटे सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप से प्रतिपादित किया गया था:–

^^583- "kM;U= dh fofèk dk 'kkfIr dju oky dN ekV fl)krk dk lf{kIr fd;k tk ldrk g ;|fi] tIk uke foof{kr djrk g] lkj l{ki fl)krk ij lokxi.k ugh gk ldrk gA

1- HkkO n0 lO dh èkkjk 120A d vèkhu nkfMd "kM;U= dk vijkèk rc fd;k tkrk g tc nk vFkok vfèkd 0;fDr voèk dR; vFkok voèk lkèkuk }kjk fofèkd dR; dju vFkok fd, tku d fy, lger gkr gA tc ;g voèk lkèkuk }kjk oèk dR; g] iR;{k dR; vko';d gA nkfMd "kM;= dk vijkèk lkekU; fofèk d ifr viokn g tgk doy vk'k; vijkèk xfBr ugh djrk gA ;g vijkèk dju dk vk'k; vkj ogh vk'k; j[ku oky 0;fDr;k d lkFk gkFk feykuk gA doy vk'k; ugh cfYd vk'k; dk mí'; ijk dju d fy, djkj gkuk gkxk tk vijkèk gA fdlh ekeyk e fopkj fd, tku d fy, i'u ;g g fd D;k leLr vfHk;Drk dk vk'k; Fkk vkj D;k o lger g, Fk fd vijkèk fd;k tk,A "kM;U= d vijkèk d fy, ;g i;kIr ugh gkxk tc dN vfHk;Drk u doy bPNk j[kk Fkk] pkg ;g fdruk Hkh t?kU; D;k u gk] fd vijkèk fd;k tk,A

2- "kM;U= d mí'; dh ikfIr d i'pkrorh dR; ;g fl) dju dh iofÙk j[k ldr g fd vfHk;Dr fo'k"k "kM;U= dk i{k FkkA tc ,d ckj "kM;U= dk mí'; ikIr fd;k tkrk g] dkb i'pkrorh dR; tk fofèk fo:) gk ldrk g] vfHk;Dr dk "kM;U=k dk Hkkx ugh cuk,xk tIk Qjkj dk vkJ; nukA

3- "kM;U= vdy e vFkok xIrrk e jpk tkrk gA iR;{k lk{; }kjk "kM;U= LFkkfir djuk fojy gh lHko gA lkekU;r% "kM;U= dk vfLrRo ,o bldk mí'; nkuk ifjfLFkfr;k ,o vfHk;Dr d vkpj.k l fu"df"kr fd;k tkuk gkxkA

4- mnkgj.kLo:i] "kM;U=dkfj;k dk J[kykc) fd;k tk ldrk g& A B dk ukekfdr djrk g] B C dk ukekfdr djrk g] vkfn bR;kfn(vkj leLr ,dy "kM;U= d lnL; gkx ;fn o ,lk dju dk vk'k; j[krk g vkj lger gkr g ;|fi iR;d lnL; doy ml 0;fDr dk tkurk g ftlu ml ukekfdr fd;k Fkk vkj ml 0;fDr dk ftldk mlu ukekfdr fd;kA vEcyk&Likd idkj dk ukekdu gk ldrk g tgk dn e ,dy 0;fDr ukekfdr djrk g vkj vU; leLr lnL; ,d&nlj l vutku g ;|fi o tkur g fd vU; lnL; gk ldr gA ;fl)kr g vkj 0;ogkj e ;g dguk ef'dy gk ldrk g fd ekeyk fo'k"k e dku lk "kM;U= fdl dkfV e vkrk gA fdr ;g vfr0;kIr Hkh gk ldrk gA fdr rc oreku vkil fgr gkuk gkxkA 0;fDr ,dy "kM;U= d lnL; gk ldr g ;|fi iR;d db vU; dh igpku l vufHkK g ftudh fHkUu Hkfedk gk ldrh gA ;g "kM;U= d vijkèk dk Hkkx ugh g fd leLr "kM;=dkfj;k dk ,d gh vFkok lfØ; fuHkku d fy, lger gkuk vko';d gA

5- tc nk vFkok vfèkd 0;fDr "kM;U= dk vijkèk dju d fy, lger gkr g rc bldh dkfjrk d fy, fdlh ;ktuk dk cuku vFkok fopkj dju dk è;ku

e fy, fcuk vkj bl rF; d ckotn fd viuk lkekU; i;ktu ijk dju d fy, ,l fdlh 0;fDr }kjk dne ugh mBk;k tkrk g] iR;d 0;fDr tk djkj l tMrk g }kjk vijkèk fd;k tkrk gA bl idkj] nk "kM;U=dkfj;k dk gkuk gkxk vkj mll vfèkd Hkh gk ldr gA "kM;= dk vkjki fl) dju d fy, ;g vko';d ugh g fd vk'kf;r vijkèk fd;k x;k Fkk ;k ughA ;fn fd;k x;k Fkk] ;g vkx "kM;U= dk vkjki fl) dju d fy, vfHk;ktu dh enn dj ldrk gA

6- ;g vko';d ugh g fd leLr "kM;=dkjh dk ,d gh le; ij lkekU; i;ktu d ifr lger gkuk pkfg,A o vk'kf;r mí'; d vkjHk d igy fdlh le; ij vU; "kM;=dkfj;k d lkFk tM ldr g vkj leLr leku :i l ftEenkj gA iR;d "kM;=dkjh dk D;k Hkfedk fuHkkuh g] vFkok rF; fd dc "kM;=dkjh "kM;= l tMk vkj dc og pyk x;k] iR;d dk Kkr ugh gk ldrk gA

*7- "kM;= dk vkjki vfHk;Dr ij ifrdyrk dkfjr dj ldrk g D;kfd ;g mudk l;Dr fopkj.k d fy, etcj djrk g vkj U;k;ky; iR;d vfHk;Dr d fo:) lk{; d li.k ifjek.k ij fopkj dj ldrk gA vfHk;ktu dk u doy ;g n'kku d fy, lk{; iLrr djuk gkxk fd iR;d vfHk;Dr dk "kM;U= d mí'; dh cfYd djkj dh Hkh tkudkjh g "kM;U= d vkjki e U;k;ky; dk Lo; dk vfHk;Dr d ifr vufprrk d [krjk d fo:) lrd jguk gkxkA dN d fo:) lk{; dh ij%LFkkiuk dk ifj.kke leLr dh nk"kfl) e gk ldrk g ftll cpk tkuk gA "kM;= e lk{; d ekè;e l] tk fdlh vU; lkjoku vijkèk d fopkj.k e vU;Fkk vxkg; g] vfHk;ktu vfHk;Dr dk u doy Lo; "kM;U= e cfYd vfHkdfFkr "kM;=dkfj;k d lkjoku vijkèk e Hkh vkfylr dju dk i;kl djrk gA "kM;U= d iR;d lnL; d lVhd ;kxnku dk irk yxkuk lno ef'dy g fdr rc "kM;U= d vijkèk l vkjkfir iR;d vfHk;Dr d fo:) rdi.k ,o fo'okl kRikn lk{; gkuk gkxkA tlk fo}ku U;k;kèkh'k g.M }kjk lif{kr fd;k x;k g ^^;g lfHkUurk vkt egRoi.k g tc db vfHk;ktd "kM;U= d tky d Hkhrj mu leLr tk e[; vijkfèk;k d lkFk fdlh Hkh fMxh e tM jg g dk [khp yuk bfllr djr gA**

8- tlk mij dFku fd;k x;k g] fofèk fo:) djkj vkj u fd bldh ikflr "kM;U= d vijkèk dk lkj gA nkfMd "kM;U= dk vijkèk ijk gkrk g ;|fi lkèkuk ftld }kjk i;ktu iklr fd;k tkuk g d ifr djkj ugh gA fofèk fo:) djkj "kM;U= d vijkèk dk eykèkkj gA fofèk fo:) djkj tk "kM;U= d rY; g d vkipkfjd vFkok vfHk0;Dr gku dh vko';drk ugh g fdr ;g ifjfLFkfr;k e vrfufgr gk ldrk g vFkok bll fu"df"kr fd;k tk ldrk g] fo'k"kr% "kM;=dkfj;k d ?kk"k.kkvk] dR;k vkj vkpj.k l bld leLr i{kk }kjk ,d gh le; ij djkj dju dh vko';drk ugh g fdr "kM;U= e mud tMu dk lkf{;r dju oky@Li"V cuku oky i'pkrorh dkjokb;k }kjk bl ij igpk tk ldrk gA

9- ;g dgk x;k g fd nkfMd "kM;U= vijkèk e Hkkxhnkjh g vkj iR;d "kM;U= e lkekU; ;ktuk dk vxlj dju d fy, l;Dr vFkok vkilh ,tUlh gkrh gA bl idkj] ;fn nk vFkok vfèkd 0;fDr "kM;U= djr gA djkj d vulj.k e mue l fdlh d }kjk fd;k x;k dkb dR;] fofèk d vuè;ku e] mue l iR;d }kjk fd;k x;k dR; g vkj o l;Dr :i l mld fy, ftEenkj gA bldk vFk g fd lkekU; i;ktu dk vxlj vFkok fu"ikfnr dju e "kM;=dkfj;k e l fdlh d }kjk dgh] fy[kh vFkok dh x;h iR;d pht mue l iR;d }kjk

dgh] fy[kh vFkok dh x;h le>h tkrh gA vkj ;g l;Dr ftEenkjh u doy ml rd ftl "kM;U=dkfj;k e l fdlh d }kjk ey djkj d vulj.k e fd;k x;k g cfYd ey i;ktu d vku"kfxd rFkk bl mnHkr gku oky lkEikf'od dR;k rd Hkh foLrkfjr gkrh gA fdr "kM;=drk "kM;U= dh lekfIr d ckn lg&"kM;=drk }kjk fd, x, dR;k d fy, ftEenkj ugh gA u; lnL; }kjk "kM;= dk l;ktu u;k "kM;U= lftr ugh djrk g vkj u gh ;g vU; "kM;=drkvk d ntk dk ifjofrr djrk g vkj rF; ek= fd "kM;=drk 0;fDrxr :i l vFkok leg e lkekU; mí'; d ifr fofHkUu VkLd dk ikyu djr g] "kM;= dk vud fofHkUu "kM;=k e iFkd ugh djrk gA

10- dkb 0;fDr 'kCn vFkok de }kjk "kM;U= l tM ldrk gA fdr] "kM;= d fy, nkfMd ftEenkjh fo|eku "kM;U= dh vkj mnklhu jo;k ek= l dN vfèkd vko';d cukrh gA dkb tk "kM;U= dh tkudkjh d lkFk iR;{k dR; djrk g] nk"kh gA vkj dkb tk eku :i l "kM;U= d mí'; d ifr lgefr nrk g vkj vU; "kM;=drkvk d lkFk tkrk g] oLrr% MVk jgrk g tcfd vU; "kM;U= dk iHkko nr g] nk"kh g] ;|fi og vijkèk e lfoQ; Hkkx yu dk vk'k; ugh j[krk gA**

7. इस चरण पर षडयन्त्र के कोण और ऐसे षडयन्त्र में याची की सह-अपराधिता अथवा क्या वह षडयन्त्र का सहायक मात्र था के संबंध में विनिश्चय करना समयपूर्व होगा। चालानों का दुरुपयोग याची से और मेसर्स रूंगटा माइन्स लिमिटेड के एक अन्य कर्मचारी से उद्भूत हुआ और इसलिए इस चरण पर, संपूर्ण घटना में याची की सटीक भूमिका अभिनिश्चित नहीं की जा सकती है।

8. याची को इस न्यायालय द्वारा ए०बी०ए०सं० 361 वर्ष 2016 में अग्रिम जमानत प्रदान किया गया था और संपूर्ण दांडिक अभियोजन के अभिखंडन के लिए प्रार्थना करते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस पर काफी जोर दिया गया है। जमानत प्रदान और कार्यवाही के अभिखंडन को शासित करने वाले विचार अथवा सिद्धांत सुभिन्न एवं भिन्न है और वे अतिव्याप्त कभी नहीं हो सकते हैं। विचारण के आरंभ में ही अभियोजन में बाधा डालना, जब याची की अंतर्ग्रस्तता अथवा अन्यथा स्थापित करने के लिए केवल विचारण के दौरान षडयन्त्र का कोण का सूक्ष्म परीक्षण किया जा सकता है, विधि की दृष्टि में अनुज्ञेय कभी नहीं है।

9. यहाँ उपर की गयी चर्चा के समेकित परिणामस्वरूप यह आवेदन विफल होता है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; chñ chñ exyefr] U;k;efr

संजीव कुमार

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. No.151 of 2009. Decided on 8th December, 2017.

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881–धारा 138–भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 406 एवं 420–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 482–चेक का अनादर–न्यास का दांडिक भंग एवं छल–परिवाद याचिका की खारिजी–वर्तमान मामला में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध गठित करने की शर्तें परिपूर्ण नहीं की गयी हैं भले ही तिथियाँ चेक के

पश्चातवर्ती अनादर से गिनी जाती हैं-जाँच गवाहों से न्यायालय ने किसी किराया करार की अनुपस्थिति में और/अथवा मूल चेक जिसका अनादर बैंक द्वारा किये जाने का दावा किया गया है की अनुपस्थिति में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 एवं 420 के संबंध में कोई अवयव नहीं पाया है–आवेदन खारिज किया गया। (पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–2013(10) SCC 568—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Madhulika Dasgupta, Rajesh Kumar, For the Petitioner; Mr. Mukesh Kumar, For the State.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान ए०पी०पी० सुने गए।

2. वर्तमान आवेदन सी०पी० केस सं० 1780 वर्ष 2007 में रमाकांत मिश्रा, न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद के न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा न्यायालय ने परिवाद याचिका जिसे परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन तथा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 एवं 420 के अधीन भी दाखिल किया गया था को खारिज किया है, को संपुष्ट करते हुए पुनरीक्षण खारिज करते हुए दांडिक पुनरीक्षण सं० 155 वर्ष 2008 में सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 9.7.2008 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि परिवादी ने अपना बैंक मोड़, धनबाद अवस्थित परिसर अभियुक्त कृषेन्दु कुमार चटर्जी को जनवरी, 2006 से 3500/- रुपया मासिक किराया पर दिया है। अभियुक्त ने जनवरी, 2006 के लिए अग्रिम के रूप में 3500/- रुपयों का भुगतान किया और तत्पश्चात अपने परिवार के साथ परिसर में रहने लगा। बाद में, अभियुक्त ने मासिक किराया का भुगतान नहीं किया था और अनेक अनुरोधों पर किराया के बकाया के भुगतान के विरूद्ध परिवादी को भुगतेय 1.7.2006 को आई०डी०बी०आई० बैंक का 20,000/- रुपयों के लिए चेक सं० 231164 जारी किया। आगे मामला यह है कि उक्त चेक पृष्ठांकन 'अपर्याप्त निधि' के साथ बिना भुगतान किए वापस लौटाया गया था। तत्पश्चात, परिवादी ने अभियुक्त को सूचित किया जिसने नगद में किश्तों में चेक राशि का भुगतान किया। बाद में परिसर का किराया जनवरी 2007 से 4000/- रुपया प्रतिमाह तक बढ़ाया गया था जैसा पक्षों द्वारा सहमत हुआ गया था। अभियुक्त ने पुनः परिवादी के पक्ष में 45,000/- रुपयों के लिए आई०डी०बी०आई० बैंक का दिनांक 15.5.2007 का चेक सं० 103741 जारी किया जब यह चेक परिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसे पुनः 19.5.2007 को पृष्ठांकन 'अपर्याप्त निधि' के साथ भुगतान किए बिना वापस लौटाया गया था। चूँकि अभियुक्त को जानकारी थी कि उसके बैंक खाता में शेष नहीं था और न ही उसने चेक के आदर के लिए कोई कदम उठाया है और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन यथाआवश्यक भुगतान का व्यवस्था किया, अतः उसने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन तथा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 एवं 420 के अधीन भी अपराध किया है। अभियुक्त को सम्यक रूप से चेक के अनादर के बारे में सूचित किया गया था जिस पर अभियुक्त ने आश्वासन दिया कि बैंक के समक्ष इसकी प्रस्तुती पर इसका सकारात्मक रूप से भुगतान किया जाएगा। उसके आश्वासन पर, परिवादी ने पुनः बैंक के समक्ष इसी चेक को प्रस्तुत किया किंतु पुनः इसे 28.6.2007 को भुगतान किए बिना वापस लौटाया गया था। तत्पश्चात, परिवादी ने दिनांक 26.7.2007 के नोटिस के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से मांग नोटिस तामील किया जिसे कूरियर द्वारा भेजा गया

था। मांग नोटिस की प्राप्ति के बाद, अभियुक्त परिवादी के पास गया और एक सप्ताह के भीतर यथासंभव अनादरित चेक की राशि का भुगतान करने का वादा किया, अत: परिवादी ने भुगतान की प्रतीक्षा किया। अभियुक्त ने समय लिया किंतु समस्त दायित्वों एवं ऋण से इनकार करते हुए नोटिस का उत्तर भी दिया। अभियुक्त ने केवल विलंब कारित करने और परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन दाखिल किए जाने वाले किसी दांडिक मामला से बचने के प्रयोजन से झूठा वादा किया। अभियुक्त का आशय दोषपूर्ण लाभ प्राप्त करना तथा परिवादी को दोषपूर्ण हानि कारित करना था। चूँकि अभियुक्त ने किराया राशि का दुर्विनियोग किया है, उसने न्यास का दांडिक भंग किया है और इसलिए परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन एवं भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 एवं 420 के अधीन अपराध किया। अत:, परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों के अधीन संज्ञान लेने की प्रार्थना की गयी थी क्योंकि संज्ञान लिया जाना परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142(b) के अधीन स्पष्टीकरण के मुताबिक वर्जित नहीं है।

4. याची के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दंडाधिकारी के न्यायालय ने अनादर की प्रथम तिथि अर्थात 19.5.2007 पर विचार किया है और 30 दिनों की अवधि गिना है और पाया है कि परिवादी द्वारा जारी दिनांक 26.7.2007 की नोटिस 30 दिनों की विहित अवधि के काफी परे थी, अत: उन्होंने अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन समन करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया है। उन्होंने यह निवेदन भी किया कि दंडाधिकारी के न्यायालय ने विचार में नहीं लिया है कि उसी चेक को बाद में बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे पुन: 28.6.2007 को अनादरित किया गया था और तिथि चेक के पश्चातवर्ती अनादर से गिनी जानी चाहिए थी। उन्होंने **एम०एस०आर० लेदर्स बनाम एस० पलानीअप्पन एवं एक अन्य, 2013(10) SCC 568** में निर्णय पर विश्वास किया जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चेक के पश्चातवर्ती प्रस्तुती से उद्भूत होने वाले वाद हेतुक के आधार पर अभियोजन मान्य है जब तक धारा 138 के अधीन उल्लिखित शर्तें पूरी की जाती है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि दंडाधिकारी के न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 एवं 420 के अधीन अभिकथनों पर भी विचार नहीं किया है। अंत में, उन्होंने निवेदन किया कि पुनरीक्षण न्यायालय ने भी चेक के अनादर की पश्चातवर्ती तिथि पर विचार नहीं किया है और केवल यह विचार किया है कि नोटिस इस सूचना कि चेक को भुनाया नहीं गया था की तिथि से दो माह बाद नोटिस दिया गया था। पुनरीक्षण न्यायालय ने यह भी विचार किया है कि चूँकि परिवाद याचिका में नोटिस देने में विलंब की माफी के लिए प्रार्थना नहीं की गयी थी अथवा सांविधिक अवधि के बाद नोटिस देने के लिए युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था और परिवाद याचिका के पैरा 11 के मुताबिक अभियुक्त द्वारा जारी मूल चेक आवेदक द्वारा खो दिया गया है और केवल चेक की जीरोक्स प्रति प्रस्तुत की गयी थी, पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिया गया था।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए०पी०पी० ने निवेदन किया कि **एम०एस०आर० लेदर्स बनाम एस० पलानी अप्पन एवं एक अन्य मामला (ऊपर)** इस मामला में प्रयोज्य नहीं है क्योंकि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन संगणित तीन शर्तें परिपूर्ण नहीं की गयी हैं क्योंकि चेक के अनादर की पश्चातवर्ती तिथि अर्थात 28.6.2007 सम्मिलित करने के बाद भी परिवाद याचिका सांविधिक अवधि के परे दाखिल की गयी थी और तीन माह के विलंब के बाद अर्थात 26.10.2007 को दाखिल की गयी थी। अत:, शर्तें परिपूर्ण नहीं की गयी थीं। न्यायालय के प्रश्न के उत्तर में परिवादी ने स्वीकार किया कि चेक पहली बार अनादृत होने के बाद उसने वकालतन नोटिस नहीं दिया है। उसने चेक दूसरी बार अनादृत होने के बाद नोटिस भेजा था। उन्होंने आगे निवेदन किया कि किराया करार निष्पादित नहीं किया गया था और मूल चेक खो दिया गया था, अत: उसने न्यायालय में चेक की छाया प्रतिलिपि प्रस्तुत किया है। विद्वान ए०पी०पी० ने इंगित किया कि उसने परिवाद याचिका के पैरा 11 के समर्थन में अभिसाक्ष्य नहीं दिया है जहाँ यह उल्लेख किया गया है कि उसने स्थानीय पुलिस को लिखित में सूचित

किया था और इसके समर्थन में उसने मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है। अंत में, उन्होंने निवेदन किया है कि इन कारणों से उसकी प्रार्थना दोनों अवर न्यायालयों द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

6. पक्षों के उक्त निवेदनों पर विचार करते हुए और इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध सामग्री और **एम०एस०आर० लेदर्स (ऊपर)** के निर्णयाधार के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि प्रथम अवसर पर चेक अनादृत होने की तिथि 19.5.2007 थी और द्वितीय अवसर पर वही चेक 28.6.2007 को अनादृत हुआ था जबकि नोटिस 26.7.2007 को जारी किया गया था और अंततः परिवाद याचिका 26.10.2007 को दाखिल की गयी थी। **एम०एस० आर० लेदर्स मामला (ऊपर)** में पैराग्राफ 6 में न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:-

"6. rnu lkj] ekeyk ogr ihB d le{k çLrr fd;k x;k FkkA mDr ç'u dk fofuf'pr djr g, ekuuh; U;k;kèkh'kk u xkj fd;k fd èkkjk 138 dk ijUrd fuEufyf[kr rhu lfHkUu ijkHkk0; 'krk dk vucfèkr djrk g] ftudk pd d vuknj dk vijkèk xfBr dju vkj nMuh; cuu d igy Li"V djuk gkxkh&

*^^12. ..... çFke 'kr ;g g fd pd dk ml frfFk ftl ij bl fn;k x;k g l Ng ekg dh vofèk d Hkhrj vFkok bldh oèkrk dh vofèk d Hkhrj] tk Hkh igy gk] cd dk çLrr fd;k tkuk pkfg, FkkA nljh 'kr ;g g fd iku oky vFkok èkkjd dk] ;FkkfLFkfr] pd u lE;d Øe e Hkxrku ugh fd, x, d :i e pd dh oki lh d lcèk e cd l mld }kjk lpuk dh çkfIr d rhl fnuk d Hkhrj pd d y[khoky dk fyf[kr e ukfVl ndj èku dh mDr jkf'k dk Hkxrku dju d fy, ekx djuk pkfg,A rhljh 'kr ;g g fd ,l pd d y[khoky dk mDr ukfVl dh çkfIr d ing fnuk d Hkhrj pd d lE;d Øe e iku oky vFkok èkkjd dk] ;FkkfLFkfr] èku dh mDr jkf'k dk Hkxrku dju e foQy gkuk pkfg, Fkk------- (SCC i"B 188, ijk 12--------A***

*bu rhuk 'krk dk ifji.k fd;k tkuk èkkjk 138 d vèkhu vijkèk xfBr djrk g vkj rc ;g dgk tk ldrk g fd mDr èkkjk d vèkhu vijkèk pd tkjh dju oky 0;fDr }kjk fd;k x;k gA ***

7. न्यायालय ने पाया है कि इन समस्त तीनों शर्तों की परिपूर्ति परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध गठित करती है और वर्तमान मामले में इन तीन शर्तों को परिपूर्ण नहीं किया गया है भले ही तिथियाँ चेक के पश्चातवर्ती अनादर से गिनी जाती है। जाँच गवाहों से न्यायालय ने किसी किराया करार की अनुपस्थिति में और/अथवा मूल चेक जिसके बैंक द्वारा अनादर किए जाने का दावा किया गया है की अनुपस्थिति में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 एवं 420 के संबंध में अवयव नहीं पाया है।

8. उक्त परिस्थितियों में और उक्त चर्चा की दृष्टि में वर्तमान आवेदन खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

जिया राम मरांडी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Cr. Revision No. 1080 of 2013. Decided on 19th December, 2017.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 203–परिवाद की खारिजी–दंडाधिकारी को मामले के गुणों-अवगुणों पर विस्तृत चर्चा नहीं करना है जो दंडाधिकारी द्वारा किया गया है–दंडाधिकारी मामले में अभियुक्त के विरूद्ध आगे अग्रसर होने के लिए स्वयं को प्रथम दृष्टया संतुष्ट करने के लिए आपराधिकता की उपस्थिति पर विचार करने के लिए आवश्यक मापदंडों के परे गए हैं–ऐसी परिस्थितियाँ विधि की दृष्टि में आक्षेपित आदेश को असंपोषणीय बनाती है और इसे एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है और विधि के अनुरूप और परिवाद मामला पर विचार किए जाने को शासित करने वाले सिद्धांतों के अनुरूप नया आदेश पारित करने के लिए मामला अवर न्यायालय को वापस भेजा गया। (पैराएँ 8 एवं 9)

निर्णयज विधि.–(2013) 14 SCC 44—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Deepak Kumar, For the Petitioner; A.P.P., For the State; Mr. K.P. Deo, For the O.P. Nos. 2 to 6.

आदेश

पक्ष सुने गए।

2. यह आवेदन पी०सी०आर० सं० 387 वर्ष 2017 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, मधुपुर द्वारा पारित दिनांक 19.8.2013 के आदेश के विरूद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा परिवाद याचिका दं०प्र०सं० की धारा 203 के अधीन खारिज की गयी है।

3. यह अभिकथित किया गया है कि 24.11.2016 को परिवादी का बयान दर्ज किया गया था, जिसपर यू०डी० केस सं० 8 वर्ष 2006 संस्थित किया गया था। जाँच के अनुक्रम में, परिवादी ने प्रकट किया कि 20.11.2006 को रात्रि लगभग 9 बजे उसका छोटा पुत्र मनोज मरांडी पालाजोरी प्रखंड के परिसर में आदिवासी संस्कृति प्रोग्राम में भाग लेने गया था। परिवादी का पुत्र नहीं लौटा था और 24.11.2006 को परिवादी ने अफवाह सुना कि पालाजोरी प्रखंड नर्सरी के निकट कुआँ में मृत शरीर पड़ा है। परिवादी गया और मृत शरीर को अपने पुत्र मनोज मरांडी के रूप में पहचाना। उसने संदेह किया कि यह दुर्घटनावश मृत्यु थी क्योंकि कुआँ पर चारदीवारी नहीं थी। चूँकि शव परीक्षण रिपोर्ट के परिशीलन से पता चला कि मृत्यु उपहतियों एवं आघात के कारण कारित हुई थी, इसे मानव वध मृत्यु होने का मत दिया गया था और इसलिए पालाजोरी पी०एस० केस सं० 14 वर्ष 2007 संस्थित किया गया था। अन्वेषण के बाद, केवल मैनेजर हेम्ब्रम के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और वि०प० सं०2 से 6 को विचारण के लिए भेजा नहीं गया था। इस पर, परिवादी द्वारा विरोध याचिका दाखिल की गयी थी जिसे पी०सी०आर० केस सं० 387 वर्ष 2012 के रूप में दर्ज किया गया था, जिसमें यह अभिकथित किया गया था कि मैनेजर हेम्ब्रम ओ०पी०सं० 2 से 6 के साथ मृतक मनोज मरान्डी को अपने साथ ले जाना चाहता था किंतु सुहागिन सोरेन तथा मालती मरान्डी द्वारा उन्हें रोका गया था। अभिकथन किया गया है कि उन्होंने मैनेजर हेम्ब्रम को मृतक मनोज मरान्डी को अपने साथ मोटरसाइकिल पर ले जाता हुआ देखा गया था और शेष पाँच अभियुक्त दो अन्य मोटरसाइकिल पर उक्त मोटरसाइकिल के पीछे गए थे। परिवादी ने सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान पर परीक्षण किए जाने के अतिरिक्त तीन गवाहों को भी प्रस्तुत किया था जिनका जाँच के क्रम में परीक्षण किया गया था और तत्पश्चात दिनांक 19.8.2013 के आदेश के तहत विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, मधुपुर ने दं०प्र०सं० की धारा 203 के अधीन परिवाद याचिका खारिज कर दिया था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने दं०प्र०सं० की धारा 203 के अधीन परिवाद याचिका खारिज करते हुए मामले के संपूर्ण पहलूओं पर विस्तार से

चर्चा करने में विधि की गलती किया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि परिवाद मामला आरंभ करने के चरण पर विचारण हेतु अग्रसर होने के लिए केवल प्रथम दृष्टया संतुष्टि आवश्यक है और न कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर समग्र चर्चा। यह निवेदन भी किया गया है कि न्यायालय इस तथ्य से अनजान प्रतीत हुआ कि वि०प० सं० 2 से 6 के भाग्य पर लगभग अंतिम निर्णय दिया जाना समयपूर्व था जो विधि की दृष्टि में अनुज्ञेय नहीं था, अत: दिनांक 19.8.2013 का आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

5. वि०प० सं० 2 से 6 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि वि०प० सं० 2 से 6 को भूमि विवाद के कारण अलिप्त किया गया था।

6. यह निवेदन किया गया है कि अन्वेषण के बाद पुलिस ने केवल मैनेजर हेम्ब्रम के विरूद्ध और न कि अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध मामला सत्य पाया था और सही प्रकार से फाइनल फॉर्म दाखिल किया था। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता की खारिजी के लिए प्रार्थना करते हैं।

7. दिनांक 19.8.2013 का आक्षेपित आदेश मामले के पक्ष-विपक्ष पर विस्तृत चर्चा करता प्रतीत होता है मानो विद्वान विचारण न्यायालय विचारण के बाद वि०प० सं० 2 से 6 की निर्दोषिता अथवा अन्यथा पर विचार कर रहा हो। परिवाद याचिका विनिर्दिष्टत: वि०प० सं० 2 से 6 द्वारा मैनेजर हेमब्रम जिसपर मृतक मनोज मरांडी सवार था के पीछे जाने के बारे में प्रकट करती है।

8. फियोना श्रीखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य, (2013)14 SCC 44, में, जो आदेशिका जारी किए जाने के चरण एवं आरंभिक विचार जो उस चरण पर किया जाना है केस संबंध में था, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:-

> *^^11- gekjk ljkdkj bl ekeyk e doy bl i'u d lkFk g fd D;k ifjokn d iBu ij nMkfèkdkjh }kjk vknf'kdk tkjh fd, tku vFkok ugh fd, tku d fy, iFke n"V;k ekeyk cuk;k x;k gA nkfMd ekeyk e vknf'kdk tkjh fd, tku d lcèk e fofèk lLFkkfir gA ifjokn d pj.k ij] nMkfèkdkjh dk ljkdkj doy ifjokn e fd, x, vfHkdFkuk d lkFk g vkj mUg doy iFke n"V;k lr"V gkuk gkxk fd D;k vfHk;Dr d fo:) vxlj gku d fy, i;kIr vkèkkj g vkj ekey d x.kk&vox.kk ij foLrr ppk e fopkj djuk nMkfèkdkjh d {k= e ugh gA èkkjk 202 d vèkhu tkp dh xtkb'k bl vFk e vR;Ur lhfer g fd nMkfèkdkjh l bl pj.k ij ifjokn e fd, x, vfHkdFkuk dh lR;rk vFkok vlR;rk dk iFke n"V;k ijh{k.k dju dh mEehn dh tkrh gA nMkfèkdkjh l ekey d x.kk&vox.kk ij foLrr ppk dju dh mEehn ugh dh tkrh g] cfYd doy ifjokn e fn, x, c;ku ij idV vrfufgr vfèkIHkk0;rkvk ij fopkj djuk gA ux0ok cuke ohjkuk f'kofyxlik dkutyxh e bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd tc ,d ckj nMkfèkdkjh u er fufer dju e viu Lofood dk i;kx dj fy;k g fd dk;okgh dju dk vkèkkj g] mPprj U;k;ky; dk nMkfèkdkjh d Lofood d LFkku ij Lo; viuk Lofood ifrLFkkfir ugh djuk gA nMkfèkdkjh dk 'k) r# ifjokn d nf"Vdk.k l i'u fofuf'pr djuk gkxk] vfHk;Dr d fdlh cpko dk mYy[k fd, fcukA***

9. निर्देश के अधीन पूर्वोक्त निर्णय में यह उपदर्शित किया गया था कि दंडाधिकारी को मामले के गुणों-अवगुणों पर विस्तृत चर्चा नहीं करना है जैसा विद्वान दंडाधिकारी द्वारा किया गया है। विद्वान

दंडाधिकारी मामले में अभियुक्त के विरूद्ध आगे अग्रसर होने के लिए स्वयं को प्रथम दृष्टया संतुष्ट करने के लिए आवश्यक मापदंडों के परे जाते प्रतीत होते हैं। अतः ऐसी परिस्थितियाँ दिनांक 19.8.2013 के आक्षेपित आदेश को विधि की दृष्टि में असंपोषणीय बनाती है और इसे एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है और विधि के अनुरूप तथा परिवाद मामला पर विचार किए जाने को शासित करनेवाले सिद्धांतों जिन्हें पूर्ववर्ती पैराग्राफों में ध्यान में लिया गया है के अनुरूप नया आदेश पारित करने के लिए मामला विद्वान अवर न्यायालय के पास वापस भेजा जाता है।

10. यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; vuUr fct ; flg ,o chi chi exyefr] U;k;efrx.k

खलील मियाँ एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 491 of 2009. Decided on 9th December, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 95 वर्ष 2007 में श्री मोहम्मद कासिम, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ 9, गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 28.2.2009 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 4.3.2009 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 302/34 एवं 341/34–हत्या एवं दोषपूर्ण अवरोध–सामान्य आशय–आजीवन कारावास–अभियोजन मामला चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य द्वारा समर्थित एवं चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी संपुष्ट किया गया–अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता प्रतिवाद करते हैं कि अपीलार्थियों का मृतक की हत्या करने का आशय नहीं था–उन्हें जानकारी हो सकती थी क्योंकि उन्होंने केवल एक वार किया है–डॉक्टर के साक्ष्य के मुताबिक, उपहति प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है–इस तथ्य की दृष्टि में कि उन्हें जानकारी है कि प्रत्यक्ष कृत्य द्वारा व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, भा०दं०सं० की धारा 302/34, 341/34 के अधीन दोषसिद्धि भा०दं०सं० की धारा 304 भाग II में परिवर्तित एवं संपरिवर्तित की गयी और चूँकि वे 11 वर्षों से अधिक से अभिरक्षा में बने हुए हैं, अतः दंडादेश 10 वर्षों तक घटाया गया जो वे पहले ही भुगत चुके हैं–दंडादेश में उपांतरण के साथ अपील खारिज की गयी है। (पैराएँ 5 से 11)

अधिवक्तागण.–Mr. K.N. Roy, For the Appellants; Mr. Vijay Kumar Tiwari, For the State.

अनन्त बिजय सिंह, न्यायमूर्ति.–दो अपीलार्थियों ने वर्तमान अपील दाखिल किया है क्योंकि उन्होंने श्री मोहम्मद कासिम, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰9, गिरीडीह के न्यायालय के समक्ष सत्र विचारण सं॰ 95 वर्ष 2007 में विचारण का सामना किया है जिसमें दिनांक 28 फरवरी, 2009 के निर्णय के तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34, 341/34 के अधीन अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया और अपीलार्थियों को भा०दं०सं० की धारा 302/34 के अधीन कठोर आजीवन कारावास भुगतने और प्रत्येक को 2000/–रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान में व्यतिक्रम में एक माह का सामान्य कारावास भुगतने और भारतीय दंड संहिता की धारा 341/34 के अधीन अपराध के लिए एक माह का कारावास भुगतने का दंडादेश दिया और दोनों दंडादेश समवर्ती रूप से चलेंगे।

2. अपील 23.5.2009 को दाखिल की गयी थी और 6.7.2009 को अपील के मेमो की दाखिली में विलंब माफ किया गया था। अपील सुनवाई के लिए ग्रहण की गयी थी और अवर न्यायालय अभिलेख मंगाया गया था।

3. अभियोजन मामला जैसा 6.10.2006 को पूर्वाह्न 11.50 बजे ए०एस०आई० अस्कंध पाठक द्वारा दर्ज अब्बास मियाँ की पत्नी रेबुन बीबी (अ०सा० 7) के फर्दबयान के आधार पर सामने आया जिसमें अन्य बातों के साथ यह अभिकथन किया गया था कि 6.10.2006 को पूर्वाह्न लगभग 10.45 बजे किसी मंसूर मियाँ के घर के सामने सूचक की बकरी ने वन विभाग द्वारा निर्मित चबूतरा पर मूत्र त्याग किया जिस पर सूचक एवं अभियुक्त पुरुषों की पत्नियों के बीच गरमागरम बहस हुई। इस बीच, अब्बास मियाँ घटनास्थल पर आया और मामला शांत करने का प्रयास किया। यह अभिकथित किया गया है कि खलील मियाँ (अपीलार्थी सं०1) एवं मंसूर मियाँ (अपीलार्थी सं०2) घटनास्थल पर आए और सब्बल से अब्बास मियाँ के मस्तक पर प्रहार किया। जिसके परिणामस्वरूप वह जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया और उसके जख्मों से खून बहने लगा। हबीब घटना स्थल पर आया और मध्यक्षेप करने का प्रयास किया। यह अभिकथित किया गया है कि सूचक अब्बास को पुलिस थाना ले गया जहाँ से उसे घायल दशा में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था जहाँ पाँच दिन बाद उसकी मृत्यु हो गयी।

4. इस मामला में पुलिस ने अन्वेषण के बाद फाइनल फॉर्म और 6.10. 2006 को इन अपीलार्थियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341/34, 323/34 एवं 302/34 के अधीन आरोप दाखिल किया। मामला 24.2.2007 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और तत्पश्चात मामला अपर सत्र न्यायाधीश, गिरीडीह के न्यायालय को अंतरित किया गया था विचारण के दौरान, अभियोजन ने दस गवाहों का परीक्षण किया। अ०सा० 1 डॉ० मंजूरूल हसन हैं जो देवरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थापित थे और अब्बास मियाँ का परीक्षण किया था। अ०सा०2 हबीब मियाँ चश्मदीद गवाह है। अ०सा०3 एनुल अंसारी भी चश्मदीद गवाह है। अ०सा० 4 कमरूद्दीन अंसारी, अ०सा०5 गुलशन बीबी भी चश्मदीद गवाह है। अ०सा०6 मंजू खातून है। अ०सा०7 रेबुना बीबी सूचक एवं मृतक की पत्नी है। अ०सा०8 अहमद अंसारी है जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अ०सा०9 अस्कंध पाठक है जो इस मामले का आई०ओ० है जिसने अ०सा०7 का फर्दबयान दर्ज किया है और औपचारिक प्राथमिकी लिखा है जो प्रदर्श A है। अ०सा० 10 डॉ० ए० के० चौधरी है जो आर०आई०एम०एस० में न्यायालयिक औषधि विभाग में एसोशिएट प्रोफेसर के रूप में पदस्थापित थे और मृतक का शव परीक्षण किया था। बचाव ने भी ब०सा०1 साहेब राय का परीक्षण किया है।

5. अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने अ०सा०7 जो इस मामला की सूचक और मृतक अब्बास मियाँ की पत्नी है के साक्ष्य पर जोर देते हुए स्पष्टत: अभियोजन मामला का समर्थन किया है और निवेदन किया है कि खलील मियाँ (अपीलार्थी सं०1) ने सब्बल से प्रहार किया जिस पर उसने उपहति पाया और उसे इलाज के लिए अस्पताल निर्दिष्ट किया गया था जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी। यह साक्ष्य अ०सा०4 कमरूद्दीन अंसारी तथा अ०सा०2 हबीब मियाँ जो चश्मदीद गवाह है और अ०सा०3 एनुल अंसारी के साक्ष्य से समर्थित है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे अ०सा०1 डॉ० मंजूरूल हसन के साक्ष्य को निर्दिष्ट किया, जिन्होंने देवरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6.10.2006 को अब्बास मियाँ का परीक्षण किया है और निम्नलिखित उपहतियाँ पाया है:–

migfr lO 1&eLrd d ihN 2"×1/4"×1/4" dk vfLFk rd xgjk yky jx dk fonh.k t[eA

migfr lO 2&vxeLrd d eè; Hkkx ij 1"×1/4" dk vfLFk rd xgjk yky jx dk fonh.k t[eA

migfr lO 3&eLrd d eè; e 3" × 1/4", 2" × 1/4", 4" × 1/4" vkdkj dk rhu dh l[;k e × vkdkj e ijkbVy vfLFk d MhiLM ÝDpj d lkFk fonh.k t[eA leLr vfLFk rd xgj gA eLrd d ÝDpM ijkbVy vfLFk d vud VdMk e vfLFk ik;h x;h gA ,Dlj dh lykg nh x;hA

migfr lO 4&nk, gkFk d eè; ij 2" × 2" ltu d lkFk [kjkpA

,e0 1&1 Hkjk aila vxeLrd d eè; ijA

migfr dh vk; Ng ?kVk d Hkhrj gA

migfr lO 1 ,o 2 ljy idfr d gA migfr lO 3 xHkhj idfr dh g vkj migfr lO 4 ij er vkjf{kr j[kk x;k gA leLr migfr;k dM ,o HkkFkj inkFk }kjk dkfjr dh x;hA ejht dk vkj0 vkb0 ,e0 ,lO fufn"V fd;k x;kA

अ०सा०10 डॉ० ए० के० चौधरी जिन्होंने 12.10.2006 को मो० अब्बास के मृत शरीर का शव परीक्षण किया ने निम्नलिखित उपहतियाँ पाया:–

[kjkp&jy Vd

1- nk, Ldkiyj {k= ij 10 cm × 1 cm

2- Nkrh ,o iV d i"B Hkkx ij 30 cm × 1cm rFkk 30cm × 1cm.

3- Nkrh d nk, Hkkx d ihN 30 cm × 1cm.

4- Vkloly vofLFkr nkuk furc ij 15cm × 3cm vkdkj dk fonh.k t[e (v'kr% ,dhdr)

1- eLrd d ikVy {k= d nk, Hkkx ij 3cm × 1cm × lk¶V fV'kA

2- 7cm × 2cm rFkk 5cm × 1cm nkuk t[e eLrd d ck, ijkbVy {k= d ,Vhfj;j Hkkx ij xgjkA 7 cm x 5 cm eki dk efLr"d d {k= e ck; ijkbVy vfLFk d fMiLM ,o dkfeU;VM vfLFkHkx gvk Fkk ,o efLr"d dk Hkkx dVk Fkk ,o ef"r"d n0; fNUu Fkk] mDr vfLFkHkx ¼fMiLM dkfeU;VM½ d i'p&ikf'od gkf'k; l ikjHk gkdj ck; ijkbVy VEikjy vfLFk dk vfLFkHkx gvk Fkk ,o mDr fMiLM vfLFkHkx d fiNy gf'k; l ikjHk gkdj ck; ijkbVy vfLFk Hkx gvk FkkA efLr"d d ck; ÝkUVk ijkbVy xkykèk 5 cm x 3 cm x 1 cm ij jDr d FkDd rFkk lc&M;jy jDr dh mifLFkfr d lkFk nearth FkkA

er%&leLr migfr;k eR; io ,o dM ,o HkkFkj inkFk }kjk dkfjrA eR; eLrd migfr d dkj.kA eR; l 'koijh{k.k dk le; 6 l 24 ?kVkA ;g ih0 ,e0 fjikV v0 lk0 10 }kjk r;kj dh x;h ,o in'k 5 fpfUgr dh x;hA

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थियों का मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था, अत: यह भा०दं०सं० की धारा 304 भाग II के अधीन आता है। अपीलार्थीगण 11 वर्षों से अभिरक्षा में बने हुए हैं, अत: अपीलार्थियों का दंडादेश भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन से भा०दं०सं० की धारा 304 भाग II के अधीन संपरिवर्तित किया जा सकता है।

7. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए०पी०पी० ने तर्क के दौरान अ०सा० 9 अस्कंध पाठक जो इस मामले का आई०ओ० है के साक्ष्य को निर्दिष्ट किया है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 6.10.2006 को वह देवरी पी०एस० में पदस्थापित था और उसी दिन रेबुन बीबी (अ०सा० 7) पुलिस

थाना आयी। उसने पैरा 3 में कथन किया कि घटनास्थल में अंतर है जो अब्बास मियाँ (मृतक) के घर के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित चबूतरा के निकट है और चबूतरा के दक्षिण भाग में हबीब का घर एवं भूमि अवस्थित है। उसने आगे निवेदन किया है कि डॉक्टर ने उपहति चिन्हित किया है और उपहतियों के लिए तलब जारी किया जिसे प्रदर्श 4 चिन्हित किया गया है। अ॰सा॰ 6 मजनू खातून के कथन किया है कि खलील मियाँ ने सब्बल से मृतक पर प्रहार किया। अ॰सा॰7 रेबुना बीबी ने कथन किया है कि उसने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पक्षों के बीच भूमि विवाद चल रहा था। विद्वान ए॰पी॰पी॰ ने निवेदन किया है कि गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया है और इस दशा में अपील खारिज की जा सकती है।

8. पक्षों को सुनने के बाद और अभिलेख का परिशीलन करने पर एवं डॉ॰ए॰के॰ चौधरी अ॰सा॰10 के साक्ष्य जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया ने अपने मत में कहा कि मृतक द्वारा प्राप्त की गयी उपहतियाँ प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। अपने प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने कथन किया है कि उपहति कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी है। अ॰सा॰10 डॉ॰ए॰ के॰ चौधरी एवं अन्य चश्मदीद गवाहों अर्थात अ॰सा॰2 हबीब मियाँ, अ॰सा॰3 एनुल अंसारी एवं अ॰सा॰5 गुलशन बीबी के साक्ष्य का पठन भा॰दं॰सं॰ की धारा 300 को आच्छादित करती है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

*"rhljk&;fn og fdlh 0;fDr dk 'kkjhfjd {kfr dkfjr djus d vk'k; l fd;k x;k gk vkj og 'kkjhfjd {kfr] ftld dkfjr djus dk vk'k; gk] iÑfr d ekeyh vuØe e eR; dkfjr djus d fy, i;kIr gkA***

9. अपीलार्थियों के अधिवक्ता की ओर से किए गए निवेदन में बल है कि अपीलार्थियों का मृतक की हत्या करने का आशय नहीं है। उन्हें जानकारी हो सकती थी क्योंकि उन्होंने केवल एक वार किया है। डॉक्टर के साक्ष्य के मुताबिक, उपहति प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है।

10. इन्हें विचार में लेते हुए, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34, 341/34 के अधीन दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन इस तथ्य की दृष्टि में संपरिवर्तित की जाती है कि उन्हें जानकारी है कि प्रत्यक्ष कृत्य द्वारा व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है और वे 11 वर्षों से अधिक से अभिरक्षा में बने हुए है, अत: उनका दंडादेश 10 वर्षों तक घटाया जाता है जो वे पहले ही भुगत चुके हैं। दंडादेश केवल पूर्वोक्त सीमा तक उपांतरित किया जाता है।

11. परिणामस्वरूप, यह अपील दंडादेश में उपांतरण के साथ खारिज की जाती है और भा॰दं॰सं॰ की धारा 302 के अधीन अपीलार्थियों का दंडादेश भा॰दं॰सं॰ की धारा 304 भाग II के अधीन संपरिवर्तित किया जाता है और उन्हें उनके द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि का दंडादेश अधिनिर्णीत किया जाता है। उक्त नामित अपीलार्थीगण जो अभिरक्षा में हैं को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामला में उनकी आवश्यकता नहीं है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg ,o chñ chñ exyefr] U;k;efrx.k

विश्वराम ओझा

cuke

मेसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि॰ का प्रबंधन

L.P.A. No. 299 of 2009 [An appeal under Clause 10 of the Letters Patent]. Decided on 11th December, 2017.

(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947—धारा 2(S)—कर्मकार की सेवानिवृत्ति—यह सिद्ध करने का भार अपीलार्थी पर था कि वह कर्मकार था—कर्मकार अपने भार का निर्वहन करने में विफल रहा क्योंकि उसने अपने द्वारा पालन किए गए कर्तव्यों की प्रकृति स्थापित करने के लिए साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया था—कर्मचारी समय के प्रासंगिक बिन्दु पर कर्मकार का काम नहीं कर रहा था—रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 5 एवं 6)

(ख) भारत का संविधान—अनुच्छेद 226—उत्प्रेषण अधिकारिता का प्रयोग—उत्प्रेषण रिट जारी करने की अधिकारिता रखने वाला रिट न्यायालय सारतः पर्यवेक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है और अपीलीय न्यायालय के रूप में कृत्य करने का हकदार नहीं है—साक्ष्य के अधिमूल्यन के परिणामस्वरूप अवर न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्य के निष्कर्ष रिट कार्यवाही में पुनः खोले अथवा चुनौती नहीं दिए जा सकते हैं—विधि की गलती जो अभिलेख को देखते ही प्रकट है, रिट द्वारा सुधारी जा सकती है किंतु तथ्य की गलती नहीं, चाहे यह कितना भी गंभीर क्यों न हो—अधिकरण द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में उत्प्रेषण रिट केवल तब जारी किया जा सकता है यदि यह दर्शाया जाता है कि उक्त निष्कर्ष दर्ज करने में अधिकरण ने गलत रूप से ग्राह्य एवं तात्विक साक्ष्य को ग्रहण करने से इनकार किया था अथवा गलत रूप से अग्राह्य साक्ष्य को ग्रहण किया था जिसने आक्षेपित निष्कर्ष को प्रभावित किया है—इसी प्रकार से, यदि तथ्य का निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं है, वह विधि की गलती मानी जाएगी जिसे उत्प्रेषण रिट द्वारा सुधारा जा सकता है। (पैरा 2)

निर्णयज विधि.—AIR 1964 SC 477; (2004)8 SCC 387; (2006)6 SCC 548; AIR 1984 SC 1462; (1984) 2 SCC 569; AIR 1988 SC 329; 1985 LAB I.C. 1008—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Sanjay Kumar Dwivedi, For the Appellant; Mr. G.M. Misra, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा.—पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह अपील व्यथित रिट याची द्वारा डब्लू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 6447 वर्ष 2005 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए दिनांक 8 मई, 2009 के आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध निर्देशित है जिसके अधीन निर्देश मामला सं॰ 25 वर्ष 1997 में विद्वान श्रम न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 16 जून, 2005 के अधिनिर्णय को चुनौती ठुकरा दी गयी है।

दिनांक 15 जुलाई, 1997 की अधिसूचना के तहत विद्वान श्रम न्यायालय के समक्ष निर्देश निम्नलिखित निबंधनों में था:—

> *^^D;k ell VkVk vk;ju ,.M LVhy diuh fy0] te'knij dk dedkj Jh ch0 vk>k] ih0 l0 61251 vk|kfxd fookn vfèkfu;e] 1947 dh èkkjk 2(S) d vèkhu dedkj g vkj D;k mldh lokfuofÙk U;k;kfpr g ;fn ugh] rk og fdl vurk"k dk gdnkj g**

संयोगवश, प्रथम चक्र में, विद्वान श्रम न्यायालय ने आरंभिक विवाद्यक कि क्या याची कर्मकार है या नहीं, दिनांक 2 नवंबर, 1999 तथा दिनांक 10 जनवरी, 2004 के आदेश द्वारा उसके विरूद्ध विनिश्चित किया। चुनौती दिए जाने पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने विद्वान श्रम न्यायालय का दृष्टिकोण गलत पाया और डब्लू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 636 वर्ष 2004 में पारित दिनांक 17 मार्च, 2004 के आदेश के तहत छह माह की अवधि के भीतर निर्देश निपटाने के निर्देश के साथ मामला वापस भेज दिया। प्रबंधन की लेटर्स पैटेन्ट अपील विधि की गलती नहीं पाते हुए विद्वान खंड न्यायपीठ द्वारा खारिज की गयी थी। जब मामला

प्रबंधन द्वारा अपील (सिविल) सं॰ 26516 वर्ष 2004 में विशेष अनुमति से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ले जाया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रख कर कि साक्ष्य पहले ही श्रम न्यायालय के समक्ष समाप्त कर दिया गया था, विधि के प्रश्न को खुला छोड़ते हुए विशेष अनुमति याचिका निपटाया। तत्पश्चात विद्वान श्रम न्यायालय ने पुनः अभिनिर्धारित किया है कि याची औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(S) के निबंधनानुसार कर्मकार नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने विस्तापूर्ण निर्णय द्वारा उसमें दुर्बलता नहीं पाते हुए अधिनिर्णय मान्य ठहराया है।

इस पृष्ठभूमि में यह ध्यान में रखना उपयुक्त है कि अवर न्यायालय अथवा अधिकरण के निष्कर्षों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय की उत्प्रेषण अधिकारिता के प्रयोग में चुनौतियों की रूपरेखा समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय की उद्घोषणाओं द्वारा अच्छी तरह अधिकथित की गयी है। **सैयद याकूब बनाम के॰ एस॰ राधाकृष्णण एवं अन्य, AIR 1964 SC 477,** में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उद्धृत करना वस्तुतः स्पष्टकारी है:–

> *"(7) vuPNn 226 d vèkhu mRç"k.k fjV tkjh dju e mPp U;k;ky;k dh vfèkdkfjrk dh lhekvk d ckj e ç'u ij bl U;k;ky; }kjk çk;% fopkj fd;k x;k g vkj ml fufeÙk lPph fofèkd voLFkk vc lng e ugh gA mRç"k.k fjV voj U;k;ky;k vFkok vfèkdj.kk }kjk dh x;h vfèkdkfjrk dh xyrh lèkkju d fy, tkjh fd;k tk ldrk g% ; ol ekey g tgk voj U;k;ky;k vFkok vfèkdj.kk }kjk vfèkdkfjrk d fcuk vFkok bld ij vFkok vfèkdkfjrk dk ç;kx dju e foQyrk d ifj.kkeLo:i vkn'kk dk ikfjr fd;k tkrk gA blh çdkj l fjV tkjh fd;k tk ldrk g tgk bl ij çnÙk vfèkdkfjrk d ç;kx e U;k;ky; vFkok vfèkdj.k voèk :i l vFkok vufpr :i l ÑR; djrk g] mnkgj.kLo:i] ;g vkn'k }kjk çHkkfor i{k dk lu tku dk volj fn, fcuk ç'u fofuf'pr djrk g vFkok fookn ij fopkj dju e viuk;h x;h çfØ;k ulfxd U;k; d fl)kr d fo:) gA fdr] lng ugh g fd mRç"k.k fjV tkjh dju dh vfèkdfjrk i;o{k.kh; vfèkdkfjrk g vkj bldk ç;kx dju okyk U;k;ky; vihyh; U;k;ky; d :i e ÑR; dju dk gdnkj ugh gA blh ifjlhek dk vko';dr% vFk g fd lk{; d vfèkeY;u d ifj.kkeLo:i voj U;k;ky; vFkok vfèkdj.k }kjk igp x, rF; d fu"d"kk dk fjV dk;okgh e iu% [kkyk vFkok pukrh ugh fn;k tk ldrk gA fofèk dh xyrh tk vfHky[k dk n[kr gh Li"V g] fjV }kjk lèkkjh tk ldrh g] fdr rF; dh xyrh ugh] pkg ;g fdruh Hkh xHkhj D;k u gkA vfèkdj.k }kjk nt rF; d fu"d"k d lcèk e mRç"k.k fjV tkjh fd;k tk ldrk g ;fn ;g n'kk;k tkrk g fd mDr fu"d"k nt dju e vfèkdj.k u xyr :i l xkg; ,o rkfRod lk{; xg.k dju l budkj fd;k Fkk vFkok xyr :i l vxkg; lk{; Lohdkj fd;k Fkk ft lu vk{kfir fu"d"k dk çHkkfor fd;k gA blh çdkj l] ;fn rF; dk fu"d"k lk{; ij vkèkkfjr ugh g] og fofèk dh xyrh ekuh tk,xh ft l mRç"k.k fjV }kjk lèkkj tk ldrk gA fdr ekeyk dh bl dkfV ij fopkj dju e ge lno è;ku e j[kuk gkxk fd vfèkdj.k }kjk nt rF; d fu"d"k dk mRç"k.k fjV d fy, dk;okgh e bl vkèkkj ij pukrh ugh nh tk ldrh g fd vfèkdj.k d le{k fn, x, çklfxd ,o rkfRod lk{; vk{kfir fu"d"k lkfr"kr dju d fy, vi;kIr gA fdlh fcn ij fn, x, lk{; dh i;kIrrk vkj mDr fu"d"k l fudky tku d fy, rF; d fu"d"k vfèkdj.k dh vuU; vfèkdkfjrk d vrxr g vkj mDr fcnvk dk fjV U;k;ky; d le{k ugh mBk;k tk ldrk gA bUgh lhekvk d Hkhrj mRç"k.k fjV tkjh dju d fy, vuPNn 226 d vèkhu mPp U;k;ky;k ij çnÙk vfèkdkfjrk dk ç;kx oèk :i l fd;k tk ldrk gA (n[k% gfj fo".k dkeFk*

cuke vgen b'kkd] 1955-1 SCR 1104: ((s) AIR 1955 SC 233)(ukxUæ ukFk cuke fgy fMfotu vk;Dr] 1958 SCR 1240: (AIR 1958 SC 398) ,o dk'kY;k noh cuke cfpÙkj flg] AIR 1960 SC 1168)

*(8) fu'p; gh] ;g ifjHkkf"kr djuk vFkok i;kIr :i l of.kr djuk vkIku ugh g fd vfHky[k l çdV fofèk dh xyrh dk vFk D;k gA ftl fjV }kjk lèkkjk tk ldrk g] ml fofèk dh xyrh gkuk gh gkxk(fdr bl fofèk dh ,lh xyrh gkuk gkxk ftl ,lh xyrh ekuk tk ldrk g tk vfHky[k l çdV gA tgk ;g Li"V g fd voj U;k;ky; vFkok vfèkdj.k }kjk nt fofèk dk fu"d"k çkIfxd lkfofèkd çkoèkku dh Li"V vi0;k[;k ij vkèkkfjr g] vFkok dHkh dHkkj bldh vufHkKrk e g vFkok 'kk;n bldh mi{kk e Hkh g vFkok vfHk0;Dr :i l mu dkj.kk ij vkèkkfjr g tk fofèk e xyr g] mDr fu"d"k mRç"k.k fjV }kjk lèkkjk tk ldrk gA bu leLr ekeyk e] vk{kfir fu"d"k Li"V :i l çkIfxd lkfofèkd çkoèkkuk d lkFk vIxr gkuk pkfg,] fd mPp U;k;ky; }kjk ;g vfHkfuèkkfjr dju e fdlh ef'dy dk vuHko u gk fd fofèk dh mDr xyrh vfHky[k l çdV gA ;g Hkh gk ldrk g fd dN ekeyk e fofèk dh vk{kfir xyrh vfHky[k dk n[kr gh çdV ugh gk ldrh g vkj U;k;ky; dk mDr xyrh [kktu e rd dh vko';drk gk ldrh g(fdr ble dkb lng ugh gk ldrk g fd mRç"k.k fjV }kjk ftl lèkkjk tk ldrk g] fofèk dh xyrh g vkj mDr xyrh li.k :i l ,l pfj= dh gkuh gkxh tk bl ijh{kk dk lr"V dj ld fd ;g vfHky[k l çdV fofèk dh xyrh gA ;fn lkfofèkd çkoèkku ;fDr;Dr :i l nk vFkkUo;u d ;kX; g vkj voj U;k;ky; vFkok vfèkdj.k }kjk ,d vFkkUo;u viuk;k x;k g] bldk fu"d"k vko';drk vFkok lno mRç"k.k fjV }kjk 'kf) d fy, [kyk ugh gA gekj er e] leLr çdkj dh xyfr;k dk ifjHkkf"kr vFkok i;kIr :i l of.kr dju dk ç;kl djuk okNuh; vFkok lHko ugh g ftl lefpr :i l vfHky[k l çdV fofèk dh xyfr;k d :i e of.kr fd;k tk ldrk gA vk{kfir xyrh fofèk dh xyrh vFkok vfHky[k l çdV fofèk dh xyrh g ;k ugh] lno çR;d ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k ij vkj fofèkd voLFkk dh çÑfr ,o foLrkj ij fuHkj djxk ftldk xyrh vFk yxk;k tkuk vFkok mYy?ku fd;k tkuk vfHkdfFkr fd;k x;k gA***

उत्प्रेषण रिट जारी करने की अधिकारिता रखने वाला रिट न्यायालय सारत: पर्यवेक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग करता है और अपीलीय न्यायालय के रूप में कृत्य करने का हकदार नहीं है। इस परिसीमा का आवश्यकत: अर्थ यह है कि साक्ष्य के अधिमूल्यन के परिणामस्वरूप अवर न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा पहुँचे गए तथ्य के निष्कर्ष को रिट कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जा सकती है। विधि की गलती जो अभिलेख से प्रकट है, रिट द्वारा सुधारी जा सकती है, किंतु तथ्य की गलती नहीं, चाहे यह कितनी भी गंभीर क्यों न हो। अभिलेख से प्रकट विधि की गलती क्या है को सुंदरतापूर्वक उपर उद्धृत उद्धरण में सारसंक्षिप्त किया गया है। अधिकरण द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में उत्प्रेषण रिट जारी किया जा सकता है यदि यह दर्शाया जाता है कि उक्त निष्कर्ष दर्ज करने में, अधिकरण ने गलत रूप से ग्राह्य एवं तात्विक साक्ष्य ग्रहण करने से इनकार किया था अथवा अग्राह्य साक्ष्य स्वीकार किया था जिसने आक्षेपित निष्कर्ष को प्रभावित किया है। इसी प्रकार से, यदि तथ्य का निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं है, उसे विधि की गलती के रूप में माना जाएगा जिसे उत्प्रेषण रिट द्वारा सुधारा जा सकता है। हम अवर अधिकरण और वर्तमान अपीलार्थी को उपलब्ध वर्तमान अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष

को चुनौती की सीमित गुंजाइश से अवगत हैं। किंतु, चुनौती के संदर्भ में इसका परीक्षण करने के लिए हम श्रम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान दिए गए तात्विक साक्ष्य पर आधारित तथ्य के कुछ निष्कर्षों को लाभदायी रूप से निर्दिष्ट करेंगे।

निर्देश के निबंधन के मुताबिक, उत्तर दिए जाने के लिए आवश्यक विवाद्यकों में से एक यह था कि क्या कर्मचारी स्वयं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(S) के अधीन कर्मकार था। यह सिद्ध करने का भार अपीलार्थी पर था कि वह कर्मकार था जैसा **मुकेश के॰ त्रिपाठी बनाम वरीय डिविजनल प्रबंधक, एल॰ आई॰ सी॰ एवं अन्य, (2004) 8 SCC 387,** मामला में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है। रिपोर्ट के पैरा 24 एवं 37 को लाभदायी रूप से निर्दिष्ट किया जा सकता है। किंतु, श्रम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान कर्मकार अपने भार का निर्वहन करने में विपल रहा। क्योंकि उसने अपने द्वारा पालन किए गए कर्तव्यों की प्रकृति स्थापित करने के लिए साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया था। दूसरी ओर, स्वयं उसके अपने लिखित कथन के मुताबिक मिल राइट के पद से वरीय अधिकारी तक अनेक प्रोन्नति दिया गया था। कर्मकार को 7 जुलाई, 1977 को फोरमैन के पद पर प्रोन्नत किया गया था और अनेक पदों पर पुनर्पद नामित किया गया था अर्थात 18 अगस्त, 1988 के प्रभाव से सहायक जेनरल फोरमैन और तत्पश्चात 1 जनवरी, 1989 के प्रभाव से अधिकारी के पद और पुनः 1 नवंबर, 1991 के प्रभाव से वरीय अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया गया था। किंतु, याची ने प्रतिवाद किया था कि ये पुनर्पदनामन ये जिन्हें संपुष्ट कभी नहीं किया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 24 अगस्त, 1988 तथा 3 अगस्त, 1996 के W/3 एवं W/4 (परिशिष्ट 11 एवं परिशिष्ट–12) के रूप में दिए गए साक्ष्य पर प्रतिवाद के समर्थन में विश्वास किया कि याची को सहायक जेनरल फोरमैन के रूप में पुनर्पदनामित किया गया था किंतु फोरमैन, मेकेनिकल का काम करने का निर्देश दिया गया था। याची ने अपने लिखित कथन में आगे प्रकथन किया है कि वरीय अधिकारी अधिकारी के पद की तुलना में उच्चतर कोटि में है। उसने प्रदर्श M/2(a) तथा M/2(b) में यथा लिखित अपना पदनाम स्वीकार लिया था किंतु इसे उच्चतर अधिकारियों के निर्देश के अधीन लिखे जाने का दावा किया यद्यपि उसने अपने पद को वरीय अधिकारी के रूप में उल्लिखित किए जाने के विरूद्ध विरोध कभी नहीं किया था। याची के अनुसार, वह केवल फोरमैन की हैसियत में भारी मशीन यंत्रों के रख–रखाव का काम कर रहा था। अतः, उसके पुनर्पदनामन से कर्मकार के रूप में उसके दर्जा में कोई अंतर नहीं पड़ता था। वस्तुतः, उसे प्रोन्नति अनुशंसित करने अथवा कोई 'नियुक्ति करने का प्राधिकार नहीं था जो काम की प्रबंधकीय प्रकृति की विशेषता है। समय के प्रासंगिक बिंदु पर याची का पारिश्रमिक 8000/- रुपया प्रतिमाह था। अपीलार्थी के अनुसार इसका उसके कर्मकार के रूप में मुख्यतः किए गए काम की प्रकृति के आलोक में अधिक महत्व नहीं था।

दूसरी ओर, प्रबंधन ने तीन गवाह पेश किया था। विद्वान श्रम न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का विश्लेषण किया और पाया कि फोरमैन हेल्पर, चार्जमैन एवं रिगर आदि सहित लगभग 50 व्यक्ति याची के अधीन कार्यरत थे। अतिरिक्त काम, वितरण एवं पर्यवेक्षण के लिए अनुमति और अवकाश के लिए अनुशंसा भी याची द्वारा की जाती थी। पर्यवेक्षणीय स्टाफ का आकलन प्रबंधन द्वारा किया जाता था। प्रदर्श M/5(a) एवं M/5(b) कुछ आकलन फॉर्म हैं जो भी उपदर्शित करते हैं कि कर्मचारी द्वारा किया गया काम पर्यवेक्षणीय प्रकृति का था। कर्मचारी वर्ष 1978 में 1600/- रुपया प्रतिमाह से अधिक का वेतन पा रहा था। प्रदर्श M/2 श्रृंखला अधिकारियों एवं कार्यपालकों के आकलन फॉर्म थे जो उसके प्रदर्शन के बारे में टिप्पणी अंतर्विष्ट करते थे) कर्मचारी अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं ऑपरेटरों को और अपने अधीन काम करने वाले लोगों को प्रशिक्षण दे रहा था। विद्वान अधिकरण ने यह भी संप्रेक्षित किया कि कर्मचारी अपने कर्तव्य की प्रकृति दर्शाने में विफल रहा था और उसके पद तथा काम की प्रकृति के बारे में उसका

बयान विरोधाभास से भरा था। प्रबंधन गवाहों के मौखिक परिसाक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया था। प्रदर्श M/2, M/2(a) एवं M/2(b) में कर्मचारी स्वयं ने अपना पदनाम वरीय अधिकारी के रूप में दिया था। प्रदर्श M/9 एवं M/9(a) भी कर्मचारी का पदनाम वरीय अधिकारी के रूप में दर्शाता है। याची द्वारा दिए गए कतिपय प्रदर्श अर्थात W/1(a) मांग नोटिस की प्रति और W/1(b) संबंधित कर्मचारी द्वारा लिखे गए प्रबंध निदेशकों को संबोधित दिनांक 10 अक्टूबर, 1996 का पत्र बारबार कथन करता है कि वह वरीय अधिकारी के पद तक प्रोन्नत हुआ। विद्वान अधिकरण ने पाया कि अपने अभिसाक्ष्य में कर्मचारी का बयान कि 18 अगस्त, 1988 के प्रभाव से सहायक जेनरल फोरमैन के रूप में उसके पुनर्पदनाम के बाद उसे अधिकारी एवं वरीय अधिकारी के रूप में संबोधित किया गया था, सही नहीं था। उसका प्रतिवाद कि उसका पदनाम प्रबंधन द्वारा उसको श्रम विधियों के लाभ से वंचित करने की दृष्टि से षडयंत्र के अधीन बदला गया था, भी झूठा बयान एवं पश्चात विचार था। कर्मचारी वरीय अधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया था और उसने उस अवस्था एवं दर्जा का आनंद लिया।

इसी विवाद्यक पर श्रम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान पक्षों द्वारा दिए गए तात्विक साक्ष्य के आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विस्तार में विचार किया गया है। विद्वान रिट न्यायालय का मत अंतर्विष्ट करने वाला पैरा 14 भी उद्धृत किए जाने योग्य है और उद्धृत किया जाता है:–

> *^^14. vk{kfir vkn'k l çrhr gkrk g fd fo}ku voj U;k;ky; u ;kph ,o çcèku nkuk }kjk fn, x, lk{; ij fopkj fd;k g vkj çcèku }kjk fn, x, ekf[kd ,o nLrkoth nkuk lk{; ij fo'okl fd;k g ftUg ;kph }kjk [kfMr ugh fd;k x;k FkkA fo}ku voj U;k;ky; }kjk fo'okl fd, x, ,l lk{; e l çe[k çcèku xokg dk ;g li"V dju d fy, lk{; Fkk fd Qkjeu dh gfl;r e ;kph dk fn;k x;k dr0; j[k&j[kko dk dke rFkk ,l0 ,e0 ,l0 III, LVhy efYVx 'kki d fiV lkbV vfèkdkfj;k d çHkkjh dk Fkk vkj yxHkx 50 depkjh ;kph d vèkhu dk;jr Fk vkj vkx fd ;kph dke d vfrfjDr forj.k dh vuefr ,o viu vèkhuLFkk dk vodk'k dh vu'klk fd;k djrk FkkA voj U;k;ky; }kjk fo'okl fd;k x;k vU; lk{; ;g Fkk fd LohÑr :i l çcèku d vèkhu dk;ikyd ,o i;o{k.kh; dkfV e dk;jr depkfj;k d dke dk okf"kd vkdyu j[kk tkrk Fkk] fdr dedkj d lcèk e ,lk vkdyu ugh fd;k tkrk FkkA ;kph d dke dk vkdyu mld i;o{k.kh; dkfV e gku d ukr rnulkj fd;k tkrk FkkA vkdyu Qke d ^Hkkx A* e ;kph u Lo; mldk fn, x, dke l lcfèkr vè;if{kr lpuk nkf[ky fd;k Fkk] ftlu fo}ku voj U;k;ky; d vulkj i;kIr :i l çnf'kr fd;k Fkk fd ;kph dk fn;k x;k dke i;o{k.kh; çÑfr dk FkkA viu okf"kd dk;ikyd vkdyu Qke e] ftldk Hkkx Lo; ;kph }kjk viu y[ku e Hkjk x;k Fkk] ml ojh; vfèkdkjh d :i e inukfer fd;k x;k FkkA fo}ku voj U;k;ky; u u doy bl igy dk fopkj e fy;k Fkk cfYd ;kph d viu Lohdj.k dk Hkh è;ku e fy;k Fkk fd ml 1.11.1981 d çHkko l ojh; vfèkdkjh d in ij iuinukfer fd;k x;k FkkA fo}ku voj U;k;ky; u fo'oluh; ik, x, lk{; dk Hkh è;ku e fy;k g fd ^^Qkjeu** d :i e viuh gfl;r e ;kph dk viu vèkhu dke dju oky dedkjk dk çf'k{k.k nu dk dke fn;k x;k FkkA**`

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तात्विक साक्ष्य के आधार पर विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष का इस आधार पर विरोध किया है कि वह काम की पर्यवेक्षणीय प्रकृति विनिश्चित करने के लिए परीक्षा पर विचार करने में विफल रहा। उसके समर्थन में, अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता ने **आनन्द क्षेत्रीय सहकारी आयल सीड ग्रोअर्स यूनियन लि॰ बनाम शैलेश कुमार हरशद भाई शाह, (2006) 6 SCC 548** (पैराएँ 11, 13, 14, 15 एवं 17); **एस॰ के॰ वर्मा बनाम महेश चंद्र एवं एक अन्य, AIR 1984 SC 1462** (पैरा 9); **वेद प्रकाश गुप्ता बनाम मेसर्स डेल्टन केबल इंडिया (प्रा॰) लि॰, (1984)2 SCC 569** (पैरा 12)**; नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लि॰ बनाम श्री कृष्ण भगेरिया एवं अन्य, AIR 1988 SC 32**9 (पैरा 9, 10 एवं 15)**; अरकल गोविन्द राज राव बनाम सिबा गायगी ऑफ इंडिया लि॰, बॉम्बे, 1985 LAB I.C. 1008** (पैरा 8, 9 10 एवं 12) मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विश्वास किया है।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान श्रम न्यायालय के निष्कर्षों का समर्थन किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा विश्वास किए गए आदेश को दी गयी चुनौती को कोई समर्थन नहीं देते हैं क्योंकि विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए एवं विद्वान रिट न्यायालय द्वारा मान्य ठहराए गए निष्कर्ष इसके समक्ष संपूर्ण तात्विक साक्ष्य के समुचित अधिमूल्यन पर आधारित हैं। इस न्यायालय की रिट अधिकारिता के प्रयोग में तथ्य के ऐसे निष्कर्ष हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि अभिलेख को देखते ही प्रकट विधि की गलती नहीं है।

5. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार किया है और विरोधी पक्षों द्वारा उद्धृत निर्णय सहित मामले के प्रासंगिक ताथ्यिक मैट्रिक्स का परिशीलन किया है। विद्वान श्रम न्यायालय के निष्कर्ष जिसे रिट न्यायालय द्वारा मान्य ठहराया गया है के सूक्ष्म संवीक्षण पर हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अपीलार्थी यह स्थापित करने में विफल रहा है कि वे अभिलेख से प्रकट विधि की गलती से पीड़ित हैं जो हमारे उत्प्रेषण अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप योग्य हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकरण ने ग्राह्य एवं तात्विक साक्ष्य ग्रहण करने से गलत रूप से इनकार किया था अथवा अग्राह्य साक्ष्य ग्रहण किया था जिसने आक्षेपित निष्कर्ष प्रभावित किया है। तथ्य का निष्कर्ष साक्ष्य पर अनाधारित नहीं कहा जा सकता है जो इसे विधि की दृष्टि में विकृत बनाएगी। पूर्वोक्त चर्चा से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी मिल राइट पद से 1991 में वरीय अधिकारी के पद तक संगठन के अधिक्रम में उपर तक गया था। वह 8000/- रुपया प्रतिमाह वेतन पा रहा था जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(S) के निबंधनानुसार विहित महत्तम सीमा से काफी अधिक है। अभिलेख पर मौजूद अन्य तात्विक साक्ष्य भी दर्शाते हैं कि वह पर्यवेक्षणीय काम कर रहा था और फिटर, रिगर, हेल्पर, चार्जमैन, फोरमैन आदि के विभिन्न श्रेणियों को धारण करने वाले अपने नीचे के ऐसे 50 कार्मिकों को प्रशिक्षण दे रहा था। अधिकारियों अथवा पर्यवेक्षणीय काम में पद स्थापित कार्मिक के कार्य प्रदर्शन का आकलन संगठन में किया जाता है और प्रदर्श M/5 श्रृंखला पुनः दर्शाती है कि याची के काम का आकलन भी इस तरीके से किया गया था। संगठन में कर्मकार की कोटि द्वारा किये गये काम का आकलन नहीं किया जाता है। कर्मचारी अपनी ओर से यह स्थापित करने के भार का निर्वहन करने में विफल रहा था कि उसने कर्मकार के कर्तव्य का पालन किया था। इन समस्त तथ्यों को साथ लेने पर कोई संदेह नहीं है कि विद्वान श्रम न्यायालय के निष्कर्ष किसी दुर्बलता से पीड़ित नहीं हैं जो उत्प्रेषण अधिकारिता में हमें हस्तक्षेप करने की अनुमति

देते हों। अत:, अंतिम विश्लेषण में अपीलार्थी द्वारा उद्धृत निर्णय उसकी मदद नहीं करते हैं क्योंकि अवर अधिकरण द्वारा दिया गया तथ्य का निष्कर्ष स्पष्त: स्थापित करता है कि कर्मचारी समय के प्रासंगिक बिन्दु पर कर्मकार का काम नहीं कर रहा था।

6. अत: हम अपील में गुणागुण नहीं पाते हैं, जिसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efr

रणविजय नारायण सिंह एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Civil Review Case No. 93 of 2013 [Arising out of C.W.J.C. No. 3079 of 1997 (P)].
Decided on 18th December, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 47 नियम 1—पुनर्विलोकन आवेदन का विस्तार—आदेश पारित करने वाला न्यायालय आदेश का पुनर्विलोकन करने का हकदार है यदि प्रावधान में विनिर्दिष्ट कोई आधार निर्मित है—पुनर्विलोकन कार्यवाही मामले की मूल सुनवाई के समतुल्य नहीं बनायी जा सकती है और पुनर्विलोकन के चरण पर पक्षों को उन्हीं तथ्यों पर तर्क करने की छूट नहीं है जिन्हें पहले रिट न्यायालय के और एल॰पी॰ए॰ न्यायालय के समक्ष भी दिया गया था—पुनर्विलोकन छद्मवेश में अपील नहीं है जिसके द्वारा गलत निर्णय पुन: सुना एवं सुधारा जाता है—पुनर्विलोकन फिर से मामला सुनना बिलकुल नहीं है और पुनर्विलोकन याचिका पोषित करने के लिए यह दर्शाया जाना होगा कि न्याय की विफलता हुई है—दो भिन्न दृष्टिकोणों की संभावना मात्र पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। (पैराएँ 15 एवं 20)

निर्णयज विधि.–(2005) 4 SCC 741; (2000) 1 SCC 666; 2004(1) JCR 4 SC) : (2003)8 SCC 319; (2017) 8 SCC 518—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Shresth Gautam, For the Petitioner; Mr. Pratyush Lala, For the State.

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.—पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान सिविल पुनर्विलोकन मामला सं॰ 93 वर्ष 2013 याचीगण द्वारा दाखिल सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3079 वर्ष 1997(P) में पारित दिनांक 4 मई, 2016 के आदेश के भाग का पुनर्विलोकन करने के लिए दाखिल किया गया है। उक्त आदेश का पठन निम्नलिखित है:–

^^i{k lu x,A

2. ;kphx.k dh f'kdk;r ;g g fd mud uke xyr :i l ftyk nedk] no?kj] xkMMk ,o lkgcxt d fy, 1994 e r;kj fd, x, iuy e lfEefyr ugh fd, x, FkA

3. o"k 1981-83 d chp fu;Dr fd, x, vud lgk;d f'k{kdk dh fu;fDr lekIr dj nh x;h Fkh tc ;g ekye gvk fd mUg fu;fDr dh çfØ;k dk vulj.k fd, fcuk fu;Dr fd;k x;k FkkA vrr%] ekuuh; lokPp U;k;ky; d vkn'k d erkfcd] ;kphx.k lfgr ,l leLr 0;fDr;k d ekeyk ij fopkj fd;k x;k Fkk vkj 1994 e vfre iuy r;kj fd;k x;k FkkA ;kphx.k lfgr ldMk f'k{kdk dk vfre@çrh{kkjr iuyk e mud uke dkl lfEefyr fd, tku ;kX; ugh ik;k x;k

FkkA rhu o"k ckn] ;kphx.k u bl fjV ;kfpdk dk nkf[ky fd;k gA çfr'kiFk i= e HknHkko d vfHkdFku l budkj vkj bUg fookfnr fd;k x;k gA fdlh Hkh fLFkfr e] U;k;ky; voèkrk] ;fn gk] LFkk;h ugh cuk ldrk gA ;g ekeyk In'k ekeyk d lkFk ,y0 ih0 ,0 l0 477 o"k 2003 e ikfjr fnukd 23.8.2004 d fu.k; }kjk vkPNkfnr g ftle le:i ifjfLFkfr;k e ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd ;kphx.k tl f'k{kdk dk fu;Dr gku dk vfèkdkj ugh g D;kfd mud uke vfre iuy e lfEefyr ugh fd, x, gA vkx ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd iuy dk thou ,d o"k ckn vFkkr o"k 1995 e chr tku d dkj.k mDr iuy l fu;fDr ugh dh tk ldrh gA vkx] o"k 2000 e jkT; d foHkktu d ckn fLFkfr e lkjoku ifjoru gvk gA

*rnulkj] ;g fjV ;kfpdk [kkfjt dh tkrh gA fdr] 0;; dk ydj vkn'k ugh gkxhA***

3. वर्तमान याचीगण ने रिट याचिका अर्थात सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3079 वर्ष 1997(P) अन्य बातों के साथ यह कथन करते हुए दाखिल किया है कि प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित दोनों उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हुए एकीकृत बिहार राज्य द्वारा दिनांक 7.4.1981 का विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन के अनुसरण में, याचीगण एवं अन्य ने इसके लिए आवेदन दिया और विभिन्न तिथियों पर किए गए साक्षात्कार के अनुसरण में वर्तमान याचीगण को जिला स्थापन कमिटी द्वारा की गयी अनुशंसा पर विधि की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करके नियुक्त किया गया था। समय की कुछ अवधि तक काम करने के बाद वर्तमान याचीगण की सेवाएँ दिसंबर, 1982 में इस आधार पर समाप्त की गयी थी कि नियुक्ति पैनल क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक, बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। उक्त आक्षेपित कार्रवाई को अनेक रिट आवेदनों को दाखिल करके चुनौती दी गयी थी जिसे अंतिम रूप से माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी॰ डब्लू जे॰सी॰ सं॰ 147 वर्ष 1983 एवं अन्य सदृश मामलों में विनिश्चित किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय ने सेवा समाप्ति का आदेश अपास्त कर दिया और राज्य प्रत्यर्थियों को शिक्षकों के विरूद्ध कोई कार्रवाई करने के पहले नया नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था।

4. न्यायालय के पूर्वोक्त निर्देश के बाद भी, मामला लंबे समय तक लंबित बना रहा और अंत में दिनांक 30.11.1987 के गैर सकारण आदेश द्वारा 1981-82 की अवधि के दौरान नियुक्त याचीगण एवं अन्य शिक्षकों की सेवाएँ पुनः समाप्त की गयी थी। पुनः माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट आवेदन दाखिल किए गए थे जिसे अंततः दिनांक 11.8.1989 के आदेश के तहत निम्नलिखित संप्रेक्षणों के साथ विनिश्चित किया गया था:–

^^bl ekey d rF;k ij] ge lçf{kr djr g fd 0;fDr tk fu;fDr d fy, vfgr g] rnulkj ,l in ij ftud fy, o vU; mEehnokjk tk Hkh vfgr gk ldr g dh ryuk e vfgr g] fopkj ,o fu;Dr fd, tku ;kX; gA rnulkj] ge çR;fFk;k dk ;kphx.k ,o vU; 0;fDr;k ftUg gVk;k x;k g D;kfd mUg ftyk f'k{kk vèkh{kd }kjk voèk :i l Hkjrh fd;k x;k Fkk l vkonu vkef=r djr g, lFkky ijxuk ,o no?kj d çkjfEHkd fo|ky;k e f'k{kdk dh fu;fDr ,o p;fur dju d fy,] ;fn o ik=rk 'kr ijh djr g] vxlj gku d fun'k nr gA ,l dju e çR;Fkh jkT; dk vk; lhek f'kfFky djuk gkxk ;fn dkb ;kph ofÙk ij lok vofèk d nkjku vfèkd vk; dk cu x;k ik;k tkrk g vkj gVk;k x;k FkkA ;kph vkj@vFkok dkb vU; mEehnokj rFkk ftyk f'k{kk fun'kd }kjk fu;Dr vU; ;kphx.k ftl ;kphx.k d gVk, tku d dkj.k bl çdkj lftr fjfDr e fu;Dr

*fd;k tk ldrk g fdr o fofèk d vu: i viu p;u ,o fu;fDr }kjk ikfJkfed ,o vU; ykHk ik,xA***

5. पूर्वोक्त आदेशों से व्यथित होकर, याचीगण ने एस॰ एल॰ पी॰ सं॰ 429 वर्ष 1998 तथा एस॰एल॰पी॰ (सी॰) सं॰ 11699/90 दाखिल किया जिन्हें प्रत्यर्थियों को आवेदन आमंत्रित करते हुए और पात्रता का पता लगाने के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए उनके अध्यपेक्षित दस्तावेजों को मांगते हुए 30.6.1991 के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के आगे निर्देश के साथ व्यक्तियों के मामलों पर विचार करने का निर्देश देते हुए निपटाया गया था। यह इंगित करना प्रासंगिक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश याचीगण एवं अन्य समस्थित व्यक्तियों के प्रति प्रयोज्य बनाया गया था।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में प्रत्यर्थीगण ने याचीगण एवं समस्थित व्यक्तियों से उनकी पात्रता पर विचार करने के लिए आवेदन मंगाते हुए दिनांक 14.3.1991 को स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापन जारी किया। याचीगण ने 18.3.1991 से 28.3.1991 तक ए॰/डी॰ के साथ रजिस्टर्ड कवर के माध्यम से इसके लिए आवेदन दिया। याचीगण द्वारा उनकी डिलीवरी स्लिप 2.4.1991 को प्राप्त की गयी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस प्रकार जारी नए विज्ञापन पर वर्तमान याचीगण ने इसके लिए आवेदन दिया।

अध्यपेक्षित दस्तावेजों को मंगाते हुए और आवेदन दाखिल करने का समय 20.4.1991 तक बढ़ाते हुए पूर्व अधिसूचना दोहराते हुए प्रत्यर्थी द्वारा एक अन्य विज्ञापन भी जारी किया गया था। इसके अनुसरण में, आवेदकों के मामलों का संवीक्षण किया गया था और 2000 में से केवल 81 उम्मीदवारों को पुनः नियुक्त किया गया था और अन्य आवेदकों के संबंध में यह कथन किया गया था कि वे अप्रशिक्षित अथवा अनर्हित हैं, किंतु इसे अवमान कार्यवाही अवमान याचिका सं॰ 236-240 वर्ष 1991 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी थी जिन्हें अप्रशिक्षित शिक्षकों, यदि वे अन्यथा अर्हित हैं, सहित उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश देते हुए दिनांक 22.11.1991 के आदेश के तहत निपटाया गया था।

7. तत्पश्चात्, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उम्मीदवारों जिन्होंने पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 7.2.1991 के आदेश के अनुसरण में अभ्यावेदन भेजा है को व्यक्तिगत रूप से संवीक्षण के लिए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, पटना द्वारा दिनांक 18.1.1992 का एक अन्य पत्र सं॰ 479C जारी किया गया था। आगे संवीक्षण के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए वर्तमान याचीगण को व्यक्तिगत पत्र जारी किए गए थे। याचीगण प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ प्रासंगिक तिथियों पर परस्पर जिला शिक्षा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हुए और निरीक्षण किए जाने तथा याचीगण के पक्ष में निष्कर्ष पर पहुँचने के बावजूद वर्तमान याचीगण को नियुक्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। इस बीच समस्थित व्यक्तियों द्वारा अवमान मामला सं॰ 89-93/92 दाखिल किया गया था जिसमें निदेशक उपस्थित हुए और स्वीकार किया कि नियुक्ति पत्र जल्दी ही जारी किया जाएगा। याची सं॰ 1 ने दिनांक 18.2.1992 को इस प्रकार संचालित साक्षात्कार में उपस्थित हुआ था और प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा अर्हता तथा अन्य मापदंडों को दर्शाते हुए चार्ट तैयार किया गया था। इस बीच, एक अन्य एस॰एल॰पी॰ सं॰ 10051/90 एवं अन्य न्याय निर्णय के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया जिसे नया नियम अथवा परिवर्तित नियम अधिरोपित किए बिना और कठोरतापूर्वक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 7.2.1991 तथा 22.11.1991 के आदेश के अनुरूप शिक्षकों/याचीगण को नियुक्त करने का निर्देश प्रत्यर्थियों को देते हुए

दिनांक 30.11.1992 के आदेश के तहत निपटाया गया था। उक्त आदेश में यह भी संप्रेक्षित किया गया था कि इस पैनल के नि:शेष होने तक बाहर से अप्रशिक्षित शिक्षक की नयी नियुक्ति नहीं की जाएगी।

8. यह अभिकथित किया गया है कि एक अन्य आवेदन सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ सं॰ 7000 वर्ष 1992 माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया था जिसने एस॰एल॰पी॰ (सिविल) सं॰ 10051 वर्ष 1990 में पारित आदेश के समरूप आदेश 30.11.1992 को पारित किया गया था। पूर्वोक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया था और इस दशा में उन आवेदनों में याचीगण ने अवमान आवेदन दाखिल किया जिसे एम॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1268 वर्ष 1998 तथा एम॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1531 वर्ष 1993 एवं एम॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1225 वर्ष 1993 के रूप में दर्ज किया गया था। अवमान आवेदनों के लंबित रहने के दौरान पूरी जल्दबाजी में ड्राफ्ट के विरूद्ध अभ्यावेदन देने के लिए दिनांक 8.2.1994 के विज्ञापन के तहत शिक्षकों एवं उम्मीदवारों का ड्राफ्ट पैनल जारी किया गया था। प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा अस्वीकरण का कारण भी दिया गया था जिसमें यह कथन किया गया था कि याची के आवेदन के अस्वीकरण का कारण आवेदन को गैर प्राप्ति के आधार पर था।

9. आगे यह अभिकथित किया गया है कि ड्राफ्ट 45 कोटियों में विभाजित किया गया था जिसमें से कोटि सं॰1-44 ऐसे उम्मीदवारों की थी जिन्हें नियुक्ति का पात्र नहीं पाया गया था और कोटि सं॰ 45 उम्मीदवारों की ऐसी कोटि के लिए थी जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 7.2.1991 के आदेश (परिशिष्ट–2) के निबंधनानुसार उनके आवेदनों की गैर–प्राप्ति के कारण नियुक्त नहीं किया गया था। याचीगण के नाम कोटि सं॰ 45 में आते हैं जिसमें उनका दावा इस आधार पर अस्वीकार किया गया था कि उनके आवेदनों को प्रत्यर्थियों को कार्यालय में कभी नहीं प्राप्त किया गया था, इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि इस प्रकार भेजे गए आवेदनों का A/D और उसकी रसीद (परिशिष्ट 3) याचीगण द्वारा प्राप्त की गयी थी। तत्पश्चात, अंतिम सूची तैयार की गयी थी जिसमें भी याचीगण के नाम अपवर्जित किए गए थे, तब भी जब याचीगण ने इसके विरूद्ध आपत्ति किया था। यह अभिकथित किया गया है कि विज्ञापन एवं दस्तावेजों की प्रस्तुती के अनुसरण में याचीगण को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था जो आगे याची का दृष्टिकोण सिद्ध करता है।

10. अभिकथित किया गया है कि इस बीच एम॰जे॰सी॰सं॰ 1531/93 तथा सदृश मामलों को लिया गया था, किंतु जिसे इस आधार पर छोड़ दिया गया था कि आक्षेपित आदेश के विरूद्ध एस॰एल॰पी॰ सं॰ 24607-24613/95 दाखिल किए गए थे जिसे याचीगण को अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए प्रत्यर्थियों के समक्ष जाने की स्वतंत्रता देते हुए और तत्पश्चात छह माह के भीतर आवेदन निपटाने का निर्देश राज्य को देते हुए निपटाया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देश के अनुसरण में याची प्रत्यर्थी के पास गया जिसे अंतिम रूप से प्रत्यर्थियों द्वारा गैर–सकारण आदेश पारित करके विनिश्चित किया गया था।

11. व्यथित होकर, याचीगण ने पुन: रिट आवेदन सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ सं॰ 3079 वर्ष 1997(R) दाखिल किया जिसे दिनांक 4 मई, 2006 के आदेश के तहत उसमें यह संप्रेक्षित करते हुए खारिज किया गया था कि याचीगण पैनल में सम्मिलित किए जाने योग्य नहीं थे और उसमें यह कथन भी करते हुए कि याची का मामला एल॰पी॰ए॰ सं॰ 477 वर्ष 2003 में विनिश्चित मामले के समरूप था और इस दशा में इसे खारिज किया गया था। चूँकि एल॰पी॰ए॰ सं॰ 477 वर्ष 2003 में याची/अपीलार्थी का मामला याचीगण के मामला से भिन्न था, जिसे भी दिनांक 1.9.2010 के आदेश के तहत उसी आधार पर खारिज किया गया था। व्यथित होकर, याचीगण ने एस॰ एल॰पी॰ दाखिल किया जिसे अपील (सिविल) की विशेष अनुमति सं॰ 31951 वर्ष 2010 में संपरिवर्तित किया गया था जिसे याचीगण को पुनर्विलोकन आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए दिनांक 4.10.2013 के आदेश के तहत निपटाया गया था जिसे वर्तमान पुनर्विलोकन आवेदन के परिशिष्ट 16 के तहत अभिलेख पर लाया गया है।

12. याचीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रेष्ठ गौतम ने निवेदन किया कि अपील (सिविल) सं॰ 31951/2010 में विशेष अनुमति द्वारा याचिकाओं में दिनांक 4.10.2013 के आदेश के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी स्वतंत्रता की दृष्टि में याचीगण द्वारा वर्तमान सिविल पुनर्विलोकन दाखिल किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार आग्रह किया कि एल॰पी॰ए॰ सं॰ 477 वर्ष 2003 सी॰ डब्लू॰जे॰सी॰ सं॰ 3079 वर्ष 1997 में पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया था जिसमें सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3079 वर्ष 1997 के याचीगण ने अधिक आयु/विकलांग व्यक्तियों के आधार पर उनकी उम्मीदवारी के अस्वीकरण को चुनौती दिया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अन्य मामला का विरोध अधिक आयु अथवा अन्य आधारों पर किया गया था क्योंकि उनके नाम इस प्रकार तैयार किए गए पैनल में मौजूद नहीं था, किंतु वर्तमान मामले में वर्तमान याचीगण के नाम पैनल में विद्यमान थे किंतु उनके दावा पर इस आधार पर विचार नहीं किया गया था कि उनके आवेदन प्राप्त नहीं किए गए ाी और इस तथ्य को अनदेखा किया गया था कि उन्हें दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और इस दशा में वर्तमान याचीगण का मामला सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3079/97 तथा एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 477 वर्ष 2003 में मामला के समरूप नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि एक समस्थित व्यक्ति जिसका नाम कोटि सं॰ 45 में भी आता है अर्थात रामजी जिसका आवेदन भी तात्पर्यित रूप से प्राप्त नहीं किया गया था को नियुक्ति प्रदान की गयी थी जब कि समस्थित याचीगण जिनके नाम कॉलम सं॰ 45 पर आते हैं को अत्यन्त अवैध एवं मनमाने तरीके से समरूप लाभों से इनकार किया गया था।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 477 वर्ष 2003 समस्थित कर्मचारियों द्वारा दाखिल बिलकुल नहीं किया गया था क्योंकि उस मामला में याचीगण/अपीलार्थीगण अयोग्य पाए जाने पर पैनल में सम्मिलित नहीं किए जाने से व्यथित थे जब कि वर्तमान याचीगण को अनुमानित आधार पर कि याची का आवेदन प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था, पैनल में सम्मिलित नहीं किया गया था।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे जोरदार रूप से निवेदन किया कि दिनांक 4 मई, 2006 का आदेश इस तथ्य की दृष्टि में प्रकटत: दोषपूर्ण है कि स्वयं प्रत्यर्थी के मामला के मुताबिक वर्तमान याचीगण के आवेदन उनके द्वारा प्राप्त नहीं किए गए थे, जबकि माननीय एकल न्यायाधीश का आदेश कहता है कि याचीगण को नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं पाया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्षत: निवेदन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया था कि सूची बीतेगी नहीं और कोई नियुक्ति प्रथमत: इस सूची से की जाएगी और इस दशा में सूची बीत नहीं सकती थी और इस दशा में, याचीगण का अच्छा मामला है और उन्हें नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था।

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार आग्रह किया कि सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3079 वर्ष 1997(R) की खारिजी के आधार गलत हैं क्योंकि इसे एल॰पी॰ए॰ सं॰ 477 वर्ष 2003 में पारित आदेश की दृष्टि में अस्वीकार किया गया था जबकि एल॰पी॰ए॰ सं॰ 477 वर्ष 2003 समस्थित कर्मचारी द्वारा दाखिल नहीं किया गया था बल्कि उक्त एल॰पी॰ए॰ सं॰ 477 वर्ष 2003 याचीगण/अपीलार्थीगण द्वारा दाखिल किया गया था जो अपना नाम अयोग्य होने के आधार पर पैनल में सम्मिलित नहीं लिए जाने से व्यथित थे जबकि, वर्तमान मामले में याचीगण पैनल में इस अनुमानित आधार पर सम्मिलित नहीं किए गए थे कि प्रत्यर्थियों द्वारा उनका आवेदन प्राप्त नहीं किया गया था।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि ड्राफ्ट 45 कोटियों में विभक्त किया गया था जिसमें से कोटि सं॰ 1-44 ऐसे उम्मीदवारों की थी जिन्हें नियुक्ति का पात्र नहीं पाया गया था और कोटि सं॰ 45 ऐसे उम्मीदवारों की थी जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 7.2.1991 के आदेश (परिशिष्ट–2) के निबंधनानुसार उनका आवेदन प्राप्त नहीं किए जाने के कारण नियुक्त नहीं किया गया था। याचीगण

के नाम उनके दावा को इस आधार पर अस्वीकार करते हुए कोटि सं॰ 45 में आते हैं कि उनके आवेदन प्रत्यर्थियों के कार्यालय द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था यद्यपि इस प्रकार भेजे गए आवेदन की A/D एवं इसकी प्राप्ति (परिशिष्ट 3) याचीगण द्वारा प्राप्त किया गया था। तत्पश्चात, अंतिम सूची तैयार की गयी थी जिसमें भी याचीगण के नाम तब भी अपवर्जित किए गए थे जब याचीगण ने इसके विरूद्ध आपत्ति किया था।

विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचीगण के दावा के अस्वीकरण का आधार इस तथ्य की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है कि उन्हें सम्यक रूप से साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और इस दशा में, उनके आवेदनों की गैर-प्राप्ति के संबंध में प्रत्यर्थियों का दावा बिलकुल स्वीकार्य नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता ने 1.12.2014 को दाखिल प्रति शपथपत्र के प्रत्युत्तर की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया है कि और निवेदन किया है कि याचीगण का मामला सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 294 वर्ष 2001 में इस न्यायालय की न्यायपीठ द्वारा दिए गए दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 के निर्णय द्वारा आच्छादित है जिसे A/D स्लिप एवं कॉल लेटर्स एवं साक्षात्कार को ध्यान में लेते हुए अनुज्ञात किया गया है और इस दशा में वर्तमान सिविल पुनर्विलोकन आवेदन अनुज्ञात किए जाने योग्य है।

13. समानांतर स्तंभ में, प्रतिशपथपत्र दाखिल किया गया है। विद्वान जी॰ पी॰ IV के विद्वान जे॰ सी॰ श्री प्रत्युष लाला ने निवेदन किया कि रिट याचिका ने मामले के समस्त पहलूओं पर विचार किया है और समस्थित व्यक्तियों के मामले पर विचार करने के बाद खारिज किया गया है और इस दशा में मामले में गुणागुण नहीं है और यह पुनर्विलोकन याचिका खारिज किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि नियमों एवं विनियमों को दर किनार करते हुए याचीगण को अवैध रूप से नियुक्त किया गया था। ज्योंही ऐसी अवैधता का पता चला था, नियुक्ति समाप्त की गयी थी। किंतु, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में आवेदन मंगाए गए थे। उक्त विज्ञापन के अनुसरण में, 2000 से अधिक आवेदन प्राप्त किए गए थे किंतु याचीगण ने अपने दावा के लिए कोई आवेदन दाखिल नहीं किया था किंतु वे साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए।

विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार निवेदन किया कि अवमान मामला सं॰ 175 वर्ष 1993 में पारित दिनांक 22.11.1993 के अपने आदेश के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टत: उल्लिखित किया है कि उन व्यक्तियों जिन्होंने अपना आवेदन दाखिल नहीं किया था के दावा पर विचार नहीं किया जाएगा और इस दशा में याचीगण का दावा शेष नहीं रहता है और यह पुनर्विलोकन याचिका खारिज किए जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि आवेदन नहीं दाखिल किए जाने की दृष्टि में याचीगण द्वारा दाखिल रिट याचिका तथा लेटर्स पेटेन्ट अपील अस्वीकार की गयी थी और इस दशा में हस्तक्षेप अनावश्यक है।

14. सिविल पुनर्विलोकन में अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों और याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों से यह प्रतीत होता है कि प्रतिवाद का मुख्य बिन्दु निम्नलिखित है:–

(i) ,y0 ih0 ,0 l0 477 o"k 2003 e ikfjr vkn'k dh nf"V e lh0 MCY;0 t0 lh0 l0 3079 o"k 1997(P) dh [kkfjth xyr g D;kfd mDr ,y0 ih0 ,0 l0 477 o"k 2003 lefLFkr depkjh }kjk nkf[ky ugh fd;k x;k Fkk D;kfd mDr ,y0 ih0 ,0 l0 477 o"k 2003 e ;kph x.k@v ihykFkh x.k v ;kX; ik, tku d vkèkkj ij iuy e viu uke lfEefyr ugh fd, tku l 0;fFkr Fk **tcfd lh0 MCY;0 t0 lh0 3079 o"k 1997(P) e ;kph x.k dk bl vuekfur vkèkkj fd mudk vkonu çR;fFk;k }kjk çklr ugh fd;k x;k Fkk iuy e lfEefyr ugh fd, x, Fk** *tcfd vfHky[k bl >Bk Bgjkrk g(*

(ii) lh0 MCY;0 t0 lh0 l0 3079 o"k 1997(P) e fnukd 4 eb] 2006 d vk{kfir vkn'k e xyr :i l bl fu"d"k ij vk;k x;k g fd ;kphx.k dk bl rF; dh nf"V e fd çR;fFk;k d ekeyk d erkfcd oreku ;kph dk vkonu mud }kjk çkIr ugh fd;k x;k Fkk] fu;fDr d fy, ;kX; ugh ik;k x;k FkkA vr%] çR;fFk;k dk vkonu çkIr ugh dju vkj blh le; ij fu;fDr d fy, ;kX; ugh iku dk vkèkkj yu dh vuefr ugh nh tk ldrh gA ;fn vkonu çkIr ugh dju dk ekeyk gkrk] çR;Fkhx.k fu;fDr d fy, v;kX; iku dk vfHkopu ugh dj ldr FkA

(iii) lh0 MCY;0 t0 lh0 l0 3079 o"k 1997 (P) e fnukd 4 eb] 2006 dk vk{kfir vkn'k ikfjr djr g, ;g fopkj ugh fd;k x;k g fd ,y0 ih0 ,0 l0 477 o"k 2003 lh0 MCY;0 t0 lh0 l0 3079 o"k 1997 e ikfjr vkn'k d fo:) nkf[ky dh x;h FkhA mDr fjV ;kfpdk vFkkr lh0 MCY;0 t0 lh0 l0 3079 o"k 1997 mud vfèkd vk;@fodykx gku d vkèkkj ij mle ;kphx.k dh mEehnokjh d vLohdj.k d vkn'k dk pukrh nr g, fHkUu vkèkkj ij nkf[ky fd;k x;k FkkA

15. परस्पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवादों पर विचार करने के पहले पुनर्विलोकन आवेदन की गुंजाइश को देखना उपयुक्त होगा। इस संबंध में यहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता ने आदेश XLVII नियम 1 का उल्लेख करना प्रासंगिक है जिसका पठन निम्नलिखित है:-

*1. **fu.k; d iufoykdu d fy, vkonu-**&(1) tk dkb 0;fDr&*

(a) fdlh ,lh fMØh ;k vkn'k l ft ldh vihy vuKkr g fdUr ft ldh dkb vihy ugh dh xb g]

(b) fdlh ,lh fMØh ;k vkn'k l ft ldh vihy vuKkr ugh g] vFkok

(c) y?kokn U;k;ky; }kjk fd, x, fun'k ij fofu'p; l]

viu dk 0;fFkr le>rk g vkj tk ,lh ub vkj egRoi.k ckr ;k lk{; d irk pyu l tk lE;d rRijrk d ç;kx d i'pkr ml le; tc fMØh ikfjr dh xb Fkh ;k vkn'k fd;k x;k Fkk] ml d Kku e ugh Fkk ;k ml d }kjk i'k ugh fd;k tk ldrk Fkk] ;k fdlh Hky ;k xyrh d dkj.k tk vfHky[k d n[ku l gh çdV gkrh gk ;k fdlh vU; i;kIr dkj.k l og pkgrk g fd ml d fo:) ikfjr fMØh ;k fd, x, vkn'k dk iufoykdu fd;k tk,] og ml U;k;ky; l fu.k; d iufoykdu d fy, vkonu dj ldxk ft lu og fMØh ikfjr dh Fkh ;k og vkn'k fd;k FkkA

*(2) og i{kdkj tk fMØh ;k vkn'k dh vihy ugh dj jgk g] fu.k; d iufoykdu d fy, vkonu bl ckr d gkr g, Hkh fd fdlh vU; i{kdkj }kjk dh xb vihy yfcr g ogk d flok; dj ldxk tgk ,lh vihy dk vkèkkj vkond vkj vihykFkh nkuk d chp lkeU; g ;k tgk çR;Fkh gkr g, og vihy U;k;ky; e og ekeyk mifLFkr dj ldrk g ft ld vkèkkj ij og iufoykdu d fy, vkonu djrk gA***

सिविल प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित आधार विनिर्दिष्ट है। पुनर्विलोकन अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप के सिद्धांत सुस्थापित हैं। आदेश पारित करने वाला न्यायालय आदेश का पुनर्विलोकन करने का हकदार है यदि पूर्वोक्त प्रावधान में विनिर्दिष्ट कोई आधार निर्मित होता है।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एवं एक अन्य बनाम नेताजी क्रिकेट क्लब एवं अन्य, (2005)4 SCC 741** में पैराग्राफ 89 एवं 90 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

"89. lfgrk dk vkn'k XLVII fu;e 1 iufoykdu d fy, vkonu dh nkf[kyh çkoèkkfur djrk gA iufoykdu d fy, ,lk vkonu u doy lk{; d u, ,o egRoi.k VdMk dh [kkt ij vFkok tc vfHky[k dk n[kr gh çdV xyrh fo|eku g ij ik"k.kh; gkxk cfYd bl ij Hkh ;fn bl dN xyrh d dkj.k vFkok fdlh vU; i;klr dkj.k l vko';d cuk;k x;k gA

90. bl çdkj] U;k;ky; dh vkj l xyrh tk opu dh çÑfr e xyrh lfEefyr djxh] vkn'k d iufoykdu d fy, dg ldrk gA iufoykdu d fy, vkonu ik"k.kh; gkxk ;fn mld fy, i;klr dkj.k fo|eku gA i;klr dkj.k fdllh xfBr gkxk] ;g ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k ij fuHkj djxkA ***lfgrk d vkn'k XLVII fu;e 1 e 'kCn ^^i;klr dkj.k** U;k;ky; }kjk vFkok vfèkoDrk }kjk Hkh* *rF; vFkok fofèk dk Hke lfEefyr dju d fy, i;klr :i l 0;kid gA iufoykdu d fy, vkonu fl)kr** U;k;ky; d dk; l fdlh dk gkfu ugh gkrh g** dk voyc ydj vko';d cuk;k tk ldrk gA***

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एम॰ एम॰ थॉमस बनाम केरल राज्य एवं एक अन्य, (2000)1 SCC 666,** में पैराग्राफ **14** पर अभिनिर्धारित किया है:–

*^^14. mPp U;k;ky; d ikl lfoèkku d vuPNn 215 e ;Fkk ifjdfYir vfHky[k d U;k;ky; d :i e vfHky[kk dk lèkkju dh 'kfDr gkuk gkxkA vfHky[k dk U;k;ky; ,lh leLr 'kfDr lekfo"V djrk g ftud ÑR;k ,o dk;okfg;k dk LFkk;h ;knxkj ,o ifjlk{; e ukekfdr fd;k tkuk gA fuLlng vfHky[k dk U;k;ky; mPprj U;k;ky; g tk Lo; viuh vfèkdkfjrk dk foLrkj fofuf'pr dju d fy, l{ke gA vfHky[k d U;k;ky; d :i e mPp U;k;ky; dk viu leLr vfHky[k dk lgh :i l rFkk fofèk d vu:i j[ku dk drO; gA vr% ;fn mPp U;k;ky; }kjk viu }kjk ikfjr fdlh vkn'k d lcèk e fdlh çdV xyrh dk è;ku e fy;k tkrk g] mPp U;k;ky; dk u doy bl lgh dju dh 'kfDr cfYd drO; Hkh gA mlu lcèk e mPp U;k;ky; dh 'kfDr lokxh.k gA uj'k Jhèkj fejktdk cuke egkjk"V jkT; e bl U;k;ky; dh uk&U;k;kèkh'k U;k;ihB u vfHky[k dk U;k;ky; gku d ukr lokxh.k vfèkdkfjrk d U;k;ky; d :i e mPp U;k;ky; d iokDr mPprj ntk dk ekU;rk fn;k gA**

उक्त निर्णय के पैरा 16 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:–

^^16. mDr m)j.k dk fufn"V djr g, vkj uj'k Jhèkj fejktdj e bl U;k;ky; d fu.k; ij fo'okl djr g, bl U;k;ky; d f}U;k;kèkh'k U;k;ihB u ,e0 oh0 ,fytkcFk cuke gjou buoLVeUV ,o VfMx (çk0) fy0 e fuEufyf[kr lçf{kr fd;k g% (AIR Headnote)

*^^Hkkjr e mPp U;k;ky; vfHky[k d mPprj U;k;ky; gA mudh ey ,o vihyh; vfèkdkfjrk gA mud ikl vrfufgr ,o lokxh.k 'kfDr gA tcrd vfHk0;Dr :i l vFkok foof{kr :i l oftr ugh fd;k tkrk g vkj lokPp U;k;ky; dh vihyh; vFkok Lofood dh vfèkdkfjrk d vè;èkhu] mPp U;k;ky;k d ikl vlhfer vfèkdkfjrk gA**

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रामचंद्र सिंह बनाम सावित्री देवी एवं अन्य, 2004(1) JCR 4 (SC) : (2003)8 SCC 319** में पैरा 41 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"41. jkt'k MhO njckj cuke ujflx jko Ñ".kk th dyd.kh e bl U;k;ky; u è;ku e fy;k% (SCC P 223, Para 6)

^^U;k;ky; i'pkrorh ?kVukvk dk è;ku e y ldr g vkj rnulkj vurk"k inku dj ldr gA fdr bu lLFkkfir fl)krk d çfr mifjdk gA bl doy vkiokfnd ifjfLFkfr;k e fd;k tk ldrk g] ftue l dN mij çdk'keku fd, x, gA fdr] lkE;ki.k fl)kr lfofèk }kjk igy gh fufgr vfèkdkjk dk U;k;fu.k;u dju oky U;k;ky; d jkLr e :dkoV ugh Mky ldr gA bl lLFkkfir voLFkk dk ge fu:) dju dh vko';drk ugh g tc vihykFkh }kjk vkxfgr f}rh; fcn ij dfær fd;k tkrk gA bl çfriknuk] t lk mPp U;k;ky; }kjk xkj fd;k x;k g] d lkFk fookn ugh gk ldrk g fd i{k dk U;k;ky; d ÑR; d dkj.k ihfMr ugh fd;k tk ldrk gA lekU;rk çkIr lkE;k dh lfDr g] U;k;ky; d dk; l fdlh dk gkfu ugh gkrh g ft ldk vFk g fd U;k;ky; dk ÑR; fdlh ij çfrdyrk dkfjr ugh djxkA ;g lfDr U;k; ,o lnHkko ij vkèkkfjr g tk fofèk d ç'kklu d fy, ljf{kr ,o fuf'pr ekxn'ku dh Hkfedk fuHkkrk gA vU; lfDr g] fofèk v lHko dju d fy, foo'k ugh djrhA iokDr lfDr dh ç;kT;rk bl U;k;ky; }kjk jktdekj M cuke rkjk in M(xj'kj.k flg cuke u;h fnYyh uxjikfydk ,o ek0 xkth cuke e0 ç0 jkT; e vuekfnr dh x;h gA**

19. विक्रम सिंह उर्फ विकी वालिया एवं एक अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं एक अन्य, (2017) 8 SCC 518, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 22 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"22. iufoykdu dc ik"k.kh; gkxk vkj iufoykdu ugh ik"k.kh; gkxk fl)krk dk lf{kIr djr g, ijk 20.1 ,o 20.2 e fuEufyf[kr vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk% (dey'k oek ekeyk)

"20.1 iufoykdu dc ik"k.kh; gkxk%

(i) u, ,o egRoi.k ekeyk vFkok lk{; dk [kkt tk lE;d rRijrk d ç;kx d ckn ;kph dh tkudkjh d vrxr ugh Fkk vFkok mld }kjk çLrr ugh fd;k tk ldrk Fkk(

(ii) vfHky[k dk n[kr gh çdV xyrh(

(iii) dkb vU; i;kIr dkj.kA

^^'kCnk** dkb vU; i;kIr dkj.k** dh 0;k[;k NTt jke cuke udh e dh x;h g vkj bl U;k;ky; }kjk ekju ekj clfy;kl dFkkfydkl cuke ekj ikyl vFkufl;l e ^^fu;e e fofufn"V vkèkkjk d lkFk de l de ln'k vkèkkjk ij i;kIr dkj.k** d vFk e vuekfnr dh x;h gA bUgh fl)krk dk Hkkjr l?k cuke lUnj exuht ,o vk;ju vkl fly0 e nkgjk;k x;k gA

20.2. iufoykdu ik"k.kh; dc ugh gkxk%

(i) ijku vkj myV x, rdk dk nkgjk;k tkuk fu"df"kr U;k; fu.k;u dk pukrh nu d fy, i;kIr ugh gA

(ii) ifj.kkeghu egRo dh y?k xyfr;kA

(iii) iufoykdu dk;okgh ekey dh ey luokb d lerY; ugh cuk;h tk ldrh gA

(iv) iufoykdu ik"k.kh; ugh g tc rd vkn'k dk n[kr gh Li"V rkfRod xyrh bldh rdlxrrk dk vnj l [kk[kyk ugh djrh g vFkok U;k; dh gkfu e ifj.kr ugh gkrh gA

(v) iufoykdu fdlh :i e Nneo"k e vihy ugh g ftld }kjk xyr fu.k; iuk luk ,o lèkkjk tkrk g cfYd Li"V xyrh ij fd;k tkrk gA

(vi) fo"k; ij nk nf"Vdk.kk dh lHkkouk ek= iufoykdu dk vkèkkj ugh gk ldrh gA

(vii) vfHky[k dk n[kr gh çdV xyrh olh xyrh ugh gkuh pkfg, ftl [kkt dj fudkyk x;k gA

(viii) vfHky[k ij miyCèk lk{; dk vfèkeY;u ijh rjg l vihyh; U;k;ky; d {k= d vrxr g] bl iufoykdu ;kfpdk e nu dh vuefr ugh nh tk ldrh gA

*(ix) iufoykdu ik"k.kh; ugh g tc e[; ekeyk d rd d le; ij bfllr ogh vurk"k udkjk x;k gA***

20. चाहे जो भी हो, पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों और यहाँ उपर निर्दिष्ट निर्णयों के परिशीलन पर इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3079 वर्ष 1997 (P) में पारित दिनांक 4 मई, 2006 के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए मामला नहीं बनाया गया है। पूर्वोक्त आदेश का पुनर्विलोकन इस आधार पर इप्सित किया गया है कि इससे संप्रेक्षण के साथ रिट याचिका की खारिजी के आधार कि मामला सदृश मामलों के साथ एल॰पी॰ए॰ सं॰ 477 वर्ष 2003 में पारित दिनांक 23.8.2004 के निर्णय द्वारा आच्छादित है जिसमें समरूप परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि स्वीकृत रूप से याचीगण जैसे ऐसे शिक्षकों को अंतिम पैनल में उनके नामों को सम्मिलित नहीं किए जाने पर नियुक्ति होने का अधिकार नहीं है, गलत है। याची माननीय एकल न्यायाधीश के संप्रेक्षण से भी व्यथित है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक वर्ष बाद अर्थात वर्ष 1995 में पैनल का जीवन बीत जाने पर उक्त पैनल से नियुक्ति नहीं की जा सकती है; वर्ष 2000 में राज्य के विभाजन के साथ स्थिति में सारवान परिवर्तन हुआ है।

माननीय एकल न्यायाधीश के संप्रेक्षणों के परिशीलन से यह सुस्पष्ट है कि आदेश में अवैधता अथवा दुर्बलता नहीं है। आदेश को देखते ही प्रकट गलती नहीं पायी गयी हैं याची द्वारा लिया गया आधार संपोषणीय नहीं है और इस दशा में इसे अस्वीकार किया जाता है। भले ही यह मान लिया जाता है कि एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 477 वर्ष 2003 ताथ्यिक रूप से भिन्न था किंतु उस मामला में निकाला गया निर्णयाधार वही था। मूल रिट याचिका में प्रार्थना भेदभाव के संबंध में थी और वे नियुक्ति इप्सित कर रहे थे क्योंकि उनके मामले समाप्त किए गए थे। क्योंकि उन्हें नियुक्ति की प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना नियुक्त किया गया पाया गया था। उनके मामलों को इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया था, क्योंकि अंतिम/प्रतीक्षारत पैनलों में उनके नाम सम्मिलित किए जाने योग्य नहीं पाए गए थे और इस तथ्य की दृष्टि में भी कि वे रिट याचिका दाखिल करके तीन वर्ष बाद इस न्यायालय के पास आए थे। एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 477 वर्ष 2003 में अपीलार्थियों/याचीगण के मामलों पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें नियुक्ति योग्य नहीं पाया गया था। याचीगण को नियुक्ति योग्य नहीं पाया गया था क्योंकि उनके आवेदन प्राप्त नहीं किए गए थे किंतु वही आधार बना रहता है कि उन्हें नियुक्ति योग्य नहीं पाया गया था यद्यपि वे साक्षात्कार में उपस्थित हुए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टत: अभिनिर्धारित किया है कि पुनर्विलोकन कार्यवाही मामला के मूल सुनवाई के समतुल्य नहीं बनायी जा सकती है और पुनर्विलोकन के चरण पर पक्षों को उन्हीं तथ्यों पर तर्क करने की छूट नहीं है जिन पर पहले रिट न्यायालय तथा एल॰ पी॰ ए॰ न्यायालय के समक्ष तर्क किया गया था। पुनर्विलोकन किसी रूप से छद्मवेष में अपील नहीं है जिसके द्वारा गलत निर्णय पुन: सुना

एवं सुधारा जाता है। पुनर्विलोकन एकबार फिर से मामला की पुनर्सुनवाई नहीं है और पुनर्विलोकन याचिका पोषित करने के लिए यह दर्शाया जाना होगा कि न्याय की विफलता हुई है। वो भिन्न दृष्टिकोणों की संभावना मात्र पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकती है। वर्तमान मामला में सुविधापूर्वक यह कहा जा सकता है कि यह पुनर्विलोकन याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि मुख्य रिट याचिका के तर्कों के समय पर पहले इप्सित किया गया अनुतोष नकारा गया है और वर्तमान पुनर्विलोकन याचिका में वही अनुतोष इप्सित किया गया है। स्वीकृत रूप से, याचीगण 1994 के पैनल से नियुक्ति इप्सित कर रहे हैं। पहले ही 23 वर्ष बीत गए हैं और इस दशा में रिट न्यायालय ने सही प्रकार से याचीगण का मामला गुणागुण पर खारिज किया हैं कि याचीगण जैसे शिक्षकों को नियुक्ति का अधिकार नहीं है और चूँकि पैनल का जीवन पहले वर्ष 1995 में ही एक वर्ष बाद बीत गया है, उक्त पैनल से नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

21. यहाँ उपर उल्लिखित तथ्यों एवं परिस्थितियों न्यायिक उद्घोषणाओं एवं विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के समेकित प्रभाव के कारण पुनर्विलोकन का मामला नहीं बनता है और इस पुनर्विलोकन याचिका में गुणागुण नहीं हैं। परिणामस्वरूप, यह पुनर्विलोकन याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy] dk;dkjh e[; U;k;kèkh'k ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efr

पुरूषोत्तम लाल शर्मा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. No. 240 of 2016 witn I.A. Nos. 3280, 3281 of 2016; 6450, 6444 of 2017. Decided on 6th September, 2017.

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950–धाराएँ 2(n) एवं 28(2)(s)–एक धार्मिक सार्वजनिक न्यास में सेवायत/पुजारी के पद के लिए दावा–झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड में सेवायत/पुजारी को नियुक्त करने की शक्ति निहित है–केवल बोर्ड ही न्यास समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं के आधार पर नये सेवायत/पुजारी को नियुक्त करने में सशक्त है–मूल याची यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि वो मूल न्यासी है क्योंकि अभिलेख पर कोई मूल न्यास विलेख नहीं है–अपीलार्थी एक अधिवक्ता है तथा वह मंदिर से अपना कार्यालय चला रहा है–अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, हरि सभा मंदिर धार्मिक न्यास समिति ने भी न्यास के सेवायत के तौर पर अपीलार्थी एवं मूल याची के भी दावे को अस्वीकार किया है–न तो पिता-मूल याची, न ही पुत्र-अपीलार्थी द्वारा यह संकल्प कभी भी चुनौती के अधीन था–अपीलार्थी यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि सेवायत/पुजारी का पद एक वंशानुगत पद है–मूल याची, जो स्वयं न तो न्यासी था, न ही सेवायत/पुजारी था, को न्यासी या सेवायत/पुजारी के तौर पर अपीलार्थी-पुत्र को नियुक्त करने की कोई अधिकारिता एवं प्राधिकार नहीं है–1,00,000/- रुपये के व्यय के साथ एल॰ पी॰ ए॰ खारिज। (पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Kaushalendra Prasad, For the Appellant; M/s Jai Prakash, Rishi Pallava, Ashok Kr. Yadav, For the Respondents.

डी॰ एन॰ पटेल, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश.–डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) संख्या 757 वर्ष 2006 दिनांक 27.4.2016 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए यह लेटर्स पेटेंट अपील

दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा इस अपीलार्थी के पिता द्वारा दाखिल याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था तथा अतएव, वर्तमान अपीलार्थी ने, मूल याची के पुत्र होने के नाते, वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील दाखिल किया है। इस अपीलार्थी ने प्रतिस्थापन के लिए रिट याचिका में आई॰ ए॰ संख्या 6370 वर्ष 2013 भी दाखिल किया है, इसे भी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। लेटर्स पेटेंट अपील में एक अपील दाखिल करने की अनुमति की ईप्सा करते हुए आई॰ ए॰ संख्या 6450 वर्ष 2017 भी दाखिल किया गया है। अपील करने की अनुमति प्रदान की जाती है क्योंकि यह अपीलार्थी मूल याची का पुत्र है।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि गोविन्द प्रसाद शर्मा, जो मूल याची है, द्वारा इस अपीलार्थी को एक पुत्र के तौर पर गोद लिया गया है एवं स्वीकार किया गया है। यह अपीलार्थी मूल याची का जैविक पुत्र भी है। इस प्रकार, अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि अपीलार्थी मूल याची का पुत्र है, परन्तु एक मंदिर, अर्थात्, दुमका जिला में अवस्थित हरि सभा मंदिर के सेवायत/पुजारी का अधिकार प्राप्त करने के लिये अपने पुत्र के तौर पर उसका दत्तक ग्रहण एवं स्वीकरण किया गया है। इस अपीलार्थी को गृहस्थ चेला के तौर पर स्वीकार किया गया है। यद्यपि यह अपीलार्थी मूल याची का पुत्र है, फिर भी, मूल याची ने भी गृहस्थ चेला के तौर पर उसे स्वीकार किया है एवं अपनाया है। हरि सभा मंदिर, दुमका की संस्कृति एवं हिन्दू धर्म के अनुसार सारे संस्कारों को अपनाने के उपरान्त, यह अपीलार्थी हरि सभा मंदिर के सेवायत/पुजारी होने का दावा कर रहा है तथा वह मंदिर के भीतर परिसर का अधिभोग करना चाहता है तथा अपने आप के एक न्यासी होने का दावा कर रहा है। यह अपीलार्थी दावा कर रहा है कि उसका पिता भी सेवायत/पुजारी तथा/या न्यासी था। अतएव, हरि सभा मंदिर के न्यास समिति का गठन चुनौती के अधीन था। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कई दस्तावेजों पर भरोसा किया है, जो आई॰ ए॰ संख्या 6444 वर्ष 2017 तथा आई॰ ए॰ संख्या 3280 वर्ष 2016 से भी संलग्न है। इन दस्तावेजों के आधार पर, अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उसका पिता भी एक सेवायत/पुजारी था एवं चूँकि उसके पिता ने इस अपीलार्थी को गृहस्थ चेला के तौर पर अपनाया है, यह अपीलार्थी भी एक सेवायत/पुजारी तथा/या न्यासी है। हरि सभा मंदिर न्यास, दुमका के लिए एक न्यास समिति का गठन करते समय मामले के इस पहलू का उपयुक्त रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 2(n) तथा 28(2)(s) पर भरोसा किया है तथा विधि के ही प्रावधानों के आधार पर, अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यह अपीलार्थी दुमका में अवस्थित हरि सभा मंदिर न्यास का एक न्यासी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि अधिनियम, 1950 की धारा 28(2)(s) के अधीन एक आवेदन पहले ही लंबित है, जो आई॰ ए॰ संख्या 6450 वर्ष 2017 के परिशिष्ट L/11 पर है। यह आवेदन अध्यक्ष, झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड के समक्ष लंबित है। पूर्वोक्त दस्तावेजों के आधार पर, जो दोनों अंतर्वर्ती आवेदनों से संलग्न हैं, यह निवेदन किया गया है कि इस अपीलार्थी के नाम को हरि सभा मंदिर न्यास के एक न्यासी के तौर पर सम्मिलित किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी के पिता द्वारा दाखिल रिट याचिका–डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) संख्या 757 वर्ष 2006–खारिज करते समय दिनांक 27.4.2016 के आदेश के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इन पहलुओं का उपयुक्त मूल्यांकन नहीं किया गया है, न ही डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) संख्या 757 वर्ष 2006 में दाखिल आई॰ ए॰ संख्या 6370 वर्ष 2013 को खारिज करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इन पहलूओं का मूल्यांकन किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यह अपीलार्थी हरि सभा मंदिर, दुमका का एक सेवायत/पुजारी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने उस दस्तावेज पर भरोसा किया है, जो आई॰ ए॰ संख्या 6450 वर्ष 2013 से संलग्न परिशिष्ट L/14 पर है तथा यह निवेदन किया गया है कि समिति की बैठक कभी भी नहीं बुलायी गयी है तथा निर्णय लिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन

किया गया है कि आई॰ ए॰ संख्या 6450 वर्ष 2017 से संलग्न परिशिष्टों L/15 तथा L/16 के आधार पर, प्रत्यर्थीगण द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लिया गया है, बल्कि, झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के कहने पर लिया गया है।

3. झारखंड राज्य के लिए उपस्थित होनेवाले अपर महाधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यह अपीलार्थी सेवायत/पुजारी के अधिकार को सिद्ध करने में विफल रहा है। झारखंड राज्य के अपर महाधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि मूल याची, जो इस अपीलार्थी का पिता है, अवैधानिक रूप से प्रश्नाधीन मंदिर के परिसर का आवासीय भवन के तौर पर अधिभोग कर रहा था। झारखंड राज्य के अपर महाधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि यह अपीलार्थी सिविल न्यायालय, दुमका में प्रैक्टिस करने वाला अधिवक्ता है तथा उसने अवैधानिक रूप से मंदिर के परिसर का भी अधिभोग कर लिया है एवं किसी प्राधिकार के बिना उक्त मंदिर में अपना कार्यालय तथा चैम्बर चला रहा है। अपर महाधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि सेवायत/पुजारी का पद एक वंशानुगत पद नहीं है। सेवायत/पुजारी को नियुक्त करने की शक्ति अधिनियम, 1950 के अधीन झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड में निहित है तथा अतएव, वर्तमान अपीलार्थी मूल याची के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने का हकदार नहीं है, न ही इस अपीलार्थी को कोई अपील दाखिल करने की कोई अनुमति प्रदान की जा सकती है। अपर महाधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि न्यास समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं के आधार पर बोर्ड नया सेवायत/पुजारी नियुक्त करने में सशक्त है। अपर महाधिवक्ता ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि मूल याची को कभी भी सेवायत/पुजारी तथा/या न्यासी के तौर पर नियुक्त नहीं किया गया था तथा अतएव, कुछ भी उसके पुत्र तक नहीं पहुंच सकता है, जो अपीलार्थी है। इसके प्रतिकूल, वह मंदिर में संस्कारों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तथा वह अवैधानिक रूप से अपने आवास के तौर पर मंदिर परिसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपर महाधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि मूल याची/इस अपीलार्थी ने भी बिहार सरकार की दिनांक 23.3.1994 की राजपत्र अधिसूचना पर भरोसा किया है। इस दस्तावेज को देखने पर, इस अपीलार्थी के पक्ष में कुछ भी नहीं है। वस्तुतः, इस अधिसूचना द्वारा, सभी संबंधित पक्षों से अभ्यापत्तियां आमंत्रित की गयी थीं। इस अधिसूचना के आधार पर, न तो इस अपीलार्थी के पिता के पक्ष में, न ही इस अपीलार्थी के पक्ष में कोई अधिकार दिया गया था। अपर महाधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि न तो न्यास विलेख अभिलेख पर है, न ही कोई ऐसा दस्तावेज है जो मूल याची या इस अपीलार्थी के इस तर्क को सिद्ध करता हो कि वे कभी भी न्यासी के तौर पर नियुक्त किये गये थे। एक कारण पृच्छा नोटिस भी मूल याची एवं इस अपीलार्थी, जो एक पुत्र है, को दी गयी है ऐसा अभिकथित करते हुए कि वे न्यास परिसर का दुरूपयोग कर रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, हरि सभा मंदिर न्यास समिति द्वारा निर्गत दिनांक 5.6.2006 की कार्यवाहियों के तहत इस अपीलार्थी का दावा पहले ही अस्वीकार किया जा चुका है। अपर महाधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि पूर्वोक्त संकल्प अपनी अंतिमता प्राप्त कर चुका है क्योंकि न तो पिता, न ही पुत्र ने कभी भी संकल्प को चुनौती दिया था। अपर महाधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि हरि सभा मंदिर न्यास के प्रबंधन के लिये समिति का पहले ही गठन किया जा चुका है तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा न्यास के हित में सेवायत/पुजारी के हटाये जाने के मामले में यह समिति एक निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत है। अपर महाधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि अधिनियम, 1950 की धारा 2(n) 'न्यासी' को परिभाषित करती है। न तो वर्तमान अपीलार्थी, न ही मूल याची इस तर्क को सिद्ध करने में सक्षम रहा है कि उन्हें कभी भी न्यासी के तौर पर नियुक्त किया गया

था। इसी प्रकार, न तो मूल याची, न ही इस अपीलार्थी ने सिद्ध किया है कि उन्हें मूल न्यास विलेख के अधीन न्यासी के तौर पर नियुक्त किया गया था। इस प्रकार, न तो मूल याची, न ही यह अपीलार्थी मूल न्यासी है, न ही उन्हें न्यासी के तौर पर कभी भी नियुक्त किया गया था। मामले के इन पहलूओं का विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मूल याची द्वारा दाखिल रिट याचिका खारिज करते समय तथा रिट याचिका–डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) संख्या 757 वर्ष 2006–में इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल अंतर्वर्ती आवेदन–आई॰ ए॰ संख्या 6370 वर्ष 2013–खारिज करते समय भी उपयुक्त रूप से मूल्यांकन किया गया है। अपर महाधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यह अपीलार्थी यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि एक धार्मिक सार्वजनिक न्यास में सेवायत/पुजारी का पद एक अनुवांशिक पद है तथा अतएव, इस लेटर्स पेटेंट अपील को इस न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाय।

कारण

4. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, हम मुख्यत: निम्नांकित तथ्यों एवं कारणों से लेटर्स पेटेंट अपील को ग्रहण करने का कोई कारण नहीं देखते हैं:

(i) मूल याची गोविन्द प्रसाद शर्मा है, जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अधीन धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा हरि सभा मंदिर न्यास की न्यास समिति के गठन को प्रश्नाधीन करते हुए डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) संख्या 757 वर्ष 2006 में याची है।

(ii) उन दस्तावेजों को देखते हुए, जो रिट याचिका के साथ संलग्न है तथा इस लेटर्स पेटेंट अपील में दाखिल दोनों अंतर्वर्ती आवेदनों से भी संलग्न है, यह प्रतीत होता है कि मूल याची को कभी भी न्यासी के तौर पर नियुक्त नहीं किया गया था। मूल न्यास विलेख अभिलेख पर है ही नहीं। यह अपीलार्थी मूल याची का पुत्र है। वह प्रश्नाधीन मंदिर का सेवायत/पुजारी होने का दावा करता है। अपीलार्थी द्वारा यह भी अभिकथित किया गया है कि उसे मूल याची के पुत्र के तौर पर अपनाया एवं स्वीकार किया गया है। सारे संस्कार पूरे करने के उपरान्त इस अपीलार्थी को गृहस्थ चेला के तौर पर स्वीकार किया गया है। यह तर्क इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है मुख्यत: इस कारण कि एक बार जब हम सेवायत/पुजारी के तौर पर मूल याची को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सेवायत/पुजारी के तौर पर इस अपीलार्थी के अधिकार, चाहे जो कुछ भी उद्‌भूत होता हो, को स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(iii) मूल याची यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि वह मूल न्यासी है क्योंकि अभिलेख पर कोई मूल न्यास विलेख नहीं है। इसी प्रकार, मूल याची यह भी सिद्ध करने में विफल रहा है कि उसे न्यासी तथा/या सेवायत/पुजारी के तौर पर किसी के द्वारा नियुक्त किया गया था।

(iv) तत्प्रतिकूल, मूल याची को तथा इस अपीलार्थी को भी एक कारण पृच्छा नोटिस भी दी गयी है कि वे अवैधानिक रूप से मंदिर परिसर का अधिभोग कर रहे हैं। यह अपीलार्थी एक अधिवक्ता है तथा वह मंदिर से अपना कार्यालय चला रहा है।

(v) मामले के तथ्यों से यह भी प्रकट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, हरि सभा मंदिर धार्मिक न्यास समिति ने भी दिनांक 5.6.2006 की कार्यवाहियों के तहत न्यास के सेवायत के तौर पर अपीलार्थी एवं मूल याची के भी दावे को अस्वीकार कर दिया है। यह चुनौती कभी भी न तो पिता–मूल याची, न ही पुत्र–अपीलार्थी द्वारा चुनौती के अधीन था।

(vi) यह अपीलार्थी इसे सिद्ध करने में विफल रहा है कि सेवायत/पुजारी का पद एक अनुवांशिक पद है। इसके प्रतिकूल, झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड में सेवायत/पुजारी को नियुक्त करने की

शक्ति निहित है। न्यास समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं के आधार पर केवल बोर्ड नये सेवायत/पुजारी को नियुक्त करने में सशक्त है।

(vii) इस प्रकार, मामले के तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि न तो मूल याची, न ही इस अपीलार्थी को कभी भी सेवायत/पुजारी के पद पर नियुक्त किया गया था तथा वे मंदिर में संस्कारों के निष्पादन में अड़चन उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे अवैधानिक रूप से मंदिर के परिसर का अपने आवास के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तथा यह अपीलार्थी अपने कार्यालय/चैम्बर के रूप में मंदिर परिसर का इस्तेमाल कर रहा है।

(viii) अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित दिनांक 23.3.1994 की राजपत्र अधिसूचना पर भरोसा किया है जो इस लेटर्स पेटेंट अपील में दाखिल आई॰ ए॰ संख्या 6450 वर्ष 2017 के परिशिष्ट L/10 पर है। हमने राजपत्र अधिसूचना का परिशीलन किया है। इस राजपत्र अधिसूचना को देखते हुए, यह कहा नहीं जा सकता है कि इस अपीलार्थी को या मूल याची को कभी भी मंदिर के न्यासी तथा/या सेवायत/पुजारी के तौर पर नियुक्त किया गया था। इसके प्रतिकूल, सभी संबंधित पक्षों से अभ्यापत्तियां आमंत्रित की गयी थी तथा इसके अधिक कुछ नहीं। इस प्रकार, उक्त अधिसूचना इस अपीलार्थी के लिए किसी काम की नहीं है।

(ix) बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 2(n) तथा धारा 28(2)(s) निम्नवत् पठित है:–

"2. ***ifjHkk"kk-&***............

(a) ....

(b) ....

(c) ....

(n) U;klh l vfHkçr g dkb 0;fDr] pkg ft l Hkh inuke l tkuk tk;] pkg rk ekf[kd :i l ;k fdlh foy[k ;k fy[kr }kjk ;k ,l U;kl d pyu d vu:i ;k ftykfèkdkjh ;k fdlh vU; l{ke 0;fDr }kjk èkkfed U;kl dk ç'kklu dju d fy, fu;Dr 0;fDr rFkk ble lfEefyr g fdlh U;kl l ifÙk dk bl çdkj çcèk dju ;k ç'kklu dju d fy, lfefr dk dkb lnL; ;k dkb vU; 0;fDr rFkk U;klh d dr0;k dk ijk dju d fy, U;klh }kjk fu;Dr 0;fDr(

28. ***ckM dh lkekU; 'kfDr;k ,o dÙk0;-&****(1) ....*

(2) ....

(a) ....

(b) ....

(c) ....

*(s) U;klh dk viu in l lokfuoÙk gku dh vuefr nuk rFkk vxj U;klh dk viuk mÙkjkfèkdkjh fu;Dr dju dh 'kfDr;k g] ml viu thoudky e fu;fDr dju dh vuefr nuk rFkk lLFkkid dh bPNkvk ,o ckM rFkk l{ke U;k;ky; }kjk vuekfnr U;kl d chp g, le>kr d vè;èkhu] èkkjk 28(2) (h) d vèkhu in l gVk; tku l mRiUu fjfDr;k e U;klh dk fu;Dr djukA***

(x) पूर्वोक्त प्रावधानों की दृष्टि में, मूल याची, जो स्वयं न तो न्यासी था न ही सेवायत/पुजारी था, के पास न्यासी या सेवायत/पुजारी के तौर पर इस अपीलार्थी–पुत्र को नियुक्त करने की कोई शक्ति, अधिकारिता एवं प्राधिकार नहीं है।

(xi) ''मूलो नास्ति कुतो शाखा'' अगर मूल याची के पास न्यासी या सेवायत/पुजारी के तौर पर कोई शक्ति, अधिकारिता एवं प्राधिकार नहीं है, इस अपीलार्थी के लिये न्यासी के तौर पर या सेवायत/पुजारी के तौर पर अपने होने का दावा करने का किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता है। इसके प्रतिकूल, मंदिर परिसर के अवैधानिक इस्तेमाल के कारण उन दोनों को कारण पृच्छा नोटिसें निर्गत की गयी हैं तथा अध्यक्ष, हरि सभा मंदिर धार्मिक न्यास समिति ने न्यास के एक सेवायत के तौर पर बने रहने के मूल याची के दावे को दिनांक 5.6.2006 की कार्यवाहियों के तहत अस्वीकार कर दिया है तथा इस संकल्प को किसी के भी द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गयी है। यह संकल्प अपनी अंतिमता प्राप्त कर चुका है।

(xii) अधिनियम, 1950 की धारा 28(2)(s) न्यास पर लागू होती है तथा सेवायत/पुजारी पर नहीं। मूल याची न तो मूल न्यासी था, क्योंकि मूल न्यास विलेख अभिलेख पर है ही नहीं, न ही मूल याची को कभी भी न्यासी के तौर पर किसी के द्वारा नियुक्त किया गया था। इसके प्रतिकूल, जब मूल याची एक न्यासी नहीं है, यह अपीलार्थी न्यासी के तौर पर नियुक्त किये जाने का दावा नहीं कर सकता है। जब मूल याची एक सेवायत/पुजारी नहीं है तथा उक्त पद एक अनुवांशिक पद नहीं है, यह अपीलार्थी सेवायत/पुजारी के तौर पर नियुक्त किये जाने का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि यह अपीलार्थी इसे सिद्ध करने में विफल रहा है कि सेवायत/पुजारी किसी धार्मिक सार्वजनिक न्यास में एक आनुवंशिक पद है। इसके प्रतिकूल, सेवायत/पुजारी को नियुक्त करने की शक्ति बोर्ड में निहित है। न्यास समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर बोर्ड नये सेवायत/नये पुजारी को नियुक्त करने में भी सशक्त है। मामले के इन पहलूओं की मूल याची द्वारा दाखिल रिट याचिका–डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) संख्या 757 वर्ष 2006–को दिनांक 27.4.2016 के आदेश के तहत खारिज करते हुए तथा डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) संख्या 757 वर्ष 2006 में अपीलार्थी द्वारा दाखिल आई॰ ए॰ संख्या 6370 वर्ष 2013 को भी खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उपयुक्त रूप से मूल्यांकन किया गया है। क्योंकि मूल याची की मृत्यु हो गयी थी तथा इस अपीलार्थी ने डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) संख्या 757 वर्ष 2006 में आई॰ ए॰ संख्या 6370 वर्ष 2013 दाखिल करके उसके प्रतिस्थापन के लिए आग्रह किया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका एवं अंतर्वर्ती आवेदन को भी खारिज कर दिया है इस आधार पर कि न तो मूल याची को न्यासी के तौर पर कोई अधिकार था, न ही मूल याची के पास सेवायत/पुजारी के तौर पर कोई अधिकार था। मुख्यत: इस कारण कि सेवायत/पुजारी का ऐसा पद एक अनुवांशिक पद है ही नहीं।

5. पूर्वोक्त तथ्यों तथा कारणों के एक संचयी प्रभाव के तौर पर, हम उस दृष्टिकोण से इतर कोई दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं देखते हैं जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया है। दिनांक 27.4.2016 के आदेश के तहत आई॰ ए॰ संख्या 6370 वर्ष 2013 के साथ रिट याचिका–डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) संख्या 757 वर्ष 2006–खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिये गये दृष्टिकोण से पूर्णत: सहमत हैं। इस प्रकार, इस लेटर्स पेटेंट अपील में कोई दम नहीं है तथा इसे एतद्द्वारा 1,00,000/– रुपये (एक लाख रुपये मात्र) के व्यय के साथ खारिज किया जाता है, जिसका इस अपीलार्थी द्वारा आज से छह सप्ताहों के भीतर हरि सभा मंदिर न्यास को भुगतान किया जायेगा, क्योंकि काफी लंबे समय से पिता एवं पुत्र ने भी अपने आवास के तौर पर मंदिर परिसर का इस्तेमाल किया है। यह अपीलार्थी मंदिर के कार्यालय के तौर पर मंदिर परिसर का इस्तेमाल कर रहा है।

6. इस लेटर्स पेटेंट अपील में पारित अंतिम आदेश की दृष्टि में, उपरोल्लिखित सभी चार अंतर्वर्ती आवेदन भी निस्तारित किये जाते हैं।

7. इस न्यायालय के महापंजीयक को इस आदेश की एक प्रति हरि सभा मंदिर न्यास, दुमका को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

शांति सिन्हा (507 में)

अशोक ओराँव एवं अन्य (5458 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (दोनों में)

W.P.(C) Nos. 507 of 2006 with 5458 of 2005. Decided on 20th November, 2017.

(क) छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908–धारा 71-A, द्वितीय परंतुक–भूमि का प्रत्यास्थापन–याची ने दिनांक 14.1.1958 के निबंधित विक्रय विलेख के माध्यम से प्रश्नाधीन जमीन खरीदी थी तथा, तत्पश्चात्, इसपर एक घर का निर्माण किया था–परिसीमा का मुद्दा याची के समक्ष बिल्कुल उपलब्ध था, परन्तु इसे मुकदमें के पिछले चक्र में नहीं उठाया गया था–याची को इस चरण में परिसीमा का मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह सि॰ प्र॰ सं॰ की धारा 11 के स्पष्टीकरण (iv) के प्रावधानों द्वारा बाधित है–अंतरक सभी मामलों में अंतरिती को एक वैकल्पिक भूखंड उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है–निजी प्रत्यर्थीगण की ओर से हुये दोष के कारण विलम्ब नहीं हुआ है, बल्कि यह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के लंबित रहने के कारण हुआ था–आयुक्त को 15.3.2003 को यथा प्रचलित भूमि की सरकारी दर को विचार में लेकर प्रश्नाधीन जमीन का मुआबजा निर्धारित करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 7 से 9)

(ख) छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908–धारा 71-A, द्वितीय परंतुक–मुआवजे की राशि का निर्धारण–प्रतिकर उपलब्ध कराने का प्रयोजन विस्थापित व्यक्ति का पुनर्वास है–अनुसूचित जनजाति के सदस्य, जिसे किसी जमीन से विस्थापित किया गया है, को अपने पुनर्वास के लिए प्रतिकर की पर्याप्त राशि प्राप्त होनी चाहिए। (पैरा 8)

निर्णयज विधि.–(2000)5 SCC 141—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s P.P.N. Roy, Pandey A.N. Roy (in 507); V. Shivnath, Niraj Kishore (in 5458), For the Petitioner; M/s V. Shivnath, Niraj Kishore, (in 507); P.P.N. Roy, Pandey A.N. Roy, (in 5458), For the Respondents.

आदेश

एस॰ ए॰ आर॰ पुनरीक्षण संख्या 28 वर्ष 2004 (डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) संख्या 507 वर्ष 2006 का परिशिष्ट 4) में आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल, रांची द्वारा पारित दिनांक 7.3.2005/16.5.2005 के आदेश के अंश, एस॰ ए॰ आर॰ अपील संख्या 9 (आर॰) 15/2003-04 (डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ संख्या 507 वर्ष 2006 का परिशिष्ट 3) में अपर समाहर्त्ता, रांची द्वारा पारित दिनांक 11.6.2004 के आदेश तथा एस॰ ए॰ आर॰ संख्या 294 वर्ष 1981 (डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) संख्या 507 वर्ष 2006) में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता-सह-विशेष पदाधिकारी, रांची द्वारा पारित दिनांक 15.3.2003 के आदेश को भी निरस्त करने के लिए डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) संख्या 507 वर्ष 2006 को दाखिल किया गया है, जिसके द्वारा अवर न्यायालयों ने प्रश्नाधीन जमीन के प्रत्यास्थापन के लिये छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम (संक्षेप में 'सी॰ एन॰ टी॰' अधिनियम) की धारा 71A के अधीन क्रमशः आवेदन, अपील एवं पुनरीक्षण को अस्वीकार कर दिया है। निजी प्रत्यर्थीगण ने भी इन्हीं आदेशों को चुनौती देते हुए डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) संख्या 5458 वर्ष 2005 दाखिल किया है।

2. चूँकि दोनों रिट याचिकाएं एक ही आदेश (आदेशों) से उद्भूत हैं, इनका इस सम्मिलित निर्णय द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। दोनों रिट याचिकाओं के निस्तारण के लिये डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰ संख्या 507 वर्ष 2006 को एक अग्रणी मामले के तौर पर लिया गया है।

3. मामले की तथ्यपरक पृष्ठभूमि यह है कि निजी प्रत्यर्थीगण के पिता ने ग्राम कटहरगोंडा, पुलिस थाना गोंडा, जिला राँची में अवस्थित खाता संख्या 16, भूखंड संख्या 657 एवं 658 के अधीन जमीन (इसमें इसके पश्चात् 'उक्त भूमि' के तौर पर निर्दिष्ट) के प्रत्यास्थापन के लिये सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 71A के अधीन एस॰ ए॰ आर॰ केस संख्या 294/1981 के तहत प्रत्यास्थापन मामला दाखिल किया था, जिसे 10.6.1983 को अनुज्ञात कर दिया गया था। याची ने अपर समाहर्त्ता, राँची के समक्ष अपील-एस॰ ए॰ आर॰ अपील संख्या 89 वर्ष 1983-84 दाखिल किया था जिन्होंने दिनांक 22.5.1986 के आदेश के तहत मामला मूल न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया था मुख्यत: इस आधार पर कि जमीन पर एक बड़ा निर्माण कार्य विद्यमान था। याची ने प्रमंडल आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर के समक्ष एस॰ ए॰ आर॰ पुनरीक्षण संख्या 380 वर्ष 1986 दाखिल किया था, इसे भी 8.12.1986 को खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात्, याची ने पटना उच्च न्यायालय की रांची पीठ के समक्ष एक रिट याचिका-CWJC संख्या 273/1987 (आर॰)-दाखिल किया था जिसे सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 71A के तीसरे परंतुक को विचार में लेने के उपरान्त मामले की फिर से सुनवाई करने के लिये दिनांक 27.11.1996 के आदेश के तहत अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया गया था। याची ने एल॰ पी॰ ए॰ दाखिल किया था, परन्तु इसे 20.8.1997 को वापस ले लिया गया था। तत्पश्चात्, सिविल पुनर्विलोकन संख्या 64 वर्ष 1997 दाखिल किया गया था, जिसमें दिनांक 14.12.1999 के आदेश के तहत दिनांक 27.11.1996 के आदेश में उल्लिखित ''तीसरे परंतुक'' शब्द को सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 71A के ''दूसरे परंतुक'' के तौर पर उपांतरित कर दिया गया था। दिनांक 27.11.1996 के आदेश के अनुपालन में, दिनांक 15.3.2003 के आदेश के तहत एस॰ ए॰ आर॰ पदाधिकारी ने पूर्वोक्त जमीन के 18,000/- रुपये की प्रति कट्ठा के दर से प्रत्यर्थी को प्रतिकर का भुगतान करने का याची को निर्देश दिया था। याची ने पुन: अपर समाहर्त्ता, रांची के न्यायालय के समक्ष अपील-एस॰ ए॰ आर॰ अपील संख्या 9 R 15 वर्ष 2003-2004-दाखिल किया था तथा निजी प्रत्यर्थीगण ने भी अपील-एस॰ ए॰ आर॰ अपील संख्या 22 R 15 वर्ष 2003-04-दाखिल किया था। दोनों अपीलों को 11.6.2004 को खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात्, याची तथा निजी प्रत्यर्थीगण ने आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन, जो क्रमश: एस॰ ए॰ आर॰ पुनरीक्षण संख्या 28 वर्ष 2004 तथा एस॰ ए॰ आर॰ पुनरीक्षण संख्या 31/2004 थे, दाखिल किया था। दोनों पुनरीक्षण आवेदनों को एक साथ सुना गया था तथा 16.5.2005 को खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात्, याची ने विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रतिकर की राशि जमा कर दी थी तथा अब यथा जमा की गयी प्रतिकर की राशि के प्रतिदाय के लिये आग्रह कर रहा है।

4. याची की ओर से उपस्थित होनेवाले विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची ने स्वर्गीय महाराजा प्रताप उदय नाथ साहदेव की पत्नी सौदामंदी देवी से 14.1.1958 को एक निर्बंधित विक्रय विलेख के द्वारा प्रश्नाधीन जमीन खरीदी थी तथा 1969 के पहले इसपर एक घर का निर्माण किया गया था एवं तत्पश्चात् वह इसके किराये का भुगतान अंचल कार्यालय में तथा रांची नगर निगम को नगरपालिका कर का भी भुगतान करती रही है। याची को 30.12.1960 से घर में विद्युत संयोजन प्राप्त है। यह भी निवेदन किया गया है कि वर्ष 1940 में ही निर्बंधित विलेख के माध्यम से खतियानी रैयत ने उक्त जमीन का समर्पण कर दिया था जबकि वर्ष 1981, अर्थात्, कब्जाविहीन होने के 40 वर्षों के उपरान्त प्रत्यास्थापन आवेदन दाखिल किया गया था।

5. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता **(2000) 5 SCC 141** में रिपोर्ट किये गये **जय मंगल ओराँव बनाम मीरा नायक** के मामले में दिये गये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं तथा

निवेदन करते हैं कि प्रत्यास्थापन आवेदन को ही कब्जाविहिन करने की तिथि से 30 वर्षों के उपरान्त ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए था।

6. निजी प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित होनेवाले विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 71A के दूसरे परंतुक का अवलंब लेते समय, अवैधानिक अंतरण को वैध बनाने के पहले अवर न्यायालयों के लिए अनुसूचित जाति के सदस्यों की एक वैकल्पिक भूखंड को उपलब्ध कराना बाध्यकर था। इससे भी बढ़कर, अपर न्यायालयों ने दोषपूर्ण रूप से 12 कट्ठा जमीन के लिए 18,000/- रुपये प्रति कट्ठा के तौर पर मुआवजा निर्धारित किया है। यह भी निवेदन किया गया है कि **जय मंगल ओराँव (ऊपर)** का अनुपात ऐसे मामलों पर लागू नहीं होता है, जो पहले ही अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान मामले में, अवर न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रतिकर की राशि पहले ही जमा की जा चुकी है। यह भी निवेदन किया गया है कि दिनांक 27.11.1996 के आदेश को सामले लानेवाले डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) संख्या 273 वर्ष 1987 के न्याय निर्णयन के दौरान पहले परिसीमा के मुद्दे पर न तो कोई आग्रह, न ही कोई अभिवचन किया गया था। याची ने भी दिनांक 27.11.1996 के आदेश के विरूद्ध कोई अपील दाखिल नहीं किया था। इस प्रकार, इस चरण में, परिसीमा का मुद्दा नहीं उठाया जा सकता है। यह भी निवेदन किया गया है कि एक बार परिसीमा के मुद्दे के अंतिमता प्राप्त कर लेने पर, उक्त मुद्दा सि॰ प्र॰ सं॰ की धारा 11 के स्पष्टीकरण (iv) द्वारा बाधित है तथा याची द्वारा पुनः इसपर जिरह नहीं किया जा सकता है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का परिशीलन किया। यह प्रतीत होता है कि याची ने दिनांक 14.1.1958 के निर्बंधित विक्रय विलेख के माध्यम से प्रश्नाधीन जमीन खरीदी थी तथा, तत्पश्चात्, उसपर एक घर का निर्माण किया था। अपने कब्जे के समर्थन में, याची ने उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार, रांची के न्यायालय के समक्ष नामांतरण केस सं॰ 20 (R) 27/58-59 के तहत निर्गत अपनी परिशुद्धि पर्ची तथा वर्ष 1960 के विद्युत विपत्रों को भी दाखिल किया था। निजी प्रत्यर्थीगण ने सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 71A के अधीन एक भूमि प्रत्यास्थापन मामला-एस॰ ए॰ आर॰ केस संख्या 294/1981-दाखिल किया था, जिसे अनुज्ञात कर दिया गया था। तथापि, अपील में अपर समाहर्त्ता ने मामला उप-समाहर्त्ता, भूमि सुधार को प्रतिप्रेषित कर दिया था मुख्यतः इस आधार पर कि उक्त भूमि पर एक बड़ी संरचना थी। पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण याचिका की खारिजी के उपरान्त, याची ने पटना उच्च न्यायालय की रांची पीठ के समक्ष रिट याचिका-CWJC संख्या 273/1987 (आर॰)-दाखिल किया था जिसका 27.11.1996 को निर्णय किया गया था। उक्त निर्णय का पैरा 7 निम्नवत् पठित है:-

> *"7. vihyh; vkn'k rFkk iujh{k.k vkn'k d ifj'khyu l ;g e> irhr gkrk g fd iujh{k.k U;k;ky; u Hkh gLr{ki dju l budkj dj fn;k Fkk bl vkèkkj ij fd vihyh; U;k;ky; u Hkh eY;kdu d fy, ekeyk voj U;k;ky; dk ifrif"kr dj fn;k FkkA bl dgu dh vko';drk ugh g fd pfd ekeyk iR;Fkh l[;k 4 dk ifrif"kr dj fn;k x;k g] ;g vif{kr g fd iR;Fkh l[;k 4 i'u dk fu.k; djr le; mDr vfèkfu;e dh èkkjk 71A d ijrd (3) dk fopkj e yxkA***

8. तथापि, दिनांक 27.11.1996 के आदेश का सिविल पुनर्विलोकन संख्या 64 वर्ष 1997 में पुनर्विलोकन किया गया था इस सीमा तक कि दिनांक 27.11.1996 के आदेश में उल्लिखित शब्द ''तीसरे परंतुक'' को सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 71A के ''दूसरे परंतुक'' के तौर पर प्रतिस्थापित कर दिया गया था। यद्यपि सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ संख्या 273/1987(R) में पारित आदेश के विरूद्ध एल॰ पी॰ ए॰ दाखिल किया गया था, परन्तु इसे वापस ले लिया गया था। इस प्रकार, रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर लिया था। इस तथ्य की दृष्टि में कि सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 71A के

''दूसरे परंतुक'' के अधीन भूमि पर भारी संरचना के अस्तित्व में होने के बिन्दु पर दिनांक 22.5.1986 के आदेश के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा मामला प्रतिप्रेषित कर दिया गया था तथा CWJC संख्या 273 वर्ष 1987(R) में पटना उच्च न्यायालय की रांची पीठ द्वारा उक्त आदेश अभिपुष्ट भी कर दिया गया था, अन्य के साथ यह निर्णीत करते हुए कि प्रश्न का निर्णय करते समय प्राधिकारी सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 71A के दूसरे परंतुक को विचार में लेंगे, याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता का यह तर्क कि प्रत्यास्थापन आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित था, तर्कपूर्ण नहीं है। याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने यह भी तर्क रखा है कि जयमंगल ओराँव का निर्णय बाद में दिया गया है तथा इस कारण पिछले अवसर पर परिसीमा के आधार का आग्रह नहीं किया गया था। याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकारणीय नहीं है। **जय मंगल ओराँव (ऊपर)** के मामले में दिये गये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के निरपेक्ष याची के समक्ष परिसीमा का मुद्दा बिल्कुल उपलब्ध था, परन्तु इसे मुकदमें के पिछले चक्र में नहीं उठाया गया था तथा इस कारण, अब **जय मंगल ओराँव (ऊपर)** के मामले में दिये गये निर्णय के आधार पर याची को इस चरण में परिसीमा का मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह सि॰ प्र॰ सं॰ की धारा 11 के स्पष्टीकरण (iv) के प्रावधानों द्वारा बाधित है। जहां तक निजी प्रत्यर्थीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता का यह तर्क कि वह परिसर में बराबर मूल्य के एक वैकल्पिक भूखंड को पाने के हकदार हैं, सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 71A के ''दूसरे परंतुक'' के प्रावधान के कोरे पठन पर, यह प्रकट होगा कि अंतरिती को दो विकल्प उपलब्ध होते हैं, अर्थात्, आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान करने का या अंतरक/विस्थापित व्यक्ति को एक वैकल्पिक भूखंड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का। अंतरक सभी मामलों में अंतरिती को एक वैकल्पिक भूखंड उपलब्ध कराने के लिये बाध्य नहीं कर सकता है। जहां तक निजी प्रत्यर्थीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता के अन्य तर्क का संबंध है कि अवर न्यायालयों द्वारा निर्धारित प्रतिकर पर्याप्त नहीं है, एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ के दिनांक 15.3.2003 के आक्षेपित आदेश के परिशीलन पर, यह प्रतीत होता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने 18,000/- रुपये प्रति कट्ठा के तौर पर उक्त भूमि के प्रतिकर का निर्णय किया है, तथापि, प्रतिकर की ऐसी गणना का आधार चिन्हित नहीं किया गया है। अपील में, अपर समाहर्त्ता ने प्रतिकर की अपर्याप्तता के बारे में निजी प्रत्यर्थीगण के दावे को विचार में लेते हुए निर्णीत किया है कि अगर वर्ष 1986 में ही दावे का निर्णय कर लिया गया होता, प्रतिकर की राशि के संबंध में कोई विवाद नहीं रहा होता। प्रतिकर की पर्याप्तता का निर्णय करते समय पुनरीक्षण पदाधिकारी ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया है। तथापि, अवर न्यायालय इसे विचार में लेने में विफल रहे हैं कि 2003 तक न्यायालयों में से किसी के भी द्वारा प्रतिकर की राशि का निर्णय नहीं किया गया था तथा वर्ष 2003 में ही प्रतिकर का फैसला किया गया था। इस प्रकार, अवर न्यायालयों को इस तथ्य को विचार में लेना था कि निजी प्रत्यर्थीगण की ओर से हुये दोष के कारण विलम्ब नहीं हुआ है, बल्कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के लंबित रहने के कारण ऐसा हुआ था। सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 71A के दूसरे परंतुक के परिशीलन पर, यह प्रतीत होगा कि मुआवजा उपलब्ध कराने का उद्देश्य विस्थापित व्यक्ति का पुनर्वास है तथा इस प्रकार इसका इसे ध्यान में रखकर निर्धारण किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति के सदस्य, जिसे किसी भूमि से विस्थापित किया गया है, को अपने पुनर्वास के लिए मुआवजे की पर्याप्त राशि प्राप्त हो। अगर अवर न्यायालय द्वारा दिये गये तर्क को स्वीकार किया जाता है वह उद्देश्य, जिसके लिये सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 71A में विधायिका द्वारा सचेत रूप से दूसरा परंतुक रखा गया है, निश्चित रूप से निष्फल हो जायेगा तथा कोई भी विस्थापित व्यक्ति पर्याप्त मुआवजा प्राप्त नहीं कर सकता है।

9. पूर्वोक्त परिचर्चाओं की दृष्टि में, डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) संख्या 507 वर्ष 2006 एतद् द्वारा खारिज किया जाता है तथा 15.3.2003 को यथा प्रचलित भूमि की सरकारी दर को विचार में लेकर प्रश्नाधीन जमीन के प्रतिकर का निर्धारण करने एवं विधि के अनुसार इसे वितरित करने का एक निर्देश आयुक्त, छोटानागपुर प्रमंडल, रांची को देते हुए डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) संख्या 5458 वर्ष 2005 निस्तारित किया जाता है।

---

ekuuh; ,p॰ lh॰ feJk ,o ch॰ ch॰ exyefr] U;k;efrx.k

भरत कंसारी

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (D.B.) Nos. 237 of 2017 with I.A. No. 1192 of 2017. Decided on 15th January, 2018.

एस॰ टी॰ संख्या 289 वर्ष 2009 में अपर सत्र न्यायाधीश-1, गुमला द्वारा पारित दिनांक 16.3.2013 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 19.3.2013 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 304 भाग II—पत्नी का सदोष मानववध—दोषसिद्धि एवं दंडादेश—चिकित्सीय साक्ष्य की दृष्टि में, अभियुक्त का अपनी पत्नी की हत्या कारित करने का कोई आशय नहीं था—दोषसिद्धि बरकरार—चूँकि मृतका पर एकमात्र बाहरी उपहति उदर पर एक खरोंच थी तथा प्लीहा के फट जाने के कारण मृतका की मृत्यु हुई थी, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध के लिए विधि द्वारा विहित अधिकतम दंडादेश अपीलार्थी पर अधिरोपित किये जाने के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं था—अपीलार्थी 8 वर्षों से अधिक समय से हिरासत में है—न्याय के हित में दंडादेश अपीलार्थी द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि में परिवर्तित। (पैराएँ 9 से 12)

अधिवक्तागण.—Mr. Md. Zaid Ahmed, For the Appellant; A.P.P., For the State.

न्यायालय द्वारा.—यद्यपि यह मामला जमानत के लिए अपीलार्थी द्वारा दाखिल अंतर्वर्ती आवेदन पर विचार किये जाने के लिए सूचिबद्ध है, परन्तु अभिलेख का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि इसी चरण में समूची अपील का निस्तारण किया जा सकता है, जो तद्नुसार किया जा रहा है।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

3. अपीलार्थी एस॰ टी॰ संख्या 289 वर्ष 2009 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-I, गुमला द्वारा पारित दिनांक 16.3.2013 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 19.3.2013 के दंडादेश से व्यथित है, जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी भरत कंसारी को अपनी ही पत्नी की मृत्यु कारित करने का दोषी पाया गया है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई करके, अपीलार्थी को उक्त अपराध के लिये 10 वर्षों का सश्रम कारावास भुगतने एवं 2,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने का दंडादेश सुनाया गया है।

4. मृतका हिनू देवी के पिता रामकृष्ण साहू के फर्दबयान पर अभियोजन मामला संस्थित किया गया था, जिसमें उसने कथित किया है कि उसकी पुत्री का वर्ष 1995 में अभियुक्त के साथ विवाह हुआ था।

विवाह बंधन से उन्हें दो संतानें प्राप्त हुई थी तथा विवाह के कुछ वर्षों के उपरान्त, अभियुक्त को कुछ बुरी आदतें हो गयी थी जिनमें अपनी पत्नी को मारना-पीटना सम्मिलित था। यह कथित किया गया था कि 2.8.2009 को, सूचनादाता को सूचित किया गया था कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी को मारा-पीटा था तथा जिसके कारण वह मूर्छित हो गयी थी, जिसपर वह घटनास्थल गया था एवं अपनी पुत्री को मूर्छित पाया था। वह गर्भवती भी थी। उसे अस्पताल लाया गया था परन्तु उसकी मृत्यु हो गयी थी। सूचनादाता के फर्दबयान के आधार पर, अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपराध के लिये जी॰ आर॰ संख्या 596 वर्ष 2009 के तत्सम पालकोट पुलिस थाना केस सं॰ 29 वर्ष 2009 संस्थित किया गया था तथा अन्वेषण प्रारंभ किया गया था। अन्वेषण के उपरान्त, पुलिस ने मामले में अभियोग पत्र दाखिल किया था।

5. मामला सत्र न्यायालय भेजे जाने के उपरान्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया था, तथा अभियुक्त के दोषी न होने का अभिवचन करने पर तथा विचारण किये जाने का दावा करने पर, उसे विचारण पर रखा गया था।

6. विचारण के अनुक्रम में, अभियोजन ने मामले में 11 गवाहों को परीक्षित किया है, तथा उनमें अभियुक्त की माता, अर्थात्, अ॰ सा॰ 1 जानकी देवी, अभियुक्त की भाभी, अर्थात्, अ॰ सा॰ 2 दयमंती देवी, अभियुक्त के भाई, अर्थात्, अ॰ सा॰ 3 लखन कंसारी, तथा अभियुक्त के पुत्र, अर्थात्, अ॰ सा॰ 8 अर्जुन कंसारी भी सम्मिलित हैं तथा इन गवाहों ने भी अभियोजन मामले का समर्थन किया है, ऐसा कथित करते हुए कि यह अभियुक्त था जिसने अपनी पत्नी पर प्रहार किया था। अन्य गवाह, जिसमें सूचनादाता सम्मिलित है जो मृतका का पिता है, तथा मृतका के भाई ने भी अभियोजन मामले का समर्थन किया है।

7. तथापि, उस चिकित्सक, जिसने मृतका के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया था, का साक्ष्य इस मामले में अति महत्वपूर्ण है। अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ सुगेन्द्र साईं ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया था तथा उन्हें शव पर केवल दो बाहरी उपहतियां मिली थीं, एक दायें पैर पर चोट थी तथा दूसरी उदर के बायें हिस्से पर 2" x 2" की खरोंच थीं। विच्छेदन पर, यह पाया गया था कि मृतका का प्लीहा फट गया था तथा उदर गुहा रक्त से भरी हुई थी, जो मृतका की मृत्यु का कारण था।

8. पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा प्राथमिकी समेत अन्य आवश्यक दस्तावेजों को सिद्ध किया गया है एवं मामले में प्रदर्शों के तौर पर चिन्हित किया गया है।

9. इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य से यह प्रकट है कि मृतका के शव पर केवल दो बाहरी उपहतियां थीं। मृतका के पेट पर आमाशय पर केवल एक चोट थी तथा इस तथ्य के कारण मृत्यु हुई थी कि मृतका का प्लीहा फट गया था जिसके कारण मृतका की उदर गुहा रक्त से भर गयी थी।

10. हमारी सुविचारित राय है कि प्रहार के चिकित्सीय साक्ष्य को देखते हुए, जिसमें केवल उदर पर एक खरोंच है, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्त का अपनी पत्नी का मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था तथा अभियोजन भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध के लिए आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है, जिसके लिए अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषी भी पाया गया है तथा अवर विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है। इस प्रकार, दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधानिकता नहीं है, जिसे हम एतद्द्वारा अभिपुष्ट करते हैं।

11. तथापि, दंडादेश के मात्रा पर आने पर, हम पाते हैं कि चूँकि मृतका पर एकमात्र बाहरी उपहति उदर पर एक खरोंच थी तथा प्लीहा के फट जाने के कारण मृतका की मृत्यु हुई थी, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध के लिए विधि द्वारा विहित अधिकतम दंडादेश अपीलार्थी पर अधिरोपित किया जाना उचित ही नहीं था। अपीलार्थी 7.8.2009 से हिरासत में है तथा वह आठ वर्षों से अधिक समय से हिरासत में बना हुआ है। हमारी सुविचारित राय है कि न्याय का उद्देश्य पूरा होगा, अगर अपीलार्थी को उसके द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक सश्रम कारावास भुगतने का दंडादेश सुनाया जाता है।

12. तद्नुसार, हम विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-I, गुमला द्वारा एस॰ टी॰ संख्या 289 वर्ष 2009 में पारित दिनांक 19.3.2013 के दंडादेश को उपांतरित करते हैं इस सीमा तक कि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध के लिए उसके द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि के लिये सश्रम कारावास भुगतने का दंडादेश सुनाया जाता है। तद्नुसार, अपीलार्थी भरत कंसारी को तत्काल स्वतंत्र करने का निर्देश दिया जाता है, अगर किसी अन्य मामले में उसकी निरूद्धता अपेक्षित नहीं है।

13. तद्नुसार, यह अपील दंडादेश में यथा पूर्वोक्त उपांतरण के साथ खारिज की जाती है। परिणामत:, पूर्वोक्त अंतर्वर्ती आवेदन भी निस्तारित किया जाता है। अवर न्यायालय के अभिलेखों को इस निर्णय की प्रति के साथ संबंधित न्यायालय को तत्काल वापस भेजा जाय।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

चंदू प्रसाद गुप्ता

cuke

मेसर्स राँची हैंडलूम इम्पोरियम प्रा॰ लि॰ एवं एक अन्य

W.P. (L) No. 5518 of 2009. Decided on 1st September, 2017.

बिहार दुकान एवं स्थापन अधिनियम, 1953–धारा 26(2)–झारखंड दुकान एवं स्थापन नियमावली, 2001–नियम 21–परिवाद की पोषणीयता–सेवा से बर्खास्तगी/उन्मोचन–याची प्रत्यर्थियों का कर्मचारी था–यदि कर्मचारी की सेवा समाप्ति मौखिक आदेश द्वारा की गयी है, बर्खास्तगी आदेश के आधारों को चुनौती देने वाला परिवाद बिल्कुल नहीं किया जा सकता है और परिसीमा अवधि भी मामले की दाखिली के लिए संगणित नहीं की जा सकती है–छह माह से कम न होने वाली अवधि तक लगातार कार्यरत व्यक्ति की सेवा समाप्ति केवल सम्यक रूप से संसूचित लिखित आदेश द्वारा प्रभावी बनायी जा सकती है–धारा 26 के अधीन बर्खास्तगी अथवा उन्मोचन आदेश से व्यथित कोई कर्मचारी श्रम न्यायालय के समक्ष परिवाद कर सकता है–भले ही शब्द ''कर्मचारी की अन्यथा सेवा समाप्ति'' का उल्लेख नियमावली में नहीं किया गया है, किसी नोटिस को जारी किए बिना सेवा समाप्ति के विरूद्ध परिवाद दाखिल किया जा सकता है–उनका कर्मचारी होने के नाते चूँकि याची द्वारा प्रत्यर्थी नियोक्ता को नोटिस नहीं दी गयी है, यह नहीं कहा जा सकता है कि याची ने स्वयं अपनी इच्छा से सेवा त्याग दिया–चूँकि सेवा समाप्ति की तिथि से अत्यधिक समय बीत चुका है, मामला अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना समुचित नहीं होगा– न्याय का उद्देश्य पूरा करने के लिए स्वत्वधारी को याची को 50,000/- रुपयों के एकमुश्त मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

(पैराएँ 6, 8, 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.–1984 Lab.I.C 1427; 2006 (12) SCC 583—Relied; 2002(3) JCR 391 (jhr)—Distinguished.

अधिवक्तागण.–Mr. Sanjay Kumar Dwivedi, For the Petitioner; None, For the Respondents.

आदेश

वर्तमान रिट याचिका बी॰एस॰केस सं॰ 6/2008 (प्रतीत होता है कि आक्षेपित आदेश में वर्ष 2006 के स्थान पर 2008 गलत रूप से टंकित किया गया है) में पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 19.8.2009 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रत्यर्थियों द्वारा बर्खास्तगी/उन्मोचन आदेश जारी नहीं किया गया है और इस दशा में बिहार दुकान एवं स्थापन अधिनियम, 1953 की धारा 26(2) सहपठित झारखंड दुकान एवं स्थापन नियमावली, 2001 के अधीन दाखिल परिवाद पोषणीय नहीं है।

2. रिट याचिका में यथा कथित मामले की ताथ्यिक पृष्ठभूमि यह है कि याची को प्रत्यर्थियों द्वारा वर्ष 1988 में सेल्समैन के रूप में नियोजित किया गया था और उसने प्रत्यर्थियों के अधीन लगातार 6.10.2005 तक काम किया और 1700/– रुपया प्रतिमाह का वेतन भी पा रहा था। याची द्वारा अभिकथित किया गया है कि जब उसने 7.10.2005 को कर्तव्य के लिए रिपोर्ट किया, प्रत्यर्थी सं॰2 ने कोई कारण दिए बिना उसे काम करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और उसे न तो सेवा समाप्ति का कोई आदेश दिया गया था और न ही उसके देयों का भुगतान किया गया था। याची ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33(c)(2) के अधीन याचिका दाखिल किया, किंतु इसे बाद में वापस ले लिया गया था। तत्पश्चात, याची ने अपनी अवैध सेवा समाप्ति और वैध देयों के गैर भुगतान के विरूद्ध 16.8.2006 को श्रम उपायुक्त के समक्ष परिवाद किया किंतु विद्वान श्रम उपायुक्त द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12 के अधीन कार्यवाही शुरू नहीं की गयी थी। तत्पश्चात, याची ने बिहार दुकान एवं स्थापन अधिनियम, 1953 (इसमें इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया) की धारा 28 के अधीन श्रम न्यायालय, राँची के समक्ष मामला दाखिल किया जिसे बी॰एस॰केस सं॰ 5 वर्ष 2006 के रूप में दर्ज किया गया था, किंतु इसे श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 13.9.2006 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात, याची ने औद्योगिक अधिकरण, राँची के समक्ष बी॰एस॰ अपील सं॰ वर्ष 2006 दाखिल किया और विद्वान अधिकरण ने उक्त अपील अनुज्ञात किया और श्रम न्यायालय का आदेश अपास्त कर दिया और नए सिरे से विनिश्चित किए जाने के लिए मामला प्रतिप्रेषित कर दिया। तत्पश्चात, श्रम न्यायालय ने दिनांक 5.12.2008 के आदेश के तहत प्रत्यर्थियों का सितंबर, 2005 को जैसा था 1700/– रुपया प्रतिमाह की दर पर मासिक वेतन के सितंबर, 2005 के माह तथा अक्टूबर, 2005 में छह दिनों के लिए याची की मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश देते हुए याची का दावा अंशत: अनुज्ञात किया। प्रत्यर्थियों ने भी आदेश का अनुपालन किया और 2040/– रुपयों का भुगतान किया जिसे याची द्वारा निकाल लिया गया था। इस बीच, याची द्वारा बिहार दुकान एवं स्थापन अधिनियम, 1953 की धारा 26(2) सहपठित झारखंड दुकान एवं स्थापन नियमावली, 2001 (इसमें इसके बाद 'नियमावली' कहा गया) के नियम 21 के अधीन बी॰एस॰केस सं॰ 6/06 के रूप में एक अन्य याचिका दाखिल किया।

3. याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि श्रम न्यायालय ने गलत रूप से याची की परिवाद याचिका इस आधार पर खारिज कर दिया कि चूँकि प्रत्यर्थियों द्वारा बर्खास्तगी का आदेश जारी नहीं किया गया था, अधिनियम की धारा 26(2) तथा नियमावली के नियम 21 के अधीन परिवाद पोषणीय नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि मौखिक सेवा समाप्ति अधिनियम की धारा 26 तथा नियमावली के नियम 21 के अधीन ''सेवा समाप्ति'' के अर्थ के अधीन आती है। उक्त प्रतिवाद

के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **कृष्ण कुमार शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 1984 Lab I.C. 1427,** मामला में पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास किया। आगे यह निवेदन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने पक्षों के साक्ष्य तथा याची द्वारा विश्वास किए गए निर्णय का अधिमूल्यन नहीं किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि बी॰एस॰केस सं॰ 5 वर्ष 2006/1 वर्ष 2008 जिसे याची द्वारा अधिनियम की धारा 28 के अधीन दिए गए आवेदन पर दर्ज किया गया था में विद्वान श्रम न्यायालय, राँची ने याची का दावा वास्तविक पाया और सितंबर, 2005 माह तथा अक्टूबर, 2005 में छह दिन के लिए मजदूरी अनुज्ञात किया। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, राँची का दिनांक 5.12.2008 का संप्रेक्षण स्पष्टत: उपदर्शित करता है कि याची की सेवा 7 अक्टूबर, 2005 के प्रभाव से अभिमोचित की गयी थी किंतु लिखित आदेश के बिना।

4. प्रत्यर्थियों की ओर से 22.6.2017 से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। किंतु, प्रत्यर्थियों का दिनांक 1.10.2010 का प्रतिशपथ पत्र अभिलेख पर है, अत: उनकी ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र की विषय वस्तु वर्तमान मामला के न्याय निर्णयन के प्रयोजन से ली जा रही है।

5. प्रत्यर्थियों द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि यह कहना गलत है कि प्रत्यर्थियों ने याची की सेवा समाप्त किया है बल्कि वास्तविक तथ्य यह है कि स्वयं याची ने 1.4.2004 के प्रभाव से अपनी सेवा छोड़ दिया और अनेक रिमाइन्डर के बावजूद उसने कर्तव्य ग्रहण नहीं किया था। यह तथ्य भुगतान रजिस्टर से सत्यापित होगा कि याची ने अप्रिल, 2004 से काम नहीं किया था आगे यह कथन किया गया है कि अधिनियम की धारा 26 के अधीन दाखिल परिवाद समय में काफी बाद का है और इस दशा में यह परिसीमा द्वारा वर्जित है। आगे यह कथन किया गया है कि याची के विरूद्ध सेवा समाप्ति का आदेश पारित नहीं किया गया था और इस दशा में याची का मामला अधिनियम की धारा 26(1) के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं आता है। विद्वान श्रम न्यायालय ने पक्षों के अभिवचनों तथा परिवादी एवं अन्य गवाहों के मौखिक साक्ष्य का परिशीलन करने के बाद पाया है कि बर्खास्तगी/उन्मोचन का लिखित आदेश प्रत्यर्थियों द्वारा जारी नहीं किया गया है और इस दशा में याची का मामला पोषणीय नहीं है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता सुने गए तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया। यह विवादित नहीं है कि याची प्रत्यर्थियों का कर्मचारी था। विद्वान अवर न्यायालय ने **गोकुल राना बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, जमशेदपुर एवं अन्य, 2002(3) JCR 391 (Jhr.)** में पारित इस न्यायालय के निर्णय के पैरा 8 पर मजबूती से विश्वास करके दिनांक 19.8.2009 का आक्षेपित आदेश पारित किया है। मैंने पूर्वोक्त निर्णय के पैरा 8 का परिशीलन किया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *^^8 vfèkfu;e dh èkkjk 26(2) dk lknk iBu Li"Vr% n'kkrk g fd Je U;k;k;y; d ikl vfèkdkfjrk g ;fn depkjh c[kkLr vFkok mUekfpr fd;k x;k g vFkok ft ldk fu;ktu vU;Fkk lekIr fd;k x;k gA ;g Li"V g fd c[kkLrxh vFkok mUekpu dk i'u doy rc mnHkr gkrk g tc depkjh dh vkj l vopkj gkrk gA fu;e 20(1) vopkj lpbc) djrk g((2) vopkj d ekeyk e mUekpu dh ifØ;k ikoèkkfur djrk g(vkj fu;e 21 Li"Vr% ikoèkkfur djrk g fd vfèkfu;e dh èkkjk 26 d vèkhu c[kkLrxh vFkok mUekpu vkn'k l 0;fFkr dkb depkjh ifjokn dj ldrk gA ;g Hkh xkj fd;k tkuk g fd fu;e 21 d vèkhu ifjokn doy c[kkLrxh ;k mUekpu d ekeyk e ik"k.kh; g vkj pfd ;g fu;e ^^vU;Fkk lok lekfIr Hkh** dk mYy[k ugh djrk g] èkkjk 26 d vèkhu ^^lok dh*

*vU;Fkk lekfIr** d fy, ifjokn nt ugh fd;k tk ldrk gA ;g i;kIr :i l Li"V g fd bl ekeyk e ;kph dk fu;e 20 d vèkhu ;Fkk lphc) fdlh vopkj dk nk"kh ugh ik;k x;k gA ifj.kkeLo:i] mldk ekeyk c[kkLrxh vFkok mUekpu dh fjf"V d vrxr bl Li"V ifj.kke d lkFk ugh vkrk g fd vfèkfu;e dh èkkjk 26(2) dh mièkkjk (2) d vèkhu ifjokn ugh fd;k tk ldrk FkkA vr% ;fn ifjoknh u >B ugh ckyk gk vkj Hky gh Je U;k;ky; u ifjokn xg.k fd;k gk] rc Hkh Je U;k;ky; }kjk ifjokn xg.k ek= fd;k tkuk vfèkdkfjrkghu Fkk vkj vk{kfir vkn'k vfèkdkfjrk d ij FkkA vr% vk{kfir vkn'k vfèkdkfjrkghu gA**

*bl idkj] iokDr fofèkd fLFkfr e] ;kph vk{kfir vkn'k d vfHk[kMu l dkb ykHk ugh ik ldrk gA**

7. मैंने याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट तथा **कृष्ण कुमार शर्मा (ऊपर)** मामला में दर्ज निर्णय का भी परिशीलन किया है। पैराग्राफों 4, 5 एवं 6 का पठन निम्नलिखित है:–

*^^4 vfèkfu;e dh èkkjk 26 dh iLrkouk 'kCnk** c[kkLrxh vFkok mUekpu dk ukfVl** l 'k: gkrh gA mDr èkkjk nk idkj dh fLFkfr;k ij fopkj djrh g%] tgk 0;fDr dh lok vopkj l fHkUu dkj.k l lekIr dh tkrh g vkj f}rh;r% ekey tgk lok lekfIr vopkj d dkj.k gA ekeyk dh iFke dkfV e] ;g depkjh dk ukfVl vkj vkx lok d ij fd, x, iR;d o"k d fy, 15 fnuk dh etnjh d lerY; evkotk dk gdnkj cukrk g fdr ;g vopkj d ekeyk e vuKkr fd, tku ;kX; ugh gA vfèkfu;e dh èkkjk 26 dh mièkkjk (2) vuè;kr djrh g fd tc c[kkLrxh vFkok mUekpu vFkok vU;Fkk }kjk lok lekIr dh tkrh g] lcfèkr 0;fDr fu;ktu dh lekfIr vFkok c[kkLrxh vFkok mUekpu d vkn'k dh ikfIr d 90 fnuk d Hkhrj lefpr ikfèkdkj dk fofgr rjhd l fyf[kr e ifjokn dju dk gdnkj gA èkkjk 26 dh mièkkjk (3) Hkh c[kkLrxh vFkok mUekpu vkn'k dh ikfIr ij tkj nrh gA vfèkfu;e d l'kkèku d igy fofgr ifjlhek vofèk fHkUu FkhA fcgkj ndku ,o LFkkiu fu;ekoyh] 1955 (ble bld ckn fu;ekoyh d :i e fufn"V) dk fu;e 21 ifjokn dh nkf[kyh d fy, ifØ;k vfèkdfFkr djrk gA fu;e 21(2) ifjdfYir djrk g fd ifjokn fd, x, vkn'k d fo#) vkifÙk d vkèkkjk dk lf{kIr :i l of.kr djr g, Kkiu d :i e ifjokn nkf[ky fd;k tkuk gkxk vkj foKkiu d lkFk 'kiFki= lyXu fd;k tk,xkA Kkiu dk vkx U;k;ky; 'kYd dk Hkxrku dju dh vko';drk gA ;g lc dN fd, tku d ckn U;k;ky; dk ifjokn fd, x, 0;fDr d fo:) ukfVl tkjh dju dh vko';drk gA*

5- vfèkfu;e dh èkkjk 26 fdlh depkjh tk Ng ekg l vU;u dh vofèk d fy, yxkrkj fu;ktu e jgk g ij ykHk inÙk djrh gA ;g èkkjk depkjh }kjk nh x;h lokvk d pfj= vFkok idkj dk è;ku e ugh yrh gA ;g doy nh x;h vofèk d fy, lok dh fujrjrk ifjdfYir djrh g ;fn ;g Ng ekg l U;u ugh gA èkkjk 26 dfri; ykHk ikoèkkfur djrh g vkj lok lekfIr d vkn'k dh ikfIr l dfri; vofèk d Hkhrj lcfèkr ikfèkdkjh d le{k ifjokn dju dk vfèkdkj depkjh ij inÙk djrh gA ej er e] èkkjk 26 ,o fu;e 21 dh ;ktuk] fo'k"kr% Ng ekg l vU;u d fy, fujrj fu;ktu e 0;fDr;k d ekeyk e] doy lok

*lekfIr d fyf[kr vkn'k }kjk dke l gVk;k tkuk vuè;kr djrh gA èkkjk 26(2) e 'kCn ^^c[kkLrxh vFkok mUekpu vFkok lok lekfIr d vkn'k dh ikfIr dk èkkjk 26 d milx ^^c[kkLrxh vFkok mUekpu dk ukfVl** d lkFk iBu ekf[kd vkn'k }kjk ,l 0;fDr;k dh lok lekfIr vioftr djrk gA ;fn ,l depkjh dh lok lekfIr ekf[kd vkn'k }kjk dh tkrh g] e dYiuk dju e foQy g fd fdl idkj c[kkLrxh vkn'k d vkèkkjk dk pukrh nrk ifjokn Kkiu fd;k Hkh tk ldrk gA vkx] ;g ml frfFk d ifr vfuf'prrk yk,xk ftl ifjlhek vofèk fxuu dh vko';drk gA vr%] ;g Li"V g fd Ng ekg l vU;u dh vofèk d fy, fujrj dk;jr 0;fDr dh lok lekfIr doy lE;d :i l llfpr fyf[kr vkn'k }kjk iHkkoh cuk;h tk ldrh gA Lohdr :i l] bl ekey e c[kkLrxh dk fyf[kr vkn'k ugh gA ifjokn dh nkf[kyh d igy fdlh le; ij ;kph dk ,l fyf[kr vkn'k dh llpuk ugh nh x;h gA ;kph dk 22 flrcj] 1978 dk in'k 2 d rgr vkn'k dh ifr vxlj dh x;h FkhA ifjokn mll rhu fnuk d Hkhrj nkf[ky fd;k x;k FkkA vr% i'u mnHkr gkrk g fd D;k mu ifjfLFkfr;k e] Je U;k;ky; bl fu"d"k ij vku e U;k;kfpr Fkk fd ifjokn ;kfpdk le; oftr gA***

8. कृष्ण कुमार शर्मा (ऊपर) मामला में, (एकीकृत बिहार की अवधि के दौरान) पटना उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 26 बिल्कुल स्पष्टत: वर्णित करती है कि कर्मचारी जिसने छह माह से अन्यून की अवधि के लिए काम किया था और जिसकी सेवा बर्खास्तगी, उन्मोचन अथवा अन्यथा द्वारा समाप्त की गयी है, वह नोटिस तथा सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों की मजदूरी के समतुल्य मुआवजा का हकदार होगा। धारा 26 सेवा समाप्ति आदेश की प्राप्ति की तिथि से कतिपय अवधि के भीतर संबंधित प्राधिकारी के समक्ष परिवाद करने के लिए कर्मचारी पर अधिकार भी प्रदत्त करती है। इस प्रकार, यदि कर्मचारी की सेवा समाप्ति मौखिक आदेश द्वारा की जाती है, बर्खास्तगी आदेश के आधारों को चुनौती देनेवाला परिवाद बिलकुल नहीं किया जा सकता है और परिसीमा अवधि मामले की दाखिली के लिए संगणित नहीं की जा सकती है। उक्त स्थिति स्पष्ट करने पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि छह माह से अन्यून की अवधि के लिए निरंतर सेवारत व्यक्ति की सेवा की समाप्ति केवल सम्यक रूप से संसूचित लिखित आदेश द्वारा प्रभावी बनायी जा सकती है। आगे, **गोकुल राना (ऊपर)** मामला में निर्णय इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पूर्णत: भिन्न ताथ्यिक संदर्भ में दिया गया था, विशेषत: अधिवर्षिता के मामला पर विचार करते हुए जिसमें कर्मचारी 60 वर्ष की आयु के परे भी सेवा में बना रहा जो नियोक्ता के मुताबिक उसे इसकी अनुमति नहीं थी क्योंकि उक्त स्थापन में किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष थी। इस प्रकार, **गोकुल राना (ऊपर)** का निर्णयाधार वर्तमान मामले के तथ्यों के प्रति लागू नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत, पटना उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा दिया गया निर्णय जिसके साथ मैं सम्मानपूर्ण सहमति में हूँ वर्तमान मामले की तथ्यपरक स्थिति में प्रयोज्य होगा। अधिनियम की धारा 26 के कोरे परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि कर्मचारी जिसने छह माह से अन्यून की अवधि के लिए निरंतर काम किया है की बर्खास्तगी, उन्मोचन अथवा अन्यथा सेवा समाप्ति के पहले नोटिस पूर्वापेक्षा है किंतु, ऐसी नोटिस अधित्यजित की जाती है जहाँ कर्मकार की सेवा अवचार के आरोप पर अभिमुक्त की गयी है। किंतु, नियमावली के नियम 21 में यह प्रावधानित किया गया है कि धारा 26 के अधीन बर्खास्तगी अथवा उन्मोचन आदेश से व्यथित कोई कर्मचारी श्रम न्यायालय के समक्ष परिवाद कर सकता है, इस प्रकार, शब्द ''कर्मचारी की अन्यथा सेवा समाप्ति'' का उल्लेख नियम में नहीं किया गया है।

9. मेसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज लि॰ बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई, 2006(12) SCC 583, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 26 एवं 27 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

^^26- bl lcèk e] ;g mYy[k fd;k tk ldrk g fd i[;kr ikftfVfoLV dylu (fofèk dk 'k) fl)kr) d fl)kr d vulkj iR;d fofèkd i.kkyh e fofèk;k dk vfèkØe g vkj tc dHkh Hkh bl vfèkØe e mPprj ijr e lfUu;e rFkk fupyh ijr e lfUu;e d chp l?k"k gkrk g] mPprj ijr e lfUu;e vfHkHkkoh gkxk (n[k dylu dk ^^fofèk ,o jkT; dk lkekU; fl)kr**)

27- gekj n'k e ;g vfèkØe fuEufyf[kr :i e g%

(1) Hkkjr dk lfoèkku

(2) lkfofèkd fofèk tk llnh; fofèk vFkok jkT; foèkkueMy }kjk cuk;h x;h fofèk gk ldrh gA

(3) iR;k;kftr vFkok vèkhuLFk foèkku tk vfèkfu;e d vèkhu cuk, x; fu;ek] vfèkfu;e d vèkhu cuk, x, fofu;ek d :i e gk ldrk gA

(4) fdlh lkfofèkd leFku d fcuk i'kklfud vkn'k vFkok dk;ikfydk vun'kA

28- lhek 'kYd vfèkfu;e bl vfèkØe e nljh ijr e vkrk g tcfd vfèkfu;e d vèkhu cuk, x, fu;e rhljh ijr e vkr gA vr% ;fn vfèkfu;e d ikoèkkuk vkj fu;ekoyh d ikoèkkuk d chp l?k"k g] vfèkfu;e dk ikoèkku vfHkHkkoh gkxkA fdr] bldh oèkrk dk ekU; Bgjku d fy, fu;ekoyh dh 0;k[;k dju dk iR;d i;kl fd;k tkuk pkfg,A ;g doy rc lHko gk ldrk g ;fn fu;ek dh 0;k[;k bl rjhd l dh tk, rkfd ;g vfèkfu;e d ikoèkku d lkFk lxr gk ld tk doy bldh ,lh 0;k[;k djd fd;k tk ldrk g tk mll 0;k[;k l fHkUu gk ldrk g tk fu;ek dk fd;k tk ldrk Fkk ;fn bldk vFk vfèkfu;e d ikoèkkuk l Lor=rkiod yxk;k x;k FkkA nlj 'kCnk e] fu;e dh oèkrk ekU; Bgjku d fy, dHkh dHkkj bl nck&nck vFk fn;k tk ldrk g tk lkekU; vFk l fHkUu gk ldrk g ;fn og fu;e dk vfèkfu;e d ikoèkkuk dk lkFk lxr cuku d fy, vko';d gA ,lk 0;k[;k d lLFkkfir fl)kr d dkj.k g fd ;fn fu;e dh nk 0;k[;k lHko g] ftle l ,d bldh oèkrk ekU; Bgjk,xk tcfd nljk bl vfofèkekU; cuk,xk] igy oky dk ikFkfedrk nh tkuh pkfg,A**

10. इस प्रकार, भले ही शब्द ‘‘कर्मचारी की अन्यथा सेवा समाप्ति’’ का उल्लेख नियमावली में नहीं किया गया है, कोई नोटिस जारी किए बिना सेवा समाप्ति के विरूद्ध परिवाद दाखिल किया जा सकता है। प्रत्यर्थियों ने यह प्रतिवाद करके सेवा की समाप्ति न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया है कि स्वयं याची ने प्रत्यर्थियों की सेवा त्याग दिया है, किंतु प्रत्यर्थियों का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि **कृष्ण कुमार शर्मा (ऊपर)** मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही कर्मचारी सेवा समाप्ति के नोटिस से बच रहा है, इसे अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों को संतुष्ट करने के लिए नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जा सकता है। किंतु वर्तमान मामले में प्रत्यर्थियों द्वारा ऐसा कदम नहीं उठाया गया है, इस प्रकार, प्रत्यर्थीगण अधिनियम की धारा 26 के अधीन विहित आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं। अन्यथा भी, यदि अधिनियम की धारा 26(2) के प्रावधान सहपठित नियमावली के नियम 21 का अर्थ इस अर्थ में लगाया जाता है कि ‘‘अन्यथा सेवा समाप्ति’’ के मामलों में श्रम न्यायालय के समक्ष दावा पोषणीय नहीं होगा, यह अधिनियम का प्रयोजन ही विफल करेगा और नियोजकों को कर्मचारी की सेवा समाप्ति

के मामला में कोई लिखित नोटिस जारी नहीं करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अधिनियम की धारा 27 भी आज्ञा देती है कि किसी कर्मचारी का नियोजन समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे सेवा समाप्ति के पहले कम से कम एक माह का नोटिस नहीं दिया जाता है। नियमावली अधीनस्थ विधान होने के कारण अधिनियम का प्रयोजन पूरा करने के लिए विरचित किया जाता है जो मूल अधिनियम के अधिष्ठायी प्रावधान पर अध्यारोही नहीं हो सकता है अथवा इसे विफल नहीं कर सकता है। चूँकि वर्तमान मामले में याची द्वारा प्रत्यर्थी नियोक्ता को उसका कर्मचारी होने के नाते नोटिस नहीं दिया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि याची ने स्वयं अपनी सेवा का त्याग कर दिया। प्रत्यर्थियों का प्रतिवाद कि दावा परिसीमा द्वारा वर्जित है, भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि याची पर सेवा समाप्ति का नोटिस तामील नहीं किया गया था। अवर न्यायालय ने याची का परिवाद केवल पोषणीयता के आधार पर खारिज किया है और अन्य विवाद्यकों पर विचार नहीं किया गया था। इस प्रकार, इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि वर्तमान परिस्थितियों के अधीन याची किस अनुतोष का हकदार है। चूँकि सेवा समाप्ति की तिथि से अत्यधिक समय बीत चुका है, मामला विद्वान अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना समुचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त याची को नियोक्ता जिसके साथ वह लंबे समय से वाद कर रहा था के साथ काम करने देना भी समुचित नहीं होगा और इस दशा में अधिनियम की धारा 26(5)(b) सहपठित धारा 26(1) का द्वितीय परन्तुक के अधीन यथा प्रावधानित धन के निबंधनानुसार मुआवजा का प्रदान समुचित अनुतोष है जिसे याची को प्रदान किया जा सकता है।

11. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याची 1988 से प्रत्यर्थियों की सेवा में था और दिनांक 7.10.2005 के प्रभाव से उसकी सेवा समाप्त की गयी थी और उसका वेतन वर्ष 2005 में 1700/- रुपया प्रति माह था। इस प्रकार, न्याय का उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 2 को आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुती की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर याची को 50,000/- रुपयों के एकमुश्त मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

12. तद्नुसार, बी॰एस॰ केस सं॰ 6/2008 में विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 19.8.2009 का आदेश अपास्त किया जाता है।

13. रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है और पूर्वोक्त संप्रेक्षणों एवं निर्देशों के साथ निपटायी जाती है।

---

ekuuh; vferkHk dqekj xlrk] U;k;efr

ओरियेन्टल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड अपने उपप्रबंधक के माध्यम से

cuke

बिदेशी यादव एवं अन्य

M.A No. 48 of 2008. Decided on 8th May, 2017.

मोटर यान अधिनियम, 1988–धाराएँ 147 एवं 149(2)–दुर्घटनावश मृत्यु–अधिकरण द्वारा 1,58,500/- रुपयों का मुआवजा अधिनिर्णीत किया गया–मृतक बस की छत पर यात्रा कर रहा था और उसे झूलते बिजली के तारों से बिजली का झटका लगा था–कंडक्टर ने मृतक को बस की छत पर जाने के लिए कहा था क्योंकि बस यात्रियों से भरी थी–चालक ने उस स्थान पर बस रोका था जहाँ बिजली का तार झूल रहा था और चालक के विरूद्ध आरोप-पत्र की गैर-दाखिली मृतक को बस की छत पर यात्रा करने के लिए कहते हुए बस के चालक एवं स्टाफ को उपेक्षावान कृत्य से विमुक्त करने का आधार नहीं है–बिजली का झटका लगने के कारण

मृतक की मृत्यु का बस के स्टाफ के उपेक्षावान कृत्य के साथ संबंध है–मुआवजा का भुगतान करने का दायित्व सही प्रकार से बीमाकर्ता पर नियत किया गया है–बीमाकर्ता को बीमाकृत के विरूद्ध अग्रसर होने का अधिकार है और ऐसी संविदात्मक बाध्यता की शर्त तृतीय पक्ष को क्षतिपूर्ति करने के दायित्व पर अभिभावी नहीं हो सकती है–राशि की वसूली के लिए वाहन स्वामी के विरूद्ध अग्रसर होने की अपीलार्थी बीमाकर्ता की स्वतंत्रता आरक्षित की गयी।

(पैराएँ 6 से 10)

निर्णयज विधि.–2005 (3) JLJR 24—Referred.

अधिवक्तागण.–Ms. Rita Kumari, For the Petitioners/Appellant; Mr.Vijay Kr. Sharma, For the Resp-claimants; Mr.Rakesh Kumar, For the Resp. No.3-Owner.

आदेश

यह अपील दावा मामला सं॰ 6/2005 में अपर मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण I, चतरा द्वारा पारित दिनांक 6.10.2007 के निर्णय के विरूद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थी ओरियेन्टल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को वाद व्यय के साथ दावा आवेदन की दाखिली की तिथि से 8% वार्षिक साधारण ब्याज के साथ 1,58,500/- रुपयों के अधिनिर्णीत मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि मृतक लालू यादव रजिस्ट्रेशन सं॰ BEM-4093 वाले बस की छत पर यात्रा कर रहा था और बस की छत पर यात्रा करते हुए उसे झूलते बिजली के तार से बिजली का झटका लगा था। तद्नुसार, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 278 एवं 304 (A) के अधीन हंटरगंज पी॰एस॰यू॰डी॰ मामला सं॰ 3/95 दर्ज किया गया था।

3. अपीलार्थी बीमाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय/ अधिनिर्णय का विरोध करते हुए तर्क किया है कि स्वीकृत रूप से मृतक बस की छत पर यात्रा कर रहा था। कि बीमा पालिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार वह सद्भावपूर्ण यात्री नहीं था और पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों का भंग हुआ है, अत: मुआवजा का भुगतान करने का दायित्व बस स्वामी पर डाला जाना चाहिए था और न कि अपीलार्थी बीमाकर्ता पर। यह तर्क किया गया है कि मृतक अविवाहित था और अधिकरण ने निजी व्यय की ओर आय के केवल एक-तिहाई की कटौती करने में गलती किया, जबकि सुस्थापित सिद्धांत यह है कि अविवाहित के मामला में आश्रितता की हानि निर्धारित करते हुए निजी व्यय की ओर आय के 50% की कटौती की जानी चाहिए। यह निवेदन किया गया है कि चूँकि बीमा की पालिसी के निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन हुआ है, अपीलार्थी बीमाकर्ता को अधिनिर्णीत मुआवजा की वसूली के लिए बीमाकृत/स्वामी के विरूद्ध अग्रसर होने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

4. प्रत्यर्थी दावेदारों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन एवं निवेदन किया है कि **गिरीराज प्रसाद अग्रवाल बनाम पार्वती देवी एवं अन्य,** 2005(3) JLJR 24, में इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय की दृष्टि में, निर्णय/अधिनिर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह निवेदन किया गया है कि अधिकरण ने 1500/- रुपया प्रतिमाह के अभिप्रायात्मक आय के आधार पर आय निर्धारित किया है जबकि गवाहों ने कथन किया है कि मृतक प्रतिदिन 70-80/- रुपया कमा रहा था। कि वस्तुत: अधिकरण को इस तथ्य कि मृतक रिक्शा चालक/मजदूर था पर विचार करते हुए आय 2000/- रुपया प्रतिमाह निर्धारित करना चाहिए था।

5. प्रत्यर्थी स्वामी के विद्वान अधिवक्ता ने भी **गिरीराज प्रसाद अग्रवाल बनाम पार्वती देवी एवं अन्य (ऊपर)** मामला में निर्णय पर विश्वास एवं निवेदन किया है कि बस वैध रूप से अपीलार्थी बीमाकर्ता के साथ बीमाकृत थी और मुआवजा का भुगतान करने का दायित्व अपीलार्थी बीमाकर्ता पर था।

6. सुने गए। आक्षेपित निर्णय एवं तात्विक साक्ष्य का परिशीलन करने पर, यह स्पष्ट है कि जैसी चर्चा अधिकरण द्वारा की गयी है, गवाहों के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि कंडक्टर ने मृतक को बस की छत पर जाने के लिए कहा था क्योंकि बस यात्रियों से भरी थी और तद्नुसार मृतक बस की छत पर यात्रा कर रहा था। बस बोरा मोड़ पर रूकी। मृतक सड़क पर ढीला झूलते बिजली के तार के साथ संपर्क में आया और बिजली का झटका लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी जिसे शव परीक्षण रिपोर्ट द्वारा संपुष्ट किया गया है।

7. गवाहों के साक्ष्य के आधार पर अधिकरण ने निष्कर्ष दर्ज किया है कि चालक एवं बस स्टाफ ने मृतक को बस की छत पर यात्रा करने के लिए कह कर तथा इसकी अनुमति दे कर उपेक्षावान तरीके से कृत्य किया है। चालक ने बस उस स्थान पर रोका था जहाँ बिजली का तार झूल रहा था और पुलिस द्वारा चालक के विरूद्ध आरोप-पत्र की गैर-दाखिली मृतक को बस की छत पर यात्रा करने के लिए कहते बस के चालक एवं स्टाफ के उपेक्षावान कृत्य से विमुक्त करने का आधार नहीं है।

8. स्वीकृत रूप से बिजली का झटका लगने के कारण मृतक की मृत्यु का बस के स्टाफ के उपेक्षावान कृत्य के साथ संबंध है। प्रत्यर्थी दावेदारों एवं स्वामी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए **गिरीराज प्रसाद अग्रवाल बनाम पार्वती देवी एवं अन्य (ऊपर)** मामला में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 146 विहित करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर उपयोगित वाहन तृतीय पक्ष जोखिम को आच्छादित करती वैध बीमा पॉलिसी के अधीन चलाया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 147 पॉलिसी की आवश्यकताओं तथा दायित्व की सीमाओं पर विचार करती है। अधिनियम वर्ष 1988 के अधीन धारा 147 के सम्मिलन ने मृतक जिसकी मृत्यु मोटर दुर्घटना के कारण हुई के आश्रितों अथवा घायल पीड़ितों को मुआवजा का भुगतान करने के बीमाकर्ता के दायित्व की सीमा के संबंध में अत्यधिक परिवर्तन लाया है। अधिनियम की धारा 149 के प्रावधान पर सुस्थापित सिद्धांत के आधार पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी है कि तृतीय पक्ष को मुआवजा का भुगतान करने का सांविधिक दायित्व धारा 149 के अधीन बीमाकर्ता एवं बीमाकृत के बीच संविदात्मक अधिकारों एवं बाध्यता से स्वतंत्र है और पॉलिसी प्राप्त करने के समय पर बीमाकृत द्वारा तात्विक तथ्यों का गैर-प्रकटीकरण अथवा छुपाये जाने अथवा पॉलिसी की शर्त के किसी उल्लंघन का बीमा कंपनी से मुआवजा का दावा करने के तृतीय पक्ष के सांविधिक अधिकार पर प्रभाव नहीं हो सकता था। बीमा कंपनी केवल उन निबंधनों में अपने दायित्व से बच सकती है जैसा अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (2) के अधीन प्रावधानित किया गया है जिसका पठन निम्नलिखित है:-

> *"149.* ***ij&0;fDr tkf[kek dh ckcr chekÑr 0;fDr;k d fo:) g, fu.k;k vkj vfèkfu.k;k dh rf"V dju dk chekdrkvk dk dÙk0;-*** *&(1) ;fn fdlh 0;fDr d i{k e] ftlu ikfylh djkb g] èkkjk 147 dh mièkkjk (3) d vèkhu chek&çek.ki= n fn, tku d i'pkr] èkkjk 147 dh mièkkjk (1) d [kM ([k) d vèkhu ikfylh }kjk ijk dju d fy, vif{kr nkf;Ro d lcèk e (tk nkf;Ro ikfylh d fucèkuk d vUrxr g) ;k èkkjk 163-d d çkoèkkuk d vèkhu ,l fdlh 0;fDr d fo:) fu.k; ;k vfèkfu.k; vfHkçkIr dj fy;k tkrk g ftldk ikfylh }kjk chek fd;k gvk g rk bl ckr d gkr g, Hkh fd chekdrk ikfylh dk 'kU; dju ;k jí dju dk gdnkj g vFkok mlu ikfylh 'kU; ;k jí dj nh g] chekdrk bl èkkjk d micèkk d vèkhu jgr g, fMØh dh Qk;nk mBku d gdnkj 0;fDr dk] ml nkf;Ro d lcèk e mld vèkhu n; jkf'k] tk chekÑr jkf'k l vfèkd u gkxh] [kp dh ckcr n; fdlh jde rFkk fu.k;k ij C;kt lcèkh fdlh vfèkfu;fefr d vkèkkj ij ml jkf'k ij C;kt dh ckcr n; fdlh èkujkf'k lfgr bl çdkj nxk ekuk og fu.khr _.kh gkA*

(2) mi èkkjk (1) d vèkhu fdlh chekdrk }kjk dkb jkf'k] fdlh fu.k; ;k vfèkfu.k; d lcèk e rHkh n; gkxh tc mu dk;okfg;k d çkjHk d io ftue fu.k; ;k vfèkfu.k; fn;k x;k g] chekdrk dk mu dk;okfg;k d yk, tku dh vFkok fdlh fu.k; ;k vfèkfu.k; d lcèk e tc rd mldk fu"iknu vihy d yfcr jgu ij jkd fn;k x;k g lpuk] ;FkkfLFkfr] U;k;ky; ;k nkok vfèkdj.k d ekè;e l fey pdh Fkh vU;Fkk ugh vkj dkb chekdrk ft l , lh fdUgh dk;okfg;k d yk, tku dh lpuk bl çdkj nh xb g] mldk i{kdkj cuk, tku vkj fuEufyf[kr vkèkkjk e l fdlh vkèkkj ij çfrokn dju dk gdnkj gkxk] vFkkr&

(a) ikfylh dh fdlh fofufn"V 'kr dk Hkx fd;k x;k g] tk fuEufyf[kr 'krk e l ,d g] vFkkr&

(i) , lh 'kr] tk ;ku dk fuEufyf[kr n'kkvk e mi;kx fd;k tkuk vioftr djrh g] vFkkr&

(a) HkkM ;k ikfjJfed d fy,] tc og ;ku chek lfonk dh rkjh[k dk , lk ;ku g tk HkkM ;k ikfjJfed ij pyku d ijfeV d vUrxr ugh g] ;k

(b) vk;kftr nkM] vkj xfr ijh{kk d fy,] ;k

(c) ft l ijfeV d vèkhu ;ku dk mi;kx fd;k tkrk g mld }kjk vuKkr u fd, x, ç;ktu d fy,] tc og ;ku ifjogu ;ku g] ;k

(d) lkbM dkj lyXu fd, fcuk] tc ;ku ekVj lkbfdy g] ;k

(ii) , lh 'kr tk ukfer 0;fDr ;k 0;fDr;k }kjk , l fdlh 0;fDr }kjk tk lE;d :i l vuKIr ugh g ;k , l fdlh 0;fDr }kjk] ft l pkyu vuKfIr èkkj.k ;k vfHkçkIr dju l fujfgr dj fn;k x;k g] fujgrk dh vofèk d nkjku] ;ku dk pykuk tkuk viofrr djrh g(;k

(iii) , lh 'kr tk ;)] xg;)] cYo ;k flfoy v'kkfr dh fLFkfr d dkj.k ;k mld ;kxnku l gb {kfr d fy, nkf;Ro vioftr djrh g(;k

(b) og ikfylh bl vkèkkj ij 'kU; g fd og fdlh rkfRod rF; d çdV u fd, tku l] vFkok , l rF; d 0;in'ku l] ft ldh dkb rkfRod fof'k"V feF;k g] vfHkçkIr dh xb FkhA

(3) xxxxxxxxxxx

(4) xxxxxxxxxxxx

(5) xxxxxxxxxxxx

(6) xxxxxxxxxxxxxxxxx

(7) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

अत: धारा 149 के प्रावधानों और अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक साक्ष्य तथा तथ्यों की दृष्टि में यह स्पष्ट है कि मुआवजा का भुगतान करने का दायित्व सही प्रकार से बीमाकर्ता पर नियत किया गया है। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संविदा के निबंधनों के भंग के मामला में बीमाकर्ता को बीमाकृत के विरूद्ध अग्रसर होने का अधिकार है और ऐसी संविदात्मक बाध्यता की शर्त तृतीय पक्ष को मुआवजा को भुगतान करने के दायित्व पर अभिभावी नहीं हो सकती है।

9. मृतक रिक्शा चालक था किंतु अधिकरण ने 1500/- रुपया प्रतिमाह के अभिप्रायात्मक आय के आधार पर मृतक का आय निर्धारित किया है। वस्तुत:, अधिकरण को गवाहों के बयान पर विचार करना

चाहिए था और 2000/– रुपया पर मासिक आय निर्धारित करना चाहिए था। तद्नुसार, मृतक की वार्षिक आय 2000 × 12 = 24000/- रुपयों पर निर्धारित की गयी है। मृतक अविवाहित था, अत: निजी व्यय की ओर आय के 50% की कटौती की गयी है, अत: आश्रितता की वार्षिक हानि 12000/–रुपयों पर संगणित की गयी है। मृतक 25 वर्ष की आयु का था, अत: 17 का गुणक प्रयोज्य है, अत: आश्रितता की हानि 12000 × 17 = 2,04,000/- रुपया से अंतरिम मुआवजा के रूप में भुगतान किए गए 50,000/– रुपया घटाकर 1,54,000/– रुपया निर्धारित की जाती है। यह स्पष्ट है कि अंत्येष्टि व्यय तथा संपदाकी हानि की ओर क्रमश: 2000/– रुपया तथा 2500/– रुपया की अल्प राशि अधिनिर्णीत की गयी है, खास कर प्रेम एवं स्नेह की हानि के संबंध में गैर–धनीय नुकसानी के लिए कोई राशि अधिनिर्णीत नहीं की गयी है। आनुषंगिक तथ्यों एवं परिस्थितियों में, पूर्वोक्त शीर्षों के अधीन 1,00,000/– रुपयों की एकमुश्त राशि अधिनिर्णीत करना न्यायोचित, उचित तथा युक्तियुक्त है। तद्नुसार, अपीलार्थी बीमाकर्ता को इस आदेश की तिथि से तीन माह के भीतर दावा आवेदन की दाखिली से अवर न्यायालय द्वारा यथा निर्देशित 8% ब्याज के साथ 1,54,000 + 1,00,000 = 2,54,000/– रुपयों की मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

10. पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के भंग के संबंध में साक्ष्य देकर सक्षम फोरम के समक्ष राशि की वसूली के लिए वाहन स्वामी के विरूद्ध अग्रसर होने की स्वतंत्रता अपीलार्थी–बीमाकर्ता के साथ आरक्षित की जाती है।

11. रजिस्ट्री को अपीलार्थी बीमा कंपनी को 25000/– रुपयों की जमा की गयी सांविधिक राशि लौटाने का निर्देश दिया जाता है।

पूर्वोक्त निर्देश के साथ उक्त कथित सीमा तक आक्षेपित निर्णय उपांतरित किया जाता है और अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

विनोद कुमार वेगवानी

cuke

निदेशक, इस्ट इंडिया ट्रांसपोर्ट एजेन्सी एवं एक अन्य

W.P.(L) No. 1407 of 2010. Decided on 2nd August, 2017.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947–धारा 33-C(2)–विस्तार एवं परिधि–अधिनियम की धारा 33-C(2) का विस्तार अत्यन्त सीमित है और न्यायालय को निष्पादन न्यायालय के रूप में कृत्य करना होगा–अधिनियम की धारा 33-C(2) का अवलंब लेने के पहले व्यक्ति के किसी धनीय दावा का पूर्व–विद्यमान अधिकार अथवा विनिश्चयकरण होना होगा–प्रत्यर्थियों ने याची द्वारा किया गया दावा ग्रहण नहीं किया है–राशि जिसका दावा याची द्वारा अधिनियम की धारा 33-C(2) के अधीन दाखिल आवेदन के माध्यम से किया गया था के लिए पूर्व न्यायनिर्णयन अथवा समझौता नहीं है–यह नहीं कहा जा सकता है कि याची को अधिनियम की धारा 33-C(2) का अवलंब लेकर राशि का दावा करने के लिए पूर्व विद्यमान अधिकार था–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 6, 9, 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.–(1974) 4 SCC 696; (1997) 11 SCC 363; (2001) 1 SCC 73—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. B.V. Kumar, For the Petitioner; Mr. Prabhat Kumar Sinha, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका एम॰जे॰ केस सं॰ 7 वर्ष 2007 में पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 18.4.2009 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा याची द्वारा उक्त राशि के उपर ब्याज के अतिरिक्त वेतन अंतर, बोनस एवं उपदान का भुगतान आदि तथा जून, 2006 से अक्टूबर, 2006 तक की अवधि के लिए वेतन बकाया का भुगतान करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 33-C(2) के अधीन दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं पाया गया था।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विद्वान श्रम न्यायालय ने अधिनियम की धारा 33-C(2) के अधीन दाखिल याची का आवेदन अस्वीकार करते हुए गलत रूप से अभिनिर्धारित किया है कि याची को ''कर्मकार'' के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि वह पहले ही इस्ट इंडिया ट्रांसपोर्ट एजेन्सी की सेवा से अपना त्यागपत्र दे चुका है। विद्वान श्रम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती किया कि याची द्वारा किया गया दावा ग्रहण किया गया दावा नहीं है।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विद्वान श्रम न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 18.4.2009 का आदेश पूर्णतः न्यायोचित एवं वैध है। विद्वान श्रम न्यायालय ने सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया है कि याची द्वारा अधिनियम की धारा 33-C(2) के अधीन दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर तथा अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि याची ने वेतन बकाया, जून 2006 से अक्टूबर 2006 तक की अवधि के लिए वेतन अंतर, उपदान, बोनस, अवकाश मंजूरी, वार्षिक वेतन वृद्धि आदि जैसे अनेक शीर्षों के अधीन राशि का दावा करते हुए अधिनियम की धारा 33-C(2) के अधीन आवेदन दाखिल किया किंतु विद्वान श्रम न्यायालय दिनांक 18.4.2009 के आक्षेपित आदेश द्वारा इस निष्कर्ष पर आया कि चूँकि याची उक्त आवेदन दाखिल करने के पहले ही इस्ट इंडिया ट्रांसपोर्ट एजेन्सी की सेवा से त्याग पत्र दे चुका था जिसे नियोक्ता द्वारा सम्यक रूप से स्वीकार किया गया था, याची को अधिनियम की धारा 2(S) के मुताबिक ''कर्मकार'' नहीं कहा जा सकता है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चूँकि याची द्वारा किया गया धनीय दावा प्रत्यर्थियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और उक्त राशि के लिए पक्षों के बीच अधिनिर्णय अथवा समझौता नहीं हुआ है, याची द्वारा दाखिल अधिनियम की धारा 33-C(2) के अधीन आवेदन पोषणीय नहीं है।

6. यह सुस्थापित है कि अधिनियम की धारा 33-C(2) का विस्तार अत्यन्त सीमित है और न्यायालय को निष्पादन न्यायालय के रूप में कृत्य करना होगा। अधिनियम की धारा 33C(2) का अवलंब लेने के पहले व्यक्ति के किसी घनीय दावा का पूर्व विद्यमान अधिकार अथवा विनिश्चयकरण होना होगा। **सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लि॰ बनाम कर्मकार, (1974)4 SCC 696**, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 33-C(2) के विस्तार पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

> ^^12.vc ;g lLFkkfir g fd èkkjk 33-C(2) d vèkhu dk;okgh lkekU;r% fu"iknu dk;okgh dh idfr dh dk;okgh g ftl e Je U;k;ky; mld fu;kDrk l dedkj dk n; èku dh jkf'k dh lx.kuk djrk g] vFkok ;fn dedkj fdlh ykHk dk gdnkj g tk èku d fucèkukulkj lxf.kr fd, tku ;kX; g] Je U;k;ky; èku d fucèkukulkj ykHk dh lx.kuk dju d fy, vxlj gkrk gA bld igy gh U;k;fu.khr fd, tku] vFkok] vU;Fkk] lE;d :i l ikoèkkfur fd, tku dh nf"V e èku vFkok ykHk d fo|eku vfèkdkj ij ;g lx.kuk vulfjr gkrh gA phQ ekbfux bthfu;j] bLV bfM;k dky d0 fy0 cuke jke'oj] AIR 1968 SC 218, e ;g nkgjk;k x;k Fkk fd èkkjk 33-C(2) d vèkhu dk;okgh fu"iknu dk;okgh

d ln'k g vkj Je U;k;ky; dk fu"iknu U;k;ky; dh voLFkk e , l ekeyk e dedkjk }kjk nkok fd, x, ykHk dk èku dk fucèkuku lkj lx.kuk dju d fy, dgk tkrk gA ***;g Hkh nkgjk;k x;k Fkk fd ykHk ft l lxf.kr fd;k tkuk bfllr fd;k x;k g dk vfèkdkj fo|eku vfèkdkj gkuk gkxk vFkkr igy l gh U;k;fu.khr fd;k x;k vFkok ikoèkkfur fd;k x;k vkj vk|kfxd dedkj rFkk mld fu;kDrk d chp lcèk d lcèk e vkj bl Øe e mnHkkr gkuk gkxk*****

7. इसी विवाद्यक पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मुख्य अधीक्षक, सरकारी पशुधन फार्म, हिस्सार बनाम रमेश कुमार, (1997)11 SCC 363,** पैराग्राफ 2 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*^^2. ge ;g vfèkeY;u dju e v{ke g fd fdl idkj iR;Fkh dk vkonu vfèkfu;e dh èkkjk 33C(2) d vèkhu xg.k fd;k tk ldrk FkkA èkkjk 33-C(2) dk mipkj doy mu ekeyk e miyCèk g tgk dedkj dh gdnkjh d ckj e fookn ugh gA èkkjk 33C(2) dk voyc , l ekeyk e ugh fy;k tk ldrk g tgk gdnkjh fookfnr gA oreku ekey e iR;Fkh dh fu;fer orueku d ifr gdnkjh vihykFkh }kjk fookfnr dh x;h Fkh vkj blfy, ;g , lk ekeyk ugh Fkk ft le èkkjk 33-C(2) d mipkj dk voyc fy;k tk ldrk FkkA iR;Fkh d fy, lefpr jkLrk l{ke U;k;ky; vFkok vfèkdj.k }kjk fofu'pdj.k d vèkhu mldh gdnkjh d erkfcd mldk Hkxr; jkf'k d xj&Hkxrku dh fLFkfr e og èkkjk 33-C(2) d vèkhu mipkj dk voyc y ldrk FkkA***

8. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम रामचंद्र दूबे, (2001)1 SCC 73, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*^^8- tc dHkh Hkh dedkj viu fu;kDrk l dkb èku vFkok dkb ykHk ikIr dju dk gdnkj g tk èku d fucèkuku lkj lxf.kr fd, tku ;kX; g vkj ft l og viu fu;kDrk l ikIr dju dk gdnkj g vkj ml , l ykHk l budkj fd;k tkrk g] og vfèkfu;e dh èkkjk 33-C(2) d vèkhu Je U;k;ky; d ikl tk ldrk gA vfèkfu;e dh èkkjk 33-C(2) d vèkhu iofrr fd, tku d fy, bfllr ykHk vko';drk io fo|eku ykHk vFkok io fo|eku vfèkdkj l iokfgr ykHk gA , d vkj io fo|eku vfèkdkj vFkok ykHk vkj nljh vkj vfèkdkj vFkok ykHk ft l U;k;kfpr ,o mfpr ekuk tkrk g d chp vrj egRoi.k gA igy okyk vfèkfu;e dh èkkjk 33-C(2) d vèkhu 'kfDr dk i;kx dju oky Je U;k;ky; dh vfèkdkfjrk d vrxr vkrk g tcfd ckn okyk ughA----***

9. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थियों ने याची द्वारा किया गया दावा ग्रहण नहीं किया है। राशि जिसका दावा याची द्वारा अधिनियम की धारा 33-C(2) के अधीन दाखिल आवेदन के माध्यम से किया गया था के लिए पूर्व न्यायनिर्णयन अथवा समझौता नहीं है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि याची के पास अधिनियम की धारा 33-C(2) के प्रावधानों का अवलंब लेकर उक्त राशि का दावा करने का पूर्व विद्यमान अधिकार था।

10. मामले के पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन मैं एम०जे०केस सं०7 वर्ष 2007 में पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 18.4.2009 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ।

11. रिट याचिका गुणागुणरहित होने के कारण तद्नुसार खारिज की जाती है।

ekuuh; ,p lhñ feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

अब्दुल रहीम उर्फ फागू मियाँ

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (DB) No. 724 of 2007. Decided on 11th September, 2017.

सत्र मामला सं॰ 30 वर्ष 2005/47 वर्ष 2006 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जामतारा द्वारा पारित दिनांक 17.4.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 18.4.2007 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 498A—हत्या एवं क्रूरता-आजीवन कारावास—वर्तमान मामला मृतका के केवल दो मृत्यु कालिक कथनों पर आधारित है—मृतका के पिता एवं भाई सहित समस्त तात्विक गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं अथवा अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया है सिवाए इस सीमा तक कि मृतका की मृत्यु जलने के कारण हुई—मृतका द्वारा दिए गए दो मृत्युकालिक कथनों में तात्विक विरोधाभास नहीं है—दोनों मृत्युकालिक कथन साक्ष्य के विश्वसनीय टुकड़े हैं और यद्यपि मृतका के पिता एवं भाई पक्षद्रोही हो गए हैं, केवल दोनों मृत्युकालिक कथनों के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि सुरक्षित रूप से की जा सकती थी—अन्य ससुरालवालों के आचरण, जो मृतका को अस्पताल ले गए थे, को भी विचारण न्यायालय द्वारा विचार में लिया गया था—दोषसिद्धि एवं दंडादेश अभिपुष्ट—अपील खारिज।

(पैराएँ 17 से 20, 22, 23 एवं 24)

निर्णयज विधि.—(2001) 5 SCC 254; 2003 Cr. L. J. 3286; (2012) 4 SCC 327; 2017 (1) JBCJ 75 (SC) : (2017) 1 SCC 529—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Kailash Prasad Deo, For the Appellant; Mr. Satish Kumar Keshri, For the State.

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.—अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह अपील सत्र मामला सं॰ 30 वर्ष 2005/47 वर्ष 2006 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जामतारा द्वारा पारित दिनांक 17 अप्रिल, 2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 18 अप्रिल, 2007 के दंडादेश से उद्भूत होती है जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी जो मृतका का पति है को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 498A के अधीन अपराधों के लिए दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन अपराध के लिए तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। दोनों दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी पर 5000/- रुपयों का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

3. अभियोजन मामला किसी मो॰ इसलाम जो मृतका का पिता है के पोपुलर नर्सिंग होम, जामतारा जो प्राईवेट नर्सिंग होम है में रात्रि 10.30 बजे 5.8.2004 को दर्ज फर्दबयान के आधार पर संस्थित किया गया था। सूचक के पिता के फर्दबयान के अनुसार, मृतका का विवाह लगभग 8-9 वर्ष पहले अपीलार्थी अब्दुल रहीम उर्फ फागू मियाँ के साथ हुआ था और उनके विवाह संबंध से दो पुत्रों एवं एक पुत्री का जन्म हुआ था। प्राथमिकी में कथन किया गया है कि उन दोनों के बीच संबंध समुचित नहीं था और

मोटरसाइकिल खरीदने के लिए धन की मांग के लिए पत्नी को क्रूरता के अध्यधीन किया जाता था और उस मांग के लिए उसे प्रहार के अध्यधीन भी किया जाता था, दिनांक 5.8.2004 को सायं लगभग 7 बजे जब सूचक अपने पड़ोसी से बात कर रहा था, उसने गाँववालों द्वारा किया गया हल्ला सुना जिस पर वह अपने पुत्रों यासिन मियाँ एवं सिकन्दर तथा अन्य व्यक्तियों के साथ अपनी पुत्री के ससुराल की ओर तेजी से गया जो लगभग 500 गज की दूरी पर था और अपनी पुत्री को जलते देखा। गाँववाले आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे और सूचक भी अपने पुत्रों के साथ आग बुझाने के लिए उनके साथ शामिल हो गया। फर्दबयान में कथन किया गया है कि उसकी पुत्री ने उसको सूचित किया कि उसके पति ने उस पर प्रहार किया था जिस पर वह बेहोश हो गयी थी और पुनः उसने महसूस किया कि उसका शरीर जल रहा था जिसपर उसने हल्ला किया। घटना स्थल पर, किरासन तेल का छींटा भी पाया गया था। वहाँ जमा गाँव वाले ने सूचित किया कि उसकी पुत्री द्वारा हल्ला किए जाने पर वे जमा हुए और दरवाजा बद पाया। जब उन्होंने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, मृतका के पति ने दरवाजा खोला और भाग गया। घायल पुत्री के गाँववालों की मदद से पोपुलर नर्सिंग होम, जामतारा लाया गया था जहाँ उसका इलाज चल रहा था और वह बेहोश थी। यह अभिकथित करते हुए कि अभियुक्त अब्दुल रहीम उर्फ फागू मियाँ ने उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से उस पर प्रहार किया था और उसमें आग लगाया था, पीड़ित महिला के पिता द्वारा फर्दबयान दिया गया था, जिसके आधार पर जामतारा पी॰एस॰ केस सं॰ 110 वर्ष 2004 जी॰ आर॰ केस सं॰ 227 वर्ष 2007 के तत्सम, भारतीय दंड संहिता की धारओं 342, 498A, 324 एवं 307 के अधीन अपराधों के लिए संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। पीड़ित महिला की मृत्यु के बाद भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 जोड़ी गयी थी।

4. अन्वेषण के क्रम में, अगले दिन, पीड़ित महिला का फर्दबयान भी पुलिस द्वारा 6.8.2004 को सायं 6 बजे उक्त पोपुलर नर्सिंग होम, जामतारा में उसका इलाज कर रहे डॉक्टर अर्थात डॉ॰ एस॰ के॰ गुटगुटिया की उपस्थिति में दर्ज किया गया था, जिसमें उसने कथन किया कि उसका पति अब्दुल उर्फ फागू मियाँ किसी अन्य लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चला रहा था जिस पर वह आपत्ति कर रही थी। उसने 5.8.2004 को सायं लगभग 7 बजे अपने पति के प्रेम प्रसंग का विरोध किया था, जिस पर उसके पति ने उस पर बुरी तरह प्रहार किया, जिसके कारण वह मूर्छित हो गयी जिस पर उसके पति ने उस पर किरासन तेल डाला और उसमें आग लगा दिया उसने हल्ला किया जिस पर पड़ोसी और उसके पिता एवं भाई घटना स्थल पर आए और उसको इलाज के लिए पापुलर नर्सिंग होम लाए जहाँ उसका इलाज चल रहा था। इस फर्दबयान में उसके दाएँ अंगूठे का निशान लिया गया बताया जाता है किंतु चूँकि वह जली हुई दशा में थी और उसकी उंगलियाँ भी जली हुई थी, अंगूठे का निशान स्याही का धुंधला धब्बा प्रतीत होता है। मृतका के उक्त फर्दबयान पर डॉ॰ एस॰ के॰ गुटगुटिया ने भी पृष्ठांकन किया था कि बयान उनकी उपस्थिति में लिया गया था।

5. पीड़ित महिला का बयान 7.8.2004 को अपराह्न 1 बजे पोपुलर नर्सिंग होम, जामतारा में डॉ॰ एस॰ के॰ गुटगुटिया की उपस्थिति में जामतारा के न्यायिक दंडाधिकारी अर्थात श्री संजय कुमार सिंह द्वारा भी दर्ज किया गया था। न्यायिक दंडाधिकारी ने दर्ज किया है कि डॉ॰ एस॰ के॰ गुटगुटिया जिनके अधीन पीड़ित महिला का इलाज चल रहा था ने प्रमाण पत्रित किया था कि महिला अपना बयान देने के लिए स्वरूप मानसिक दशा में थी और तत्पश्चात, डॉक्टर की उपस्थिति में पीड़ित महिला के भाई मो॰ सिकन्दर की उपस्थिति में भी दर्ज किया गया था। दंडाधिकारी ने घटना के बारे में पीड़ित महिला से पूछा जिसपर उसने कथन किया कि उसके पति अब्दुल रहीम उर्फ फागू मियाँ ने उस पर किरासन तेल डालने के बाद

उसमें आग लगाया था। उसने कथन किया कि केवल उसके पति ने उसे जलाया था और उसके पहले उसने उसपर प्रहार भी किया था और तत्पश्चात् उसे जलाया था। उसने यह कथन भी किया कि उसका पति उसको पसन्द नहीं करता था और वह ''दूसरी औरत के फेरे में या।'' दंडाधिकारी ने यह भी दर्ज किया है कि डॉ॰ एस॰ के॰ गुटगुटिया के अनुसार महिला को 70-80% जलन उपहतियाँ आयी थी, इस प्रकार, वह अपना हस्ताक्षर करने की दशा में नहीं थी और चूँकि उसका अंगूठा भी जला हुआ था, उसके अंगूठा का निशान नहीं लिया जा सका था। उक्त बयान इलाज करने वाले डॉक्टर का इस प्रभाव का प्रमाणपत्र भी अंतर्विष्ट करता है कि पीड़ित महिला पूरे होश में थी और दंडाधिकारी के समक्ष अपना बयान देने की अवस्था में थी और कि जलन उपहतियों के कारण उसका हस्ताक्षर अथवा अंगूठा का निशान लेना संभव नहीं था।

6. अन्वेषण पूरा करने के बाद, पुलिस ने अभियुक्त अब्दुल रहीम उर्फ फागू मियाँ के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने के बाद, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 498A के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया था जिसपर अभियुक्त ने निर्दोषिता का अभिवचन तथा विचारण किए जाने का दावा किया और उसका विचारण किया गया था।

7. विचारण के क्रम में, अभियोजन द्वारा बारह गवाहों का परीक्षण किया गया था, और यह ऐसा मामला है जिसमें मृतका के पिता एवं भाईयों सहित समस्त तात्विक गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं अथवा अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त अपीलार्थी की दोषसिद्धि केवल मृतका के दो मृत्युकालिक कथनों के आधार पर की गयी है। बचाव ने भी एक गवाह का परीक्षण किया है जो मृतका की पुत्री है और उसने कथन किया है कि उसकी माता ने आत्महत्या किया था।

8. अ॰ सा॰ 6 मो॰ इसलाम मामला का सूचक है, जिसने कथन किया है कि उसने डॉ॰ एस॰ के॰ गुटगुटिया के नर्सिंग होम में पुलिस को अपना फर्दबयान दिया था और उसने फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर पहचाना है जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया है। उसने कथन किया कि उसकी पुत्री जली हुई थी किंतु वह यह कथन करते हुए पक्षद्रोही हो गया कि उसने उसे यह सूचित नहीं किया था कि किस प्रकार वह जली थी। अ॰ सा॰ 4 मो॰ सिकन्दर एवं अ॰ सा॰ 9 रियासत अंसारी जो मृतका के भाई हैं, ने यद्यपि इस तथ्य का समर्थन किया है कि उनकी बहन जली हुई थी किंतु वे भी पक्षद्रोही हो गए हैं और अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अ॰ सा॰ 4 मो॰ सिकन्दर अंसारी ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी बहन का बयान उसकी उपस्थिति में दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था, किंतु उसने उक्त बयान पर अपने हस्ताक्षर से इनकार किया है और बचाव द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया है कि वह नहीं जानता है कि दंडाधिकारी क्या है और वह उपस्थित नहीं था जब वह बयान दर्ज किया गया था। अन्य भाई अ॰सा॰ 9 रियासत अंसारी ने कथन किया है कि उसकी बहन ने अस्पताल में कोई बयान नहीं दिया था।

9. अन्य गवाह अ॰ सा॰1 मंजूर आलम, अ॰ सा॰ 3 लाटू मियाँ एवं अ॰ सा॰ 5 यासिन अंसारी भी पक्षद्रोही हो गए हैं, यद्यपि उन्होंने भी कथन किया है कि मृतका जल रही थी और उसके द्वारा हल्ला किए जाने पर वे वहाँ गए और दरवाजा खोला और उसे जलता पाया। उन्होंने यह कथन भी किया है कि उसने आत्महत्या किया था। अ॰ सा॰ 2 अकबर अंसारी ने भी कथन किया है कि मृतका जल रही थी और उसके द्वारा हल्ला किए जाने पर वह भी वहाँ गया और और दरवाजा खोला और उसे जलता पाया। उन्होंने यह कथन भी किया है कि उसने आत्महत्या किया था। अ॰ सा॰ 2 अकबर अंसारी ने भी कथन किया है कि मृतका जल रही थी और उसके द्वारा हल्ला किए जाने पर वह भी वहाँ गया और दरवाजा खोला और उसको जलता पाया और आठ दिन बाद नर्सिंग होम में उसकी मृत्यु हो गयी अपने प्रतिपरीक्षण में उसने यह कथन भी किया है कि उसने आत्महत्या किया था। अ॰ सा॰ 8 सुल्तान अंसारी ने कथन किया है कि अभियुक्त का घर जल रहा था, और उसने कथन किया है कि उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं थी। वह अभिग्रहण सूची का गवाह है और उसने अभिग्रहण सूची जिसे प्रदर्श 7 चिन्हित किया गया था में अपना हस्ताक्षर तथा अन्य गवाहों का हस्ताक्षर किया है।

10. अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ सुदर्शन कुमार गुटगुटिया हैं जिसके नर्सिंग होम में मृतका भरती की गयी थी और उन्होंने मृतका का इलाज किया था इस गवाह ने कथन किया है कि 5.8.2004 को उन्होंने अब्दुल रहीम की पत्नी नूरजहाँ खातून का परीक्षण किया था और उसपर निम्नलिखित उपहतियाँ पाया था:–

1. ml dkQh xgjh] ij pgj ,o ihB rFkk v'kr% ckyk ij tyu migfr FkhA

2. nkuk vij ,DlVhfeVh ijh yckb

3. Nkrh d vkx ,o ihN

4. mnj dk mijh Hkkx

5. ifYod v'kr%

6. nk;k furc mij ,o ikf'od igy

7. nkuk ijk ij fc[kjk tyu

vfèkdk'k tyu xgj] {k= yxHkx ckMh ljQl dk 70%

उन्होंने कथन किया है कि उपहतियों की प्रकृति गंभीर थी और जलन का कारण संदेहास्पद मानव वध था। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में उपहति रिपोर्ट पहचाना है जिसपर उनके नर्सिंग होम अर्थात पोपुलर नर्सिंग होम, जामतारा का मुहर भी लगा है जिसे प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया है।

उन्होंने यह भी कथन किया है कि पीड़ित महिला का बयान उनकी उपस्थिति में जामतारा पुलिस थाना के ए॰ एस॰ आई॰ सिद्धनाथ सिंह द्वारा दर्ज किया गया था और उन्होंने उस बयान पर हस्ताक्षर के साथ अपना पृष्ठांकन पहचाना है जिसे प्रदर्श 4 चिन्हित किया गया था।

उन्होंने आगे कथन किया है कि नूरजहाँ खातून का बयान दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था और बयान के पृष्ठ 2 पर उन्होंने अपना हस्ताक्षर एवं अपना पृष्ठांकन पहचाना है जिसे प्रदर्श 5 चिन्हित किया गया था। उन्होंने यह कथन भी किया है कि उन्होंने पृष्ठ 3 पर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ उस बयान पर प्रमाणपत्र भी दिया था जिसे उनकी पहचान पर प्रदर्श 6 चिन्हित किया गया था। अपने प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि उन्होंने रात्रि 9.30 बजे घायल का परीक्षण किया था और तत्पश्चात पुलिस को सूचित किया था, किंतु उन्होंने इसका अभिलेख नहीं रखा था। उन्होंने यह कथन भी किया है कि नूरजहाँ खातून का बयान उनकी उपस्थिति में ए॰ एस॰ आई॰ सिद्धनाथ सिंह द्वारा लिया गया था। यद्यपि फर्दबयान उनकी उपस्थिति में नहीं लिखा गया था, किंतु फर्दबयान पर हस्ताक्षर करने के पहले उन्होंने संपूर्ण बयान का परिशीलन किया था कि क्या ए॰ एस॰ आई॰ ने वही बयान लिखा था या नहीं। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन भी किया कि इलाज के बाद मरीज नूरजहाँ खातून की हालत में सुधार हुआ था किंतु वह नहीं कह सकते थे कि क्या बयान दर्ज करने के बाद वह होश में रही अथवा बाद में बेहोश हो गयी। उन्होंने कथन किया है कि मरीज की दशा उसके बेडहेड टिकट पर दर्ज की गयी थी, जो नर्सिंग होम में उपलब्ध थी। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि प्रदर्श 4, 5 एवं 6 उनके द्वारा पुलिस के दबाव पर लिखा गया था और वे सही नहीं हैं।

11. अ॰ सा॰ 12 डॉ॰ संजय कुमार पासवान ने 15.8.2004 को मृतका के मृत शरीर का शव परीक्षण किया और उस पर निम्नलिखित उपहतियाँ पाया:–

(i) pgjk] Nkrh] iV] nk;h tk?k] ij d ihN ck, Hkkx d uhp nkuk mijh fyc] nk;h tk?k d mijh Hkkx ,o furc ij tyu migfr;kA yxHkx 80% tyu migfrA

ck, tk?k d mijh Hkkx] vkDlhihVy {k=] nk, tk?k d uhp] nk, furc d uhp nkuk ijk d lkeu ck, furc d {k= e tyu migfr ughA

(ii) Nkrh d ,Vhfj;j ,o ikLVhfj;y igy e ldMjh buQD'kuA tyu migfr lrgh çÑfr dh] flok, Nkrh rFkk nkuk mijh fyc d tgk tyu migfr xgjh çÑfr dh FkhA leLr migfr;k eR; io FkhA

(iii) ân; e nkuk pEcj v'kr% Hkj g, FkA eR; dk dkj.k mDr tyu migfr;k d dkj.k vk?kkr ,o lfIVlhfe;k FkkA eR; dk le; 24 ?kVk d Hkhrj FkkA

उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट पहचाना है। जिसे प्रदर्श 9 चिन्हित किया गया था। अपने प्रति–परीक्षण में उन्होंने कथन किया है कि सेप्टिसेमिया से बचा जा सकता था यदि बेहतर इलाज किया गया होता और सामान्यतः जलन मामला में मरीज को मॉर्फिन दिया जाता है, जिस कारण मरीज सोने लगता है। उन्होंने यह कथन भी किया है कि इस प्रकार की उपहतियाँ आत्महत्या करने के कारण कारित हो सकती है।

12. अ॰ सा॰ 10 जगत नारायण सिंह पुलिस का एस॰ आई॰ है, जिसने केवल मामले में आरोप–पत्र दाखिल किया है। उसने औपचारिक प्राथमिकी पहचाना है, जिसे प्रदर्श 8 चिन्हित किया गया था और उसने सूचक का फर्दबयान भी पहचाना है जो ए॰एस॰ आई॰ सिद्धनाथ सिंह के लेखन में है जिसे प्रदर्श 8A चिन्हित किया गया था। उसने ए॰एस॰ आई॰ सिद्धनाथ सिंह के लेखन में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी पहचाना है जिसे प्रदर्श 8B चिन्हित किया गया था।

13. अ॰ सा॰ 11 पुलिस का ए॰ एस॰ आई॰ सिद्धनाथ सिंह है जो मामला का मुख्य आई॰ ओ॰ है। इस गवाह ने कथन किया है कि 5.8.2004 को उसने मो॰ इसलाम का फर्दबयान दर्ज किया था। उसने औपचारिक प्राथमिकी भी पहचाना है जिसे प्रदर्श चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है कि उसे अन्वेषण का प्रभार सौंपा गया था और उसने सूचक का पुनर्बयान दर्ज किया था। वह घटना स्थल पर भी गया था और किरासन तेल का गंध और किरासन तेल का कुछ छींटा भी पाया था। उसने अभियुक्त के घर से कुछ जली वस्तुओं को भी बरामद किया था और अभिग्रहण सूची तैयार किया था जिसे उसकी पहचान पर प्रदर्श 7A चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने कथन किया कि वह दीवार आदि पर जलने का कोई निशान नहीं पा सका था और उसे प्रतीत हुआ कि शायद पीड़िता को किसी अन्य स्थान पर जलाया गया था। इस गवाह ने कथन किया है कि उसने अन्य गवाहों का बयान दर्ज किया और उसने पीड़ित महिला का बयान भी दर्ज किया जो उसके लेखन एवं हस्ताक्षर में था और उसने इसे पहचाना है जिसे प्रदर्श 4A चिन्हित किया गया था। उसने यह कथन भी किया है कि उक्त फर्दबयान डॉ॰ एस॰ के॰ गुटगुटिया की उपस्थिति में दर्ज किया गया था जिन्होंने उक्त बयान पर अपना हस्ताक्षर भी किया था जिसे पहले प्रदर्श 4 चिन्हित किया गया था। उसने अस्पताल में न्यायिक दंडाधिकारी श्री एस॰ के॰ सिंह के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज करवाया था जिसे भी इस गवाह ने पहचाना और इसे आपत्ति के साथ प्रदर्श 6A चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया कि इलाज के क्रम में मृतका की मृत्यु हो गयी और उसे मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया जिसे उसने सिद्ध किया और इसे पहले प्रदर्श 8B चिन्हित किया गया था। उसका ध्यान पक्षद्रोही गवाहों के बयानों की ओर आकृष्ट किया गया था जिसका उसने अपने समक्ष पक्षद्रोही गवाहों द्वारा दिए गए बयानों का विस्तार में कथन करते हुए खंडन किया है। अपने प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि उसने मृतका की उपहतियों का मेमो भी तैयार किया था। और इसे उसके द्वारा पहचाना गया था जिसे प्रदर्श A चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है कि उक्त उपहति

मेमो में उसने उल्लिखित किया था कि सारा शरीर जला हुआ था किंतु हाथ के जलने के बारे में मृतक रूप से उल्लेख नहीं है। उसने कथन किया है कि उसके द्वारा दर्ज पीड़िता के बयान पर उसने अंगूठा का निशान लिया था। उसने यह कथन भी किया है कि उसने दूसरी लड़की का बयान दर्ज नहीं किया था क्योंकि वह अविवाहिता लड़की थी। उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि पीड़िता का बयान कूट रचित था।

14. अभियुक्त का बयान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया था जिसमें उसने अपने विरूद्ध साक्ष्य से इनकार किया है। एक बचाव गवाह का परीक्षण किया गया था जो ब॰ सा॰ 1 छह वर्षीया सलमा खातून, मृतका एवं अभियुक्त की पुत्री है और उसने कथन किया है कि उसकी माता ने स्वयं को आग लगाया था।

15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यह ऐसा मामला है जिसमें मृतका के पिता एवं भाइयों सहित समस्त तात्विक अभियोजन गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि केवल मृतका के मृत्युकालिक कथनों के आधार पर की गयी जिनमें से एक पुलिस के समक्ष दिया गया था जिसे फर्दबयान के रूप में दर्ज किया गया था और दूसरा न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था किंतु उक्त न्यायिक दंडाधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि यद्यपि न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दर्ज मृत्युकालिक कथन में यह कथन किया गया है कि मृतका अपना हस्ताक्षर करने की अवस्था में नहीं थी और जलन उपहतियों तथा अंगूठा की उपहतियों के कारण इसे लिया नहीं जा सका था, किंतु पुलिस द्वारा दर्ज मृतका के बयान पर मृतका के अंगूठा का निशान है। विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया कि यद्यपि मृतका के पिता ने अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया है किंतु उसके फर्दबयान के अनुसार मृतका को मोटरसाइकिल खरीदने के लिए धन की मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था जब कि पुलिस द्वारा दर्ज उसके मृत्युकालिक कथन में उसने कथन किया कि उसका पति एक अन्य लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चला रहा था जिसपर आपत्ति की जा रही थी जिस कारण उस पर प्रहार किया गया था और उसे जलाया गया था जबकि दंडाधिकारी द्वारा दर्ज उसके मृत्युकालिक कथन में उसने कथन किया है कि उसका पति ''दूसरी औरत के फेरे में था''। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सूचक के फर्दबयान में और मृतका के दोनों मृत्युकालिक कथनों में तात्विक विरोधाभास है और तद्नुसार मृतका के मृत्युकालिक कथनों पर विचारण न्यायालय द्वारा विश्वास नहीं किया जा सकता था। आगे यह निवेदन किया गया है कि चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार मृतका 70-80 % जलन उपहतियों से पीड़ित हुई और गवाहों ने कथन किया है कि मृतका बेहोश थी और इस आधार पर भी मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय नहीं है। वस्तुतः मृतका की छह वर्षीय पुत्री ब॰ सा॰ 1 सलमा खातून जो बाल गवाह है और जो घटना के समय पर उपस्थित थी ने कथन किया है कि मृतका ने स्वयं में आग लगाया था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इन अंतरों के कारण मृत्युकालिक कथनों को विचार में नहीं लिया जा सकता था। विद्वान अधिवक्ता ने **उका राम बनाम राजस्थान राज्य, (2001)5 SCC 254** एवं साथ ही **श्रीमती बतूल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य, 2003 Cr.L.J. 3286** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर अपने प्रतिवाद के समर्थन में विश्वास किया है कि जहाँ मृत्युकालिक कथन दर्ज करने की परिस्थिति संदेहपूर्ण है, यह अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार निर्मित नहीं कर सकती है। इन निर्णयों पर विश्वास करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

16. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध एवं निवेदन किया है कि दोनों मृत्युकालिक कथन बिलकुल विश्वसनीय हैं और इलाज करने वाले डॉक्टर की उपस्थिति में दर्ज किए गए थे जिन्होंने प्रमाण पत्रित किया था कि पीड़ित महिला अपना बयान दर्ज करवाने के लिए स्वस्थ मानसिक अवस्था में थी। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इलाज करने वाले डॉक्टर ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि इलाज के बाद उसकी हालत सुधर गयी थी, जिस तथ्य को उसके प्रतिपरीक्षण में लिया गया है और इस दशा में मृत्युकालिक कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मृतका द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथनों को चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णतः संपुष्ट किया गया है क्योंकि मृतका पर 70-80% जलन उपहतियाँ पायी गयी थी और उपरी दोनो अंगों सहित लगभग पूरा शरीर जला हुआ था जैसा चिकित्सा अधिकारी अ॰ सा॰ 12 डॉ॰ संजय कुमार पासवान जिन्होंने मृतका के मृत शरीर का परीक्षण किया था द्वारा सिद्ध किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दर्ज मृत्युकालिक कथन जिसे प्रदर्श 6A के रूप में सिद्ध किया गया है, न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा सही प्रकार से उल्लेख किया गया है कि उसके अंगूठा का निशान नहीं लिया जा सका था, जो तथ्य अ॰ सा॰ 12 डॉ॰ संजय कुमार पासवान के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी समर्थित किया गया है क्योंकि उन्होंने मृतका के उपर के दोनों अंगों को जला पाया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोनों मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राहय है और चूँकि वे विश्वसनीय दस्तावेज हैं; अभिलेख पर मौजूद अन्य साक्ष्य को अपवर्जित करते हुए केवल उन मृत्युकालिक कथनों के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि सुरक्षित की जा सकती थी। अपने प्रतिवाद के समर्थन में राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने **भज्जू उर्फ करण सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2012)4 SCC 327,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें निम्नलिखित विधि अधिकथित की गयी है:–

> *^^24. tc ,d ckj U;k;ky; lr"V g fd eR;dkfyd dFku lR; ,o LofPNd Fkk] ;g fu%lng vkx fdlh lif"V d fcuk eR;dkfyd dFku ij viuh nk"kflf) vkèkkfjr dj ldrk gA blh fofèk d dBkj fu;e d :i e vfèkdfFkr ugh fd;k tk ldrk g fd eR;dkfyd dFku nk"kflf) dk ,dek= vkèkkj fufer ugh dj ldrk g tc rd blh vU; lk{; }kjk li"V ugh fd;k x;k gA***

इस निर्णय पर विश्वास करते हुए राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है।

17. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि वर्तमान मामला केवल मृतका के दो मृत्युकालिक कथनों पर आधारित है। मृतका के पिता एवं भाईयों संहित समस्त तात्विक गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं अथवा अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया है, सिवाए उस सीमा तक कि मृतका की मृत्यु जलने के कारण हुई थी। प्रथम मृत्युकालिक कथन इलाज करने वाले डॉक्टर डॉ॰ एस॰ के॰ गुटगुटिया की उपस्थिति में पुलिस अधिकारी द्वारा फर्दबयान के रूप में दर्ज किया गया है। इस मृत्युकालिक कथन पर डॉक्टर द्वारा पृष्ठांकन है कि बयान उनकी उपस्थिति में लिया गया है। इस मृत्युकालिक कथन में मृतका ने विनिर्दिष्टतः कथन किया है कि उसका पति अब्दुल रहीम उर्फ फागू मियाँ का दूसरी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसपर उसके द्वारा आपत्ति की जा रही थी जिस कारण उस पर प्रहार किया गया था और तत्पश्चात उसमें आग लगाया गया था। यद्यपि यह मृत्युकालिक कथन मृतका के दाएँ अंगूठा का निशान अंतर्विष्ट करता है किंतु दस्तावेज से यह प्रकट है कि अंगूठा का निशान अंगूठा पर जलन उपहतियों के कारण अत्यन्त स्पष्ट नहीं है और अंगूठा का

निशान स्याही के धुंधले धब्बा के रूप में प्रतीत होता है। द्वितीय मृत्युकालिक कथन में जिसे न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था, न्यायिक दंडाधिकारी ने कथन किया है कि डॉक्टर ने उसके समक्ष प्रमाण पत्रित किया था कि मृतका अपना बयान देने के लिए स्वस्थ मानसिक दशा में थी और तब उसका बयान दर्ज किया गया था जिसमें पुनः उसने कथन किया कि उसका पति किसी अन्य महिला के चक्कर में था जिस कारण उसने उस पर प्रहार किया था और उसमें आग लगाया था। न्यायिक दंडाधिकारी ने पृष्ठांकन भी किया है कि डॉक्टर के अनुसार, 70-80% जलन उपहतियाँ थीं और वह अपने अंगूठा का निशान लगाने की दशा में नहीं थी। यह पृष्ठांकन पुलिस द्वारा दर्ज उसके बयान पर उपलब्ध अंगूठा के धुंधले निशान की दृष्टि में पूर्णतः सही प्रतीत होता है। इलाज करने वाले डॉक्टर ने प्रमाणपत्र दिया है कि मृतका पूरे होश में थी और दंडाधिकारी के समक्ष बयान देने की अवस्था में थी और कि उसकी जलन उपहतियों के कारण उसका हस्तक्षर अथवा अंगूठा का निशान लिया जाना संभव नहीं था। अपने साक्ष्य में इलाज करने वाले डॉक्टर अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ एस॰ के॰ गुटगुटिया ने यह प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 के रूप में सिद्ध किया है। उसके साक्ष्य में यह भी आया है कि दोनों बयान उसकी उपस्थिति में दर्ज किए गए थे और उसने दोनों मृत्युकालिक कथनों पर अपना पृष्ठांकन एवं हस्ताक्षर सिद्ध किया है। उसके प्रति परीक्षण में बचाव द्वारा लिया गया था कि उसके इलाज के दौरान उसकी दशा सुधर गयी थी। यद्यपि मृतका का भाई अ॰ सा॰ 4 मो॰ सिकन्दर अंसारी पक्षद्रोही हो गया है और उक्त बयान पर अपने हस्ताक्षर से इनकार किया है किंतु उसके द्वारा स्वीकार किया गया था कि उसकी बहन का बयान उसकी उपस्थिति में दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था। उसका बयान कि वह नहीं जानता है कि दंडाधिकारी क्या है और वह उपस्थित नहीं था जब वह बयान दर्ज किया गया था, पर विश्वास बिलकुल नहीं किया जा सकता है।

18. हम मृतका द्वारा दिए गए दोनों मृत्युकालिक कथनों में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं पाते हैं क्योंकि एक मृत्युकालिक कथन में उसने कथन किया है कि उसका पति किसी अन्य लड़की के साथ उलझा हुआ था और दूसरे मृत्युकालिक कथन में उसने कथन किया है कि ''वह दूसरी औरत के फेरे में था।'' मृतका द्वारा प्रयुक्त दोनों अभिव्यक्तियों की एक ही अर्थ है।

19. मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि दोनों मृत्युकालिक कथन साक्ष्य के विश्वसनीय टुकड़े हैं और यद्यपि मृतका के पिता एवं भाइयों सहित अन्य तात्विक गवाह पक्षद्रोही हो गए थे, किंतु अपीलार्थी की दोषसिद्धि उन दोनों मृत्युकालिक कथनों के आधार पर सुरक्षित रूप से की जा सकती थी। अपीलार्थी का मामला राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए **भज्जू उर्फ करण सिंह मामला (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा पूर्णतः आच्छादित है।

20. अत्यन्त हाल के एक निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रमेश एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (2017)1 SCC 529 [: 2017 (1) JBCJ 75 (SC)]** में इस तथ्य को ध्यान में लिया है कि अब यह एक सामान्य परिघटना तथा लगभग नियमित लक्षण बन गया है कि दांडिक मामला में गवाह पक्षद्रोही हो जा रहे हैं। इस मामला में भी यद्यपि अभियुक्त अपीलार्थीगण, जो मृतका के पति एवं अन्य ससुराल वाले थे, ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 तथा 498A/34 के अधीन अपराध के लिए विचारण का सामना किया था जिनको विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया था, क्योंकि गवाह पक्षद्रोही हो गए था। उस मामले में, मृतका 100% जलन उपहतियों से पीड़ित हुई थी और न्यायिक दंडाधिकारी ने अपने प्रति-परीक्षण के दौरान कथन किया था कि वह नहीं कह सकता था कि मृतका आधी

बेहोश थी जब उसने उसका बयान दर्ज किया था और वह उसका बयान लेने के लिए अग्रसर हुआ था क्योंकि डॉक्टर ने अपना मत दिया था कि वह अपना बयान देने के लिए स्वस्थ मानसिक दशा में थी। मृतका के भाई ने कथन किया था कि अभियुक्त पति उसके साथ था और जब उन्होंने मृतका के आग पकड़ने के बारे में सूचना पाया, वह पति के साथ रोहतक गया था जहाँ मृतका पहले ही अस्पताल में भरती पड़ी थी और विचारण न्यायालय ने दर्ज किया था कि चूँकि पति घटना के समय पर उसके भाई के साथ था, उसे मामला में झूठा आलिप्त किया गया था। अन्य ससुराल वालों जो मृतका को अस्पताल ले गए थे का आचरण विचारण न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी करते हुए विचार में लिया गया था कि यदि उन्होंने मृतका पर किरासन तेल डाला था और उसमें आग लगाया था, वे उसे इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले गए होते। विचारण न्यायालय ने यह कथन भी किया था कि मृतका का मृत्युकालिक कथन अंतर्निहित रूप से कमजोर तथा विश्वसनीय नहीं था।

21. इन अंतरों को विचार में लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित विधि अधिकथित करते हुए उच्च न्यायालय का निर्णय मान्य ठहराया है:-

"31. eR;dkfyd dFku dh xkg;rk ij fofèk lfuf'pr gA t;dju cuke ,u0 lh0 Vh0 fnYyh dk jkT;] e] bl U;k;ky; u Li"V fd;k fd eR;dkfyd dFku vko';drk d fl)kr ij lk{; e xkg; g vkj nk"kfl f) dk vkèkkj fufer dj ldrk g ;fn bl fo'oluh; ik;k tkrk gA Lor= lif"V dh vko';drk d fcuk eR;dkfyd dFku nk"kflf) dk ,dy vkèkkj fufer dj ld] ;g n'kkuk gkxk fd bl dju oky 0;fDr dk vkfylr fd, x, 0;fDr dh igpku dju dk volj Fkk vkj ;g i.kr% fo'oluh; vkj dyd l eDr gA **;fn ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e ;g ik;k tkrk g fd c;ku nu okyk LoLFk ekufld n'kk e Fkk vkj vU; }kjk çHkkfor g, fcuk futh tkudkjh d vkèkkj ij LoPNkiod c;ku fn;k Fkk vkj U;k;ky; dBkj loh{k.k ij bl fo'oluh; ikrk g] rc fofèk dk vFkok food'khyrk dk Hkh fl)kr ugh g fd lk{; d ,l fo'oluh; VdM ij dkjokb ugh fd;k tk ldrk g tc rd bl li"V ugh fd;k tkrk gA eR;dkfyd dFku lk{; d fdlh vU; VdM d leku lk{; dk Lor= VdMk g] u rk vfèkd etcr vFkok detkj vkj lif"V d fcuk bl ij dkjokb fd;k tk ldrk g ;fn bl vU;Fkk lR; ,o fo'oluh; ik;k tkrk gA lkoHkke ç;kT;rk dk ,lk dkb dBkj fl)kr ugh g fd ik, x, tyu dk çfr'kr eR;dkfyd dFku dh fo'oluh;rk vkj bl nt dju dh vufèklHkkO;rk çHkkfor dju okyk fofu'p;dkjh dkjd gA dkQh dN tyu dh çÑfr] tyu }kjk çHkkfor 'kjhj dk vx] lkpu dh 'kfDr vkj fnekx e vku oky fopkjk vFkok rF;k ,o vU; çklfxd dkjdk dk crku dh 'kfDr tyu d çHkko ij fuHkj djrk gA doy tyu dk çfr'kr eR; dkfyd dFku dju dh vfèklHkkO;rk vFkok vU;Fkk fofuf'pr ugh djxkA** dFku djuoky dh 'kkjhfjd n'kk vFkok ml ij migfr;k Lo; e dFku dju d fy, dFku dju oky dh ekufld LoLFkrk dk fofu'p;dkjh ugh cu tkrh gA n[k jkecb cuke NÙkhlx< jkT;A

32. ;g vrkfRod g fd fdld le{k dFku fd;k x;k gA dFku nMkfèkdkjh] ifyl vfèkdkjh] ykd lod vFkok çkboV 0;fDr d le{k fd;k tk ldrk gA bl MkDVj d le{k fd;k tk ldrk g(oLrr% og dFku dju d fy, eju oky 0;fDr dh LoLFkrk d ckj e vkj c;ku nt dju tgk mlu ik;k gk fd eju okyk 0;fDr eR; d dxkj ij g vkj ifyl vFkok nMkfèkdkjh dk cyku dk le; ugh g] d

ckj e er nu okyk lokÙke 0;fDr gA ,lh fLFkfr e] eju oky 0;fDr dk eR;dkfyd dFku nt dju d fy, MkDVj U;k;kfpr cfYd dr0;c) gkxkA **blh le; ij] bl ij Hkh tkj nu dh vko';drk g fd oreku ekey e l{ke nMkfèkdkjh }kjk eR;dkfyd dFku nt fd;k x;k g ftldh vfHk;Drk l dkb n'euh ugh gA tlk d'ky jko cuke ckEc jkT;] e vfHkfuèkkfjr fd;k x;k gA bl çdkj dk eR;dkfyd dFku mPprj vkèkkj ij [kMk gkxkA vkf[kjdkj] l{ke nMkfèkdkjh dh ihfMr d eR;dkfyd dFku e ukfer 0;fDr d fo#) n'euh ugh g vkj bld foijhr n'kku oky ifjfLFkfr;k dh vuifLFkfr e] ml ij U;k;ky; }kjk vfo'okl ugh fd;k tkuk pkfg,A (n[k fodkl ,o vU; cuke egkjk"V jkT;A**

33. fu%lng] ihfMrk 100% tyu migfr;k d lkFk yk;h x;h gA bld ckotn] MkDVj u ik;k fd og gk'k e Fkh vkj viuk c;ku nu d fy, l{ke FkhA bl çdkj] nMkfèkdkjh u lE;d lkoèkkuh cjrk Fkk vkj] oLrr%] fpfdRlk vfèkdkjh mifLFkr cuk jgk tc eR;dkfyd dFku nt fd;k tk jgk FkkA vr%] doy tyu dh lhek ftll og ihfMr Fkh dk fopkj e ydj ;g eR;dkfyd dFku R;Dr ugh fd;k tk ldrk g fo'k"kr% tc cpko i{k MkDVj d çfr&ijh{k.k l dN Hkh fudkyu e l{ke ugh jgk g fd mldh ekufld lkp&fopkj dh 'kfDr ml c;ku nu d fy, v{ke cukr g, i.kr% u"V gk x;h FkhA

34. iokDr fopkjk dk è;ku e j[kr g, ge egll djr g fd mPp U;k;ky; u lgh çdkj l lçf{kr fd;k fd ftl rjhd l fopkj.k U;k;ky; ekey e vxlj gvk] og fofèkr% vlik"k.kh; FkkA çFker% ;g n[kuk fopkj.k U;k;ky; d fy, vko';d Fkk fd D;k erdk dk c;ku nt dju d igy lE;d lkoèkkuh cjrh x;h Fkh tk eR;dkfyd dFku cu x;k D;kfd dN ?kV ckn mldh eR; gk x;hA bl lnHk e] çklfxd ;g g fd T;kgh erdk dk ih0 th0 vkb0 ,e0 ,l0] jkgrd e Hkjrh fd;k x;k Fkk] mDr vLirky e MkDVj u dkb le; xok; fcuk vkj rjUr rRi'pkr ifyl ikLV dk tyu d lkFk vLirky e mldh Hkjrh d ckj e lpuk HktkA ml lpuk dh çkfIr ij] lc&bLiDVj vLirky vk;k vkj erdk dk efMdy fjikV lxfgr fd;kA mlu rjUr ejht dh LoLFkrk d lcèk e mldk er bfllr djr g, lcfèkr fpfdRlk vfèkdkjh d le{k vkonu fn;kA Lo; ml vkonu (çn'k PG) ij MkDVj u i"Bkdu (çn'k PG/1) fd;k fd og c;ku nu ;kX; FkhA lc bLiDVj u Lo; c;ku nt ugh fd;k FkkA cfYd] mlu erdk dk c;ku nt dju d fy, vfèkdkjh çfrfu;Dr dju dk vujkèk mll djr g, vkonu (çn'k PH) d lkFk e[; U;kf;d nMkfèkdkjh] jkgrd d ikl tkdj lE;d lkoèkkuh cjrkA bl vkonu ij] HkfiUnj ukFk] U;kf;d nMkfèkdkjh] çFke J.kh] jkgrd dk vLirky tku ,o c;ku nt dju dk fun'k nr g, vkn'kk (çn'k PH/1) dk ikfjr fd;k x;k FkkA bl vkn'k l yl gkdj nMkfèkdkjh vLirky igpk vkj erdk dk c;ku nt fd;kA bl MkDVj dh mifLFkfr e nt fd;k x;k Fkk ftlu iu% çek.k i= fn;k fd og c;ku nu d fy, LoLFk ekufld n'kk e FkhA**

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामला में यह पाने पर भी कि मामला ''सुलह की संस्कृति'' से डसा हुआ प्रतीत हुआ, केवल मृतका के मृत्युकालिक कथन के आधार पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध करता उच्च न्यायालय का निर्णय मान्य ठहरायी।

22. वर्तमान मामला में भी, यद्यपि हम पाते हैं कि यह मामला भी 'सुलह की संस्कृति' से डसा हुआ है और दुर्भाग्यवश मृतका के पिता एवं भाई भी पक्षद्रोही हो गए हैं, किंतु वर्तमान मामला के तथ्य तथा मृतका के मृत्युकालिक कथनों को दर्ज करने का तरीका बिलकुल वही है जो **रमेश मामला (ऊपर)** में है। हमरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि पुलिस द्वारा और न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा भी दर्ज मृतका के मृत्युकालिक कथन साक्ष्य के ऐसे विश्वसनीय टुकड़े हैं कि अभियुक्त की दोषसिद्धि अभिलेख पर मौजूद पक्षद्रोही गवाहों के अन्यथा साक्ष्यों को ध्यान में लिए बिना इन मृत्युकालिक कथनों के आधार पर सुरक्षित की जा सकती थी।

23. पूर्वोक्त कारणों से हम सत्र मामला सं॰ 30 वर्ष 2005/47 वर्ष 2006 में अपीलार्थी अब्दुल रहीम उर्फ फागू मियाँ को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 498A के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्धि एवं दंडादेशित करते हुए विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जामतारा द्वारा पारित दिनांक 17.4.2007 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दिनांक 18.4.2007 के दंडादेश में अवैधता नहीं पाते हैं जिसे हम एतद् द्वारा अभिपुष्ट करते हैं, अपीलार्थी अभिरक्षा में है और दंडादेश भुगत रहा है।

24. इस अपील में गुणागुण नहीं है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त संबंधित न्यायालय को वापस भेजे जाएँ।

आनन्द सेन, न्यायमूर्ति.-मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 3511 of 2006. Decided on 28th August, 2017.

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894–धारा 18–भूमि का अर्जन–मुआवजा का अधिनिर्णय–निर्देश-याची को भूमि निर्देश मामला में पक्ष नहीं बनाया गया था–याची को भूमि के मूल्यांकन के प्रश्न पर अपना साक्ष्य देने का समुचित अवसर देने के बाद नए सिरे से मामला विनिश्चित करने के लिए मामला अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। (पैरा 6)

निर्णयज विधि.–AIR 1990 SC 1321—Relied.

अधिवक्तागण.–Mrs. Ritu Kumar, For the Petitioner; None, For the State; Mr. Arbind Kumar Sinha, For the Resp. Nos. 4 to 42.

आदेश

वर्तमान रिट याचिका भूमि निर्देश मामला सं॰ 568 एवं 569 वर्ष 1992 में विद्वान उपन्यायाधीश II, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 19 अगस्त, 2005 के निर्णय को अपास्त करने के लिए और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन उसके अनुसरण में पारित अधिनिर्णय के अभिखंडन के लिए भी दाखिल की गयी है। याची जिसके लिए भूमि अर्जित की गयी थी को सुनवाई का अवसर देने के बाद नया आदेश/निर्णय पारित करने के लिए विद्वान अवर न्यायालय को निर्देश देने की प्रार्थना की गयी है।

2. याची का मामला यह है कि याची कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ के अंतर्गत सरकारी कंपनी है। ग्राम सोनडीह में अवस्थित 6.94 एकड़ माप वाली खाता सं॰ 97 भूखंड सं॰ 815, 822, 824, 827 तथा 835 खाता सं॰ 110, भूखंड सं॰ 781 से संबंधित भूमि राज्य सरकार द्वारा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (वर्तमान याची) के उपयोग एवं प्रयोजन के लिए अर्जित की गयी थी। भूमि अर्जन अधिकारी ने अधिनियम की धारा 4 के अधीन कार्यवाही अधिसूचित किया और इसे अंत में 1 फरवरी, 1989 को हजारीबाग के स्थानीय गजट में प्रकाशित किया गया था। तत्पश्चात, अर्जन कार्यवाही आरंभ हुई और समाहर्ता ने स्वयं अपने स्तर पर उक्त भूमि का बाजार मूल्य क्रमशः 74,250/- रुपया तथा 1,73,500/- रुपया निर्धारित किया। उक्त अधिनिर्णीत राशि याची द्वारा भूमि गँवाने वालों/अधिनिर्णीतियों को भुगतान के लिए जिला भूमि अर्जन अधिकारी, हजारीबाग के कार्यालय में जमा की गयी थी। चूँकि अधिनिर्णीति इस प्रकार विनिश्चित बाजार दर से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने प्रतितोषण एवं अन्य सांविधिक लाभों के अतिरिक्त मुआवजा बढ़ाने का दावा करते हुए आपत्ति दाखिल किया। उक्त आपत्तियाँ समाहर्ता द्वारा विधि के अनुरूप मुआवजा राशि के पुनर्नियतिकरण के लिए विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 18 के अधीन निर्दिष्ट की गयी थीं जिन्हें भूमि निर्देश मामला सं॰ 568 एवं 569 वर्ष 1992 के रूप में दर्ज किया गया था। तत्पश्चात, अधिनिर्णीतियों को एवं राज्य को नोटिस जारी किए गए थे। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने उपायुक्त, हजारीबाग की ओर से नोटिस स्वीकार किया। किंतु याची को नोटिस जारी नहीं किया गया था और उक्त कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया था, यद्यपि भूमि याची के लिए अर्जित की गयी थी और मुआवजा के भुगतान का भार भी याची पर था।

याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 19 अगस्त, 2005 के निर्णय के तहत विद्वान अवर न्यायालय ने दावेदारों/अधिनिर्णीतियों तथा उपायुक्त, हजारीबाग को सुनने के बाद अधिनियम के प्रावधानों के अधीन यथा अंतर्विष्ट तोषण, ब्याज आदि सांविधिक लाभों के अतिरिक्त भूमि निर्देश मामला सं॰ 568 एवं 569 वर्ष 1992 में अर्जित भूमि का बाजार मूल्य 2520/- रुपया प्रति डिसमिल बढ़ाया तथा नियत किया। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि याची दिनांक 19 अगस्त, 2005 के निर्णय से बिलकुल अवगत नहीं था। याची ने न तो कोई नोटिस प्राप्त किया नहीं इसे कोई सूचना दी गयी थी। तत्पश्चात, दिनांक 19 अगस्त, 2005 के निर्णय के अनुसरण में पृथक अधिनिर्णय तैयार एवं प्रकाशित किए गए थे।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची द्वारा दाखिल समरूप याचिका डब्लू॰पी॰(सी॰) सं॰ 3418 वर्ष 2006 में इस न्यायालय की न्यायपीठ ने दिनांक 24 जून, 2010 के निर्णय के तहत याची की रिट याचिका मुख्यतः इस कारण से अनुज्ञात किया कि मुआवजा बढ़ाते हुए आक्षेपित निर्णय एवं अधिनिर्णय पारित करने के पहले याची को पक्षकार नहीं बनाया गया था और भूमि अर्जन निर्देश मामला में कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इस न्यायालय ने **नीलगगनबाई एवं एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य, AIR 1990 SC 1321,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास करते हुए अभिनिर्धारित किया:-

> *^^Lohdr :i l Hkfe iR;Fkh fuxe d i;ktu l vftr dh x;h Fkh vkj evkotk d Hkxrku dk Hkkj fuxe ij gA bl i"BHkfe e mPp U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k g fd evkotk nkok fofuf'pr dju d fy, vxlj gku d igy iR;Fkh fuxe ij ukfVl rkehy djuk fun'k U;k;ky; d fy, ckè;dkjh FkkA pfd iR;Fkh fuxe dk dkb ukfVl ugh fn;k x;k Fkk vkj bl idkj bl U;k;ky;*

d le{k viuk ekeyk j[ku d volj l ofpr fd;k x;k Fkk] fun'k ekeyk e fn;k x;k fu.k; voèk Fkk vkj fuxe ij ckè;dkjh ugh FkkA ge bl nf"Vdk.k d lkFk lger gA dukVd jkT; ij ;Fkk i;kT; Hkfe v tu vfèkfu;e dh èkkjk 20 dk iBu fuEufyf[kr g%

^^20- **ukfVl dk rkeily-**&U;k;ky; ml ij fnu ftl ij U;k;ky; fun'k fofuf'pr dju d fy, vxlj gkxk fofufn"V djr g, vkj ml fnu ij U;k;ky; d le{k mudh mifLFkfr funf'kr djr g, fuEufyf[kr 0;fDr;k vFkkr

(a) mik;Dr(

(b) fun'k e ^fgrc) leLr 0;fDr;k(vkj

(c) ;fn v tu ljdkj d fy, ugh fd;k x;k g] 0;fDr vFkok ikfèkdkjh ftld fy, ;g fd;k x;k g ij dkfjr fd, tku d fy, ukfVl tkjh djxkA

mDr mfYyf[kr èkkjk 20 d [kM (c) e i;Dr Li"V Hkk"kk dh nf"V e dkb lng ugh gk ldrk g fd iR;Fkh fuxe fun'k fofuf'pr fd, tku d igy lu tku dk gdnkj FkkA mPp U;k;ky; u fgeky;u VkbYl ,UM ekcYl (ik0) fy0 cuke foDVj Qfll dfVUgk (er) ,y0vkj0 }kjk] (1980)3 SCR 235: AIR 1980 SC 1118, e fu.k; ij fo'okl fd;k g ftle vfHk0;fDr** fgrc) 0;fDr dh mnkjrkiod 0;k[;k dh x;h Fkh rkfd oreku ekeyk e fuxe tl ikfèkdkjh dk lfEefyr fd;k tk ld fdr ikfèkdkjh ftld fy, vtu fd;k x;k g dk [kM (c) e fofufn"Vr% mYy[k dju oky vfrfjDr ikoèkku dh nf"V e oreku vihy e èkkjk 20 d [kM (b) dh 0;k[;k djuk vko';d ugh gA rnulkj ge vk{kfir fu.k; e ;Fkk vrfo"V mPp U;k;ky; dk fun'k li"V djr g fd ièkku flfoy U;k;kèkh'k] gcyh dk eY;kdu d i'u ij viuk lk{; nu dk volj fuxe dk nu d ckn ,y0,0dl l0 64 o"k 1979 e dk;okgh iu% vkjHk djuk vkj ekeyk u, flj l fofuf'pr djuk pkfg,A pfd ekeyk ijkuk g] iR;Fkh fuxe dk ,rn }kjk vkx fdlh ukfVl dh irh{kk fd, fcuk vkt d fnu l rhu llrkg d Hkhrj mDr ekeyk e mifLFkr gku dk fun'k fn;k tkrk gA vihy 0;; d lkFk [kkfjt fd;k tkrk gA**

4. तद्नुसार, याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विद्वान अवर न्यायालय का आक्षेपित निर्णय एवं अधिनिर्णय अपास्त किया जा सकता है और भूमि के मूल्यांकन के प्रश्न पर साक्ष्य देने का अवसर याची को देने के बाद भूमि अर्जन निर्देश मामला नए सिरे से विनिश्चित करने के लिए विद्वान अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा सकता है।

5. यद्यपि प्रत्यर्थी सं॰ 1, 2 एवं 3 (राज्य प्रत्यर्थीगण) ने प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है, किंतु तथ्य कि याची को भूमि निर्देश मामला सं॰ 568 एवं 569 वर्ष 1992 में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था से इनकार नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी सं॰ 4 से 42 (प्राइवेट प्रत्यर्थीगण) के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि स्वीकृत रूप से उक्त भूमि निर्देश मामला में याची पक्ष नहीं था और इसे साक्ष्य देने का कोई अवसर नहीं दिया गया था, यदि मामला विद्वान अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है, इस तथ्य कि वर्तमान भूमि निर्देश मामला काफी पुराना है को विचार में लेते हुए समय सीमा नियत की जा सकती है।

6. यह स्वीकृत अवस्था है कि याची को भूमि निर्देश मामला सं॰ 568 एवं 569 वर्ष 1992 में पक्ष नहीं बनाया गया था और वर्तमान रिट याचिका में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक डब्लू॰पी॰(सी॰) सं॰ 3418 वर्ष 2006 में दिनांक 24 जून, 2010 के निर्णय के तहत आच्छादित है। परिणामस्वरूप, भूमि निर्देश मामला

सं॰ 568 एवं 569 वर्ष 1992 में पारित दिनांक 19 अगस्त, 2005 का आक्षेपित निर्णय और उसके अनुसरण में पारित अधिनिर्णय एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। भूमि के मूल्यांकन के प्रश्न पर अपना साक्ष्य देने का अवसर याची को देने के बाद नए सिरे से मामला विनिश्चित करने के लिए मामला विद्वान अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7. किंतु इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मामला पुराना है, विद्वान अवर न्यायालय को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/ प्रस्तुती की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर यथासंभव शीघ्र उक्त भूमि निर्देश मामला निपटाने का निर्देश दिया जाता है।

8. पूर्वोक्त निर्देशों एवं संप्रेक्षणों के साथ रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

9. आई॰ए॰सं॰ 3522 वर्ष 2007 भी निपटाया जाता है।

---

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

बंधन महतो

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 4225 of 2007. Decided on 30th August, 2017.

नामांतरण–जमाबन्दी–नामांतरण कार्यवाही शुद्धतः प्रशासनिक कार्रवाई है जिसे कब्जा के आधार पर विनिश्चित किया जाता है क्योंकि जमाबन्दी खोला जाना भूमि पर किसी पक्ष का अधिकार एवं अभिधान न तो सृजित करता है और न ही निर्वाचित करता है बल्कि यह केवल उस व्यक्ति जिसे भूमि पर काबिज पाया गया है से सरकारी राजस्व संग्रहित करने के प्रयोजन से है–याची का दावा कि संपत्ति उसके पिता द्वारा स्वयं अपने आय के स्रोत से अर्जित की गयी थी और इस दशा में संपत्ति अनन्य रूप से उसकी है, नामांतरण करने वाले प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित नहीं किया जा सकता है–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 5 से 6)

अधिवक्तागण.–M/s Rajesh Kumar, Manindra Kumar Sinha, For the Petitioner; Mr. Ravi Kumar, For the State; Mr. S.K. Murtty, For the Respondents.

आदेश

वर्तमान रिट याचिका गिरीडीह विविध पुनरीक्षण सं॰ 26/2003 में आयुक्त, उतरी छोटानागपुर डिविजन, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 8.5.2007 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा विविध मामला सं॰ 2/2002-03 में अपर समाहर्ता, गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 13.12.2002 का आदेश अपास्त किया गया था। याची ने आगे भू सुधार उपसमाहर्ता, गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 30.3.2002 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है, जिसके द्वारा अंचलाधिकारी, बिरनी को तीन रैयतों के नाम में खोली गयी जमाबंदी अक्षुण्ण रखने तथा उनसे लगान प्राप्त करना जारी रखने का निर्देश दिया गया था।

2. रिट याचिका में यथा कथित मामला की ताथ्यिक पृष्ठभूमि यह है कि याची के पिता नाजो कोयरी (निजो महतो जैसा वाद शीर्षक में आता है) ने वर्ष 1936 में भूतपूर्व जमीन्दार ठाकुर तुलसी नारायण सिंह द्वारा प्रदान किए गए हुक्मनामा के माध्यम से बंदोबस्ती के रूप में ग्राम गारागुरो की 6.70 एकड़ क्षेत्र वाले भूखंड सं॰ 2, खाता सं॰ 41, उपखाता सं॰ 41/7 के अधीन भूमि अर्जित किया था। तत्पश्चात,

नाजो कोयरी ने इसे खेती योग्य बनाया और भूतपूर्व जमीन्दार को लगान का भुगतान किया और लगान रसीद भी प्राप्त किया। निहित किए जाने के समय पर जमीन्दार ने राज्य सरकार के समक्ष रिटर्न दाखिल किया और तत्पश्चात राज्य सरकार ने भी अभिधृति को मान्यता दिया और तब से settlee नाजो कोयरी राज्य सरकार को लगान का भुगतान कर रहा था। नाजो कोयरी की मृत्यु के बाद याची भूमि पर भौतिक रूप से काबिज हुआ और राज्य सरकार को लगान का भुगतान किया, याची को 9.4.2001 को जानकारी हुई कि प्राइवेट प्रत्यर्थियों ने अंचल स्टाफ के साथ दुरभिसंधि में उक्त भूमि के संबंध में अपने नामों को नामांतरित करवाया और अपने पक्ष में लगान रसीद प्राप्त किया। याची ने प्राइवेट प्रत्यर्थियों के नामों में खोली गयी जमाबन्दी के रद्दकरण के लिए अंचलाधिकारी, बिरनी के समक्ष विविध मामला सं० 3/2001–02 दाखिल किया और तत्पश्चात अंचलाधिकारी ने हलका कर्मचारी से रिपोर्ट मंगवाया जिसने यह कथन करते हुए कि रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि हुक्मनामा, भूतपूर्व जमीन्दार के रिटर्न एवं पुराना रजिस्टर II में नाजो कोयरी का नाम दर्ज किया गया है और किसी आदेश के बिना चूड़ामन कोयरी एवं मोती कोयरी के नाम में जमाबंदी खोली गयी थी। अंचलाधिकारी ने दिनांक 15.7.2003 के आदेश के तहत समुचित आदेश पारित करने के लिए मामला एल०आर०डी०सी०, गिरीडीह को निर्दिष्ट किया जिसे विविध मामला सं० 152 वर्ष 2001–02 के रूप में दर्ज किया गया था। किंतु दिनांक 30.3.2002 के आदेश के तहत एल०आर०डी०सी०, गिरीडीह द्वारा अंचलाधिकारी को प्राइवेट प्रत्यर्थियों के संबंध में बंदोबस्ती जारी रखने का निर्देश दिया गया था। तत्पश्चात, याची ने प्रत्यर्थी सं०3 (अपर समाहर्ता, गिरीडीह) के समक्ष विविध मामला सं० 2/2002–03 दाखिल किया जिसे अंचलाधिकारी को मामला का समुचित रूप से अन्वेषण करने और विधि के अनुरूप जमाबंदी सृजित करने के निर्देश के साथ दिनांक 13.12.2002 के तहत अनुज्ञात किया गया था। तद्द्वारा व्यथित होकर, प्राइवेट प्रत्यर्थियों ने प्रत्यर्थी सं०2 (आयुक्त, उत्तर छोटानागपुर डिविजन, हजारीबाग) के समक्ष गिरीडीह विविध पुनरीक्षण सं० 26/2003 दाखिल किया जिसे दिनांक 8.5.2007 के आक्षेपित आदेश द्वारा इस आधार पर अनुज्ञात किया गया था कि संपत्ति संयुक्त संपत्ति थी और विभाजन के बाद दोनों पक्षों द्वारा नाजो कोयरी के जीवित रहने तक 1979 से 2011 तक लगान का भुगतान किया गया था और इसे 21 वर्ष बीतने के बाद चुनौती नहीं दिया जा सकता है।

3. याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्राइवेट प्रत्यर्थीगण अवर न्यायालयों के समक्ष कोई दस्तावेज यह दर्शाने के लिए देने में विफल रहे हैं कि प्राइवेट प्रत्यर्थियों के नाम में चल रही जमाबन्दी का आदेश किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि संपत्ति अनन्य रूप से याची की थी क्योंकि इसे उसके पिता द्वारा आय के स्वयं अपने स्रोत से अर्जित की गयी थी और इस दशा में प्राइवेट प्रत्यर्थियों के नाम में जमाबंदी खोला जाना विधि में दोषपूर्ण था। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं०2 ने गलत रूप से छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 24(a) की ओर में प्राइवेट प्रत्यर्थियों का पुनरीक्षण अनुज्ञात किया है। चूँकि संपत्ति संयुक्त नहीं थी, वर्तमान मामला में उक्त धारा की प्रयोज्यता नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि परिसीमा विधि जानकारी की तिथि से शुरू होती है और चूँकि याची को केवल 9.4.2001 को तथ्य के बारे में जानकारी हुई, प्राइवेट प्रत्यर्थियों के पक्ष में सृजित जमाबन्दी को चुनौती देने में विलंब का प्रश्न नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्राइवेट प्रत्यर्थियों द्वारा की गयी कूट रचना भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा दाखिल रिटर्न से तथा अंचल कार्यालय में रखे गए अभिधारी लेजर रजिस्टर से प्रकट है।

4. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आयुक्त, उत्तर छोटानागपुर डिविजन, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 8.5.2007 के आदेश तथा भू सुधार उप समाहर्ता, गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 30.3.2002 के

आदेश को न्यायोचित ठहराते हुए निवेदन करते हैं कि पूर्वोक्त आदेश पूर्णत: वैध एवं न्यायोचित हैं और इस दशा में, इसमें इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है जबकि अपर समाहर्ता, गिरीडीह द्वारा विविध मामला सं०2/2002-03 में पारित आदेश विधिक एवं ताथ्यिक दुर्बलता से पीड़ित है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया गया। याची का दावा यह है कि उक्त भूमि उसके पिता द्वारा अनन्य रूप से भूतपूर्व जमीन्दार से 1936 में निष्पादित हुक्मनामा के माध्यम से अर्जित की गयी थी और तब से वह तथा उसके पूर्वाधिकारी भूमि पर अनन्य रूप से काबिज थे और भूतपूर्व जमीन्दार को लगान का भुगतान करते थे और निहित किए जाने के बाद राज्य सरकार को लगान का भुगतान करते थे। दूसरी ओर, प्राइवेट प्रत्यर्थीगण दावा कर रहे हैं कि उक्त भूमि वर्ष 1933 में हुक्मनामा के रूप में चूड़ामन कोयरी, मोती कोयरी तथा नाजो कोयरी द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित की गयी थी और विभाजन के बाद समस्त तीनों व्यक्ति उक्त भूमि पर पृथक रूप से काबिज हुए और उनके आवेदनों के आधार पर वर्ष 1978 में उनके नाम में पृथक जमाबंदी खोली गयी थी और तब से वे अपने हिस्से के लगान का भुगतान पृथक रूप से कर रहे हैं। मामले के अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि हुक्मनामा के रूप में अर्जित की गयी थी और दोनों पक्षों द्वारा हुक्मनामा के निष्पादन का वर्ष विवादित किया गया है। यह विवादित नहीं है कि नाजो कोयरी, चूड़ामन कोयरी एवं मोती कोयरी, समस्त महादेव महतो के पुत्र, संयुक्त परिवार के सदस्य थे। यह भी विवादित नहीं है कि हुक्मनामा, रिटर्न एवं पुराने लगान रसीद में याची के पिता का नाम नाजो कोयरी दर्ज था किंतु, वर्ष 1978 में इस बहाना पर कि संपत्ति का मित्रतापूर्वक विभाजन किया गया है और तत्पश्चात 2.23½ एकड़ के संबंध में पृथक जमाबंदी चूड़ामन कोयरी, नाजो कोयरी एवं मोती कोयरी प्रत्येक के नाम में सृजित करने के लिए अंचलाधिकारी के कार्यालय में आवेदन दाखिल किया गया था और तब से किसी पक्ष से किसी आपत्ति के बिना नाजो कोयरी की मृत्यु तक उनके द्वारा पृथक रूप से लगान का भुगतान किया जा रहा था। अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि स्थल सत्यापन के बाद हलका कर्मचारी ने रिपोर्ट दिया कि ग्रामीणों ने कथन किया है कि याची तथा प्राइवेट प्रत्यर्थीगण उक्त भूमि के अपने परस्पर हिस्सों पर काबिज हैं। इस प्रकार, यह विश्वास करना मुश्किल है कि 2001 के पहले याची को प्राइवेट प्रत्यर्थियों के नाम में जमाबंदी खोले जाने के बारे में जानकारी नहीं थी। प्रत्यर्थी सं०2 सही प्रकार से अभिनिर्धारित करते प्रतीत होते हैं कि अचानक लगभग 21 वर्षों बाद लंबे अरसे से चली आ रही जमाबंदी को चुनौती पोषणीय नहीं है। जहाँ तक याची के दावा का संबंध है कि संपत्ति उसके पिता द्वारा आय के स्वयं अपने स्रोत से अर्जित की गयी थी और इस दशा में संपत्ति अनन्य रूप से उसकी है; नामांतरण करने वाले प्राधिकारी द्वारा न्यायनिर्णीत नहीं किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि नामांतरण कार्यवाही शुद्धत: प्रशासनिक कार्यवाही है जो कब्जा के आधार पर विनिश्चित की जाती है क्योंकि जमाबंदी खोला जाना भूमि पर किसी पक्ष का अधिकार एवं अभिधान सृजित अथवा निर्वापित नहीं करता है बल्कि यह व्यक्ति जिसे भूमि पर काबिज पाया गया है से सरकारी राजस्व संग्रहित करने के प्रयोजन से है। चूँकि याची एवं प्राइवेट प्रत्यर्थियों दोनों को भूमि के अपने-अपने हिस्सों पर काबिज पाया गया है, प्रत्यर्थी सं०2 के आदेश में अवैधता प्रतीत नहीं होती है।

6. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, रिट याचिका गुणागुणरहित होने के कारण तद्नुसार खारिज की जाती है। याची, यदि उसे ऐसी सलाह दी जाती है, प्रश्नगत भूमि पर अधिकार/अभिधान का दावा करने के लिए समुचित सिविल न्यायालय के समक्ष जा सकता है।

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o vuhy dekj pkèkjh] U;k;efrx.k

सुखलाल लोहरा

cuke

झारखंड राज्य

Cr. (Jail) Appeal (D.B.) No. 661 of 2008. Decided on 19th December, 2017.

एस॰ टी॰ केस॰ संख्या 564 वर्ष 2006 में अपर न्यायिक आयुक्त, फास्ट ट्रैक न्यायालय-VIII, रांची द्वारा पारित दिनांक 5.4.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 10.4.2008 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धारा 302 सह-पठित धारा 84–हत्या–आजीवन कारावास–अभियुक्त की मानसिक विक्षिप्तता बचाव पक्ष का अभिवचन–अभियुक्त-अपीलार्थी की अभिकथित मानसिक अस्वस्थता अन्वेषण पदाधिकारी के ध्यान में भी नहीं गयी थी–इस मामले में बचाव पक्ष का कोई साक्षी परीक्षित नहीं किया गया था–लागू किया जानेवाला मानक यह है कि युक्तियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपनाये गये सामान्य मानक के अनुसार, कृत्य सही या गलत था या नहीं–यह एक ऐसा उपयुक्त मामला नहीं है जहां भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 384 के अधीन अभियुक्त को लाभ दिया जा सकता है–अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर एक झगड़े के परिणामस्वरूप लाठी के प्रहार किये थे जिसके परिणामतः मृतक की मृत्यु हो गयी थी–अपीलार्थी की दोषसिद्धि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग-II के अधीन दोषसिद्धि में सम्परिवर्तित तथा 10 वर्षों के सश्रम कारावास का दंडादेश सुनाया गया।

(पैराएँ 6, 7, 9, 10, 11 एवं 12)

निर्णयज विधि.–2017 (5) SCC 796; (1976) 4 SCC 382; (2012) 13 SCC 663; (1993) 4 SCC 238; 2007(8) SCC 66; (2011) 11 SCC 495; (2012)1 SCC 602—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Dr. Hasnain Waris, Reshma Kumari, For the Appellant; Mr. Vijay Shankar Prasad, For the State.

आदेश

एकमात्र अपीलार्थी अंगारा पुलिस थाना केस सं॰ 58/2005 से उद्भूत जी॰ आर॰ केस सं॰ 2699A वर्ष 2005 के तत्सम एस॰ टी॰ केस संख्या 564 वर्ष 2006 में अपर न्यायिक आयुक्त, फास्ट ट्रैक न्यायालय-VIII, रांची द्वारा पारित दिनांक 5.4.2008 की दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 10.4.2008 के दंडादेश से व्यथित है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन एकमात्र अपीलार्थी को दोषी पाया गया है तथा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है तथा आजीवन कारावास भुगतने एवं 5,000/- रुपये मात्र का जुर्माना अदा करने का दंडादेश सुनाया गया है तथा जुर्माने के भुगतान के व्यतिक्रम में तीन महीनों का साधारण कारावास भुगतना है।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि 25.8.2005 को प्रातःकाल में लगभग 7 बजे सूचनादाता सुखराम लोहरा, जो डोकड़ गांव में रहनेवाले मृतक जगन्नाथ लोहरा का पुत्र है, को कमता गांव से एक लड़के द्वारा सूचित किया गया था कि सूचनादाता के पिता, अर्थात्, जगन्नाथ लोहरा पर लाठी से एकमात्र अपीलार्थी द्वारा प्रहार किया जा रहा था तथा सूचनादाता का पिता मूर्छित हो गया था। सूचनादाता के मृतक पिता, उसकी माता तथा उसके छोटे भाई, अर्थात् सुखलाल लोहरा-जो इस मामले का एकमात्र अपीलार्थी है, कमता गांव में रहा करते थे। सूचना प्राप्त होने पर सूचनादाता शीघ्रतापूर्वक कमता गांव गया था एवं अपने पिता को मृत पाया था। पूछने पर सूचनादाता की माता ने सूचनादाता को सूचित किया

था कि मृतक तथा अपीलार्थी के बीच पानी लाने एवं बकरी चराने के संबंध में झकड़ा हुआ था तथा इस अपील के एकमात्र अपीलार्थी ने उसके मृतक पिता जगन्नाथ लोहरा के सिर पर लाठी से प्रहार किया था। मृतक जगन्नाथ लोहरा के सिर पर चोटें आयी थी तथा वह मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा था एवं उसकी मृत्यु हो गयी थी। घटना के उपरान्त एकमात्र अभियुक्त–अपीलार्थी उस लाठी के साथ घटनास्थल से भाग गया था जिसके द्वारा उसने उसके पिता पर प्रहार किया था।

3. सूचनादाता के फर्दबयान के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिये 25.8.2005 को अंगारा पुलिस थाना केस संख्या 58 वर्ष 2005 दर्ज किया गया था तथा मामले का अन्वेषण प्रारंभ किया गया था। अन्वेषण के पूरा हो जाने पर, पुलिस ने एकमात्र अभियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध अभियोगपत्र दाखिल किया था। सत्र न्यायालय को मामला भेजे जाने पर, लाठी से जगन्नाथ लोहरा के सिर पर बार–बार प्रहार करके उसके पिता जगन्नाथ लोहरा की हत्या कारित करने का अरोप अभियुक्त व्यक्ति, अर्थात्, सुखलाल लोहरा के विरूद्ध विरचित किया गया था। अभियुक्त व्यक्तियों के दोषी न होने का अभिवचन करने तथा विचारण किये जाने का दावा किये जाने पर, उसे विचारण पर रख दिया गया था। विचारण के अनुक्रम में अभियोजन ने कुल मिलाकर 11 गवाहों को परीक्षित किया था जिनमें अ॰ सा॰ 1 डॉ॰ चन्द्रशेखर प्रसाद, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था तथा अ॰ सा॰ 11 वसी अहमद सम्मिलित हैं, जो मामले का अन्वेषण पदाधिकारी है। अभियोजन द्वारा परीक्षित ग्यारह गवाहों में से, अ॰ सा॰ 2 धनेश्वर लोहरा, अ॰ सा॰ 7 शालीग्राम लोहरा, अ॰ सा॰ 4 चामो बेडिया, अ॰ सा॰ 5 हरिलाल बेडिया, अ॰ सा॰ 6 मणी देवी, अ॰ सा॰ 7 शांति देवी तथा अ॰ सा॰ 10 गणेश सिंह मुंडा घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं तथा वह सभी संत्रास पर घटना के उपरान्त घटनास्थल पहुंचे थे। उन सभी ने कथित किया है कि उन्होंने सुना था कि एकमात्र अभियुक्त, अर्थात, सुखलाल लोहरा ने मृतक जगन्नाथ लोहरा पर लाठी से वार करके उसके सिर पर उपहति कारित किया था, जिसके कारण मृतक जगन्नाथ लोहरा की मृत्यु हो गयी थी। अ॰ सा॰ 2 धनेश्वर लोहरा मृतक के शव की मृत्यु परीक्षा का एक गवाह है तथा उसने अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया था। अ॰ सा॰ 10 गणेश सिंह मुंडा भी मृत्यु समीक्षा का एक गवाह है तथा उसने भी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर किया है। प्रतिपरीक्षा के दौरान इन सभी गवाहों ने कथित किया है कि उन्होंने घटना को नहीं देखा है तथा इसके बारे में केवल सुना था। अ॰ सा॰ 8 सुखराम लोहरा मामले का सूचनादाता है। उसने फर्दबयान के अंतर्वस्तुओं का सम्पोषण किया है। उसे उसकी माता अ॰ सा॰ 9 लालो देवी द्वारा सूचित किया गया था कि अभियुक्त सुखलाल लोहरा ने मृतक को मारा–पीटा था। उसने फर्दबयान पर धनेश्वर लोहरा के हस्ताक्षर के साथ अपने हस्ताक्षर को भी सिद्ध किया है जिन्हें क्रमशः प्रदर्श 2 एवं प्रदर्श 1 के तौर पर अंकित किया गया है। अ॰ सा॰ 9 लालो देवी मामले की एकमात्र चश्मदीद गवाह है। वह मृतक की पत्नी तथा एकमात्र अपीलार्थी की माता है। उसने कथित किया है कि घटना के दिन, प्रातः काल में लगभग 6 बजे वह अपने पति तथा अभियुक्त के साथ अपने घर में थी। उसने अभियुक्त सुखलाल लोहरा को मृतक जगन्नाथ लोहरा की ललाट पर लाठी से प्रहार करते देखा था तथा इस ढंग से अभियुक्त ने मृतक को मार डाला था। उसके संत्रास करने पर अभियुक्त उस लाठी के साथ जंगल में भाग गया था जिससे वह मृतक पर प्रहार कर रहा था। गांव वालों के आगमन के बाद उसने उन्हें घटना के बारे में सूचित किया था। अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा संख्या 2 में उसने कथित किया है कि अभियुक्त व्यक्ति उसका पुत्र है तथा उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तथा अपनी मानसिक अस्वस्थता के कारण उसने मृतक की हत्या कर दी है।

4. अ॰ सा॰ 1 डॉ॰ चन्द्रशेखर प्रसाद ने कथित किया है कि 25.8.2005 को 3.45 बजे अपराह्न में उन्होंने मृतक जगन्नाथ लोहरा के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया था तथा मृतक के शव पर निम्नांकित उपहतियां पायी थीः–

[kjkp&nk;h ik'o xnu ij 1&2 l0 eh0 x ½ l0 eh0 vkdkj dhA

fonh.k ?kko&BM<h d nk; Hkkx ij 1&2 l0 eh0 x 1 l0 eh0 d eyk;e mÙkdA

l[;k 2&nk;h yykV ij vfLFk dh xgjkb rd 4 l0 eh0 x 1 l0 eh0 vkdkj dA

vkrfjd&nk;h VEikjy ijkbVy vfLFk d gYd vfLFkHkx d lkFk nk; ÝVy diky rFkk nk;h yEikjfy;j i'kh dk fpidk gvk xeMkA Hktk d nk; v)xkykèk ij lcM,y jDr d FkDdk dh mifLFkfr d lkFk Hktk d xeMkA

उनकी राय में, सभी उपहतियां मृत्युपूर्व स्वरूप की थी जिन्हें कठोर एवं कुंद पदार्थ द्वारा कारित किया जा सकता था तथा सिर की उपहतियों के कारण मृत्यु हुई थी। मृत्यु पोस्टमार्टम परीक्षण के पहले 6 से 10 घंटों के भीतर हुई थी। उन्होंने यह भी कथित किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी लिखावट तथा हस्ताक्षर में है जिसे प्रदर्श 1 के तौर पर अंकित किया गया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कथित किया है कि किसी उँचाई से गिरने पर ऐसी उपहतियां संभव है।

5. अ॰ सा॰ 1 वसी अहमद मामले का अन्वेषण पदाधिकारी है। अपने अभिसाक्ष्य में, उसने विस्तार से घटना स्थल को वर्णित किया है। उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट को भी सिद्ध किया है। उसके द्वारा सिद्ध किये जाने पर, फर्दबयान को प्रदर्श 3 के तौर पर अंकित किया गया है तथा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श 5 के तौर पर अंकित की गयी है। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कथित किया है कि अन्वेषण के दौरान यह उसके ध्यान में नहीं आया है कि अभियुक्त व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है।

6. अभियुक्त व्यक्ति का बयान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया था, जिसमें अभियुक्त ने उसके विरूद्ध साक्ष्य के होने से इनकार किया था एवं उसने निर्दोष होने का अभिवचन किया था। इस मामले में बचाव पक्ष द्वारा किसी गवाह को परीक्षित नहीं किया गया था। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, अपीलार्थी को दोषी पाया गया था एवं यथापूर्वोक्त विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया था एवं दंडादेश सुनाया गया था।

7. सुनवाई के समय, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया था कि अपीलार्थी मानसिक रूप से अस्वस्थ था एवं मानसिक अस्वस्थता के कारण जैसा कि अ॰ सा॰ 9 द्वारा स्पष्ट रूप से कथित किया गया था, वह यह जानने में असमर्थ था कि उसके द्वारा किये गये कृत्य की प्रकृति गलत थी या विधि के विरूद्ध थी या नहीं, अतएव, अभियुक्त व्यक्ति–अपीलार्थी को इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 84 का लाभ प्रदान करके दोषमुक्त कर दिया जाय। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का दूसरा आधार यह है कि चूँकि घटना क्षण के आवेश में हुई थी तथा अभियुक्त का अभिकथित प्रहार कारित करते समय मृत्यु कारित करने का इरादा नहीं था तथा उसने किसी पूर्व योजना के बिना केवल लाठी से मृतक पर प्रहार किया है, अत: अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि से भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग दो के अधीन दोषसिद्धि में उपांतरित की जाय।

8. इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **2017 (5) SCC 796** में रिपोर्ट किये गये **सुरेन्द्र सिंह बनाम पंजाब राज्य** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया था, जिसमें **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायाबरप्पु पुनैया एवं एक अन्य (1976) 4 SCC 382** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 15 में इसके पैरा 12 एवं 21 को निर्दिष्ट किया था तथा निम्नवत् निर्णीत किया था:–

^^12. ***nM lfgrk dh ;kstuk e] ^^Ink"k ekuo oèk** dy g rFkk ^^gR;k** bldh itkfr gA*** *lHkh ^^gR;k** ^^Ink"k ekuo oèk** g] ijUr bldk*

*myVk ugh gA lkekU; :i l dgu ij] gR;k d fo'k"k y{k.kk l jfgr ^^lnk"k ekuo oèk** ,lk lnk"k ekuo oèk g tk gR;k d rY; ugh gA* ***nM fuèkkfjr dju d i;ktukFk tk fd bl ey vijkèk dh xHkhjrk d vuikrh gk] lfgrk 0;kogkfjd :i l lnk"k ekuo oèk d rhu Lrjk dk ekU;rk nrh gA igyk og g ftl igy Lrj dk lnk"k ekuo oèk dgk tk ldrk gA ;g lnk"k ekuo oèk dk xHkhjre :i g] ftl gR;k d rkj ij èkkjk 300 e ifjHkkf"kr fd;k x;k gA nlj dk nlj Lrj d lnk"k ekuo oèk d rkj ij crk;k tk ldrk gA ;g èkkjk 304 d igy Hkkx d vèkhu nMuh; gA bld ckn] rhlj Lrj dk lnk"k ekuooèk gkrk gA ;g lnk"k ekuooèk dk fuEurj idkj g rFkk bld fy, micfèkr nM Hkh rhuk J.kh;k d fy, micfèkr nM e l lcl de gA bl Lrj dk lnk"k ekuooèk èkkjk 304 d nlj Hkkx d vèkhu nMuh; gA***

21. mijkDr lkj l{ki l] ;g mnHkr gkrk g fd tc dHkh Hkh fdlh U;k;ky; dk fdlh ekey d rF;k ij bl i'u l lkeuk djuk iMrk g fd vijkèk gR;k g ;k lnk"k ekuooèk g tk gR;k d rY; ugh g] mld fy; rhu pj.kk e leL;k l fuiVuk lfoèkktud gkxkA ***igy pj.k e ftl i'u ij fopkj fd;k tkuk gkxk] og ;g g fd D;k vfHk;Dr u dkb ,lk ÑR; dkfjr fd;k g ftldk djd mlu ,d vU; dh gR;k dkfjr dj nh gA vfHk;Dr d ÑR; rFkk eR; d chp ,l dk;&dkj.k lcèk dk iek.k fopkj d fy; nlj pj.k dh vkj y tkrk g fd vfHk;Dr dk ÑR; èkkjk 299 e ;Fkk ifjHkkf"kr ^^lnk"k ekuooèk** d rY; g ;k ughA vxj bl i'u dk mÙkj iFke n"V;k gk e ik;k tkrk g] nM lfgrk dh èkkjk 300 dh i;kT;rk ij fopkj dju dk pj.k vk tkrk gA ;g og pj.k g ftle U;k;ky; dk ;g vfHkfuèkkfjr djuk pkfg, fd D;k vfHk;ktu }kjk fl) rF; ekey dk èkkjk 300 e vrfo"V gR;k dh ifjHkk"kk d pkj [kMk e l fdlh ,d d ifjfèk d Hkhrj ykr g ;k ughA vxj bl i'u dk mÙkj u e g] rc vijkèk lnk"k ekuooèk gkxk tk gR;k d rY; ugh g] tk Øe'kh èkkjk 304 d igy ;k nlj Hkkx d vèkhu nMuh; gkxk blij fuHkj djr g; fd èkkjk 299 dk nljk ;k rhljk [kM i;kT; gA vxj bl i'u dk ldkjkRed ik;k tkrk g] ijUr ekeyk èkkjk 300 e ixf.kr vioknk e l fdlh ,d d Hkhrj vkrk g] vijkèk vHkh Hkh nM lfgrk dh èkkjk 304 d iFke Hkkx d vèkhu nMuh; lnk"k ekuooèk gkxk] tk gR;k d rY; ugh gA**** *(cy gekj }kjk inku fd;k x;k)*

सुरेन्द्र सिंह बनाम पंजाब राज्य (ऊपर) के मामले के पैरा 16 में माननीय न्यायालय ने **बुधी सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2012) 13 SCC 663** में मामले के पैरा 18 एवं 19 को निर्दिष्ट किया था जिसमें निम्नवत् निर्णीत किया गया था:–

^^18. vpkud ,o xHkhj :i l mdlko dk fl)kr lkotfud i;kT;rk d fdlh fl)kr dh vkj yku e ;k dfFkr dju e dBkj vFkko;u fd; tku e vleFk gA ;g lno fdlh fn; x; ekey d rF;k ij fuHkj gkxkA bl fl)kr dk ykx djr g,] U;k;ky; dh ikFkfed ckè;rk ,d ;fDr;Dr cf)eÙkk d 0;fDr d nf"Vdk.k l ;g ij[kuk g fd D;k ,lk dkb xHkhj ,o vpkud l vk;k mdlkok Fkk ftl fd ;fDr;Dr :i l ;g fu"d"k fudkyk tk ld fd lnk"k ekuooèk d vijkèk dk dkfjr djuk lHko Fkk] rFkk rF;k d vulkj] ;g gR;k d rY; ,d lnk"k ekuooèk ugh FkkA ***xHkhj rFkk vpkud mRiUu mdlko l lkeu vkuoky fdlh vijkèk dk lkekU;rk vFk ;g gkxk fd ,lh***

ifjfLFkfr e ekStn dkbZ 0;fDr vkRefu;=.k [kks ldrk g] ijUrq doy vLFkk;h :i l gh rFkk og Hkh mdlkos d le; d vkl ikl A ;g mdlkok vfHk;Dr d lkFk erd }kjk fd;k x;k ,d dk;Z ;k dbZ dk;Z gks ldrk g ftld ifj.kkerLo migfr dkfjr dh tk ldrh gA

19. ,d vU; ijh{k.k tks ik;k ¼ ykxw fd;k tk ldrk g] og ; g fd geykoj dk 0;ogkj ,d ;fDr;Dr 0;fDr dk 0;ogkj gA ***vkRefu;=.k d vpkud rFkk vLFkk;h :i l [kks nu d ifj.kke dk lkeu ykuoky vpkud rFkk xHkhj mdlko ,o mlls mdlko] tks ekj Mkyu d okLrfod vk'k; dk ifjr djrk g] d chp d egRo vrj dk è;ku e j[kk tkuk gA ,lk dk;Z mlh ekufld voLFkk d cuu jgu d nkjku rFkk ekj Mkyu d dkj.kk dk le>u gr ,l 0;fDr }kjk viu eu ij fu;=.k iu% ikIr dju d igy d le; e fd;k x;k gkuk pkfg,A ,d ckj ekj Mkyu d vk'k; d lkFk fdlh io fu;kftr dk;Z d gku ij] ;g LokHkkfod :i l lnk"k ekuoo/k tks gR;k d rY; ugh g] dh ifjf/k d ckgj vk;xkA----*** *(cy ej }kjk inku fd;k x;k)*

सुरेन्द्र सिंह बनाम पंजाब राज्य (ऊपर) के मामले के पैरा 17 में माननीय न्यायालय ने **किकर सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले (1993) 4 SCC 238** को निर्दिष्ट किया था जिसके पैराओं 8 एवं 9 में निम्नवत् निर्णीत किया गया था:–

^^8. vfèkoDrk u ekey dk v iokn 4 d Hkhrj ykus dk i;kl fd;k FkkA blds i;kT;rk d fy; mle ixf.kr lHkh 'kUkk dk vko';d :i l ijk fd;k tkuk FkkA dk; vko';d :i l {k.k d vko'k e ,d vpkud g; >xM e fdlh io ;kstuk d fcuk dkfjr gkuk g((2) ,d vpkud g; >xM ij((3) vijk/kh }kjk vufpr ykHk mBk; fcuk((4) rFkk vfHk;Dr u ,d Øj ;k vlkekU; <x l dk; ugh fd;k FkkA vr,o] vko';d :i l ,d ikjLifjd >xMk gkuk g ;k ,d nlj ij igkjk dk vknku inku gkuk gA rFkk] pkg igyk igkj ;k mdlkok fdruk Hkh gYdk gk] iR;d u;k igkj ,d u;k mdlkok cu tkrk gA [ku igy gh xe gk pdk g ;k iR;d i'pkrh geyk ij vkj xe gk tkrk gA vkox d {k.k e fdlh Hkh vkj l eukfLFkfr ugh luh tkrh gA vr,o] mud chp >xM d ikjHk gku d le; fLFkfr dh voLFkk d lnHk e nk"k d viu viu Lrjk dk iHkktu djuk dfBu g] ijUrq bl vko';d :i l ,d vpkud g; >xM] vFkkr] ikjLifjd >xM d ,d ifj.kke d rkj ij gkuk g rFkk ;g doy ,d vkj l ugh gkuk gA

bl vrj ugh iMrk g fd >xM dk dkj.k D;k g] pkg okLrfod gk ;k dkYifud] ;k dku igy >xMk ikjHk djrk g ;k igkj djrk gA igkj dk Lrj vko';d :i l ekj Mkyu ;k vU; dk xHkhj :i l ekj Mkyu ;k xHkhj :i l ?kk;y dju d vk'k; d fcuk gkuk gA vxj nk 0;fDr >xMk djuk ikjHk dj nr g rFkk mue l ,d fugRFkk g] tcfd nljk ,d tkuyok gfFk;kj dk bLreky djrk g] mlI tk ,l gfFk;kj dk bLreky djrk g] vko';d :i l ,d vufpr ykHk yuokyk fu.khr fd;k tkuk g] tk mls v iokn 4 dk gdnkj cuu l ofpr dj nrk gA ;g lgh g fd ?kkok dh l[;k ekunM ugh g] ijUrq bLreky fd; x; mud gfFk;kjk d lcèk e vfHk;Dr rFkk erd dh fLFkfr] >xM d <x dk èkkjk 4 dk ykxw djr le; vko';d :i l è;ku e j[kk tkuk gA tc erd gfFk;kj l yl ugh Fkk] ijUrq vfHk;Dr Fkk rFkk ik.k?kkrd ifj.kkek d lkFk erd dk migfr;k dkfjr dh Fkh] èkkjk 300 e vrLFkkfir v iokn 4 vioknfnr gks tkrk g rFkk dkfjr vijk/k gR;k dk ,d vijk/k gkxkA

9. ***vpkud g, >xM dk dkj.k u doy vpkud gkuk g] cfYd igkj fd; x; 0;fDr dk de l de ikjHk e cpko d fcUn ij cjkcj èkjkry ij gkuk gA ,lk fo'k"kdj rc gkuk g tc [krjukd gfFk;kjk d lkFk geyk fd;k tkrk gA*** *tgk erd fugRFkk Fkk ,o vpkud g, >xM d ckn Hkh vfHk;Dr dk dkbZ migfr dkfjr ugh dh Fkh] tc vfHk;Dr u erd ij ik.k?kkrd igkj fd; g] v iokn 4 vkdf"kr ugh gkrk g rFkk vijk/k vko';d :i*

l èkkjk 302 d vèkhu nMuh; gR;k dk vijkèk gkuk gA ***viokn 4 dk vkdf"kr dju d fy, leku :i l ;g Hkh vko';d g fd igkjk dk vknku inku gkuk pkfg, Hky gh og viu y{; dk ugh ikr gA*** *vxj >xMk xj io fu;kftr ugh g rFkk vpkud Hkh g] fQj Hkh gfFk;kj ;k cny dk <x fd; x; vijkèk d vR;fèkd vuuikrh gk] rFkk viu Lo:i e Øj ,o [krjukd gk] vfHk;Dr dk viokn 4 d vèkhu ljf{kr ugh fd;k tk ldrk gA --------***

(cy gekj }kjk inku fd;k x;k)

सुरेन्द्र सिंह बनाम पंजाब राज्य (ऊपर) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 14 में निम्नवत् निर्णीत किया था:–

"14. ***viokn 4 dh lgk;rk dk voyc fy;k tk ldrk g vxj eR; (a) io ;ktuk d fcuk] (b) ,d vpkud g; >xM e] (c) geykojk }kjk ,d Øj ;k vlkekU; <x l dk; fd; fcuk ;k vufpr ykHk fy; fcuk dkfjr gb g] rFkk (d) >xMk vko';d :i l ekj x; 0;fDr d lkFk gkuk gA fdlh ekey dk viokn 4 d Hkhrj yku d fy; ble mfYyf[kr lHkh ?kVdk dk vko';d :i l gkuk gA*** *bl è;ku e fy;k tkuk g fd HkkO nO lO dh èkkjk 300 d viokn 4 e ^^fo|eku >xM** dk HkkO nO lO e ifjHkkf"kr ugh fd;k x;k gA >xMk gku d fy, nk 0;fDr;k dk gkuk vko';d gA vko'k dk vkox vif{kr djrk g fd Hkkoukvk d B< iM tku d fy, dkb le; ugh gkuk g rFkk bl ekey e] ikjHk e dgk&lusuh d dkj.k i{kdkj vR;fèkd Økèk e vk x; FkA* ***dkb >xMk nk ;k nk l vfèkd 0;fDr;k d chp gvk ,d l?k"k g] pkg gfFk;kjk d lkFk gk ;k gfFk;kjk d fcukA*** *bldk ydj dkb lkekU; fu;e dk vfèkdfFkr djuk lHko ugh g fd fdl ,d vpkud gvk >xMk ekuk tk;xkA ;g ,d rF; dk i'u g rFkk dkb >xMk vpkud gvk >xMk g ;k ugh] ;g vko';d :i l iR;d ekey d fl) fd; x; rF;k ij fuHkj gkxkA* ***viokn 4 d ykx gku d fy,] ;g n'kkuk i;kIr ugh g fd vpkud ,d >xMk gvk Fkk rFkk dkb io ;ktuk ugh FkhA bl Hkh n'kk;k tkuk vko';d g fd geykojk u dkb vufpr ykHk ugh fy;k g ;k ,d Øj ;k vlkekU; <x l dk; ugh fd;k gA ikoèkku e ;Fkk i;Dr ^^vufpr ykHk** vfHk0;fDr l vfHkik; ^^vui;Dr ykHk** gA***

(cy ej }kjk inku fd;k x;k)

9. दूसरी ओर विद्वान अपर लोक अभियोजक ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश का बचाव किया तथा निवेदन किया कि अ॰ सा॰ 9 ने स्पष्ट रूप से युक्तिसंगत संदेह से परे अभियोजन का मामला सिद्ध किया है। यह भी निवेदन किया गया था कि मानसिक अस्वस्थता के अभिवचन के पास खड़े होने के लिए कोई पांव नहीं है क्योंकि उक्त अभिवचन के सत्य न होने से, न तो इसे अन्वेषण पदाधिकारी के ध्यान में लाया गया था, जैसा कि अ॰ सा॰ 11 के तौर पर अपने अभिसाक्ष्य के पैरा संख्या 5 में उसके द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है, न ही उक्त अभिवचन विचारण के समय लिया गया था यद्यपि अपीलार्थी का यह तर्क है कि वह विचारण के पहले से ही मानसिक रूप से अस्वस्थ रहा है, जो मानसिक अवस्था जारी रहती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय, जिसके पास अपीलार्थी को वैयक्तिक रूप से देखने का अवसर रहा था, ने आक्षेपित निर्णय में ही स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है कि बचाव के तौर पर उक्त अभिवचन लिया गया था। यह भी निवेदन किया गया था कि अ॰ सा॰ 9 का परिसाक्ष्य अखंडनीय रहा था। उसके पास अभियुक्त की माता होने के नाते अभियुक्त को झूठमुठ फंसाये जाने का कोई हेतूक नहीं हो सकता था। यह भी निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 9 के परिसाक्ष्य का अ॰ सा॰ 1 के परिसाक्ष्य द्वारा सम्पोषण किया गया था, अतएव, यह निवेदन किया गया है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अभियुक्त–अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से ऐसा निर्णीत किये जाने से तथा दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में कोई अवैधानिकता न होने से, इस अपील को गुणावगुणों से रहित होने के कारण खारिज किया जाता है।

10. जहां तक मानसिक अस्वस्थता से संबंधित अपीलार्थी के तर्क का संबंध है, जैसा कि **2007 (8) SCC 66** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पैरा 13 में निर्णीत किया गया है, विधि का स्थापित सिद्धांत यह है कि लागू किया जानेवाला पैमाना यह है कि क्या युक्तियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपनाये गये सामान्य मापदंड के अनुसार कृत्य सही था या नहीं या दोषपूर्ण था। मात्र यह तथ्य कि अभियुक्त अहंकारी, थोड़ा चिडचिड़ा है तथा उसका दिमाग पूरी तरह से सही नहीं है या जिन शारीरिक या मानसिक व्याधियों से वह ग्रस्त रहा है, उसने उसकी बुद्धि को निर्बल बना दिया है तथा उसकी भावनाओं या इच्छा को प्रभावित किया था, या यह कि अतीत में उसने कतिपय असामान्य कार्य किये थे या छोटे अंतरालों पर उसपर विक्षिप्तता के दौरे पड़ने की संभावना थी, या वह मिर्गी के दौरे पड़ने से ग्रस्त था, परन्तु उसके व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं था, या उसका व्यवहार अजीबोगरीब था, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।

इसी प्रकार **सुरेन्द्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य, (2011) 11 SCC 495** के मामले में **बापु (ऊपर)** के निर्णय पर भरोसा करते हुए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 11 में निम्नवत् निर्णीत किया था:–

> *"11. gekjh jk; e] tk vfHk;Dr nM lfgrk dh èkkjk 84 d vèkhu fdlh dk; dh nkf;rk l cjh gkuk pkgrk g] mlu oèkkfud fof{kIrrk fl) djuh g rFkk fpfdRlh; fof{kIrrk ughA ^^ekufld vLoLFkrk** vfHkO;fDr dk nM lfgrk e ifjHkkf"kr ugh fd;k x;k g rFkk bl e[;r% fof{kIrrk d cjkcj ekuk x;k g] ijUr ^^fof{kIrrk** in d fofHkUu lnHkk e fofHkUu vFk gkr g rFkk ekufld fodykxrk d fofHkUu Lrjk dk of.kr djrh gA* ***iR;d O;fDr tk ekufld O;kfèk l xLr g] viu vki gh nkfMd nkf;rk l eDr ugh gk tkrk gA ek= ;g rF; fd vfHk;Dr vgdkjh g] FkkMk fpMfpMk g rFkk mldk fnekx ijh rjg l lgh ugh g ;k ftu 'kkjhfjd ;k ekufld O;kfèk;k l og xLr jgk g] mlu mldh cf) dk fucy cuk fn;k g rFkk mldh Hkkoukvk dk iHkkfor fd;k Fkk] ;k og dfri; vlkekU; Ñr;k e lfylr jgrk g] ;k NkV NkV vrjkyk ij mlij fof{kIrrk d nkj iMr jg Fk ;k og fexh d nkj iMu l xLr Fkk] rFkk vlkekU; O;ogkj Fkk] ;k O;ogkj vthckxjhc Fkk] nM lfgrk dh èkkjk 84 dh i;kT;rk dk vkdf"kr dju d fy, i;klr ugh gA*** *(cy gekj }kjk inku fd;k x;k)*

विधि के पूर्वोल्लिखित स्थापित सिद्धांतों की कसौटी पर इस मामले के तथ्यों पर विचार करने पर, अभिलेख में यह साक्ष्य है कि घटना के उपरान्त अभियुक्त लाठी के साथ जंगल में भाग गया था, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसे उसके द्वारा किये गये कार्यों के परिणामों के बारे में जानकारी थी। अभियुक्त–अपीलार्थी की अभिकथित मानसिक अस्वस्थता अन्वेषण पदाधिकारी के ध्यान तक में नहीं गयी थी। विचारण के दौरान अभियुक्त–अपीलार्थी की ओर से सिद्ध किये जाने की बात तो दूर रही उक्त अभिवचन लिया भी नहीं गया था, यद्यपि उसकी ओर से यह निवेदन किया गया है कि वह घटना के पहले से ही मानसिक रूप से अस्वस्थ रहा है जो अवस्था जारी रही थी। जैसा कि **राजस्थान राज्य बनाम शेरा राम (2012) 1 SCC 602** के मामले के पैरा 19 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया है, विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि विशेषज्ञ साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर होगा कि वह ऐसे मानसिक विकार या मानसिक अवस्था से ग्रस्त है कि उससे अपने कार्य के परिणामों से अवगत होना अपेक्षित नहीं किया जा सकता है। हमें लगता है कि अपीलार्थी उक्त भार का उन्मोचन करने में बुरी तरह विफल रहा है। विचारण न्यायालय ने भी, जिसके पास मामले की समूची कार्यवाही के दौरान अभियुक्त को देखने का अवसर था क्योंकि विचारण के दौरान अभियुक्त सदैव हिरासत में रहा है, मानसिक अस्वस्थता के उक्त अभिवचन को स्वीकार नहीं किया है तथा इसे बचाव के एकमात्र अभिवचन के रूप में उल्लिखित किया है। इन तथ्यों तथा परिस्थितियों की दृष्टि में, हमारी सुविचारित राय है कि यह एक

ऐसा उपयुक्त मामला नहीं है जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अधीन अभियुक्त को लाभ प्रदान किया जा सकता है।

11. अ॰ सा॰ 9, जो अभियुक्त-अपीलार्थी की माता है, के माध्यम से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वास योग्य, अखंडनीय तथा भरोसा उत्पन्न करनेवाला है। यह तथ्य कि वह अभियुक्त-अपीलार्थी की माता है तथा अभियुक्त-अपीलार्थी के विरूद्ध उसे कोई हिसाब बराबर नहीं करना है, तथा यह तथ्य भी कि वह घटना की स्वभाविक अकेले चश्मदीद गवाह है, उसके परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। अ॰ सा॰ 9 का साक्ष्य अ॰ सा॰ 1-चिकित्सक, जिसने शव परीक्षा की थी, के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा तथा इस मामले में अभियोजन द्वारा परीक्षित अन्य गवाहों द्वारा भी सम्पोषित होता है। इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह सिद्ध करने में पर्याप्त है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने एक झगड़े के परिणामस्वरूप मृतक के सिर पर लाठी के प्रहार किये थे जिसके परिणामत: मृतक की मृत्यु हो गयी थी। परन्तु इस तथ्य पर विचार करके कि एक झगड़े के परिणामस्वरूप मृतक पर अपीलार्थी द्वारा लाठी के वार किये गये थे तथा अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि उसका मृतक की हत्या करने का इरादा था तथा यह कि किसी पूर्व योजना या पूर्व विचारण के बिना क्षण के आवेश में घटना घटित हुई थी, हमारी सुविचारित राय है कि यह एक ऐसा उपयुक्त मामला है जहां अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के दूसरे भाग के अधीन दोषसिद्धि में उपांतरित किया जाय। तद्नुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के दूसरे भाग के अधीन दोषसिद्धि में उपांतरित किया जाता है तथा उसे 10 वर्षों का सश्रम कारावास भुगतने का दंडादेश सुनाया जाता है।

12. चूँकि अपीलार्थी पहले ही 10 से अधिक वर्षों से हिरासत में रह चुका है, उसे स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए, जबतक कि किसी अन्य मामले के संबंध में उसकी निरूद्धता अपेक्षित न हो। तद्नुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दोषसिद्धि में उपांतरण के साथ तथा जुर्माना सहित आजीवन कारावास के दंडादेश के 10 वर्षों के सश्रम कारावास के दंडादेश में पारिणामिक उपांतरण के साथ यह अपील आंशिक रूप से अनुज्ञात की जाती है।

13. अवर न्यायालय के अभिलेख को इस निर्णय की प्रति के साथ संबंधित न्यायालय को तत्काल वापस भेजा जाय।

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; vij'k dekj flg ,o jkt'k dekj] U;k;efrx.k

इशार अहमद

cuke

मो॰ कैस उर्फ कमाल अहमद एवं अन्य

Cr. Revision No. 890 of 2006. Decided on 11th January, 2018.

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 366, 366A, 342, 323, 376 एवं 354–अपहरण, दोषपूर्ण रूप से रोकना, उपहति, बलात्संग एवं शीलभंग करने का प्रयास–दोषमुक्ति के विरूद्ध पुनरीक्षण–पीड़िता लड़की वयस्क है तथा अभियुक्त से विवाह करने के आशय के साथ स्वेच्छा से उसके साथ भागी थी–समूचा अभियोजन मामला संदिग्ध प्रतीत होता है–अस्पष्टीकृत विलम्ब

के साथ औपचारिक प्राथमिकी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय भेजा गया था–दोषमुक्ति का आक्षेपित निर्णय बरकरार–पुनरीक्षण याचिका खारिज। (पैराएँ 9 से 11)

अधिवक्तागण.–Mr. Prabir Chatterjee, For the Petitioner; None, For the Opp. Parties.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपर सत्र न्यायाधीश-II, धनबाद द्वारा सत्र विचारण संख्या 455 वर्ष 2002/सत्र विचारण संख्या 463 वर्ष 2002 में पारित दिनांक 26.7.2006 के आक्षेपित निर्णय द्वारा इसमें विपक्षी संख्या 1 एवं 2 दोनों भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 366, 366A, 323 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त हो गये थे; इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या 1 भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 के अधीन आरोप से दोषमुक्त हो गया था जबकि विपक्षी संख्या 2 भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 354 के अधीन आरोप से दोषमुक्त हो गया था। सूचनादाता ने व्यथित होकर वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दाखिल किया है।

3. अभियोजन मामला संक्षेप में निम्नवत् है:–

सूचनादाता उस पीड़िता का पिता है जिसने अभियुक्त मो॰ कैस उर्फ कमाल अहमद (विपक्षी संख्या 1) के विरूद्ध जोरापोखर पुलिस थाना केस सं॰ 333 वर्ष 2001 संस्थित किया था, परन्तु अन्वेषण के उपरान्त दोनों अभियुक्तों (विपक्षी संख्या 1 एवं 2) के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। संज्ञान लिये जाने के उपरान्त, मामला विचारण के लिये सत्र न्यायालय भेज दिया गया था। सूचनादाता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि 8.11.2001 को उसकी लगभग 18 वर्षीय अवयस्क पुत्री बुलबुल अपने परीक्षा का फार्म भरने के लिये लगभग 9 बजे पूर्वाह्न में बी॰ एस॰ एस॰ महिला कॉलेज, धनबाद जाने के लिये एक ट्रेकर पर चढ़ी थी। अभियुक्त मो॰ कैस तथा सोनू उर्फ असरफ तथा एक सह अभियुक्त ट्रेकर में पहले से ही थे जिसमें चालक के सिवाय कोई अन्य यात्री नहीं था। जब ट्रेकर ने आगे बढ़ना प्रारंभ किया, असरफ उर्फ सोनू ने बुलबुल की नाक पर रूमाल रख दिया, जिसने उसे बेहोश कर दिया था। उसका मो॰ कैस के साथ विवाह के लिए या अनैतिक यौन संबंध के लिए अपहरण किया गया था। अपना होश आने के बाद उसने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में पाया था जहां सभी तीन अभियुक्त व्यक्ति भी मौजूद थे। उसे घटना के बारे में सूचना न देने के लिये अभियुक्तों द्वारा धमकाया गया था, अन्यथा वह उसके पिता एवं भाई को मार डालेंगे। उससे कई सादे कागजों पर धमकाकर हस्ताक्षर कराये गये थे। विपक्षी संख्या 1 मो॰ कैस ने उसके साथ बलात्संग किया था जबकि विपक्षी संख्या 2 सोनू उर्फ असरफ ने उसका शील भंग करने का प्रयास किया था।

4. पूर्वोक्त धाराओं के अधीन आरोपों के विरचित किये जाने के उपरान्त, अभियुक्तों को आरोप पढ़कर सुनाया गया था, जिन्होंने दोषी न होने का अभिवचन लिया था तथा यह भी कथित किया था कि 19 वर्ष की होने के कारण घटना के समय बुलबुल वयस्क थी। वह अपनी स्वतंत्र इच्छा तथा सहमति से अभियुक्त व्यक्तियों के साथ दिल्ली गयी थी एवं मुस्लिम विधि के अनुसार मो॰ कैस से विवाह किया था। तत्पश्चात्, वह अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मो॰ कैस के घर लौट आयी थी।

5. विचारण के दौरान आठ अभियोजन गवाहों को परीक्षित किया गया था जो निम्नवत् हैं:–

1. v0 lk0 1 gluu vkteh
2. v0 lk0 2 frlkj vgen
3. v0 lk0 3 lkygk [kkru
4. v0 lk0 4 dkuheh jtjh
5. v0 lk0 5 cycy

6. vO lkO 6 ln fulkj vgen lkojh

7. vO lkO 7 MkO lcrk ?kk"k

8. vO lkO 8 deyk dkr feJk

db nLrkoth lk{; Hkh iLrr fd; x; g tk g%

1. in'k 1&fyf[kr fjikV

2. in'k 2&cycy dh fpfdRlk fjikV

3. in'k 3&vkipkfjd ikFkfedh

4. in'k 4&nO iO lO dh èkkjk 164 d vèkhu cycy dk c;ku

6. बचाव पक्ष ने भी दो गवाहों को परीक्षित किया है जो निम्नवत् हैं:–

1. cO lkO 1 dkth vCny okfgn [kku ftlu cycy rFkk ekO dl dk fudkgukek djok;k FkkA

2. cO lkO 2 ekO tuy [kku vfHk;Dr ekO dl dk fj'rnkj gA

cpko i{k }kjk Hkh db nLrkot lk{; iLrr fd; x; g tk fuEuor g%&

1. in'k A–tUefnu LVhdj dh fy[kkoVA

2. in'k B–B/6–dl dk cycy }kjk fy[k x; i=A

3. in'k C–cycy dk fcgkj fo|ky; ijh{kk lfefr] iVuk dk vdi=A

4. in'k D–fnukd 13.11.2001 d fookg 'kiFk i= ij cycy dk gLrk{kjA

5. in'k E–fudkgukek (efLye fookg iek.k i=) ij cycy dk gLrk{kjA

6. in'k F–fudkgukek dh vfHkiekf.kr ifr] cycy dk gLrk{kjA

7. in'k G–cycy dk Nk;kfp=A

8. in'k I–efLye fookg iek.ki=A

9. in'k H–ihfMrk dh ?kk"k.kkA

10. in'k H/1–dkth vCny okfgn [kku d efLye fookg dh io'k ithA

11. in'k J–cycy dk fcgkj fo|ky; ijh{kk lfefr dk vd i=A

12. in'k K–fudkgukek ith e ifof"VA

13. in'k L–thO vkjO l[;k 151 o"k 2003 dh vfHkiekf.kr ifrfyfiA

14. in'k M–thO vkjO l[;k 151 o"k 2003 d vfHk;kx i= dh vfHkiekf.kr ifrA

15. in'k N–thO vkjO dl l[;k 1478 o"k 2003 dh ikFkfedh dh vfHkiekf.kr ifrA

16. in'k O–thO vkjO dl l[;k 1478@03 d vfHk;kx i= dh vfHkiekf.kr ifrA

17. in'k P–tkjkik[kj ifyl Fkkuk dl l[;k 124 o"k 2003 dh vfHkiekf.kr ifrA

18. in'k P–fookg 'kiFk i=A

19. in'k X rFkk X/1–ekO dl dk fookg 'kiFk i=A

7. जबकि अभियोजन ने पूर्वोक्त अपराध के अधीन अभियुक्त व्यक्ति की दोषसिद्धि की ईप्सा किया था, बचाव पक्ष ने इस अभिवचन पर अभियोजन मामले को खंडित करने की ईप्सा किया था कि न केवल

पीड़िता लड़की बुलबुल घटना के समय 19 वर्ष की होने के नाते वयस्क थी, बल्कि पीड़िता द्वारा लिखे गये पत्रों समेत कई प्रदर्श स्पष्टत: दर्शाते थे कि घटना के पहले उसका मो॰ कैस के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। मो॰ कैस के साथ दिल्ली में उसके विवाह के दस्तावेजी साक्ष्य पर तथा विवाह के प्रमाण पत्र पर अनुमंडल दंडाधिकारी, पहाड़गंज, दिल्ली के प्रतिहस्ताक्षर पर भी भरोसा किया गया था कि पीड़िता लड़की एक सहमति देनेवाली पक्ष थी जिसने अपनी स्वतंत्र इच्छा तथा सहमति पर निकाह किया था। बचाव पक्ष के अनुसार, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 354 के अधीन आरोप के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं था।

8. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन के मामले तथा बचाव पक्ष के मामले पर विस्तार से चर्चा किया है। अ॰ सा॰ 1 से 5 ने अपने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन किया था। अ॰ सा॰ 5, पीड़िता लड़की ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दिये गये अपने बयान (प्रदर्श 4), चिकित्सा रिपोर्ट–प्रदर्श 2, अ॰ सा॰ 8, अन्वेषण पदाधिकारी के पैरा 10 में बयान के माध्यम से अभियोजन मामले का समर्थन किया था तथा प्रदर्श C, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा निर्गत लड़की का अंकपत्र है, स्पष्ट रूप से सिद्ध करता था कि वह घटना के समय 19 वर्ष की थी। प्रदर्श C दस्तावेज का एक अखंडनीय टुकड़ा है। रेडियोलोजिस्ट की रिपोर्ट ने भी लड़की की आयु प्रदर्श 2 में 19 वर्ष बतायी थी। अतएव, विद्वान विचारण न्यायालय को यह विश्वास हो गया था कि पीड़िता अवयस्क नहीं थी। प्रदर्श A, जो एक जन्मदिन का स्टीकर है जिसपर पीड़िता लड़की ने श्रीमती कैस के तौर पर हस्ताक्षर किये थे तथा प्रदर्श B से B/6 उसके द्वारा लिखे गये तथा घटना के उपरान्त अभियुक्त श्री कैस द्वारा कारागार में प्राप्त किये गये थे, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का होना दर्शाते थे। यद्यपि पीड़िता लड़की ने धनबाद से दिल्ली की यात्रा की थी, परन्तु यात्रा के दौरान उसके द्वारा कोई अभ्यापत्ति या हल्ला नहीं किया गया था, अगर उसे अगवा किया गया था। अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 37 एवं 38 में अपने बयान में भी उसने कथित किया था कि जिस समय वह मो॰ कैस के घर में मौजूद थी, उसकी माता, भाई सुरज तथा बहन चंदा भी मौजूद थी। उसने प्रकटत: कोई हल्ला या अभ्यापत्ति नहीं किया था जब वह कैस के घर में थी। पीड़िता लड़की तथा मो॰ कैस का घर दो/तीन घरों से अलग एक दूसरे के सामने था। विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया था कि पीड़िता, अ॰ सा॰ 5 के सिवाय, अन्य सभी गवाह अनुश्रुत गवाह हैं जिन्होंने केवल उसके मुंह से घटना के बारे में सुना था। प्रदर्श H तथा H/1 पीड़िता की घोषणा एवं काजी अब्दुल वाहिद खान के मुस्लिम विवाह की पंजी है जिसमें उसने कथित किया था कि वह अपने स्वतंत्र इच्छा से तथा किसी दवाब या प्रलोभन के बिना विवाह करने जा रही थी। प्रदर्श I, मुस्लिम विवाह प्रमाण पत्र में श्री सुरेन्द्र कुमार, एस॰ डी॰ एम॰, पहाड़गंज, दिल्ली का एक प्रतिहस्ताक्षर था। बचाव पक्ष के मामले के अनुसार भी वह दोनों निकाह के उपरान्त एस॰ डी॰ एम॰ पहाड़गंज के समक्ष गये थे, जिन्होंने उनसे तथा गवाह ब॰ सा॰ 1 से भी पूछा था कि उसने मोहम्मद कैस से अपनी स्वतंत्र इच्छा तथा सहमति से विवाह किया था या नहीं। प्रदर्श I तथा H/1 में बुलबुल के हस्ताक्षर तथा अंगूठे के चिन्ह थे। इस संबंध में ब॰ सा॰ 1 के बयान पर अविश्वास करने के लिये विद्वान विचारण न्यायालय के पास कोई कारण नहीं था। वस्तुत: चिकित्सा पदाधिकारी, अ॰ सा॰ 7 ने भी अपनी परीक्षा के दौरान कथित किया था कि पीड़िता ने उसे बताया था वह विवाहित थी तथा विवाह ब्यूरो में विवाह संपन्न हुआ था। विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया था कि अपने निकाह के दौरान सभी स्थानों पर काजी अब्दुल बाहिद खान के समक्ष, या एस॰ डी॰ एम॰, पहाड़गंज के समक्ष या नोटरी पब्लिक के समक्ष उसने कभी भी कोई अभ्यापत्ति नहीं किया था या कोई हल्ला नहीं मचाया था। इससे यह स्पष्ट परिणाम सामने आता है कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा तथा सहमति से अभियुक्त के साथ गयी थी।

9. अभियुक्त कैस के साथ जाने में तथा उसके साथ विवाह करने में वयस्कता तथा पीड़िता लड़की की स्वतंत्र इच्छा एवं सहमति के विद्यमान होने, इन दोनों बिन्दु पर अभिलेख पर ऐसे स्पष्ट साक्ष्य को

देखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय एक दृढ़ मत पर पहुंचा था कि समूचा अभियोजन पक्ष संदिग्ध था जिसपर अभियुक्त व्यक्तियों को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों में से किसी पर भी दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता था। इसने यह भी सम्परीक्षित किया कि दिनांक 10.11.2001 की औपचारिक प्राथमिकी विलम्ब के किसी स्पष्टीकरण के बिना विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद के न्यायालय 16.11.2001 को ही भेजी गयी थी।

10. हमने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रीमूलक साक्ष्य पर विचार किया है तथा आक्षेपित निर्णय का भी परिशीलन किया है। हमने याची के विद्वान अधिवक्ता को भी विस्तार से सुना है। अभिलेख पर उपलब्ध समूचे तात्विक साक्ष्य के विश्लेषण पर, अभियुक्त व्यक्तियों के पक्ष में दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए या पुनर्विचारण हेतु मामले को विद्वान विचारण न्यायालय प्रतिप्रेषित करने के लिये आक्षेपित निर्णय में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के मूल्यांकन में कोई अवैधानिकता या अनुचितता नहीं पाते हैं।

11. तद्नुसार, पुनरीक्षण याचिका किसी गुणावगुण से रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg ,o chh chh exyefr] U;k;efrx.k

सुँजाय घोष दस्तीदार

cuke

दयिता घोष दस्तीदार

First Appeal No. 161 of 2011. Decided on 18th December, 2017.

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के साथ पठित हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 28(1) के अधीन एक आवेदन।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955–धाराएँ 13(1)(a) एवं 23–तलाक–पत्नी की ओर से क्रूरता एवं अभित्याग–प्रत्यर्थी की ओर से सतत् अभित्याग उसकी उदासीनता या दाम्पत्य संबंध के सामान्य मानक से पूर्ण विचलन का द्योतक है–यह पति पत्नी में से किसी पर मानसिक क्रूरता के भी तुल्य हो सकता है–अपीलार्थी/पति ऐसे विवाह में रहने के लिए विवश है जिसमें अन्य पक्ष को कोई रूचि नहीं है–पक्षकारों के बीच किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सहवास की अनुमति न देना या उसे नहीं होने देना एवं सुगम नहीं बनाने देना भी मानसिक क्रूरता के तुल्य होगा–प्रत्यर्थी-पत्नी की हाजिरी के लिए विचारण न्यायालय द्वारा किये गये बार-बार के प्रयासों के बावजूद तथा वर्तमान अपील में तीन अवसरों पर नोटिस के तामीला के बावजूद, जो अंतिम बार 2014 में हुई थी, प्रत्यर्थी हाजिर होने तथा अपना बचाव करने में विफल रही है–अपीलार्थी ने विवाह भंग किये जाने की डिक्री के लिये सफलतापूर्वक एक मामला तैयार किया है–तलाक प्रदत्त। (पैराएँ 6 से 9)

निर्णयज विधि.–(2002) 2 SCC 73; (2005) 8 SCC 177; (2007) 4 SCC 511; (2014)7 SCC 640; 2016 (4) PLJR 575—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Rajivnandan Sahay, Yashvardhan, S.P. Mehta, Binod Kumar, For the Appellant; None, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. तीन अवसरों पर नोटिस के तामीला के बावजूद प्रत्यर्थी हाजिर नहीं हुई है। यहां इसे उल्लिखित करना समीचीन है कि पति/इसमें अपीलार्थी द्वारा संस्थित वैवाहिक वाद संख्या 406 वर्ष 2010 समाचार

पत्र में प्रकाशन समेत नोटिस के तामीला के बावजूद एकपक्षीय रूप से निर्णीत कर दिया गया था, तथा प्रत्यर्थी विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जमशेदपुर के न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18 जुलाई, 2011 के आदेश के अनुसार वाद का प्रतिवाद करने के लिए हाजिर नहीं हुई थी।

3. इसमें अपीलार्थी वैवाहिक वाद संख्या 406 वर्ष 2010 में प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 19 सितम्बर, 2011 के आक्षेपित निर्णय तथा दिनांक 23 सितम्बर, 2011 की डिक्री के तहत वैवाहिक वाद की खारिजी से व्यथित है। अपीलार्थी वाद पत्र में किये गये प्रकथनों के अनुसार अभित्याग का एक आधार लेते हुए भी हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(a) के अधीन विद्वान कुटुम्ब न्यायालय के पास गया था।

हिन्दू रीति रिवाजों एवं परम्पराओं के अनुसार 5 दिसम्बर, 2000 को पक्षकारों के बीच विवाह सम्पन्न हुआ था जिसके उपरान्त दोनों जमशेदपुर में पति एवं पत्नी के तौर पर रह रहे थे। विवाह बंधन से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। मई, 2003 में किसी समय यह पता चला था कि प्रत्यर्थी-पत्नी एक व्याधि से ग्रस्त थी जब उसे कैंसर के संदिग्ध मामले के लिये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज कराने की सलाह दी गयी थी। पति ने इलाज के खर्च उठाये थे परन्तु सुधार के कोई चिन्ह नहीं थे। प्रत्यर्थी का परिवार उसे 18 मई, 2005 को उसके वैवाहिक घर से वापस ले आया था तथा तत्पश्चात्, वह वहीं रह रही है। 29 अक्टूबर, 2008 को उसने अपनी माता श्रीमती रमा गुहा के साथ अपने माता-पिता के घर के सारे सामान तथा वस्तुएं ले ली थी। प्रत्यर्थी के परिवार को मालूम था कि वह अपने अंडाशय में ट्यूमर से ग्रस्त थी जो एक असाध्य बीमारी है जिसमें इससे उबरने की कोई संभावना नहीं है। प्रत्यर्थी ने पति की ओर से हुए किसी दोष के बिना याची-पति को छोड़ दिया था जिसके कारण वह 2005 से कष्ट भोग रहा है। न ही उसने अधित्यजन या क्रूरता के कार्य को माफ किया है, न ही उसने प्रत्यर्थी के साथ सांठ गांठ की थी। वाद के संस्थित किये जाने के लिए वाद हेतुक अंततः 18 मई, 2005 को उद्भूत हुआ था जब दोनों पक्षकार जमशेदपुर में अपने दाम्पत्य गृह में साथ रहे थे। पति ने व्यय के साथ अधित्याग (अनवधानता से विच्छेद के तौर पर टंकित), क्रूरता तथा असाध्य रोग के आधार पर तलाक की डिक्री के लिए आग्रह किया था। विचारण के अनुक्रम में, जो एकपक्षीय रूप से चला था, याची/पति ने तीन गवाहों को पेश किया था, जो कि अ॰ सा॰ 1-स्वयं याची, अ॰ सा॰ 2-राजेश नारायण, याची का एक निकट मित्र तथा अ॰ सा॰ 3-अजय कुमार थे। इन गवाहों की प्रतिपरीक्षा के लिए प्रत्यर्थी की ओर से कोई भी हाजिर नहीं हुआ था। याची की ओर से दस्तावेजों की निम्नांकित सूची, अर्थात् (i) निदेशक, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई को डॉ॰ एम॰ रॉय, ए॰ जी॰ एम॰, चिकित्सा सेवाओं के दिनांक 13 अगस्त, 2003 के पत्र की प्रतिलिपि, (ii) दिनांक 13 अगस्त, 2003 की अग्रिम भुगतान प्रमाणक की प्रतिलिपि, (iii) टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा निर्गत क्रेडिट कार्ड संख्या 5455, दिनांक 19 अगस्त, 2003 की प्रतिलिपि, (iv) डॉ॰ एम॰ रॉय, ए॰ जी॰ एम॰, चिकित्सा सेवायें, टाटा मोटर्स द्वारा निर्गत 26 नवम्बर, 2004 के पत्र की प्रतिलिपि दाखिल की गयी थी। अपीलार्थी ने स्वयं को परीक्षित किया था एवं अपने वादपत्र के माध्यम से तैयार किये गये मामले का समर्थन किया था। उसने यह भी कथित किया कि 18 मई, 2003 से प्रत्यर्थी विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त थी तथा स्थानीय चिकित्सकों को जब उसके कैंसर से पीड़ित होने का संदेह हुआ था, उसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई निर्दिष्ट कर दिया गया था एवं वहां उसका इलाज हुआ था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि प्रत्यर्थी का परिवार उसे उसके वैवाहिक घर ले गया था तथा उस अवधि से वह वहां रह रही थी एवं अबतक वह अपने माता-पिता के घर में रह रही है। अन्य गवाहों ने भी कथित रूप से याची के मामले के पक्ष में अभिसाक्ष्य दिया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस

आधार पर विवाह के भंग किये जाने के लिये याची के मामले पर अविश्वास किया था कि वह असाध्य रोग से ग्रस्त थी क्योंकि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अधीन ऐसा कोई आधार अनुज्ञेय नहीं है। याची की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से, विद्वान कुटुम्ब न्यायालय को यह प्रतीत नहीं हुआ था कि प्रत्यर्थी-पति ने कभी भी उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया था, बल्कि वह विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने अधित्याग के बिन्दू पर भी याची के अधिवचन पर परिचर्चा किया था तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रत्यर्थी-पत्नी कभी भी वैवाहिक बाध्यताओं से दूर हट गयी थी। अतएव, इसने निर्णीत किया था कि याची विवाह भंग किये जाने के लिये पूर्वोक्त आधारों को सिद्ध करने में विफल रहा था।

4. अपीलार्थी के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने प्रबल रूप से निवेदन किया है कि बिना किसी कारण प्रत्यर्थी द्वारा दिसम्बर, 2005 से आजतक दाम्पत्य गृह को छोड़े रहना अधित्याग के अभिवचन को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है। इस ढंग से अभित्याग भी मानसिक क्रूरता के तुल्य होगा। वैवाहिक संबंध को बनाये न रखने के प्रत्यर्थी के आशय का आसानी से मामले के अविवादित तथ्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। प्रत्यर्थी-पत्नी का आचरण दर्शाता है कि उसने इन आधारों पर तलाक के लिये याची-अपीलार्थी के दावे का प्रतिवाद करने हेतु विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर होने में भी कोई रूचि नहीं दर्शायी है। प्रत्यर्थी-पत्नी अपीलार्थी-पति के साथ कोई दाम्पत्य जीवन बनाये रखने में रूचि रखती हुई प्रतीत नहीं होती है। इन परिस्थितियों में, विवाह अनुत्क्रमणीय ढंग से भी टूट चुका है जो विवाह विच्छेद का एक आधार हो सकता है। अपीलार्थी के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **सावित्री पांडे बनाम प्रेम चंद पांडे** के मामले में **(2002) 2 SCC 73** में रिपोर्ट किये गये उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाये गये निर्णय पर भरोसा किया है। **(2005) 8 SCC 177** में रिपोर्ट किये गये **गीता जगदीश मंगटानी बनाम जगदीश मंगटानी, (2007) 4 SCC 511** में रिपोर्ट किये गये **समर घोष बनाम जया घोष** के मामले में तथा **(2014) 7 SCC 640** में रिपोर्ट किये गये **मालथी रवि, एम॰ डी॰ बनाम बी॰ भी॰ रवि, एम॰ डी॰** के मामले में भी उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है इस निवेदन के समर्थन में कि पति-पत्नी में से एक द्वारा दूसरे की सहमति के बिना तथा किसी युक्तियुक्त कारण के बिना आशयित रूप से स्थायी त्याग एवं छोड़ दिया जाना स्पष्ट रूप से अभित्याग के घटकों को पूरा करता है तथा अपीलार्थी को तलाक की एक डिक्री की इप्सा करने का हकदार बनाता है। एक लंबी अवधि तक लगातार रूप से तथा सोची समझी गयी अनदेखी, उदासीनता या दाम्पत्य सौहार्द्र के सामान्य मापदंड से पूर्ण विचलन अपने आप में क्रूरता तथा संवेदनशीलता के न होने के तुल्य होगा जिसके परिणामत: पति/अपीलार्थी के साथ मानसिक क्रूरता हुई थी जो मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में सिद्ध भी की गयी है। अतएव, यह न्यायालय विवाह विच्छेद करके वाद को डिक्री करने में औचित्य पर होगा।

5. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों तथा सुसंगत तात्विक अभिवचनों एवं अवर न्यायालय के अभिलेख से समाने आये साक्ष्य पर विचार किया है। वस्तुत:, इस न्यायालय के सामने एक विचित्र स्थिति है जहां प्रत्यर्थी-पत्नी अस्पष्टीकरण योग्य कारणों से न केवल पर्याप्त नोटिस के बावजूद वाद का प्रतिवाद करने में विफल रही थी, बल्कि लगातार तीन अवसरों पर नोटिस के तामीला के बावजूद वर्तमान अपील में भी हाजिर होने में विफल रही थी।

अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रीमूलक साक्ष्य तथा अभिवचनों के आधार पर, अपीलार्थी यह दर्शाने में सक्षम रहा है कि कैंसर के संदिग्ध मामले के लिये टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई में अपना इलाज कराने के उपरान्त, प्रत्यर्थी-पत्नी ने 18 मई, 2005 को अपना दाम्पत्य गृह छोड़ दिया था एवं 29 अक्टूबर, 2008 को अपनी चीजें तथा सामानों को लेने के लिये आने के सिवाय कभी भी नहीं लौटी थी। जहां तक

पति/पत्नी को छोड़े जाने का संबंध है, अभित्याग के घटकों को सिद्ध करने के लिए दो शर्तें अनिवार्य रूप से होनी है, (i) अलग होने का तथ्य, तथा (ii) सहवास को स्थायी रूप से समाप्त कर देने का आशय। इसी प्रकार, जहां तक छोड़े गये पक्ष का संबंध है, दो घटक होते हैं: (i) सहमति का अभाव, तथा (ii) ऐसे आचरण का अभाव, जो पूर्वोक्त आवश्यक आशय का गठन करने के लिये पति/पत्नी को दाम्पत्य गृह छोड़ने का उपयुक्त कारण प्रदान करता हो। किसी मामले में अभित्याग सिद्ध किया गया है या नहीं, यह उस मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर होता है। वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि छोड़ने वाले पक्ष, अर्थात्, प्रत्यर्थी की ओर से मई, 2005 से छोड़े जाने का तथ्य सिद्ध होता है। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में जहां स्वयं अपीलार्थी ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई में कैंसर के उसके इलाज के खर्च उठाये थे, तत्पश्चात्, 2005 से प्रत्यर्थी का अपने वैवाहिक घर से दूर रहना सहवास को स्थायी रूप से समाप्त कर देने के स्पष्ट आशय को भी दर्शाता है। जबकि, अपीलार्थी/पति की ओर से, तात्विक अभिकथन दर्शाता है कि वह कभी भी इस ढंग से प्रत्यर्थी–पत्नी द्वारा वैवाहिक घर के छोड़े जाने पर सहमत या इच्छुक नहीं था। यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि अपीलार्थी की सहमति का अभाव था। हम तात्विक साक्ष्य तथा अभिवचनों के आधार पर यह भी अनुमान निकाल सकते हैं कि जब अपीलार्थी ने स्वयं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई में कैंसर के भारी भरकम खर्चों का वहन करके उसका इलाज कराया था, यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी ने आवश्यक आशय का गठन करने के लिए पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने का कोई युक्तियुक्त कारण उपलब्ध नहीं कराया था। वह ढंग जिस ढंग से उसने वर्ष 2005 में इलाज के बाद भी पूर्ण रूप से अपने पति को छोड़ दिया है तथा विचारण न्यायालय, तथा इस न्यायालय के समक्ष विवाह भंग किये जाने के लिये उसके दावे का प्रतिवाद भी नहीं किया है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए एक अन्य कारक है कि वह अपीलार्थी/पति के साथ दाम्पत्य संबंध बनाये रखने की ईच्छुक नहीं है।

6. सावित्री पांडे (ऊपर) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अभित्याग के अभिवचन के संबंध में निम्नांकित सम्परीक्षण किया था:–

*8. ^^vfHkR;kx** dk vfèkfu;e d vèkhu rykd dh bl l k dju d i;ktukFk vfHkik; ifr@iRuh e l fdlh ,d d }kjk nlj dh lgefr d fcuk ,o fdlh ;fDr;Dr dkj.k d fcuk vk'kf;r :i l mldk LFkk;h R;kx rFkk NkM fn;k tkuk gA vU; 'kCnk e] ;g fookg ckè;rkvk dk ijk dju l i.k :i l ,d budkj gA vfHkR;kx fdlh LFkku l vyx gkuk ugh cfYd fLFkfr;k dh voLFkk l vyx gkuk gA vr,o] vfHkR;kx dk rkRi; ookfgd ckè;rkvk l nj gVk tkuk g] vFkkr] i{kdkjk d chp lgokl dh vuefr ugh nuk ;k bl u gku nuk ,o bl lxe u cukuk gA vfHkR;kx d iek.k ij fookg dh ifjdYiuk dk fopkj e ydj fopkj djuk g tk fofèk e tkfr dk vkx c<ku d fy;] mPN[kyrk dk jkdu d fy, rFkk lrku mRifÙk d fy, dke okluk e fofèki.k l lfylr gku dh vuefr nr g, i:"k ,o efgyk d chp ;ku lcèk dk fofèkekU; djrk gA vfèkR;kx viu vki e i.k ,d vdyk ÑR; ugh g] ;g iR;d ekeyk d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e vfHkfuèkkfjr fd; tkuokyk vkpj.k dk ,d lrr vuØe gA db fu.k;k rFkk fofHkUu y[kdk d nf"Vdk.kk dk fufn"V dju d mijkUr] bl U;k;ky; u fcfiupUn t;flgckb lkg cuke iHkkofr e fu.khr fd;k Fkk fd vxj dkb ifr@iRuh vU; dk vLFkk;h vko'k dh voLFkk e NkM nrk g] mnkgj.k d fy; lgokl dk LFkk;h :i l jkd nu d vk'k; d fcuk Økèk ;k grk'kk e NkM nrk g] ;g vfHkR;kx d rY; ugh gkxkA blu ;g Hkh fu.khr fd;k Fkk% (AIR i"B 183&84] ijk 10)*

^^vfHkR;kx d vijkèk d fy,] tgk rd vfHkR;kx djuokyk i{k dk lcèk g] nk vko';d 'kÙkk dk gkuk gkrk g] vFkkr] (1) vyx gku dk rF;] rFkk (2)

lgokl dk LFkk;h :i l lekIr dj nu dk vk'k; (NkM nu dk vk'k;)A blh idkj tgk rd NkM x; i{k dk lcèk g] nk ?kVd vko';d gkr g% (1) lgefr dk vHkko] rFkk ,d i{k dk iokDr vko';d vk'k; dk xBu dju d fy, nkEiR; xg NkM nu gr ;fDr;Dr dkj.k inku djuoky vkpj.k dk vHkkoA rykd dk ;kph rykd d ;kph ij bu ?kVdk dk Øe'k% ifr@iRuh e fl) dju dk Hkkj gkrk gA ;gk vxth fofèk rFkk ccb foèkkf;dk }kjk ;Fkk vfèkfu;fer fofèk d chp vrj fufn"V fd;k tkrk gA tcfd vxth fofèk d vèkhu bu vko';d 'kÙkk dk vfèkfu;e d vèkhu rykd d fy; okn d lfLFkr fd; tku d Bhd igy d rhu o"kk d nkjku bu vko';d 'kÙkk dk cu jguk g] vfèkfu;e d vèkhu ;g vofèk pkj o"k g ;g fufn"V fd; fcuk fd ;g rykd d fy, dk;okfg;k d ikjHk gku d Bhd igy dh gA vfre [kM d foyki dk dkb 0;kogkfjd ifj.kke g ;k ugh ble ge tku dh vko';drk ugh g D;kfd oreku ekey e bldk fu.k; ugh fd;k tkuk gA vfHkR;kx vueku dk ,d ekeyk g ftl iR;d ekey d rF;k rFkk ifjfLFkfr;k l fudkyk tkuk gA ;g vueku dfri; rF;k l fudkyk tk ldrk g tk ,d vU; ekey e ,l gh vueku dk lkeu yku e l{ke ugh gk ldr g(vFkkr ;g dguk g fd rF;k dk mlí'; dk ydj n[kk tkuk gkxk tk bu dk;k }kjk ;k vkpj.k rFkk vk'k; dh vfHk0;fDr }kjk idV gkrk g] ftle vyx gku d okLrfod N%;k d igy d rFkk ckn d vkpj.k lfEefyr gA vxj oLrr% iFkDdj.k gvk g] vfuok; i'u lno ;g g fd og dk; NkM nu d ,d vk'k; l lcfèkr fd;k tk ldrk g ;k ughA vfHkR;kd dk vijkèk rc l ikjHk gkrk g tc vyx gku dk rF; rFkk NkM nu dk vk'k; ,d lkFk vfLrRo e gkrk gA ijUr ;g vko';d ugh g fd og ,d gh le; e ikjHk gkA ;g okLrfod iFkDdj.k vko';d vk'k; d fcuk ikjHk gk ldrk g ;k ,l Hkh gk ldrk g fd iFkDdj.k rFkk NkM nu dk vk'k; ,d gh le; ij gk(mnkgj.k d fy, tc vyx gkuokyk i{k lgokl dk LFkk;h :i l lekIr dj nu d foof{kr ;k vfHk0;Dr vk'k; d lkFk nkEiR; xg NkM nrk gA bXyM e fofèk u rhu o"kk dh vofèk fofgr fd;k g rFkk ccb d vfèkfu;e u pkj o"kk dh vofèk fofgr dh g ,d ,l lrr vofèk d rkj ij ftl nkjku nkuk ?kVdk dk vko';d :i l fo|eku gkuk gA vr,o] vxj vfHkR;kx djuokyk dkb i{k fofèk }kjk bl idkj micfèkr (locus poenitentiae) dk ykHk yrk g rFkk lkfofèkd vofèk d lekIr gku d igy ;k ml vofèk d lekIr gku d ckn Hkh nkEiR; thou d lHkh fufgrkFkk d lkFk nkEiR; thou ikjHk dju d ,d lnHkkoh iLrko }kjk NkM x; i{k d ikl ykV tku dk fu.k; yrk g] tcrd fd rykd d fy, dk;okfg;k ikjHk u gk x;h gk] vfHkR;kx lekIr gk tkrk g rFkk vxj vfHkR;Dr i{k v;fDr;Dr :i l iLrko l budkj djrk g] ckn okyk i{k vfHkR;kx e gkxk rFkk igyk okyk ughA vr,o] ;g vko';d g fd leph vofèk d nkjku tk vfHkR;tu gvk g] vfHkR;Dr i{k dk vko';d :i l fookg dk vfHki"V djrk g rFkk ,l 'kÙkk ij] tk ;fDr;Dr gk] fookfgr thou dk ikjHk dju d fy, r;kj ,o bPNd gkuk gA ;g Hkh lLFkkfir g fd rykd d dk;okfg;k e okn dk lHkh ;fDr lxr lng l ij vfHkR;kx d vijkèk rFkk vU; ookfgd vijkèkk dk fl) djuk gA vr,o] ;|fi fofèk d ,d vkR;frd fu;e d rkj ij lEik"k.k vif{kr ugh g] U;k;ky; lEik"kd lk{; ij tkj n ldr g] tcrd fd bld vHkko d fy; U;k;ky; dk lekèkku ugh djk fn;k tkrk gA**

जैसा कि वर्तमान मामला प्रकट करता है, अभित्याग पत्नी की ओर से हुआ 2005 का कोई अकेला कार्य नहीं था, बल्कि आज तक का एक सतत आचरण का अनुकरण था जब उसने पूर्ण रूप से सचेत

रहते हुए दाम्पत्य संबंध को जीवित रखने में अपने हित को त्यक्त कर दिया था। प्रत्यर्थी की ओर से हुआ सतत अभित्याग उसकी उदासीनता या दाम्पत्य संबंध के सामान्य पैमाने से पूर्ण विचलन को प्रतिबिंबित करता है। तथ्य की ऐसी अवस्था में, यह पति/पत्नी में से दूसरे पर मानसिक क्रूरता के भी तुल्य हो सकता है। अपीलार्थी/पति एक ऐसे विवाह में रहने के लिए विवश है जिसमें दूसरा पक्ष अब रूचि नहीं रखता है। दाम्पत्य संबंधों से अलग होने में, अर्थात्, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना पक्षकारों के बीच सहवास की अनुमति न देने या इसे होने न देने एवं इसे सुगम नहीं बनाने में भी प्रत्यर्थी का आचरण मानसिक क्रूरता के तुल्य होगा। अपीलार्थी के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने उचित रूप से **गीता जगदीश मंगटनी (ऊपर)** के मामले पर भरोसा किया है जहां अपीलार्थी–पत्नी ने एक समयावधि के दौरान अपने आचरण के अनुक्रम द्वारा ऐसा अभिनिर्धारित करने का पर्याप्त कारण प्रदान किया था कि यह उसकी ओर से अभित्याग का एक मामला था जिसने पति को तलाक की डिक्री का हकदार बना दिया था। 2016 (4) PLJR 575 में रिपोर्ट किये गये **श्रीमती बबीता कुमारी बनाम रमेश कुमार** के मामले पर भी पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये एक निर्णय पर अपीलार्थी के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया है। हम पाते हैं कि विद्वान न्यायालय ने भी मानसिक क्रूरता एवं अभित्याग के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत तथा **मालथी रवि, एम॰ डी॰** एवं **समर घोष** के मामले एवं अन्य मामलों **(ऊपर)** में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये अनुपात पर काफी भरोसा किया है।

7. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23 निम्नवत् पठित है:–

*"23. **dk;okfg;k e fMØh-**—(1) bl vfèkfu;e d vèkhu fdlh dk;okgh e] pkg mle çfrj{kk dh xb gk ;k ugh] ;fn U;k;ky; dk lekèkku gk tkrk g fd—*

(a) vurk"k çnku dju gr dkb vkèkkj fo|eku g vkj ;kfpdknkrk [mu ekeyk dk NkMdj ft ld }kjk èkkjk 5 d [k.M (ii) d mi[k.M (d)] ([k) vkj (x) e fufn"V vkèkkj ij vurk"k pkgk x;k g] viu gh nk"k ;k v;kX;rk l vurk"k d ç;ktu d fy, çykHk fdlh jhfr e ugh mBk jgk g(vkj

(b) tgk ;kfpdk dk vkèkkj mfYyf[kr vkèkkj g] ;k èkkjk 13 dh mièkkjk (1) d [k.M (>) e ;kfpdknkrk ifjokfnr dk; vFkok dk;k e fdlh rjg mi&lgk;d ugh jgk g] ;k ekukudyrk ugh cjrh g ;k nj xtj ugh dj fn;k g ;k tgk ;kfpdk dk vkèkkj Øjrk g] ogk ;kfpdknkrk u Øjrk dk fdlh rjg njxtj ugh dj fn;k g(vkj

[(bb) tc fookg&foPNn (rykd) ikjLifjd lEefr d vkèkkj ij pkgk x;k g] vkj ,lh lEefr cy] diV ;k vlE;d vlj l vfHkçkIr ugh dh x;h g(vkj]

(c) [vth (tk èkkjk 11 d vèkhu i'k dh xb vth ugh g)] ;kfpdk çR;Ùkjnkrk d lkFk njfHklfèk djd i'k ugh dh x;h g] ;k vfHk;kftr ugh dh tk jgh g] vkj

(d) dk;okgh lfLFkr dju e dkb vuko';d vFkok vufpr foyEc ugh gvk g(vkj

(e) ,lk dkb nljk oèk vkèkkj ugh g ftll fd vurk"k çnku u fd;k tk;(rk vkj ,l ekey e] u fd vU;Fkk U;k;ky; rnudy ,lk vurk"k vkKIr djxkA

(2) bl vfèkfu;e d vèkhu dkb vurk"k vunÙk dju d fy; vxlj gku l io lcl igy U;k;ky; dk ;g dÙk0; gkxk fd ,l çR;d ekey e ftle fd ekey d Lo:i vkj ifjfLFkfr;k l lxr jgr g; ,lk djuk lEHko gk] nkuk i{kdkjk e iuZ lyg djku d fy; gj ç;kl dj(

[ijUr ;g fd bl mièkkjk dh dkb ckr fdlh ,lh dk;okgh dk ykx ugh gkxh ftle èkkjk 13 dh mièkkjk (1) [kM (ii), [kM (iii) [kM (iv), [kM (v), [kM (vi) ;k [kM (vii) e fofufn"V vkèkkjk e l fdlh vkèkkj ij vurk"k pkgk x;k gA]

[(3) ,lk lyg djku e U;k;ky; dh lgk;rk d ç;ktukFk U;k;ky;] ;fn i{kdkj pkg rk] ;k ;fn U;k;ky; ,lk djuk U;k;lxr vkj mfpr le>rk g rk] dk;okfg;k dk iUæg fnu l vufèkd mfpr dkykofèk d fy, LFkfxr dj ldxk vkj bl ekey dk i{kdkj }kjk bl fufeÙk ukfer fdlh 0;fDr dk ;k ;fn i{kdkj fdlh 0;fDr dk ukfer dju e vlQy gkr g rk U;k;ky; }kjk uke funf'kr fdlh 0;fDr dk bu fun'kk d lkFk fufn"V dj ldxk fd og U;k;ky; dk bl ckr dh fjikV n fd D;k lyg fd;k tk ldrk g vkj djk fn;k x;k g vkj U;k;ky; dk;okgh dk fuiVkjk dju e ,lh fjikV ij lE;d è;ku nxkA

(4) ,l gj ekey e] ftle fookg dk fo?kVu fookg&foPNn (rykd) }kjk gkrk g] fMØh çkIr dju okyk U;k;ky; çR;d i{kdkj dk mldh çfr e¶r nxkA**

उपखंड (d) एवं (e) के साथ पठित धारा 23(1)(b) के निबंधनों में, अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में, चाहे इसका बचाव किया गया हो या नहीं, अगर न्यायालय को समाधान है कि जहां याचिका का आधार धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (i) में विनिर्दिष्ट आधार है, याची की किसी भी ढंग से शिकायत किये गये कृत्य या कृत्यों तक पहुंच नहीं रही है या उसने इनमें सांठ गांठ नहीं किया है या इन्हें माफ नहीं किया है, या जहां याचिका का आधार क्रूरता है, याची ने किसी भी ढंग से क्रूरता को माफ नहीं किया है तथा कार्यवाहियों को संस्थित करने में कोई अनावश्यक या उपयुक्त विलम्ब नहीं हुआ है तथा कि यह कि ऐसा कोई अन्य वैधानिक आधार नहीं है जिससे कि अनुतोष प्रदान न किया जाय, न्यायालय तद्नुसार ऐसे अनुतोष को डिक्री करेगा। धारा 23(2) यह भी उपबंधित करती है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष को प्रदान करने की कार्यवाही करने के पहले, पक्षकारों के बीच मेल मिलाप कराने के लिये प्रत्येक प्रयास करना पहली बार में न्यायालय का दायित्व होगा, ऐसे प्रत्येक मामले में जहां मामले के स्वरूप तथा परिस्थितियों के साथ सुसंगत रूप से ऐसा करना संभव है।

वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी–पत्नी की हाजिरी के लिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किये गये बार–बार के प्रयासों के बावजूद तथा वर्तमान अपील में तीन अवसरों पर, जिनमें अंतिम अवसर 2014 में था, नोटिस के तामीला के बावजूद, प्रत्यर्थी हाजिर होने तथा अपना बचाव करने में विफल रही है। तथ्यों की ऐसी अवस्था में, विद्वान विचारण न्यायालय पर पक्षकारों के बीच कोई मेल मिलाप कराने के लिए प्रयास करने का भार नहीं लादा जा सकता था। हम वर्तमान मुकदमें में प्रत्यर्थी–पत्नी के हिस्सा न लेने के रवैये के कारण भी पक्षकारों के बीच बीच–बचाव या मेल मिलाप के माध्यम से मेल मिलाप के किसी प्रयास का आश्रय न लेने में गंभीर रूप से बंधे हुये हैं। मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में, हम अपीलार्थी–पति की ओर से कार्यवाहियों के संस्थित किये जाने में भी कोई अनावश्यक या अनुपयुक्त विलंब नहीं पाते हैं क्योंकि वर्ष 2008 में ही प्रत्यर्थी–पत्नी दाम्पत्य गृह से अपनी सारी चीजों तथा वस्तुओं को ले गयी थी तथा कभी भी वापस नहीं आयी थी। अतएव, हम सुरक्षित रूप से मान सकते हैं कि प्रत्यर्थी–पत्नी अपीलार्थी–पति के साथ दाम्पत्य संबंध बनाये रखने में रूचि नहीं रखती है। ऐसी स्थिति में, प्रत्यर्थी–पत्नी के साथ विवाह बनाये रखना अपीलार्थी के लिए अत्यधिक कठोर एवं अन्यायपूर्ण होगा। अतएव, हमारी सुविचारित राय है कि अपीलार्थी विवाह विच्छेद के लिये एक डिक्री हेतु मामला सफलतापूर्वक बनाने में सक्षम रहा है।

8. अपीलार्थी टाटा मोटर कंपनी में 1995 से कनीय अभियंता के तौर पर कार्य कर रहा है तथा कथित रूप से वह 49,000/– रुपये प्रति महीने का सकल वेतन अर्जित कर रहा है। प्रत्यर्थी–पत्नी के

साथ हुये विवाह बंधन से कोई संतान नहीं हुई थी जिनका भरण पोषण किया जाना था। तथापि, अपीलार्थी का एक बीमार पिता है जिसकी देखभाल करनी है, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा कथित किया गया था। अतएव, हमारी राय है कि न्याय का हित पूरा होगा अगर अपीलार्थी को प्रत्यर्थी-पत्नी को 3,00,000/- रुपये के स्थायी निर्वाहिका का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। अपीलार्थी स्थायी निर्वाहिका की राशि 1,00,000/- रुपये की तीन बराबर किस्तों में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जमशेदपुर के समक्ष जमा करा देगा, जिसमें पहली किस्त 15 जनवरी, 2018 तक, दूसरी 15 मार्च, 2018 तक तथा तीसरी 15 मई, 2018 तक जमा करा देनी है। प्रत्यर्थी विद्वान कुटुम्ब न्यायालय, जमशेदपुर के समक्ष उपयुक्त आवेदन करके स्थायी निर्वाहिका की राशि की निकासी करने के लिए स्वतंत्र होगी। ऐसा आवेदन किये जाने पर विद्वान कुटुम्ब न्यायालय, जमशेदपुर प्रत्यर्थी-पत्नी की शिनाख्त से सम्यक् रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त राशि की विमुक्ति कर देंगे। तद्नुसार, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 19 सितम्बर, 2011 के आक्षेपित निर्णय तथा 23 सितम्बर, 2011 की डिक्री तद्नुसार अपास्त किये जाते हैं।

9. अपील अनुज्ञात की जाती है। पक्षकारों के बीच विवाह भंग किया जाता है। तद्नुसार, डिक्री की जाती है।

---

ekuuh; ieFk iVuk;d] U;k;efr

दीप शिखा कुमारी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 3758 of 2011. Decided on 11th January, 2018.

सेवा विधि–सेवा समाप्ति–नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन–संविदात्मक नियुक्ति के मामले में भी, अगर आदेश लांछनपूर्ण है, तब भी याची को प्राधिकारीगण द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाना था–कारण-पृच्छा की नोटिस याची को दी गयी थी तथा कारण-पृच्छा के स्पष्टीकरण पर विचार करने के उपरान्त याची की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं–प्रत्यर्थीगण ने याची की संविदा के समापन के पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया है–सेवा समाप्ति का आक्षेपित आदेश अभिपुष्ट। (पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.–(2004) 3 SCC 553; (2009) 1 SCC 150—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Sarju Prasad, For the Petitioners; Mr. Anup Kr. Agarwal, For the Respondents.

आदेश

प्रस्तुत रिट आवेदन में, याची ने अन्य के साथ प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा निर्गत दिनांक 1.3.2011 के पत्र को निरस्त करने के लिए तथा प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा पारित दिनांक 21.4.2010 के ज्ञाप सं॰ 77 को निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण का रिट निर्गत किए जाने की इप्सा किया है। याची ने सभी पारिणामिक लाभों के साथ भूतलक्षी प्रभाव समेत सेवाओं में पुनर्बहाली के लिए भी प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने के लिए आग्रह किया है।

2. रिट आवेदन के दाखिले को सामने लाने वाले संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची को राज्य आर॰ सी॰ एच॰ पदाधिकारी, झारखंड, नामकुम, रांची द्वारा निर्गत दिनांक 1.10.2008 के पत्र के तहत प्रखंड लेखा

प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया गया था। वाक इन साक्षात्कार में चयन के अनुसरण में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य निगम, झारखंड सरकार के अधीन संविदात्मक आधार पर याची की नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति के उक्त आदेश के अनुसरण में याची ने पूर्वोक्त पद पर योगदान दिया था तथा प्राधिकारीगण के संतोष के साथ पूर्ण कर्मठता तथा निष्ठा के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करती रही थी परन्तु इसी प्रकार कार्यरत रहते हुए एक परिवाद के आधार पर, जिसे सीमा पाण्डेय के कहने पर दाखिल किया गया था, जिसने उनकी हाजिरी को चिन्हित करने के प्रयोजनार्थ सादे कागज पर अभिकथित रूप से किए गए परिवादी के हस्ताक्षर का दुरूपयोग किया था। ऐसे परिवाद के आधार पर, उपायुक्त, दुमका के आदेश द्वारा याची को निलम्बन के अधीन कर दिया गया था। यह प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा निर्गत दिनांक 26.4.2010 के निलम्बन के आदेश के तहत हुआ था जिसे याची के निलम्बन के अधीन रखने की कोई शक्ति या प्राधिकार नहीं था। क्योंकि वह याची की नियुक्ति करने वाला, नियंत्रक या अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं था। रिट याचिका के परिशिष्ट 4 के अनुसार दिनांक 16.4.2010 के परिवाद के संबंध में याची को उसी दिन, अर्थात्, 21.4.2010 के एक कारण–पृच्छा का तामीला करा दिया गया था। कारण–पृच्छा, नोटिस की प्राप्ति होने पर, याची ने रिट याचिका के परिशिष्ट 5 के अनुसार विस्तृत निवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 4 के समक्ष अपना लिखित स्वीकरण प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात्, याची द्वारा प्रस्तुत, स्वीकरण के आलोक में मामले का पुनः अन्वेषण करने के लिए या याची द्वारा प्रस्तुत सभी स्पष्टीकरण संलग्न करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने प्रत्यर्थी सं॰ 4 को एक पत्र निर्गत किया जैसा कि रिट याचिका के परिशिष्ट–8 से प्रकट है। तत्पश्चात्, रिट याचिका के परिशिष्ट 9 के अनुसार दिनांक 1.3.2011 के पत्र के तहत याची की सेवाऐं समाप्त कर दी गई है जिसे उस रिट आवेदन से आक्षेपित किया गया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री सरजु प्रसाद ने प्रबलतापूर्वक निवेदन किया है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किये बिना सेवा समाप्ति का आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि चूँकि सेवा समाप्ति का आदेश लांछन से दागदार था, अतएव, याची की सेवा समाप्ति के पहले पूर्णरूपेण जांच का संचालन किया जाना चाहिए था, चूँकि इसका अनुपालन नहीं किया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14, 16 एवं 21 के विरूद्ध होने के कारण सेवा समाप्ति का आक्षेपित आदेश समर्थनीय नहीं है। याची के विद्वान अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई शक्ति के विवादित इस्तेमाल के तुल्य है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 की कसौटी पर समर्थित नहीं किया जा सकता है।

4. रिट आवेदन में किये गये प्रकथनों का खंडन करते हुए, प्रत्यर्थीगण की ओर से एक प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रतिशपथ पत्र में, यह निवेदन किया गया है कि याची को प्रखंड लेखा प्रबंधक के तौर पर 1.10.2008 को नियुक्त किया गया था तथा उसके कार्य का स्वरूप संविदात्मक था एवं उसे उक्त पद पर दुमका जिला में पदस्थापित किया गया था। इस प्रकार कार्यरत रहते हुए, सहियास को दुकान का वितरण करने के लिए अवैधानिक पारितोषण की मांग करने/स्वीकार करने के कतिपय अभिकथन याची के विरूद्ध लगाये गये थे। यह भी निवेदन किया गया है कि सहियास में से कुछ ने 16.4.2010 को उपायुक्त, दुमका के समक्ष याची के विरूद्ध एक लिखित शिकायत किया था ऐसा अभिकथित करते हुए कि वह सहियास से 500/– रुपये तथा 1,000/– रुपये के चेक के वितरण के लिये प्रत्येक गर्भवती महिला से 100/– रुपया अवैधानिक रूप से ले रही है। यह भी निवेदन किया गया है कि दिनांक 16.4.2010 के परिवाद को प्राप्त करने के उपरान्त, उपायुक्त, दुमका ने ज्ञाप संख्या 75 दिनांक 21.4.2010 के तहत एक स्पष्टीकरण की मांग किया था जिसके द्वारा उसे प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट A के तहत उपायुक्त,

दुमका के समक्ष 30.4.2010 को हाजिर होने के लिए कहा गया था। यह भी निवेदन किया गया है कि उपायुक्त, दुमका ने दिनांक 21.4.2010 के ज्ञापन के तहत याची को निलंबित करते हुए एक आदेश पारित किया था। तत्पश्चात्, याची ने उसके विरूद्ध सभी आरोपों से इनकार करते हुए 30.4.2010 को लगाये गये आरोपों के विरूद्ध अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था। स्पष्टीकरण की प्रति प्राप्त करने के उपरान्त, मिशन के निदेशक ने याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण की दृष्टि में पुनः जांच करने के लिए दिनांक 3.12.2010 के पत्र के तहत उपायुक्त, दुमका को एक पत्र निर्गत किया था। तत्पश्चात्, मिशन निदेशक, झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाईटी ने दिनांक 1.3.2011 के पत्र के तहत उपायुक्त, दुमका द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर याची की संविदा समाप्त कर दी थी।

5. प्रत्यर्थी राज्य के एस० सी० V के विद्वान कनीय अधिवक्ता श्री अनूप कुमार अग्रवाल ने प्रतिशपथ पत्र में किये गये निवेदनों को दोहराते हुए परिश्रमपूर्वक निवेदन किया है कि याची की नियुक्ति संविदात्मक थी तथा याची को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त, याची की सेवायें समाप्त कर दी गयी है जिसे संविदात्मक नियुक्ति उपलब्ध करायी गयी थी। अतएव, नैसर्गिक न्याय का कोई उल्लंघन ही नहीं हुआ है, अतएव, याची का मामला इस न्यायालय द्वारा पुनर्विचार किये जाने का हकदार नहीं है। प्रत्यर्थी–राज्य के विद्वान अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि चूँकि याची की नियुक्ति संविदात्मक है, उसके मामले की तुलना नियमित कर्मचारी के साथ नहीं की जा सकती है, अतएव, वह किसी नियमित जांच पड़ताल किये जाने की हकदार नहीं थी। तथापि, अभिकथित आरोपों, कदाचार के संबंध में उसके पक्ष को स्पष्टीकृत करने के लिये पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त याची की सेवा समाप्त कर दी गयी है।

6. अलग अलग पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की विस्तार से सुनवाई करने के उपरान्त तथा अभिलेखों पर उपलब्ध दस्तावेजों पर गहन रूप से विचार करके, मेरी सुविचारित राय है कि याची यहां नीचे कथित निम्नांकित तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक निर्णयों के कारण हस्तक्षेप का कोई मामला बनाने में सक्षम नहीं रही है:–

(I) स्वीकार्यतः, याची को प्रखंड लेखा प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया गया था तथा याची की नियुक्ति संविदात्मक थी। याची की सेवायें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करने के उपरान्त रिट आवेदन के परिशिष्ट 9 के तहत समाप्त कर दी गयी हैं। अतएव, याची के अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है कि सेवा समाप्ति के पहले याची को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

(II) संविदात्मक नियुक्ति के मामले में, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी सेवाओं को समाप्त करने के लिये पूर्व शर्त्तों में से एक है तथा राज्य को अपनी संविदात्मक, संवैधानिक या सांविधिक बाध्यता में निष्पक्षतापूर्वक या युक्तियुक्त रूप से कार्य करना है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन विद्यमान संवैधानिक प्रत्याभूति के विरूद्ध नहीं काम करना है। इस संबंध में, **(2004) 3 SCC 553** में रिपोर्ट किये गये **ए० बी० एल० इंटरनेशनल लिमिटेड एवं एक अन्य बनाम भारत के निर्यात साख गारंटी निगम लिमिटेड एवं अन्य** के मामले में पैराओं 23 तथा पैरा 53 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में निम्नवत् निर्णीत किया गया है:–

> *^^23. bl U;k;ky; d mijkDr lEijh{k.kk l ;g Li"V g fd ,d ckj tc jkT; ;k jkT; dk dkb midj.k lfonk dk ,d i{kdkj g] bl fu"i{krkiod] U;k; lxr <x ;k ;fDr;Dr :i l fofèk e dk; dju dh ,d ckè;rk g tk Hkkjr d lfoèkku dh vuPNn 14 dh vi{kk gA ---***
>
> *53. mijkDr l] ;g Li"V g fd tc jkT; dk dkb midj.k lkotfud fgr ;k lkotfud Hky d fo:) dk; djrk g] viuh lfonkRed] loèkkfud ;k lkfofèkd ckè;rkvk e xj fu"i{k :i l vU;k;i.k :i l rFkk xj eukflc <x*

*l dk; djrk g] ;g okLro e Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 14 e fo|eku loèkkfud iR;kHkfr d fo:) tkdj dk; djrk gA ----***

इसके अलावा, **(2009) 1 SCC 150** में रिपोर्ट किये गये **कर्नाटक राज्य वन उद्योग निगम बनाम इंडियन रॉक्स** के मामले में इसी अनुपात की पुनरावृत्ति की गयी थी, जिसमें यह निम्नवत् निर्णीत किया गया था:–

*^^38. ;|fi lkekU;r% dkb mPprj U;k;ky; viuh fjV vfèkdkfjrk d bLreky e ,d lfonk d edkcy lfonk d fucèkuk e fucèkuk dk iofrr ugh djxk] ;g LFkkfir g fd jkT; dk dkb dk; euekuk ;k HknHkkoi.k g rFkk] bl idkj] Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 14 dk mYy?kudkjh g] fjV ;kfpdk ik"k.kh; gkxhA***

संविदात्मक नियुक्ति के मामले में भी, अगर आदेश लांछनपूर्ण है, तब याची को प्रत्यर्थी–प्राधिकारीगण द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना है।

(III) वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर लौटने पर, यह प्रकट है कि याची को कारण–पृच्छा की नोटिस दी गयी थी तथा कारण पृच्छा के स्पष्टीकरण पर विचार करने के उपरान्त, याची की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं, अतएव, प्रत्यर्थीगण ने रिट आवेदन के परिशिष्ट 9 के तहत संविदा के समापन के आक्षेपित आदेश को निर्गत करने में याची की संविदा के समापन के पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया है।

7. पूर्वगामी पैराओं में कथित पूर्वोक्त कारणों की दृष्टि में, यह न्यायालय रिट याचिका के परिशिष्ट 9 के तहत सेवा समाप्ति के आक्षेपित आदेश के साथ हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है। तद्नुसार, गुणावगुणों से रहित रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vuUr fct; flg] U;k;efr

दलजीत कौर (10, 339 में)

cuke

गुरु गोविन्द सिंह एडुकेशन सोसाइटी एवं एक अन्य (दोनों में)

A.C. (S.B.) Nos. 10 of 2014 with Cont. (Civil) No. 339 of 2015. Decided on 3rd November, 2017.

झारखंड शिक्षा अधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 28 के अधीन अपील।

झारखंड शिक्षा अधिकरण अधिनियम, 2005—धारा 16—निलंबन—निर्वाह भत्ता से इनकार-डालटेनगंज में नया पद ग्रहण करने तथा डालटेनगंज में रूकने के संबंध में अपीलार्थी के बारे में विवाद है क्योंकि यह तथ्य प्रत्यर्थीगण द्वारा विवादित किया गया है और शपथपत्र के माध्यम से निवेदनों के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कतिपय दस्तावेज लाए गए हैं कि वह गयी थी और पद ग्रहण किया था और होटल में तीन दिन तक रूकी थी और विधि व्यवस्था की समस्या के कारण तथा स्त्री होने के नाते और डालटेनगंज में विद्यालय में वास सुविधा नहीं दी गयी थी, वह वापस आयी थी और बोकरो में रह रही थीं—क्या अपीलार्थी ने नया पद ग्रहण किया था और वहाँ रूकी थी विवादित किया गया है और कार्यवाही आरंभ नहीं की गयी है जहाँ इस बिन्दु पर साक्ष्य दिया जा सकता है—जे॰ ई॰ टी॰ द्वारा पारित आदेश में अवैधता नहीं है जिसके द्वारा अपीलार्थी को निर्वाह भत्ता से इनकार किया गया है–आवेदनों को खारिज किया गया। (पैराएँ 18, 19 एवं 22)

निर्णयज विधि.—(2011)14 SCC 587; 2014 (1) JLJR SC 85; AIR 1997 SC 1906; 2005 (8) SCC 211; 2014 (1) JLJR (SC)85; 1995(2) PLJR 690; AIR 1997 SC 1905; (2004)1 SCC 281; (2015)8 SCC 211—Referred. 2013 (16) SCC 615—Distinguished. AIR 1997 SC 1906; (2005)8 SCC 211—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s M.M. Pal, Mahua Palit, Indranil Bhaduri, For the Appellant; M/s K.B. Sinha, Amitav, Radha Krishan Gupta, For the Respondents.

आदेश

दोनों मामलों को एक साथ सुना गया है और इसे एक ही निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

3. एकमात्र अपीलार्थी ने इस ए॰ सी॰ (एस॰ बी॰) सं॰ 10 वर्ष 2014 दाखिल लिया है जिसे केस सं॰ 31 वर्ष 2011 में झारखंड शिक्षा अधिकरण (जे॰ ई॰ टी॰), राँची के प्रशासनिक सदस्य माननीय ए॰ सी॰ रंजन तथा माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एस॰ के॰ चट्टोपाध्याय द्वारा पारित दिनांक 21.5.2014 के आदेश, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अपीलार्थी द्वारा 15.6.2011 अर्थात निलंबन की तिथि के प्रभाव से निर्वाह भत्ता का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश देने के लिए दाखिल आवेदन खारिज किया गया था, से व्यथित होकर झारखंड शिक्षा अधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 16 के अधीन दालिख किया गया था।

4. अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कथन करते हुए ए॰सी॰ (एस॰ बी॰) सं॰ 10 वर्ष 2014 दाखिल किया है:—

(i) fd vihykFkh u fnukd 15.6.2011 d nfud tkxj.k ckdkjk lLdj.k e fd, x, dkxt çdk'ku vfHk[kfMr dju d fy, dl l0 31 o"k 2011 (t0 b0 Vh0) t0 b0 Vh0 d le{k nkf[ky fd;k ftld }kjk ;kph dk tkudkjh gb fd ml th0 th0 b0 ,l0 d vè;{k }kjk fnukd 15.6.2011 dh ukfVl d rgr bl fofufn"V vfHkopu ij fuycu d vèkhu j[kk x;k Fkk fd fuyc dk vk{kfir vkn'k nM d :i e ikfjr fd;k x;k g fdr fuycu vkn'k d igy lu tku dk volj fn, fcuk ulfxd U;k; d fl)kr d mYy?ku e Fkk vkj fuycu vkn'k d lcèk e ;kph dk vkn'k llfpr Hkh ugh fd;k x;k gA

(ii) fd ;kph@vihykFkh u fuycu vkn'k d voèk] 'kU; ,o vfèkdkfjrkghu gku dk nkok djr g, bl pukrh fn;k D;kfd bl fuycu d lcèk e bl fojfpr ugh fd;k x;k g] vihykFkh d fo:) fuycu vkn'k tkjh dju dk ,lk çkfèkdkj ugh j[kuoky çkfèkdkjh }kjk tkjh fd;k x;k g vkj tc rd bl fojfpr ugh fd;k tkrk] lh0 ch0 ,l0 lh0 d mifu;e ykx gkxA

(ii) fd vihykFkh dk ckdkjk e x: xkfoUn flg ifCyd Ldy (th0 th0 ih0 ,l0) e çèkku fun'kd d :i e dk;jr jgr g, fnukd 21.5.2011 d vkn'k }kjk ,e0 Mh0 ,l0 x: xkfoUn flg ifCyd Ldy] MkyVuxt LFkkukrfjr fd;k x;k Fkk] ;kph u LFkkukrj.k vkn'k d fo:) dl l0 27 o"k 2011 (t0 b0 Vh0) e t0 b0 Vh0 d le{k x;k vkj fnukd 27.5.2011 d vkn'k }kjk LFkkukrj.k vkn'k LFkfxr fd;k x;k Fkk vkj çR;fFk;k dk ukfVl tkjh fd;k x;k Fkk(çR;fFk;k dh mifLFkfr ij mud fuonu ij 7.6.2011 dk vrfje LFkxu fjDr fd;k x;k Fkk vkj rjUr rRi'pkr doy lkr fnu ckn fnukd 15.6.2011 dh ukfVl }kjk ;kph dk mld fuycu vkn'k d ckj e lfpr fd;k x;k Fkk ftl e ;g Li"Vr% mfYyf[kr fd;k x;k Fkk fd mlu vkt dh frfFk rd ekuuh; t0 b0 Vh0 d vkn'k lfgr mPprjk d vkn'kk dh voKk dh Fkh ftl xHkhj :i l n[kk x;k g D;kfd ;g

mldh vkj l ?kkj vopkj g vkj bl n'kk e ml ckn e foLrr vkn'k dh fVli.kh d lkFk rjUr vFkkr 15.6.2011 d çHkko l fuycu d vèkhu fd;k tk jgk gA

(iv) fd vihykFkh u lekpkji= e çdkf'kr fnukd 15.6.2011 d ml fuycu vkn'k dk t0 b0 Vh0 d le{k dl l0 31 o"k 2011 (t0 b0 Vh0) e pukrh fn;k ftl le;≤ ij luk x;k g] vud vkn'k ikfjr fd, x, g fdr vfre :i ugh fn;k x;k g vkj vHkh Hkh ;g vfre fu.k; dh çrh{kk dj jgk gA

yfcr jgu d nkjku] çR;Fkh l0 1u viuk çfr 'kiFki= nkf[ky fd;k ftle fnukd 15.6.2011 dk i= ifjf'k"V A d :i e lyXu fd;k x;k Fkk vkj fnukd 15.6.2011 d i= l Li"V gkxk fd vihykFkh dk ;g vfHkfuèkkfjr dju d ckn fuyfcr fd;k x;k g fd ;kph viu mPprjk d fofèki.k vkn'k dh voKk dj vopkj dju ij ryh gA ml i= e ;g Hkh lfpr fd;k x;k g fd li.k rF;k ,o ifjfLFkfr;k ij fopkj djr g, çcèku ml rjUr d çHkko l lok l mldk fuyfcr dju d fy, etcj gvk g vkj og fofèk d çkoèkku d erkfcd fuokg HkÙkk ik,xh] ml i= e ;g Hkh lfpr fd;k x;k Fkk fd mldk LV'ku@e[;ky; MkyVuxt gkxk vkj og vèkkgLrk{kjh@vè;{k dh vuefr d fcuk LV'ku@e[;ky; ugh NkMxhA

(v) fd vkond@vihykFkh u çfr'kiFki= dk çR;Ùkj fofufn"Vr% ;g dFku djr g, nkf[ky fd;k fd mUgku [kn gh fuycu vkn'k@fnukd 15.6.2011 dk i= ,e0 Mh0 ,e0] th0 th0 ih0 ,l0 MkyVuxt dk Hktk Fkk ;lfi ;g çR;fFk;k dh tkudkjh d Hkhrj Fkk fd ;kph u viu LFkkukrfjr LFkku ,e0 Mh0 ,e0] th0 th0 ih0 ,l0] MkyVuxt e inxg.k ugh fd;k g vkj tgk rd lefpr çdk'ku dk lcèk g] ;g fuonu fd;k x;k Fkk fd bl tYnckth e jftLVM i= dh llpuk d fy, çrh{kk fd, fcuk Hktk x;k gA

tgk rd MkyVuxt e mldk e[;ky; fu;r dju dk lcèk g] ;g fuonu fd;k x;k Fkk fd mldh fuycu vofèk d nkjku MkyVuxt vFkkr mld LFkkukrfjr LFkku e mldk e[;ky; eueku :i l fu;r fd;k x;k g tk fofèk e lik"k.kh; ugh g vkj LFkkfir fofèk d vulkj fuycu vofèk d nkjku e[;ky; cnyk ugh tk ldrk g vkj rnulkj fuonu fd;k fd fnukd 21.5.2011 d LFkkukrj.k vkn'k d QyLo:i mldh inLFkkiuk dk LFkku MkyVuxt e mldk e[;ky; fu;r djuk i.kr% voèk] vufpr] HknHkkoi.k g rFkk 'kfDr d vkHkkl h ç;kx d rY; gA

(vi) fd ml d çR;Ùkj e ;g Li"Vr% dFku fd;k x;k g fd LFkkfir fu;e ,o fofèk d vulkj tc depkjh fuyfcr fd;k tkrk g] og fofèkr% fuokg HkÙkk dk gdnkj g fdr ml fuokg HkÙkk dk Hkxrku ugh fd;k x;k g ftl d fy, og xtkjk dju ef'dy dk lkeuk dj jgh g vkj rnulkj fuokg HkÙkk dk Hkxrku dju d fy, fun'k nu dk vujkèk fd;k D;kfd og dk;okgh lekIr gku rd Lo; ,o viu vkfJrk dk Hkj.k ik"k.k dj ldA

(vii) fd 15.6.2011 vFkkr ml d fuycu dh frfFk l n; ml d fuokg HkÙkk dk Hkxrku dju d fy, ckj&ckj vujkèk@çkFkuk d ckn Hkh dkjokb ugh dh x;h Fkh vkj vkn'k ikfjr ugh fd;k x;k Fkk vkj vihykFkh u dkb fodYi ugh gku ij 31.1.2013 dk t0 b0 Vh0 d le{k vihykFkh dk fuokg HkÙkk ftl d Hkxrku ml d fuycu dh frfFk l ugh fd;k x;k g dk Hkxrku dju d fy, vkj 15.6.2011 l vkt dh frfFk rd dh vofèk d fy, fuokg HkÙkk dk Hkxrku dju d fy, çR;Fkh dk fun'k nu d fy, lefpr vkn'k tkjh dju d fy, vkonu nkf[ky fd;k fdr ;kph dk fuycu vofèk d nkjku fuokg HkÙkk dk Hkxrku ugh

fd;k x;k g tk lh0 ch0 ,l0 b0 mifofèk d mYy?ku e gA lh0 ch0 ,l0 b0 (mifofèk) fu;ekoyh d fu;e 44(9) d erkfcd fuyfcr depkjh fuokg HkÙkk dk gdnkj g fdr iokxg ,o euekuiu d dkj.k fuokg HkÙkk dk Hkxrku ugh fd;k x;k g ftlu ml ij xHkhj :i l çfrdyrk dkfjr fd;k gA

ml vkonu e ;g Hkh Li"Vr% mfYyf[kr fd;k x;k Fkk fd vihykFkh ij ml fnu rd dkb vkjki&i= rkehy ugh fd;k x;k Fkk vkj u gh fuycu vkn'k fuycu vkn'k d nkjku mldk e[;ky; vFkok inLFkkiuk LFkku vLohdkj djrk gA

(viii) vkx vihykFkh@vkond dk ekeyk >kj[kM f'k{kk vfèkdj.k vfèkfu;e dh èkkjk 8 ,o 9 d çkoèkkuk d fucèkukulkj gA ;kph dk fuokg HkÙkk ftldk Hkxrku fuycu dh frfFk l ugh fd;k x;k g dk Hkxrku 'k: dju d fy, vkj 15.6.2011 l vkt dh frfFk rd fuycu vofèk d fuokg HkÙkk dk Hkxrku dju d fy, çR;Fkh dk lefpr vkn'k@fun'k tkjh dju dh çkFkuk d lkFk 31.1.2013 dk vrorh vkonu nkf[ky fd;k x;k Fkk fdr ;kph dk fuokg HkÙkk dk Hkxrku ugh fd;k x;k g tk lh0 ch0 ,l0 b0 mifofèk d mYy?ku e gA

(ix) fd çR;fFk;k u fuokg HkÙkk d fy, ;kph }kjk bl çdkj nkf[ky vkb0 ,0 d çfr 25.5.2013 dk viuk çR;Ùkj vU; ckrk d lkFk ;g dFku djr g, nkf[ky fd;k fd ;|fi ;kph u lh0 ch0 ,l0 b0 dh mifofèk d fu;e 44(9) ij fuHkj djr g, fuokg HkÙkk d fy, vkonu fn;k fdr mlu fu;e dk vulj.k ugh fd;k g D;kfd fu;e d vulkj ml bl çHkko dk çek.ki= nkf[ky dju dh vko';drk g fd og fdlh fu;ktu] 0;olk;] i'kk e ugh yxh gb g fdr mlu çek.ki= çLrr ugh fd;k g] bl n'kk e og fuokg HkÙkk dk nkok ugh dj ldrh gA

ml çR;Ùkj e] çR;fFk;k u ;g fuonu Hkh fd;k fd ;kph@vihykFkh dk fuokg HkÙkk dk nkok dju dk vfèkdkj ugh g D;kfd mlu e[; fuycu vkn'k dk pukrh ugh fn;k g cfYd doy çl foKfIr dk pukrh fn;k g vkj vkx mlu ,d fnu d fy, Hkh MkyVuxt e viuh gkftjh nkf[ky ugh fd;k g vkj e[;ky; NkMu d fy, mlu dkb vuefr ugh fy;k g vkj mlu vè;{k vFkok fo|ky; çcèku dfeVh d le{k vH;konu ugh fn;k vkj blfy, ;kph fuokg HkÙkk dh gdnkj ugh gA

(x) fd ;kph@vihykFkh u 3.7.2013 dk ijd 'kiFki= fofufn"Vr% ;g dFku djr g, nkf[ky fd;k fd 15.6.2011 rd fuokg HkÙkk d xj&Hkxrku d dkj.k ;kph xHkhj foÙkh; dfBukb dk lkeuk dj jgh g vkj fuokg HkÙkk dk xj Hkxrku lh0 ch0 ,l0 b0 mifofèk d çkoèkku d fo:) g vkj ;kph dgh vkj fu;kftr ugh Fkh@g vkj bll çR;fFk;k dk bey d ekè;e l 2.7.2013 dk lfpr fd;k x;k Fkk vkj rnulkj vkx fdlh foyc d fcuk fuokg HkÙkk dk Hkxrku dju dk vujkèk fd;kA

(xi) fd vkond@vihykFkh u ekuuh; mPp U;k;ky; d le{k fuycu vkn'k dk pukrh nr g, MCyO ih0 (,l0) l0 7796 o"k 2011 nkf[ky fd;k Fkk D;kfd fnukd 24.9.2011 d vkn'k }kjk t0 b0 Vh0 d lnL; u vè;{k d fcuk ekeyk luu e viuh v{kerk vfHk0;Dr fd;k fdr ckn e fo}ku vè;{k dh fu;fDr d ckn tc t0 b0 Vh0 fØ;k'khy Fkk] mldk ekeyk lphc) fd;k x;k Fkk vkj le;≤ ij lqk x;k Fkk] rnulkj fjV ;kfpdk okil yu d fy, bl ekuuh; U;k;ky; d le{k vkb0 ,0 nkf[ky fd;k x;k Fkk vkj fnukd 24.7.2013 d vkn'k }kjk fjV ;kfpdk okil yu dh vuefr nh x;h FkhA

(xii) fd fnukd 24.7.2013 d okilh vkn'k d ckn vihykFkh u iu% fnukd 24.7.2013 d vkn'k lfgr leLr rF;k dk dFku djr g, ,l0@,0 nkf[ky fd;k

vkj fnukd 16.7.2013 d viu vH;konu d ekè;e l xj fu;ktu çek.ki= çLrr fd;kA

(xiii) tgk rd fuokg HkÙkk dk lcèk g] tc vkb0 ,0 vkn'k d fy, yfcr Fkk] ekeyk l0 27 o"k 2011 ftle fnukd 21.5.2011 d LFkkukrj.k vkn'k dk pukrh fn;k x;k Fkk] fnukd 10.2.2014 d fu.k; }kjk ;g vfHkfuèkkfjr djr g, [kkfjt dj fn;k x;k Fkk fd LFkkukrj.k vkn'k fofèkd ,o lefpr g vkj ekuuh; lokPp U;k;ky; d fu.k; d vuqkj ;kph@vihykFkh dk MkyVuxt e inxg.k djuk pkfg, Fkk fdr ,lk ugh fd;k x;k FkkA

;g dguk vuko';d g fd mld LFkkukrj.k ekeyk e ikfjr fnukd 10.2.2014 d fu.k; d rjUr ckn ;kph viuk in xg.k dju d fy, 11.2.2014 dk MkyVuxt x;h fdr ml ,lk dju dh vuefr ugh nh x;h Fkh vkj ml fo|ky; ifjlj e Hkh ço'k dju dh vuefr ugh nh x;h Fkh vkj mldk inxg.k vkonu çklr@Lohdkj ugh fd;k x;k Fkk] ;kph rhu fnuk rd vFkkr 11.2.2014 l 13.2.2014 rd MkyVuxt e gkVy e :dh jgh fdr inxg.k dju d fy, mld ckj&ckj vujkèk d ckotn ml jftLVj e gLrk{kj dju dh vuefr ugh nh x;h Fkh og dkb fodYi ugh jgu ij ckdkjk okil ykV x;h vkj vè;{k dk QDl d ekè;e l viuk inxg.k Hktk vkj jftLVM Mkd d ekè;e l çkpk; d le{k viu vkonu dk lkFk fnukd 11.2.2014 dk i= Hktk ftl mUgku çklr fd;k vkj çR;Fkh d bldk mÙkj Hkh fn;kA

;g mYy[k djuk mi;Dr g fd 12.2.2014 dk tc fuycu vkn'k d Hkxrku d lcèk e ekeyk l0 31/2014 (t0 b0 Vh0) luk x;k Fkk] ;g rF; fo}ku t0 b0 Vh0 d è;ku e yk;k x;k Fkk vkj bl fnukd 12.2.2004 d vkn'k e Hkh mfYyf[kr fd;k x;k Fkk vkj ;kph u Hkh ml çHkko dk 'kiFki= çLrr fd;kA

(xiv) fd 16 vçy dk vkb0 ,0 foLrkjiod luk x;k Fkk vkj vkn'k vkjf{kr j[kk x;k Fkk vkj 21 eb] 2014 dk vkn'k mn?kkf"kr fd;k x;k Fkk ftld }kjk ,o ftld vèkhu fuokg HkÙkk dk Hkxrku dju d fy, fun'k d fy, vkb0 ,0 ;g vfHkfuèkkfjr dju d ckn [kkfjt fd;k x;k Fkk fd bl pj.k ij çR;fFk;k }kjk ;kph dk fuokg HkÙkk dk Hkxrku dju d fy, çR;fFk;k dk fun'k nu d fy, ekeyk ugh curk g vkj ;kph dk rjUr MkyVuxt e inxg.k dju dh lykg nh x;h Fkh vkj rRi'pkr fuokg HkÙkk d Hkxrku d fy, fofèk d vu:i lefpr vH;konu nkf[ky fd;k tk,xkA

vkb0 ,0 [kkfjt djr g, fo}ku vfèkdj.k u vfHkfuèkkfjr fd;k g fd MkyVuxt e mld }kjk bl çdkj çLrr inxg.k fjikV fnukd 15.6.2011 d fuycu vkn'k d lkFk lxr ugh g vkj mlu fun'kd çkpk;] ,e0 Mh0 ,e0] th0 th0 ih0 ,l0 MkyVuxt dk viuk inxg.k fjikV fn;k vkj mlu viu inxg.k fjikV e vR;Ur prjkb l 'kCn ^^fuycu** dk dFku ugh fd;k FkkA

(xv) fd lykg d vuqj.k e fnukd 21 eb] 2014 d vkn'k d ckn ;kph 27.5.2014 dk MkyVuxt x;h] ogk :dh vkj rc fuyfcr depkjh d :i e viu inxg.k fjikV d lkFk ç'uxr fo|ky; x;h fdr çkpk; u ml fo|ky; e ço'k dju dh vuefr ugh fn;k] mldk inxg.k fjikV Hkh Lohdkj ugh fd;k] eykdkr jftLVj ij viuk gLrk{kj dju dk vuefr Hkh ugh fn;k vkj ;kph dkb fodYi ugh jgu d dkj.k fnukd 27.5.2014 d viu vH;konu d lkFk vè;{k d le{k viuk vkonu@inxg.k fjikV Hktu d ckn 28.5.2014 dk ckdkjk okil ykV x;hA

(xvi) fd fnukd 3.6.2014 d mld i= d mÙkj e vè;{k th0 th0 b0 ,l0 u fnukd 16.6.2014 dk i= Hktk ftle ;g vfHkdfFkr fd;k x;k g fd og

viuk inxg.k dju d fy, ,e0 Mh0 ,u0] th0 th0 ih0 ,l0 MkyVuxt e mifLFkr ugh Fkh vkj og th0 th0 ih0 ,l0 ifjlj] lDVj V/B ckdkjk LVhy flVh e jg jgh Fkh vkj ogk l viuk inxg.k Ny lkfèkr dj jgh FkhA

;g mYy[k djuk mi;Dr g fd mlu viu fo:) fd, x, vfHkdFku d fo:) fnukd 9.7.2014 d viu mÙkj d ekè;e l fofufn"Vr% ;g dFku djr g, vkifÙk fd;k fd og 27.5.2014 dk inxg.k dju ç'uxr fo|ky;] MkyVuxt x;h fdr ml fo|ky; e ço'k dju l oftr fd;k x;k Fkk vkj fo}ku t0 b0 Vh0 d vkn'k d ckotn ml inxg.k dju dh vuefr ugh nh x;h Fkh vkj igy Hkh mlu blh leL;k dk lkeuk fd;k tc og 11.2.2014 l 14.2.2014 rd futh :i l MkyVuxt e mifLFkr Fkh vkj bl vè;{k dk lE;d :i l lfpr fd;k x;k Fkk vkj bl fo}ku t0 b0 Vh0 d è;ku e Hkh yk;k x;k FkkA

(xvii) fd igy Hkh vihykFkh MkyVuxt e viuk inxg.k fjikV çLrr dju 11.2.2014 dk MkyVuxt x;h Fkh vkj ogk og rhu fnuk vFkkr 11.2.2014 l 13.2.2014 rd gkVy e jgh fdr tc inxg.k Lohdkj ugh fd;k x;k Fkk vkj vè;{k dk jftLVM Mkd@QDl d ekè;e l viuk inxg.k Hktk vkj fopfyr {k= MkyVuxt gkVy e :du e viuh ef'dy crk;k fdr fQj Hkh ml okl lfoèkk ugh nh x;h Fkh vkj vkt dh frfFk rd ml fuokg HkÙkk dk Hkxrku ugh fd;k x;k Fkk ftl dkj.k og dfBukb dk lkeuk dj jgh gA

(xviii) fd mDr dfFkr rF;k ,o ifjfLFkfr;k l ;g Li"V gkxk fd vihykFkh }kjk ml dk inxg.k Lohdkj dju d fy, ckj&ckj vujkèk d ckotn çR;fFk;k u fuyfcr depkjh d :i e Hkh MkyVuxt e inxg.k dju dh vuefr ugh fn;k vkj u gh fuyfcr depkjh d :i e Hkh MkyVuxt e inxg.k dju dh vuefr fn;k] u rk fnukd 15.6.2011 dk fuycu vkn'k çfrlgr fd;k x;k g vkj u gh fuokg HkÙkk dk Hkxrku fd;k x;k g] bl n'kk e çR;fFk;k dh leLr dkjokb ,o fuf"Ø;rk voèk g vkj fofèk e ik"k.kh; ugh gA

5. आगे प्रत्यर्थियों ने ए॰ सी॰ (एस॰ बी॰) सं॰ 10 वर्ष 2014 में 24.3.2015 को प्रतिशपथपत्र दाखिल किया जिसमें कथन किया गया है:–

(i) fd oreku vihy fofèk e vFkok rF;k e ik"k.kh; ugh g vkj ;g bl ekuuh; U;k;ky; }kjk [kkfjt fd, tku ;kX; gA bl vihy e vkond@vihykFkh u fuycu ekeyk d fo:) e[; ekeyk vFkkr ekeyk l0 31 o"k 2011 (t0 b0 Vh0) dk pukrh nr g, fnukd 21.5.2014 d vkn'k dk pukrh fn;k g tc fd lgh rF; ;g g fd ekeyk l0 31 o"k 2011 t0 b0 Vh0 U;k;ky; e vkond@vihykFkh }kjk nkf[ky fuycu ekeyk d ckj e gh vkj fu.k; dh çrh{kk dh tk jgh gA fnukd 21.5.2014 dk ;g vkn'k (vFkkr vk{kfir vkn'k oLrr% e[; ekeyk vFkkr ekeyk l0 31 o"k 2011 (t0 b0 Vh0) l mnHkkr gku okyh vkb0 ,0 ;kfpdk dk fuiVkr g, ikfjr fd;k x;k gA fdr ble bl vihy e vihykFkh u vkb0 ,0 fuiVkr vkn'k dk pukrh ugh fn;k g cfYd bl e[; ekeyk e ikfjr vkn'k d :i e ekur g, vk{kfir vkn'k dk pukrh fn;k g tk ef'dy lftr djxk ;fn ekeyk l0 31 o"k 2011 (t0 b0 Vh0) e e[; fu.k; ikfjr fd;k tkrk gA

(ii) fd fo}ku >kj[kM 'k{kf.kd vfèkdj.k jkph u vfHky[k ij miyCèk lkexh ij fopkj dju d ckn vkj bl ekey e vrxLr fofèkd fcnvk ij fopkj djr g, vk{kfir vkn'k ikfjr fd;k g vkj vk{kfir vkn'k e voèkrk ugh g vkj

bl n'kk e oreku vihy ik"k.kh; ugh g vkj bl ekuuh; U;k;ky; }kjk 0;; d lkFk [kkfjt fd, tku ;kX; gA

(iii) fd vihykFkh x: xkfoUn flg ifCyd Ldy] lDVj V/B, ckdkjk LVhy flVh] ckdkjk e çkpk; d :i e dk;jr FkhA vkjHk e vihykFkh dk 31.3.2004 dk miçkpk; d :i e fu;Dr fd;k x;k FkkA ckn e] mlI çkpk; d :i e çkUur fd;k x;k FkkA mld vkQj yVj e ijkxkQ lO 12 d rgr ;g Li"V fd;k x;k Fkk fd **^^vkidk oreku e okl lfoèkk d fy, Lo;; viuh 0;oLFkk djuh gkxhA fdrq] fo|ky; d fu;ek d erkfcd xg fdjk;k HkÙkk dk Hkxrku vkidk fd;k tk,xkA****

(iv) fd 21.5.2011 dk vihykFkh dk çkpk;@fun'kd (,dMfed) d :i e ,eO MhO ,uO] x:xkfoUn flg ifCyd Ldy] MkyVuxt LFkkukrfjr fd;k x;k FkkA

(v) fd MkyVuxt e inxg.k dju d ctk, vihykFkh u >kj[kM 'k{kf.kd vfèkdj.k jkph d le{k ekeyk lO 27 o"k 2011 (tO bO VhO) d rgr fnukd 21.5.2011 d LFkkukrj.k vkn'k dk pukrh fn;kA

(vi) fd ekuuh; >kj[kM 'k{kf.kd vfèkdj.k] jkph u çR;FkF;k dk mÙkj nkf[ky dju d fy, ukfVl tkjh dju d fy, 27.5.2011 dk vkn'k ikfjr fd;k g vkj çR;Fkh dh mifLFkfr rd LFkkukrj.k vkn'k luokb dh vxyh frfFk vFkkr 7.6.2011 rd LFkfxr fd;k x;k FkkA

LFkkukrj.k ekeyk tkjh j[kr g, 28.5.2011 dk vihykFkh dk thO thO ihO ,lO ckdkjk Ldy l fueDr fd;k x;k Fkk vkj mldk vfre oru çek.ki= ,eO MhO ,uO] thO thO ihO ,lO MkyVuxt Hkstk x;k FkkA vr% ml frfFk l og leLr ç;ktu l MkyVuxt fo|ky; dh vkj u fd ckdkjk fo|ky; dh depkjh cu x;hA

(vii) fd iu% ekeyk lO 27/11 (tO bO VhO) 7.6.2011 dk ekuuh; >kj[kM 'k{kf.kd vfèkdj.k] jkph }kjk luk x;k Fkk vkj nkuk i{kk d vfèkoDrk dk luu d ckn ekuuh; >kj[kM 'k{kf.kd vfèkdj.k fnukd 7.6.2011 d vkn'k d fucèkuku lkj LFkxu vkn'k okil d fy, gA

(viii) fd 7.6.2011 dk ekuuh; >kj[kM 'k{kf.kd vfèkdj.k] jkph }kjk vkn'k ikfjr fd, tku d ckn Hkh vihykFkh u fnukd 21.5.2011 d LFkkukrj.k vkn'k d vuikyu e ,eO MhO ,uO] thO thO ihO ,lO&MkyVuxt e inxg.k ugh fd;k FkkA

(ix) fd rRi'pkr vihykFkh dk lklkbVh d vè;{k }kjk fnukd 9.6.2011 rFkk 12.6.2011 d i= d rgr rjUr MkyVuxt e inxg.k dju dk fun'k fn;k x;k Fkk ftle foQy jgu ij mld fo:) vu'kklfud dkjokb dh tk ldrh gA

(x) fd tc vihykFkh u iu% viuh inLFkkiuk d LFkku ij MkyVuxt e inxg.k ugh fd;k] rc çcèku d ikl vihykFkh dk fuyfcukèkhu dju d vykok fodYi ugh Fkk vkj rnuqlkj vihykFkh dk 15.6.2011 dk lklkbVh d vè;{k }kjk fuycu d vèkhu fd;k x;k FkkA ml çHkko dk ukfVl Hkh 16.6.2011 dk nfud tkxj.k lekpkji= e çdkf'kr fd;k x;k Fkk vkj vud <xk }kjk vihykFkh dk foLrr fuycu vkn'k Hkstk x;k FkkA

fd vihykFkh u fnukd 15.6.2011 d fuycu vkn'k dk pukrh ugh fn;k Fkk fdr fQj Hkh mlu vihy d ifjf'k"V 1 d rgr doy çl e çdkf'kr llpuk dk pukrh fn;k gA

(xi) fd ;g mDr dFkr rF;k l Li"V gkxk fd fuycu vkn'k ikfjr dju dh frfFk vFkkr 15.6.2011 l ekuuh; >kj[kM 'k{kf.kd vfèkdj.k] jkph }kjk

21.5.2014 dk ikfjr vk{kfir vkn'k rd vihykFkh fuyfcr depkjh d :i e fo|ky; e inxg.k dju d fy, MkyVuxt ugh x;h FkhA

(xii) fd ;gk ;g mYy[k djuk vui;Dr ugh gkxk fd vihykFkh }kjk fnukd 21.5.2011 d viu LFkkukrj.k vkn'k d fo:) nkf[ky ekeyk l0 27 o"k 2011 (t0 b0 VhO) dk igy gh >kj[kM 'k{kf.kd vfèkdj.k jkph }kjk fnukd 10.2.2014 d vkn'k d rgr igy gh [kkfjt dj fn;k x;k gA

fd vihykFkh u vkt dh frfFk rd bl ekuuh; U;k;ky; d le{k dkb vihy nkf[ky ugh djd fnukd 10.2.2014 d bl vkn'k dk pukrh ugh fn;k g] bl n'kk e fu.k; vfrerk çkIr dj pdk gA

;g fuonu fd;k x;k g fd LFkkukrj.k ekeyk dk fu.k; igy leLr 0;kogkfjd ç;ktu l vfrerk çkIr dj pdk g tc vihykFkh MkyVuxt fo|ky; dk depkjh gkuk purh gA

6. आगे, यह प्रतीत होता है कि ए॰ सी॰ (एस॰ बी॰) सं॰ 10 वर्ष 2014 इस न्यायालय के समक्ष 17.4.2014 को दाखिल किया गया था और 16.12.2014 को इसे सूचीबद्ध किया गया था और मार्च, 2015 तक स्थगित किया गया था और मामला पुनः 17.3.2015 को सूचीबद्ध किया गया था और अध्यक्ष/प्रत्यर्थी का नाम संशोधित करने की प्रार्थना अपीलार्थी की ओर से की गयी थी। अनुमति दी गयी थी और मामला 25.3.2015 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था और 25.3.2015 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः–

(i) oreku vihy dl l0 31 o"k 2011 (t0 b0 VhO) e fo}ku >kj[kM f'k{kk vfèkdj.k] jkph }kjk ikfjr fnukd 21 eb] 2015 d vkn'k d fo:) nkf[ky fd;k x;k g ft ld }kjk 15.6.2011 d iHkko l fuokg HkÙkk inku fd; tku dh vihykFkh dh ikFkuk vuKkr ugh dh x;h gA

(ii) vihykFkh ,o çR;fFk;k d fo}ku vfèkoDrk lu x,A fo}ku >kj[kM 'k{kf.kd vfèkdj.k }kjk ikfjr vkn'k lfgr vfHky[k ij çLrr lkexh dk ifj'khyu fd;k x;kA

(iii) i{kk d fo}ku vfèkoDrk }kjk fd, x, fuonuk dk luu ij rFkk vihy e fy, x, vud vkèkkjk ,o 2014(1) JLJR SC 85, (2000) 7 SCC 90, 2002 (3) JLJR SC 148, 1982 Lab I.C. 1140 ,o 2007 (4) JCR 183 e çdkf'kr fu.k;k e ;Fkof.kr fofèkd çfriknukvk d ifj'khyu ij ;g çrhr gkrk g fd oreku vihy ij fopkj dju dh vko';drk g vkj bl luokb d fy, xg.k dju d fy, vkn'k fn;k tkrk gA

(iv) çR;fFk;k d fo}ku vfèkoDrk u viu ekey d leFku e 1995 (2) PLJR 690, AIR 1997 SC 1905, (2004) 1 SCC 281 ,o (2005) 8 SCC 211 e çdkf'kr fu.k;k dk Hkh m) r fd;k g vkj bu ij vihy dh luokb d le; ij fopkj fd;k tk,xkA

(v) oreku ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k dk è;ku e j[kdj] rnrfje vkn'k d :i e çR;fFk;k dk bl vkn'k dh çkfIr dh frfFk l rhu llrkg dh vofèk d Hkhrj 11.2.2014 d çHkko l vihykFkh dk ^fuokg HkÙkk dk Hkxrku dju dk fun'k fn;k tkrk gA tgk rd 15.6.2011 d çHkko l fuokg HkÙkk d Hkxrku dk lcèk g] bl ij vihy dh luokb d le; ij fopkj fd;k tk,xkA

(vi) bl ekeyk dk 13 eb] 2015 dk vfre luokb d fy, j[kA

7. तत्पश्चात, मामला पुनः अंतिम सुनवाई के लिए 23.6.2015 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। माननीय न्यायाधीश अमिताभ के॰ गुप्ता के समक्ष मामला 23.6.2015 को सूचीबद्ध किया गया था और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः–

(i) vihykFkh dh vkj l mifLFkr fo}ku vfèkoDrk u fuonu fd;k g fd ekeyk luu d ckn ekuuh; U;k;kèkh'k ih0 ih0 HkVV }kjk 25.3.2015 dk rhu llrkg dh vofèk d Hkhrj 11.2.2014 d çHkko l fuokg HkÙkk dk Hkxrku dju d fun'k d lkFk rnrfje vkn'k ikfjr fd;k x;k Fkk fdr vkt dh frfFk rd vkn'k dk vuikyu ugh fd;k x;k Fkk vkj çR;fFk;k u blh vkn'k d mikrj.k d fy, vrorh vkonu nkf[ky fd;k gA

(ii) çR;fFk;k dh vkj l mifLFkr fo}ku vfèkoDrk u fuonu fd;k g fd mUgku vkb0 ,0 l0 2763 o"k 2015 bl vkèkkj ij nkf[ky fd;k g fd oreku ;kfpdk fu"Qy gk x;h g vkj fnukd 25.3.2015 d vkn'k d mikrj.k d fy, vkb0 ,0 l0 3143 o"k 2015 nkf[ky fd;k x;k gA

(iii) pfd ekuuh; U;k;kèkh'k ih0 ih0 HkVV }kjk ikfjr fnukd 25.3.2015 d vkn'k d lcèk e vkonu nkf[ky fd;k x;k g] ekuuh; e[; U;k;kèkh'k dk vueknu çkIr dju d ckn vko';d dkjokb d fy, ekeyk ekuuh; U;k;kèkh'k ih0 ih0 HkVV d le{k j[kk tk,A

*(iv) iu% bl 6.11.2015 dk lphc) fd;k x;k Fkk vkj ^^vkn'k d fy,** 'kh"kd d vèkhu 4.12.2015 dk voeku (flfoy) ekeyk l0 339 o"k 2015 dk lphc) dju dk fun'k fn;k x;k FkkA*

8. यह प्रतीत होता है कि इस बीच अवमान (सिविल) मामला सं॰ 339 वर्ष 2015 इस न्यायालय के समक्ष 18.6.2015 को अन्य बातों के साथ निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए दाखिल किया गया था:–

*^^fd ;g ekuuh; U;k;kèkh'k }kjk ikfjr ,0 lh0 (,l0 ch0) l0 10 o"k 2014 e fnukd 25.3.2015 d vkn'k ,o fun'k d vuuikyu d fy, vkj tkuc>dj voKk d fy, fojkèkh i{kdkj l0 1 d fo:) voeku dk;okgh vkjHk dju d fy, vkonu g ft ld }kjk ,o ft ld vèkhu fojkèkh i{kdkj dk ;kph dk ml vkn'k dh çkfIr dh frfFk l rhu llrkg dh vofèk d Hkhrj 11.2.2014 d çHkko l fuokg HkÙkk dk Hkxrku dju dk fun'k fn;k x;k FkkA voeku d vkjHk dh frfFk 29.4.2015 l 'k: gbA**

9. अवमान मामला 7.8.2015 को सूचीबद्ध किया गया था और प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया था। तत्पश्चात मामला पुन: 11.9.2015 को सूचीबद्ध किया गया था और अवमान मामला (सिविल) सं॰ 339 वर्ष 2015 में निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:–

(i) li.k fookn tkp yfcr jgr g, ;kph d fuycu d dkj.k vkj rc LFkkukrj.k d LFkku vFkkr MkyVuxt e ;kph }kjk inxg.k ugh dju d fy, lok lekfIr d dkj.k mnHkr gkrk gA

(ii) li.k fookn d lekèkku d fy, i{kk d fo}ku vfèkoDrk] fo'k"kr% fojkèkh i{kdkj l0 1 d fo}ku vfèkoDrk }kjk l>ko fn;k x;k g fd ;k çcèku d fy, lok lekfIr vkn'k d çfrlgj.k ij fopkj djuk lHko g ;fn ;kph inLFkkiuk d LFkku ij inxg.k dju d fy, r;kj ,o bPNd gA bl ij fojkèkh i{kdkj l0 1 dh vkj l mifLFkfr fo}ku ojh; vfèkoDrk bl lcèk e vun'k yu d fy, de l de 15 fnuk dk le; bfIlr djr gA

(iii) ;Fkk bfIlr le; çnku fd;k tkrk gA

(iv) 9.10.2015 dk iu% lphc) fd;k tk;A

10. तत्पश्चात्, दोनों मामलों अर्थात अवमान मामला (सिविल) सं॰ 339 वर्ष 2015 तथा ए॰ सी॰ (एस॰ बी॰) सं॰ 10 वर्ष 2014 को 20.11.2015 को सूचीबद्ध किया गया था और दोनों मामलों को 4

दिसंबर, 2015 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। मामला पुनः 18.12.2015 को सूचीबद्ध किया गया था जहाँ विरोधी पक्षकारों की ओर से आई० ए० सं० 5853 वर्ष 2015 दाखिल किया गया था। आई० ए० सं० 5853 वर्ष 2015 में निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:–

(i) ;g vrorh vkonu fojkèkh i{kk }kjk vU; ckrk d lkFk ;g dFku djr g, nkf[ky fd;k x;k g fd ekuuh; lokPp U;k;ky; d fu.k; dh nf"V e li.k ;kfpdk rFkk bl U;k;ky; }kjk ikfjr fnukd 25.3.2015 dk vkn'k fu"Qy gk x;k gA

*(ii) tlh çkFkuk dh x;h g] ;g vkonu 8 tuojh] 2016 dk lqu tk,xkA**

11. कि आगे अवमान मामला (सिविल) सं० 339 वर्ष 2015 में निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:–

(i) pfd ,0 lh0 (,l0 ch0) l0 10 o"k 2014 e bl U;k;ky; }kjk ikfjr fnukd 25.3.2015 d vrfje vkn'k dk vkt dh frfFk rd vuikyu ugh fd;k x;k g] vr% vfre volj d :i e çR;fFk;k dk bl U;k;ky; dh jftLVh d le{k 8 tuojh] 2016 dk vFkok bld igy U;k;ky; }kjk ;Fkk vknf'kr fuokg HkÙkk tek dju dk fun'k fn;k tkrk g ftle foQy gku ij çcèku dk vè;{k@lfpo bl U;k;ky; d le{k 8 tuojh 2016 dk mifLFkr gkxA

*(ii) iu% 8 tuojh] 2016 dk lphc) fd;k tk,A***

12. कि तत्पश्चात, मामला 29.1.2016 को सूचीबद्ध किया गया था और प्रार्थना पर मामला 5.2.2016 को सूचीबद्ध करने के लिए निर्देश दिया गया था और 5.2.2016 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:–

(i) leunf'kr ekeyk d :i e ej U;k;ky; l fueDr fd;k x;kA

(ii) ekuuh; e[; U;k;kèkh'k l vko';d vuefr çkIr dju d ckn bl lefpr U;k;ihB d le{k j[kk tk,A

(iii) fdr] fo}ku ojh; vfèkoDrk Jherh ,e0 ,e0 iky u dkj.k crkvk ukfVl d çfr mÙkj d ijk 6 ,o 7 dk fufn"V fd;kA

(iv) çR;fFk;k d fy, mifLFkr fo}ku ojh; vfèkoDrk dkj.k crkvk ukfVl d çfr mDr mÙkj d ijk 6 ,o 7 d çdFkuk d lcèk e Li"Vhdj.k d fy, dN le; bfIlr djrh gA

13. आगे, विरोधी पक्षकार सं० 1/प्रत्यर्थी सं० 1 की ओर से अन्य बातों के साथ यह कथन करते हुए आई० ए० सं० 106 वर्ष 2016 दाखिल किया गया था कि विरोधी पक्षकार सं० 1 ने 18.12.2015 को दिए गए आदेश का अनुपालन किया है और दिनांक 31.12.2015 के डी० डी० सं० 597152 के तहत इस माननीय न्यायालय के रजिस्ट्री में राशि जमा किया है; यद्यपि आदेश का अनुपालन किया गया है किंतु प्रार्थना की गयी है कि इस माननीय न्यायालय के रजिस्ट्री के समक्ष दिनांक 31.12.2005 की डी० डी० सं० 597152 के तहत निर्वाह भत्ता के रूप में 5.1.2016 को जमा की गयी राशि के संबंध में विरोधी पक्षकार सं० 1 कृपापात्र होगा यदि यह माननीय न्यायालय आदेश पारित करेगा कि इस माननीय न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा की गयी राशि ए० सी० (एस० बी०) सं० 10 वर्ष 2014 जिससे यह अवमान मामला उद्भूत होता है कि अंतिम निपटान तक वितरित नहीं की जाए।

14. यह प्रतीत होता है कि ए० सी० (एस० बी०) सं० 10 वर्ष 2014 और अवमान मामला (सिविल) सं० 339 वर्ष 2015 में पक्षों की ओर से अनेक आई० ए० दाखिल किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं:–

(i) ,0 lh0 (,l0 ch0) l0 10 o"k 2014 e vkb0 ,0 l0 4154/2014 vihykFkh dh vkj l ekeyk l0 31 o"k 2011 (t0 b0 Vh0) e fo}ku >kj[kM 'k{kf.kd vfèkdj.k }kjk ikfjr fnukd 21.5.2014 d vkn'k dk çoru LFkxu dju dh çkFkuk d lkFk nkf[ky fd;k x;k gA ;g çrhr gkrk g fd vkb0 ,0 e vkn'k ikfjr ugh fd;k x;k gA

(ii) vkx çR;Fkh l0 1 dh vkj l 7.5.2015 dk jftLVªkj feÙky cuke ,0 d0 xx ,o vU;] (2011) 14 SCC 587, ekeyk e ikfjr fu.k; d vkykd e vkn'k ikfjr dju dh çkFkuk d lkFk vkb0 ,0 l0 2763/2015 nkf[ky fd;k x;k gA

(iii) fd vkx 2014(1) JLJR SC 85 e çdkf'kr fu.k; d vkykd e ,0 lh0 (,l0 ch0) l0 10 o"k 2014 e ikfjr fnukd 25.3.2015 d rnrfje vkn'k dk mikrfjr dju dh çkFkuk d lkFk 8.6.2015 dk çR;Fkh l0 1 dh vkj l vkb0 ,0 l0 3143 o"k 2015 nkf[ky fd;k x;k gA

(iv) vkx] çR;Fkh l0 1 dh vkj l voeku ekeyk (flfoy) l0 339 o"k 2015 e vkb0 ,0 l0 106 o"k 2016 ;g dFku djr g, nkf[ky fd;k x;k g fd fojkèkh i{kdkj l0 1 u voeku ekeyk (flfoy) l0 339 o"k 2015 e ikfjr fnukd 18.12.2015 d vkn'k rFkk ,0 lh0 (,l0 ch0) l0 10 o"k 2014 e ikfjr fnukd 25.3.2015 d vkn'k dk vuikyu fd;k g vkj ekuuh; U;k;ky; dh jftLVh e jkf'k tek fd;k g vkj bl lhek rd vkn'k ikfjr dju dh çkFkuk dh x;h Fkh fd ,0 lh0 (,l0 ch0) l0 10 o"k 2014 d vfre fuiVku rd jkf'k l forfjr ugh dh tk ldrh gA

15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्टत: कथन किया है कि अपीलार्थी ने मामला सं० 31 वर्ष 2011 में विद्वान झारखंड शैक्षणिक अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 21.5.2014 के आदेश को चुनौती दिया है:–

(i) vihykFkh dh vkj l e[;r% bl vkèkkj ij fd lh0 ch0 ,l0 b0 fu;ekoyh d fu;e 44(9) d fucèkuku lkj og viu }kjk ik, x, vfre oru d vkèkk d lerY; jkf'k ij fuokg HkÙkk rFkk ,l oru d vfrfjDr oru dh rjg mlh rjhd l Hkxrku dh tku okyh lefpr egxkb HkÙkk dh gdnkj Fkh] fuycu dh frfFk l vFkkr 15.6.2011 l fuokg HkÙkk dk Hkxrku dju dk fun'k çR;fFk;k dk nu d fy, vkb0 ,0 nkf[ky fd;k g ftl vfèkdj.k }kjk [kkfjt dj fn;k x;k gA

(ii) vkx ;g dFku fd;k x;k Fkk fd fo}ku vfèkdj.k u ***itkc jkT; ,o vU; cuke èkje flg] AIR 1997 SC 1906 vkj mÙkj çnsk jkT; VDlVkby dkjikjs'ku fyfeVM cuke ih0 lh0 pronh] 2005 (8) SCC 211*** *e fn, x, ekuuh; lokPp U;k;ky; d fu.k; ij ;g vfHkfuèkkfjr dju d fy, xyr :i l fo'okl fd;k g fd vihykFkh viuk fuokg HkÙkk vftr dju d fy, e[;ky; e cuh ugh jgh Fkh vkj u gh viuh mifLFkfr fpfUgr fd;k cfYd mlu cjktxkjh çek.ki= çLrr fd;k gA*

(iii) vihykFkh d fo}ku vfèkoDrk }kjk fuonu fd;k x;k g fd fo}ku vfèkdj.k lh0 ch0 ,l0 b0 fu;ekoyh d fu;e 44(9) d çkoèkkuk dk vfèkeY;u dju e foQy jgk g vkj ;g vfèkeY;u dju e Hkh foQy jgk g fd 15.11.2011 l ml fuokg HkÙkk d :i e ,d ilk dk Hkxrku ugh fd;k x;k Fkk vkj lefpr okl lfoèkk ugh Fkh vkj vihykFkh efgyk gA bu rF;k ij fopkj ugh fd;k x;k gA vr% vk{kfir vkn'k vikLr fd, tku ;kX; gA

(iv) fnukd 25.3.2015 d vkn'k d vèkhu bl U;k;ky; }kjk fn, x, Li"V fun'k d ckotn] ftl d }kjk çR;fFk;k dk vihykFkh dk rhu lIrkg dh vofèk d Hkhrj 11.2.2014 d çHkko l fuokg HkÙkk dk Hkxrku dju dk fun'k fn;k x;k Fkk vkj ekey dk 13.5.2015 dk lphc) dju dk fun'k fn;k x;k Fkk] fdr çR;fFk;k }kjk vkn'k dk vuikyu ugh fd;k x;k FkkA vr%] vihykFkh }kjk voeku ekeyk (flfoy) l0 339 o"k 2015 e voeku dk;okgh vkjHk dh x;h FkhA

(v) vihykFkh dh vkj l ;g fuonu Hkh fd;k x;k Fkk fd lhO chO ,lO bO mifofèk d vèkhu] fuyfcr depkjh dk mifLFkfr fpfUgr dju vFkok e[;ky; e :du dh vko';drk ugh Fkh ftl ij fuokg HkÙkk iku d fy, ioknkgj.k d :i e fopkj fd;k tk ldrk gA

(vi) vihykFkh d fo}ku vfèkoDrk u vkx **fcgkj jkT; ,o vU; cuke vjfoUn]** 2014(1) JLJR (SC) 85, e ekuuh; lokPp U;k;ky; d fu.k; ij fo'okl fd;k ftle ekuuh; lokPp U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k g fd e[;ky; e ugh :du d fy, fuokg HkÙkk l budkj voèk g vkj Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 21 d mYy?ku e g vkj fuyfcr depkjh dk mifLFkfr fpfUgr dju d fy, etcj ugh fd;k tk ldrk gA

16. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया है कि विद्वान अधिकरण ने **बिहार राज्य एवं अन्य बनाम अरविन्द (ऊपर)** में पारित निर्णय पर विचार किया है और आक्षेपित निर्णय के पैराओं 7, 8, 9, 10, 11 को भी निर्दिष्ट किया है और निवेदन किया है कि अपीलार्थी के व्यवहार एवं दृष्टिकोण और उसके असहयोग सहित समस्त पहलूओं पर विचार किया है और विद्वान अधिकरण ने सही प्रकार से अपीलार्थी को निर्वाह भत्ता से इनकार किया है। यह भी तथ्य है कि 16.6.2011 को दैनिक जागरण में प्रकाशित दिनांक 15.6.2011 का नोटिस परिशिष्ट 1 है, जिसके द्वारा यह सूचित किया गया था कि अपीलार्थी को 21.5.2011 को डालटेनगंज स्थानांतरित करने के बावजूद विद्वान जे॰ ई॰ टी॰ मामला सं॰ 27 वर्ष 2011 (जे॰ ई॰ टी॰) में पारित दिनांक 27.5.2011 के आदेश को विस्तारित नहीं किया है और उसे निलंबन के अधीन रखा गया था। अपीलार्थी ने इसे चुनौती नहीं दिया है, न ही उसने निलंबन आदेश दाखिल करके इसे अभिलेख पर लाया है और बाद में, उसने मामला बनाया है कि वह दबाव के अधीन पद ग्रहण करने डालटेनगंज गयी थी, किंतु उसका पद ग्रहण स्वीकार नहीं किया गया था और वह 11.2.2014 से 13.2.2014 तक तीन दिनों तक होटल में रूकी और उसने 11.2.2014 को पदग्रहण किया किंतु उसे काम करने की अनुमति नहीं दी गयी थी और उसने अध्यक्ष को फैक्स के माध्यम से सूचित किया जो उसका अपना तद्वचन है जिसे स्वीकार नहीं किया गया था और आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया था कि इस बीच विद्वान अधिकरण द्वारा निलंबन आदेश अभिपुष्ट किया गया था और उसने ए॰ सी॰ (एस॰ बी॰) सं॰ 01/2016 दिनांक 16.4.2015 के अंतिम आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल किया है जो इस न्यायालय के समक्ष अभी भी लंबित है।

आगे यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 25.3.2015 का आदेश प्रकट करता है कि यद्यपि प्रत्यर्थियों ने **(1995)2 PLJR 690, गणेश राम, AIR 1997 SC 1905 : (2004) 1 SCC 281 : (2015) 8 SCC 211** में प्रकाशित निर्णय पर विश्वास किया है, किंतु इस न्यायालय द्वारा इन निर्णयों पर विचार नहीं किया गया था और प्रत्यर्थियों को राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था और जल्दी सुनवाई के लिए आई॰ ए॰ सं॰ 2763 वर्ष 2015 दाखिल किए जाने के बावजूद ए॰ सी॰ (एस॰ बी॰) सं॰ 10 वर्ष 2014 नहीं सुना गया था और दबाव के अधीन, चूँकि अवमान आवेदन दाखिल किया गया था, प्रत्यर्थियों ने 1,25,000/- रुपयों की राशि जमा किया है। अतः अब निवेदन किया गया था कि गुणागुण पर मामला नहीं बनता है और अवमान (सिविल) मामला सं॰ 339 वर्ष 2015 खारिज किए जाने योग्य है।

17. आगे प्रत्यर्थियों की ओर से यह निवेदन किया गया था कि चूँकि याची का निलंबन संपुष्ट करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया है और ए॰ सी॰ (एस॰ बी॰ सं॰ 01 वर्ष 2016 इस न्यायालय के समक्ष लंबित है, अतः ए॰ सी॰ (एस॰ बी॰) सं॰ 10 वर्ष 2014 निष्फल हो गया है, अतः यह खारिज किए जाने योग्य है।

18. पक्षों को सुनने के बाद तथा ए॰ सी॰ (एस॰ बी॰), अवमान एवं याची तथा प्रत्यर्थियों दोनों, की ओर से दाखिल किए गए विभिन्न आई॰ ए॰ में किए गए लिखित प्रकथनों का परिशीलन करने के बाद निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:–

(i) vihykFkh nythr dkj tk x# xkfoUn flg ifCyd Ldy e çèkku fun'kd d :i e inLFkkfir ,o dk;jr Fkh dk ,eO MhO ,lO x# xkfoUn flg ifCyd Ldy] MkyVux t fnukd 21.5.2011 d vkn'k }kjk LFkkukrfjr fd;k x;k FkkA

(ii) fd vihykFkh ny thr dkj u ekeyk l0 27 o"k 2011 (t0 b0 Vh0) e t0 b0 Vh0 d le{k LFkkukrj.k vkn'k dk pukrh fn;k ftl fnukd 27.5.2011 d vkn'k d vèhu LFkfxr fd;k x;k Fkk vkj çR;fFk;k dh mifLFkfr d fy, ukfVl tkjh fd;k x;k FkkA

(iii) fd luokb d ckn t0 b0 Vh0 }kjk 7.6.2011 dk vrfje LFkxu fjDr fd;k x;k Fkk vkj rjUr rRi'pkr vFkkr doy lkr fnu ckn fnukd 15.6.2011 d ukfVl }kjk vihykFkh dk mld fuycu vkn'k d ckj e lfpr fd;k x;k FkkA

(iv) fd vihykFkh ny thr dkj u doy nfud tkxj.k] ckdkjk e fnukd 16.6.2011 dk çdkf'kr lpuk dk pukrh fn;k g ftld }kjk lfpr fd;k x;k Fkk fd ml fnukd 15.6.2011 d ukfVl d rgr fuycu d vèhu j[kk x;k gA

(v) i{kk d mifLFkr gku vkj ekeyk vfre :i l fofuf'pr fd, tku d ckotn vihykFkh u Lo; dk Kkr dkj.kk l l'kèku d fy, çkFkuk djd vkj fuycu vkn'k lfEefyr dju d fy, vkb0 ,0 d ekè;e l fuycu vkn'k vfHky[k ij ugh yk;k gA

(vi) MkyVuxt e u;k in xg.k dju vkj MkyVuxt e :du d lcèk e vihykFkh d ckj e fookn g D;kfd çR;fFk;k }kjk ;g rF; fookfnr fd;k x;k g vkj fuonu d leFku e vihykFkh }kjk 'kiFki= d ekè;e l dfri; nLrkot ;g fl) dju d fy, yk;k x;k g fd og in xg.k dju x;h Fkh vkj fd;k Fkk vkj rhu fnuk rd gkVy e :dh fdr fofèk 0;oLFkk d dkj.k ,o L=h gku d ukr Hkh ml MkyVuxt e fo|ky; e okl lfoèkk ugh nh x;h Fkh vkj og okil ykV x;h Fkh vkj ckdkjk e jg jgh FkhA

(vii) çR;fFk;k u çfr'kiFk i= nkf[ky djd ;g dFku djr g, bu rF;k l budkj fd;k g fd bu fookfnr rF;k dk lefpr dk;okgh e ly>k;k tk ldrk g vkj u fd fjV U;k;ky; eA

(viii) vkx] fo}ku vfèkdj.k u fnukd 21.5.2014 dk vkn'k ikfjr djr g, ekey d leLr igyvk ij fopkj fd;k] iVuk mPp U;k;ky; d fu.k; ij fo'okl fd;k vkj bl fu"d"k ij vk;k g fd vihykFkh e[;ky;] MkyVuxt e ugh jg jgh Fkh] vr% og fuokg HkÙkk dh gdnkj ugh FkhA

(ix) vkx] fcgkj jkT; ,o ,d vU; cuke vjfon] 2013 (16) SCC 615 e fu.k; e fn, x, rF; lfHkUu fd, tku ;kX; g D;kfd lokPp U;k;ky; d le{k ekeyk e mle çR;Fkh dk fnukd 26.5.1997 d vkn'k d vèhu fuycu d vèhu fd;k x;k Fkk vkj dfri; vkjkik ij foHkkxh; dk;okgh vkjHk dh x;h Fkh vkj fuycu vofèk d nkjku mldk e[;ky; ftyk f'k{kk vfèkdkjh if'pe pikj.k] d dk;ky; e fu;r fd;k x;k FkkA vkj çR;Fkh 3.10.1997 rd e[;ky; e :dk jgk vkj ckn e ogk l pyk x;k] D;kfd og èku dh deh d dkj.k ogk jgu dh voLFkk e ugh Fkk] D;kfd ,d o"k l mld oru dk Hkxrku ugh fd;k x;k Fkk vkj fuokg HkÙkk dk Hkxrku Hkh ugh fd;k x;k FkkA

vkx mle çR;Fkh u oru dh fuefDr d fy, vH;konu nkf[ky fd;k fdr vkn'k ikfjr ugh fd;k x;k FkkA

vkx] çR;Fkh dk 18.4.2000 dk fo}ku fopkj.k nMkfèkdkjh }kjk nkfMd ekeyk e nk"keDr fd;k x;k FkkA

vkx] çR;Fkh u foHkkxh; dk;okgh e Hkkx ugh fy;k Fkk vkj ;g ,d i{kh; :i l tkjh jgk vkj fjikV d vkèkkj ij 30.9.2000 dk c[kkLrxh vkn'k ikfjr

fd;k x;k FkkA rRi'pkr] mlu iVuk mPp U;k;ky; d le{k fjV vkonu lh0 MCy0 t0 lh0 l0 5210 o"k 2002 nkf[ky fd;k Fkk ftl fo}ku ,dy U;k;kèkh'k }kjk [kkfjt fd;k x;k Fkk vkj ekeyk ,y0 ih0 ,0 e luk x;k Fkk vkj [kM U;k;ihB d le{k vfHkopu fd;k x;k Fkk fd pfd vkjki] nkfMd ekeyk ,o foHkkxh; dk;okgh nkuk e le:i çÑfr d Fk vkj nkfMd ekeyk e mlI nk"keDr fd;k x;k Fkk vkj ,d o"k d fy, oru tk mldk Hkxr; Fkk d xj Hkxrku vkj vkx fuokg HkÙkk dh xj fuefDr d rF; ij tkj fn;k x;k FkkA

iokDr ekey dh i"BHkfe e ekuuh; lokPp U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd çR;Fkh oru@fuokg HkÙkk dk gdnkj FkkA

19. किंतु वर्तमान मामला में, क्या अपीलार्थी ने नया पदग्रहण किया था तथा वहाँ रूकी थी, विवादित है और कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गयी है जहाँ इस बिन्दु पर साक्ष्य दिया जा सकता है। विद्वान अधिकरण ने विस्तारपूर्वक पूर्वोक्त निर्णय पर विचार किया है और **पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम धरम सिंह, AIR 1997 SC 1906** और **उ० प्र० राज्य टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम पी० सी० चतुर्वेदी, 2005(8) SCC 211** में निर्णय पर भी विश्वास करते हुए सही प्रकार से आवेदन खारिज कर दिया है।

20. जहाँ तक अवमान आवेदन का संबंध है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह न्यायनिर्णीत किए बिना कि क्या प्रथम दृष्टया अवमान मामला बनता है या नहीं, अवमान मामला सं० 339 वर्ष 2015 में 18.12.2015 का आदेश पारित किया है और तत्पश्चात प्रत्यर्थियों ने आदेश का अनुपालन किया है और 1,25,000/- रुपयों की राशि जमा किया है।

21. आगे ए० सी० (एस० बी०) सं० 10/2014 में पारित दिनांक 25.3.2015 के आदेश के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने 2014(1) JLJR SC 85, **(2000) 7 SCC 90,** 2002 (3) JLJR SC 148, **1982 Lab I.C. 1140** एवं **2007(4) JCR 183** में प्रकाशित अनेक निर्णयों पर विश्वास किया है और प्रत्यर्थियों ने 1995(2) PLJR 690, **AIR 1997 SC 1905, (2004)1 SCC 281** एवं **(2005) 8 SCC 211** में प्रकाशित निर्णयों पर भी विश्वास किया है। प्रत्यर्थियों द्वारा विश्वास किए गए निर्णयज विधियों पर विचार नहीं किया गया था और तदंतरिम आदेश के रूप में तीन सप्ताह की अवधि के भीतर 11.2.2014 के प्रभाव से निर्वाह भत्ता का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था चूँकि विद्वान जे० ई० टी० ने अंतिम रूप से मामला विनिश्चित किया है और दैनिक जागरण में प्रकाशित निलंबन आदेश की संसूचना मान्य ठहराया है जिसके विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष ए० सी० (एस० बी०) सं० 01/2016 लंबित है।

22. पक्षों को सुनने के बाद, मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि विद्वान जे० ई० टी० द्वारा पारित दिनांक 21.5.2014 के आदेश में अवैधता नहीं है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को निर्वाह भत्ता से इनकार किया गया है और तद्नुसार यह ए० सी० (एस० बी०) सं० 10 वर्ष 2014 खारिज किया जाता है।

23. आगे चूँकि अवमान नहीं बनता है, मैं अवमान आवेदन ग्रहण करने का इच्छुक नहीं हूँ। तद्नुसार, अवमान मामला सं० 339 वर्ष 2015 भी खारिज किया जाता है।

24. आगे, आई० ए० सं० 4154/2014, 2763/2015, 3143/2015, 106/2016 भी निपटाए जाते हैं।

25. आगे, रजिस्ट्रार जनरल, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को प्रत्यर्थी सं० 1 के पक्ष में आदेश की प्राप्ति/प्रस्तुती की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर 1,25,000/- रुपयों की राशि निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

26. व्यय को लेकर आदेश नहीं होगा।